कम्पनी विधि

(संशोधित)

लेखक :

महेश प्रसाद टण्डन

एम० ए० बी० काम० एल एल० बी०

इलाहाबाद ला एजेन्सी

ला पब्लिशर्स

६, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद—२

प्रकाशक :

इलाहाबाद ला एजेन्सी

लॉ पब्लिशर्स

६, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद–२

मुद्रक :

सी वेल प्रेस

विवेकानन्द मार्ग

इलाहाबाद –३

विषय-सूची

भाग २

कम्पनीज ऐक्ट

[१६५६ का ऐक्ट १]

अध्याय--१

विषय प्रवेश

(INTRODUCTORY)

सक्षिप्त इतिहास---इंग्लैण्ड में व्यापार के लिए ज्वाइन्ट-स्टाक कम्पनियों का निर्माण कई शताब्दियों पहिले शुरू हुआ था। उस देश में १८५५ तक भी सीमित दायित्व का विशेषाधिकार नहीं प्रदान किया गया था।

भारत में ज्वाइन्ट-स्टाक कम्पनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए इंग्लिश कम्पनीज ऐक्ट, १८४४ के लाइन पर पहली बार १८५० में एक्ट पास किया गया था। १८५७ में जवाइन्ट-स्टाक कम्पनियों तथा अन्य संस्थाओं के निगमन (इन्कारपोरेशन) तथा विनियमन (रेगूलेशन) के लिए, उनके मेम्बरों के सीमित दायित्व सहित अथवा बिना इसके, पास किया गया, लेकिन सीमित दायित्व का विशेषाधिकार किसी बैंकिंग या बीमा कम्पनी को नहीं दिया गया था। लेकिन, इंग्लिश ऐक्ट, १८५७ के लाइन पर १८६० के ऐक्ट ७ को पास करके इस निर्योग्यता को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद १८६६ में इंग्लिश ऐक्ट, १८६२ के लाइन पर विस्तृत ऐक्ट पास किया गया। इस ऐक्ट द्वारा व्यापारिक कम्पनियों तथा अन्य संस्थाओं के निगमन, विनियमन तथा समापन (वाइन्डिग अप) संबंधी कानून को संशोधित तथा इकठ्ठा किया गया।

१८६६ के ऐक्ट को १८८२ में फिर से ढाला गया और अन्य संशोधी अधि-नियम पास होते रहे जब तक कि १६१३ का ऐक्ट ७ पास नहीं हुआ, जो कि इंग्लिश कम्पनीज (कानसोलिडेशन) ऐक्ट, १६०८ की एक प्रकार से नकल थी। १६३६ के ऐक्ट ७ द्वारा १६१३ के ऐक्ट में व्यापक संशोधन किए गए, जो बिलकुल १६२६ में इंग्लिश ऐक्ट पर आधारित थे। इसके बाद भी कई संशोधी अधिनियमों द्वारा इसमें संशोधन किए गए।

१६५६ का ऐक्ट—यह समेकन करने वाला ऐक्ट है और इसमें इस समय तक कम्पनियों के सभी कानून को समाविष्ट किया गया है। इस ऐक्ट ने इण्डियन

कम्पनीज ऐक्ट १६१३, तथा इन्डियन कम्पनीज (एमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १६५१ को, उल्लिखित सीमा तक ही, तथा पूरे इन्डियन कम्पनीज (एमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १६५२ को निरसित (रिपील) कर दिया। १६१२ में पहली बार इस विषय पर के कानून को कायदे से क्रमबद्ध करने का प्रयत्न किया गया था जिससे कि भारतीय कम्पनीज ऐक्ट की योजना अधिक सुचारु हो सके। इस विषय पर कानून को इस प्रकार संशोधित किया गया कि कम्पनियों के संचालन तथा प्रगति में सरलता हो और कानूनी व्यापार तथा उद्यम की राह में कठिन नियमों द्वारा रुकावट न पड़े तथा प्रगति पर कुप्रभाव न पड़े।

महत्वपूर्ण परिवर्तन—इस ऐक्ट द्वारा किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तन कम्पनियों की स्थापना तथा प्रवर्तन (प्रमोशन), कम्पनियों की पूँजी के निर्माण, मीटिंगें तथा प्रक्रिया। कम्पनी के लेखे के उपस्थापन (प्रजेन्टेशन), लेखे के आडिट तथा आडिटरों के अधिकार तथा उनकी शक्तियों, कम्पनियों के मामलों का मुआइना तथा जाँच, बोर्ड आफ डायरेक्टरों के संघटन तथा डायरेक्टरों, मैनिजिंग डायरेक्टरों तथा मैनेजरों के अधिकार तथा उनकी शक्तियों, मैनेजिंग एजेन्टों की नियुक्ति, उनकी सेवा के निबन्धन तथा शर्तों, उनके पारिश्रमिक, डायरेक्टरों की तुलना में (vis-a-vis) मैनेजिंग एजेन्ट की शक्तियों, तथा कर्ज लेने, संविदाओं, बिक्री तथा खरीद तथा कम्पनी लॉ के प्रशासन के प्रति मैनेजिंग एजेन्ट की कार्यवाहियों, से संबंधित हैं।

कम्पनीज (एमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १६६०—१६५६ के ऐक्ट के अनुसार कार्य करने में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों तथा निर्योग्यताओं को दूर करने के लिए यह संशोधी अधिनियम पास किया गया था, जिससे वर्तमान कम्पनीज लॉ में काफी परिवर्तन किए गए थे।

कम्पनीज (एमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १६६५—दालमिया-जैन कम्पनियों के प्रशासन में जांच के लिए स्थापित किये गए विवियन बोस कमीशन तथा बाद में दफ्तरी-शास्त्री कमेटी की सिफारिशों के परिणामस्वरूप कम्पनीज (एमेन्डमेन्ड) ऐक्ट, १६६५ द्वारा कम्पनी कानून में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गए हैं। यह ऐक्ट १५ अक्टूबर, १६६५ से लागू हुआ है और इसका उद्देश्य निगम क्षेत्र (कारपोरेट सेक्टर) की कार्य-प्रणाली में सुधार करना तथा शेयर होल्डरों के कुप्रबन्ध तथा शोषण को रोकना था।

इस एमेन्डमेन्ट ऐक्ट द्वारा प्रत्येक कम्पनी के लिए अपने मेमोरन्डम में उन उद्देश्यों का स्पष्ट उल्लेख करना जरूरी है जिसका अनुसरण वे अपने निगमन (इन्कारपोरेशन) पर करेंगी तथा मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में सहायी

या प्रासंगिक उद्देश्यों का स्पष्ट उल्लेख भी आवश्यक है। [धारा १३] झूठे नाम में शेयर के लिये दरखास्त देना एक जुर्म है जो पाँच साल की कैद द्वारा दंडनीय है। [धारा ६८-ए] धारा ६६ को आवेदन शुल्क के रूप में एकत्रित किए गये धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए संशोधित कर दिया गया है। संशोधित धारा ७६ द्वारा यह उपबन्ध किया गया है कि उन शेयरों या ऋण-पत्रों (डिबेन्चर्स) पर किसी व्यक्ति को निम्नांकन कमीशन (Underwriting commission) नहीं दिया जाएगा जिसे जनता के सम्मुख अभिदान (Subscription) के लिये नहीं रक्खा गया है। धारा १०८ को करेन्सी के ब्लैन्क ट्रान्सफर की अवधि को संकुचित करने के लिये संशोधित कर दिया गया है। एक अन्य संशोधन द्वारा इन्टर-कम्पनी ऋणों को संकुचित (Restrict) करने के लिए कुछ उपबन्ध किये गये हैं।

धारा २०६ के अनुसार रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी अधिकारी को कम्पनी या उसके किसी अधिकारी को बिना पूर्व सूचना दिये कारोबार के घन्टों के दौरान कम्पनी के हिसाब तथा अन्य पुस्तकों या कागजात का मुआइना करने के लिए अधिकार दिया गया है।

आडिटरों को और अधिकार दिए गए हैं और वह इस बात की जाँच कर सकता है कि प्रतिभूति (Securities) के आधार पर कम्पनी द्वारा दिए गए ऋण या अग्रिम को समुचित रूप से प्रतिभूत (Secure) किया गया है या नहीं और जिन शर्तों पर इन्हें दिया गया है वे कम्पनी तथा उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल तो नहीं हैं। [धारा २२७]

कम्पनी के डायरेक्टरों की उम्र पर अब कोई कैद नहीं है और उन्हें शेयर होल्डर होने के विषय में अब कोई घोषणापत्र भी नहीं दाखिल करना पड़ता।

ऐक्ट की धारा ४१० से धारा ४१५ को निकाल दिया गया और इनके स्थान पर नई धारा ४१० बना दी गई है जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह समुचित योग्यता वाले व्यक्तियों की एक सलाहकार समिति गठित कर सकती है, जिसके सदस्यों की संख्या पाँच से अधिक न होगी, जो उन्हें तथा कम्पनी लॉ बोर्ड को ऐक्ट के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले मामलों पर सलाह दिया करेगी। इस प्रकार, सलाहकार आयोग (Advisory Commission) के स्थान पर सलाहकार समिति का प्राविधान किया गया है।

भाग १

अध्याय २

प्रारम्भिक [PRELIMINARY]

[धाराएँ १-१०]

ऐक्ट की प्रकृति तथा उसका विस्तार - इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट पहली अप्रैल, १९५६ को लागू हुआ था। जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़कर यह सारे भारत में लागू है। एमेन्डमेन्ट ऐक्ट, १९६५ ने इस ऐक्ट के विस्तार को नागालैण्ड तक बढ़ा दिया है। इस ऐक्ट ने सारे भारत में कम्पनियों के सिलसिले में पहली बार एक एकसम (uniform) कानून लागू किया है। निगम जिनका उद्देश्य व्यापारिक नहीं है और जिनका कार्य-क्षेत्र एक ही राज्य तक सीमित है और जो वाणिज्य से सम्बद्ध नहीं हैं, विश्वविद्यालय, सहकारी समितियाँ, अनिगमित व्यापारिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा धार्मिक तथा अन्य संस्थाएं तथा संघठन जिनका उल्लेख भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में स्टेट लिस्ट के आईटम ३२ में किया गया है, इस ऐक्ट के अन्तर्गत नहीं आतीं।

कम्पनियों का वर्गीकरण (Classification of Companies)—कानून में सात कम्पनियों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :—

- कम्पनियाँ
  - निगमित (incorporated)
    - रायल चार्टर द्वारा (By Royal Charter)
    - पार्लियमेन्ट के विशेष ऐक्ट द्वारा (By Special Act of Parliament)
    - कम्पनीज ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्री द्वारा (By registration under the Companies Act)
      - असीमिति दायित्व सहित (With unlimited liability)
      - सीमित दायित्व सहित (With Limited liability)
        - शेयर द्वारा सीमित (Limited by share)
        - प्रत्याभूति द्वारा सीमित (Limited by guarantee)
  - अनिगमित (Unincorporated)

अनिगमित कम्पनियां—अनिगमित कम्पनियाँ सभी आशय तथा प्रयोजनों के लिए बृहत भागीदारियाँ (Large partnerships) होती हैं। कानून की निगाह में इनका अस्तित्व उनको गठित करने वाले सदस्यों से पृथक नहीं माना जाता। अनिगमित कम्पनियों में शेयर, निःसन्देह, हस्तांतरणीय होते हैं। मृत्यु या दिवाला निकलने से इन कम्पनियों की निरन्तरता में कोई बाधा नहीं पड़ती। सदस्यों का दायित्व भी असीमित होता है।

अब ऐसी कम्पनियों का सर्जन नहीं हो सकता, क्योंकि इन्डियन कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ के अनुसार बैंकिंग के कारोबार के लिए दस व्यक्तियों से अधिक सदस्यों वाली कम्पनी, या कोई अन्य कारोबार, जिसका उद्देश्य किसी कम्पनी, संघटन या भागीदारी या उनके सदस्यों द्वारा लाभ अर्जित करना हो, के लिये बीस व्यक्तियों से अधिक सदस्यों वाली कम्पनी तब तक नहीं बनाई जा सकेगी, जब तक कि इसे ऐक्ट के अन्तर्गत बतौर कम्पनी के रजिस्टर्ड न किया जाय, या किसी अन्य भारतीय कानून के अनुसार स्थापित न किया जाय। [धारा ११]।

निगमित कम्पनियां (Incorporated Companies)—किसी कारोबार या लाभ के प्रयोजन के लिए स्थापित किए गए निगम (Corporation) को निगमित कम्पनी कहते हैं।

रायल चार्टर द्वारा—रायल चार्टर द्वारा स्थापित किए गए निगम को साधारण व्यक्ति को प्राप्त सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसे सर्जन करने वाले चार्टर द्वारा भी रूपभेदित (Modify) नहीं किया जा सकता। यदि प्रदत्त अधिकारों पर चार्टर द्वारा निर्धारित सीमा की उपेक्षा की जाती है, तो क्राउन चार्टर को समाप्त कर सकता है।

पार्लियामेंट के विशेष ऐक्ट द्वारा- ऐसी कम्पनियाँ परिनियत कम्पनियाँ (Statutory Companies) होती हैं। भूमि अर्जित करने तथा अवखेदक (Nuisanc) उत्पन्न करने के अनिवार्य अधिकारों वाली रेलवे कम्पनी पार्लियामेंट के विशेष ऐक्ट द्वारा निगमित होती हैं। ऐसी कम्पनियों की शक्तियाँ विशेष ऐक्ट द्वारा सीमित होती हैं जिनसे उनका सर्जन होता है तथा जिस पर वे अपने पूर्ण अस्तित्व के लिए आश्रित होती हैं।

कम्पनीज ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन—भारतीय कम्पनीज ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्री द्वारा निगमित की गई कम्पनियाँ अपने सदस्यों के दायित्व,

सीमित अथवा असीमित, के अनुसार सीमित या असीमित हो सकती हैं। असीमित कम्पनी के सूरत में, सदस्यों के दायित्व पर कोई सीमा नहीं होती, और प्रत्येक सदस्य अपनी सम्पत्ति की सीमा तक कम्पनी के ऋणों के लिए अंशदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। शेयरों द्वारा सीमित दायित्व वाली कम्पनी की सूरत में, प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसके द्वारा धारित शेयरों पर उसके द्वारा अदत्त (Unpaid) रकम, यदि कोई है, तक सीमित होता है। प्रत्याभूति (Guarantee) द्वारा सीमित कम्पनी की सूरत में प्रत्येक सदस्य का दायित्व उस रकम तक सीमित होता है जो वे कम्पनी के समापन की सूरत में कम्पनी की परिसम्पत (assets) के प्रति अंशदान करने का जिम्मा लेते हैं।

उपरोक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त, कम्पनियों को इन विभिन्न किस्मों में भी विभाजित किया जा सकता है :—

(१) लोक या पब्लिक कम्पनियाँ ; (२) निजी या प्राइवेट कम्पनियाँ ; (३) सूत्रधारी या होल्डिंग कम्पनियाँ ; (४) सहायी या सब्सिडियरी कम्पनियाँ ; (५) सरकारी या गवर्नमेंट कम्पनियाँ ; तथा (६) सीमित या लिमिटेड कम्पनियाँ।

यहाँ हम शेयरों द्वारा सीमित कम्पनियों का प्रमुख रूप से उल्लेख करेंगे।

कम्पनी की परिभाषा—कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा २ (१०) के अन्तर्गत "कम्पनी" का अर्थ ऐक्ट की धारा ३ में परिभाषित कम्पनी होता है। धारा ३ (१) (क) की परिभाषा के अनुसार "कम्पनी" का अर्थ है वह कम्पनी जिसे इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ के अन्तर्गत स्थापित तथा रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, या कोई ऐसी वर्तमान कम्पनी, जिसे किसी पिछली कम्पनी कानून के अन्तर्गत स्थापित तथा रजिस्ट्रीकृत किया गया हो।

लाभ तथा ऐसे लाभ को सदस्यों के बीच वितरित किए जाने के प्रयोजन के लिए, सामान्य रूप से व्यापार या कारोबार चलाने के लिए व्यक्तियों द्वारा स्थापित की गई संस्था को "कम्पनी" कहते हैं।

व्यापार या कारोबार चलाने के लिये व्यक्तियों की संस्था (An association of individuals for carrying on trade or business)—इसको व्यक्तियों की संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है जिनका उद्देश्य संस्था के नाम में कोई व्यापार या कारोबार चलाना होता है, जिसमें, 'कंपनी के विनियमों के अधीन, प्रत्येक सदस्य को अपने शेयरों को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष

में अभिहस्तांकित करने का अधिकार होता है। इस प्रकार इसमें दो भावनाएँ अन्तर्ग्रस्त हैं—(१) संस्था के सदस्यों की संख्या असंख्य होती है, और यह किसी फर्म या भागीदारी से पृथक होती है; तथा (२) प्रत्येक सदस्य को बिना अन्य सदस्यों की सहमति से, लेकिन विनियमों के अधीन, अपने शेयरों को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अभिहस्तांकित करने का अधिकार होता है।

लार्ड लिन्डले के अनुसार—

"By a company is meant an association of many persons who contribute money or moneys worth to a common stock and employ it for a common purpose. The common stock so contributed is denoted in money, and is the capital of the company. The persons who contribute to it or to whom it belongs are the members. The proportion of capital to which each member is entitled is his store".

ज्वाइन्ट-स्टाक कम्पनियां—ज्वाइन्ट-स्टाक कम्पनियाँ वे कम्पनियाँ होती हैं जिनका स्टाक ज्वाइन्ट होता है, या जिनकी पूँजी अनगिनत हस्तांतरणीय शेयरों में विभाजित होती है, या जिनका स्टाक हस्तांतरणीय (transferable) होता है। यह लाभ के प्रयोजन के लिए स्थापित की गई व्यक्तियों की एक संस्था होती है, जिसकी पूँजी उनके सदस्यों द्वारा अंशदान की गई पूँजी के रूप में होती है, और जो सामान्यतः शेयरों के रूप में विभाजित होती है और एक सदस्य के पास एक या एक से अधिक शेयर होते हैं, जो उनके द्वारा, अर्थात शेयरों के स्वामी द्वारा, हस्तांतरणीय होते हैं।

धारा ५६६ परिभाषित करती है कि ज्वाइन्ट-स्टाक कम्पनी एक ऐसी कंपनी है जिसके पास स्थायी दत्त (permanent paid up) या शेयरों के रूप में विभाजित एक निश्चित राशि का नोमिनल शेयर कैपिटल होता है, तथा निश्चित राशि, या बतौर धारित (held) या हस्तांतरणीय स्टाक, या विभाजित तथा अंशतः एक से धारित तथा अंशतः अन्य रूप से धारित होता है, तथा जो इस सिद्धान्त पर धारित होती है कि उनके शेयर्स या स्टाक को धारण करने वाले ही उसके सदस्य होंगे, अन्य कोई व्यक्ति नहीं। ऐसी कम्पनी को जब सीमित दायित्व सहित ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किया जाता है, तो उसे शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी कहा जाता है।

पब्लिक (लोक) कम्पनी—ऐक्ट की धारा ३ (४) में परिभाषित किया गया है कि लोक कम्पनी वह कम्पनी है जो प्राइवेट कम्पनी नहीं है। प्राइवेट कम्पनी का उल्लेख अभी कुछ के पृष्ठों बाद किया जायगा। चूँकि कम्पनी तथा

भारतीय भागिता अधिनियम (Indian Pa tnership Act) के अन्तर्गत भागिता या भागीदारी की परिभाषा में काफी समानता है, यहाँ यह समझ लेना जरूरी है कि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी तथा साधारण भागिता में क्या विभेद है।

भागीदारो तथा लोक-सीमित कम्पनी में विभेद

भागीदारी	लोक-सीमित कम्पनो
(१) भागीदारी का, जिसे फर्म कहा जाता है, कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता। यह एक पृथक व्यक्ति नहीं होती। यह कई व्यक्तियों से मिलकर गठित होती है।	(१) कम्पनी एक व्यक्ति या persona होती है। कानून की निगाह में यह मेमोरेण्डम के सब्सक्राइबर्स से बिलकुल एक भिन्न व्यक्ति होती है। [Saloman v. Saloman & Co. Ltd. (1897) A. C. 22]
(२) फर्म की सम्पत्ति व्यक्तिगत सदस्यों की होती है और सामूहिक रूप से वे ही उसके अधिकारी होते हैं।	(२) सम्पत्ति कम्पनी की होती है, न कि सदस्यों की। [In re. v. Newthan and Co., (1895) 1 Ch. 674, 685].
(३) भागीदार, जिस फर्म का वह भागीदार है, उससे कोई संविदा नहीं कर सकता।	(३) शेयरहोल्डर, जिस कम्पनी का वह शेयरहोल्डर है, उससे संविदा कर सकता है।
(४) फर्म के ऋणदाता फर्म के सदस्यों के ऋणदाता होते हैं और वे फर्म की सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं, और यदि जरूरी हो, तो भागीदारों की वैयक्तिक सम्पत्तियों के विरुद्ध भी कार्यवाही कर सकते हैं।	(४) ऋणदाता केवल कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं, न कि कम्पनी के किसी शेयर होल्डर के विरुद्ध। केवल कम्पनी ही ऋणी होती है।
(५) भागीदार अन्य भागीदारों की सहमति के बिना अपना हिस्सा हस्तांतरित नहीं कर सकता।	(५) अन्य शेयरहोल्डर्स की सहमति के बिना शेयरों को हस्तांतरित किया जा सकता है।
(६) फर्म के ऋण के प्रति भागीदार का दायित्व असीमित होता है।	(६) शेयर या प्रत्याभूति द्वारा शेयरहोल्डर का दायित्व सीमित होता है।

(७) संविदा करने के लिए प्रत्येक भागीदार फर्म का एजेन्ट होता है।

(७) शेयरहोल्डर कम्पनी का एजेन्ट नहीं होता।

(८) भागीदारी की स्थापना प्रत्येक भागीदार की कुशलता, शीलनिष्ठा तथा पारस्परिक विश्वास तथा भरोसे के आधार पर की जाती है।

(८) कम्पनी के सदस्यों में परस्पर (inter se) कोई वैयक्तिक संबंध नहीं होता।

(९) किसी प्रतिकूल करार के अभाव में कारोबार के चलाने में प्रत्येक भागीदार का बराबर अधिकार होता है।

(९) प्रबन्ध का अधिकार कुछ सदस्यों के हाथ में होता है; शेष सदस्य कम्पनी के प्रबन्ध में कोई सक्रिय भाग नहीं लेते, और न ही उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ मालूम रहता है।

(१०) भागीदार अपने कारोबार के विस्तार के भीतर असीमित सीमा तक अपनी सम्पत्तियों को हस्तांतरित कर सकता है।

(१०) कम्पनी के शेयर होल्डर को ऐसा कोई अधिकार नहीं होता।

(११) भागीदार की शक्तियों पर किसी निर्बन्धन से फर्म के साथ कारोबार करने वाली जनता बद्ध नहीं होती।

(११) मेमोरन्डम तथा आर्टिक्ल्स आफ असोसियेशन में समाविष्ट निर्बन्धनों से सामान्य जनता बद्ध होती है।

(१२) सह-भागीदार के कपटपूर्ण या अनवधानतायुक्त कृत्य के लिए भागीदार अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होता है।

(१२) शेयर होल्डर अन्य शेयर होल्डर्स के कृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता।

(१३) भागीदारी की स्थापना बैंकिंग के कारोबार के लिए दस व्यक्तियों से अधिक, या किसी अन्य कारोबार के लिए बीस व्यक्तियों से अधिक द्वारा नहीं की जा सकती।

(१३) इसमें कम से कम सात सदस्यों का होना जरूरी है। इससे अधिक की संख्या पर कोई रोक नहीं है।

कम्पनी का पृथक वैधिक अस्तित्व (Company a distinct legal entity)—कम्पनीज ऐक्ट के अन्तर्गत स्थापित की गई कम्पनी का एक पृथक वैधिक अस्तित्व होता है। यह शाश्वत उत्तराधिकार (Perpetual succession) तथा कामन सील सहित एक विधि-सम्मत व्यक्ति (Juristic person)

होती है। फर्म का इस स्थिति में सदस्यों से अलग कोई ऐसा पृथक वैधिक अस्तित्व नहीं होता। सालोमन बनाम सालोमन में एरोन सालोमन अपने ही खाते में कई वर्षों से चमड़े के व्यापारी बूट के थोक निर्माता के रूप में कारोबार कर रहा था। उसने अपने सालवेन्ट कारोबार को एक पौंड के ४०,००० शेयरों की नोमिनल पूँजी सहित एक सीमित कम्पनी के हाथों बेच दिया था। कम्पनी में केवल सात ही आवश्यक व्यक्ति थे—उसकी पत्नी, लड़की, चार लड़के तथा स्वयं। स्वयं एरोन सालोमन ने २०,००० शेयर लिये और शेष प्रत्येक ने एक-एक पौंड के एक-एक शेयर लिए थे। क्रय-धन के आंशिक भुगतान में चल प्रतिभूति (Floating security) के रूप में डिबेन्चर्स विक्रेता एरोन सालोमन को जारी किए गए थे। उसके नाम २०,००० शेयर भी जारी किए गए थे जिसका भुगतान क्रय-धन में से किया गया था। इस प्रकार कम्पनी ने सालोमन को ३०,००० पौंड मूल्य के रूप में दिया था, अर्थात् २०,००० के एक एक पौंड वाले पूर्ण भुगतान किए गए शेयर १०,००० पौंड के डिबेन्चर्स २०,००७ शेयर से अधिक शेयर कभी नहीं जारी किए गए थे। कम्पनीज ऐक्ट, १८६२ द्वारा अपेक्षित सभी अपेक्षित बातों की पूर्ति की गई थी। विक्रेता को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। बुरे दिन आये और कम्पनी को समाप्त कर दिया गया। कम्पनी की परिसम्पत (assets) केवल ६,००० पौंड की थी, जिसमें से डेबेन्चर्स द्वारा प्रतिभूत १०,००० पौंड सालोमन को तथा ७,००० पौंड अप्रतिभूत ऋणदाताओं को देय था।

अप्रत्याभूत ऋणदाता द्वारा स्वयं अपनी तथा अन्य डिबेन्चर्स के धारकों की ओर से की गई कार्यवाही में यह कहा गया था कि ए० सालोमन एण्ड कम्पनी वास्तव में स्वयं एरोन सालोमन के रूप में वही व्यक्ति थी और उसकी नोमिनी तथा एजेन्ट थी और कम्पनी या उसका परिसमापक, एरोन सालोमन को छोड़कर, कम्पनी द्वारा ऋणदाताओं के देय सभी क्षतिपूर्ति एरोन सालोमन से कराने के हकदार थे।

वागन विलियम्स जे० ने निर्धारित किया कि एक करार के अनुसार कम्पनी की स्थापना तथा एरोन सालोमन के नाम डिबेन्चर्स का जारी किया जाना, कम्पनीज ऐक्ट, १८६२ के वास्तविक आशय तथा अर्थ के प्रतिकूल स्वयं उसके द्वारा कम्पनी के नाम में सीमित दायित्व सहित कारोबार करने की एक योजना-मात्र थी, और इसके अतिरिक्त यह ऐसे ऋण-पत्रों द्वारा कम्पनी की परिसम्पत् पर अन्य ऋणदाताओं के प्रतिकूल एरोन सालोमन के प्रथम प्रभार (First charge) का अधिमान (Preference) प्राप्त करने के लिए किया गया था। उन्होंने निर्धारित किया कि स्वयं एरोन सालोमन द्वारा ७,००० पौंड का भुगतान करके अपने एजेन्ट द्वारा उठायी गयी क्षति की पूर्ति करनी चाहिए।

लेकिन, हाउस आफ लार्ड्स ने उपरोक्त मत को नहीं स्वीकार किया और यह निर्धारित किया कि यदि कम्पनी एक बार निगमित हो जाती है, तो उसके साथ एक अन्य स्वतन्त्र व्यक्ति के समान ही व्यवहार किया जाना चाहिये, और कम्पनी के प्रवर्तकों (promoters) का क्या अभिप्राय था यह बात निरर्थक होती है। लार्ड मैकनाटन ने कहा कि—

"The company attains maturity on its birth. There is no period of minority—no interval of incapacity. I cannot understand how a body corporate thus made 'capable' by statute can lose its individuality by issuing the bulk of its capital to one person, whether he be a subscriber to the memorandum or not. The company is at law a different person altogether from the subscribers to the memorandum; and though it may be that after incorporation the business is precisely the same as it was before, and the same persons are managers, and the same hands receive the profits, the company is not in law the agent of the subscribers or trustee for them. Nor are the subscribers as members liable, in any shape or form, except to the extent and in the manner provided by the Act. That is, I think, the declared intention of the enactment........".

निगम के विशेष गुण (Characteristics of a Corporation)— निगम या ज्वायन्ट स्टाक कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, जिसका अस्तित्व उसी समय तक रहता है जब तक उसे इसके लिये कानूनी मान्यता प्राप्त रहती है। जब तक इसका अस्तित्व रहता है इसे प्राकृतिक व्यक्ति के सभी विशेषाधिकार उपलब्ध रहते हैं। यह सम्पत्ति धारण कर सकती है, ऋण ले सकती है, वाद दायर कर सकती है तथा इसके खिलाफ वाद दायर किया जा सकता है।

शेयरहोल्डर्स से, जिनसे इसका निर्माण होता है, इनका पृथक वैधिक अस्तित्व होता है। शेयरहोल्डर इसके खिलाफ वाद दायर कर सकता है और कम्पनी उनके खिलाफ वाद दायर कर सकती है।

सीमित दायित्व का सिद्धान्त अनिवार्य रूप से ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी से सम्बद्ध होता है। यह धारण किये गये शेयर्स के प्रत्यक्ष मूल्य तक या प्रत्याभूति कम्पनी की सूरत में प्रत्याभूति की रकम तक सीमित होती है;

इसका अस्तित्व शाश्वत होता है और किसी शेयरहोल्डर या कम्पनी के किसी अधिकारी की मृत्यु हो जाने से या उसका दिवाला निकल जाने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

कम्पनी के शेयरहोल्डर्स कम्पनी के एजेन्ट नहीं होते और, इसलिये, उनके कृत्यों से कम्पनी बद्ध नहीं होती।

क्योंकि कम्पनी का लोक महत्व होता है, यह अपने कारोबार को गुप्त नहीं रख सकती। इसे अपने हिसाब-किताब को शेयरहोल्डर्स तथा भावी शेयरहोल्डर्स की सूचना के लिये प्रस्तुत करना पड़ता है।

निगमित कम्पनियों के लाभ (Advantages of incorporated companies)—सालोमन बनाम सालोमन कम्पनी में लार्ड मैकनाटन ने कहा था कि प्रमुख कारणों में से एक, जिससे लोग प्राइवेट कम्पनियाँ स्थापित करने के लिये प्रेरित होते हैं, यह है कि वे दिवाला निकलने के जोखिम से बचना चाहते हैं और उन्हें ऋण लेने की अधिक सुविधा मिलती है। प्राइवेट कम्पनी द्वारा व्यापार सीमित दायित्व सहित किया जा सकता है, और दिवाले की सूरत में उसमें हितबद्ध व्यक्तियों का अनावरण नहीं होता और वे दिवाला सम्बन्धी कठोर कानून की कठिनाइयों से बच जाते हैं। कम्पनी ऋण पत्रों अर्थात् डिबेन्चर्स द्वारा धन उगाह सकती है जबकि साधारण निजी व्यापारी ऐसा नहीं कर पाता। कम्पनी का कोई भी सदस्य, सद्भावनापूर्वक कार्य करते हुये, किसी बाहरी व्यक्ति के समान उतने ही डिबेन्चर्स ले सकता है तथा धारण कर सकता है प्रत्येक ऋणदाता कानून द्वारा स्वीकृत उत्तम से उत्तम प्रतिभूति प्राप्त करने तथा धारण करने का हकदार होता है।

निगमित कम्पनी से प्रमुख सुविधा यह होती है कि निगमन द्वारा इसका एक पृथक वैधिक अस्तित्व हो जाता है, जो कि सदस्यों से बिलकुल पृथक होता है। किसी सदस्य का दिवाला निकलने या उसकी मृत्यु हो जाने से कम्पनी के कारोबार पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। सम्पत्तियों को कम्पनी अपने नाम में धारण कर सकती है और वह इसी नाम से वाद दायर कर सकती है तथा उसके खिलाफ भी उसी नाम में वाद दायर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सीमित दायित्व सहित ज्वायन्ट-स्टाक कम्पनी की सूरत में सदस्यों को शुरू में ही इस बात का पता चल जाता है कि उनकी जोखिम या दायित्व की क्या सीमा है। इसका उत्तराधिकार भी शाश्वत हो सकता है।

ज्वाइन्ट-स्टाक कम्पनी में साधारण से साधारण व्यक्ति अंशदान द्वारा औद्योगिक कार्यों में अपना योगदान कर सकता है। इस प्रकार, हर कोने से व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। चूँकि शेयर्स को सरलता से हस्तांतरित किया जा सकता है, धन लगाने वाला अपना धन जब चाहे वापस ले सकता है। वह अपना धन विभिन्न कम्पनियों में लगा सकता है जिससे कि

वह धन किसी एक कम्पनी में ही बन्द न पड़ा रहे। इस प्रकार, उद्योग में विनियोग तथा नियन्त्रण (investment and control) को लोकतन्त्रात्मक रूप प्रदान होता है। प्रत्येक सदस्य को कम्पनी के प्रबन्ध में भाग लेने का अवसर मिलता है।

निगमित कम्पनियों से हानि (Disadvantages of incorporated Companies) - यद्यपि वर्तमान ऐक्ट ने कपटी व्यक्तियों द्वारा धन लगाने के अवसरों को काफी सीमा तक संकुचित कर दिया है, तथापि कपटी कम्पनी स्थापित करने वाले व्यक्तियों द्वारा भोलेभाले धन लगाने वालों को ठगे जाने की सम्भावना हमेशा बनी रहेगी। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनमें कपटपूर्ण आशय से कम्पनियाँ स्थापित की गयीं और जल्द ही उन्हें समाप्त कर दिया गया और गरीब धन लगाने वालों की गाढ़ी कमायी का धन नष्ट हो गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, शेयरहोल्डर्स के रूप में स्वामी तथा डायरेक्टरों में और कम्पनी के अधिकारियों के रूप में कम्पनी के प्रबन्ध के बीच संबंध-विच्छेद के कारण कम्पनी के संघटन में उस वैयक्तिक रुचि तथा प्रेरक शक्ति का अभाव होता है जो किसी व्यक्तिगत स्वामी या भागीदारी फर्म का विशेष गुण होता है। चूँकि, शेयर होल्डर्स काफी फैले हुये होते हैं और वे एक दूसरे से दूर होते हैं कम्पनी से कारोबार सम्बन्धी मामलों पर उनके बीच कोई विचार विमर्श का अवसर नहीं मिल पाता।

अधिमान (preference) शेयर धारण करने वाले शेयरहोल्डर्स का कम्पनी के प्रबन्ध में बहुत मामूली हाथ होता है, भले ही वे कम्पनी की पूँजी में काफी सीमा तक अंशदान करते हैं।

स्टाक-एक्सचेन्ज में अन्धाधुन्ध सट्टेबाजी भी होती है। यह ज्वाइन्ट-स्टाक कम्पनी संगठन का एक अनिवार्य दोष है। हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा शेयर्स इकट्ठा कर लिया जाता है और वे अपने फायदे के लिये शेयरहोल्डर्स के भाग्य से खिलवाड़ किया करते हैं। परिणाम यह होता है कि सामान्य धन लगाने वाले व्यक्तियों के हितों पर ऐसी चालों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

प्राइवेट कम्पनी—ऐक्ट की धारा २ (३५) के अन्तर्गत प्राइवेट कम्पनी का अर्थ है धारा ३ में परिभाषित प्राइवेट कम्पनी। धारा ३ (१) (३) की परिभाषा के अनुसार "प्राइवेट कम्पनी" वह कम्पनी है जो अपने आर्टिकल्स द्वारा—

(क) अपने शेयरों, यदि कोई हैं, के हस्तांतरण के अधिकार पर रोक लगाती है;

(ख) अपने सदस्यों की संख्या ५० तक सीमित करती है, जिनमें निम्न-लिखित शामिल नहीं होते—

(१) वे व्यक्ति जो कम्पनी की नौकरी में हों; तथा

(२) वे व्यक्ति जो, पहिले कम्पनी की नौकरी में थे, उस नौकरी में होते हुए कम्पनी के सदस्य थे, और नौकरी समाप्त हो जाने के पश्चात् भी सदस्य बने रहे हों ; तथा

(ग) कम्पनी के शेयरों या ऋण-पत्रों में धन लगाने के लिये जनता को आमन्त्रित करने के लिये निषिद्ध करती हो :

बशर्ते कि यदि दो या अधिक व्यक्ति कम्पनी के एक या एक से अधिक शेयर संयुक्त रूप से धारण करते हों, तो इस भाषा के प्रयोजन के लिये उन्हें एक सदस्य ही माना जाएगा।

ऐक्ट में दी गयी उपरोक्त परिभाषा इंग्लिश ऐक्ट में दी गयी प्राइवेट कम्पनी की परिभाषा से ग्रहण किया गया है ।

व्यक्तियों की कम से कम संख्या जो प्राइवेट कम्पनी स्थापित कर सकते हैं दो हैं। फिर भी ऐसी कम्पनी का पृथक वैधिक अस्तित्व होता है, जो सदस्यों से बिलकुल भिन्न होता है। जैसे ही यह निगमित होती है इसे वैधिक अस्तित्व प्राप्त हो जाता है, अर्थात् एक वैधिक व्यक्ति न कि शेयर होल्डर्स का एक समूह।

"A company, therefore, which is duly incorporated, cannot be disregarded on the ground that it is a sham although it may be established by evidence that in its operations it does not act on its own behalf as an independent trading unit, but simply for and on behalf of the people by whom it has been called into existence". [*Rainham Chemical Works* v. *Belvedere & Co.* (1912) 2 A. C. 465].

"In estimating the number of members of a private company the secretary may be, but a director or managing director may not be, counted as one in the employ of the company." [*Newspaper Proprietary Syndicate*, (1900) 2 Ch. 349].

प्राइवेट कम्पनी तथा भागीदारी—प्राइवेट कम्पनी तथा भागीदारी में निम्नलिखित विभेद हैं :—

प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी	भागीदारी
(१) दायित्व सीमित होता है, और प्रत्येक शेयरहोल्डर अपने शेयरों पर अदत्त रकम की सीमा तक उत्तरदायी होता है।	(१) भागीदारों का दायित्व असीमित होता है और वे फर्म के ऋणों के लिये संयुक्ततः तथा पृथकतः उत्तरदायी होते हैं।
(२) ऋणदातागण कम्पनी की सम्पत्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं।	(२) ऋणदातागण न केवल फर्म की सम्पत्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं, बल्कि प्रत्येक भागीदार की निजी सम्पत्ति के खिलाफ भी कार्यवाही कर सकते हैं।
(३) यह अपने नाम में एकाधिकार प्राप्त करती है।	(३) यह हमेशा ऐसा एकाधिकार नहीं प्राप्त कर सकती।
(४) किसी सदस्य का दिवाला निकलने या उसकी मृत्यु से या उसके रिटायर होने से कम्पनी का विघटन नहीं होता।	(४) भागीदार का दिवाला निकलने से या उसकी मृत्यु से या उसके रिटायर होने से फर्म विघटित हो जाती है।
(५) इसमें पचास सदस्य हो सकते हैं।	(५) बैंकिंग के कारोबार के लिये १० सदस्यों तथा अन्य कारोबार के लिये २० सदस्यों की भागीदारी हो सकती है। यदि संख्या अधिक हो तो भारतीय कम्पनीज ऐक्ट के अन्तर्गत इसकी रजिस्ट्री होनी जरूरी है, अन्यथा यह अवैध संगठन होगी।

लोक तथा प्राइवेट कम्पनियों में विभेद--इन दोनों प्रकार की कम्पनियों के बीच कई विभेद की बातें हैं, जिन्हें प्राइवेट कम्पनी के विशेषाधिकार कहा जा सकता है। ऐक्ट के विभिन्न उपबन्धों में जहाँ प्राइवेट कम्पनी को विमुक्ति प्राप्त हैं, ऐसी विमुक्तियाँ केवल ऐसी प्राइवेट कम्पनियों को लागू होती हैं जहाँ वे किसी लोक कम्पनी की सहायक कम्पनी नहीं होतीं। जहाँ कोई प्राइवेट कम्पनी किसी लोक कम्पनी की सहायक कम्पनी होती है, यह ऐसी लोक कम्पनी द्वारा नियन्त्रित होती है और इसलिये यह माना जाता है कि उसे लोक कम्पनी के जैसे ही गुण तथा विशेषाधिकार प्राप्त हैं तथा वह वैसे ही निबन्धनों के अधीन होती है।

लोक कम्पनी तथा प्राइवेट कम्पनी के बीच निम्नलिखित विभेद हैं—

(१) लोक कम्पनी की स्थापना के लिये कम से कम सात व्यक्ति आवश्यक हैं और प्राइवेट कम्पनी के लिये दो व्यक्ति [धारा १२]।

(२) लोक कम्पनी के लिये सदस्यों की अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं है। प्राइवेट कम्पनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या पचास है। [धारा ३ (१) (३) (बी०)]।

(३) लोक कम्पनी की सूरत में शेयरों के हस्तांतरण पर कोई रोक नहीं है, लेकिन शेयर कैपिटल वाली कम्पनी के लिये अपने आर्टिक्ल्स में शेयरों के हस्तांतरण पर रोक लगाना जरूरी है। [धारा २७ (३)]।

(४) लोक कम्पनी अपने शेयरों या ऋण-पत्रों में धन लगाने के लिये जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन प्राइवेट कम्पनी के लिये ऐसी कोई रोक नहीं है। [धारा ३ (१) (३) (सी०)]।

(५) लोक कम्पनी में कम से तीन डायरेक्टर होने चाहिये, और लोक कम्पनी की सहायक न होने वाली प्राइवेट कम्पनी में कम से कम दो डायरेक्टर होने चाहिये। [धारा २५२]

(६) लोक कम्पनी के डायरेक्टर को बतौर डायरेक्टर कार्य करने के लिये अपनी सहमति रजिस्ट्रार के सामने दाखिल करना होता है। उसे अपने क्वालिफिकेशन शेयरों के मूल से कम मूल्य या संख्या के शेयरों के लिये मेमोरन्डम आफ असोसिएशन पर हस्ताक्षर करना पड़ता है, और अपने क्वालिफिकेशन शेयरों को लेने या दाखिल करने के लिये उसे कम्पनी से अपने क्वालिफिकेशन शेयर लेने के लिये रजिस्ट्रार के समक्ष एक अन्डरटेकिंग दाखिल करना पड़ता है। प्राइवेट कम्पनी की सूरत में यह सब जरूरी नहीं होता। [धारा २६६]।

(७) लोग कम्पनी को कारोबार शुरू करने के लिये हकदार होने के समय से कम से कम एक माह से पहले नहीं तथा छः माह की अवधि के भीतर कानूनी मीटिंग करनी पड़ती है, और सदस्यों को कानूनी रिपोर्ट प्रेषित करना पड़ता है तथा रजिट्रार के पास इसे दाखिल करना पड़ता है। प्राइवेट कम्पनी की सूरत में यह सब जरूरी नहीं होता। [धारा १६५]।

(८) प्राइवेट कम्पनी निगमित होते ही अपना कारोबार शुरू कर सकती है तथा ऋण लेने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर सकती है। लेकिन लोक कम्पनी, जिसने अपने शेयरों में धन लगाने के लिये जनता को प्रास्पेक्टस जारी करके आमन्त्रित किया है, उस समय तक न तो अपना कारोबार शुरू कर सकती है

और न ही ऋण लेने की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जब तक कि धारा १४९ के अन्तर्गत यथाविधि प्रमाणित घोषणा-पत्र दाखिल न किया गया हो, और रजिस्ट्रार ने प्रमाणित न कर दिया हो कि कम्पनी अपना कारोबार शुरू करने के लिये हकदार है [धारा १४९]।

(९) लोक कम्पनी की सूरत में यदि कोई डायरेक्टर कम्पनी द्वारा की गई या की जाने वाली किसी संविदा या व्यवस्था में हित-बद्ध है, तो वह बोर्ड की कार्यवाहियों में भाग नहीं लेगा और न ही उसमें वोट देगा। लेकिन, प्राइवेट कम्पनी की सूरत में, यदि ऐसी कम्पनी किसी लोक सहायक कम्पनी की सहायक (Subsidiary) या एक होल्डिंग कम्पनी नहीं है, तो डायरेक्टर कार्यवाहियों में भाग ले सकता है और वोट दे सकता है। [धारा ३००]।

(१०) यदि लोक कम्पनी के सदस्यों की संख्या सात से कम हो जाती है, तो कोर्ट इसका समापन कर सकती है; लेकिन प्राइवेट कम्पनी के समापन का आदेश दिये जाने से पहले इसके सदस्यों की संख्या दो से कम होनी जरूरी है। [धारा ४३३ (घ)]

सूत्रधारी कम्पनी तथा सहायक कम्पनी (Holding Company and Subsidiary Company)—यहाँ इन दोनों प्रकार की कम्पनियों का अर्थ समझ लेना सुविधाजनक होगा।

सूत्रधारी कम्पनी—ऐसी कम्पनी को अन्य कम्पनी की सूत्रधारी कम्पनी माना जायगा, यदि वह अन्य कम्पनी उसकी सहायक कम्पनी है। [धारा ४ (४)]।

इससे स्पष्ट है कि निबन्धन "सूत्रधारी कम्पनी" तथा "सहायक कम्पनी" आपेक्षिक (रिलेटिव) निबन्धन हैं, और केवल दो कम्पनियों की बीच लागू होता है।

(ख) सहायक कम्पनी—किसी कम्पनी को अन्य की सहायक कम्पनी निम्नलिखित सूरतों में माना जाता है, अर्थात् यदि,

(क) वह अन्य (नियन्त्रक कम्पनी) कम्पनी उसके बोर्ड आफ डायरेक्टरों की रचना को नियन्त्रित करती हो; या

(ख) वह अन्य (१) ऐसी कम्पनी के कुल वोट के आधे से ज्यादा का प्रयोग करती हो या नियन्त्रित करती हो, जहाँ ऐसी कम्पनी अस्तित्वशील या वर्तमान कम्पनी हो और ऐक्ट के लागू होने से पहिले जारी किये गये जिसके अधिमान शेयरों के धारकों को ईक्विटी शेयरों के धारकों के समान ही वोट देने का अधिकार प्राप्त हो;

(२) किसी अन्य कम्पनी की सूरत में उसके ईक्विटी शेयर कैपिटल के प्रत्यक्ष मूल्य से अधिक को धारण करती है; या

(ग) यदि वह किसी तीसरी कम्पनी की सहायक है जो नियन्त्रित करने वाली कम्पनी की सहायक है।

दृष्टान्त

कम्पनी 'बी', कम्पनी 'ए' की सहायक है, और कम्पनी 'सी', कम्पनी 'बी', की सहायक है। उपरोक्त खण्ड (ग) के अनुसार कम्पनी 'सी', कम्पनी 'ए' की सहायक है। यदि कम्पनी 'डी', कम्पनी 'सी', की सहायक है तो, कम्पनी 'डी', कम्पनी 'बी' की सहायक होगी और परिणामस्वरूप, उपरोक्त खण्ड (ग) के अनुसार कम्पनी 'ए' की भी; और इसी प्रकार आगे भी।

सहायक कम्पनी का निर्धारण (Determination of a Subsidiary Company,—यह निर्धारित करते समय कि कोई कम्पनी अन्य की सहायक है या नहीं—

(क) उस अन्य कम्पनी द्वारा विश्वासाश्रित (Fiduciary) के रूप में धारित किये गये शेयरों या प्रयोक्तव्य (Exercisable) अधिकारों को उसके द्वारा धारित या प्रयोक्तव्य नहीं समझा जायेगा।

(ख) (१) उस अन्य कम्पनी के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में उसके द्वारा धारित शेयरों तथा प्रयोक्तव्य शक्तियों, या (२) उस अ य कम्पनी की सहायक कम्पनी द्वारा या उसके लिये नामांकित व्यक्ति के रूप में उसके द्वारा धारित शेयरों तथा प्रयोक्तव्य शक्तियों को उस अन्य कम्पनी द्वारा धारित या प्रयोक्तव्य समझा जायेगा;

(ग) पहिली उल्लिखित कम्पनी के ऋण-पत्रों के उपबन्धों के अनुसार या ऐसे ऋण-पत्रों को जारी किये जाने को प्रतिभूत करने के लिये न्यास-पत्र के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा धारित शेयरों था प्रयोक्तव्य शक्तियों की उपेक्षा की जाएगी; तथा

(घ) उस अन्य कम्पनी द्वारा या उसकी सहायक द्वारा, या उनके किसी नामांकित व्यक्ति द्वारा धारित शेयरों या प्रयोक्तव्य शक्तियों के विषय में यह समझा जाएगा मानों वे उस अन्य द्वारा धारित या प्रयोक्तव्य नहीं हैं, यदि उस अन्य या उसकी सहायक के व्यापार में धन उधार देना भी शामिल है या उपरोक्त शेयर्स तथा शक्तियाँ, उस व्यापार के सामान्य क्रम में किये गए किसी संव्यवहार के केवल प्रतिभूति के तौर पर ही, धारित या प्रयोक्तव्य हैं। [धारा ४]।

सरकारी कम्पनी—धारा २ (१८) के अन्तर्गत "सरकारी कम्पनी" का अर्थ है धारा ६१७ के अर्थान्तर्गत सरकारी कम्पनी। धारा ६१७ के अनुसार कम्पनी

कम्पनी का अर्थ है ऐसी कम्पनी जिसके शेयर कैपिटल का कम से कम ५१ प्रतिशत शेयर केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य-सरकारों द्वारा धारित किया गया हो।

सीमित कम्पनी—सीमित कम्पनी का अर्थ है शेयरों या प्रत्याभूति द्वारा सीमित कम्पनी। [धारा २ (२३)]। जैसा कि पीछे कम्पनियों के वर्गीकरण के समय कहा जा चुका है, ऐसी कम्पनी की सूरत मे जिसका दायित्व शेयरों द्वारा सीमित होता है, सदस्यां का दायित्व उसके द्वारा धारित शेयरों के अदत्त मूल्य, यदि कोई हो, तक ही सीमित होता है; और प्रत्याभूति द्वारा सीमित कम्पनी की सूरत में, प्रत्येक सदस्य का दायित्व उस रकम तक सीमित होता है जो वे कम्पनी के समापन की सूरत में कम्पनी की परिसम्पत् के प्रति अंशदान करने का जिम्मा लेते हैं।

मेमोरैन्डम—मेमोरैन्डम का अर्थ है कम्पनी का मेमोरैन्डम आफ असोसिएशन जिन्हें मूल रूप से बनाया गया हो या जिन्हें किसी पूर्व कम्पनी लॉ के उपबन्ध या वर्तमान ऐक्ट के किसी उपबन्ध के अनुसार समय-समय पर परिवर्तित किया गया हो। [धारा २ (२८)]।

मेमोरैन्डम आफ असोसिएशन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इससे कम्पनी का संघटन होता है। इसमें कम्पनी स्थापित करने के उद्देश्य तथा उसके आधार-भूत शर्तों का उल्लेख होता है। यह कम्पनी के कार्यों की सीमा को परिभाषित करता है तथा उस क्षेत्र को सीमित करता है जिसके बाहर कम्पनी कार्य नहीं कर सकती। यह प्रस्तावित कम्पनी के उद्देश्यों तथा शक्तियों को परिभाषित करता है। मेमोरैन्डम में प्रत्येक लोक सीमित कम्पनी के नाम के अन्त में शब्द "लिमिटेड" तथा प्रत्येक प्राइवेट सीमित कम्पनी के नाम के अन्त में शब्द "प्राइवेट लिमिटेड" उस राज्य का नाम जिसमें कम्पनी का रजिस्टर्ड आफिस स्थित है, कम्पनी का उद्देश्य तथा शेयरों तथा प्रत्याभूति द्वारा सीमित कम्पनी के सूरत में यह कि सदस्यों का दायित्व सीमित है या नहीं का उल्लेख किया जायेगा। प्रत्याभूति द्वारा सीमित कम्पनी के सूरत में, मेमोरैन्डम में यह उल्लेख किया जायगा कि प्रत्येक सदस्य जब तक वह सदस्य है या सदस्य न रहने के एक साल बाद की अवधि तक कम्पनी के समापन की सूरत में वह कम्पनी के ऋणों तथा दायित्वों के भुगतान के लिये कम्पनी की परिसम्पत् में अंशदान करने का जिम्मा लेता है। शेयर कैपिटल वाली कम्पनी की सूरत में, मेमोरैन्डम में यह उल्लेख किया जायेगा कि कम्पनी कितने शेयर कैपिटल सहित रजिस्टर्ड की जाएगी तथा निश्चित रकम के कितने शेयर होंगे लेकिन असीमित कम्पनी की सूरत में यह जरूरी नहीं है।

आर्टिकल्स आफ असोसियेशन—ये कम्पनी के अन्दरूनी इन्तजाम के नियम होते हैं।

भारतीय कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत आर्टिकल्स का अर्थ है कम्पनी के वे आर्टिकल्स आफ असोसिएशन जिन्हें मूल रूप में बनाया गया हो या जिन्हें किसी पूर्व कम्पनी लॉ के उपबंध या वर्तमान ऐक्ट के किसी उपबंध के अनुसार समय-समय पर परिवर्तित किया गया हो, और उसमें जहाँ तक वे कम्पनी को लागू हों, वे रेगूलेशन भी शामिल होते हैं जो, जैसी सूरत हो कुछ पूर्व कम्पनीज ऐक्टों की अनुसूची की सारिणियों या वर्तमान ऐक्ट की अनुसूची १ की सारिणी 'ए' में दिये हुए हों। [धारा २ (२)]।

आर्टिकल्स में सामान्य रूप से शेयर कैपिटल तथा विभिन्न वर्ग के शेयरों में अधिकारों की विभिन्नता सभी आहूत (काल्ड) धन के लिये शेयरों पर कम्पनी के धारणाधिकार (लियन), शेयरों पर याचना (काल), शेयरों के हस्तांतरण, शेयरों के पारेषण (ट्रान्समिशन), शेयरों की जब्ती, स्टाक के रूप में शेयरों का परिवर्तन (कन्वर्जन), शेयर वारन्टों, कैपिटल के परिवर्तन (एल्ट्रेशन), जनरल मीटिंगों, जनरल मीटिंगों की कार्यवाही, सदस्यों के वोट, बोर्ड आफ डायरेक्टर तथा उनके पारिश्रमिक, व्यय, इत्यादि, बोर्ड की कार्यवाही, डिविडेन्ड तथा रिजर्व, लेखा, लाभों के पूँजीकरण, समापन, इत्यदि के विषय में विनियम (Regulation) होते हैं।

मैनेजर—मैनेजर का अर्थ होता है वह व्यक्ति (जो मैनेजिंग एजेन्ट नहीं होता) जो, बोर्ड आफ डायरेक्ट्रों के अधीक्षण के अधीन, कम्पनी के पूरे, या लगभग पूरे, कार्य का प्रबन्ध करता है, और इसमें मैनेजर की स्थिति धारण करने वाला डायरेक्टर या कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल होता है, जिसे चाहे जिस नाम से पुकारा जाए और वह सेवा की संविदा के अधीन हो अथवा नहीं। [धारा २ (२४)]।

इस परिभाषा में मैनेजर की स्थिति धारण करने वाला डायरेक्टर या अन्य कोई व्यक्ति भी प्रत्यक्ष रूप से शामिल है और ये बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के नियन्त्रण तथा निदेश के अधीन होते हैं, बशर्ते कि उनके हाथ में कम्पनी का पूरा या लगभग पूरा प्रबन्ध हो।

"The word 'manager', "as observed by Quain, J. in the case of *Gibson* v. *Burton*, "will not apply to a man who acts once or twice, but he must be a delegate having the control of all the affairs of the company".

मैनेजिंग एजेन्ट (Managing Agent)—धारा २ (५५) के अनुसार मैनेजिंग एजेन्ट का अर्थ है वह व्यक्ति, फर्म या निगम निकाय (Body corporate) जो, ऐक्ट के उपबन्धों के अधीन, कम्पनी के साथ किसी करार या उसके मेमोरेन्डम या आर्टिकल्स आफ असोसिएशन के मुताबिक, कम्पनी के पूरे या लगभग पूरे कारोबार के प्रबन्ध करने का अधिकारी हो और इसमें मैनेजिंग एजेन्ट की स्थिति धारण करने वाला कोई व्यक्ति, फर्म या निगम निकाय शामिल होता है, उसे चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो।

मैनेजर तथा मैनेजिंग एजेन्ट में विभेद (Manager and Managing Agent Distinguished)—कभी-कभी मैनेजर तथा मैनेजिंग एजेन्ट के कार्य ओवरलैप कर जाते हैं। मैनेजर सभी मामलों में डायरेक्टरों के नियन्त्रण तथा निदेश के अधीन होता है। लेकिन, करार द्वारा मैनेजिंग एजेन्ट का करार में उल्लिखित मामलों में डायरेक्टरों के नियन्त्रण तथा अधीक्षण से परे होना सम्भव हो सकता है। मैनेजर तथा मैनेजिंग एजेन्ट के बीच एक यह और अन्तर है कि मैनेजिंग एजेन्ट कोई व्यक्ति, फर्म या निगम-निकाय हो सकता है। इसके अतिरिक्त मैनेजर, बोर्ड आफ डायरेक्टरों के अधीक्षण, नियन्त्रण तथा निदेश के अधीन, कम्पनी के पूरे या लगभग पूरे, कारोबार का प्रबन्धक होता है। लेकिन, मैनेजिंग एजेन्ट, कम्पनी के साथ करार के अनुसार, बतौर अधिकार के कम्पनी के पूरे या लगभग पूरे कारोबार के प्रबन्ध का अधिकारी होता है। मैनेजर की सूरत में कोई करार जरूरी नहीं होता, लेकिन मैनेजिंग एजेन्ट की सूरत में ऐक्ट के अनुसार करार होना जरूरी है। अन्त में, मैनेजर की सूरत में डायरेक्टरों के नियन्त्रण तथा निदेश के क्षेत्र को संशोधित नहीं किया जा सकता, लेकिन मैनेजिंग एजेन्ट की सूरत में इसे संशोधित किया जा सकता है।

मैनेजिंग डायरेक्टर—मैनेजिंग डायरेक्टर का अर्थ है वह डायरेक्टर जिसे कम्पनी के साथ अपने करार या जनरल मीटिंग द्वारा या बोर्ड आफ डायरेक्टरों द्वारा पारित प्रस्ताव या कम्पनी के मेमोरेन्डम या आर्टिक्ल्स आफ असोसिएशन के अनुसार कम्पनी के प्रबन्ध के सारभूत अधिकार दिये जाते हैं, तथा जिसमें वह डायरेक्टर भी शामिल है जिसकी स्थिति मैनेजिंग डायरेक्टर जैसी है उसे चाहे जिस नाम से पुकारा जाय।

परन्तु, जब बोर्ड द्वारा ऐसे रूटीन किस्म के प्रशासकीय कार्य उसके प्राधिकृत किये जाँय, जैसे कम्पनी के किसी दस्तावेज पर कम्पनी का कामन सील लगाना, किसी बैंक में कम्पनी के खाते में कोई चैक ड्रा करना या इन्डोर्स करना या कोई

निगोशिएब्ल दस्तावेज ड्रा करना या इन्डोर्स करना या किसी शेयर सर्टीफिकेट पर हस्ताक्षर करना या किसी शेयर के हस्तांतरण के रजिस्ट्रीकरण के लिए निदेश देना, तो ऐसे कार्य को प्रबन्ध के सारभूत अधिकारों के अन्तर्गत शामिल नहीं समझा जायगा :

परन्तु शर्त यह है कि कम्पनी का मैंनेजिंग डायरेक्टर अपने अधिकारों का प्रयोग उसके बोर्ड आफ डायरेक्टरों के अधीक्षण, नियन्त्रण तथा निदेश के अधीन करेगा। [धारा २ (२६)]।

मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति कम्पनी या इसे बोर्ड आफ डायरेक्टरों द्वारा की जा सकती है। मैनेजिंग डायरेक्टर कुछ विशेष शक्तियों सहित डायरेक्टर के अतिरिक्त कुछ अधिक नहीं होता। मैनेजिंग डायरेक्टर का कर्तव्य एक सामान्य डायरेक्टर से कुछ उच्च स्तर का होता है, और इसलिये उसकी स्थिति सामान्य डायरेक्टर से कुछ ऊँची होती है। आमतौर से मैनेजिंग डायरेक्टर की शक्तियाँ आर्टिक्ल्स आफ असोसिएशन में परिभाषित होती हैं। लेकिन, बाहरी व्यक्ति यह पूर्वधारणा कर सकता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर को वे सभी अधिकार या शक्तियाँ प्राप्त हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर प्राप्त करने का अधिकारी होता है।

सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स—"सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स" का अर्थ है वह फर्म या निगम निकाय (जो मैनेजिंग एजेन्ट नहीं होते) जिसे, बोर्ड आफ डायरक्टरों अधीक्षण, नियन्त्रण तथा निदेश के अधीन, कम्पनी के पूरे या लगभग पूरे कारोबार के प्रबन्ध का अधिकार प्राप्त होता है ; तथा इसमें सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स की स्थिति धारण करने वाली फर्म या निगम निकाय भी शामिल होते हैं। जिसे चाहे जिस नाम से पुकारा जाय, तथा जो किसी सेवा या संविदा के अन्तगत हो अथवा न हों। धारा २ (४४)]।

सेक्रेट्री—सेक्रेट्री का अर्थ है वह व्यक्ति, फर्म या निगम निकाय जिसे इस ऐक्ट के अन्तर्गत सेक्रेट्री द्वारा पालनीय कर्तव्यों तथा किसी अन्य पूर्णतः मिनिस्ट्रियल या प्रशासकीय कर्तव्यों के पालनार्थ नियुक्त किया गया हो। [धारा २(४५)]।

सेक्रेट्री के लिये कोई उल्लिखित कर्तव्य नहीं निर्धारित किये गये हैं। वह सेवक-मात्र होता है और उससे जो कुछ करने के लिये कहा जाता है उसे वही करना होता है, और कोई भी यह अनुमान नहीं कर सकता कि वह किसी बात का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

मैनेजर, मैनेजिंग एजेन्ट, डायरेक्टर तथा सेक्रेट्रीज और ट्रेजरार्स में विभेद

मैनेजर	मैनेजिंग एजेन्ट	मैनेजिंग डायरेक्टर	सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स
१. यह हमेशा एक व्यक्ति होता है, तथा मैनेजिंग एजेन्ट नहीं होना चाहिये।	कोई व्यक्ति फर्म या निगम निकाय मैनेजिंग एजेन्ट हो सकता है।	मैनेजिंग डायरेक्टर हमेशा कोई व्यक्ति होता है क्योंकि वह डायरेक्टर होता है और कोई व्यक्ति ही डायरेक्टर हो सकता है।	ये हमेशा कोई फर्म या निगम निकाय होते हैं, लेकिन मैनेजिंग एजेंट नहीं होते।
२. इस निबन्धन में डायरेक्टर शामिल होता है।	जब मैनेजिंग एजेन्ट कोई व्यक्ति हो, तो वह एक डायरेक्टर हो सकता है।	यह हमेशा एक डायरेक्टर होता है।	चूँकि ये हमेशा कोई फर्म या निगम-निकाय होते हैं, इसमें डायरेक्टर नहीं शामिल नहीं होता, जो कि हमेशा कोई व्यक्ति होता है।
३. इन्हें कम्पनी के पूरे या लगभग पूरे कारोबार का प्रबन्ध प्राप्त होता है।	इन्हें कम्पनी के पूरे या लगभग पूरे कारोबार के प्रबन्ध का अधिकार प्राप्त होता है।	कम्पनी के पूरे कारोबार का प्रबन्ध इनके सुपुर्द नहीं किया जा सकता। इन्हें कम्पनी के पूरे कारोबार के लिये कम्पनी के साथ उनके करार, जनरल मीटिंग या बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा पारित प्रस्ताव या कम्पनी के मेमोरेन्डम या आर्टिक्ल्स आफ असोसिएशन के अनुसार, सारभूत अधिकार दिये जाते हैं।	इन्हें कम्पनी के पूरे, या लगभग पूरे कारोबार का प्रबन्ध प्राप्त होता है।

४. ये बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के अधीक्षण, नियन्त्रण तथा निदेश के अधीन होते हैं।	ये कम्पनी के साथ अपने करार, या उसके मेमोरेन्डम या आर्टिक्ल्स आफ अशोसियेशन के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और बोर्ड आफ डारयरेक्टर्स के अधीक्षण, नियन्त्रण तथा निदेश और कम्पनी के मेमोरेन्डम तथा आर्टिक्ल्स आफ असोसियेशन के अधीन होते हैं। [धारा ३६८]	ये बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के अधीक्षण, नियन्त्रण तथा निदेश के अधीन होते हैं तथा अपने अधिकारों का प्रयोग, कम्पनी के साथ अपने करार, या जनरल मीटिंग या बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा पारित प्रस्ताव या कम्पनी के मेमोरेन्डम या आर्टिक्ल्स आफ असोसिएशन के अनुसार करते हैं।	ये अपनी शक्तियों का प्रयोग बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के अधीक्षण, नियंत्रण तथा निदेश के अधीन करते हैं और इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर के समान ही प्रबन्ध की शक्ति प्राप्त है, लेकिन इन्हें डायरेक्टर्स की शक्ति नहीं प्राप्त है।

अधिकारी—इसमें डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स, मैनेजर या सेक्रेट्री, या अन्य कोई व्यक्ति भी शामिल होते हैं जिनके निदेशों या सुझावों के अनुसार बोर्ड आफ डायरेक्टर्स या एक या अधिक डायरेक्टर कार्य करने के अभ्यस्त होते हैं तथा इसमें ये भी शामिल हैं अर्थात्—

(क) जहाँ मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स या सेक्रेट्री कोई फर्म है, फर्म का कोई भागीदार;

(ख) जहाँ मैनेजिंग एजेन्ट या सेक्रेट्री तथा ट्रेजरार्स कोई निगम-निकाय है, निगम निकाय का कोई डायरेक्टर या मैनेजर;

(ग) जहाँ सेक्रेट्री कोई निगम निकाय है, निगम निकाय का कोई डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स या मैनेजर, लेकिन कुछ धाराओं में आडिटर शामिल नहीं होता। [धारा २ (३०)]।

बैंकिंग कम्पनी—"बैंकिंग कम्पनी" को यहाँ वही अर्थ प्राप्त है जो बैंकिंग कम्पनीज एक्ट, १६४६ (१६४६ की संख्या १०) में है। बैंकिंग कम्पनीज एक्ट की परिभाषा के अनुसार बैंकिंग कम्पनी का अर्थ है ऐसी कम्पनी जो भारत के किसी राज्य में बैंकिंग का कारोबार कर रही हो, लेकिन कोई ऐसी कम्पनी जो वस्तुओं के निर्माण में संलग्न हो या जो कोई व्यापार करती हो और जनता से धन का डिपाजिट ऐसे निर्माता या व्यापारी के रूप में केवल अपने व्यापार को चलाने

के लिए स्वीकार करती हो, तो उसके विषय में यह नहीं समझा जाएगा कि वह बैंकिंग का कारोबार करती है।

बोर्ड आफ डायरेक्टर्स—कम्पनी के संबंध में "बोर्ड आफ डायरेक्टर्स या "बोर्ड" का अर्थ है कम्पनी कि "बोर्ड आफ डायरेक्टर्स। [धारा २ (६)] धारा २५२ (३) के अन्तर्गत ऐक्ट में कम्पनी के डायरेक्टर्स के सामूहिक रूप से "बोर्ड आफ डायरेक्टर्स" या "बोर्ड" के नाम से उल्लिखित किया गया है।

डायरेक्टर—"डायरेक्टर" में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल है जिसने डायरेक्टर की स्थिति धारण कर रक्खी है, चाहे जिस नाम से उसे पुकारा जाता हो [धारा २ (१३)]। यह परिभाषा १९१३ में ऐक्ट की परिभाषा के समान ही है। परिभाषा में यह नहीं कहा गया है कि निबन्धन "डायरेक्टर" में किस वर्ग के व्यक्ति आयेंगे। किसी कम्पनी के लिए जरूरी है कि वह एजेन्टों के माध्यम से कार्य करे और ऐसे एजेन्टों को जिनके माध्यम से कम्पनी कार्य करती है "डायरेक्टर" कहा जाता है। किसी व्यक्ति को केवल इसलिए डायरेक्टर नहीं कहा जाएगा कि उसका पदनाम ऐसा है, बल्कि उसके पद के कार्य की प्रकृति तथा जिन कर्तव्यों का वह पालन करता है उससे यह निर्धारित किया जाता है कि वह डायरेक्टर है अथवा नहीं।

डायरेक्टर केवल कोई व्यक्ति (Individual) ही नहीं हो सकता है, बल्कि कोई सीमित कम्पनी भी हो सकती है (In re Bulawago Market Etc. Co. (1931) 2 Ch. 458) क्योंकि परिभाषा में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया है कि इसमें डायरेक्टर की स्थिति धारण करने वाला कोई व्यक्ति (person) भी हो, शामिल होता है। लेकिन, वर्तनाम एक्ट की धारा २५३ के अन्तर्गत, किसी निगम निकाय, फर्म या संस्था को कम्पनी का डायरेक्टर नहीं नियुक्त किया जा सकता, और केवल किसी व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। निबन्धन "डायरेक्टर" में डाइरेक्टर की स्थिति धारण करने वाला सेक्रेट्री या मैनेजर भी शामिल है।

प्रत्येक कम्पनी में डायरेक्टर होने चाहिए—लोक कम्पनी तथा किसी लोक कम्पनी की प्राइवेट सहायक कम्पनी में कम से कम तीन डायरेक्टर तथा प्राइवेट कम्पनी में, जो किसी लोक कम्पनी की सहायक कम्पनी नहीं है, कम से कम दो डायरेक्टर होने जरूरी हैं। [धारा २५२]।

डायरेक्टर का कर्तव्य—विभिन्न प्रकार के व्यापारों में डायरेक्टरी का कर्तव्य भी भिन्न-भिन्न होता है। In re. City Equitable Fire Insu-

rance Company [(1925) 1 Ch. 407)] में Romer, J. ने कहा है कि किसी बैंक के डायरेक्टर के कर्तव्य तथा किसी बीमा कम्पनी के डायरेक्टर के कर्तव्य में काफी विभिन्नता हो सकती है, और इसी प्रकार ऐसे डायरेक्टर्स का कर्तव्य अन्य किसी कम्पनी के डायरेक्टर्स के कर्तव्य से भी भिन्न हो सकता है। उसके कर्तव्य की प्रकृति अन्तर-कालिक है जिसका पालन उसे नियत समय पर होने वाली मीटिंगों में करना होता है। वह कम्पनी के कारोबार के प्रशासन के प्रति हमेशा ध्यान देते रहने के लिये बद्ध नहीं होता। यह जरूरी है कि अपने पद के कर्तव्यों के पालन में डायरेक्टर ईमानदारी बरते, लेकिन जब तक वह ईमानदारी से काम करता है तो यह भी जरूरी है कि वह कुछ कौशल तथा बुद्धिमत्ता का भी परिचय दे। उसे हर्जाने के लिये तब तक उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि वह घोर व्यापारिक अनवधानता का अपराधी हो। डायरेक्टर्स निर्णय की भूल-मात्र के लिये जिम्मेदार नहीं होते।

जहाँ तक डायरेक्टर्स की स्थिति का प्रश्न है, वे कम्पनी के एजेन्ट होते हैं और उन्हें, आर्टिक्ल्स आफ असोशिएशन द्वारा निर्धारित निर्बन्धनों तथा कानूनी उपबन्धों के अधीन, कम्पनी के समस्त व्यापार के संचालन की शक्ति प्राप्त होती है और यही उनका कर्तव्य होता है। लेकिन, वे शेयरहोल्डर्स के मात्र-एजेन्ट नहीं होते। कम्पनी का एक पृथक वैधिक अस्तित्व होता है। यह एक विधिसम्मत व्यक्ति होते हैं तथा एक कामन सील सहित इसका शाश्वत उत्तराधिकार होता है।

डायरेक्टर्स कम्पनी के ऋणदाताओं के न्यासधारी भी नहीं होते। Jessel, M. R. ने इन्हें व्यापारिक संस्था का मैनेजिंग पार्टनर्स कहते हुये कहा है कि—

"It does not matter much what you called them so long as you understand what their true position was, which was that they were really commercial men managing a trading concern for the benefit of themselves and other shareholders in it. [In *re Forest of Deen Coal Mining Co.*, L. R. 10 Ch. D. 450, 452].

डायरेक्टर्स कम्पनी के एन्जेट होते हैं। [*Ferguson* v. *Wilson*, L. R. 2 Ch. App. 77] इन्हें अक्सर कम्पनी के कैपिटल के सिलसिले में उनका न्यासधारी कल्प (quasi-trustee) कहा गया है। *York and North Midland Railway Co.* v. *Hudson* में Lord Romily ने भी कहा है कि—

"The directors are persons selected to manage the affairs of the

Company, for the benefit of shareholders ; it is an office of trust, which, if they undertake, it is their duty to perform fully and entirely".

निबन्धन "न्यासधारी" के वास्तविक अर्थानुसार डायरेक्टर निःसन्देह न्यास-धारी नहीं होता। (१) न्यासधारी की तरह कम्पनी की सम्पत्ति डायरेक्टर में वैधिक रूप से निहित नहीं होती। (२) डायरेक्टर एक व्यापारिक व्यक्ति होता है जो एक व्यापारिक संस्था का प्रबन्ध अपने तथा कम्पनी के शेयरहोल्डर्स के लाभ के लिये करता है। लेकिन न्यासधारी न्यास की सम्पत्ति का प्रबन्ध अपने लाभ के लिये नहीं करता। (३) जैसा कि *Smith* v. *Anderson*, 15 Ch. D. 247 275, में लार्ड जस्टिस जेम्स ने कहा है—

"The difference between a director and a trustee is an essential distinction founded on the very nature of things.......The office of directors is that of a paid owner, and as a master subject only to an equitable obligation to account to some persons to whom he stands in relation of a trustee, and who are his *cestui-que-trust*. The office of director is that of a paid servant of the company. A director never enters into a contract for himself, but he enters into contracts for his principal, that is, for the Company of wh m he is a director and for whom he is acting. He cannot sue on such contracts nor he be sued on them unless he exceeds his authority. That seems to me the broad distinction between trustees and directors.

In conclusion, it may be said that the directors are both trustees and agents of the Company—trustees of the Company's money and property, and agents in the transactions which they enter into on behalf of the Company. [*Eastern Railway Co.* v. *Turner*, L. R. 8 Ch. A. 149, 152]. They are certainly not trustees for any individual shareholder. As trustees they are surely liable for misappropriation of the funds of the Company. In the capacity of agents of the Company they also cannot make secret profits. As observed by Lord Cairnes, L. C. in *Parker* v. *Mckenna* (1874) 10 Ch. App. 96, "No man can, in this Court, acting as agent, be allowed to put himself into a position in which his interest and his duties will be in conflict".

डिबेन्चर—इसमें कम्पनी के डिबेन्चर स्टाक, बान्ड्स तथा अन्य सिक्योरिटियाँ शामिल हैं, भले ही यह कम्पनी की परिसम्पत् पर चार्ज हो अथवा नहीं। [धारा २ (२१)] डिबेंचर एक दस्तावेज होता है जिसमें या तो ऋण की अभिस्वी-

कृति होती है या जिससे ऋण का सर्जन होता है। यह कम्पनी द्वारा अपनी कामन सील के अन्तर्गत लिये गये ऋण की अभिस्वीकृति का दस्तावेज होता है और इसमें धन की वापसी, ब्याज की शर्तें इत्यादि का उल्लेख होता है। इसे सामान्यतः १० रु० या १०० रु० की रकमों के रूप में जारी किया जाता है।

पामर डिबेंचर को इन शब्दों में परिभाषित करते हैं—

"any instrument under seal evidencing a deed, the essence of it being the admission of indebtedness."

डिबेंचर बट्टे पर भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि यह कम्पनी के कैपिटल का भाग नहीं होता। डिबेंचर पर देय ब्याज ऋण होता है और उसके कैपिटल में से दिया जा सकता है।

डिबेन्चर के किस्म—डिबेंचर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। डिबेंचर शाश्वत, मोच्य (Redeemable), अमोच्य, साधारण या अप्रतिभूत (नेकेड) या बन्धकी हो सकते हैं।

शाश्वत या अमोच्य डिबेंचर कम्पनी के अस्तित्व काल में देय नहीं होते। सामान्यतः इन्हें रेलवे या ऐसी ही अन्य कम्पनियाँ जारी करती हैं। लेकिन, यदि कम्पनी चाहें तो इसका भुगतान कर सकती है।

मोच्य डिबेंचर एक निश्चित अवधि के बाद में देय होते हैं। साधारण या अप्रतिभूत डिबेंचर में ब्याज के भुगतान या ऋण की वापसी के बारे में कोई प्रतिभूति नहीं होती। बन्धकी डिबेंचर कम्पनी के परिसंपत् पर किसी निश्चित या अस्थायी चार्ज द्वारा प्रतिभूत होते हैं।

डिबेन्चर स्टाक—ऐक्ट में इस निबन्धन की परिभाषा नहीं की गई है। लेकिन धारा २ (१२) में यह परिभाषित है कि डिबेंचर में डिबेंचर स्टाक भी सम्मिलित है। इससे कई डिबेंचर्स का एक समूह के रूप में प्रतिनिधित्व होता है। प्रत्येक स्टाकहोल्डर उतने रकम का हकदार होता है जितने रकम का प्रतिनिधित्व स्टाक-सर्टीफिकेट द्वारा होता है। समस्त प्रतिभूत रकम को एकल (Singl :) स्टाक माना जाता है, और इसी बात की घोषणा करते हुए सर्टीफिकेट जारी किये जाते हैं कि इनका होल्डर कितने निश्चित रकम का हकदार है। डिबेंचर स्टाक एक निश्चित तारीख पर मोच्य हो सकता है अथवा अमोच्य हो सकता है।

डिबेंचर स्टाक स्वतः एक ऋण होता है, जबकि डिबेंचर एक ऋण के साक्षी के रूप में एक दस्तावेज होता है।। डिबेंचर स्टाक का यह लाभ होता है कि यह डिबेंचर के मुकाबले अधिक सरलता से हस्तांतरणीय होता है।

"In the case of a debenture there is a debt due from the Company secured or evidenced by a document called a debenture ; in, the case of a debenture stock, there is a debt due from the Company, called debenture stock and secured or evidenced by a document called a debenture stock or certificate".

डिबेंचर स्टाक एक न्यास-पत्र के निष्पादन द्वारा प्रतिभूत होता है जिसके द्वारा जारी करने वाली कम्पनी डिबेंचर धारण करने वालों के लिये न्यासधारियों से प्रसंविदा करती है और स्टाकहोल्डर्स स्वत्व का प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि डिबेंचर स्टाक होल्डर्स कम्पनी के ऋणदाता नहीं होते, बल्कि वे अपने न्यासधारियों को प्रसंविदा के अन्तर्गत भुगतान कराने के लिये कार्यवाही करने के लिये बाध्य करने के अधिकार सहित एक चार्ज के *Cestui que trust* होते हैं। इन्हें कानून या साम्य के अन्तर्गत स्वतन्त्र रूप से वाद लाने का अधिकार नहीं होता। केवल न्यासधारी ही अन्ततः कम्पनी के समापन के लिये वाद ला सकते हैं।

शेयर—शेयर का अर्थ है कम्पनी के शेयर कैपिटल में शेयर, और इसमें स्टाक शामिल होता है, सिवाय उस सूरत के जहाँ स्टाक तथा शेयरों में कोई प्रभेद अभिव्यक्त या उपलक्षित हो। [धारा २ (४६)]।

शेयर ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी के कैपिटल का वह भाग होता है जिसका स्वामी शेयर होल्डर स्वयं होता है।

Borland's Trustee v. *Steel Bros. & Co.* में Forwell, J. ने शेयर को इन शब्दों में परिभाषित किया हैं :

"The interest of a shareholder in the company, measured by a sum of money, for the purpose of liability in the first place and of interest in the second.......... A share is not a sum of money, but is an interest measured in a sum of money and made up of various rights contained in the contract".

शेयर अस्थावर सम्पत्ति होते हैं, और कम्पनी के आर्टिक्ल्स में उपबंधित तरीके से हस्तांतरणीय होते हैं।

शेयर कैपिटल के किस्म—धारा ८५ के अन्तर्गत शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी के शेयर दो किस्म के होते हैं—(१) प्रिफ़रेन्स शेयर कैपिटल, तथा (२) इक्विटी शेयर कैपिटल।

(१) प्रिफ़रेन्स शेयर कैपिटल—प्रिफ़रेन्स शेयर के साथ यह अधिकार होता है कि इस पर एक निश्चित डिविडेन्ड प्राप्त किया जा सकता है और इस

निश्चित डिविडेन्ड का भुगतान अन्य प्रकार के शेयरहोल्डरों को डिविडेन्ड भुगतान किये जाने से पहिले भुगतान करना होता है। कम्पनी के समापन या वापसी की अन्य किसी व्यवस्था की सूरत में, स्वयं शेयर कैपिटल को, यदि कम्पनी के मेमोरन्डम या आर्टिक्ल्स में ऐसा निदेश है, पूर्वता के अनुसार शेयरहोल्डर्स को वापस किया जा सकता है और साधारण शेयरहोल्डर द्वारा धारित शेयरों के अदत्त भाग के विषय में शेयरहोल्डर्स से कहा जा सकता है कि कम्पनी के सभी ऋणों के भुगतान के पश्चात् वे शेयर कैपिटल के अपने रकम का भुगतान प्रिफ्रेन्स शेयरहोल्डर्स को करें।

प्रिफ्रेन्स शेयर या तो संचयी (Cumulative) अथवा असंचयी हो सकते हैं। संचयी होने की सूरत में, यदि किसी वर्ष या वर्षों में लाभ निश्चित डिविडेन्ड का भुगतान करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो कोई अन्य शेयरहोल्डर उस समय तक किसी डिविडेंड को पाने का हकदार नहीं होता जब तक कि संचयी प्रिफ्रेंस शेयरों पर बकाया डिवीडेन्ड का भुगतान नहीं हो जाता।

मोच्य प्रिफ्रेन्स शेयर—शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी, यदि उसके आर्टिक्लस द्वारा ऐसा प्राधिकृत है, ऐसे प्रिफ्रेन्स शेयर जारी कर सकती है, जो, कम्पनी के विकल्प पर, मोच्य होंगे। ऐसे शेयरों का मोचन कम्पनी के लाभ में होगा, या उस शेयर कैपिटल में से जिसे विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए उगाहा गया हो, न कि कम्पनी की अन्य सम्पत्ति के बिक्री से हुई आमदनी से। ऐसे शेयरों के मोचन के लिए लाभ में से एक कैपिटल रिजर्व का सर्जन किया जा सकता है। ऐसे शेयर तब तक मोच्य नहीं होंगे जब तक कि उन पर देय रकम का पूर्ण भुगतान न कर दिया गया हो। [धारा ८०]।

(२) इक्विटि शेयर कैपिटल—अन्य सभी शेयर कैपिटल जो प्रिफेन्स शेयर कैपिटल के वर्णन के अन्तर्गत नहीं आते इक्विटि शेयर कैपिटल होते हैं। यह वर्ग तभी डिविडेन्ड पाने का अधिकारी होता है जबकि प्रिफ्रेन्स शेयर होल्डरों को भुगतान कर दिया गया हो।

शेयर सर्टीफिकेट—प्रत्येक शेयरहोल्डर को कम्पनी की कामन सील के अन्तर्गत एक शेयर सर्टीफिकेट दिया जाता है जो इस बात का प्रमाण होता है कि वह कम्पनी के शेयर कैपिटल में भागीदार है। इसमें प्रत्येक शेयर होल्डर द्वारा धारित शेयरों की संख्या दी होती है। यह एक विक्रेय सम्पत्ति होती है।

स्टाक—पूर्ण रूप से भुगतान हो चुके शेयरों को स्टाक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। स्टाक वह कैपिटल होता है जो विभाज्य होता है तथा जिसे कितने ही अनियमित रकम के रूप में धारण किया जा सकता है।

स्टाक के होल्डर को डिविडेन्ड, वोटिंग इत्यादि के विषय में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार तथा फ़ायदे उपलब्ध होते हैं जो उस शेयर से सम्बद्ध हों जिससे स्टाक की उत्पत्ति हुई है।

शेयरों पर स्टाक के अनेकों फायदे हैं। स्टाक के परिवर्तन का वास्तविक अर्थ है शेयरों के एक समूह को एक बन्डल के रूप में रखते हुए उन्हें यह विशेषता प्रदान करना कि उनका हस्तांतरण ऐसे ढंग से किया जा सकता है जिस ढंग से किसी साधारण शेयर को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। [*Morrice* v. *Aylmer*, L. R. 7 H.L.717] शेयरों पर स्टाक का दूसरा फायदा यह है कि स्टाक को किसी लोक ऋण के स्टाक (stock of public debt) के समान ही खरीदा जा सकता है, चाहे जितने ही हिस्सों में विभाजित करके। हस्तांतरण की सूरत में कम्पनी को यह उल्लिखित करना जरूरी नहीं होता कि हस्तांतरण में विभिन्न शेयरों की क्या संख्या है।

स्टाक को सीधे नहीं जारी किया जा सकता जब तक कि पहिले शेयरों को जारी न किया गया हो और उनका भुगतान न कर दिया गया हो। तभी ऐसे दत्त शेयरों को स्टाक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। स्टाक जारी करने का यह अर्थ होता है कि कम्पनी ने इस तथ्य को मान्यता प्रदान कर दी है कि शेयरों का पूर्ण भुगतान हो चुका है और उन्हें टुकड़ों में अभिहस्तांकित किया जा सकता है।

शेयर वारन्ट—शेयर वारन्ट कम्पनी की सील के अन्तर्गत एक प्रमाण-पत्र होता है, जिसमें लिखा होता है कि वारन्ट का वाहक कतिपय संख्या के या पूर्ण दत्त शेयरों या स्टाक का हकदार है।

धारा ११४ के अन्तर्गत शेयरों द्वारा सीमित लोक कम्पनी, यदि उसके आर्टिक्ल्स द्वारा ऐसा प्राधिकृत है, तो वह, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से, किसी पूर्ण दत्त शेयर के सिलसिले में, अपनी कामन सील के अन्तर्गत यह उल्लेख करते हुए एक वारन्ट जारी करती है कि वारन्ट का वाहक उसमें उल्लिखित शेयरों का हकदार है, और कूपनों द्वारा या अन्यथा वारन्ट में उल्लिखित शेयरों पर भावी डिविडेन्ड के भुगतान का प्राविधान कर सकती है। वाणिज्य रूढ़ियों के अनुसार शेयर वारन्ट एक नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट होता है।

शेयर होल्डर तथा डिबेन्चर होल्डर के बीच अन्तर :

शेयर होल्डर कम्पनियों के स्वामियों में से एक होता है, लेकिन डिबेन्चर होल्डर कम्पनी का एक साधारण ऋणदाता मात्र होता है।

(२) यदि विभाजन के लिए पर्याप्त लाभ होता है तो शेयरों पर डिविडेन्ड दिया जाता है। लेकिन, डिबेन्चर होल्डर अपने करार शुदा ब्याज को प्राप्त करने का हकदार होता है, इस तथ्य के बावजूद भी कि कम्पनी को लाभ हुआ है या घाटा हुआ है।

(३) डिबेन्चर पर देय ब्याज एक ऋण होता है और इसका भुगतान कैपिटल में से भी किया जा सकता है। शेयर की सूरत में यह सम्भव नहीं होता, क्योंकि कैपिटल में से डिविडेन्ड का भुगतान अवैध होता है।

(४) शेयर को डिस्काउन्ट पर नहीं जारी किया जा सकता; लेकिन, डिबेन्चर को डिस्काउ ट पर जारी किया जा सकता है, क्योंकि यह कम्पनी के कैपिटल का भाग नहीं होता।

५. कम्पनी के समापन की सूरत में किसी अप्रतिभूत डिबेन्चर होल्डर को भी, शेयर होल्डरों के किसी वर्ग से पहिले, भुगतान की पूर्वता का अधिकार प्राप्त होता है।

प्रास्पेकटस—प्रास्पेक्टस का अर्थ है वह दस्तावेज जिसे बतौर प्रास्पेक्टस वर्णित या जारी किया गया है और इसमें कोई नोटिस, परिपत्र, ि ज्ञापन या अन्य दस्तावेज भी शामिल है जिसके द्वारा जनता को किसी निगम निकाय को अभिदान देने या उसके शेयरों या डिबेन्चरों में धन लगाने के लिये आमन्त्रित किया गया हो। [धारा २ (३६)]।

यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा आमन्त्रण जनता के ही नाम जारी किया जाय। यदि जनता के किसी खास वर्ग को ही आमन्त्रित किया गया है, तो यदि अन्य अपेक्षित बातों की पूर्ति हुई है तो यह दस्तावेज प्रास्पेक्टस होगा। लेकिन, यदि केवल वर्तमान सदस्यों को ही आमन्त्रित किया जाता है, तो ऐसे परिपत्र को प्रास्पेक्टस नहीं कहा जाएगा।

किसी कम्पनी द्वारा या प्रस्तावित कम्पनी के विषय में जारी किए गए प्रास्पेक्टस में दिनांक अवश्य होना चाहिए। प्रास्पेक्टस में उल्लिखित की जाने वाली विभिन्न आवश्यक बातों का उल्लेख कम्पनीज ऐक्ट की अनुसूची २ में किया गया है। अन्य अपेक्षित बातों के अतिरिक्त प्रास्पेक्टस में निम्नलिखित विवरण भी दिए जाने चाहिए :—

(१) निगमन होने पर कम्पनी द्वारा किन उद्देश्यों का अनुसरण किया जाएगा, मेमोरेन्डम पर हस्ताक्षर करने वालों का नाम तथा पता और उनका पेशा तथा शेयरों की संख्या जो उन्होंने अभिदत्त (Subsc:ibe) किया हो।

(२) डायरेक्टर होने के लिये आवश्यक शेयरों की संख्या जो आर्टिकल्स के अनुसार लिया जाना जरूरी हो।

(३) डायरेक्टर या प्रस्तावित डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रस्तावित मैनेजिंग डायरेक्टर, यदि कोई हो; मैनेजिंग एजेन्ट या प्रस्तावित मैनेजिंग एजेन्ट, यदि कोई हो; सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स या प्रस्तावित सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स, यदि कोई हो; तथा मैनेजर या प्रस्तावित मैनेजर, यदि कोई हो, के नाम तथा पते और उनके पेशे।

(४) जहाँ जनता को शेयरों के लिए अभिदान करने की पेशकश की जाती है वहाँ (क) कम से कम रकम जो डायरेक्टरों, या मेमोरेन्डम पर हस्ताक्षर करने वालों के विचार में उन शेयरों को जारी करके उगाहने के लिए जरूरी हो, तथा (ख) प्रत्येक शेयर पर आवेदन-पत्र तथा एलाटमेन्ट पर देय रकम।

(५) अभिदान सूचियों के खुलने का समय किसी संविदा या व्यवस्था या प्रस्तावित संविदा या व्यवस्था का संक्षेप।

(६) जहाँ शेयरों या डिबेन्चरों का निम्नांकन (Underwrite) किया जाता है, वहाँ निम्नाकको के नाम तथा डायरेक्टरों का यह मत कि निम्नांककों के साधन उनके आभारों के उन्मोचन के लिये पर्याप्त हैं।

(७) किसी सम्पत्ति के विषय में, विक्रेताओं के नाम, पते, वर्णन तथा पेशे और विक्रेता को देय या भुगतान किया गया नक़द रकम, शेयर या डिबेन्चर।

(८) पिछले दो सालों के भीतर भुगतान की गई रकम, यदि कोई हो, या किसी प्रतिफल की प्रकृति तथा उसका विस्तार।

(९) प्रारम्भिक खर्चों की राशि या प्रस्तावित राशि तथा वे व्यक्ति जिनके द्वारा इन खर्चों का भुगतान किया गया है, या जो उनके द्वारा देय है।

(१०) पिछले दो वर्षों में किसी प्रोमोटर या अधिकारी को भुगतान की गयी या दी गयी या भुगतान की जाने वाली या दी जाने वाली फायदे की राशि तथा फायदे के भुगतान या दिये जाने का प्रतिफल (Consideration)।

(११) (क) मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स तथा। मैनेजर के पारिश्रमिक को निश्चित करने या बन्धनकारी करने वाली संविदा, तथा

(ख) प्रत्येक अन्य महत्वपूर्ण संविदा का दिनांक, उनके पक्षकारों तथा उनकी सामान्य प्रकृति का वर्णन।

(१२) कम्पनी के आडिटर्स के, यदि कोई हों, नाम तथा पते।

(१३) कम्पनी के प्रोमोशन में या प्रास्पेक्टस की तारीख से दो वर्ष के भीतर कम्पनी द्वारा अर्जित सम्पत्ति में प्रत्येक डायरेक्टर या प्रोमोटर के हित, यदि कोई हो, की प्रकृति तथा विस्तार का वर्णन।

(१४) यदि कम्पनी का शेयर कैपिटल विभिन्न वर्ग के शेयरों में विभाजित है, तो विभिन्न प्रकार के वर्ग के शेयरों द्वारा प्रदत्त कम्मनी की मीटिंग में वोट देने का अधिकार।

भाग—२

अध्याय–३

कम्पनी का निगमन तथा प्रासंगिक मामले

[Incorporation of Company and Matters incidental thereto]

[धाराएँ ११-५४]

मेमोरन्डम आफ असोसिएशन
तथा
आर्टिकल्स आफ असोसिएशन

[Memorandum of Association and Articles of Association]

कम्पनी की रचना के लिए आवश्यक कदम (Essential steps in formation of a conpany)—ये निम्न प्रकार हैं :—

(१) मेमोरन्डम आफ एसोसिएशन की तैयारी।

(२) आर्टिक्ल्स आफ असोसिएशन की तैयारी।

(३) प्रारम्भिक संविदाओं की तैयारी, यदि कोई हों।

(४) शेयरों में धन लगाने के लिए जनता को आमन्त्रित करते हुये प्रास्पेक्टस को जारी करना।

(५) कम्पनी की रजिस्ट्री; तथा

(६) कार्य को शुरू करने के लिए वर्किङ्ग कैपिटल को प्राप्त करना।

इन कदमों का विस्तार से उल्लेख विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आगे के अध्यायों में किया जाएगा।

एक निश्चित संख्या से अधिक असोसिएशनों तथा पार्टनर-सिशयों के प्रति निषेध (Prohibition of Associations and Partner-ships exceeding certain number)—(१) बैंकिंग का व्यापार करने के प्रयोजन के लिए कोई कम्पनी, एसोसिएशन या पार्टनरशिप दस व्यक्तियों से अधिक सदस्यों की तब तक नहीं बनाई जा सकेगी जब तक कि यह कम्पनीज ऐक्ट, १९५६

के अन्तर्गत रजिस्टर्ड न करायी गई हो, या किसी अन्य भारतीय कानून के अन्तर्गत न बनाई गयी हो।

(२) बीस सदस्यों से अधिक की कोई कम्पनी, असोसिएशन या पार्टनर्शिप कोई अन्य व्यापार करने के प्रयोजन के लिए, जिसका उद्देश्य कम्पनी, असोसिएशन या पार्टनर्शिप द्वारा या उसके सदस्यों द्वारा लाभ अर्जित करना हो, तब तक नहीं बनाई जाएगी जब तक कि यह कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड न करायी गयी हो, या किसी अन्य भारतीय कानून के अन्तर्गत न बनाई गयी हो ;

(३) उपरोक्त उपबन्ध संयुक्त परिवार को नहीं लागू होंगे जो इस रूप में व्यापार कर रहा हो; और जहाँ कोई व्यापार दो या अधिक संयुक्त परिवारों द्वारा किया जा रहा हो, उपरोक्त उपधारायें (१) तथा (२) के प्रयोजन के लिए, व्यक्तियों की गणना में नाबालिगों को नहीं जोड़ा जाएगा।

(४) किसी ऐसी कम्पनी, असोसिएशन या पार्टनर्शिप का प्रत्येक सदस्य, जो उपरोक्त उपबन्धों के प्रतिकूल व्यापार कर रही हो, ऐसे व्यापार के दौरान में उपागत (incurred) किए गए दातव्यों (liabilities) के लिए वैयक्तिक रूप से जिम्मेदार होगा।

(५) ऐसी कम्पनी, असोसिएशन या पार्टनर्शिप के प्रत्येक सदस्य, जिसे इस धारा के प्रतिकूल स्थापित किया गया है, जुर्माने द्वारा दंडित किए जाएँगे जो १,००० रू० तक हो सकता है।

उपरोक्त उपबन्धों से यह स्पष्ट है कि धारा ११ उस समय क्रियाशील होती है जहाँ किसी कम्पनी, असोसिएशन या पार्टनर्शिप के व्यापार का उद्देश्य अपने तथा अपने सदस्यों के लिए लाभ अर्जित करना हो। ऐक्ट में शब्द "व्यापार" (business) को यथोल्लिखित रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन, इसे एक निरन्तर चलने वाला व्यवसाय या वृत्ति (an occupation or profession continuously carried on) कहा जा सकता है।

अधिकतम सदस्यों की संख्या से अधिक सदस्यों सहित स्थापित किया गया कोई असोसिएशन (अर्थात्, बैंकिंग कम्पनी की सूरत में दस तथा किसी अन्य कम्पनी की सूरत में बीस सदस्यों सहित) जिसका उद्देश्य लाभ करना है तब तक अवैध होगा जब तक कि इसे कम्पनी के रूप में रजिस्टर्ड न किया गया हो। ऐसा असोसिएशन स्वयं की गयी किसी संविदा के आधार पर कोई वाद दायर करने से प्रतिवारित (Precluded) है तथा उसके सदस्य ऐसी संविदाओं के लिए वैयक्तिक रूप से जिम्मेदार होंगे, जब तक यह स्थापित न किया जाय कि संविदा किए जाने के समय वाद दायर करने वाले व्यक्ति को अवैधता का ज्ञान नहीं था।

धारा ११ की उपधारा (३) का प्रभाव यह है कि इस धारा के उपबन्ध यापार करने वाले संयुक्त परिवार को नहीं लागू होते; लेकिन जहाँ कोई व्यापार दो ा अधिक संयुक्त परिवारों द्वारा किया जा रहा हो, उपरोक्त उपधाराएँ (१) तथा (२) ह प्रयोजन के लिए व्यक्तियों की गणना में नाबालिगों को नहीं जोड़ा जाएगा।

निगमित कम्पनी की रचना का तरीका (Mode of forming incorporated company)—ऐक्ट की धारा १२ यह निर्धारित करती है कि कोई भी सात या अधिक व्यक्ति, या जहाँ रचना की जाने वाली कम्पनी प्राइवेट कंपनी हो, कोई दो या अधिक व्यक्ति, जो किसी वैध प्रयोजन के लिये सम्बद्ध हों, एक मेमोरन्डम आफ असोसिएशन में अपना नाम अंकित करके तथा अन्यथा ऐक्ट द्वारा रजिस्ट्रेशन से संबंधित अपेक्षित बातों का पालन करके, सीमित दायित्व सहित या बिना इसके एक निगमित कंपनी की रचना कर सकते हैं।

शब्द "व्यक्तियों" का अर्थ है वे व्यक्ति जो शेयर लेने के लिए संविदा करने के लिए सक्षम हों। अतएव, नाबालिग संविदा नहीं कर सकता और उसके द्वारा की गई संविदा शून्य होगी। [Mahori Bibee *v.* Dharmodas, L. R. 309 I. A., p. 114] लेकिन किसी विवाहित स्त्री, दिवालिये या किसी विदेशी या किसी अन्यदेशीय व्यक्ति, जो विदेश में रह रहा हो, द्वारा अपना नाम मेमोरन्डम आफ असोसिएशन के प्रति सब्सक्राइब किया जा सकता है जो कि पूर्णतः वैध होगा। शब्द "व्यक्ति" में, जिसे कम्पनीज ऐक्ट में परिभाषित नहीं किया गया है, जनरल क्लाजेज ऐक्ट की परिभाषा के अनुसार न केवल कोई व्यक्ति बल्कि निगम तथा निगम निकाय भी शामिल है। इसलिये, सीमित कम्पनी भी मेमोरन्डम आफ असोसिएशन के प्रति सब्सक्राइब कर सकती है। लेकिन, कोई फर्म ऐसा नहीं कर सकती और ऐसी सूरत में भागीदार स्वयं सब्सक्राइब किये गये शेयरों के संयुक्त धारक होंगे।

कम्पनी का उद्देश्य या प्रयोजन वैध होना चाहिए। इसके द्वारा देश के किसी कानून का अतिलंघन नहीं होना चाहिए। इस बात मात्र से कि किसी कम्पनी के कुछ उद्देश्य लोकोपकारी हैं, कोई अवैध कम्पनी वैध कम्पनी के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती है।

जब तक कि कोई प्रतिकूल बात न हो, हस्ताक्षरकर्त्ता तब तक अपने शेयरों का भुगतान करने के लिए बद्ध नहीं होते जब तक कि उनसे यथाविधि याचना या माँग (call) न किया जाय। मेमोरैन्डम में अपना नाम अभिदत्त (subscribe) करने वाला व्यक्ति संविदा को विखंडित नहीं कर सकता।

सालोमन बनाम सालोमन के केस के निर्णय के बाद, जिसका उल्लेख पीछे

किया जा चुका है, मेमोरैन्डम के हस्ताक्षरकर्त्ता किसी एकल व्यक्ति के अभिहस्तांकिती (assignees) हो सकते हैं और उनके द्वारा अपना नाम सब्सक्राइब किया जाना केवल एक औपचारिक कृत्य मात्र हो सकता है।

मैमोरन्डम आफ असोसिएशन (Memorandum of Association)—मेमोरन्डम आफ असोसिएशन कम्पनी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यह आधार-शिला है जिस पर कम्पनी का निर्माण होता है। यह इसके कार्य के क्षेत्र तथा बाहरी दुनिया से उसके संबंधों को परिभाषित करता है।

मेमोरन्डम की अपेक्षित बातें (Requirements with respect to Memorandum)—प्रत्येक कम्पनी के मेमोरन्डम में इन बातों का उल्लेख किया जायगा :—(क) कम्पनी का नाम, और यदि कम्पनी एक लोक सीमित कम्पनी है तो उसके नाम का अन्तिम शब्द "लिमिटेड" होगा, और यदि कम्पनी एक प्राइवेट कम्पनी है तो उसके नाम का अन्तिम शब्द "प्राइवेट लिमिटेड" होगा ; (ख) उस राज्य का नाम जिसमें कम्पनी का रजिस्टर्ड आफिस स्थित होगा ; (ग) कम्पनीज (एमेन्डमेंट) ऐक्ट, १९६५ के लागू होने के तुरन्त पहिले अस्तित्व में होने वाली कम्पनी की सूरत में, कम्पनी के उद्देश्य ; (घ) इस ऐक्ट में लागू होने के बाद बनाई गयी कम्पनी की सूरत में—(१) निगमन होने पर कम्पनी द्वारा अनुसरण किये जाने वाले प्रमुख उद्देश्य तथा प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के सिलसिले में प्रासंगिक तथा सहायी उद्देश्य ; (ङ) ऐसी कम्पनियों की सूरत में ट्रेडिंग निगमों (corporations) के अतिरिक्त], जिनका उद्देश्य किसी एक राज्य ही तक नहीं सीमित है, उन राज्यों का विवरण जिनके क्षेत्र में उद्देश्य का विस्तार है।

(२) शेयरों या प्रत्याभूति द्वारा सीमित कम्पनी के मेमोरन्डम में यह भी कहा जाना चाहिये कि उसके सदस्यों का दायित्व सीमित है।

(३) प्रत्याभूति द्वारा सीमित कम्पनी के मेमोरन्डम में यह भी कहा जाना चाहिये कि प्रत्येक सदस्य, कम्पनी के समापन की सूरत में, अपनी सदस्यता के दौरान तथा सदस्य न रहने के एक साल बाद की अवधि तक में, उसके ऋणों तथा दायित्वों के भुगतान के लिए, या ऐसे ऋणों तथा दायित्वों के भुगतान के लिये जिसका भुगतान करने की जिम्मेदारी कम्पनी ने उसकी सदस्यता समाप्त होने से पूर्व अपने ऊपर संविदा द्वारा लिया हो, जैसी भी सूरत हो, तथा समापन के व्यय, चार्जेज और परिव्यय के भुगतान तथा अंशदाताओं के आपसी अधिकारों के ऐडजस्टमेंट के लिये, ऐसी रकम जो अपेक्षित होगी, लेकिन जो एक उल्लिखित रकम से अधिक नहीं होगी, उसकी परिसम्पत् में अंशदान करने का जिम्मा अपने ऊपर लेता है।

(४) शेयर कैपिटल वाली कम्पनी की सूरत में—

(क) जब तक कि कम्पनी एक असीमित कम्पनी न हो, मेमोरन्डम में शेयर कैपिटल की उस राशि का भी उल्लेख किया जायेगा जिसके सहित कम्पनी को रजिस्टर्ड कराया जायेगा, तथा निश्चित रकम के शेयरों के रूप में उसके विभाजन का भी जिक्र किया जायेगा ;

(ख) प्रत्येक सब्सक्राइबर एक से कम शेयर नहीं लेगा ; तथा

(ग) प्रत्येक सब्सक्राइबर अपने नाम के सामने यह लिखेगा कि वह कितने शेयर लेता है। [धारा १३]।

कम्पनी का नाम—निम्नलिखित निर्बन्धनों के अधीन किसी कम्पनी का कोई भी नाम रक्खा जा सकता है :

(१) जब तक कम्पनी, ऐक्ट की धारा २५ के अन्तर्गत विमुक्ति न प्राप्त कर ले, प्रत्येक कम्पनी के नाम के साथ शब्द "लिमिटेड" जुड़ा होना चाहिये। लोक सीमित कम्पनी की सूरत में शब्द "लिमिटेड", तथा प्राइवेट सीमित कम्पनी की सूरत में शब्द "प्राइवेट लिमिटेड" जुड़ा होना चाहिये। शब्द "लिमिटेड" को जोड़ने से विमुक्ति धारा २५ के अन्तर्गत मिल सकती है, जहाँ कि केन्द्रीय सरकार के सन्तोषानुसार यह प्रमाणित कर दिया जाय कि कोई संस्था (क) वाणिज्य, कला विज्ञान, धर्म या किसी अन्य लाभकारी प्रयोजन की प्रगति के लिये स्थापित की जाने वाली है, तथा (ख) वह अपने लाभ, यदि कोई हो, या अन्य आमदनी का इस्तेमाल अपने उद्देश्य की प्रगति के लिये करेगी तथा उसके सदस्यों को कोई लाभांश (डिविडेन्ड) देना वर्जित होगा। ऐसी सूरत में, केन्द्रीय सरकार लाइसेन्स द्वारा यह निदेश दे सकती है कि संस्था को सीमित दायित्व सहित, अपने नाम के अन्त में शब्द "लिमिटेड" या "प्राइवेट लिमिटेड" जोड़े बगैर, रजिस्टर्ड कर ली जाय।

(२) कम्पनी किसी ऐसे नाम में रजिस्टर्ड नहीं की जायेगी जो केन्द्रीय सरकार के विचार में अवांछनीय हो। [धारा २० (१)]।

ऐक्ट में यह नहीं कहा गया है केन्द्रीय सरकार के विचार में कैसा नाम अवांछनीय होगा। १६१३ के पिछले ऐक्ट द्वारा 'क्राउन', 'एम्परर', 'एम्पायर', 'किङ्ग', 'क्वीन', 'रायल', 'स्टेट', 'फेड्रल', 'इम्पीरियल', जैसे नाम, जिनसे यह प्रतीत हो कि कम्पनी को सरकार या रॉयल फैमिली का पैट्रोनेज प्राप्त है, या 'म्युनिसिपल' या 'चार्टर्ड' जैसे शब्द, जिनसे प्रतीत हो कि कम्पनी का सम्बन्ध किसी म्युनिसिपैल्टी या स्थानीय निकाय से है, वर्जित थे। ऐक्ट ऐसे शब्दों का प्रयोग अभिव्यक्त रूप से वर्जित नहीं करता, बल्कि मामले को केन्द्रीय सरकार के विवेक पर छोड़ देता है, जिसे न केवल १६१३ के ऐक्ट में उल्लिखित आपत्ति-

जनक शब्दों के प्रयोग को वर्जित करने की शक्ति प्राप्त है, बल्कि ऐसे किसी शब्द को भी वर्जित करने की शक्ति है जो उसके विचार में अवांछनीय हो।

(२) यदि कोई नाम, किसी वर्तमान कम्पनी के नाम से, जिसे पहिले रजिस्टर्ड किया जा चुका है, मिलता-जुलता है या उसी के समान है, तो ऐसे नाम को केन्द्रीय सरकार अवांछनीय समझेगी।

ऐक्ट की धारा १४७ के अन्तर्गत अब यह आवश्यक नहीं है कि कम्पनी का नाम अंग्रेजी भाषा में ही हो। यदि नाम किसी स्थानीय भाषा में भी है, तो यह पर्याप्त होगा। यह जरूरी है कि कम्पनी अपना नाम पेन्ट करा कर अपने कारोबार के कार्यालय के बाहर ऐसे स्थान पर लगवाये कि उसे स्पष्टता तथा सरलता से देखा जाय। कम्पनी की मुहर (सील) में भी उसका नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये। कम्पनी अपने सभी कागजात पर, जैसे कारोबारी पत्रों, बिलों, लैटर पेपर, नोटिसों, विज्ञापनों, अन्य आफिशियल प्रकाशनों, सभी बिल्स आफ एक्सचेन्ज, हुन्डियों, प्रोनोटों, पृष्ठांकनों, पार्सल के बिल्स, इन्वायस, तथा कम्पनी के क्रेडिट लैटर्स पर, अपना स्पष्ट तथा पढ़ा जा सकने वाला नाम मुद्रित या अंकित करेगी।

कम्पनी के नाम में परिवर्तन—कम्पनी विशेष प्रस्ताव द्वारा तथा केन्द्रीय सरकार के लिखित अनुमोदन से अपना नाम परिवर्तित कर सकती है। लेकिन, यदि कम्पनी के नाम में मात्र-परिवर्तन उसके नाम में कुछ जोड़ा जाना या उसमें से शब्द "प्राइवेट" निकाला जाना है, जैसी भी सूरत हो, जो किसी लोक कम्पनी के रूप में परिवर्तन किये जाने के कारण ऐक्ट के उपबन्धों के अनुसार है, तो ऐसी सूरत में केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन जरूरी नहीं होगा।

कम्पनी के नाम का अनुसमर्थन (Ratification)—यदि कोई कम्पनी अपने पहिले रजिस्ट्रीकरण या नये नाम में रजिस्ट्रीकरण के समय, भूल से या अन्यथा, ऐसे नाम में रजिस्टर्ड की जाती है जो, केन्द्रीय सरकार के विचार में, पहिले रजिस्टर्ड की गयी किसी अन्य वर्तमान कम्पनी के नाम के एकसम है, या उससे बहुत कुछ मिलता-जुलता है, तो ऐसी कम्पनी साधारण प्रस्ताव तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्वलिखित अनुमोदन द्वारा अपना नाम परिवर्तित कर सकती है। केन्द्रीय सरकार कम्पनी के पहिले रजिस्ट्रेशन या नये नाम में रजिस्ट्रेशन के १२ माह के भीतर, या ऐक्ट के लागू होने के १२ माह के भीतर, जो भी बाद में हो, कम्पनी को यह निदेश दे सकती है कि वह कम्पनी अपने नाम या नये नाम को, निदेश के तीन माह के भीतर, या ऐसी अधिक अवधि के भीतर जिसकी अनुमति वह दे, साधारण प्रस्ताव पारित करके तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व लिखित अनुमोदन सहित परिवर्तित करे।

उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार कम्पनी द्वारा अपने नाम में परिवर्तन किये जाने पर, रजिस्टार रजिस्टर में कम्पनी के पुराने नाम के स्थान पर नए नाम को दर्ज करेगा और निगमन का नया प्रमाण-पत्र आवश्यक परिवर्तनों सहित जारी करेगा। ऐसे प्रमाण-पत्र के जारी हो जाने पर ही नाम में परिवर्तन पूर्ण तथा प्रभावकारी होगा। [धारा २३ (१))। रजिस्ट्रार कम्पनी के मेमोरन्डम आफ असोसिएशन में भी ऐसे ही आवश्यक संशोधन करेगा। [धारा २३ (२)]। नाम में परिवर्तन से कम्पनी की कानूनी स्थिति या उसके अधिकारों या दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही कंपनी द्वारा की गई किसी कार्यवाही या उसके खिलाफ की गई किसी कार्यवाही पर, जों परिवर्तन के समय वर्तमान हो, कोई प्रभाव पड़ेगा। [धारा २३ (३)]।

रजिस्टर्ड आफिस — मेमोरेंडम में राज्य का उल्लेख किया जाना चाहिये जिसमें कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित होगा। इससे कम्पनी का डोमीसाइल निश्चित होता है ।

धारा १४६ के अन्तर्गत यह जरूरी है कि जिस दिन से, कम्पनी व्यापार शुरू करे उस दिन से, या उसके निगमन के २८वें दिन से, जो भी पहिले हो, उसका एक रजिस्टर्ड कार्यालय हो। सभी पत्र-व्यवहार रजिस्टर्ड कार्यालय के नाम से ही किये जाते हैं, इसलिये जरूरी है कि रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान, तथा उसमें किसी परिवर्तन की सूचना, निगमन या परिवर्तन के बाद २८ दिन के भीतर, जैसी भी सूरत हो, रजिस्ट्रार को दी जायगी जो उसे रेकार्ड करेगा। किसी वर्तमान या नई कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय को उस नगर, कस्बे या ग्राम से बाहर नहीं ले जाया जाएगा जहाँ वह ऐक्ट के लागू होने के समय पहिले स्थित था, जब तक कि कम्पनी विशेष प्रस्ताव द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत न करे। लेकिन उसी नगर, कस्बे या ग्राम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्यालय के हटाने के लिए किसी विशेष प्रस्ताव का पारित किया जाना जरूरी नहीं होगा, हालाँ कि ऐसे परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को देना जरूरी होगा।

यदि उपरोक्त अपेक्षित बातों का पालन नहीं किया जाता और इसमें चूक होती है, तो कंपनी, तथा कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो ऐसी चूक करता है जुर्माने द्वारा दंडित किया जा सकेगा जो चूक जारी रहने तक ५० रु० तक प्रतिदिन हो सकता है।

सदस्यों का रजिस्टर, डिबेन्चर होल्डरों का रजिस्टर, वार्षिक रिटर्नों की प्रतियाँ तथा जनरल मीटिंग की कार्यवाही की पुस्तकें सभी कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में रक्खी जाएँगी। [धाराएँ १६३ तथा १६६]। कंपनी तथा उसके

अधिकारियों पर तामील होने वाली नोटिसें तथा कागजात को कंपनी में रजिस्टर्ड कार्यालयों पर भेजना होता है। [धारा ५१]। कंपनी की वार्षिक जनरल मीटिंग या तो कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय पर या उस नगर, कस्बे या ग्राम के किसी स्थान पर की जानी चाहिए जिसमें कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित है। [धारा १६६]।

कम्पनी के उद्देश्य (Objects of the Company)—कंपनी को अपने उद्देश्यों का उल्लेख अपने मेमोरन्डम आफ असोसिएशन में स्पष्टतापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि वह उसमें उल्लिखित उद्देश्यों तथा प्रासंगिक मामलों के दायरे के भीतर ही कार्य कर सकती है। [Ashbury Railway Carriage Company *v.* Riche (1875) L. R. H. L. 653]। उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के कार्यकलापों की सीमा तथा उसके कैपिटल के लक्ष्य को परिभाषित करते हैं। मेमोरन्डम का यह खंड सकारात्मक रूप से निर्धारित करता है कि कंपनी को क्या शक्तियाँ प्राप्त होंगी, तथा नकारात्मक रूप से यह कंपनी की शक्तियों को, जहाँ तक कि उनका उल्लेख मेमोरन्डम में किया गया है या जो अलक्षित है या कानून द्वारा प्रदत्त है, सीमित करता है। मेमोरन्डम कंपनी का चार्टर होता है। यदि डायरेक्टर मेमोरन्डम में उल्लिखित किसी बात के बाहर किसी विषय पर कोई संविदा करते हैं तो ऐसी संविदा शक्ति के परे (*ultra vires*) होगी और कंपनी पर बन्धनकारी नहीं होगी भले ही बाद में शेयर होल्डरों या उनके पूरे समुदाय द्वारा मीटिंग में उसके प्रति सहमति प्रदान की गयी हो।

मेमोरन्डम में कंपनी द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों का ब्योरा दे देना हमेशा अच्छी बात होती है, लेकिन उद्देश्यों में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो देश के किसी कानून या किसी ऐक्ट के उपबन्धों के प्रतिकूल हो।

अमेंडमेंट ऐक्ट, १६६५ के अन्तर्गत निगमित होने पर कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले प्रमुख उद्देश्यों तथा प्रमुख उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक तथा सहायी उद्देश्यों को उल्लिखित करने के सिलसिले में काफी परित्राणों (सेफगार्ड्स) का प्राविधान है। कंपनी के अन्य उद्देश्यों का पृथक् उल्लेख किया जाता है। यह इसलिए किया गया है कि शेयरहोल्डरों को कंपनी के औद्योगिक या व्यापारिक कार्यकलापों से अपने को अवगत करने का अवसर उपलब्ध हो सके।

Colman *v.* Broughman (1918) A. C. 504, 520 में लार्ड पार्कर ने कहा है कि मेमोरन्डम में उद्देश्यों के कथन का दोहरा आशय होता है। (१) इससे अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) को यह पता चलता है कि उनके धन का इस्तेमाल किसी प्रयोजन के लिये किया जाएगा। (२) कम्पनी से व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को कंपनी की शक्तियों के विस्तार का अनुमान करने में सहायता मिलती

है। मेमोरंडम में उल्लिखित उद्देश्य अन्तिम होते हैं और धारा १७ में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण द्वारा कंपनी को अधिक मितव्ययिता तथा कुशलता से कार्य कर सकने के लिये समर्थ करने के लिये पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा ही उक्त उद्देश्यों से प्रचलित हुआ जा सकता है।

उपलक्षित शक्तियां (Implied Powers)—मेमोरन्डम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित शक्तियों के अलावा कंपनी को निगमित होने के कारण कुछ उपलक्षित शक्तियाँ भी उपलब्ध होती हैं। ये हैं—(१) धन ऋण लेने ; या (२) यदि यह ट्रेनिंग कारपोरेशन हो तो, भूमि को बंधक रखने या बेचने (३) एजेन्टों द्वारा कार्य करने; (४) विवादों में सुलहनामा करने की उपलक्षित शक्तियाँ। उपरोक्त के अधीन डायरेक्ट्रों या कम्पनियों के जनरल मीटिंगों को अन्य कोई शक्ति उपलब्ध नहीं होती, सिवाय उनके जो मेमोरन्डम तथा आर्टिक्ल्स में अभिव्यक्त शक्तियों के प्रसंग में हो या जिनका समुचित रूप से अनुमान किया जा सकता हो।

अन्त में, कम्पनी के उद्देश्य अवैध या ऐक्ट के उपबन्धों, अर्थात् डिस्काउन्ट पर शेयर जारी करने, के प्रतिकूल नहीं होने चाहिये।

सीमित दायित्व (Limited Liability)—शेयरों या प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी के मेमोरेन्डम में यह उल्लेख करना जरूरी है कि सदस्यों का दायित्व सीमित है।

प्रत्याभूति द्वारा सीमित कम्पनी की सूरत में मेमोरन्डम में यह भी कहा जायेगा कि प्रत्येक सदस्य कंपनी के समापन की सूरत में, जब तक कि वह सदस्य है या सदस्य न रहने के बाद एक वर्ष की अवधि तक, उसकी परिसम्पत्, या कम्पनी के ऐसे ऋणों तथा दातव्यों (Liabilities) के प्रति, जो उसकी सदस्यता की समाप्ति से पहिले प्रसंविदित हुई थी, अंशदान करने का जिम्मा लेता है।

सीमित दायित्व सहित शेयर कैपिटल वाली कंपनी की सूरत में मेमोरन्डम में यह भी कहा जायेगा कि शेयर कैपिटल की वह राशि मिलनी है जिससे कम्पनी का व्यापार शुरू किया जायेगा तथा उसे कितने शेयरों के रूप में विभाजित किया गया है। [धारा १३]

प्रत्येक सब्सक्राइबर को कम से कम एक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिये।

मेंमोरन्डम का मुद्रण तथा हस्ताक्षर—मेमोरन्डम को (क) मुद्रित (Print) किया जायेगा, (ख) पैराग्राफों में विभाजित करके उन्हें नम्बर दिया जायेगा, तथा (ग) उसे प्रत्येक सब्सक्राइबर द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा, जो अपना पता, विवरण तथा पेशा उल्लिखित करेगा और वह कम से कम एक साक्षी की

मौजूदगी में उस पर हस्ताक्षर करेगा। साक्षी इस हस्ताक्षर को अभिप्रमाणित करते हुये अपना हस्ताक्षर करेगा तथा उसी प्रकार अपना पता, विवरण तथा पेशा लिखेगा। [धारा १५]।

मेमोरन्डम का परिवर्तन (Alteration of Memorandum) —मेमोरन्डम में दी गई शर्तों को कम्पनी, ऐक्ट में अभिव्यक्त रूप से दिये गये सूरतों, तरीकों तथा विस्तार के अतिरिक्त, किसी अन्य दशा में परिवर्तित नहीं कर सकेगी। [धारा १६]

मेमोरन्डम आफ असोसियेशन कंपनी का चार्टर होता है और कानून द्वारा निर्धारित तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से इसे संशोधित या रूपभेदित नहीं किया जा सकता। [*Ashbury* v. *Waston* (1885) 30 Ch. D. 376] इसलिये, मेमोरन्डम में दी गयी शर्तों को बदला नहीं जा सकता और यदि इन शर्तों के प्रतिकूल कुछ किया जाता है तो यह शून्य होगा।

शर्तों का अर्थ (Meaning of conditions)—केवल उन्हीं उपबन्धों को मेमोरन्डम में दी गयी शर्त माना जाएगा जो धारा १३ या ऐक्ट के किसी अन्य यथोल्लिखित उपबंध के अनुसार मेमोरन्डम में दिया जाना अपेक्षित हो। [धारा १६ (२)] धारा १३ द्वारा यह अपेक्षित है कि प्रत्येक कम्पनी के मेमोरंडम में (१) लोक सीमित कम्पनी की सूरत में उसका नाम जिसके अंत में शब्द 'लिमिटेड' तथा प्राइवेट सीमित कंपनी की सूरत में उसका नाम जिसके अंत में शब्द "प्राइवेट लिमिटेड"; (२) उस राज्य का नाम जहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित होगा; तथा (३) कंपनी के उद्देश्य का उल्लेख होना चाहिये। यह धारा अन्य उपबन्ध भी निर्धारित करती है जिसका उल्लेख मेमोरंडम की आवश्यकताओं से संबंधित पिछले प्रश्न के उत्तर में किया जा चुका है। ये सभी आवश्यकताएँ मेमोरंडम के शर्त के रूप में गठित होती हैं।

मेमोरंडम में मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स, या मैनेजर की नियुक्ति से संबंधित उपबन्धों को धारा १६ के अर्थान्तर्गत शर्तें नहीं माना जाता और इन्हें कंपनी के आर्टिक्ल्स के समान ही, अर्थात् विशेष प्रस्ताव द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन यदि ऐक्ट में कोई अभिव्यक्त उपबन्ध है जिसके अनुसार ऐसे उपबंधों को किसी अन्य प्रकार से परिवर्तित करने की अनुमति दी गई हो तो विशेष प्रस्ताव के अतिरिक्त उन्हें ऐसे तरीके से भी परिवर्तित किया जा सकता है।

कंपनी अपने मेमोरंडम को कई तरीकों से परिवर्तित कर सकती है, जैसे अपने नाम में परिवर्तन करके, अपने उद्देश्यों को परिवर्तित करके, अपने शेयर कैपिटल को

परिवर्तित करके, अपने कैपिटल को घटा करके, डायरेक्टरों के दायित्व को असीमित करके, इत्यादि ।

कंपनी के नाम में परिवर्तन के विषय पर पिछले एक प्रश्न के उत्तर में उल्लेख किया गया है ।

मेमोरन्डम में परिवर्तन के लिए विशेष प्रस्ताव तथा कोर्ट द्वारा पुष्टिकरण अपेक्षित है—(१ कोई भी कंपनी अपने मेमोरंडम के विशेष प्रस्ताव द्वारा परिवर्तित कर सकती है जिससे कि वह अपने रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान को एक राज्य से दूसरे राज्य को बदल सके, या कंपनी के उद्देश्यों में परिवर्तन कर सके जिससे कि वह—

(क) अपने कारोबार को अधिक मितव्ययितापूर्वक तथा कुशलतापूर्वक कर सके;

(ख) अपने प्रमुख उद्देश्य को नवीन तथा सुधरे हुए तरीके द्वारा प्राप्त कर सके;

(ग) कार्य के स्थानीय क्षेत्र का विस्तार कर सके ।

(घ) कोई ऐसा व्यापार करे जिसे वर्तमान परिस्थितियों में कपनी के व्यापार से सम्बद्ध किया जा सकता था;

(ङ) मेमोरंडम मे उल्लिखित किसी उद्देश्य को निर्बन्धित कर सके या उसे त्याग सके;

(च) कुल अन्डरटेकिंग या उसके किसी भाग या कंपनी के किसी अन्डरटेकिंग को बेचे या हस्तांतरित करे; या

(छ) किसी कंपनी या व्यक्तियों के निकाय में समामेलित हो सके ।

(२) परिवर्तन तब तक प्रभावशाली नहीं होंगे जब तक कि कोर्ट को आवेदन-पत्र दिए जाने पर इसकी पुष्टि न हो जाय तथा उतना ही परिवर्तन प्रभावशाली होगा जितने की पुष्टि कोर्ट द्वारा की जाती है ।

(३) परिवर्तन की पुष्टि करने से पहिले कोर्ट का निम्नलिखित बातों पर सन्तुष्ट होना जरूरी है—

(क) कि कंपनी के प्रत्येक डिबेंचर होल्डर, तथा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, केन्द्रीय सरकार के विचार में, जिनका हित परिवर्तन से प्रभावित होगा, पर्याप्त सूचना दे दी गयी है; तथा

(ख) कि, प्रत्येक ऋणदाता के सिलसिले में जो, कोर्ट के विचार में, परिवर्तन के प्रति आपत्ति करने का अधिकारी है, तथा जो कोर्ट द्वारा निदेशित ढंग से अपनी आपत्ति प्रदर्शित करता है, या तो उसकी सहमति प्राप्त कर ली गयी है या उसके ऋण या दावे का उन्मोचन कर दिया गया है या उसे समाप्त कर दिया गया है, या कोर्ट के संतोषानुसार उसे प्रतिभूत कर दिया गया है।

(४) परिवर्तन की पुष्टि की जाने के लिए दी गई दरखास्त की नोटिस कोर्ट रजिस्ट्रार पर तामील कराएगी और उसे भी कोर्ट के समक्ष उत्पन्न होकर परिवर्तन की पुष्टि के सिलसिले में अपनी आपत्ति पेश करने तथा सुझाव देने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।

(५) ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जो कोर्ट उचित समझे, समस्त परिवर्तन को या उसके किसी भाग की पुष्टि का आदेश कोर्ट दे सकेगी, तथा परिव्यय के लिए भी, जैसा उचित समझे दे, सकेगी।

(६) इस धारा के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोर्ट कंपनी के सदस्यों तथा उनके प्रत्येक वर्गों के अधिकारों तथा हितों, कंपनी के ऋणदाताओं तथा उनके प्रत्येक वर्ग के अधिकारों तथा हितों का भी ध्यान रक्खेगी। [धारा १७]।

ऐसी निकाय जिसके सिलसिले में उपरोक्त लाइसेन्स लागू है, अपने उद्देश्यों के सिलसिले में अपने मेमोरन्डम में कोई परिवर्तन नहीं करेगी। वह केवल केन्द्रीय सरकार के लिखित अनुमोदन द्वारा ही ऐसा कर सकेगी। [धारा २५ (८) (ए)]।

यदि निकाय उपरोक्त खंड (ए) के उपबन्धों का उल्लंघन करती है तो केंद्रीय सरकार उसके लाइसेन्स को विखंडित कर सकेगी। [धारा २५ (८) (बी)]।

खंड (ए) में जिक्र किए गए अनुमोदन को प्रदान करते समय केंद्रीय सरकार लाइसेन्स में हेरफेर कर सकती है और उसे ऐसी शर्तों तथा विनयमों के अधीन कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे। ऐसी शर्तें तथा विनियम उन शर्तों तथा विनियमों के स्थान पर या उनके अलावा हो सकेगी जिनके अधीन लाइसेंस पहिले था [धारा २५ (८ (सी)]

जहाँ इस उपधारा के अंतर्गत मेमोरंडम में किया जाने वाला प्रस्तावित परिवर्तन निकाय के उद्देश्यों के सिलसिले में हो जो धारा १७ के उपधारा (१) के खंड (क) से (छ) में उल्लिखित बातों के किए जाने के लिए अपेक्षित हों, तो इस धारा के उपबंध उस धारा के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पकारी (Derogatory)। [धारा २५ (८) (घ)]

इस धारा के अंतर्गत ऐसी निकाय को दिए गए लाइसेंस की समाप्ति पर जिसमें नाम शब्द "चेम्बर आफ कामर्स" है, तो लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर या ऐसी अधिक अवधि के भीतर जिसकी अनुमति देना केंद्रीय सरकार उचित समझे, ऐसी निकाय अपने नाम को इस प्रकार परिवर्तित करेगी कि उसमें ऐक्ट शब्द न हों। इस बात का उल्लंघन करने पर ऐसे निकाय पर जुर्माना किया जा सकता है जो ५.००) रु० प्रतिदिन हो सकता है। [धारा २५ (६) तथा (१०)]।

परिवर्तन की रजिस्ट्री तीन माह के भीतर होनी चाहिए:— परिवर्तन की पुष्टि करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि को, परिवर्तित मेमोरन्डम की छपी प्रतिलिपि सहित, आदेश के तीन माह के भीतर कम्पनी द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल किया जाना चाहिए जो दाखिल किए जाने की तारीख के एक माह के भीतर उसे रजिस्टर करेगा तथा अपने हाथों से रजिस्ट्रीकरण को प्रभावित करेगा। ऐसा प्रमाण-पत्र निश्चायक साक्ष्य होगा और परिवर्तन तथा पुष्टिकरण से संबंधित सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया माना जाएगा। इस प्रकार परिवर्तित मेमोरन्डम उस समय से कम्पनी का मेमोरन्डम माना जाएगा। [धारा १८] मेमोरन्डम में ऐसा परिवर्तन जिसके लिए रजिस्ट्री किया जाना अपेक्षित हो, उस समय तक प्रभावाशाली नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसे रजिस्ट्रार के समक्ष यथाविधि रजिस्टर्ड न कर लिया गया हो। [धारा १६]।

परिवतन को रजिस्टर न किए जाने का प्रभाव—मेमोरैन्डम का कोई परिवर्तन, जिसकी रजिस्ट्री अपेक्षित हो, तब तक प्रभावकारी न होगा जब तक कि रजिस्ट्रार द्वारा उसे यथाविधितः रजिस्टर्ड न कर लिया गया हो। [धारा १६]।

मेमोरन्डम में परिवर्तन के विभिन्न मामले—कोई कम्पनी अपने मेमोरन्डम में निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन कर सकती है।

(क) नाम में परिवर्तन—कोई कंपनी विशेष प्रस्ताव द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिखित अनुमोदन सहित अपना नाम बदल सकती है। लेकिन ऐसी सूरत में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी जब कि कंपनी के नाम में किया जाने वाला परिवर्तन उसके नाम में से शब्द "प्राइवेट" को जोड़ना या निकालना मात्र हो, जो कि ऐक्ट के उपबन्धों के अनुसार किसी लोक कंपनी को प्राइवेट कंपनी या किसी प्राइवेट कंपनी को लोक कंपनी के रूप में परिवर्तित होने के कारण आवश्यक हो गया हो। [धारा २१]। यदि भूल के कारण या अन्यथा, किसी कंपनी का नाम

किसी ऐसे गलत नाम में रजिस्टर्ड हो गया हो जो, केन्द्रीय सरकार के विचार में, किसी अन्य अस्तित्वशील तथा पहिले से रजिस्टर्ड कंपनी के नाम के एकसम है, तो पहिली कंपनी का नाम एक साधारण प्रस्ताव पारित करके, तथा केन्द्रीय सरकार की लिखित पूर्व अनुमति सहित परिवर्तित किया जा सकता है।

(ख) उद्देश्यों में परिवर्तन—इसके विषय में उल्लेख पीछे धारा १७ के उपबंधों के सिलसिले में दिया गया है।

(ग) सीमित कम्पनी को सूरत में शेयर कैपिटल में परिवर्तन—शेयर कैपिटल वाली सीमित कंपनी, यदि उसके आर्टिक्ल्स द्वारा ऐसा प्राधिकृत किया गया है, अपने मेमोरन्डम की शर्तों को निम्नलिखित के लिये परिवर्तित कर सकती है : –

(१) नए शेयर जारी कर के शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिये :

(२) अपने शेयर कैपिटल को वर्तमान शेयरों से अधिक रकम में समेकित तथा विभाजित करने के लिये ;

(३) अपने पूर्वदत्त शेयरों को स्टाक के रूप में परिवर्तित करने तथा स्टाक को किसी भी अभिधान (Denomination) के पूर्णदत्त शेयरों के रूप में परिवर्तित करने के लिये ;

(४) अपने शेयरों को मेमोरन्डम द्वारा निश्चित रकम से कम रकम में विभाजित करने के लिये ;

(५) उन शेयरों को कैंसिल करने के लिये, जिन्हें इस संबंध में पारित किये गये प्रस्ताव की तारीख तक किसी व्यक्ति ने नहीं लिया है, या कोई व्यक्ति लेने के लिये सहमत नहीं हुआ तथा इस प्रकार कैंसिल किये गये शेयरों के रकम के बराबर शेयर कैपिटल में कमी करने के लिये ।

इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं कम्पनी द्वारा अपनी मीटिङ्ग में किया जायेगा और इसके लिये कोर्ट के पुष्टिकरण की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार से शेयरों की मंसूखी को शेयर कैपिटल में कमी किया जाना नहीं माना जायगा। [धारा ९४]।

(घ) शेयर कैपिटल का पुनः सङ्गठन (R organisation of Share Capital)—धारा ३९१ के अन्तर्गत किसी कम्पनी तथा उसके ऋणदाताओं के बीच या कम्पनी तथा उसके सदस्यों के बीच शेयर कैपिटल को पुनः संघटित करने के प्रयोजन के लिये की गई व्यवस्था के प्रति कोर्ट स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

(ङ) शेयर कैपिटल में कमी (Reduction of Share Capital) कोर्ट द्वारा पुष्टिकरण के अधीन, शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी या कैपिटल धारण

करने वाली तथा प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी, यदि उसके आर्टिक्लस द्वारा ऐसा प्राधिकृत है, (क) अदत्त शेयर कैपिटल से संबन्धित अपने शेयरों में से किसी शेयर के दायित्व को समाप्त करके या कम करके, (ख) खो गये किसी दत्त शेयर कैपिटल को कैंसिल करके, या (ग) कम्पनी की आवश्यकता से अधिक किसी दत्त शेयर कैपिटल का भुगतान करके अपने शेयर कैपिटल को कम कर सकती है, तथा अपने शेयर कैपिटल की राशि तथा शेयरों को कम करके अपने मेमोरंडम को तदनुसार परिवर्तित कर सकती है। [धारा १००]

(च) सीमित कम्पनी के रिजर्व दायित्व का सर्जन (Creating reserve liability of limited Company,—कोई सीमित कम्पनी, विशेष प्रस्ताव द्वारा, निर्धारित कर सकती है कि उसके शेयर कैपिटल का कोई भाग, जिसे आहूत (कॉल) नहीं किया जा चुका है, अब आहूत नहीं किया जा सकेगा, सिवाय कम्पनी की समापन की सूरत में, और इस पर उसके शेयर कैपिटल का वह भाग ऐसी स्थिति के सिवाय किसी अन्य स्थिति में आहूत नहीं किया जा सकेगा। (धारा ६६)।

[छ] सीमित कम्पनी के डायरेक्टरों के दायित्व को असीमित करने वाला विशेष प्रस्ताव (Special Resolution of limited company making liability of Directors limi.ed) यदि उसके आर्टिक्लस द्वारा ऐसा प्राधिकृत है तो कंपनी विशेष प्रस्ताव द्वारा अपने मेमोरन्डम को परिवर्तित करके अपने किसी डायरेक्टर, या किसी मैनेजिङ्ग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स, या मैनेजर के सीमित दायित्व को असीमित कर सकती है। ऐसे प्रस्ताव के पारित होने पर उसके उपबन्ध उसी प्रकार मान्य होंगे जैसे कि वे मूल रूप से मेमोरन्डम में रहे हों। (धारा ३२३)। धारा ३२३ के अन्तर्गत मेमोरन्डम में परिवर्तन के लिये कोर्ट का पुष्टिकरण अपेक्षित नहीं होता।

विषय वर्ग के शेयरों के धारकों के अधिकारों में परिवर्तन (Alteration of rights of holders of special classes of shares) जहाँ किसी कम्पनी का शेयर कैपिटल विभिन्न वर्ग के शेयरों में विभाजित हो, वहाँ किसी वर्ग के शेयरों से संबद्ध अधिकारों में, उस वर्ग के शेयरों के धारकों में से कम से कम तीन-चौथाई धारकों की लिखित संमति द्वारा, या उस वर्ग के शेयरों के धारकों की विशेष मीटिङ्ग में पारित विशेष प्रस्ताव की स्वीकृति सहित, परिवर्तन किया जा सकता है—

(क) यदि ऐसे परिवर्तन के प्रति उपबन्ध कंपनी के मेमोरन्डम या आर्टिक्ल्स में हों, या

(ख) यदि मेमोरंडम या आर्टिक्ल्स में ऐसे उपबन्ध का अभाव है तो उस वर्ग के शेयरों को जारी किये जाने वाली शर्तों द्वारा 'ऐसा परिवर्तन वर्जित न हो। (धारा १०६)

यदि मेमोरंडम में परिवर्तन करना धारा १६ (२) के अर्थान्तर्गत शर्तों में परिवर्तन किया जाना हो और परिवर्तन विशेष प्रस्ताव द्वारा किया गया हो तो उसे ऐक्ट की धारा १६२ के अंतर्गत रजिस्ट्रार के सामने दाखिल किया जाना चाहिये।

मेमोरंडम में ऐसा परिवर्तन तभी सम्भव होता है जब आर्टिक्ल्स द्वारा इसकी अनुमति दी गई हो। यदि आर्टिक्ल्स इस विषय पर मूक हों तो मेमोरंडम में परिवर्तन करने से पहले आर्टिक्ल्स में इसका उपबंध करना जरूरी होता है।

ममोरन्डम या आर्टिकल्स में परिवर्तन का प्रभाव (Effect of alteration in memorandum or articles)—किसी कंपनी के मेमोरंडम या आर्टिक्ल्स में किसी बात के होते हुये भी, कंपनी का कोई सदस्य, जिस तारीख को वह सदस्य हुआ था उसके बाद, मेमोरंडम या आर्टि-क्ल्स में किये गये परिवर्तनों से बद्ध नहीं होगा, यदि तथा जहाँ तक परिवर्तन उसे, जिस तारीख को परिवर्तन किया गया था उस तारीख को उसके पास जितने शेयर थे उससे अधिक शेयर लेने या सब्सक्राइब करने के लिये या किसी प्रकार उस तारीख पर होने वाले उसके दायित्व में वृद्धि करने के लिये, या शेयर कैपिटल में अंशदान करने या कंपनी को अन्यथा धन देने के लिये अपेक्षित करता हो। लेकिन यह बात तब नहीं लागू होगी (क) यदि विशिष्ट परिवर्तन किये जाने के पहिले या बाद में सदस्य परिवर्तन से बद्ध होने के लिये लिखित रूप से अपनी संमति देता है, या (ख) ऐसी सूरत में जब कि कंपनी कोई क्लब हो या कंपनी कोई अन्य संस्था हो और परिवर्तन द्वारा यह अपेक्षित हो कि सदस्य अधिक दर पर आवर्ती (रेकरिंग) या नियतकालिक चन्दा या चार्जेज दें, भले ही वह परिवर्तन द्वारा बद्ध होने के लिये लिखित संमति नहीं देता (धारा ३८)।

खैराती प्रयोजनों के लिए असोसिएशन (Association for charitable purposes)—जहाँ केन्द्रीय सरकार के संतोषानुसार यह सिद्ध किया जाय कि (क) कोई संस्था सीमित कंपनी के रूप में स्थापित की जाने वाली है जिसका उद्देश्य वाणिज्य, कला, विज्ञान, धर्म, खैरात या किसी अन्य लाभकारी उद्देश्य को

बढ़ावा देना है, तथा (ख) उसका इरादा अपने लाभ को, यदि कोई हो, या अन्य आय को अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करना है तथा अपने सदस्यों को किसी प्रकार के डिविडेन्ड का भुगतान निषिद्ध करना है, तो केन्द्रीय सरकार, लाइसेन्स द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि उस संस्था को, उसके नाम के साथ शब्द "लिमिटेड" या "प्राइवेट" जोड़े बिना, सीमित दायित्व सहित एक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड कर लिया जाय। [धारा २५ (१)]

ऐसी संस्था के लिए केन्द्रीय सरकार को लाइसेन्स के लिए आवेदन-पत्र देना जरूरी है। लाइसेन्स प्राप्त करने के बाद ही उसे उक्त रूप से रजिस्टर्ड किया जा सकता है।

ऐसे रजिस्ट्रेशन पर ऐसी संस्था सभी विशेषाधिकारों का उपभोग कर सकती है तथा सीमित कंपनियों के आभारों के अधीन होगी।

धारा २५ (१) में उल्लिखित किस्म की किसी अन्य कंपनी को भी, लाइसेन्स द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष प्रस्ताव द्वारा अपने नाम में से शब्द "लिमिटेड" या "प्राइवेट लिमिटेड" निकाल देने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है। [धारा २५ (३)]

केन्द्रीय सरकार, ऐसी शर्तों पर तथा ऐसे विनियमों के अधीन, जैसा वह उचित समझे, लाइसेन्स प्रदान कर सकती है, तथा ये शर्तें तथा विनियम लाइसेन्स दिये जाने वाले निकाय पर बन्धनकारी होंगी। [धारा २५ (५)]

ऐक्ट के उपबन्धों से विमुक्ति (Exemption from the provisions of the Act)—इस प्रकार लाइसेन्स दी गयी निकाय के लिए अपने नाम के साथ शब्द "लिमिटेड" या "प्राइवेट लिमिटेड" इस्तेमाल करना जरूरी न होगा, और, जब तक आर्टिकल्स द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो, ऐसी निकाय, यदि केन्द्रीय सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निदेश देती है तो निदेश में दी गयी सीमा तक ऐक्ट के ऐसे उपबंधों से विमुक्त होगी जैसा कि उसमें उल्लिखित किया गया है।

लाइसेन्स का विखन्डन (Revocation of licence)—केन्द्रीय सरकार किसी भी समय लाइसेन्स को विखण्डित कर सकती है। ऐसा किए जाने पर रजिस्ट्रार निकाय के रजिस्टर्ड नाम के अन्त में शब्द 'लिमिटेड' या 'प्राइवेट लिमिटेड' जोड़ेगा, और निकाय को दी गयी उपरोक्त विमुक्ति समाप्त हो जाएगी। ऐसे लाइसेन्स को विखण्डित करने से पहिले, केन्द्रीय सरकार अपने इस इरादे की लिखित

सूचना निकाय को देगी और उसे विखण्डन के विरुद्ध आपत्ति करने के लिए अवसर प्रदान करेगी। [धारा २५ (७)]।

आर्टिकल्स आफ असोसियेशन—आर्टिक्ल्स आफ असोसियेशन कंपनी के अंदरूनी प्रबंध के नियम होते हैं और ये मेमोरन्डम आफ असोसियेशन के अधीन होते हैं, और यदि आर्टिक्ल्स का कोई खंड मेमोरन्डम से भिन्न होता है तो यह उस सीमा तक अप्रवर्तनीय होता है। [Ashbury *v.* Watson, (1885) 30 Ch. D. 376] मेमोरन्डम आफ असोसियेशन में परिभाषित किसी उद्देश्य का विस्तार आर्टिक्ल्स आफ असोसियेशन द्वारा नहीं किया जा सकता।

आर्टिक्ल्स आफ असोसियेशन कंपनी तथा उसके सदस्यों को उसी सीमा तक बद्ध करते हैं मानो प्रत्येक सदस्य ने उसे हस्ताक्षरित तथा समुद्रित किया हो।

आर्टिक्ल्स मेमोरन्डम के अधीन होते हैं। मेमोरन्डम कंपनी का चार्टर होता है और उसकी शक्तियों तथा परिसीमनों (Limitations) को परिभाषित करता है। मेमोरन्डम में दी गई शक्तियों से परे किया गया कोई कर्त्तव्य शक्ति के परे (*ultra vires*) होता है और पूर्णतः शून्य तथा अनुसमर्थन के लिये अक्षम होता है।

मेमोरन्डम उस क्षेत्र को परिभाषित करता है जिसके बाहर कंपनी नहीं जा सकती, लेकिन इस क्षेत्र के भीतर कम्पनी के प्रबन्ध के लिये आर्टिक्ल्स विनियम निर्धारित कर सकते हैं।

धारा ३१ के अन्तर्गत कम्पनी मेमोरन्डम में निर्धारित शर्तों तथा ऐक्ट के उपबन्धों के अधीन विशेष प्रस्ताव द्वारा आर्टिक्ल्स में परिवर्तन कर सकती है।

धारा २८ निर्धारित करती है कि शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी के आर्टिक्ल्स आफ असोसियेशन द्वारा अनुसूची १ की सारिणी 'ए' में दिये गये सभी या किन्हीं विनियमों को अपनाया जा सकता है।

ममोरन्डम तथा आर्टिकल्स आफ असोसियेशन के बीच सम्बन्ध—मेमोरंडम तथा आर्टिक्ल्स आफ असोसियेशन दो प्रमुख दस्तावेज होते हैं जिनसे सीमित कंपनी का संघटन तथा उसके कार्य-क्षेत्र का निर्धारण होता है। दोनों एक दूसरे के लिये अनुपूरक हैं। जहाँ मेमोरंडम, जिन उद्देश्य या उद्देश्यों के लिये कंपनी बनाई जाती है उसके सहित कंपनी के निगमन की शर्तों को परिभाषित तथा निर्धारित करता है, वहाँ आर्टिक्ल्स आफ असोसियेशन उन साधनों तथा तरीकों को निर्धारित करता है जिनकी सहायता से कंपनी उन शर्तों की पूर्ति तथा उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहती है।

Railway Company के केस में Cairns, L. C. ने निर्धारित किया है कि आर्टिक्ल्स मेमोरंडम के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ये मेमोरंडम को कंपनी के चार्टर के रूप में स्वीकार करते हैं और इस प्रकार स्वीकार करते हुये गवर्निङ्ग बाडी के कर्तव्यों, अधिकारों तथा शक्तियों इत्यादि को परिभाषित करते हैं।

आर्टिक्ल्स कंपनी तथा उसके सदस्यों के बीच संविदा स्थापित करते हैं और सदस्यों के आपसी संबंध को भी नियमित करते हैं। चूँकि आर्टिक्ल्स किसी बाहरी व्यक्ति के साथ कोई संविदा नहीं होते, वे आगन्तुकों को कोई लाभ नहीं प्रदान करते। आर्टिक्ल्स को किसी अन्य व्यक्ति, जो विक्रेता हो, तथा कंपनी के बीच संविदा नहीं माना जा सकता। कंपनी अपने आर्टिक्ल्स द्वारा किसी बाहरी व्यक्ति के प्रति बद्ध नहीं होती, बल्कि शेयरहोल्डरों के प्रति बद्ध होती है। आर्टिक्ल्स में इस कथन का कि कोई व्यक्ति कंपनी का सेक्रेट्री, मैनेजर या अन्य अधिकारी होगा, यह अर्थ नहीं होगा कि उसके साथ कोई संविदा हुई थी; लेकिन जहाँ आर्टिक्ल्स के आधार पर कंपनी डयरेक्ट्रों की नियुक्ति करती है और वे उस पद को स्वीकार कर लेते हैं, तो आर्टिक्ल्स की शर्तों से कंपनी तथा डायरेक्ट्रों के बीच उपलक्षित रूप से एक संविदा होती है। आर्टिक्ल्स में प्रमोटर के पक्ष में इस उपबंध से भी कि वह आकस्मिक खर्चों का भुगतान करेगा प्रोमोटर को कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा।

मेमोरन्डम आफ असोसिएशन तथा आर्टिक्ल्स आफ असोसिएशन के बीच परस्पर विभेदों को बताते हुए Lo.d Justice Bowen ने Guinness *v.* Sand Corporation of Ireland (1882) Ch. D. 349 में कहा है कि—

"The memorandum contains fundamental principles upon which alone the company is allowed to be incorporated. They are conditions introduced for the benefit of the creditors and the outside public as well as the shareholders. The articles are internal regulations of the company."

चूँकि मेमोरंडम कंपनी का मूल तथा आधारभूत चार्टर होता है, ऐक्ट में उपबन्धों द्वारा उनमें परिवर्तन करने में कंपनी के अधिकारों को कड़ाई से परिसीमित किया गया है। परिवर्तन विशेष प्रस्ताव द्वारा ही किया जा सकता है और कोर्ट द्वारा इसकी पुष्टि जरूरी है ; आर्टिक्ल्स को किसी समय भी विशेष प्रस्ताव द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, बशर्ते कि किया गया परिवर्तन मेमोरंडम के उपबन्धों के प्रतिकूल न हो।

मेमोरंडम उस क्षेत्र को परिभाषित करता है जिसके बाहर कंपनी नहीं जा सकती, लेकिन इस क्षेत्र के भीतर आर्टिक्ल्स द्वारा कंपनी के प्रबन्ध के लिये विनियम निर्धारित किए जा सकते हैं ;

मेमोरंडम कंपनी तथा बाहरी संसार के बीच होने वाले व्यवहारों को परिभाषित करता है; और आर्टिक्ल्स आफ असोसिएशन कंपनी तथा सदस्यों के बीच एक संविदा स्थापित करते हैं तथा सदस्यों के आपसी अधिकारों को नियमित करते हैं।

विनियमों को उपस्थापित करने वाले आर्टिक्ल्स (Articles presenting regulations)—धारा २६ यह निर्धारित करती है कि शेयरों द्वारा सीमित लोक कम्पनी की सूरत में मेमोरंडम के साथ, मेमोरंडम के सब्सक्राइबर्स द्वारा हस्ताक्षरित एक आर्टिक्ल्स आफ असोसिएशन को भी रजिस्टर्ड किया जा सकेगा जिसके द्वारा कंपनी के विनियमों को निर्धारित किया जाएगा। असीमित कंपनी या प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी या शेयरों द्वारा सीमित प्राइवेट कंपनी की सूरत में उक्त आर्टिक्ल्स आफ असोसिएशन को अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड किया जायेगा। [धारा २६]।

आर्टिक्ल्स का प्रारूप तथा हस्ताक्षर (Form and signature of articles)—आर्टिक्ल्स (क) छपे (printed) होंगे। (ख) यह पैराग्राफों में विभाजित होना चाहिये। (ग) मेमोरंडम आफ असोसिएशन के प्रत्येक सब्सक्राइबर द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिये, जो अपना पूरा पता, वर्णन तथा पेशा देंगे। यह हस्ताक्षर कम से कम एक गवाह की मौजूदगी में किया जाना चाहिये जो उसी प्रकार अपना हस्ताक्षर, पता इत्यादि लिखेंगे। [धारा ३०]।

विशेष प्रस्ताव द्वारा आर्टिक्ल्स में परिवर्तन (Alteration of articles by special resolution)—ऐक्ट के उपबन्धों तथा मेमोरंडम में दी हुई शर्तों के अधीन कोई कम्पनी विशेष प्रस्ताव पारित करके आर्टिक्ल्स में परिवर्तित कर सकती है, लेकिन यदि धारा ३१ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत आर्टिक्ल्स में किये गये परिवर्तन का प्रभाव किसी लोक कंपनी को प्राइवेट कंपनी के रूप में परिवर्तन करना है तो ऐसा परिवर्तित तब तक प्रभावकारी नहीं होगा जब तक कि उसे केन्द्रीय सरकार ने अनुमोदित न कर दिया हो। [धारा ३१ (१)]

"The power", said Mr. Lindley M. R., "thus conferred on corporations to alter the regulations is limited only by the provisions contained in the company's memorandum of association."

इसका प्रयोग पूर्णतः कंपनी के लाभ के लिये किया जाना चाहिये और इसका अतिरेक नहीं होना चाहिये। ये शर्तें हमेशा उपलक्षित होती हैं और शायद ही कभी अभिव्यक्त की जाती हैं। [Allen *v.* Gold Reep of West Africa (1900) 1 Ch. 656]।

इस प्रकार किया गया परिवर्तन वैध होगा मानों यह शुरू से ही आर्टिक्ल्स में रहा हो, और इसे भी उसी प्रकार विशेष प्रस्ताव द्वारा आगे परिवर्तित किया जा सकता है। [धारा ३१ (२)]।

जहाँ कोई परिवर्तन, जैसे का उल्लेख उपधारा (१) के परन्तुक में किया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर लिया गया है, वहाँ ऐसे अनुमोदन की तारीख से एक माह के भीतर परिवर्तित आर्टिक्ल्स की एक मुद्रित प्रतिलिपि कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल की जायेगी। (धारा ३१ (२–ए))।

परिवर्तन पर परिसीमन (Limitation on Alteration)— यदि विशेष प्रस्ताव नहीं पारित किया जाता तो आर्टिक्ल्स का परिवर्तन वैध नहीं होगा।

परिवर्तनों में कोई अवैध या ऐक्ट या लोक नीति के प्रतिकूल बात नहीं होनी चाहिये ।

ऐसे आर्टिक्ल्स को ग्रहण किया जा सकता है जिसे मूल आर्टिक्ल्स में वैधतापूर्वक शामिल किया जा सकता था, लेकिन परिवर्तन को कंपनी के पूर्ण लाभ के लिये तथा सद्भावनापूर्वक किया गया होना चाहिये। (British Equitable Assurance Co. *v.* Bailey (1906) A. C. 35, 42)।

आर्टिक्ल्स को सद्भाव सहित परिवर्तित किया जाना चाहिये न कि अधिकांश शेयरहोल्डरों को कोई अनुचित लाभ प्रदान करने के लिये। [Neal *v.* City of Birmingham Tramways (1910) 2 Ch. 464]।

परिवर्तन से अल्पसंख्यकों पर कोई कपट नहीं गठित होना चाहिये।

परिवर्तन से मेमोरन्डम द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिये।

इससे मेमोरन्डम में कोई संघर्ष या किसी कानूनी उपबन्ध या विधि के सिद्धान्त का अतिलंघन नहीं होना चाहिये।

परिवर्तन कंपनी के पूर्ण लाभ के लिये होना चाहिये। परिवर्तन से किसी बाहरी व्यक्ति के साथ हुई संविदा नहीं भंग होनी चाहिये।

रजिस्ट्रेशन तथा निगमन

मेमोरन्डम तथा आर्टिक्ल्स का रजिस्ट्रेशन—किसी कंपनी के मेमोरंडम या आर्टिक्ल्स आफ असोसियेशन को करार सहित, यदि कोई हो, जो कंपनी किसी व्यक्ति, फर्म या निगम निकाय के साथ मैनेजिंग एजेन्ट की नियुक्ति, या किसी फर्म या निगम निकाय के साथ सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स के रूप में नियुक्ति किये जाने के संबंध में करने का इरादा करती हो, जिस राज्य में उसका रजिस्टर्ड कर्यालय स्थित है उस राज्य के रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्री के लिये पेश किया जाना चाहिये। इसके साथ भारत में प्रेक्टिस करने वाले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा, या आर्टिक्ल्स में कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स; मैनेजर या सेक्रेट्री के रूप में नामित व्यक्ति द्वारा इस बात की एक घोषणा रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल की जायेगी कि ऐक्ट तथा उसमें अन्तर्गत नियमों द्वारा अपेक्षित सारी बातों का पालन किया गया है। रजिस्ट्रार ऐसी घोषणा को ऐसे पालन का साक्ष्य मानेगा। मेमोरंडम तथा / या आर्टिक्ल्स की रजिस्ट्री करते समय रजिस्ट्रार को न्यायिक कल्प तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार के कृत्य करने होते हैं और यदि कोई मेमोरन्डम ऐक्ट के उपबन्धों का पालन नहीं करता या जहाँ उद्देश्य अत्यन्त स्पष्ट हो या अवैध हो वहाँ उसे उन्हें रजिस्टर नहीं करना चाहिए। यदि रजिस्ट्रार इस बात से सन्तुष्ट हो जाय कि उपरोक्त सभी अपेक्षित बातों का पालन किया गया है और यह ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किये जाने के लिये प्राधिकृत है तो वह मेमोरंडम को रख लेगा और मेमोरंडम, आर्टिक्ल्स, यदि कोई हों, तथा उपरोक्त करार की, यदि कोई हो, रजिस्ट्रार करेगा। [धारा ३३]।

मेमोरन्डम तथा आर्टिक्ल्स पर समुचित स्टाम्प ड्यूटी तथा आवश्यक रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान भी किया जाना चाहिये।

निगमन का प्रमाण-पत्र (Certificate of incorporation)—कंपनी के रजिस्ट्रेशन पर, रजिस्ट्रार अपने हाथ से प्रमाणित करेगा कि कंपनी निगमित हो गयी है और सीमित कंपनी की सूरत में यह भी प्रमाणित करेगा कि कंपनी सीमित है। रजिस्ट्रेशन का यह प्रभाव होता है कि निगमन के प्रमाण-पत्र में दी हुयी निगमन की तारीख से, मेमोरंडम के सब्सक्राइबर्स तथा अन्य व्यक्ति, जो समय-समय पर कंपनी के सदस्य हों, मेमोरंडम में दिये गए नाम में एक निगम निकाय होंगे। यह निकाय जो अस्तित्वशील होती है उसको गठित करने वाले सदस्यों से बिलकुल भिन्न होती है। मेमोरंडम में दिये गये नाम में यह निगम निकाय एक निगमित कंपनी के सभी कृत्यों का निष्पादन कर सकती है, और इसका एक कामन सील तथा शाश्वत

उत्तराधिकार होता है, लेकिन कंपनी के समापन की सूरत में कंपनी की परिसम्पत् में अंशदान करने का सदस्यों का दायित्व उतना ही होता है जितना कि ऐक्ट में उल्लिखित है। [धारा ३४]। ऐसी निगमित कंपनी अपने निकाय के नाम में वाद ला सकती है तथा उसके विरुद्ध उसके निकाय के नाम में ही वाद लाया जा सकता है।

व्यापार का आरम्भ (Comme cement of Business)—निगमित हो जाने पर प्राइवेट कंपनी व्यापार आरम्भ करने तथा ऋण लेने के अधिकार का प्रयोग करने की हकदार हो जाती है, भले ही न्यूनतम सब्सक्रिप्शन की सीमा तक शेयरों का एलाटमेन्ट न किया गया हो। [धारा १४६ (७)], लेकिन, शेयर कैपिटल वाली अन्य कम्पनियाँ धारा १४६ में उल्लिखित शर्तों के कड़ाईपूर्वक पालन के बाद ही, जिसका उल्लेख आगे के अध्याय में किया गया है, व्यापार आरम्भ तथा ऋण लेने के अधिकार का प्रयोग कर सकती है।

निगमन के पूर्व संविदा (Contract before incorporation)—अस्तित्वशील होने से पहिले उसकी ओर से किये गये किसी संविदा से कंपनी बद्ध नहीं होती, और न ही अपनी स्थापना के बाद वह ऐसी संविदा को अनुसमर्थित कर सकती है। लेकिन, यदि किसी पक्षकार ने कंपनी के फायदे के लिये कोई करार किया है तो कतिपय परिस्थितियों में सविदा करने वाला पक्षकार उक्त करारों के सिलसिले में कंपनी का न्यासधारी हो सकता है और उपरोक्त उपबन्ध इसमें रुकावट नहीं पैदा कर सकते। [Wearne Brothers, Ltd. *v.* Russa Engineering Works (1928) 7 Rangoon 144 (P. C.]।

लेकिन, यथोल्लिखित अनुतोष अधिनियम, १९६३ की धारा यह उपबन्ध करती है कि जबकि किसी कम्पनी के प्रमोटर्स ने उसके निगमन के पहिले कम्पनी के प्रयोजनों के लिए संविदा की है और ऐसी संविदा निगमन के निबंधनों द्वारा अधिदिष्ट (warranted) है, तब कम्पनी ऐसी संविदा का यथोल्लिखित पालन (specific performance) करा सकती है। इसी ऐक्ट की धारा १६ यह उपबन्ध भी करती है कि जबकि किसी कम्पनी के प्रमोटर्स ने उसके निगमन के पहिले कम्पनी के प्रयोजनार्थ कोई संविदा की है और ऐसी संविदा निगमन के निबन्धनों द्वारा अधिदिष्ट (warranted) है, तब कंपनी के खिलाफ उसका यथोल्लिखित पालन कराया जा सकता है, परन्तु यह तब जबकि कंपनी ने संविदा को अनुसमथित और अङ्गीकृत कर लिया हो और इस स्वीकृति की सूचना संविदा के अन्य पक्षकार को दे दी गयी हो।

निगमन के प्रमाण-पत्र की निश्चायकता (Conclusiveness of certificate of incorporation)—किसी संस्था के सिलसिले में रजिस्ट्रार द्वारा प्रदत्त निगमन के प्रमाण-पत्र को इस बात का निश्चायक (conclusive) साक्ष्य माना जायगा कि रजिस्ट्रेशन तथा सभी पूर्वगामी तथा प्रासंगिक मामलों के सिलसिले में ऐक्ट द्वारा अपेक्षित सारी बातों का पालन किया गया है और संस्था एक कंपनी है और रजिस्टर्ड होने के लिए प्राधिकृत है तथा ऐक्ट के अन्तर्गत यथाविधि रजिस्टर्ड है। [धारा ३५]।

मेमोरन्डम तथा आर्टिक्ल्स के रजिस्ट्रेशन का प्रभाव (Effect of registration of memorandum and articles)—रजिस्टर्ड हो जाने पर मेमोरन्डम तथा आर्टिक्ल्स कम्पनी तथा उसके सदस्यों को उसी सीमा तक बद्ध करते हैं मानो उन पर कम्पनी तथा प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो और उनमें उसके तथा उनके तरफ से प्रसंविदाएं की गयी हों कि वे मेमोरन्डम तथा आर्टिक्ल्स के सभी उपबन्धों का पालन करेंगे।

किसी सदस्य द्वारा मेमोरन्डम या आर्टिक्ल्स के अन्तर्गत कम्पनी को देय धन उसके द्वारा कम्पनी को देय एक ऋण होगा। [धारा ३६]।

प्रलक्षित सूचना का सिद्धान्त (Doctrine of Constructive Notice)—जब कम्पनी के मेमोरन्डम तथा आर्टिक्ल्स की रजिस्ट्री हो जाती है तो वे एक लोक दस्तावेज का रूप धारण कर लेते हैं। धारा ६१० के अन्तर्गत जनता रजिस्ट्रार के कार्यालय में थोड़ी सी फीस देकर उनका मुआइना कर सकती है। इस अर्थ में ये लोक दस्तावेज होते हैं और किसी बाहरी व्यक्ति के बारे में, जो कम्पनी से व्यवहार करता है, यह माना जाएगा कि उसने मेमोरन्डम तथा आर्टिक्ल्स और कम्पनी के अन्य विनियमों की सूचना प्राप्त कर ली होगी। इसलिए, जिन लोगों को कम्पनी से व्यवहार करने का इरादा हो या जो उसके साथ व्यापार करते हैं उन्हें मेमोरन्डम तथा आर्टिक्ल्स मे दी हुई सारी बातों की सूचना द्वारा प्रभावित हुआ माना जाएगा।

इसलिए, यह माना जाता है कि किसी रजिस्टर्ड कम्पनी से व्यवहार करने वाले व्यक्ति को मेमोरन्डम तथा आर्टिक्ल्स में दी हुई सारी बातों की प्रलक्षित सूचना होती है, कानून की निगाह में माना जाएगा कि उसे न केवल कम्पनी की शक्ति की सूचना है, बल्कि डायरेक्टर की शक्ति तथा अन्य विनियमों द्वारा लागू किए गए परिसीमनों तथा निर्बन्धनों की भी सूचना है। इस प्रकार, जहाँ

यह उपबंधित हो कि बिल आफ एक्सचेन्ज पर दो डायरेक्टरों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और किसी व्यक्ति के पास केवल एक डायरेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित बिल है तो वह उसके भुगतान का दावा नहीं कर सकता।

प्रलक्षित सूचना के सिद्धान्त का अपवाद (Exception to the dotrine of Constructive notice)—प्रलक्षित सूचना के सिद्धान्त का एक अपवाद है। यह अपवाद आन्तरिक प्रबन्ध (Indoor Management) के सिद्धान्त या Royal British Bank *v.* Turquand में निर्धारित नियम के रूप में जाना जाता है। आन्तरिक प्रबन्ध के सिद्धान्त का यह अर्थ है कि कम्पनी के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को यह अनुमान करने का अधिकार होता है कि जहाँ तक कम्पनी की अन्दरूनी कार्यवाहियों का संबन्ध है उन्हें अभी तक नियमित रूप से किया गया है। इस केस के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि डारेक्टरों ने टरक्वेन्ड को एक बान्ड जारी किया था। डायरेक्टरों को विशेष प्रस्ताव द्वारा प्राधिकृत किये जाने के पश्चात ही बान्ड जारी करने की शक्ति थी। कहा यह गया था कि कोई प्रस्ताव नहीं पारित किया गया था। कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि टरक्वेन्ड बान्ड के आधार पर वाद लाने तथा यह अनुमान करने का हकदार था कि प्रस्ताव पारित किया गया था। इस केस में यह कहा गया था कि कम्पनी के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति रजिस्टर्ड दस्तावेजों को पढ़ने तथा यह देखने के लिये बद्ध होते हैं कि प्रस्तावित व्यवहार उससे असंगत तो नहीं है। वे इससे अधिक कुछ करने के लिए बद्ध नहीं होते। यह जरूरी नहीं है कि वे कम्पनी की आन्तरिक कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में पूछ-ताछ करें। संक्षेप में, बाहरी व्यक्ति यह पता लगाने के लिये बद्ध नहीं होता कि आवश्यक कदम उठाए गए हैं या नहीं। वह यह अनुमान करने का हकदार है कि डायरेक्टरों ने समुचित रूप से कार्य किया है। इसे Royal British Bank *v.* Turquand में निर्धारित नियम कहते हैं।

Mahony *v.* East Holyford Mining Company (L. R. 7 H. L. 869) में Lord Hatherly ने कहा था कि कम्पनी से व्यवहार करने वाला व्यक्ति—

"must be taken to have had knowledge from the articles of the directors and the modes in which the directors were to be appointed. But after that, when there are persons conducting the affairs of the company in a manner which appears to be perfectly consonant with the articles of association then those so dealing with them externally

are not to be affected by any irregularities which may take place in the internal management of the company. They are entitled to assume that, that of which only they can have knowledge, namely the external acts, are rightly done when those external acts purport to be performed in the mode in which they ought to be performed."

Lindley, L. J. ने कहा था कि—

"They (*i.e.* outsiders dealing with the company) must see whether according to the constitution of the company the directors could have the powers which they are purporting to exercise. Here the articles enabled the directors to give to the managing director all the powers of the directors except as to drawing, accepting or endorsing the bills of exchange and promissory notes. These persons dealing with him must look to the articles and see that the managing director might have power to do what he purports to do and that is enough for a person dealing with him *bona fide*. It is settled by a long string of authorities that where directors give a security which according to the articles they might have power to give, the person taking it is entitled to assume that they had the power." (Lindley, J. in *Bigger Staff* v. *Lowlets Wharf* (1896) 2 Ch. 93, quoted by Shankey, J. in *Dey* v. *Pullinger Engineering Co.* (1821) 1 K. B. 777).

रायल ब्रिटिश बैंक बनाम टरक्वेन्ड के सिद्धान्त का परिसीमन (Limitation)—टरक्वेन्ड के केस का नियम उन मामलों में नहीं लागू होगा जहाँ कोई व्यक्ति किसी कम्पनी की ओर से कोई ऐसा कार्य करता हो, जो उसके सामान्य शक्ति के दायरे के भीतर न हो तथा दस्तावेज एक जाली कागज हो। [Ruben *v* Great Fingale Co solidated (1906) A. C. 439)]

यह नियम उस सूरत में भी नहीं लागू होगा जहाँ इस नियम का फायदा उठाने का दावा करने वाले व्यक्तियों को अनियमितता का पता था। यह निर्धारित किया गया है कि इन निर्णयों का फायदा डायरेक्टर गण नहीं उठा सकते क्योंकि वे यह देखने के लिए बद्ध हैं कि कम्पनी के आन्तरिक विनियमों का रूप पालन किया गया है या नहीं और उन्हें बाहरी व्यक्तियों के स्तर पर नहीं रक्खा जा सकता [Howard *v.* Patent Ivory Manufacturing Co. 18Ch. D. 156]। अतएव, कम्पनी के प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी व्यक्ति उपरोक्त नियमों का फायदा उठाने के हकदार नहीं होते।

अन्त में, यदि कम्पनी का कोई अधिकारी कोई ऐसा कार्य करता है जो सामान्यतः उसके अधिकार के परे है, तो कम्पनी उसके कृत्यों के लिए केवल इसलिए बद्ध नहीं होती कि आर्टिकल्स द्वारा यह शक्ति प्रदत्त की गयी थी (जिसे वास्तव में इस्तेमाल नहीं किया गया था) जिससे कि डायरेक्टर अपनी शक्तियों को प्रत्यायुक्त कर सकता था, विशेषकर जब कि अन्य व्यक्ति ने आर्टिकल्स को पढ़ा नहीं था या उसने उस पर विश्वास नहीं किया था। [British-Thomson Housten & C . *v.* Federated European Bank Ltd. (1932) 2 K. B. 176]।

कंपनी की सदस्यता

[Membership of Company]

सदस्यता—कम्पनी के मेमोरन्डम के सब्सक्राइबर्स के विषय में यह माना जाएगा कि उन्होंने कम्पनी का सदस्य होना स्वीकार कर लिया है, और उसके रजिस्ट्रेशन पर उन्हें सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दर्ज किया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति जो लिखित रूप से कंपनी का सदस्य होने के लिए सहमत होता है और जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है कंपनी का सदस्य माना जाएगा [धारा ४१]।

सदस्यगण दो वर्गों में विभाजित हैं :—

(क) वे जो मेमोरन्डम के सब्सक्राइबर्स हैं, तथा (ख) जो सदस्य होने के लिए सहमत होते हैं और जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है।

उपरोक्त तरीकों के अतिरिक्त, कोई व्यक्ति किसी वर्तमान सदस्य द्वारा उसको हस्तांतरित किए गए शेयर द्वारा, या वर्तमान सदस्य की मृत्यु होने या अन्यथा अवतरण (Devolution) द्वारा, या किसी आकस्मिकता के घटने पर किसी अन्य के पक्ष में शेयरों में पारेषण (Transmission) द्वारा या किसी कोर्ट की डिक्री या आदेश द्वारा भी कंपनी का सदस्य हो सकता है।

मेमोरंडम का सब्सक्राइबर उतने शेयर लेने के आभार के अधीन होता है जितना लेने के लिए उसने मेमोरंडम में हस्ताक्षर किया था और रजिस्ट्रेशन हो जाने पर उसका नाम रजिस्ट्रर में रख दिया जाता है। उसके लिये एलाटमेन्ट जरूरी नहीं होता। जो व्यक्ति सदस्य होने के लिये सहमत होते हैं वे तभी सदस्य होते हैं जब उनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है। यह एक पूर्वभावी शर्त (Condition precedent) है। शेयर लेने की संविदा को उसके तथा कंपनी

के बीच परस्पर सहमति से विखंडित किया जा सकता है। लेकिन, सब्सक्राइबर्स की सूरत में उनके दायित्व को विखंडित नहीं किया जा सकता। यह ऐसी संविदा होती है जिसका अस्तित्व ही संविदा करने वाले पक्षकारों में से एक के रूप में निगम के सर्जन का आधार होता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इनके लिये एलाटमेन्ट जरूरी नहीं होता। कंपनी के समापन की सूरत में ऐसे सब्सक्राइबर्स अपना नाम अंशदाताओं की सूची में रक्खे जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, भले ही उनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज न किया गया हो।

कम्पनी का कौन सदस्य हो सकता है—किसी कंपनी का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति के लिये ऐक्ट कोई निर्योग्यता नहीं निर्धारित करता। चूँकि सदस्यता में विधि की अदालत में प्रवर्तनीय एक करार अन्तर्ग्रस्त होता है, भारतीय संविदा अधिनियम, १८७२ के उपबन्ध संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्तियों को लागू होंगे। तदनुसार, कोई नाबालिग या पागल व्यक्ति कंपनी का सदस्य होने के लिए कोई संविदा नहीं कर सकता। भारत में नाबालिग संविदा करने के लिए सक्षम नहीं होता। महोरी बीबी बनाम धर्मोदास, (१९०३) ३० कलकत्ता ५३९ (पी० सी०)] परिणामस्वरूप, यदि नाबालिग लड़के या लड़की के संरक्षक के रूप में पिता द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पर कंपनी नाबालिग के नाम में शेयर जारी कर देती है तो यह संव्यवहार आरम्भतः शून्य होगा, और नाबालिग का पिता, जिसने आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर किया है, के विषय में यह नहीं माना जाएगा कि उसने शेयरों के लिये हस्ताक्षर किया है या वह कंपनी के समापन की सूरत में अंशदाता था।

इसके अतिरिक्त, ऐक्ट की धारा ४२ (१) के अन्तर्गत कोई कंपनी अपनी सूत्रधारी कंपनी का सदस्य नहीं हो सकती और किसी कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनी को अपने शेयरों का एलाटमेन्ट या हस्तांतरण शून्य होगा। लेकिन, यह उपबन्ध वहाँ नहीं लागू होगा जहाँ सहायक कंपनी बहैसियत सूत्रधारी कंपनी के मृतक सदस्य के वैधिक प्रतिनिधि से सम्बद्ध हो या जहाँ सहायक कंपनी बहैसियत न्यासधारी सम्बद्ध हो, जब तक कि सूत्रधारी कंपनी या उसकी सहायक कंपनी व्यापार के सामान्य क्रम में, जिसमें ऋण देना शामिल है, किए गये संव्यवहार के लिए प्रतिभूति के अन्यथा न्यास में हितबद्ध हो।

फिर, ऐक्ट की धारा १५३ के अन्तर्गत सदस्यों के रजिस्टर में किसी न्यास की सूचना नहीं दर्ज की जाएगी। इस उपबन्ध का यह प्रभाव है कि न्यासधारी का नाम रजिस्टर में केवल शेयरहोल्डर के रूप में दर्ज किया जाएगा; न कि हितग्राही का

जोकि वास्तविक स्वामी है । लेकिन, धारा १५३-ए के अन्तर्गत, न्यासधारी, न्यास के रूप में धारण किये गये शेयरों के रूप में, निर्धारित समय के भीतर लोक या सार्वजनिक न्यास के पक्ष में घोषणा करेगा । यह घोषणा उन सूरतों में जरूरी नहीं है—(क) जहाँ न्यास की उत्पत्ति लिखित दस्तावेज द्वारा नहीं की जाती, या (ख) यदि न्यास की उत्पत्ति लिखित दस्तावेज द्वारा की जाती है तो भी, न्यास के रूप में धारण किये गये शेयरों का मूल्य (१) एक लाख रूपये से अधिक नहीं है, या (२) एक लाख रुपये से अधिक लेकिन पाँच लाख से अधिक या कंपनी के दत्त शेयर कैपिटल के २५ प्रतिशत से अधिक नहीं है, जो भी कम हो ।

कुछ सूरतों में प्राइवेट कम्पनी का लोक कम्पनी होना

(Private Compa .y to b come public company in certain cases)—(१) जहाँ शेयर कैपिटल वाली प्राइवेट कंपनी के दत्त शेयर कैपिटल का कम से कम पच्चीस प्रतिशत एक या अधिक निगम निकायों द्वारा धारित होता है, वहाँ ऐसी प्राइवेट कंपनी (क) उस तारीख पर तथा से जिस तारीख पर उपरोक्त प्रतिशत ऐसे निगम निकाय द्वारा प्रथम बार धारण किया गया है, या (ख) जहाँ उपरोक्त प्रतिशत कंपनीज (एमेन्डमेन्ट) एक्ट, १९६० के लागू होने से पूर्व प्रथम बार धारण किया गया हो, ऐक्ट लागू होने के तीन माह की अवधि की समाप्ति पर तथा से, जब तक कि इस अवधि के भीतर उक्त प्रतिशत पच्चीस से कम न हो गया हो, एक लोक कंपनी हो जाएगी ।

प्राइवेट कंपनी द्वारा इस प्रकार लोक कंपनी का रूप धारण कर लिए जाने पर भी, उसके आर्टिक्ल्स आफ असोसिशएन में धारा ३ की उप-धारा (१) के खंड (३) में उल्लिखित मामलों से संबंधित उपबन्ध शामिल हो सकते हैं तथा उसके सदस्यों की संख्या को किसी भी समय सात से कम किया जा सकता है ।

इस प्रकार इस धारा के अन्तर्गत लोक कंपनी का रूप धारण करने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर, प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रार को सूचित करेगी कि वह उपरोक्त ढंग से लोक कंपनी का रूप धारण कर चुकी है । इस पर, रजिस्ट्रार कंपनी के नाम में से शब्द "लिमिटेट" के पहिले शब्द "प्राइवेट" को निकाल देगा और इसी प्रकार कंपनी के निगमन के प्रमाण-पत्र तथा मेमोरंडम आफ असोसिएशन में आवश्यक सुधार कर देगा ।

इस प्रकार लोक कंपनी का रूप धारण करने वाली प्राइवेट कंपनी तब तक लोक कंपनी के रूप में कार्य करती रहेगी, जब तक कि केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन

सहित तथा इस ऐक्ट के उपबन्धों के अनुसार वह फिर एक प्राइवेट कंपनी का रूप न धारण कर ले।

यदि कोई कंपनी उपरोक्त अपेक्षित बातों का पालन करने में चूक करती है, तो कंपनी तथा चूक करने वाला उसका प्रत्येक अधिकारी, जुर्माना द्वारा दण्डित किया जा सकेगा, जो चूक के दौरान में ५००) रू० प्रति दिन के दर से हो सकता है।

यह धारा, अर्थात् धारा ४३-क, निम्नलिखित को नहीं लागू होगा—

(क) प्राइवेट कंपनी जिसका समस्त दत्त शेयर कैपिटल किसी एकल प्राइवेट कंपनी या भारत के बाहर निगमित किसी एक अधिक निगम निकायों द्वारा धारित है; या

(कक) प्राइवेट कंपनी जिसके शेयर भारत के बाहर निगमित एक या अधिक निगम निकायों द्वारा धारित हैं, जो या उनमें से प्रत्येक, यदि वे भारत में निगमित होतीं, ऐक्ट के अर्थान्तर्गत एक प्राइवेट कंपनी होतीं, यदि केन्द्रीय सरकार, उस प्राइवेट कंपनी द्वारा उसकी दी गयी दरखास्त पर, आदेश द्वारा ऐसा निदेश देती है [कम्पनीज (एमेन्डमेन्ट) एक्ट, १९६५ द्वारा अन्तर्निविष्ट (inserted)], या

(ख) कोई अन्य प्राइवेट कंपनी, यदि निम्नलिखित प्रत्येक शर्त की पूर्ति होती है, अर्थात्—

(१) कि प्राइवेट कंपनी में शेयर धारण करने वाली निगम निकाय या प्रत्येक निगम निकाय स्वयं एक प्राइवेट कंपनी हो (अत्र पश्चात शेयर होल्डिंग कंपनी के रूप में उल्लिखित);

(२) कि ऐसे शेयर होल्डिंग कंपनी में कोई निगम निकाय कोई शेयर नहीं धारण करती;

(३) कि शेयर होल्डिंग कंपनी, या जैसी भी सूरत हो, वैयक्तिक शेयर होल्डर्स जिनमें धारा ३ के उप-धारा (१) के खंड (३) के उपखंड (ख) में उल्लिखित व्यक्ति शामिल नहीं हैं] के साथ सभी शेयर होल्डिंग कंपनियों के समस्त शेयर होल्डरों की संख्या पचास से अधिक नहीं है।

शेयर कैपिटल वाली प्रत्येक प्राइवेट कंपनी, धारा १६१ की उप-धारा (२) में उल्लिखित प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त, वार्षिक रिटर्न के साथ, रिटर्न के दोनों

हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर पर, एक दूसरा रिटर्न भी रजिस्टर के समक्ष दाखिल करेगी, जिसमें निम्नलिखित दो बातों में से एक का उल्लेख होगा—

(१) कि वार्षिक जनरल मीटिंग की तारीख के बाद, जिसके संदर्भ में अंतिम रिटर्न दाखिल किया गया था, या प्रथम रिटर्न की सूरत में प्राइवेट कंपनी के निगमन की तारीख के बाद, किसी निकाय या निगम निकायों ने उसके शेयर कैपिटल के २५ प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं धारण किये थे या किये हैं, या

(२) कि यद्यपि उक्त तारीख के बाद एक या अधिक निगम निकायों ने उसके कैपिटल का २५ प्रतिशत या अधिक शेयर धारण कर रक्खा है, इस धारा के उपबन्ध उसे नहीं लागू होते क्योंकि वह पीछे उल्लेख किये गये खंड (क) तथा (ख) में वर्णित दो प्रकार की प्राइवेट कंपनियों में से कोई भी नहीं है। [धारा ४३-क]।

प्राइवेट कम्पनी का लोक कम्पनी के रूप में परिवर्तित होना तथा प्राइवेट कम्पनी न रह जाने पर प्राइवेट द्वारा प्रास्पेक्टस के स्थान पर प्रास्पेक्टस या स्टेटमेन्ट दाखिल किया जाना (Conversion of a private company into a public company and filing of prospectus or statement in lieu of prospectus by company on ceasing to be a private company)—यदि कोई प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स को इस प्रकार परिवर्तित करे कि वे अब (१) अपने शेयरों को हस्तांतरित करने के अधिकार को निर्बन्धित नहीं करते, (२) सदस्यों की संख्या ५० तक परिसीमित नहीं करते, तथा (३) शेयरों में धन लगाने के लिए जनता को आमन्त्रित करने से वर्जित नहीं करते, तो वह परिवर्तन की तारीख से प्राइवेट कंपनी नहीं रह जाएगी, और वह इस तारीख से १४ दिन के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष प्रास्पेक्टस के स्थान पर एक प्रास्पेक्टस या स्टेटमेन्ट दाखिल करेगी। [धारा ४४ (१)]।

उपरोक्त के अनुसार, अर्थात् धारा ४४ (१) के अन्तर्गत, दाखिल किए गए प्रास्पेक्टस में वे सभी बातें दी जायेंगी जिन्हें अनुसूची २ के भाग १ के विवरणानुसार प्रास्पेक्टस में उल्लिखित करना होता है और साथ-साथ अनुसूची २ के भाग २ में अपेक्षित रिपोर्टों को दाखिल करना होता है।

प्रास्पेक्टस के स्थान पर दाखिल किये जाने वाले स्टेटमेंट में अनुसूची ४ के

भाग १ में दिये गये विवरणों तथा इसी अनुसूची के भाग २ में उल्लिखित रिपोर्टों को भी देना होता है। (धारा ४४ (२))।

सदस्यों की वैधिक न्यूनतम संख्या में कमी (Reduction of number of members below the legal minimum)—यदि किसी समय पब्लिक कंपनी के सदस्यों की संख्या साठ से कम हो जाय या प्राइवेट कंपनी के सदस्यों की संख्या दो से कम हो जाय और इस प्रकार कम हुये सदस्यों सहित कम्पनी ६ महीने से अधिक समय तक अपना कारोबार करती रहती है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो इस ६ माह की अवधि के बाद कम्पनी का सदस्य रहता है और उसे इस बात का ज्ञान रहता है कि कम्पनी सात या दो से कम सदस्यों सहित कारोबार कर रही है, तो इस अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा समय-समय पर लिये गये या संवेदित (Contracted) ऋणों के लिये प्रत्येक सदस्य पृथकतः जिम्मेदार होगा तथा उनके विरुद्ध पृथक पृथक दावा दायर किया जा सकेगा। (धारा ४५)।

जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो कम्पनी के किसी सदस्य या ऋणदाता को कम्पनी के समापन के लिये दरखास्त देने की स्वतन्त्रता होगी।

कम्पनी द्वारा अपने नाम में धन लगाना (विनियोजन) (Investments of a company in its name)—कम्पनी द्वारा या उसकी ओर से किये गये सभी विनियोजन उसके द्वारा अपने नाम में किए तथा धारण किये जाएँगे। यह उपबन्ध ऐसी कम्पनी द्वारा किये गये विनियोजनों को नहीं लागू होगा जिसका प्रमुख कारोबार शेयरों तथा सिक्योरिटियों का क्रय तथा विक्रय है।

कंपनी अपने नोमिनी या नोमिनीज के नाम अपनी सब्सीडियरी में यह सुरक्षित करने के लिये कितने ही शेयर धारण कर सकती है कि सब्सिडियरी के सदस्यों की संख्या जहाँ वह पब्लिक कंपनी हो सात से कम तथा जहाँ प्राइवेट कम्पनी हो दो से कम न हो जाय। (धारा ४६)।

कम्पनी की मुहर—जहाँ आर्टिकलस आफ असोसिएशन द्वारा भारत के बाहर किये जाने वाले संव्यवहार के सिलसिले में भारत के बाहर एक आफिशियल सील का प्रयोग प्राधिकृत किया गया हो, वहाँ एक आफिशियल सील, जो कम्पनी के कामन सील की अनुलिपि (facsimile seal) होगी, का प्रयोग किया जायेगा, जिसमें उस क्षेत्र का नाम, जिले तथा स्थान का नाम भी लिखा होगा। भारत के

बाहर निष्पादित होने वाले दस्तावेजों पर इस सील का प्रयोग अपनी सील के अन्तर्गत कंपनी द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति ही कर सकेगा। (धारा ५०)

कागजात की तामील (Service of Documents,—कंपनी या उसके किसी अधिकारी पर किसी कागज की तामील कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के पते पर सर्टीफिकेट आफ पोस्टिंग सहित या रजिस्ट्री डाक द्वारा भेज कर या उसके रजिस्टर्ड कार्यालय पर देकर किया जा सकता है। (धारा ५१)। रजिस्ट्रार पर किसी कागज को तामील करने की भी यही प्रक्रिया है। (धारा ५२)

कंपनी द्वारा किसी सदस्य पर किसी कागज की तामील या तो स्वयं उसे देकर या उसके रजिस्टर्ड पते, या यदि भारत में उसका कोई रजिस्टर्ड पता नहीं है तो भारत के भीतर नोटिसों के तामील के लिये सदस्य द्वारा दिये गये पते पर डाक द्वारा भेज कर की जा सकती है।

भाग ३

अध्याय ४

[धाराएँ ५५–८१, १४६]

प्रास्पेक्टस, प्रमोटर्स तथा एलाटमेंट

और

शेयर तथा डिबेन्चर जारी किये जाने के सिलसिले में अन्य सम्बंधित मामले

[Prospectus, Promoters and Allotment and other matters relating to issue of shares and debentures].

कंपनी के निर्माण के सिलसिले में उठाये जाने वाले कदमों का उल्लेख पीछे के पृष्ठों में किया जा चुका है। कम्पनी निगमित हो जाने मात्र से व्यापार शुरू करने तथा ऋण लेने की शक्ति का प्रयोग करने के लिये हकदार नहीं हो जाती, जब तक कि यह एक प्राइवेट कम्पनी न हो। लोक कम्पनी की सूरत में व्यापार शुरू करने से पहले उसे कुछ अन्य अपेक्षित बातों का पालन करना होता है। लोक कम्पनी के लिये प्रास्पेक्टस के स्थान पर या तो प्रास्पेक्टस या स्टेटमेंट उस राज्य के रजिस्ट्रार के सामने दाखिल करना होता है जिस राज्य में उसका रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित हो, और उसके बाद धारा १४६ द्वारा अपेक्षित बातों के पालन के विषय में निर्धारित घोषणा दाखिल करना होता है जिसका उल्लेख आगे किया गया है। यदि प्रास्पेक्टस तथा घोषणा ठीक हो तो रजिस्ट्रार व्यापार जारी करने के लिये एक प्रमाण-पत्र जारी कर देगा जो इस बात का निश्चायक प्रमाण होता है कि कंपनी व्यापार शुरू करने के लिये हकदार है।

प्रास्पेक्टस—निबन्धन "प्रास्पेक्टस" को पीछे विभिन्न निबन्धनों की परिभाषा के दौरान समझाया गया है। इसका अर्थ है वह दस्तावेज, जिसे बतौर प्रास्पेक्टस वर्णित या जारी किया गया है और इसमें कोई नोटिस, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य दस्तावेज भी शामिल है जिसके द्वारा जनता को किसी निगम निकाय को अभिदान (subscription) देने या उसके शेयरों या डिबेन्चर्स में धन लगाने के लिये आमन्त्रित किया गया हो। (धारा २ (३६))।

प्रास्पेक्टस को इंग्लिश लॉ में इन शब्दों में परिभाषित किया गया है—

"Any prospectus, notice, circular, advertisement, or other invitation, offering to the public for subscription or purchase any shares or debentures of a Company."

प्रास्पेक्टस में दिये जाने वाले विवरण अनुसूची २ में दिये गये हैं और इसमें भाग १ तथा भाग २ में दी गई रिपोर्ट अवश्य दी जानी चाहिये।

नये ऐक्ट में इस संबंध में एक अतिरिक्त अपेक्षा "issued generally" लागू कर दी गई है, जिसका अर्थ है इसे सामान्यतः जारी किया जाता है, इस बात के भेद बगैर कि जिन व्यक्तियों को सम्बोधित करते हुए इसे जारी किया गया है वे कंपनी के वर्तमान सदस्य या डिबेंचर-होल्डर हों अथवा न हों। [धारा २ (२२)]।

कम्पनी द्वारा जनता को शेयरों की पेशकश करना (Offering of Shares to the Public)—प्रास्पेक्टस की परिभाषा के अनुसार यह जरूरी नहीं है कि इसमें जनता को शेयरों तथा डिबेन्चरों में धन लगाने के लिये पेशकश की गई हो। शब्द "पब्लिक" का पहिले अनेकों अर्थ लगाया जाता था, क्योंकि इसे पहिले के ऐक्ट में परिभाषित नहीं किया गया था। (Lord Sumner) ने कहा है कि—

"The word "public" is of course a general word. No particular numbers are prescribed. Anything from two to infinity may serve: perhaps even one, if he is intended to be the first of a series of subscribers but makes further proceedings needless by himself subscribing the whole. The point is that the offer is such as to be open to any one who brings his money and applies in due form whether the prospectus was addressed to him on hehalf of the company or not. A private communication is not thus open." [*Nast* v. *Lynde* (1929) A. C. 158, 169].

इसलिए, जनता को पेशकश का अर्थ है कम्पनी द्वारा किसी को भी किया गया पेशकश जो उसके शेयर लेना चाहें।

निबन्धन 'पब्लिक' को अब विस्तृत अर्थ प्रदान किया गया है। अब किसी कम्पनी के लिये लोक निर्गमन (Public issue) के बिना कोई शेयर या डिबेंचर जारी करना सम्भव नहीं होगा। धारा ६७ के अन्तर्गत, ऐक्ट के अन्तर्गत किसी उपबन्ध के अधीन, जनता को शेयर या डिबेंचर्स के लिये किये गये पेशकश के सिलसिले में यह समझा जायेगा कि इसमें जनता के किसी वर्ग को किया गया पेशकश शामिल

है, चाहे संबंधित कंपनी के सदस्य या डिबेंचर-होल्डर्स के रूप में चुने गये या प्रोस्पेक्टस जारी करने वाले व्यक्ति के क्लॉइन्ट के रूप में या किसी अन्य रूप में। इसी प्रकार जनता को शेयर या डिबेंचर्स के प्रति सब्सक्राइब करने के लिये किये गये आमन्त्रण के सिलसिले में उपर्युक्त रूप से अधीन, यह समझा जायेगा कि इसमें जनता के किसी वर्ग को किया गया आमन्त्रण शामिल है, चाहे संबंधित कंपनी के सदस्य या डिबेंचर-होल्डर्स के रूप में चुने गये या प्रास्पेक्टस जारी करने वाले व्यक्ति के क्लॉइन्ट के रूप में या किसी अन्य रूप में।

किसी पेशकश या आमन्त्रण को जनता के प्रति किया गया नहीं माना जायेगा, यदि समस्त परिस्थितियों में, ऐसे पेशकश या आमन्त्रण के विषय में यह समझा जाय कि—

(क) इससे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, शेयर्स या डिबेंचर्स पेशकश या आमन्त्रण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के अलावा अन्यथा अन्य व्यक्तियों को नहीं प्राप्त होंगे ; या

(ख) यह अन्यथा पेशकश या आमंत्रण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के बीच एक घरेलू मामला है। [धारा ६७ (३)]।

जनता को शेयर्स जारी किये जाने के सिलसिले में खास बात यह है कि आमंत्रण ऐसा होना चाहिये जिससे कि जनता में का कोई भी व्यक्ति जो चाहे उसके प्रति सब्सक्राइब कर सके। प्रास्पेक्टस पर केवल "गोपनीय" या "केवल प्राइवेट सरक्यूलेशन के लिये" लिख देने मात्र से यह नहीं माना जायेगा कि यह जनता के नाम आमन्त्रण नहीं है, यदि अन्यथा ऐसा है।

प्रास्पेक्टस का दिनांकन—किसी कम्पनी द्वारा या किसी कम्पनी की ओर से या किसी प्रस्तावित कम्पनी के संबंध में जारी किए गए प्रास्पेक्टस को दिनांकित किया जाएगा, और उस दिनांक के विषय में, जब तक कि प्रतिकूल प्रमाणित न किया जाय, यह माना जाएगा कि वह प्रास्पेक्टस के प्रकाशन की तिथि है।

प्रास्पेक्टस में दी जाने वाली बातें तथा रिपोर्ट—(क) किसी कम्पनी द्वारा या किसी कम्पनी की तरफ से, या (ख) किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति की ओर से, जो किसी कम्पनी के निर्माण में लगा है या हितबद्ध है या रहा है, जारी किए गए प्रास्पेक्टस में अनुसूची २ के भाग १ में उल्लिखित बातें तथा भाग २ में उल्लिखित रिपोर्टें दी जायेंगी तथा उक्त भाग (१) तथा (२) उक्त अनुसूची के भाग (३) में दिए गए उपबन्धों के अधीन प्रभावकारी होंगे। [धारा ५६ (१)]।

प्रास्पेक्टस की विषय-सूची

(CONTENTS OF PROSPECTUS)

अनुसूची (२) के भाग १ में उल्लिखित बातें, जिन्हें प्रास्पेक्टस में देना होता है, संक्षेप में निम्नलिखित हैं:—

१. (क) कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य, मेमोरन्डम पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम, पते, वर्णन तथा पेशे तथा उनके द्वारा सब्सक्राइब किए गए शेयरों की संख्या।

(ख) शेयरों की संख्या तथा उनके वर्ग तथा कम्पनी की सम्पत्ति तथा लाभ में होल्डरों द्वारा धारित हित की प्रकृति तथा उसका विस्तार।

(ग) जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित मोच्य (redeemable) प्रिफ्रेन्स शेयरों की संख्या तथा मोचन की तारीख तथा मोचन का प्रस्तावित तरीका।

२. डायरेक्टर होने के लिए आर्टिक्लस द्वारा निश्चित आवश्यक शेयरों की संख्या तथा डायरेक्टरों के पारिश्रमिक के विषय में आर्टिक्लस में कोई उपबन्ध।

३. डायरेक्टरों, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स तथा मैनेजर के नाम, पते तथा पेशे।

४. यदि निगम निकाय हो तो मैनेजिंग एजेन्ट या सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स का सब्सक्राइब्ड कैपिटल।

५. जहां जनता को सब्सक्रिप्शन के लिए शेयरों की पेशकश की जाती है, उस न्यूनतम राशि का विवरण जो डायरेक्टरों या मेमोरन्डम पर हस्ताक्षर करने वालों के विचार में, यथाविधि जाँच के पश्चात्, शेयरों को जारी करके (क) क्रय की गयी या क्रय की जाने वाली सम्पत्ति के लिए धन का प्रबन्ध करने के लिए, (ख) कम्पनी द्वारा प्रारम्भिक खर्चे के रूप में देय रकम के भुगतान के लिए, (ग) शेयरों को सब्सक्राइब करने के लिए सहमत होने के प्रतिफलार्थ किसी व्यक्ति को देय कमीशन के भुगतान के लिए, (घ) किसी धन की वापसी के लिए जो कम्पनी ने उधार लिया हो, (ङ) वर्किङ्ग कैपिटल के लिए, तथा (च) किसी अन्य खर्चे की अनुमानित राशि के लिए, उगाहा जाना चाहिए।

६. सब्सक्रिप्शन लिस्ट खुलने का समय

७. प्रत्येक शेयर के आवेदन-पत्र तथा एलाटमेन्ट पर देय राशि।

८. किसी संविदा या व्यवस्था या प्रस्तावित संविदा या व्यवस्था का संक्षेप।

९. उन शेयरों तथा डिबेन्चरों की संख्या, वर्णन तथा राशि जिन्हें पिछले दो वर्षों के भीतर नगद के अन्यथा बतौर पूर्ण या आंशिक रूप से दत्त कैपिटल के रूप में जारी किया गया हो।

१०. प्रत्येक शेयर पर भुगतान किया गया या देय प्रीमियम के रूप में राशि जिसे प्रास्पेक्टस की तारीख से दो वर्षों के भीतर जारी किया गया हो।

११. जहां शेयरों या डिबेन्चरों का जारी किया जाना अधोलिखित (under-wr te) किया जाता है, अधोलेखकों का नाम, तथा डायरेक्टरों का यह मत कि अधोलेखकों के साधन अपने आभारों के पालन के लिए पर्याप्त हैं।

१२. विक्रेताओं के नाम, पते, वर्णन तथा पेशे तथा उनको नगद, शेयरों या डिबेन्चरों के इत्यादि के रूप में भुगतान की गई राशि।

१३. शेयरों या डिबेन्चरों के प्रति सब्सक्राइब करने या सब्सक्राइब करने के लिए सहमत होने वाले व्यक्ति को पिछले दो वर्षों के भीतर भुगतान की गई या देय कमीशन की राशि जिसमें किसी सब-अन्डर राईटर को भुगतान की गई या देय रकम भी शामिल है जो कम्पनी का प्रमोटर या अधिकारी है)।

१४. प्रारम्भिक खर्चों की प्राक्कलित (estimated) राशि। [इसमें प्रास्पेक्टस को तैयार करने, उसकी छपाई, सरक्यूलेशन तथा विज्ञापन का खर्च तथा मेमोरन्डम और आर्टिक्लस आफ असोसिएशन की तैयारी तथा छपाई और फीस, स्टाम्प तथा रजिस्ट्री का खर्च शामिल है। यदि आर्टिक्लस में इसके भुगतान का उपबन्ध हो भी और वाद में कम्पनी इसका भुगतान करने से इन्कार करती है, तो प्रमोटर इन खर्चों को वसूल नहीं कर सकता।] [Rotherham Alum Chemical Co. (1883) 25 Ch. D. 103]।

१५. पिछले दो वर्षों के भीतर किसी प्रमोटर या अधिकारी को भुगतान की गई या दी गयी फायदे की राशि तथा फायदे के भुगतान या दिये जाने के लिये प्रतिफल।

१६. मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्री तथा ट्रेजरार्स या मैनेजर की नियुक्ति या पारिश्रमिक निश्चित करने वाली प्रत्येक संविदा, जब भी की गई हो, की तिथियाँ, पक्षकार, तथा उसकी सामान्य प्रकृति का विवरण।

१७. कंपनी के आडिटरों, यदि कोई हों, के नाम तथा पते।

१८. (क) कंपनी के प्रमोशन; या (ख) प्रास्पेक्टस की तारीख के दो वर्ष के भीतर कंपनी द्वारा अर्जित की गई या की जाने वाली संपत्ति में प्रत्येक डायरेक्टर या प्रमोटर के हित, यदि कोई हैं, की प्रकृति तथा विस्तार का पूर्ण विवरण।

१९. कंपनी की मीटिंग में शेयरहोल्डरों के विभिन्न वर्गों द्वारा मतदान के अधिकार तथा कैपिटल तथा डिविडेन्ड के सिलसिले में उनके अधिकार।

२०. कंपनी की मीटिंग में उपस्थित होने, बोलने या मत देने या शेयर हस्तांतरित करने के सिलसिले में कंपनी के सदस्यों पर कोई रोक, यदि कोई हो।

२१. कारोबार कर रही कंपनी की सूरत में, जितने दिनों से कंपनी का कारोबार किया जा रहा है उसकी अवधि।

२२. यदि कंपनी या उसमें सब्सीडियरीज के किसी रिजर्व या प्राफिट्स को पूंजीकृत (Capitalise) किया गया है तो पूंजीकरण का विवरण।

२३. वह युक्तिसंगत समय तथा स्थान जहाँ सभी बैलेन्स-शीट तथा लाभ-हानि के लेखों, यदि कोई हों, जिनपर, इस अनुसूची के भाग २ के अन्तर्गत, आडिटरों की रिपोर्ट आधारित है, का मुआइना किया जा सकता हो।

अनुसूची के भाग २ में उल्लिखित रिपोर्टें, जिन्हें प्रास्पेक्टस के साथ लगाना होता है। निम्न प्रकार है :—

२४. कंपनी के आडिटरों द्वारा इन बातों की रिपोर्ट (क) लाभ तथा हानि तथा परिसंपत तथा दायित्वों; तथा (ख) प्रास्पेक्टस जारी किये जाने के प्रत्येक पिछले पांच वर्षों के भीतर कंपनी के सदस्यों को भुगतान किए गए डिविडेन्डस की दरें, और जहाँ इस अवधि में शेयरहोल्डरों के किसी वर्ग को कोई डिविडेन्ड नहीं दिया गया है, ऐसे वर्ग का विवरण।

२५. प्रास्पेक्टस जारी किए जाने की तारीख के तुरन्त पहिले प्रत्येक पांच वर्ष के कारोबार के लाभ तथा हानि तथा शेयर या डिबेन्चरों को जारी किए जाने से होने वाले लाभ में से क्रय के लिए प्रस्तावित संपत्ति पर अकाउटेन्टों द्वारा की गयी रिपोर्ट।

२६. यदि शेयरों या डिबेन्चर्स जारी किए जाने से होने वाले आगम, या आगम के किसी भाग को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है या किया जाना है कि इसका परिणाम किसी प्रकार कम्पनी द्वारा किसी निगम निकाय में शेयर्स अर्जित करना हो, तो प्रास्पेक्टस जारी किए जाने से ठीक पहले प्रत्येक पाँच वित्तीय वर्षों के लिए उस अन्य निगम निकाय के लाभ तथा हानि; तथा लेखा तैयार किए जाने की अन्तिम तिथि तक इस अन्य निगम निकाय की परिसम्पतों तथा दात्वयों के विषय में अकाउन्टेन्टों द्वारा दी गई रिपोर्ट। जिन्होंने प्रास्पेक्टस में नामजद किया जाएगा)।

शेयरो के अर्जन इत्यादि के सिलसिले में पररूपधारण (Personation)—धारा ६८ ए (कम्पनीज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट १६६५ द्वारा जोड़ा गया] यह भी निर्धारित करती है कि कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक प्रास्पेक्टस तथा शेयर्स के लिए प्रत्येक आवेदन के प्रत्येक फार्म पर जो कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति को जारी किए जाँय प्रमुख रूप से तथा स्पष्ट रूप से लिख दिया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो (क) कंपनी के किन्हीं शेयर्स को अर्जित करने के लिए झूठे नाम में आवेदन-पत्र देता है, या (ख) अन्यथा कंपनी को किसी शेयर या शेयर के हस्तांतरण को उसके नाम में, या किसी अन्य व्यक्ति के झूठे नाम में एलाट करने या रजिस्टर करने के लिए प्रलोभित करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकती है, दंडित किया जाएगा।

धारा ५६ द्वारा अपेक्षित बातों के पालन के अधित्याग की शर्त शून्य होगी (Condition waiving of compliance of requirements of S. 56 void)—किसी कंपनी के शेयर या डिबेन्चर्स के लिए आवेदन-कर्त्ता को बाधित करने वाली या उससे यह अपेक्षा करने वाली शर्त कि वह धारा ५६ द्वारा अपेक्षित किसी बात के पालन का अधित्याग करे या यदि ऐसी शर्त से प्रास्पेक्टस में न उल्लिखित किसी संविदा, दस्तावेज या बात की नोटिस का प्रभाव उस पर पड़ता हो तो ऐसी शर्त शून्य होगी।

किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेन्चर्स के लिए कोई व्यक्ति कोई आवेदन-पत्र का फार्म नहीं जारी करेगा, जब तक कि उसके साथ प्रास्पेक्टस की एक ऐसी प्रति संलग्न न हो जो धारा ५६ द्वारा अपेक्षित बातों का पालन करती हो।

बशर्ते कि उपरोक्त उपबन्ध नहीं लागू होंगे यदि यह दिखाया जाय कि आवेदन-पत्र का फार्म या तो—

(क) किसी व्यक्ति को सद्भावी आमन्त्रण के सिलसिले में जारी किया था जिससे कि वह शेयर्स या डिबेन्चर्स के सिलसिले में अंडरराइटिंग की संविदा कर सके; या

(ख) या ऐसे शेयर्स या डिबेन्चर्स के संबंध में जारी किया गया था जिनके लिए जनता से कोई पेशकश नहीं की गई थी।

यदि कोई व्यक्ति धारा ५६ के उपबन्धों के प्रतिकूल कोई कार्य करता है तो वह जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है, दंडित किया जाएगा।

उत्तरदायित्व से विमुक्ति—प्रास्पेक्टस के संबंध में उपरोक्त उपबन्धों के अपालन के सिलसिले में उत्तरदायित्वों के कुछ अपवादों का उपबन्ध धारा ५६ की

न-धारा (४) द्वारा किया गया है। यह उप-धारा यह निर्धारित करती है कि स्पेक्टस के लिए जिम्मेदार डायरेक्टर या अन्य व्यक्ति उत्तरदायित्व से बच सकता यदि वह साबित कर दे कि (क) जहाँ तक उन बातों का संबंध है जिन्हें प्रकट हीं किया गया, उसे उनका ज्ञान नहीं था, या (ख) अपालन या उल्लंघन उसकी ओर हुई ईमानदारीपूर्ण तथ्य की भूल के फलस्वरूप हुआ था, या (ग) जिन बातों को कट नहीं किया गया था वे गैरजरूरी थीं, या ऐसी थीं, जिन्हें, कोर्ट के मतानुसार, ामले के परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माफ कर दिया जाना चाहिए, बशर्ते क कोई डायरेक्टर या अन्य व्यक्ति, जब तक कि प्रकट किये गये मामलों का ज्ञान से न रहा हो, प्रास्पेक्टस में अनुसूची २ के खण्ड १८ में उल्लिखित बातों को ामिल करने में चूक करने के फलस्वरूप उत्तरदायी नहीं होगा।

यदि किसी सामान्य कानून या इस धारा के अतिरिक्त इस ऐक्ट के अन्तर्गत ोई व्यक्ति किसी बात के लिए उत्तरदायी होता है, तो धारा ५६ की कोई बात ऐसे त्तरदायित्व को सीमित या कम नहीं करेगी।

विशेषज्ञ गण—प्रास्पेक्टसों में प्रधान बातें अक्सर हितबद्ध विशेषज्ञों के कथन तथा मत पर आधारित होती हैं। धारा ५७ द्वारा अपेक्षित है कि किसी कंपनी े शेयर्स या डिबेन्चर्स को सब्सक्राइब करने के लिए आमन्त्रित करने वाले प्रास्पेक्टस ें केवल ऐसे विशेषज्ञ का कथन शामिल किया जाना चाहिये जो कंपनी के निर्माण, मोशन या प्रबन्ध में लगा या हितबद्ध न हो। [धारा ५७]।

उपरोक्त उपबन्धों द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कंपनी के प्रमोशन या प्रबन्ध से सम्बंधित है तो वह विशेषज्ञ के रूप में नहीं जाना जाना चाहिए। प्रास्पेक्टस जारी किए जाने के लिए लिखित वक्तव्य के रूप में विशेषज्ञ की सहमति अवश्य होनी चाहिये। [धारा ५८]। ऐसा विशेषज्ञ बतौर विशेषज्ञ दिए गए अपने कथन के अतिरिक्त प्रास्पेक्टस में किसी अन्य बात के लिये उत्तर-दायित्व नहीं ग्रहण करता। निबन्धन "विशेषज्ञ" (Expert) में इन्जीनियर, वैलूअर (Valuer), अकाउन्टेन्ट तथा कोई ऐसा अन्य व्यक्ति भी शामिल है जिसके पेशे के कारण उसके द्वारा दिए गए कथन को प्राधिकार प्राप्त होता है।

प्रास्पेक्टस की रजिस्ट्री—कोई प्रास्पेक्टस उस समय तक नहीं जारी किया जा सकता जब तक कि सारी औपचारिकताओं की पूर्ति न हो गयी हो और उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार के पास दाखिल नहीं कर दी जाती।

प्रत्येक प्रास्पेक्टस में प्रत्यक्ष रूप से (क) यह उल्लेख किया जायेगा कि उसकी एक प्रति रजिस्ट्रेशन के लिये डिलेवर कर दी गयी है, तथा (ख) यह उल्लिखित

किया जाएगा कि प्रास्पेक्टस के साथ क्या क्या कागजात संलग्न किये गये हैं। [धारा ६०]।

रजिस्ट्रार किसी प्रास्पेक्टस को उस समय तक रजिस्टर नहीं करेगा जब तक कि धाराओं ५५, ५६, ५७ तथा ५८ तथा धारा ६० की उप-धाराएँ (१) तथा (२) द्वारा अपेक्षित बातों का पालन न कर दिया गया हो, जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है, तथा प्रास्पेक्टस के साथ किसी व्यक्ति, यदि कोई हो, की लिखित सहमति संलग्न हो जिसका उल्लेख प्रास्पेक्टस में बतौर आडिटर्स, कानूनी सलाहकार, अटॉर्नी, सालीसिटर, कंपनी या प्रस्तावित कंपनी के बैंकर के रूप में किया गया हो, जिन्होंने उस कंपनी में कार्य करना स्वीकार किया हो। [धारा ६० (३)]।

रजिस्ट्रेशन के लिए प्रास्पेक्टस की प्रति डिलेवर किए जाने की तारीख से ६० दिन के बाद किसी प्रास्पेक्टस को नहीं जारी किया जाएगा। यदि किसी प्रास्पेक्टस को इस प्रकार जारी किया जाता है, तो ऐसे प्रास्पेक्टस के विषय में यह समझा जाएगा कि यह एक ऐसा प्रास्पेक्टस है जिसकी प्रति उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रार को नहीं डिलेवर की गयी है।

यदि किसी प्रास्पेक्टस को उसकी प्रति रजिस्ट्रार को डिलेवर किए बिना या यदि उसकी प्रति डिलेवर की जाती है लेकिन उस पर पृष्ठांकन या संलग्न कागजात का ब्योरा नहीं दिया गया है, जारी किया जाता है, तो कंपनी, तथा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी प्रकार प्रास्पेक्टस जारी किए जाने के सिलसिले में उसका पक्षकार है, जुर्माने द्वारा, जो ५,०००) रु० तक हो सकता है, दंडित किया जाएगा। [धारा ६०]।

प्रास्पेक्टस में उल्लेख किए गए संविदाओं की शर्तों में फेरफार (Variation of terms of contracts mentioned in the prospectus)—जनरल मीटिंग में कंपनी द्वारा प्रदान किए गए अधिकार या अनुमोदन के सिवाय, कोई कंपनी, किसी भी समय, प्रास्पेक्टस में उल्लेख किए गए संविदाओं की शर्तों में कोई फेरफार नहीं करेगी। [धारा ६१]।

असत्य कथन क्या है (What is untrue statement)—धारा ५६ दो प्रकार के असत्य कथनों का उल्लेख करती है जिन्हें प्रास्पेक्टस में शामिल किया जा सकता है, अर्थात् (क) किसी सारपूर्ण तथ्य का उल्लेख न करना जिससे धन लगाने वाले व्यक्ति पथभ्रष्ट हो सकते हों तथा (ख) ऐसे कथन को शामिल करना जो जिस संदर्भ तथा रूप में उसे इस्तेमाल किया गया है भ्रामक हो।

प्रास्पेक्टस में असत्य कथनों का दायित्व (Liability for untrue statements in prospectus)—प्रास्पेक्टस में कोई भ्रामक या असत्य कथन नहीं होना चाहिए और न ही किसी सारपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना चाहिए जिससे उसको पढ़ने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क पर कोई अनुचित प्रभाव पड़े और वह शेयरों का एलाटी होने में छला जाय। [Peak *v.* Gurney (1874) L. R. 6 H. L. 377]।

प्रास्पेक्टस को जारी करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उसमें दिए गए असत्य कथनों के लिए निम्न तीन प्रकार से ज़िमेदार हो सकते हैं :—

१. वे कपट या धोखा के आधार पर लाए गए वाद में हर्जाने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। यह उपाय सामान्य कानून के अन्तर्गत दुष्कृति (टार्ट) में उपबन्ध है।

२. जैसा कि ऐक्ट की धारा ६२ द्वारा उपबंधित है वे प्रास्पेक्टस में दिए गये असत्य कथनों के लिये सिविल दायित्व के लिये उत्तरदायी हो सकते हैं।

३. जैसा कि ऐक्ट की धारा ६३ द्वारा उपबन्धित है प्रास्पेक्टस में दिए गए असत्य कथनों के लिये क्रिमिनल दायित्व के लिये उत्तरदायी हो सकते हैं।

कोई कथन इसलिये भ्रामक हो सकता है कि प्रास्पेक्टस में कोई असत्य कथन दिया गया हो या उसमें सारपूर्ण तथ्यों को प्रकट न किया गया हो।

१. टार्ट के अन्तर्गत कपट के आधार पर की गयी कार्यवाही में हर्जाने के लिए दायित्व (Liability for damages in an action for deceit under Tort)—निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि किन बातों से मिथ्यानिरूपण (misrepresentation) गठित होता है। प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों के आधार पर निर्णीत करना होता है। Derry v. Peek (14 A. C. 337) में Herschell, J. ने कहा है कि कपट के आधार पर की गई कार्यवाही में कामयाबी के लिए कपट का प्रमाण होना जरूरी है और कपट तभी प्रमाणित होता है जब यह दिखाया जाय कि मिथ्यानिरूपण जानबूझ कर, या उसकी सत्यता में विश्वास के बिना, लापरवाहीपूर्वक यह समझे बिना कि यह सत्य या असत्य है, किया गया है। असत्य कथन कपटपूर्ण न होने के लिए, उसकी सत्यता में हमेशा विश्वास होना चाहिए। यदि कोई जानबूझ कर ऐसी बात कहता है जो असत्य है तो ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से कोई सत्य विश्वास नहीं है। अन्त में, यदि कपट प्रमाणित होता है तो दोषी व्यक्ति का क्या प्रयोजन (motive) था यह बात निरर्थक होती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस व्यक्ति से

कथन सम्बोधित किया गया है उसे धोखा देने या नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन, यह जरूरी है कि असत्य कथन एक सारपूर्ण तथ्य हो।

२. सिविल दायित्व (Civil Liability)—ऐक्ट की धारा ६२ यह निर्धारित करती है कि जहां प्रास्पेक्टस द्वारा कम्पनी के शेयरों या डिबेन्चरों में सब्सक्राइब करने के लिए जनता को आमन्त्रित किया गया हो वहां निम्नलिखित व्यक्ति प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को प्रास्पेक्टस में किसी असत्य बयान के कारण हुई हानि या क्षति के लिए प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी होंगे जिसने प्रास्पेक्टस के विश्वास पर शेयरों या डिबेन्चर्स में सब्सक्राइब किया हो, अर्थात्—

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो प्रास्पेक्टस जारी किए जाने के समय कम्पनी का डायरेक्टर है;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसने अपने को प्रास्पेक्टस में बतौर डायरेक्टर नामित किए जाने के लिए प्राधिकृत किया हो तथा जिसे नामित किया गया हो या जो तुरन्त या कुछ समय के अन्तराल के पश्चात् डायरेक्टर होने के लिए सहमत हुआ हो;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जो कम्पनी का प्रमोटर है; तथा

(घ) प्रत्येक व्यक्ति जिसने प्रास्पेक्टस को जारी किए जाने के लिए प्राधिकृत किया हो।

प्रास्पेक्टस को जारी किए जाने के लिए अपनी सहमति पृष्ठांकित करने वाला एक्सपर्ट उपरोक्त उपबन्धों के अन्तर्गत प्रास्पेक्टस में होने वाली किसी बात के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, सिवाय उस असत्य कथन के यदि कोई हो, जो एक्सपर्ट द्वारा दिया या किया गया अभिप्रेत हो।

दायित्व से विमुक्ति के लिए आधार (Grounds for exemption from liability)—उपरोक्त व्यक्तियों में से यदि कोई निम्नलिखित बातें प्रमाणित करता है तो वह उत्तरदायी नहीं होगा :—

(क) कि, कम्पनी का डायरेक्टर होने के प्रति सहमति देने के पश्चात्, प्रास्पेक्टस जारी किए जाने से पहले उसने अपनी सहमति वापस ले ली थी और प्रास्पेक्टस को उसकी सहमति तथा प्राधिकार के बिना जारी किया गया था;

(ख) कि, प्रास्पेक्टस को उसकी जानकारी तथा सहमति के बिना जारी किया गया था, और उसे जारी किए जाने की जानकारी होते ही उसने समुचित लोक-सूचना दी थी कि उसे उसकी जानकारी तथा सहमति के बिना जारी किया गया था;

(ग) कि, प्रास्पेक्टस के जारी होने तथा उसके अन्तर्गत एलाटमेन्ट के पहले, उसने, उसमें किसी असत्य कथन होने की जानकारी होते ही, प्रास्पेक्टस के प्रति अपनी सहमति वापस ले ली थी, वापसी की प्रति तथा उसके कारणों की समुचित लोक सूचना दी थी; या

(घ) कि

(१) प्रत्येक असत्य कथन के विषय में जो किसी एक्सपर्ट या किसी पब्लिक आफिशियल डाकूमेन्ट के आधार पर दिया गया अभिप्रेत नहीं था, उसे यह विश्वास करने का सुसंगत कारण था, तथा उसे शेयरों या डिबेन्चरों के एलाटमेन्ट के समय तक उसने विश्वास किया था कि उक्त कथन सत्य था; तथा

(२) प्रत्येक असत्य कथन के विषय में, जो किसी एक्सपर्ट द्वारा दिया गया कथन अभिप्रेत था, यह कथन सत्य तथा एक उचित निरूपण था, और उसे यह विश्वास करने का सुसंगत कारण था और प्रास्पेक्टस जारी किये जाने के समय उसने विश्वास किया था कि कथन देने वाला व्यक्ति उसे देने के लिये सक्षम था तथा उस व्यक्ति ने धारा ५८ द्वारा अपेक्षित प्रास्पेक्टस के जारी होने के लिये सहमति दी थी (अर्थात्, एक्सपर्ट द्वारा प्रास्पेक्टस जारी किये जाने के प्रति सहमति जिसमें उसका कथन था), और उसने रजिस्ट्रेशन के लिये प्रास्पेक्टस की प्रति दाखिल किये जाने से पहले, या प्रतिवादी की जानकारी में, उसके अन्तर्गत एलाटमेन्ट के पहले अपनी सहमति वापस नहीं ली थी; तथा

(३) प्रत्येक असत्य कथन के विषय में, जो किसी आफिशियल व्यक्ति द्वारा दिया गया था या किसी आफिसियल डाकूमेन्ट की प्रति या एक्स्ट्रैक्ट में अन्तर्विष्ट (contained) अभिप्रेत हो, यह कथन सत्य तथा एक उचित निरूपण था, या इस डाकूमेन्ट की सही प्रतिलिपि या सही तथा उचित एक्स्ट्रैक्ट था।

उपरोक्त सुरक्षा उस एक्सपर्ट को नहीं उपलब्ध होगी जिसने धारा ५८ के अन्तर्गत बतौर एक्सपर्ट के एक ऐसे असत्य कथन के प्रति अपनी सहमति प्रदान की थी जिसे उसने स्वयं दिया था।

एक्सपर्ट के दायित्व से विमुक्ति के लिए आधार (Grounds for exemption from liability of an expert)—कोई एक्सपर्ट, जिसने धारा ५८ के अन्तर्गत, उससे अपेक्षित सहमति ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रदान की है जिसने किसी असत्य कथन के सिलसिले में, जो किसी एक्सपर्ट द्वारा दिया गया अभिप्रेत हो, प्रास्पेक्टस का जारी किया जाना प्राधिकृत किया हो, यदि वह निम्नलिखित बातें साबित कर दे तो वह उत्तरदायी नहीं होगा:—

(क) कि, प्रास्पेक्टस जारी किये जाने के प्रति, धारा ५८ के अन्तर्गत, अपनी सहमति प्रदान करने के बाद, उसने रजिस्ट्रेशन के लिये प्रास्पेक्टस की प्रति दी जाने से पहले ही, वापस ले लिया था; या

(ख) कि, रजिस्ट्रेशन के लिये प्रास्पेक्टस की प्रति दी जाने के बाद तथा उसके एलाटमेंट के पहले, उसने, असत्य कथन की जानकारी होते ही, लिखित रूप से अपनी सहमति वापस ले ली थी और वापसी तथा उसके कारण की सुसंगत लोक सूचना दी थी ; या

(ग) कि वह उक्त बयान को देने के लिए सक्षम था तथा उसे यह विश्वास करने का सुसंगत कारण था, तथा शेयरों तथा डिबेंचरों के एलाटमेंट के समय तक उसने विश्वास किया था कि उक्त कथन सत्य था।

३ प्रास्पेक्टस में मिथ्या कथन के लिये क्रिमिनल दायित्व (Criminal liability for misstatement in prospectus)—जहाँ ऐक्ट को लागू होने के बाद जारी किये गये प्रास्पेक्टस में कोई असत्य कथन हो, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जिसने प्रास्पेक्टस जारी करने के लिये प्राधिकृत किया हो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, जो ५,००० रू० तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा, जब तक कि वह यह न प्रमाणित कर दे कि उक्त कथन अनावश्यक था या कि उसे यह विश्वास करने का युक्तिसंगत कारण था, और प्रास्पेक्टस जारी किए जाने के समय तक उसने विश्वास किया था कि उक्त कथन सत्य था।

कोई व्यक्ति उपरोक्त उपबन्धों के प्रयोजनार्थ केवल इस कारण प्रास्पेक्टस के जारी किये जाने को प्राधिकृत करने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा कि, (क) उसने धारा ५८ द्वारा अपेक्षित सहमति स्टेटमेंट में शामिल किये जाने के किये बतौर ऐक्सपर्ट दिया था, या (ख) उसने धारा ६० की उपधारा (३) द्वारा कम्पनी के किसी एक्सपर्ट, आडिटर, लीगल एडवाईजर, अटॉर्नी, सालिसिटर, बैंकर या ब्रोकर से अपेक्षित सहमति कथित रूप में कार्य करने के लिये दिया था।

धारा ६२८ के अन्तर्गत, यदि किसी प्रास्पेक्टस में कोई व्यक्ति ऐसा बयान देता है जो (क) जानबूझ कर किसी सारपूर्ण विवरणानुसार मिथ्या है, या (ख) जिसमें किसी सारपूर्ण तथ्य को जानबूझ कर सारपूर्ण समझते हुये भी छोड़ दिया गया है, तो वह व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है, तथा जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। इसलिये, जहाँ प्रास्पेक्टस में कई तथ्यों को छोड़ दिया गया, जिससे यदि उन्हें कहा गया होता तो कम्पनी की स्वस्थता तथा स्थायित्व के विषय में भ्रम न होता यह निर्धारित किया गया कि अभियुक्त को चौर्य (larceny) के लिये ही दण्डित किया गया था।

प्रास्पेक्टस में असत्य कथनों तथा लोपों के लिये उपलब्ध उपाय (Remedies for untrue statements or omissions in prospectus)—मिथ्या प्रास्पेक्टस जारी करने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ शेयरों के सब्सक्राईबर्स को निम्नलिखित उपाय उपलब्ध हैं :—

शेयर लेने की संविदा का विखण्डन (Recission of the contract to take shares)—यदि कोई व्यक्ति प्रास्पेक्टस में दिये गये किसी कथन के विश्वास पर शेयर लेता है और यह कथन असत्य है, तो वह संविदा के विखंडन की मांग कर सकता है और यह आवेदन कर सकता है कि उसका नाम रजिस्टर में से काट दिया जाय। लेकिन, वह तभी ऐसा कर सकता है जब वह यह प्रमाणित करे कि उक्त कथन एक मिथ्या कथन था, भले ही उसे निर्दोषितापूर्वक किया गया हो। उसे इसके लिये आवेदन युक्तिसंगत समय के भीतर तथा कम्पनी के समापन की कार्यवाही शुरू होने से पहले करना चाहिये। शेयरों को लेने की संविदा को अपने प्राधिकार के अन्तर्गत करने वाले कम्पनी के डायरेक्ट्रों या एजेन्टों के मिथ्या निरूपण के आधार पर, जो उनकी ओर से किया गया अभिप्रेत हो, भी विखंडित कराया जा सकता है।

२. मांग (Call) के लिए की गई कार्यवाही के प्रति मिथ्यानिरूपण या कपट का प्रतिवाद (Defence of misrepresentations or fraud to an action for call)—यदि कोई व्यक्ति धोखा दिए जाने या मिथ्यानिरूपण के आधार पर शेयर की रकम की माँग का पालन करने से इन्कार करता है और माँग के अभुगतान के कारण उसके शेयरों को जब्त कर लिया गया है, तो ऐसा व्यक्ति सामान्य ऋणी से भिन्न स्तर पर स्थित होता है और वह संविदा का अमानन कर सकता है और माँग के आधार पर उसके खिलाफ की गयी कार्यवाही में वह कपट का प्रतिवाद ले सकता है।

३. सदस्यों के रजिस्टर में सुधार तथा आनुषङ्गिक अनुतोष (Rectification of the register of members and consequential relief)—जहाँ किसी प्रास्पेक्टस में किसी व्यक्ति को उस पर कार्य करने के लिए प्रलोभित करने के लिए कोई मिथ्यानिरूपण होता है, और ऐसे निरूपण पर कार्य करने के परिणामस्वरूप कोई नुकसान होता है, तो शेयरों का एलाटी रजिस्टर में से अपना नाम निकाल दिये जाने की माँग कर सकता है तथा उन डायरेक्ट्रों तथा प्रमोटरों से हर्जाने की माँग कर सकता है जिन्होंने

प्रास्पेक्टस के जारी किये जाने के लिये प्राधिकृत किया था। मिथ्या कथन किसी तथ्य के विषय में न कि कानून के विषय में होना चाहिए।

४. कपट के लिए की गई कार्यवाही में हर्जाना (Damages in an action of deceit)—मिथ्या तथा भ्रामक प्रास्पेक्टस जारी करने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध एलाटी कपट के लिये वाद ला सकता है तथा हर्जाने का दावा कर सकता है। हर्जाना प्राप्त करने के लिये एलाटी को उसको हुई वास्तविक क्षति को प्रमाणित करना होता है प्रतिकर को, हुई क्षति के संदर्भ में प्राक्कलित करना चाहिए और उसे दंड नहीं समझना चाहिए।

५. कानूनी उपबन्धों के अन्तर्गत प्रास्पेक्टस में मिथ्या कथनों के लिए प्रतिकर (Compensation for misstatements in prospectus under the statutory provisions)—धारा ६२ के अन्तर्गत प्रास्पेक्टस में मिथ्या कथनों के लिये ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का सिविल दायित्व होता है (१) जो प्रास्पेक्टस के जारी किये जाने के समय कंपनी का डायरेक्टर है, या (२) जिसने अपने को डायरेक्टर के रूप में नामित किये जाने के लिए प्राधिकृत किया था और उसे प्रास्पेक्टस में बतौर डायरेक्टर नमित किया जाता है, (३) जो कंपनी का प्रमोटर है, तथा (४) जिसने प्रास्पेक्टस को जारी किये जाने के लिये प्राधिकृत किया था।

६. क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स—धारा ६३ में प्रास्पेक्टस में किये गये मिथ्या कथन के लिये क्रिमिनल दायित्व का उपबन्ध किया गया है तथा यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने प्रास्पेक्टस को जारी किये जाने के लिये प्राधिकृत किया था कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना, जो ५,००० रुपए तक का हो सकता है, या दोनों से, दण्डित किये जाने का भागी होगा। ऐक्ट की धारा ६२८ के अन्तर्गत भी प्रास्पेक्टस में मिथ्या कथन के लिये ऐसे ही दण्ड का प्राविधान है।

एक्ट की धारा ७१ के अन्तर्गत, एक्ट के उपबन्धों के प्रतिकूल किया गया एलाटमेन्ट कंपनी की कानूनी मीटिंग होने के दो माह के भीतर, बाद में नहीं, आवेदनकर्त्ता के अनुरोध पर शून्यकरणीय है। यह उपाय आवेदनकर्त्ता को कम्पनी के विरुद्ध उपलब्ध है। यदि कोई डायरेक्टर जानबूझ कर एलाटमेन्ट से संबंधित ऐक्ट के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो एलाटमेन्ट की तारीख से दो वर्ष के भीतर आवेदनकर्त्ता ऐसे डायरेक्टर से प्रतिकर वसूल कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, अनेकों मामलों में यह निर्धारित किया गया है कि सारपूर्ण तथ्य के अप्रकटन से एलाटी को संविदा विखंडित करने का

अधिकार नहीं प्राप्त होता, लेकिन वह हर्जाना, यदि चूक के कारण उसे हुआ, है, प्राप्त कर सकता है।

प्रमोटर—अब यहाँ प्रमोटर्स की स्थिति तथा उनके कर्त्तव्यों की चर्चा सुविधाजनक होगी। निबन्धन "प्रमोटर" अथवा प्रवर्तक को एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया है। यह एक विधि का निबन्धन नहीं है, बल्कि व्यापार का निबन्धन है। सामान्यतः, प्रमोटर वह व्यक्ति होता है जो कम्पनी को फ्लोट करता है। Whaley Bridge Calico Printing Co. *v.* Green (5 Q. B. D. 109) में Lord Justice Bowen ने निबन्धन "प्रमोटर" की परिभाषा करते हुये कहा है कि शब्द "प्रमोटर" कानून का निबन्धन नहीं था, बल्कि व्यापार का है जो उन विभिन्न व्यापारिक कार्यों का संकेत करता है जिनसे सामान्यतः एक कम्पनी अस्तित्वशील होती है।

Lindley ने अपनी "Treatise on Company" में "प्रमोटर" की परिभाषा करते हुये कहा है कि प्रमोटर वह व्यक्ति है जो कम्पनी को आस्तित्वशील करता है, अर्थात् उसके निर्माण में सक्रिय भाग लेकर या जैसे ही इसकी प्राविधिक रचना हो जाती है उसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों को एकत्रित करके।

Twycross *v.* Grant (2 C. P. D. 541) में Cockburn, C. J. ने 'प्रमोटर' को परिभाषित करते हुये कहा है कि प्रमोटर वह व्यक्ति है जो किसी एक उद्देश्य के संदर्भ में एक कम्पनी का निर्माण करने, उसे चलाने तथा उस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का जिम्मा लेता है।

संक्षेप में प्रमोटर उन व्यक्तियों को नामोद्दिष्ट (designate) करने का सुविधाजनक तरीका है जो उस मशीनरी को चालू करते हैं जिसके द्वारा ऐक्ट उन्हें एक निगमित कम्पनी का सर्जन करने में सहायता देता है।

कम्पनी के अस्तित्व के पहले बहुत-सी व्यवस्थाएँ करनी होती हैं तथा जनता से सम्पर्क स्थापित करना होता है जिससे कि वे कम्पनी को स्थापित करने में अपना आर्थिक योगदान दें। कम्पनी के लिए सम्पत्ति एकत्र करना, लाइसेन्स प्राप्त करना, छूट तथा पेटेन्ट इत्यादि पैदा करना, बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की स्थापना करना, ब्रोकर्स, बैंकर्स तथा सालिसिटर्स की सेवाएँ प्राप्त करना, मेमोरन्डम, आर्टिक्ल्स आफ असोसिएशन तथा प्रास्पेक्टस को तैयार करना, प्रास्पेक्टस को जारी करने में होने वाले खर्च का भुगतान करना, कम्पनी को रजिस्टर्ड कराना, व्यापार शुरू करने के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त करना, तथा कम्पनी को चलाने तथा उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के

सिलसिले में किए जाने वाले सभी आवश्यक कार्य प्रमोटर को करना होता है। प्रमोटर की कुशलता, प्रयास तथा श्रम से ही कम्पनी का जन्म होता है। कम्पनी में उसकी स्थिति अत्यन्त विश्वास तथा जिम्मेदारी की होती है और, इसलिए, कम्पनी से उसका एक विश्वासाश्रित संबंध होता है।

लेकिन, यह जरूरी नहीं है कि कम्पनी से संबंधित सभी व्यक्ति प्रमोटर ही हों। सलाहकार, मूल्यांकनकर्ता, एक्सपर्ट, सर्वेयर, अभियन्ता इत्यादि जैसे व्यक्ति प्रमोटर नहीं होते। प्रमोटर वह व्यक्ति है जो उस मशीनरी को चालू करता है जिससे एक्ट उन्हें एक निगमित कम्पनी का सर्जन करने देता है।

प्रमोटर की स्थिति (Position of promoters)—प्रमोटर की यथार्थ कानूनी स्थिति को परिभाषित करना कठिन है। वह कम्पनी का न्यासधारी (ट्रस्टी) नहीं होता, क्योंकि उस समय तक कम्पनी का अस्तित्व नहीं होता। जब तक कम्पनी का अस्तित्व न हो इस संबंध का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसी कारण से उसे कम्पनी का एजेन्ट नहीं कहा जा सकता। उसकी सही स्थिति यह है कि स्थापित की जाने वाली कम्पनी से उसका विश्वासाश्रित संबंध होता है।

Lynde & Wigpool Iron Or . Co. *v.* Bird (33 Ch. D. 85) में Lindley, L. J. ने कहा है कि यद्यपि प्रमोटर न तो कम्पनी का एजेन्ट ही होता है और न तो न्यासधारी ही, फिर भी एजेन्सी तथा ट्रस्टीशिप संबंधी पुराने विधि के परिचित सिद्धान्तों को ऐसे मामलों में लागू करके ठीक ही किया गया है। ऐसे व्यक्ति को "प्रमोटर" कहना तथा यह कहना ठीक ही होगा कि वह उस सभी धन के लिए जो वह कम्पनी से गुप्त तरीके से प्राप्त करता है, हिसाब देने के लिए जिम्मेदार होता है, मानो उनका संबंध एजेन्ट तथा प्रिन्सिपल या न्यासधारी तथा हितग्राही जैसा वास्तव में था जब धन प्राप्त किया गया था। Lagunas Nitrate Co. *v.* Lagunas Syndicate (1899) 2 Ch. 392, 422 में Lord Lindley ने कहा है कि "पहला सिद्धान्त यह है कि साम्य के अनुसार प्रमोटर तथा कम्पनी के बीच तथा उन सभी व्यक्तियों के साथ, जिन्हें वे शेयरहोल्डर बनने के लिए तैयार करते हैं, एक विश्वासाश्रित संबन्ध होता है, और साम्य के अनुसार प्रमोटर किसी कम्पनी को अपने साथ किसी संविदा से, कम्पनी को पूर्ण रूप से तथा समुचित रूप से सभी सारपूर्ण तथ्यों को प्रकट किए बगैर जिन्हें कम्पनी को मालूम होना चाहिए, बाधित नहीं कर सकते। इस सिद्धान्त पर लीडिंग अथॉरिटी Erlanger *v.* New Sombrero Phosphate Co. (1878) 3 App. Cas. 1218] का केस है।

दूसरा सिद्धान्त यह है कि जब कम्पनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो वह एक निगम का रूप धारण कर लेती है और उसके डायरेक्टर, यदि सभी सारपूर्ण तथ्यों को प्रकट

किया गया है, अपनी संविदाओं द्वारा कम्पनी को बाधित कर सकते हैं। इस सिद्धान्त पर लीडिंग अथॉरिटी Salomon *v.* Salomon &. Co., [(1897) A. C. 22] का केस है।

"तीसरा सिद्धान्त यह है कि कम्पनी के डायरेक्टर अपनी शक्तियों के भीतर तथा युक्तिसंगत सावधानी तथा ईमानदारी से कम्पनी के हित में कार्य करते हुए अपनी भूल तथा निर्णय की भूल के कारण नुकसान उठा सकते हैं। इस विषय पर लीडिंग अथॉरिटी Overend, Gurney & Co. *v.* Gibb (1872) L. R. H. L. 480] का केस है।

"चौथा सिद्धान्त जो कम्पनियों तक सीमित नहीं है, लेकिन उन्हें लागू है, यह है कि साम्य के अनुसार किसी संविदा को हटाया जा सकता है यदि यह प्रमाणित किया जाय कि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को सारपूर्ण तथ्यों के मिथ्यानिरूपण द्वारा संविदा करने के लिये प्रलोभित किया था, भले ही ऐसा मिथ्यानिरूपण कपट-पूर्ण न रहा हो।

"पाँचवा सिद्धान्त यह है कि यदि शून्यकरणीय संविदा के बाद पक्षकारों की स्थिति में परिवर्तन हो गया है और उन्हें उनकी पुरानी स्थिति पर फिर से वापस नहीं किया जा सकता, तो ऐसी संविदा को विखंडित नहीं किया जा सकता और न ही उसे हटाया जा सकता है। कपट के आधार पर इस सिद्धान्त को लागू होने से रोका जा सकता है, लेकिन मुझे इसके अतिरिक्त किसी अन्य अपवाद का ज्ञान नहीं है।"

प्रमोटर के कर्तव्य (Duties of a Promoter)—प्रमोटर के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी संविदा में कम्पनी के प्रति उच्चतम शीलनिष्ठता तथा युक्तिसंगत स्तर का आचरण अपनाए, क्योंकि स्थापित होने वाली कम्पनी के प्रति उसका विश्वासश्रित संबंध होता है। यदि वह अपनी सम्पत्ति कम्पनी को बेचता है, तो उसे इस संव्यवहार से हुये लाभ को प्रकट करना चाहिये, अन्यथा विक्रय को अपास्त (Set aside) किया जा सकता है। वह बिना पूर्ण प्रकटीकरण के किसी ऐसे संव्यवहार से लाभ नहीं प्राप्त कर सकता जिसकी पक्षकार कम्पनी हो। यदि कोई प्रमोटर अपनी सम्पत्ति कम्पनी को बेचता है तो उसे उस सम्पत्ति में अपने हित को पूर्ण रूप से प्रकट करना चाहिये, वरना संव्यवहार को अपास्त कर दिया जायेगा और जो लाभ उसने अर्जित किया है उसे वापस करना होगा।

प्रकटीकरण आर्टिक्ल्स या प्रास्पेक्टस में नई कम्पनी के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किये गये स्वतन्त्र व्यक्तियों के बोर्ड या सीधे इच्छुक शेयरहोल्डरों को किया जा सकता है। उसे सभी गुप्त लाभों का हिसाब भी देना चाहिये, तथा हर्जाने की मात्रा प्रमोटर द्वारा प्राप्त किये गये लाभ की राशि होती है, लेकिन वह इसमें से सभी

युक्तिसंगत खर्चों को काट सकता है और वह केवल शुद्ध लाभ के लिये उत्तरदायी होता है।

उसे प्रास्पेक्टस में किसी असत्य कथन का दोषी नहीं होना चाहिये, अन्यथा मिथ्यानिरूपण के आधार पर शेयरों के एलाटमेन्ट को अपास्त किया जा सकता है, और स्वयं उसके खिलाफ कपट के अपराध के सिलसिले में कार्यवाही की जा सकती है तथा हर्जाने का भी दावा किया जा सकता है और उसके खिलाफ फौजदारी की कार्यवाही भी की जा सकती है।

प्रमोटर के दायित्व (Liabilities of a promoter)—ऐक्ट की धारा ६२ के अन्तर्गत प्रास्पेक्टस में किसी असत्य कथन के परिणामस्वरूप कपट या मिथ्यानिरूपण के लिए प्रमोटर हर्जाने का उत्तरदायी हो सकता है।

यदि यह पता चलता है कि प्रमोटर ने कम्पनी के धन या सम्पत्ति का दुरुपयोग किया है या उसे रख लिया है या उसका हिसाब देने के लिये जिम्मेदार है, या किसी अपकरण (Misfeasance) या कम्पनी के प्रति किसी न्यास-भंग का अपराधी है, तो वह धन या सम्पत्ति को ब्याज सहित कम्पनी को वापस करने का जिम्मेदार होता है या प्रतिकर के रूप में कम्पनी की परिसम्पत् में कुछ अंशदान करने की अपेक्षा उससे की जा सकती है। [धारा ५४३] कम्पनी के समापन के दौरान में आफिसियल लिक्वीडेटर के आवेदन-पत्र पर कोर्ट द्वारा ऐसा निदेश दिया जाता है।

जहाँ कोर्ट द्वारा कम्पनी का समापन किया जा रहा हो और आफिशियल लिक्वीडेटर ने यह कहते हुए कोर्ट को रिपोर्ट दी हो कि कम्पनी के प्रमोशन या स्थापना के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा कपट किया गया है, तो धारा ४७८ के अन्तर्गत प्रमोटर के पब्लिक एग्जामिनेशन का आदेश दिया जा सकता है।

ऐक्ट की धारा ६३ के अन्तर्गत प्रास्पेक्टस में शामिल किए गए किसी असत्य कथन के लिए प्रमोटर पर अभियोग चलाया जा सकता है।

जब तक कि वह पूर्ण प्रकटीकरण न करे प्रमोटर उसके द्वारा किए गए गुप्त लाभ का हिंसाब कम्पनी को देने के लिए जिम्मेदार होता है। यदि इसमें अपने हित के अप्रकटीकरण के कारण संविदा प्रदूषित (vitiated) हो गई हो, तो कम्पनी संविदा को विखंडित कराने के लिए उसके विरुद्ध वाद ला सकती है।

कम्पनीज ऐक्ट की धारा ६८ ऐसे विवेकशून्य प्रमोटर्स पर पर्याप्त रोक लगाती है जो प्रास्पेक्टस में झूठे तथा कपटपूर्ण वक्तव्यों द्वारा जनता से पूँजी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह धारा यह निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति, जो या तो जानबूझ कर या लापरवाहीपूर्वक कोई ऐसा वक्तव्य देता है, या प्रतिज्ञा करता है

जो झूठा, भ्रामक या कपटपूर्ण है, या सारपूर्ण तथ्यों को बेईमानीपूर्वक छिपा कर, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए प्रलोभित करता है या उससे पेशकश करता है, अर्थात्—

(क) शेयर या डिबेन्चर्स को अर्जित करने, उसका निबटारा करने, या निम्नांकित (underwrite) करने के लिए करार करने के लिए; या

(ख) कोई ऐसा करार करने के लिए जिसका उद्देश्य या व्यपदिष्ट (pretend.d) उद्देश्य शेयरों या डिबेन्चर्स की प्राप्ति से, या शेयरों या डिबेन्चर्स के बढ़ते-घटते मूल्य के द्वारा पक्षकारों में से किसी के लिए लाभ प्राप्त करना हो;

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, जो १०,००० रु० तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

प्रमोटर द्वारा की गई संविदायें (Contract entered into by promoter)—प्रस्तावित कम्पनी की ओर से प्रमोटर द्वारा की गई संविदा के लिए प्रमोटर वैयक्तिक रूप से उस समय तक उत्तरदायी होता है जब तक कि संविदा का पालन न हो जाय या संविदा के अन्य पक्षकारों की सहमति से कम्पनी ने प्रमोटर के उत्तरदायित्व को अपने ऊपर न ले लिया हो। कम्पनी के साथ की गई संविदायें तभी कम्पनी पर बन्धनकारी होती हैं जब निगमन के पश्चात् कम्पनी उस व्यक्ति से एक नई संविदा करती है जिसे कि प्रमोटर ने किया था। निगमन के पहले उसकी ओर से की गई संविदा का अनुसमर्थन या ग्रहण कम्पनी नहीं कर सकती, यद्यपि कम्पनी पुरानी संविदा की शर्तों पर ही नई संविदा कर सकती है या पुरानी संविदा को अवाप्त (ग्रहण) कर सकती है। [सुरेन्द्र एण्ड कम्पनी बनाम पंजाब टैनरी कम्पनी (१६२३) ६८ आई० सी० ७८६]। यदि निगमन के पश्चात् कम्पनी किसी पुरानी संविदा का अनुसमर्थन करने से इन्कार करती है, तो ऐसी सूरत में प्रमोटर ही उस संविदा के लिये वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होगा।

निगमन के पूर्व की गई सेवाओं या खर्च के लिए प्रमोटर कम्पनी के खिलाफ वाद लाने का हकदार नहीं होता, जब तक कि निगमन के बाद कम्पनी अभिव्यक्त रूप से उसके साथ ऐसे भुगतान को करने के लिए सहमत नहीं होती है। या बाद में उसकी प्रतिपूर्ति के लिए नई संविदा नहीं होती है। इसलिए, निगमन के पूर्व विक्रेता के साथ किसी प्रारम्भिक संविदा द्वारा ली गई जिम्मेदारी के लिये प्रमोटर को कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का हक नहीं प्राप्त है, जब तक कि निगमन के पश्चात् कम्पनी ने नए करार द्वारा उसका अनुसमर्थन न कर दिया हो।

साम्य के अनुसार भी कम्पनी प्रारंभिक खर्चों का भुगतान करने के लिए इसलिए बद्ध नहीं है कि निगमन के पूर्व प्रदान की गई सेवाओं को उसने ग्रहण किया था उससे उसने लाभ उठाया था।

आर्टिकल्स में ऐसा उपबन्ध कि डायरेक्टर गण प्रारम्भिक करारों को ग्रहण करेंगे, कम्पनी पर नहीं लागू होता, जब तक नयी संविदा न की जाय जिससे कम्पनी प्रारंभिक करारों से अपने को बद्ध करना स्वीकार न करे। निगमन पर कम्पनी संविदा से बद्ध नहीं होती। अपने निगमन के पूर्व प्रमोटर द्वारा की गयी संविदा के आधार पर कम्पनी विक्रेता के विरुद्ध भी वाद ला सकती है। ऐसी संविदा के लिये एजेन्ट स्वयं वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होता है।

लेकिन, यथोल्लिखित अनुतोष अधिनियम १६६३ (Specific Relief Act, 1963) की धारा १५ यह उपबन्ध करती है कि जब किसी कम्पनी के प्रमोटरों ने उसके निगमन के पहले कम्पनी के प्रयोजनों के लिये संविदा की है और ऐसी संविदा निगमन की शर्तों द्वारा अधिदिष्ट (warranted) है तब कम्पनी, बशर्ते कि उसने संविदा स्वीकार कर लिया हो, ऐसी संविदा का यथोल्लिखित पालन करा सकती है।

इसी ऐक्ट की धारा १६ द्वारा उपबन्धित है कि जब किसी कम्पनी के प्रमोटरों ने उसके निगमन के पहिले कम्पनी के प्रयोजनार्थ कोई संविदा की है और ऐसी संविदा निगमन की शर्तों द्वारा अधिदिष्ट है, तब कम्पनी के खिलाफ ऐसी संविदा का यथोल्लिखित पालन कराया जा सकेगा, परन्तु यह तब जब कि कम्पनी ने संविदा को स्वीकार कर लिया हो और इस स्वीकृति की सूचना संविदा के अन्य पक्षकारों को दे दिया हो।

प्रमोटर का पारिश्रमिक (Remuneration of a promotor) —प्रमोटर को फाउन्डर्स शेयर या डेफर्ड शेयर्स देकर भुगतान किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान ऐक्ट ने शेयर्स के इस वर्ग को समाप्त कर दिया है। कभी-कभी अपनी सेवाओं के प्रतिफल के रूप में प्रमोटर पूर्ण या आंशिक रूप से दत्त शेयर्स प्राप्त करता है। लेकिन, यह समझ लेना चाहिए कि निगमित हो जाने के पश्चात् इस प्रयोजन के लिए कम्पनी द्वारा प्रमोटर के साथ एक नयी संविदा की जानी चाहिये और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो प्रमोटर कम्पनी से अपने पारिश्रमिक के लिये कोई दावा नहीं कर सकता, भले ही यह पारिश्रमिक पहले से तय हो चुका हो। लेकिन, यह कम्पनी का काम है कि वह आर्टिकल्स में प्रमोटर के पारिश्रमिक का प्राविधान करे। यदि आर्टिकल्स में कोई प्राविधान नहीं किया जाता है तो कम्पनी के लिये यह सक्षम होगा कि वह जनरल मीटिंग में प्रमोटर को ऐसे पारिश्रमिक

के भुगतान के लिये निदेश दे। यह पारिश्रमिक एक अॅन्युटी होता है और इसे संविदा के अन्तर्गत प्रत्युद्धरणीय (recoverable) नहीं समझा जा सकता।

एलाटमेंट—किसी व्यक्ति द्वारा शेयरहोल्डर बनने की पेशकश की स्वीकृति को एलाटमेंट कहते हैं। यह एक विनियोग होता है, किसी विशिष्ट शेयरों को नहीं, बल्कि शेयरों की कुछ संख्या का। इससे वह व्यक्ति, जो शेयर लेने के लिये सहमत हुआ है, तुरन्त सदस्य नहीं हो जाता; और जो कुछ इससे होता है वह यह है कि इससे एक बन्धनकारी संविदा गठित होती है जिसके अन्तर्गत कम्पनी यथोल्लिखित संख्या के शेयर का पूर्ण एलाटमेंट करने के लिये बद्ध होती है, तथा जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति जिसने पेशकश की है अब उतने संख्या के शेयर्स को लेने के लिये बद्ध होता है।

बन्धनकारी संविदा तब तक नहीं होती जब तक कि स्वीकृति आवेदन-कर्ता को सूचित न कर दी जाय। आम तौर से शेयर लेने की संविदा आवेदन-पत्र द्वारा की जाती है और स्वीकृति की सूचना आवेदन-कर्ता को दी जाती है। आवेदन, पेशकश अर्थात् प्रस्ताव होता है और एलाटमेंट उसकी स्वीकृति होती है। एलाटमेंट संविदा की विधि के सामान्य सिद्धान्तों द्वारा शासित होता है।

यदि एलाटमेंट की सूचना डाक के जरिये भेजी जाती है तो जब सूचना को पोस्ट किया जाता है तो यह माना जाता है कि स्वीकृति को सूचित कर दिया गया है, भले ही नोटिस आवेदन-कर्ता के पास तक कभी न पहुँचे, बशर्तें कि पेशकश ऐसी हो जिसकी स्वीकृति डाक द्वारा पत्र भेजकर सूचित की जा सके। एलाटी को एलाटमेंट की जानकारी होनी चाहिये। इसे औपचारिक नोटिस द्वारा या अन्यथा किया जा सकता है।

पेशकश या स्वीकृति मौखिक रूप से अथवा द्वारा की तथा भेजी जा सकती है।

एलाटमेंट आवेदन-पत्र की समुचित अवधि के भीतर किया जाना चाहिये, अन्यथा आवेदन-कर्ता उसका अमानन कर सकता है या शेयर लेने की पेशकश लैप्स हो सकती है। [Ramesgate Hotel Co. *v.* Montfiori, (1886) L. R. 1 Ex. 109]।

एलाटमेंट करने में डायरेक्टर का कर्तव्य (Director's duty in making allotment)—डायरेक्टर्स कम्पनी के न्यासधारी होते हैं और उन्हें कम्पनी के फायदे के लिये शेयर्स एलाट करने चाहिये। जनता को पेशकश किये गए शर्तों के मुकाबले अनुकूल (फेवरेबुल) शर्तों पर डायरेक्टर्स द्वारा अपने मित्रों को शेयर एलाट करना कर्तव्य-भंग (breach of duty) होता है, जबतक

कि जनता को अभिव्यक्त रूप से जानकारी नहीं करायी जाती। [Alexander v. Automatic Telephone Co. (1900) 9 Ch. 56]। साथ ही कम्पनी के वोटिंग पावर पर नियन्त्रण प्राप्त करने के लिये डायरेक्टर्स द्वारा स्वयं अपने को शेयर्स नहीं एलाट करने चाहिए।

अनियमित एलाटमेन्ट की सूरत में उपाय (Remedy in the case of irregular allotment)—यदि किसी व्यक्ति को अनियमित रूप से शेयर एलाट किये गये हैं, तो उसे अधिकार होगा कि वह सदस्यों के रजिस्टर में से अपना नाम निकलवा दे, लेकिन यदि उसने शेयर सर्टीफिकेट को स्वीकार कर लिया है तो वह ऐसा नहीं कर सकता। जहाँ कपट या मिथ्यानिरूपण प्रमाणित कर दिया गया है, वहाँ पीड़ित पक्षकार को संविदा का अमानन करने का अधिकार है, और वह संविदा के आधार पर दूसरे पक्षकार द्वारा उसके विरुद्ध किये जाने वाले दावे का मुकाबला कर सकता है।

यदि एलाटमेन्ट किसी नाबालिग को किया गया है तो पूरी संविदा शून्य है। [महोरी बीबी बनाम धर्मोदास, (१६०३) ३० आई० ए० १४]। इंग्लैण्ड में स्थिति भिन्न है। वहाँ नाबालिग वयस्कता प्राप्त करने पर या इससे पहले संव्यवहार का अमानन कर सकता है, लेकिन केवल बचपने के आधार पर वह भुगतान किये गये रकम की वापसी की माँग नहीं कर सकता है। [Steinburg *v.* Scala (Leeds) Ltd. (1923) 2 Ch. 452]।

न्यूनतम सब्सक्रिप्शन (Minimum subscription)—न्यूनतम सब्सक्रिप्शन, प्रास्पेक्टस में न्यूनतम रकम के रूप में उल्लिखित वह रकम है, जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के मतानुसार शेयर, कैपिटल जारी करके अनुसूची २ के स्तम्भ ५ में उल्लिखित बातों के प्राविधान के लिए, जो निम्न प्रकार हैं, उगाही जानी चाहिये:—

(१) क्रय की गयी या क्रय की जाने वाली किसी सम्पत्ति का क्रय-मूल्य जिसका भुगतान पूर्णतः या आंशिक रूप से शेयर कैपिटल जारी करने से होने वाली आगम में से किया जाना है;

(२) कम्पनी द्वारा देय कोई प्रारम्भिक खर्च (कम्पनी के प्रमोशन, रजिस्ट्रेशन तथा फ्लोटेशन से संबंधित समस्त खर्च को 'प्रारम्भिक खर्च' कहा जाता है), तथा किसी व्यक्ति द्वारा शेयर्स के प्रति सब्सक्राइब करने के लिए सहमत होने, या सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिये सहमत होने के प्रतिफलार्थ उसको देय कोई कमीशन;

(३) उपरोक्त बातों के सिलसिले में कम्पनी द्वारा उधार लिए गए धन की वापसी के लिये;

(४) वर्किङ्ग कैपिटल के लिये;

(५) किसी अन्य खर्च के लिये, जिसकी प्रकृति तथा प्रयोजन तथा प्रत्येक मामले में प्रेषित राशि का विवरण दिया जाना चाहिये।

जब तक न्यूनतम सब्सक्रिप्शन प्राप्त न हो जाय एलाटमेन्ट के प्रति निषेध (Prohibition of allotment unless minimum subscription received)—जनता से शेयरों में सब्सक्राइब करने के लिये पेशकश करने वाली कम्पनी की सूरत में, जब तक कि प्रास्पेक्टस में बतौर न्यूनतम राशि के कथित वह राशि, जो कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के विचार में, अनुसूची २ के स्तम्भ ५ में उल्लिखित बातों के प्राविधान के लिये उगाही जानी चाहिये, सब्सक्राइब नहीं हो जाती, और उक्त कथित न्यूनतम राशि के लिये आवेदन-पत्र पर देय रकम का भुगतान न हो जाय तथा कम्पनी द्वारा प्राप्त न कर लिया जाय, बतौर नगद या चैक या किसी अन्य इन्स्ट्रूमेन्ट द्वारा जिसका भुगतान किया गया हो या आदृत (honoured) किया गया हो, तब तक शेयरों का एलाटमेन्ट नहीं किया जायेगा। [धारा ६६ (१)]।

प्रास्पेक्टस में न्यूनतम राशि के रूप में कथित राशि की संगणना (Reckoning) धन के रूप में अन्यथा देय रकम के अलग की जाएगी [धारा ६६ (२)।]

प्रत्येक शेयर के आवेदन-पत्र पर देय राशि शेयर की प्रत्यक्ष राशि के ५ प्रतिशत से कम नहीं होगी। [धारा ६६ (३)]।

शेयरों के लिये आवेदकों से प्राप्त धन को किसी अनुसूचित बैंक में जमा किया जायेगा तथा तब तक जमा रक्खा जायेगा (१) जब तक कि धारा १४६ के अन्तर्गत व्यापार शुरू करने के लिये प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त कर लिया जाता, या (२) जहाँ यह प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा चुका है, जब तक कि न्यूनतम सब्सक्रिप्शन के प्रति शेयरों के लिये आवेदन-पत्रों पर देय पूरी राशि कम्पनी द्वारा प्राप्त नहीं कर ली जाती, और जहाँ ऐसी राशि कम्पनी द्वारा समय के भीतर नहीं प्राप्त कर ली गई है जिसकी समाप्ति पर शेयरों के लिये आवेदकों से प्राप्त किया गया धन उप-धारा (५) के अन्दर बिना ब्याज के वापस करना होता है, सभी धन जो शेयरों के लिये आवेदकों से प्राप्त किया गया है उप-धारा (५) के अन्तर्गत बिना ब्याज के वापस किया जायेगा। शेयरों के आवेदकों से प्राप्त किया गया धन उपधारा (५) के उपबन्धों के अन्तर्गत वापस किया जायेगा, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। [धारा ६६ (४)]।

उपरोक्त उपबन्धों के उल्लंघन की सूरत में प्रत्येक प्रमोटर, डायरेक्टर या अन्य व्यक्ति जो जानबूझ कर ऐसे उल्लंघन के लिये जिम्मेदार है जुर्माने द्वारा, जो ५,००० रु० तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा।

यदि प्रास्पेक्टस को प्रथम बार जारी किए जाने के बाद १२० दिन की समाप्ति तक शर्तों की पूर्ति नहीं हुई है, तो शेयरों के आवेदकों से प्राप्त किए गए सारे धन को उन्हें तुरन्त बिना ब्याज के लौटा दिया जायेगा, और प्रास्पेक्टस जारी किये जाने के बाद १३० दिन के भीतर यदि ऐसे किसी धन को नहीं लौटाया जाता, तो कम्पनी के डायरेक्टरगण संयुक्ततः तथा पृथकतः १३० दिन की अवधि की समाप्ति के बाद सभी रकमों को ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित वापस करने के लिये उत्तरदायी होंगे। बशर्ते कि यदि कोई डायरेक्टर यह सिद्ध करता है कि रकमों की वापसी में चूक उसकी ओर से हुए किसी अवचार या अनवधनता के कारण नहीं थी, तो वह उत्तरदायी नहीं होगा [धारा ६६ (५)]।

उपरोक्त उल्लंघन से छुटकारे के लिये शेयरों के आवेदक पर लगायी गयी कोई शर्त शून्य होगी। [धारा ६६ (६)]।

उपरोक्त उपबन्ध [उपधारा (३) को छोड़ कर, जो आवेदन-पत्र पर देय राशि के विषय में है] जनता को सब्सक्रिप्शन के लिये किये गये पेशकश के आधार पर किये गये शेयरों के प्रथम एलाटमेन्ट के बाद उत्तरवर्ती शेयरों के एलाटमेन्ट पर नहीं लागू होंगे। [धारा ६६ (७)]।

जनता को की गई पेशकश का अर्थ, जिसका उल्लेख पीछे किया गया है, विज्ञापन या परिपत्र द्वारा आम जनता या उसके किसी भाग को किया गया पेशकश, न कि प्राइवेट तौर पर मित्रों, ग्राहकों या परिचितों के छोटे से दायरे में की गई पेशकश। [Palmer Company Precedents 16th Edition 9]

प्रास्पेक्टस के स्थान पर स्टेटमेंट—(Statement in lieu of Prospectus)—यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कम्पनी एक प्रास्पेक्टस जारी करे। यदि शेयर कैपिटल वाली कम्पनी अपने निर्माण के संदर्भ में कोई प्रास्पेक्टस नहीं जारी कर रही है तो इन्डियन कम्पनीज एक्ट की धारा ७० द्वारा अपेक्षित है कि सिवाय प्राइवेट कम्पनी के, प्रत्येक कम्पनी "प्रास्पेक्टस के स्थान पर स्टेटमेंट" जारी करे जिसमें अनुसूची ३ के भाग १ में निर्धारित अधिकांश बातों का उल्लेख किया जायेगा जो प्रास्पेक्टस में किया जाता है तथा इसी अनुसूची के भाग २ में दिये हुये मामलों का उल्लेख उसमें उल्लिखित रिपोर्टों को देते हुये किया जायेगा। यह धारा निर्धारित करती है कि ऐसे "प्रास्पेक्टस के स्थान पर स्टेटमेन्ट" को रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिये प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसमें उल्लिखित डायरेक्टर या कम्पनी के प्रस्तावित डायरेक्टर के रूप में प्रत्येक व्यक्ति या उसकी ओर, से शेयरों या डिबन्चर्स के प्रथम एलाटमेंट से कम से कम तीन दिन पहले लिखित रूप से प्राधिकृत किये गये, एजेन्ट द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जायेगा। जहाँ ऐसे "प्रास्पेक्टस के

स्थान पर स्टेटमेन्ट'' में उससे संलग्न किसी रिपोर्ट में कोई ऐडजस्टमेन्ट किए गए हों, वहाँ उस पर उक्त व्यक्तियों के हस्ताक्षर या पृष्ठांकन किये जायेंगे, जिसमें ऐडजस्टमेंट का विवरण तथा उसके कारणों का उल्लेख किया जायेगा।

यदि "प्रास्पेक्टस के स्थान पर स्टेटमेन्ट" में कोई असत्य कथन होगा, तो वह व्यक्ति जिसने "प्रास्पेक्टस के स्थान पर स्टेटमेन्ट" को रजिस्ट्रेशन के लिए डिलेवर किये जाने के लिये प्राधिकृत किया है, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है, तथा जुर्माने से, जो ५,००० रुपए तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डित किया जा सकेगा, जब तक कि वह यह प्रमाणित न करे कि कथित असत्य कथन सारहीन था, या उसे यह विश्वास करने का युक्तिसंगत कारण था, और उसने वास्तव में प्रास्पेक्टस के स्थान पर स्टेटमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिये दिये जाने तक विश्वास किया था, कि उक्त कथन सत्य है।

असत्य कथन (Untrue statement)—"प्रास्पेक्टस के स्थान पर स्टेटमेंट" में शामिल किये गये कथन को असत्य समझा जायेगा (क) यदि जिस रूप तथा प्रसंग में उसे शामिल किया गया है वह भ्रामक (misleading) है; तथा (ख) जहाँ प्रास्पेक्टस के स्थान पर स्टेटमेंट में से किसी बात को छोड़ने या उसका लोप करने (ommission) के विषय में यह समझा जाए कि उसे भ्रम उत्पन्न करने के लिये किया गया है।

अनियंत्रित कथन का प्रभाव (Effect of irregular statement,—जहाँ किसी कम्पनी द्वारा धारा ६९ या ७० के उपबन्धों के प्रतिकूल किसी आवेदक को एलाटमेंट किया जाता है, अर्थात् जहाँ प्रास्पेक्टस में उल्लिखित न्यूनतम राशि सब्सक्राइब होने से पहले एलाटमेन्ट किया जाता है या जहाँ शेयरों या डिबेन्चर्स के प्रथम एलाटमेंट से कम से कम तीन दिन पहले प्रास्पेक्टस के स्थान पर स्टेटमेन्ट को रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिये दिये जाने से पहले एलाटमेंट किया जाता है, तो निम्नलिखित परिणाम होंगे :—

१. एलाटमेन्ट आवेदक द्वारा (क) कम्पनी की कानूनी मीटिंग होने के बाद दो माह के भीतर, इसके बाद नहीं, या (ख) ऐसी सूरत में जहाँ कम्पनी द्वारा कानूनी मीटिंग करना अपेक्षित न हो, या जहाँ कानूनी मीटिंग होने के बाद एलाटमेन्ट किया जाता है, एलाटमेन्ट के बाद दो माह के भीतर, इसके बाद नहीं, शून्यकरणीय (voidable) होगा।

ऐसा एलाटमेन्ट उपरोक्त ढंग से शून्यकरणीय होगा, इस बात के बावजूद भी कि कम्पनी समापन के दौरान में हो।

जैसा कि ऊपर कहा गया है एलाटमेंट आवेदक द्वारा शून्यकरणीय है, अर्थात् इसे उपरोक्त अवधि के भीतर विखण्डित किया जा सकता है और जब तक ऐसा नहीं किया जाता एलाटमेन्ट का पूरा वैधिक प्रभाव रहता है।

२. यदि कम्पनी का कोई डायरेक्टर एलाटमेंन्ट संबंधी धारा ६९ या ७० के उपबन्धों का जानबूझ कर उल्लघंन करता है या जानबूझ कर उनके उल्लघंन को प्राधिकृत करता है या उसकी अनुमति देता है, तो वह कम्पनी तथा एलाटी को होने वाली हानि के लिए प्रतिकर देने का उत्तरदायी होगा, बशर्ते कि ऐसी हानि को प्रत्युद्धृत करने के लिए कार्यवाही एलाटमेन्ट की तारीख से दो वर्ष की अवधि बीतने से पहले नहीं शुरू की जा सकेगी। [धारा ७१]।

शेयरों तथा डिबेन्चर्स के लिए आवेदन तथा उलका एलाटमेन्ट (Applications for, and allotment of shares and debentures)

—प्रास्पेक्टस जारी किए जाने की तारीख के बाद पाँचवाँ दिन शुरू होने से पहले या प्रास्पेक्टस में उल्लिखित किसी और अधिक समय से पहले शेयरों या डिबेन्चर्स का एलाटमेन्ट नहीं किया जायगा; और न ही ऐसी तारीख तक प्रास्पेक्टस जारी किए जाने पर भेजे गए आवेदन-पत्रों पर कोई कार्यवाही ही की जाएगी। यदि प्रास्पेक्टस जारी किए जाने के बाद धारा ६२ के अन्तर्गत प्रास्पेक्टस जारी किए जाने के लिए उत्तर-दायी किसी व्यक्ति द्वारा लोक सूचना दी जाती है कि वह उसके प्रति अपनी सहमति वापस लेता है जिससे उसका उत्तरदायित्व अपवर्जित, परिसीमित या कम हो जाता है, तो उपरोक्त पांच दिन ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से गिने जाएंगे। [धारा ७२]।

सब्सक्रिप्शन लिस्ट खुलने का समय—उपरोक्त पाँचवें दिन या बाद के किसी दिन से सब्सक्रिप्शन की लिस्टें खुलती हैं।

जहाँ प्रास्पेक्टस समाचार-पत्र में विज्ञापन के रूप में जारी किया जाता है, पाँचवाँ दिन ऐसे प्रकाशन के दिन से गिना जाएगा।

उपरोक्त उपबन्ध के उल्लघंन से एलाटमेन्ट अमान्य नहीं हो जाता, लेकिन इससे चूक करने वाली कम्पनी तथा उसके अधिकारी दंड के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं जो ५,००० रुपए तक हो सकता है।

कम्पनी द्वारा सामान्य रूप से जारी किए गये प्रास्पेक्टस के सिलसिले में शेयर्स तथा डिबेंचर्स के लिए दिए गए आवेदन-पत्र को, सब्सक्रिप्शन लिस्टों के खुलने के दिन के बाद पाँच दिन बीतने से पहले, या धारा ६२ में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा

उपरोक्त ढंग से अपने उत्तरदायित्व को अपवर्जित, परिसीमित या कम करते हुए दी गई सूचना के प्रकाशन से पहले, विखंडित नहीं किया जा सकता। [धारा ७२]।

इसलिए, नए ऐक्ट के अन्तर्गत सब्सक्रिप्शन लिस्ट को प्रास्पेक्टस के प्रकाशन के बाद पाँच दिन तक खुला रखना होता है। यह इसलिए किया गया है जिससे कि जनता को प्रास्पेक्टस में दी हुई बातों को अच्छी तरह समझने तथा स्वतन्त्र सलाह प्राप्त करने के लिए समय मिल जाय और इन्वेस्टमेन्ट मार्केट में मुनाफाखोरी को रोका जा सके और लोग अधिक संख्या में शेयरों के लिए आवेदन न कर सकें और प्रीमियम पर उनकी बिक्री से अनुचित लाभ न उठा सके और कम्पनी अलोकप्रिय समझी जाने के बहाने पर एलाटमेंट के लिए दिए गए आवेदन-पत्रों को वापस न ले लें।

स्टाक एक्सचेन्ज को शेयरों के एलाटमेन्ट का मूल्योत्कथन

(Allotment of shares to be quoted on stock exchange)—जहाँ किसी प्रास्पेक्टस में यह कहा गया हो कि उसके द्वारा पेशकश किये गये शेयरों या डिबेन्चर्स के लिये मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में लेन-देन के लिये अनुमति की मांग की गयी है या की जायेगी, प्रास्पेक्टस के सिलसिले में आवेदन पर किया गया एलाटमेन्ट शून्य होगा (१) यदि प्रास्पेक्टस को प्रथम बार जारी किये जाने के बाद दसवें दिन से पहले अनुमति के लिये आवेदन नहीं किया गया है या (२) यदि सब्सक्रिप्शन लिस्ट बन्द होने के बाद चार सप्ताह के भीतर, या ऐसी अधिक अवधि के भीतर, जो सात सप्ताह से अधिक नहीं होगी, जिसकी सूचना उक्त चार सप्ताह के भीतर अनुमति के आवेदन-कर्त्ता को स्टाक एक्सचेन्ज द्वारा या उनकी ओर से दी जाय, अनुमति नहीं प्रदान की गई है।

जहाँ उपरोक्त अनुमति नहीं प्राप्त की गई है या दी गयी है, प्रास्पेक्टस के सिलसिले में आवेदकों से प्राप्त सभी धन को कम्पनी बिना ब्याज के उन्हें तुरन्त वापस करेगी, और वापसी के लिये उत्तरदायी होने की तिथि से आठ दिन के भीतर यदि कम्पनी ऐसे धन को वापस नहीं करती, तो कम्पनी के डायरेक्टर आठवें दिन के बाद संयुक्ततः तथा पृथकतः ५ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित ऐसे धन को वापस करने के लिये उत्तरदायी होंगे। लेकिन, यदि कोई डायरेक्टर यह प्रमाणित करता है कि वापसी में चूक उसके किसी अवचार या अनवधानता के कारण नहीं था, तो वह उत्तरदायी नहीं होगा।

ऐसी सूरत में प्राप्त किये गये सारे धन को एक अनुसूचित बैंक में एक अलग खाते में उस समय तक रक्खा जाना चाहिये जब तक कि कम्पनी उपरोक्त तरीके से उसे वापस करने के लिये उत्तरदायी न हो जाय। चूक की सूरत में कम्पनी

तथा चूक करने वाला उसका प्रत्येक अधिकारी जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा जो ५,००० रुपये तक हो सकता है।

प्रास्पेक्टस में ऐसी कोई शर्त, जो शेयरों या डिबेन्चर्स के आवेदकों को उपरोक्त अपेक्षित बातों के पालन को छूट देने के लिए बाधित करती हो, शून्य होगी।

उपरोक्त स्टाक एक्सचेन्ज एक मान्यता-प्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज होना चाहिए। [धारा ७३]।

धारा ७३ के प्रयोजनों के लिये यदि यह सूचित किया जाता है कि अनुमति के लिये आवेदन-पत्र यद्यपि उसे अभी स्वीकृत नहीं किया गया है, पर आगे विचार किया जायेगा, तो यह समझा जायेगा कि अनुमति प्रदान कर दी गई है। [धारा ७३ (५)] [अमेन्डमेन्ट ऐक्ट १९६५ द्वारा जोड़ा गया]।

उपरोक्त उपबंध लागू होंगे चाहे शेयरों या डिबे चर्स को निम्नांकन-कर्ता लेने के लिये सहमत होता है या उनकी बिक्री की पेशकश की जाती है।

उपरोक्त पाँचवें, आठवें या दसवें दिन की गणना में, बीच में नेगोशिएब्ल इन्सट्रूमेन्टस ऐक्ट. १८८१ के अन्तर्गत आने वाली सार्वजनिक छुट्टी की अपेक्षा कर दी जायेगी। [धारा ७४]।

उपरोक्त बातों से स्पष्ट हो जाता है कि धारा ७३ में कथित विभिन्न सूरतों में धन की वापसी से आवेदकों के पक्ष में एक न्यास का सर्जन होता है। [Re. Naneva Gold Mines Ltd. (1955) 3 All. E. R. 219]।

एलाटमेन्ट के विषय में दाखिल किए जाने वाले रिटर्न

(Return as to allotments)—जहाँ शेयर कैपिटल वाली कोई कम्पनी अपने शेयरों का एलाटमेंट करती है, वहाँ वह उसके बाद एक महीने के भीतर—

(क) रजिस्ट्रार के पास एलाटमेंट का एक रिटर्न दाखिल करेगी जिसमें एलाट मेंन्ट में होने वाले शेयरों की संख्या तथा उनका अंकित (Nominal) मूल्य, एलाटियों के नाम, पते तथा पेशे, प्रत्येक शेयर पर भुगतान किया गया या देय रकम उल्लिखित किया जायगा; लेकिन ऐसे एलाटमेन्ट के सिलसिले में यदि नगद वास्तव में नहीं प्राप्त हुआ है तो एलाटमेन्ट के कम्पनी द्वारा रिटर्न द्वारा नहीं दिखाया जाना चाहिये कि शेयरों को नकद के लिये एलाट किया गया है ;

(ख) नगद (जो बोनस शेयर न हों) के अन्यथा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से दत्त शेयरों के एलाटमेंट की सूरत में कम्पनी रजिस्ट्रार के मुआइना तथा परीक्षण के लिये उसके समक्ष एक लिखित संविदा पेश करेगी जो किसी विक्रय की संविदा

या सेवाओं की संविदा, अथवा अन्य प्रतिफल, जिसके सिलसिले में एलाटमेंट किया गया था, सहित एलाटमेंट के प्रति एलाटी का स्वत्व गठित होगा। ऐसी संविदाओं को यथाविधि सत्यापन करके रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल किया जाएगा तथा संविदा सत्यापन के लिये निर्धारित तरीके से ऐसी संविदाओं को सत्यापित करते हुए एक रिटर्न दाखिल किया जाएगा जिसमें एलाट किये गये शेयरों की संख्या तथा उनका अंकित मूल्य, किस सीमा तक उन्हें दत्त (Paidup) समझा जाएगा, तथा जिस प्रतिफल के लिये उन्हें एलाट किया गया है, उल्लिखित किया जाएगा।

(ग) रजिस्ट्रार के समक्ष (१) बोनस शेयरों की सूरत में एक रिटर्न दाखिल करेगी जिसमें एलाटमेन्ट में दिये गये ऐसे शेयरों की संख्या, उनके अंकित मूल्य तथा एलाटीज के नाम, पते तथा पेशे का उल्लेख किया जायगा और ऐसे शेयरों को जारी करने के लिये प्राधिकृत करते हुये प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न की जायेगी; (२) डिस्काउन्ट पर जारी किये जाने वाले शेयरों की सूरत में कम्पनी द्वारा पारित उस प्रस्ताव की एक प्रति दाखिल करेगी जिसके द्वारा यह जारी किया जान प्राधिकृत किया गया हो। इसके साथ कोर्ट के उस आदेश की भी एक प्रति सलग्न की जाएगी जिसके द्वारा कोर्ट ने यह जारी किया जाना स्वीकृत किया हो। जहाँ डिस्काउन्ट का अधिकतम दर दस प्रतिशत से अधिक हो, वहाँ केन्द्रीय सरकार के उस आदेश की भी एक प्रति संलग्न की जाएगी जिसमें अधिक प्रतिशत पर जारी किए जाने की अनुमति दी गयी हो।

जहाँ उपरोक्त खंड (ख) में उल्लिखित संविदा को लेखनबद्ध नहीं किया जाता है, वह कम्पनी द्वारा, एलाटमेन्ट के बाद एक महीने के भीतर, संविदा के निर्धारित विवरणों को उसी स्टाम्प ड्यूटी सहित दाखिल किया जाना चाहिए जो देय होता यदि संविदा के शुरू में लेखनबद्ध किया गया होता।

माँग के अभुगतान के कारण कम्पनी द्वारा जब्त किए गए शेयरों को जारी करने तथा उनके एलाटमेन्ट के सम्बन्ध में कोई रिटर्न दाखिल किया जाना जरूरी नहीं है।

उपरोक्त उपबन्धों से प्रतीत होता है कि धन के भुगतान के अलावा किसी भी चीज के प्रतिफलार्थ शेयर्स जारी किए जा सकते हैं, अर्थात् नगद के अलावा प्रतिफल, यदि उपरोक्त शर्तों की पूर्ति होती है।

यदि रजिस्ट्रार सन्तुष्ट हो कि यदि अवधि अपर्याप्त है तो वह उपरोक्त उपबन्धों के पालन के लिए निर्धारित एक माह की अवधि को बढ़ा सकता है।

व्यापार आरम्भ करने पर प्रतिबन्ध (Restrictions on commencement of business)—धारा १४९ यह उपबन्ध करती है कि जहाँ

शेयर कैपिटल वाली किसी कम्पनी ने जनता को शेयरों में सब्सक्राईब करने के लिए आमन्त्रित करते हुए कोई प्रास्पेक्टस जारी किया है, वहाँ कम्पनी तब तक व्यापार नहीं शुरू करेगी या ऋण लेने की शक्ति को इस्तेमाल नहीं करेगी, जब तक कि :—

(क) पूर्ण रकम नगद भुगतान किये जाने के अधीन धारित शेयरों को न्यूनतम सब्सक्रिप्शन से कम राशि तक एलाट न कर दिया गया हो। उक्त धारा के अन्तर्गत जनता को सब्सक्राइब करने के लिये पेशकश किये गये शेयर कैपिटल का एलाटमेन्ट तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रास्पेक्टस में न्यूनतम राशि के बतौर कथित राशि, जो बोर्ड आफ डायरेक्टरों के विचार में शेयर कैपिटल जारी करके उगाही जानी चाहिये, सब्सक्राइब नहीं हो जाती, जिससे कि (१) क्रय की गयी या क्रय की जाने वाली सम्पत्ति का मूल्य, (२) प्रारम्भिक खर्च तथा कम्पनी द्वारा देय कोई कमीशन; (३) उपरोक्त प्रयोजनों के लिये कम्पनी द्वारा उधार ली गई राशि; (४) वर्किंग कैपिटल; तथा (५) अन्य किसी खर्च, की उससे प्रतिपूर्ति न हो जाय।

(ख) प्रत्येक डायरेक्टर ने स्वयं लिये गये या लेने के लिये संवेदित प्रत्येक शेयर की राशि का भुगतान कम्पनी को न कर दिया हो तथा जिसके लिए वह आवेदन-पत्र पर तथा जनता को सब्सक्राइब किए जाने के लिये पेशकश किये गये शेयरों के एलाटमेंट पर देय राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है;

(ग) किसी शेयर या डिबेन्चर के लिये, जिसे आवेदन-पत्र देने या किसी मान्य स्टाक एक्सचेन्ज द्वारा धारा ७३ के अन्तर्गत व्यवहार में लाए जाने वाले शेयरों या डिबेन्चरों के लिये अनुमति प्राप्त करने में चूक हो जाने के कारण जनता को सब्सक्राईब करने के लिये पेशकश किया गया है, आवेदकों को कोई धन वापस करने का उत्तरदायित्व है, या हो जाय, तथा

(घ) निर्धारित प्रपत्र में डायरेक्टरों में से किसी एक या सेक्रेट्री द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष यथाविधि सत्यापित (Verified) इस बात की घोषणा नहीं दाखिल की जाती कि उपरोक्त खंड (क), (ख) तथा (ग) का पालन किया जा चुका है। [धारा १४६ (१)]

जहाँ शेयर कैपिटल वाली किसी कम्पनी ने जनता को शेयरों में सब्सक्राइब करने के लिये आमन्त्रित करते हुये कोई प्रास्पेक्टस नहीं जारी किया है, वहाँ कम्पनी तब तक व्यापार नहीं शुरू करेगी या ऋण लेने की शक्ति को इस्तेमाल नहीं करेगी, जब तक कि :—

(क) धारा ७० के अन्तर्गत प्रास्पेक्टस के स्थान पर एक स्टेटमेन्ट रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल न कर दिया गया हो;

(ख) प्रत्येक डायरेक्टर ने स्वयं लिये गये या लेने के लिये संवेदित प्रत्येक शेयर की राशि का भुगतान कम्पनी को न कर दिया हो तथा जिसके लिये वह आवेदन पत्र पर तथा जनता को सब्सक्राइब किये जाने के लिये पेशकश किये गये शेयरों के एलाटमेंट पर देय राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है; तथा

(ग) निर्धारित प्रपत्र में डायरेक्ट्रों में से किसी एक या सेक्रेट्री द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष यथाविधि सत्यापित इस बात की घोषणा नहीं दाखिल की जाती कि इस उपधारा के खण्ड (ख) का पालन किया जा चुका है (धारा १४६ (२)]।

व्याख्या—खंड (क) के अर्थ के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा कोई व्यापार आरम्भ किया गया तभी समझा जायेगा (क) यदि वह कोई ऐसा व्यापार आरम्भ करती है जो उक्त खंड में कथित प्रयोजनों में से किसी से मिलता-जुलता या निकट रूप से संबन्धित नहीं है, जो वह कम्पनीज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १६६५ के आरम्भ के समय कर रही हो।

उपरोक्त उपबन्धों की यथाविधि पूर्ति पर, रजिस्ट्रार प्रमाणित करेगा कि कम्पनी व्यापार आरम्भ करने के लिये हकदार है, और यह प्रमाण-पत्र इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि कम्पनी इस प्रकार हकदार है।

रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाण-पत्र दिये जाने से पहले की संविदाओं की अस्थायी प्रकृति (Provisional nature of contracts prior to Registrar's granting certificate)—व्यापार आरम्भ करने के लिये हकदार होने से पहले कम्पनी द्वारा की गयी संविदाएँ केवल अस्थायी होती हैं, और उस तारीख तक कम्पनी पर बन्धनकारी नहीं होतीं, और उसी तारीख पर बन्धनकारी होती हैं। [धारा १४६ (४)]।

व्यापार आरम्भ करने के लिये हकदार होने से पहले कम्पनी द्वारा किये जाने वाले व्यापार का यह प्रभाव होता है कि कम्पनी द्वारा इससे पहले की गयी सारी संविदाओं को अस्थायी समझा जायेगा और उनमें से किसी को कम्पनी के विरुद्ध उस समय तक नहीं लागू किया जा सकता जब तक कि वह यथाविधि व्यापार आरम्भ करने के लिये हकदार नहीं हो जाती। [New Druce Portland Company v. Blakiston (1908) T. L. R. 583]। शब्द "अस्थायी" (Provi-

sional) का यह अर्थ है कि संविदा को इस प्रकार पढ़ा जायेगा मानों उसमें एक यह शर्त हो कि यह कम्पनी पर उस समय तक बन्धनकारी नहीं होगी जब तक कि कम्पनी अपना व्यापार आरम्भ करने के लिये हकदार न हो जाय। [In re. Otto Electrical Manufacturing Co. Ltd. (1906) 2 Ch. 390]। इसलिये, यदि बिना व्यापार शुरू किये हुये कम्पनी का दिवाला निकल जाता है, तो ऐसी संविदाओं को बिलकुल लागू नहीं किया जा सकता।

रजिस्ट्रार द्वारा एक बार जारी कर दिया गया प्रमाण-पत्र निश्चायक होता है, और कोर्ट इस बात पर कोई साक्ष्य नहीं लेगी कि अनियमितताएँ हुई हैं। [Yooland Hasson & Birkett (1908) 1 Ch. 152] रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र एक बार जारी हो जाने पर, यदि घोषणा को गलत तरीके से दाखिल किया गया था, तो भी यह माना जाएगा कि कम्पनी व्यापार करने के लिये हकदार है, और इस उद्देश्य से की जाने वाली सभी जाँच की पिछली शर्तों का वास्तव में पालन किया गया था या नहीं, निरर्थक होगा। (Moosa Goolam Ariff v. Ebrahim Goolam Ariff, 40 Cal. 1)।

उल्लंघन के लिए दण्ड—यदि कोई कम्पनी उपरोक्त उपबन्धों का उल्लंघन करते हुये व्यापार शुरू करती है या उधार लेने की शक्तियों का प्रयोग करती है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो इस उल्लंघन के लिये जिम्मेदार है, उसकी किसी अन्य जिम्मेदारी पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना, ५०० रुपये प्रतिदिन की दर से जब तक उल्लंघन जारी रहता है, दण्डित किया जा सकेगा।

अपवाद—उपरोक्त उपबन्ध (क) प्राइवेट कम्पनी, या (ख) या ऐसी कम्पनी को नहीं लागू होंगे जो १ अप्रैल, १९१४ से पहले रजिस्टर्ड हुई थी और जिसने शेयरों के प्रति सब्सक्राइब करने के लिये जनता को कोई प्रास्पेक्टस नहीं जारी किया है, जिसका यह अर्थ है कि ऐसी कम्पनियाँ धारा १४८ के उपबन्धों का पालन किये बगैर अपना व्यापार शुरू करने तथा उधार लेने की शक्तियों का प्रयोग करने की हकदार होती हैं।

डिस्काउन्ट पर शेयर जारी करना निषिद्ध है (Issue of shares at discount prohibited)—कम्पनी लॉ का यह सुप्रसिद्ध सिद्धान्त है कि कम्पनी के रजिस्टर्ड कैपिटल को हमेशा अत्यधिक पवित्र समझा जाना चाहिये जिससे कि यह शेयरों पर डिस्काउन्ट की अनुमति नहीं प्रदान करेगी। धारा ७९ (२) में यह स्पष्ट रूप से उपबन्धित है कि जैसा कि उस धारा तथा धारा ७९, जिसका उल्लेख आगे किया जायेगा, में निर्धारित किया गया के अतिरिक्त कोई कम्पनी,

प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी व्यक्ति को कोई कमीशन, डिस्काउन्ट या छूट देने के लिये अपने किसी शेयर या डिबेन्चर का एलाटमेन्ट, या धन का प्रयोग, इस प्रति फलार्थ नहीं करेगी—(क) कम्पनी के किसी शेयर या डिबेन्चर में, निरपेक्ष रूप से सशर्त, सब्सक्राइब करने या सब्सक्राइब करने के लिये सहमत होने के लिये, या (ख) कम्पनी के किसी शेयर या डिबेन्चर के लिये सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने या प्राप्त करने के लिये सहमत होने के लिये, निरपेक्ष रूप से या सशर्त। धन, या कम्पनी के शेयर या डिबेन्चर के भुगतान के रूप में कमीशन या डिस्काउन्ट का ऐसा भुगतान कम्पनी द्वारा अर्जित की गई किसी सम्पत्ति के क्रय मूल्य या कम्पनी के लिये निष्पादित किये जाने वाले किसी कार्य के संवेदित मूल्य, या अंकित क्रय मूल्य में से दिये जाने वाले धन, या संवेदित मूल्य में वृद्धि करके, या अन्यथा, नहीं किया जा सकता। [धारा ७६ (२)]।

यह उपबन्ध लोक तथा प्राइवेट दोनों प्रकार की कम्पनियों को लागू होता है।

यह निषेध कैपिटल के न्यूनीकरण को रोकने के लिये है, जिसकी अनुमति कठिन शर्तों के अतिरिक्त कानून नहीं देता।

डिस्काउन्ट पर शेयर जारी करने के निषेध के नियम के कुछ अपवाद निम्न प्रकार हैं :—

(१) कोई कम्पनी धारा ७६ में उल्लिखित दर पर अपने शेयरों तथा डिबेन्चरों को जारी करने के लिये कमीशन दे सकती है, जिसे निम्नांकन कमीशन कहा जाता है।

(२) यह जनता के समक्ष अपने शेयरों को प्रस्तुत किये जाने के लिये दलाली दे सकती है (धारा ७६)।

(३) धारा ७९ के उपबन्धों के दायरे के भीतर कम्पनी को डिस्काउन्ट पर शेयर जारी करने की शक्ति है।

(४) शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी, यदि ऐसा आर्टिकल द्वारा प्राधिकृत हो, प्रिफ्रेन्स शेयर जारी कर सकती है जिसे लाभ में से छुड़ाया जा सकता है, और ऐसे छुड़ाये जाने का अर्थ उसके प्राधिकृत शेयर कैपिटल में कमी नहीं होगी। (धारा ८०)।

(५) जब्त किये गये शेयरों को डिस्काउन्ट पर जारी किया जा सकता है।

कमीशन तथा डिस्काउन्ट

निम्नांकन (Underwriting Gerstenberg)—"निम्नांकन" की परिभाषा में कहते हैं कि यह एक ऐसा करार है जो जनता के समक्ष शेयरों को

प्रस्तुत किए जाने से पहिले किया जाता है और जिसमें यह करार होता है कि करारनामे में उल्लिखित सभी शेयरों या किसी निश्चित संख्या के शेयरों को जनता द्वारा न लिये जाने की सूरत में निम्नांककगण, करारशुदा कमीशन पर शेयरों के ऐसे भाग के एलाटमेन्ट को ले लेंगे जिसके लिये जनता आवेदन नहीं करती। [Gerstenberg Financial Organisation and Managment, Ch. XXII]।

An underwriter's agreement is "an agreement whereby, previously to an offer of a company's shares to the public for subscription, some person undertakes, in consideration of a commission, to take the whole or a portion of such (if any) of the offered shares as may not be subscribed for by the public." [Rawlins and Macnaghten, p. 220].

निम्नांकक का करार एक ऐसा करार है जिसके द्वारा शेयरों को जनता को सब्सक्राइब करने के लिए पेश करने से पहले, कुछ व्यक्ति, कुछ कमीशन के प्रतिफल के उपलक्ष्य में यह जिम्मा लेते हैं कि यदि जनता सारे शेयरों के लिये सब्सक्राइब नहीं करती तो वे शेष शेयरों या सारे शेयरों को ले लेंगे। अपनी इस सेवा के लिये निम्नांकक कुछ कमीशन चार्ज करता है।

निम्नांकन तथा दलाली (Underwriting and Brokerage)

--दलाली निम्नांकन से भिन्न होती है। इसमें सन्देह नहीं कि दलाल भी कम्पनी की प्रतिभूतियों के बिक्री को बढ़ाता है और बिकने वाले शेयरों के मूल्य पर कुछ प्रतिशत बतौर कमीशन के प्राप्त करता है। वह स्वयं शेयरों को नहीं लेता, बल्कि उनके लिए व्यक्ति उपलब्ध करता है जो उसे लेते हैं और ऐसा करने के लिये कमीशन प्राप्त करता है। दलाल कोई जोखिम नहीं उठाता और यदि शेयर उतनी मात्रा में सब्सक्राइब नहीं किये जाते जितने से कि कम्पनी अपना कार्य शुरू कर सके तो वह उन्हें लेने के लिए बद्ध नहीं होता, जैसे कि निम्नांकक होता है।

निम्नांकन की सूरत में यदि पब्लिक पर्याप्त मात्रा में सब्सक्राइब नहीं करते तो वह शेयरों को लेने के लिये बद्ध होता है। दलाली का अर्थ है वह कमीशन जो पेशेवर दलालों, स्टाक के दलालों, बैंकर तथा ऐसे ही व्यक्तियों को दिया जाता है, जो अपने व्यापार के स्थान पर कम्पनी के प्रास्पेक्टस को प्रदर्शित करते हैं तथा उसे अपने ग्राहकों के पास भेज देते हैं जिससे कि उनकी मध्यस्थता द्वारा ग्राहक शेयर खरीदने के लिये प्रलोभित हों।

निम्नांकन के कमीशन के भुगतान की शर्तें (Conditions for payment of underwriting commsission)—ऐक्ट की धारा ७६ द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही निम्नांकन के कमीशन का भुगतान किया जा सकता है। यह निर्धारित करती है कि कोई कम्पनी किसी व्यक्ति को इन बातों के प्रतिफलार्थ—(क) कम्पनी के शेयरों या डिबेन्चर्स के प्रति सब्सक्राइब करने के लिये अर्थात्, निम्नांकन या सब्सक्राइब करने के लिए सहमत होने के लिए चाहे निरपेक्ष रूप से या, सशर्त, या (ख) कम्पनी के शेयरों या डिबेन्चर्स के लिए सब्सक्राइब प्राप्त करने या प्राप्त करने के लिए सहमत होने के लिए (वैध दलालों के संदर्भ में जो शेयर बेचने के लिए कमीशन लेते हैं, लेकिन जो स्वयं शेयर बेचने का जिम्मा नहीं लेते', चाहे निरपेक्ष रूप से या सशर्त कमीशन दे सकती है, यदि निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होती है, अर्थात्—

(१) कम्पनी के आर्टिक्ल्स द्वारा कमीशन का भुगतान प्राधिकृत है;

(२) भुगतान किया गया या किए जाने के लिए सहमत किया गया कमीशन शेयरों की सूरत में शेयरों के ईसू प्राइस के प्रतिशत से अधिक या आर्टिक्ल्स द्वारा प्राधिकृत राशि या दर से अधिक नहीं है, जो भी कम हो, तथा डिबेन्चर्स की सूरत में ईसू प्राइस के २½ प्रतिशत से अधिक या आर्टिक्ल्स द्वारा प्राधिकृत दर से अधिक नहीं, जो भी कम हो :

(३) जनता को सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर या डिबेन्चर्स की पेशकश करने वाली कम्पनी की सूरत में भुगतान की गई या भुगतान किये जाने के लिये सहमत की गई कमीशन की रकम या प्रतिशत दर को प्रास्पेक्टस में प्रकट किया गया है।

(४) शेयरों या डिबेन्चर्स की संख्या को, जिन्हें व्यक्तियों ने कमीशन पर निरपेक्ष रूप से या सशर्त रूप से सब्सक्राइब करने के लिये सहमति दी है, प्रास्पेक्टस में उपरोक्त तरीके से प्रकट किया गया है; तथा

(५) कमीशन के भुगतान के लिये की गई संविदा की एक प्रतिलिपि, रजिट्रार के समक्ष, रजिस्ट्री के लिए प्रास्पेक्टस या प्रास्पेक्टस के स्थान पर स्टेटमेंट दाखिल किये जाने के समय, डिलेवर की जाती है। [धारा ७६ (१)]।

धारा ७६ की उप-धारा (२) द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि यदि इससे. पहिले कम्पनी द्वारा कोई दलाली दिया गया जाना वैध था तो इस धारा की कोई बात कम्पनी द्वारा ऐसी दलाली को भुगतान करने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी। यह उप-धारा केवल वास्तविक दलालों को देना प्राधिकृत

करती है। दलाली की दर युक्तिसंगत होनी चाहिये और अधिक नहीं होनी चाहिये; और न ही उपरोक्त सीमाओं के बाहर जानी चाहिए।

निम्नांकन की व्यवस्था को प्रास्पेक्टस में प्रकट करना होता है और निम्नांककों के नाम तथा डायरेक्टरों के इस मत को भी कि निम्नांककों के साधन उनके दायित्वों के उन्मोचन के लिये पर्याप्त है, प्रास्पेक्टस में देना होता है।

शेयरों की बिक्री के संबंध में किसी अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए कमीशन देने के अनुमति नहीं है।

कम्पनी द्वारा स्वयं अपने शेयरों के क्रय पर निर्बन्धन (Restrictions on purchase by company of its own shares)—शेयरों द्वारा सीमित कोई कम्पनी, तथा शेयर कैपिटल वाली तथा प्रत्याभूति द्वारा सीमित कोई कम्पनी, स्वयं अपने शेयर नहीं क्रय कर सकती, जब तक कि कैपिटल में समनुवर्ती (consequent eduction) नहीं की जाती तथा इसकी स्वीकृति धारा १०० से १०४ या धारा ४०२ के अनुसार नहीं प्रदान की जाती। [धारा ७७ (१)]।

धारा १०० उस सूरत में कम्पनी के कैपिटल में कमी किये जाने की अनुमति देती है जहाँ उसके आर्टिकल्स द्वारा ऐसा प्राधिकृत किया गया हो तथा अदत्त कैपिटल के सिलसिले में उसके शेयरों के दायित्व को कम करने या समाप्त करने के लिये या किसी खो गए शेयर कैपिटल या आवश्यकता से अधिक शेयर कैपिटल को मन्सूख करने के लिये विशेष प्रस्ताव पारित किया गया हो। ऐसी कमी की कोर्ट द्वारा पुष्टि होनी जरूरी होती है। धारा ४०२ के अन्तर्गत जहाँ किसी कम्पनी का कार्य इस प्रकार संचालित किया जा रहा हो कि यह किसी सदस्य या सदस्यों के लिये पीड़ाजनक हो, तो वह धारा ३९७ के अन्तर्गत कोर्ट को दरखास्त दे सकता है और कोर्ट उस पर आदेश पारित करते समय, कम्पनी द्वारा स्वयं अपने शेयरों के क्रय की सूरत में, उसके शेयर कैपिटल में समनुवर्ती कमी का उपबन्ध कर सकती है।

धारा ७७ (२) के अन्ततर्ग, पब्लिक कम्पनी या प्राइवेट कम्पनी, जो किसी पब्लिक कम्पनी की सब्सीडियरी है, किसी व्यक्ति को कम्पनी या उसकी होल्डिंग कम्पनी के शेयर क्रय करने के प्रयोजन के लिए बतौर कर्ज, प्रत्याभूति या प्रतिभू कोई आर्थिक सहायता देने के लिए निषिद्ध है।

अपवाद—उपरोक्त निषेध निम्नलिखित सूरतों में नहीं लागू होते—

(क) व्यापार के सामान्य क्रय में बैंकिंग कम्पनी द्वारा ऋणों को; या

(ख) किसी कम्पनी द्वारा, किसी योजना के अनुसार, कम्पनी के नौकरों के लाभ के लिये जिसमें वेतन पाने वाले डायरेक्टर भी शामिल हों, न्यासधारी द्वारा कम्पनी या उसकी सूत्रधारी (holding) कम्पनी के पूर्ण रूप से दत्त शेयरों में क्रय, या सब्सक्रिप्शन के लिये धन के प्राविधान को; या

(ग) डायरेक्ट्रों, मैनेजिंग एजेन्टों, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स या मैनेजरों के अतिरिक्त, कम्पनी के वास्तविक सेवा में होने वाले व्यक्तियों को कम्पनी के या उसकी सूत्रधारी कम्पनी के पूर्ण दत्त शेयरों को अपने लाभ के लिये क्रय तथा सब्सक्राइब कर सकने के लिये छः माह के वेतन तक की राशि के बराबर ऋण के रूप में दिए जाने को। अग्रिम दी गयी राशि उस समय ऐसे व्यक्ति के छः माह के वेतन या मजदूरी की राशि से अधिक न होगा; या

(घ) धारा ८० के अन्तर्गत अपने प्रिफ्रेन्स शेयरों को छुड़ाने के कम्पनी के अधिकार को।

यदि कोई कम्पनी उपरोक्त उपबन्धों का उल्लंघन करती है, तो कम्पनी तथा चूक करने वाला उसका प्रत्येक अधिकारी जुर्माने द्वारा, १,००० रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जा सकेगा।

धारा ७७ यह सिद्धान्त स्थापित करती है कि कोई कम्पनी स्वयं अपने शेयरों का क्रय नहीं कर सकती जिसमें कैपिटल का कम होना अन्तर्ग्रस्त होता है, और जब तक कि ऐक्ट में निर्धारित कैपिटल को कम करने की प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जाता, ऐसा संव्यवहार शक्ति के परे (Ultra vires) होगा। [British & America Corporation v. Couper (1894) A. C. 399]।

Trevor v. Whiteworth, 12 A. C. 409 में निर्धारित किया गया है कि जहाँ आर्टिक्ल्स या मेमोरंडम द्वारा स्वयं अपने शेयरों को क्रय करने की शक्ति प्रदान की गयी हो तो भी इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है और ऐसी शक्ति शून्य होगी। इन परिस्थितियों में कम्पनी को अपने शेयर्स को बेचने वाला व्यक्ति बतौर शेयर होल्डर उत्तरदायी होता है और यदि उसके नाम को रजिस्टर में से खारिज कर दिया गया है तो भी इसे बाद में पुनःस्थापित (restore) किया जा सकता है। [General Property Investment Co. v. Matheson's Trust, (1888) 16 R. 282]।

प्रीमियम पर शेयरों का जारी किया जाना (Issue of shares at premium)—जहाँ कोई कम्पनी प्रीमियम पर शेयर्स जारी करती है, चाहे नगद या अन्यथा, तो उन शेयरों पर प्रीमियम के मूल्य या समस्त राशि (aggre-

gate amount) के बराबर रकम "दी शेयर प्रीमियम अकाउन्ट" नामक खाते में हस्तांतरित की जाएगी और इस खाते की रकम को कैपिटल के न्यूनीकरण के प्रयोजन के लिए कम्पनी का दत्त शेयर कैपिटल समझा जाएगा, सिवाय इसके कि कम्पनी ऐसे शेयर प्रीमियम को (क) कम्पनी के गैर जारी किये गये शेयरों के भुगतान तथा कम्पनी के सदस्यों को बतौर पूर्ण दत्त बोनस शेयर्स जारी करने के लिए; (ख) कम्पनी के प्रारम्भिक खर्चों को अपलिखित (write off) करने के लिए; (ग) कम्पनी द्वारा जारी किये गये शेयर्स या डिबेन्चर्स पर हुए खर्च, या भुगतान किये गये कमीशन या दिये गये डिस्काउन्ट को अपलिखित करने के लिए; या (घ) कम्पनी के मोच्य प्रिफ्रेन्स शेयर्स या किन्हीं डिबेन्चर्स पर देय प्रीमियम के लिये प्राविधान करने के लिये इस्तेमाल कर सकती है। [धारा ७८]।

यह ऐक्ट का एक नया उपबन्ध है, जो किसी पिछले ऐक्ट में नहीं पाया जाता है। यह धारा कम्पनी के कैपिटल के एक नये वर्ग का सर्जन करती है जो यद्यपि शेयर कैपिटल नहीं होता, अन्य शेयर कैपिटल के समान ही यह बतौर आय वितरणीय नहीं होता। समापन की सूरत में, शेयर प्रीमियम एकाउन्ट में होने वाला सरप्लस धन शेयर होल्डरों को वापस कर दिया जायेगा और जब तक कम्पनी एक चलती हुई संस्था रहती है, यह रकम शेयर होल्डरों को वापस नहीं किया जा सकता सिवाय न्यूनीकरण के आवेदन-पत्र के माध्यम के जरिए। [Re. Duff's Settlement Trust (1951) 1. A. E. R.. (1869)]।

डिस्काउन्ट पर शेयर जारी करने की शक्ति (Power to issue shares at a discount)—डिस्काउन्ट पर शेयर जारी किया जाना सामान्यतः निषिद्ध है, और सीमित दायित्व वाली कम्पनी के शेयर को क्रय करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह उसके द्वारा अर्जित किये गये शेयरों के अभिहित राशि (nominal amount) का भुगतान करे और उसके दायित्व की पूर्ति पूर्ण भुगतान द्वारा ही हो सकती है। लेकिन धारा ७६ कम्पनी को सीमित शक्ति प्रदान करके डिस्काउन्ट पर शेयर जारी किये गये जाने को वैधता प्रदान करती है। इस धारा द्वारा यह उपबन्धित है कि जैसा कि धारा में उपबन्धित है उसके सिवाय कम्पनी डिस्काउन्ट पर शेयर नहीं जारी करेगी।

यदि निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होती है, तो कम्पनी जारी किये जा चुके वर्ग के शेयरों को डिस्काउन्ट पर जारी कर सकती है :—

(क, डिस्काउन्ट पर शेयर जारी किया जाना कम्पनी द्वारा जनरल मीटिंग में प्रस्ताव पारित करके प्राधिकृत किया गया हो;

(ख) कोर्ट में डिस्काउन्ट पर शेयर जारी करने की स्वीकृति प्रदान की हो ;

(ग) प्रस्ताव में डिस्काउन्ट की अधिकतम दर को उल्लिखित किया गया है (१० प्रतिशत से अधिक नहीं या ऐसी अधिक प्रतिशत जिसकी अनुमति विशेष सूरत में केन्द्रीय सरकार दे) जिस पर शेयरों को जारी किया जायगा ;

(घ) शेयरों को तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि कम्पनी द्वारा "व्यापार शुरू करने के लिये हकदार" होने की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि न बीत गई हो ;

(ङ) डिस्काउन्ट पर जारी किये जाने वाले शेयरों को, कोर्ट द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने की तारीख के दो माह के भीतर या बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसकी अनुमति कोर्ट दे, जारी किया जाता है।

जहाँ कम्पनी ने डिस्काउन्ट पर शेयर जारी किए जाने के लिये प्राधिकृत करते हुए प्रस्ताव पारित किया है, वहाँ वह कोर्ट से जारी किए जाने के लिये स्वीकृति प्रदान करने के आदेश के लिये दरखास्त दे सकती है ; और यदि मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट उचित समझती है तो वह ऐसी शर्तों पर जारी किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे।

जहाँ शेयरों को डिस्काउन्ट पर जारी किया जाता है; वहाँ ऐसे जारी किए गये शेयरों से संबंधित प्रत्येक प्रास्पेक्टस में (१) शेयरों पर दिये गये डिस्काउन्ट का विवरण या (२) प्रास्पेक्टस जारी किए जाने की तारीख पर उस डिस्काउन्ट में से कितना बट्टे-खाते में डाल दिया गया है उल्लिखित किया जाना चाहिये।

मोच्य प्रिफरेन्स शेयर [Redeemable preference shares]—यदि उसमें आर्टिक्ल्स द्वारा ऐसा प्राधिकृत है, तो शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी ऐसे प्रिफरेन्स शेयर जारी कर सकती है जो कम्पनी द्वारा या उसके विकल्प (option) पर मोच्य हों। लेकिन, यह धारा ८० के उपबन्धों के अधीन है जो मोच्य प्रिफरेन्स शेयरों को जारी किए जाने के लिये निम्नलिखित शर्तें निर्धारित करती है :—

(१) यह आर्टिक्ल्स द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए।

(२) ऐसे शेयर पूर्णतः दत्त (पेड) होने चाहिए।

(३) ऐसे शेयर (क) कम्पनी के लाभ में से, जो अन्यथा वितरण के लिये उपलब्ध हों; या (ख) मोचन के प्रयोजन के लिये अभिव्यक्त रूप से फिर से जारी किये गये शेयरों के आगम (proceeds) में से मोच्य होंगे।

(४) यदि ऐसे मोचन पर कोई प्रीमियम देय हो, तो इससे पहले कि शेयरों का मोचन हो, इसका उपबन्ध कम्पनी के लाभ में से या कम्पनी के शेयर प्रीमियम अकाउन्ट में से किया जायगा।

(५) जहाँ ऐसे शेयरों को मोचन कम्पनी के विभाज्य लाभ में से किया गया हो, तो लाभ में से जो अन्यथा डिविडेन्ड के लिये उपलब्ध होता, "the capital redemption reserve account" नामक एक रिजर्व फण्ड में, मोचित शेयरों के नॉमिनल राशि के बराबर राशि, हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस फण्ड को कैपिटल को कम करने के प्रयोजनार्थ कम्पनी के पेड-अप कैपिटल का भाग माना जायगा।

धारा ८० के उपरोक्त उपबन्धों के अधीन, प्रिफ़ेन्स शेयरों का मोचन उनके अन्तर्गत कम्पनी के आर्टिक्ल्स में उपबंधित शर्तें तथा तरीकों के अनुसार किया जा सकता है।

किसी कम्पनी द्वारा धारा ८० के अन्तर्गत प्रिफ़ेन्स शेयरों के मोचन को उसके प्राधिकृत शेयर कैपिटल में कमी किया जाना नहीं माना जाएगा।

अधिक कैपिटल का जारी किया जाना (Further issue of Capital)—धारा ८१ यह उपबन्ध करती है कि जहाँ किसी कम्पनी के निर्माण के बाद दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद किसी समय या उसके निर्माण के बाद पहली बार उस कम्पनी में शेयरों के एलाटमेन्ट के बाद एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद किसी समय, जो पहले हो, अधिक शेयर्स में एलाटमेन्ट द्वारा कम्पनी के सब्सक्राइब्ड कैपिटल में वृद्धि का प्रस्ताव है, तब—

(क) ऐसे अधिक शेयर्स की पेशकश जारी किये जाने की तारीख पर कम्पनी के इक्विटी शेयर्स के धारकों को, उस तारीख पर उन शेयर्स पर दत्त कैपिटल के अनुपात में, उतना निकट जितना परिस्थितियों में सम्भव हो, की जायेगी।

(ख) उपरोक्त पेशकश नोटिस द्वारा की जानी चाहिए और उसमें पेशकश गये शेयर्स की संख्या दी जानी चाहिये तथा उसमें समय की एक सीमा निश्चित की जानी चाहिये जो कम से कम पेशकश की तारीख से पन्द्रह दिन होनी चाहिये जिसके भीतर, यदि पेशकश को मन्जूर नहीं किया जाता है, तो यह माना जायेगा कि उसे नामंजूर कर दिया गया है।

(ग) जब तक कि कम्पनी के आर्टिक्ल्स में अन्यथा उपबंधित न हो, यह समझा जायेगा कि शेयर्स की पेशकश में एक अधिकार सम्मिलित है जिसका प्रयोग संबंधित व्यक्ति उसको पेशकश किये गये शेयरों का स्वयं परित्याग कर सकता है या

किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में शेयर्स का परित्याग कर सकता है; और उपरोक्त नोटिस में इस अधिकार का कथन होगा।

(घ) उपरोक्त नोटिस में उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर, या शेयर्स के पेशकश को नामंजूर करने की सूचना पहले प्राप्त हो जाने पर, डायरेक्टर्स उनका निबटारा, कम्पनी के हित में जैसा वे उचित समझें, कर सकते हैं। (धारा ८१ (१))।

उप-धारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, अधिक शेयर्स का प्रस्ताव किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को किया जा सकता है भले ही वे किसी भी प्रकार उपधारा (१) के खंड (क) में उल्लिखित व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति न हों—

(क) यदि इस आशय का विशेष प्रस्ताव कम्पनी की जनरल मीटिंग में पारित किया जाता है, या

(ख) जहाँ ऐसा प्रस्ताव नहीं पारित किया जाता है, प्रस्ताव में दी गई प्रस्थापना (proposal) के पक्ष में जनरल मीटिंग में दिये गये मत विपक्ष के मत से अधिक हों, और इस दिशा में बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा दी गई दरख्वास्त पर केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट हो कि प्रस्थापना कम्पनी के लिये अत्यधिक फायदेमन्द है। [धारा ८१ (१-ए)]।

इस धारा की कोई बात—

(क) किसी प्राइवेट कम्पनी, या

(ख) किसी पब्लिक कम्पनी के सब्सक्राइब्ड कैपिटल में उस वृद्धि को नहीं लागू होगी, जो कम्पनी द्वारा जारी किये गये डिबेन्चर्स या उगाहे गये ऋण से सम्बद्ध विकल्प का (१) ऐसे डिबेन्चर्स या ऋणों को शेयर्स के रूप में परिवर्तित करने, या (२) कम्पनी के शेयर्स में सब्सक्राईब करने लिये प्रयोग करने के कारण हुई हो।

भाग ४

अध्याय ५

शेयर कैपिटल

[SHARE CAPITAL]

शेयर की परिभाषा (Share defined —अपनी पुस्तक Treatis: on Companies में Lo d Lindley शेयर की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि शेयर कैपिटल यानी हिस्सा पूँजी का एक वह अनुपात है जिसका हकदार कम्पनी का प्रत्येक सदस्य होता है। Borlands Trustee *v.* St el Brothers and Co. (1901) 1 Ch. 279, 288 में Farwell, J. ने शेयर की परिभाषा इन शब्दों में की है—

"Share is the interest of the shareholders of the company measured by a sum of money, for the purposes of liability in the first place and of interest in the second, but also consisting of a series of mutual covenants entered into by all the shareholders *inter se*. A share is not a sum of money, but is an interest measured in a sum of money, and made up of various rights, contained in the contract."

ऐक्ट की धारा २ की उप-धारा (४६) के अनुसार "शेयर" का अर्थ है कम्पनी के शेयर कैपिटल में शेयर अर्थात्, हिस्सा, और इसमें स्टाक भी शामिल है सिवाय जहाँ स्टाक तथा शेयरों के बीच विभेद अभिव्यक्त या प्रलक्षित हो।

शेयर कम्पनी के शेयर कैपिटल में एक यथोल्लिखित राशि के हिस्से का अधिकार होता है जिसके साथ कुछ अधिकार तथा दायित्व होते हैं और जो कम्पनी के चलते रहने तथा समापन के दौरान में होते हैं। किसी कम्पनी में किसी सदस्य का शेयर या अन्य हित उसकी वैयक्तिक सम्पदा होती है जो आर्टिक्ल्स द्वारा निर्धारित तरीके से हस्तांतरणीय होती है और यह स्थावर सम्पदा (Real estate) के प्रकृति की नहीं होती हैं। [Hals 3rd. Ed.; Vol. 6., P. 234]।

शेयरों की प्रकृति (Nature of Shares)- -ऐक्ट की धारा ८२ के अन्तर्गत किसी कम्पनी में किसी सदस्य का शेयर या अन्य हित चल सम्पत्ति होगी

तथा कम्पनी के आर्टिक्ल्स द्वारा निर्धारित तरीके से हस्तांतरणीय होगी। भारतीय संविद अधिनियम की धारा ७६ के अन्तर्गत शेयरों को वस्तु माना जाता है।

इसलिये, आर्टिक्ल्स में इस बात का प्राविधान करना जरूरी है कि शेयरों का हस्तांतरण किस प्रकार होगा। यदि कम्पनी के स्वयं के आर्टिकल्स नहीं हैं तो अनुसूची १ की सारिणी 'ए' (Table A) लागू होगी। आर्टिक्लस में कम्पनी केवल अपने शेयरों के हस्तांतरण के तरीके को निर्धारित कर सकती है, लेकिन वह कानून द्वारा दिये गए शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार को बिलकुल निषिद्ध नहीं कर सकती और इसे छीन भी नहीं सकती है।

जहाँ हस्तांतरण के रजिस्ट्रेशन को इन्कार करने की शक्ति अबधित रूप से डायरेक्टर्स को प्रदत्त भी हो, वहाँ इन्कार किया जाना स्वच्छन्द या मनमाना नहीं होना चाहिए। [Theneppa *v.* Indian Overseas Bank, 1943 M. 743]।

लेकिन, यदि डायरेक्टर अपने इस अधिकार का प्रयोग सद्भावनापूर्वक करते हुए रजिस्ट्रेशन को इन्कार करते हैं, तो कोर्ट के लिये यह सक्षम नहीं होगा कि वह उनके निर्णय को हटा दे और उनसे अपने निर्णय के लिये कारण बताने को कहे।

हस्तांतरण का दस्तावेज हस्तांतरक तथा हस्तांतरिती दोनों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। यदि हस्तांतरिती उस पर हस्ताक्षर नहीं करता, या शेयर होल्डर होने के लिये सहमत नहीं होता, तो हस्तांतरण प्रभावकारी नहीं होगा और उस पर कोई उत्तरदायित्व नहीं आवेगा, भले ही डायरेक्टरों ने हस्तांतरण को रजिस्टर्ड कर लिया हो। (Powell *v.* London & P. Bank (1893) 2 Ch. 555)। लेकिन, यदि हस्तांरिती ने हस्तांतरण पर कार्य किया है या उसे मान्यता प्रदान की है, तो यह प्रभावकारी होगा।

शेयर कैपिटल वाली कम्पनी के प्रत्येक शेयर उसके समुचित संख्या (appropriate number) द्वारा विभेदित (distinguish) किया जाएगा, अर्थात् प्रत्येक शेयर का एक अलग नम्बर होगा। (धारा ८३)।

शेयरों का प्रमाण पत्र (Certificate of shares)—कम्पनी के कामन-सील के अन्तर्गत जारी किया गया प्रमाण-पत्र, जिसमें किसी सदस्य द्वारा धारित शेयर उल्लिखित हों, ऐसे शेयरों के प्रति सदस्य के स्वत्व का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होगा। (धारा ८४)। शेयर होल्डर द्वारा धारित शेयरों की संख्या का यह एक दस्तावेजी सबूत होता है। यदि कोई सद्भावी क्रेता प्रमाण-पत्र पर विश्वास

करके मूल्य देकर उन्हें अर्जित करता है तो कम्पनी प्रमाण-पत्र की वैधता से इन्कार नहीं कर सकती। (In *re* Bahia San Francisco Rly. Co. (1868) 3 Q. B. 584) प्रतिष्टम्भ (estoppel) या विबन्धन के इस नियम को कड़ाई-पूर्वक लागू किया गया है जिससे कि बिना सूचना का हस्तांतरिती प्रमाण-पत्र को स्वीकार कर लेता है और उस पर कार्य करता है, तो वह न केवल शेयर्स के प्रति अपने स्वत्व का दावा करेगा बल्कि वह स्वयं अपने हस्तांतरिती को सुस्वत्व प्रदान कर सकेगा, भले ही उसे किसी ऐसी अनियमितता की सूचना हो जो उसके हस्तांतरक को न हो। (Borrow's case, 14 Ch. D. 432)।

धारा ८४ की उप-धारा (२, जिसे कम्पनीज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १६६० द्वारा जोड़ा गया है, यह उपबन्ध किया गया है कि (क) यदि यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रमाण-पत्र खो गया है या नष्ट हो गया है, या (ख) खराब हो गया है, बदशक्ल हो गया है या फट गया है और उसे कम्पनी को सरेन्डर किया जाता है तो ऐसे प्रमाण-पत्र का नवीकरण हो सकता है या उसका डुप्लीकेट जारी किया जा सकता है।

उप-धारा (३) के उपबन्धों के अन्तर्गत यदि कोई कम्पनी कपट करने के इरादे से किसी प्रमाण-पत्र का नवीकरण करती है या उसका डुप्लीकेट जारी करती है, तो कम्पनी जुर्माने द्वारा जो १०,००० रुपये तक हो सकता है तथा कम्पनी का प्रत्येक दोषी अधिकारी कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक हो सकती है, तथा जुर्माने से जो १०,००० रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डित किया जा सकेगा।

प्रमाण-पत्र के फायदे (Advantages of Certificate)— प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने से शेयर-होल्डर को बाजार में उनके प्रति संव्यवहार करने तथा विक्रेय स्वत्व (marketable title) दिखाकर उन्हें तुरन्त बेचने में सुविधा होती है और इस सुविधा से शेयरों का मूल्य बढ़ता है। प्रमाण-पत्र द्वारा कम्पनी सारे संसार को घोषित करती है कि जिस व्यक्ति का नाम उसमें दिया हुआ है वह कम्पनी का एक शेयर होल्डर है। कम्पनी शेयर होल्डर को प्रमाण-पत्र इसलिए देती है कि इसका प्रयोग शेयरों के हस्तांतरण तथा बिक्री में किया जा सके। (In *re*. Bahia & C. Ry. Co. (Supra).)

According to Palmer, "certificates are a great convenience to shareholders, and persons dealing with them, because they are *prima facie* evidence of the title to the shares. Moveover, the company is bound by its statement in the certificate, and if the certificate is untrue, whether intentionally or accidentally, any person acting on it (*e. g.*,

advancing money, or buying the shares) can compel the company to make good its statement and pay any damage by reason of any misrepresentation.

"The convenience of a certificate is that the shareholder who wants to sell or mortgage his share can atonce produce it as evidence of his title, and of the amount paid up. There is no need, as in the case of real and leasehold property, to go into a history of the property, and consider who were the previous owners. The certificate is sufficient. As, however, the regulations very commonly give the company a lien, and restrict the right of transfer, and as a transfer may have been restrained by order of the court or the directors may refuse to register the transfer, a buyer or mortgagee before parting with his money will do well to ascertain that there is no difficulty as to transfer." [Palmer's Company Guide, 36th Ed., 40].

प्रत्येक कम्पनी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह, अपने शेयर्स, डिबेन्चर्स या डिबेन्चर स्टाक के एलाटमेन्ट के बाद तीन महीने के भीतर, तथा ऐसे शेयर्स, डिबेन्चर्स या डिबेन्चर स्टाक के हस्तांतरण के रजिट्रेशन के लिये दिये गये आवेदन-पत्र के बाद दो महीने के भीतर, सभी शेयर्स, डिबेन्चर्स के प्रमाण-पत्रों, तथा सभी एलाट या हस्तांतरित किये गये डिबेन्चर-स्टाक के प्रमाण-पत्रों को पूरा कराए तथा उसको डिलेवर करने के लिये तैयार रक्खे, जब तक कि शेयर्स, डिबेन्चर्स या डिबेन्चरस्टाक के जारी किये जाने के शर्तों द्वारा अन्यथा उपबन्धित न हो।

शेयर कैपिटल की किस्में [Kinds of Share Capital]—शेयर कई किस्म के हो सकते हैं, जैसे प्रिफ़ेन्स शेयर, संचयी (cumulative) अथवा असंचयी हो सकते हैं, साधरण तथा, इस ऐक्ट के पहिले, डेफर्ड शेयर या फाउन्डर्स शेयर। प्रिफ़ेन्स शेयर, कैपिटल या डिविडेन्ड या दोनों के प्रति अधिमान्य (preferential) हो सकते हैं। १९५६ के वर्तमान एक्ट के पहिले इन्हें विशेषाधिकार भी प्राप्त हो सकते थे, जैसे वोटिंग तथा अन्य मामलों के संबंध में। प्रिफ़ेन्स तथा सेकन्ड प्रिफ़ेन्स शेयर भी हो सकते थे। इसके अतिरिक्त, ऐसे शेयर संचयी अथवा असंचयी हो सकते हैं। फिर मोच्य प्रिफ़ेन्स शेयर भी होते हैं, जिनका उल्लेख एक पिछले अध्याय में किया गया है। साधरण शेयरों पर, प्रिफ़ेन्स शेयरों पर देय निश्चित डिविडेन्ड को काट कर, यदि कोई हों कम्पनी के शुद्ध लाभ का अधिकांश भाग दिया जाता है। वर्तमान एक्ट ने "साधरण शेयरों" का नाम बदल कर "ईक्विटी शेयर" रख दिया है। डेफर्ड शेयरों को आम तौर से प्रमोटरों को बतौर पूर्ण रूप से

दत्त शेयर कम्पनी के प्रमोशन में किये गये व्यय के प्रतिफलार्थ दिया जाता था, या निम्नांककों को उनके कमशीन की प्रतिपूर्ति के लिये एलाट किया जाता था। वर्तमान एक्ट ने शेयरों के इस वर्ग को समाप्त कर दिया है, और यद्यपि प्रमोटरों या सम्पत्ति के विक्रेताओं को पूर्ण रूप से दत्त शेयर जारी किये जा सकते हैं, वे केवल दो ही वर्ग के होंगे अर्थात् प्रिफ्रेन्स या ईक्विटी शेयर और डिविडेन्ड तथा अन्य अधिकारों के प्रति कोई विभेदजनक उपबन्ध नहीं होंगे।

शेयर कैपिटल की नई निकासी केवल दो प्रकार की होगी

[New issues of share capital to be only of two kinds]—जैसाकि ऊपर कहा गया है वर्तमान ऐक्ट ने शेयरों के विभिन्न वर्गों को समाप्त कर दिया है और अब केवल दो प्रकार के शेयर कैपिटल की निकासी हो सकती है। धारा ८६ निर्धारित करती है कि एक्ट के लागू होने के बाद स्थापित की गई, या निकासी शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी का शेयर कैपिटल केवल दो प्रकार का होगा। अर्थात् (१) ईक्विटी शेयर कैपिटल ; तथा (२) प्रिफ्रेंस शेयर कैपिटल। लेकिन, यह उपबन्ध प्राइवेट कम्पनी को नहीं लागू होता। ऐक्ट पुराने वर्गों के शेयरों के वोटिंग अधिकार को निर्बन्धित करता है, लेकिन डिविडेन्ड तथा कैपिटल में उनके अधिकारों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करता।

प्रिफरेन्स शेयर कैपिटल—धारा ८५ में अभिव्यक्ति "प्रिफ्रेन्स शेयर कैपिटल" की परिभाषा की गई है तथा निर्धारित किया गया है कि प्रिफ्रेन्स शेयर कैपिटल का अर्थ है, शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी के संदर्भ में, चाहे ऐक्ट के शुरू होने के बाद स्थापित की गई हो या पहले, कम्पनी के शेयर कैपिटल का वह भाग जो निम्नलिखित दोनों अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, अर्थात् :—

(क) कि डिविडेन्ड के प्रति, इसके साथ एक निश्चित डिविडेन्ड, या एक निश्चित दर से डिविडेन्ड, चाहे आयकर के अधीन या आयकर से मुक्त, के भुगतान का अधिमान्य अधिकार (preferential right) होता है या होगा ; तथा

(ख) कि कैपिटल के प्रति, इसके साथ, समापन या कैपिटल की वापसी पर ऐसे शेयरों पर भुगतान किये गये या भुगतान किया गया समझे गये रकम की वापसी का अधिमान्य होता है या होगा।

वर्तमान ऐक्ट द्वारा यह अपेक्षित है कि प्रिफ्रेन्स शेयर के साथ न केवल डिविडेन्ड का अधिमान्य अधिकार होगा, बल्कि समापन या कैपिटल की वापसी में अन्य व्यवस्था की सूरत में कैपिटल के प्रति भी अधिमान्य अधिकार होगा।

इक्विटी शेयर कैपिटल (Equity Share Capital)—धारा ८५ (२) के अनुसार शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी की सूरत में सभी शेयर कैपिटल जो प्रिफ्रेन्स शेयर कैपिटल नहीं हैं इक्विटी शेयर कैपिटल होता है।

धारा ८६ शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी के शेयर कैपिटल को दो वर्गों में विभाजित करती है, अर्थात् इक्विटी शेयर कैपिटल तथा प्रिफ्रेन्स शेयर कैपिटल। इससे स्पष्ट है कि यह अन्य शेयर के वर्ग को, अर्थात्, डेफर्ड कैपिटल को, नई कम्पनियों तथा नई निकासियों के संदर्भ में बिलकुल निकाल देती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह प्राइवेट कम्पनियों को नहीं लागू होता, जब तक कि वह किसी लोक कम्पनी की सहायक कम्पनी न हो। इसलिये, प्राइवेट कम्पनी, जैसा उचित समझे, अन्य प्रकार के शेयर कैपिटल की निकासी कर सकती है।

मताधिकार (Voting Rights)—ऐक्ट की धाराएँ ८७ तथा ८६ कम्पनियों के मताधिकार को नियमित करती हैं और इसे कम्पनियों के प्रमोटर्स तथा संघटकों की मर्जी पर नहीं छोड़ती हैं। मताधिकार के नियम संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :—

(१) शेयरों द्वार सीमित कम्पनी का प्रत्येक सदस्य उसमें जो इक्विटी शेयर कैपिटल धारण करता है ऐसे कैपिटल के सिलसिले में कम्पनी के समक्ष रक्खे गये प्रत्येक प्रस्ताव पर अपना मत देने का अधिकारी होगा। [धारा ८७ (१) (ख)]।

(२) किसी मतदान (poll) में उसका मताधिकार कम्पनी के पेड-अप इक्विटी के उसके शेयर के अनुपात में होगा। [धारा ८७ (१) (ख)]।

(३) शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी का प्रत्येक सदस्य जो उसमें प्रिफ्रेंस शेयर कैपिटल धारण करता है, ऐसे कैपिटल के सिलसिले में कम्पनी के समक्ष रक्खे गये केवल ऐसे प्रस्ताव पर मत देने के लिये अधिकारी होगा जिससे उसके प्रिफ्रेंस शेयरों से संबद्ध अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हों। ऐसे किसी प्रस्ताव के विषय में जो कम्पनी के समापन या उसके शेयर कैपिटल की वापसी या न्यूनीकरण के लिये हो यह माना जाएगा कि उससे प्रिफ्रेंस शेयरहोल्डर्स के अधिकारों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है।

(४) किसी मतदान में प्रिफ्रेंस शेयरहोल्डर्स का मताधिकार ऐसे शेयरों पर दत्त कैपिटल तथा कम्पनी के समस्त दत्त इक्विटी कैपिटल के बीच होने वाले अनुपात के अनुसार में होगा। [धारा ८७]।

(५) ऐक्ट के शुरू होने के बाद बनाई गई या शेयर कैपिटल जारी करने वाली कोई कम्पनी कोई ऐसी इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं जारी करेगी जिसके साथ मताधिकार या कम्पनी में कोई अधिकार डिविडेन्ड, कैपिटल या अन्यथा के सिलसिले में हो जो कम्पनी द्वारा पहिले जारी किये गये इक्विटी कैपिटल के धारकों के अधिकारों के व्यनुपात (disproportionate) में हो। [धारा ८८]। यह उपबंध प्राइवेट कम्पनी को नहीं लागू होगा, जब तक कि वह किसी लोक कम्पनी की सब्सीडियरी न हो। इसका अर्थ यह हुआ कि प्राइवेट कम्पनी व्युनपातिक मताधिकार सहित शेयर जारी कर सकती है।

(६) यदि ऐक्ट शुरू होने पर किसी शेयर के साथ ऐसे मताधिकार संबद्ध हैं जो इक्विटी शेयर से सम्बद्ध मताधिकारों से अत्यधिक है [धारा ८७ की उप-धारा (१)] जिसके सिलसिले में उतनी ही कैपिटल की राशि का भुगतान किया गया है, तो, ऐक्ट के शुरू होने के बाद एक वर्ष के भीतर, कम्पनी पहले क़िस्म के शेयर से सम्बद्ध मताधिकार को इक्विटी शेयरों से सम्बद्ध मताधिकार के बराबर करेगी।

(७) यदि सदस्यों के किसी वर्ग के अपेक्षित अनुपात द्वारा सहमति न होने के कारण, एक वर्ष के भीतर शेयरहोल्डर्स के किसी वर्ग के मताधिकार को समान करना सम्भव नहीं हो सका है, तो, एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, कम्पनी कोर्ट को इस बात के लिये आवेदन-पत्र देगी कि वह आदेश द्वारा उल्लिखित करे कि मताधिकारों को किस प्रकार समानता प्रदान की जाय; और इस दिशा में कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश से कम्पनी तथा उसके शेयरहोल्डर्स बद्ध होंगे।

(८) लेकिन, पहली दिसंबर, १९४९ के पहिले किसी कम्पनी द्वारा जारी किये गये शेयर्स के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार कम्पनी को उपरोक्त उपबन्धों से मुक्त कर सकती है, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, यदि केन्द्रीय सरकार के मतानुसार मुक्ति लोकहित, या कम्पनी के हित, या उसके शेयरहोल्डर्स या ऋणदाताओं या उसके ऋणदाताओं के वर्ग के हित में है। केन्द्रीय सरकार द्वारा मुक्ति के ऐसे प्रत्येक आदेश को पारित किये जाने के बाद यथाशीघ्र पार्लियामेंट के दोनों सदनों के समक्ष रक्खा जाएगा। [धारा ८९ (४)]।

(९) धारा ८५ से ८९ में की कोई बात (क) जैसा कि धारा ८९ में उपबन्धित है उसके सिवाय, ऐक्ट के शुरू होने से पहिले जारी किये गये शेयरों से सम्बद्ध मताधिकारों, या शेयर्स से डिविडेन्ड, कैपिटल या अन्यथा के सिलसिले में सम्बद्ध अधिकारों, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या (ख) किसी प्राइवेट कम्पनी को, जब तक कि वह किसी लोक कम्पनी की सब्सीडियरी न हो, नहीं लागू होगी। (धारा ९०)।

उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि, जहाँ तक मताधिकारों का सम्बन्ध है प्रिफ्रेन्स तथा साधारण शेयर होल्डर्स दोनों के हितों को काफी सुरक्षा प्राप्त है। साथ ही केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त अधिकारों द्वारा आनम्यता (flexibility) को सुनिश्चित किया गया है जिससे कि उन विशेष परिस्थितियों में उचित कार्यवाही की जा सके जहाँ स्पष्ट रूप से नियमों को शिथिल करना पूर्ण रूप से कम्पनी के हित में हो, लेकिन शेयर होल्डर्स को यह आश्वासन प्राप्त होता है कि डायरेक्टर्स व्युनपातिक मताधिकारों या अधिकारों सहित शेयर नहीं जारी कर सकेंगे, जब तक कि मामले पर केन्द्रीय सरकार, धारा ८६ (४) में निर्धारित तरीके के अनुसार, विचार न कर ले तथा अपना अनुमोदन न दे दे।

शेयरों का एलाटमेन्ट (Allotment of Shares)—किसी व्यक्ति द्वारा किसी कम्पनी के शेयर लेने की पेशकश की कम्पनी द्वारा स्वीकृति को एलाटमेन्ट कहते हैं। आवेदन पत्र के रूप में शेयर लेने की पेशकश को माँगी गयी संख्या या उससे कम संख्या के शेयरों को एलाट करके स्वीकृत किया जाता है। कम्पनी के लिये यह जरूरी नहीं है कि वह प्रत्येक आवेदक को कम्पनी के शेयर लेने दे। इसलिए, आवेदन-पत्र की मंजूरी आवश्यक है। इस प्रकार, एलाटमेन्ट एक निश्चित संख्या के शेयरों का विनियोग (appropriation) होता है।

एलाटमेन्ट से दोनों पक्षकारों के बीच बन्धनकारी संविदा का सर्जन होता है।

न्यूनतम सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाने पर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स शेयरों का एलामेन्ट करते हैं। जब तक आवेदन-पत्र पर देय रकम का भुगतान [जो धारा ६९ (३) के अन्तर्गत शेयर के वास्तविक मूल्य के ५ प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए] न हो जाय तब तक वैध एलाटमेन्ट नहीं किया जा सकता। एलाटमेन्ट हमेशा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स द्वारा मीटिंग में प्रस्ताव द्वारा किया जाना चाहिये।

कॉल्स (याचना)—कॉल या याचना का अर्थ कम्पनी के आंशिक रूप से दत्त शेयर के धारक से शेष, या उसकी किसी किश्त के भुगतान के लिये स्वयं कम्पनी द्वारा, या यदि कम्पनी का दिवाला निकल गया है, परिसमापक द्वारा की गई माँग है। (Osborn's Law Dictionary, p. 50)।

Lord Lindley के अनुसार "the word 'Call' is used to denote both demand for money and also the sum demanded." अर्थात्, याचना में मांग तथा माँग की गई राशि दोनों शामिल हैं।

सीमित कम्पनी की सूरत में प्रत्येक शेयर होल्डर से याचना की जाने वाली अधिकतम राशि उसके द्वारा धारित शेयर्स पर अदत्त कैपिटल से अधिक राशि नहीं

हो सकती। शेयर्स पर देय रकम का भुगतान करने के लिये कहे जाने से पहले कम्पनी उससे एक याचना करती है। जब तक उससे यथाविधि याचना न की जाय कोई शेयर होल्डर उसके द्वारा सब्सक्राइब किये गये शेयर्स के सिलसिले में कुछ भी भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं होता। (Alexander v. Automatic Telephone Company (1900) 2 Ch. D. 56)।

इसमें सन्देह नहीं कि शेयर होल्डर उसके द्वारा धारित शेयर्स के अंकित राशि (nominal amount) का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होता है, लेकिन निःसन्देह उसके लिये यह राशि तुरन्त देना अपेक्षित नहीं है। चल रही कम्पनी की सूरत में अदत्त कैपिटल की राशि की वसूली याचनाओं द्वारा की जाती है। लेकिन, जहाँ कम्पनी का दिवाला निकल जाता है, वहाँ शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स पर अदत्त राशि को कम्पनी की परिसम्पत् के प्रति अंशदान के रूप में देना होता है। अदत्त राशि ही अधिकतम राशि होती है, और बतौर अंशदान दी जाने वाली राशि परिसम्पत् तथा दयित्वों के बीच घाटे पर निर्भर करती है।

शेयर होल्डर से याचना करने का कार्य कम्पनी का होता है, और सामान्यतः आर्टिक्ल्स में यह निर्धारित किया गया होता है कि याचना किस प्रकार की जाएगी। इसलिये, कम्पनी द्वारा की गई याचना आर्टिक्लस में निर्धारित तरीके के अनुसार ही होनी चाहिये। याचना की वैधता के लिये ऐसे डायरेक्टर्स द्वारा एक प्रस्ताव होना जरूरी है जो उसे करने के लिए क्वालीफाईड हों। [Garden Gully Company *v.* Mc Lister 1. A. C. 39]।

प्रस्ताव में भुगतान का समय तथा स्थान का जिक्र होना चाहिए वर्ना उसे दोषपूर्ण समझा जाएगा और याचना अमान्य होगी।

याचना उस समय की गई समझी जाएगी जब कि याचना को प्राधिकृत करते हुए बोर्ड का प्रस्ताव पारित किया गया था। याचना द्वारा किश्तें अपेक्षित की जा सकती हैं। (Reg. 14 Sch. 1, Table A) शेयर के संयुक्त धाटक संयुक्ततः तथा पृथकतः याचनाओं का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होंगे। [Reg. 15]

यदि ऐसा आर्टिक्लस द्वारा प्राधिकृत किया गया है, जहाँ अन्य शेयर्स के मुकाबलों में कुछ शेयर्स पर बड़ी राशि का भुगतान किया जाता है वहाँ प्रत्येक शेयर पर भुगतान की गई राशि के अनुपात में डिविडेन्ड दे सकती है। [धारा ९३]

आमतौर से आर्टिक्लस में यह उपबन्ध होता है कि कोई याचना किसी एक समय शेयर्स के अंकित मूल्य के एक चौथाई से अधिक नहीं होगी। याचना उस

समय तक नहीं की जा सकती जब तक कि न्यूनतम सब्सक्रिप्शन का भुगतान न कर दिया गया हो ।

डायरेक्टर्स अपना नाम छोड़ कर याचना करने में अपने प्रति कोई रिआयत नहीं कर सकते। उनके शेयर्स के प्रति याचनाएँ उसी समय की जानी चाहिए जब कि अन्य लोगों से याचना की जा रही हो।

व्यक्तियों के तीन प्रकार के वर्ग याचना का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होते हैं :—

१. मेमोरेन्डम के वे सब्सक्राइबर्स जिनका नाम रजिस्ट्रों में दर्ज हों ;

२. शेयर होल्डर्स, यदि उन्होने शेयर्स का अमानन नहीं कर दिया है। शेयर के हस्तांतरण की सूरत में हस्तांतरक याचना के लिये उस समय तक उत्तरदायी होता है जब तक कि हस्तांतरिती का नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं हो जाता ;

३. सब्सक्राईबर्स या शेयर होल्डर्स के प्रतिनिधि। सदस्य की मृत्यु की सूरत में याचना उसकी सम्पदा में से प्रत्युद्धृत (Recover) की जा सकती है।

बकाया याचनाओं पर ब्याज (Interest on calls in arrears) —आर्टिक्ल्स आफ असोसिएशन के अन्तर्गत, सामान्यतः डायरेक्टर्स यथोल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान न की गई याचनाओं पर ब्याज चार्ज कर सकने के लिए प्राधिकृत होते हैं।

धारा ६१ यह उपबन्ध करती है कि ऐक्ट के शुरू होने के बाद अधिक शेयर कैपिटल के लिये शेयर्स पर की याचना उसी वर्ग के सभी शेयर्स पर एकसमान की जानी चाहिए। उसी अंकित मूल्य के शेयरों को, जिन पर विभिन्न राशियों का भुगतान किया गया है, उसी वर्ग का शेयर नहीं समझा जाएगा।

परिणामस्वरूप, कम्पनी को अब, धारा ६१ के अन्तर्गत, याचना की राशि तथा उसके भुगतान के समय के सिलसिले में शेयरहोल्डर्स के बीच परस्पर विभेद करने की शक्ति नहीं रह गई है।

यदि उसके आर्टिक्ल्स द्वारा ऐसा प्राधिकृत है, तो कम्पनी किसी सदस्य से उसके द्वारा धारित शेयर्स पर शेष अदत्त राशि का कुल या उसका कोई भाग ले सकती है भले ही उस राशि के किसी भाग के विषय में कोई याचना न की गई हो। लेकिन ऐसे अन्तिम भुगतान से, शेयर्स द्वारा सीमित कम्पनी की सूरत में, किसी सदस्य को इस प्रकार दिये गये धन के सिलसिले में अधिक मताधिकार नहीं प्राप्त होंगे जब तक कि उसके लिये याचना न की गई हो। [धारा ६२]। इस प्रकार अग्रिम

दिये गये धन के लिये शेयरहोल्डर कम्पनी का ऋणदाता मात्र हो जाता है। अग्रिम याचना के रूप में प्राप्त की गई राशि के सिलसिले में, ऐसे अग्रिम पर कम्पनी ब्याज दे सकती है, यदि यह आवश्यक हो तो कैपिटल में से भी, बशर्ते कि ऐसा कर सकने के लिये आर्टिक्लस में प्राविधान हो। अग्रिम दी गई याचनाएं प्रथम दृष्ट्या (*Prima facie*) बाहरी ऋणों तथा समापन की याचनाओं के भुगतान के बाद तुरन्त देय होती हैं।

शेयरों का जब्ती (Forfeiture of shares)—सामान्यतः आर्टिक्ल्स द्वारा कम्पनी के डायरेक्टर उन शेयरहोल्डरों के शेयरों को जब्त करने के लिये प्राधिकृत होते हैं जो जब्ती की यथाविधि नोटिस तामील होने के बावजूद भी मांग का भुगतान करने में असफल रहते हैं। आम तौर से नोटिस में उसके तामील होने के बाद एक दिन का जिक्र रहता है जिस दिन तक भुगतान अपेक्षित होता है और यह कहा गया होता है कि निश्चित समय तक या उससे पहिले भुगतान न किये जाने की सूरत में जिन शेयरों के प्रति माँग की गई है, उन्हें जब्त किया जा सकेगा।

शेयरों की जब्त करने की शक्ति कम्पनी को अन्तर्भूत शक्ति के रूप में नहीं प्राप्त रहती है। शेयरों की जब्त करने की शक्ति आर्टिक्ल्स द्वारा प्रदत्त किया जाना चाहिये।

शेयरों की ऐसी जब्ती के पश्चात् चूक करने वाला शेयर होल्डर सदस्य नहीं रह जाता और शेयरों से संबन्धित सारे उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं और जब्ती के पहिले जो रकम उसने शेयरों पर दिया होता है वह निरपेक्ष रूप से कम्पनी की हो जाती है। जब्ती के बाद शेयर कम्पनी की सम्पत्ति हो जाते हैं और आर्टिक्ल्स में दिये गये निर्बंधनों के अधीन, यदि कोई हों, उन्हें सम मूल्य (par value) से कम मूल्य पर बेचा जा सकता है। यदि आर्टिक्ल्स द्वारा इस बात की अनुमति हो तो उन्हें पार्टली पेड-अप शेयर के रूप में भी बेचा जा सकता है और ऐसे विक्रय को डिस्काउन्ट पर शेयरों की निकासी नहीं समझा जाएगा। यद्यपि शेयरों की जब्ती तथा सम मूल्य से कम पर उनके बेचे जाने का वास्तविक अर्थ कैपिटल में कमी होता है, तथापि इसे कोर्ट की अनुमति के बिना भी किया जा सकता है।

जब्ती का यह प्रभाव होता है कि वह शेयरहोल्डर जिनके शेयर जब्त किये जाते हैं कम्पनी का सदस्य नहीं रह जाता और यदि जब्ती के एक वर्ष बाद कम्पनी का समापन होता है तो उसे अंशदायी के रूप में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

शेयरों तथा डिबेन्चर्स का हस्तांतरण (Transfer of shares and debentures)—शेयरों की हस्तांतरित करने के अधिकार को परिनियमित कर दिया गया है। शेयर होल्डर को चाहे वह लोक कम्पनी का हो या प्राइवेट कम्पनी का, शेयरों में सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त होता है और वह केवल आर्टिकल्स में किसी अभिव्यक्त निर्बंधन के अधीन, अपने शेयरों को हस्तांतरित कर सकता है। [Gopal Varnish Co. (1917) 2 Ch. 349]

शेयरों के हस्तांतरण का प्रत्येक दस्तावेज (क) निर्धारित प्रपत्र में होगा तथा, इससे पहले कि उस पर हस्तांतरण हस्ताक्षर करे या उसकी ओर से उस पर हस्ताक्षर किया जाय, उसे निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा और निर्धारित प्राधिकारी उसे मुद्रित करेगा या अन्यथा उस पर पेश किए जाने की तारीख पृष्ठांकित करेगा, तथा (ख) कम्पनी को डिलेवर कर दिया जायेगा :—

(१) मान्य स्टाक एक्सचेन्ज में लेनदेन किये जाने वाले या कोटेड शेयरों की सूरत में उस तारीख से किसी समय पहिले जिस पर ऐसे प्रस्तुतीकरण के बाद पहली बार सदस्यों के रजिस्टर की पहली बार विधिनुसार बन्द किया जाता है।

(२) किसी अन्य सूरत में, ऐसे प्रस्तुतीकरण की तारीख से दो माह के भीतर। (धारा १०८।

यह उपबन्ध कि हस्तान्तरिती उत्परिवर्तन (mutat on) केवल पक्षकारों द्वारा हस्तांतरित हस्तांतरण के दस्तावेज के आधार पर ही प्राप्त कर सकता है केवल शेयरों के प्राइवेट हस्तांतरणों तक ही सीमित है और कोर्ट में विक्रयों को नहीं लागू होता। [Mahadeo *v.* New Darjeeling Tea Co. (1951) 55 C. W. N. 408]।

अनाम हस्तांतरण (ब्लैंक ट्रान्सफर) :—व्यवहार में अक्सर हस्तांतरण अनाम हुआ करते थे। कम्पनी के आर्टिकल्स सामान्यतः लिखित दस्तावेज द्वारा शेयरों के हस्तांतरण की अनुमति देते हैं। हस्तांतरक अनाम हस्तांतरण पर हस्ताक्षर करके क्रेता को दे दिया करते थे। इस प्रकार शेयर एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता था जब तक कि अन्तिम क्रेता उसे अपने नाम में रजिस्टर्ड कराने की बात न सोचता। सामान्यतः वह ट्रांसफर फार्म में हस्तांतरिती के नाम के आगे अपना नाम भर कर शेयरों को कम्पनी के पास रवाना कर दिया करता था। ऐसे हस्तांतरण को भर कर रजिस्ट्रेशन के लिये भेजा जा सकता था और यदि तीसरे पक्षकार का कोई अधिकार अन्तर्गस्त नहीं है, तो ऐसा हस्तांतरण संव्यवहार के पक्षकारों के बीच पूर्णतः वैध होता था।

जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, ऐक्ट की धारा १०८ ने, जैसा कि यह १९६५ के ऐक्ट द्वारा संशोधित है, हस्तांतरण के उपरोक्त तरीके को निर्धारित करके अनाम हस्तांतरणों पर है। यद्यपि ऐक्ट ने अनाम हस्तांतरणों को बिल्कुल समाप्त नहीं कर दिया है फिर भी इसके प्रवर्तन पर काफी निबंधन लागू कर दिए गये हैं, जिससे कर से बचने की प्रवृत्ति में कमी होगी तथा साथ ही साथ कैपिटल विनियोजन (investment) की गतिशीलता भी निगम क्षेत्र में सुरक्षित रहेगी निर्बन्धन लागू कर दिया गया है। धारा १०८ ने यह निर्धारित किया है कि शेयरों के हस्तांतरण का प्रत्येक दस्तावेज एक निर्धारित प्रपत्र पर होगा और हस्तांतरक द्वारा या उसकी ओर से इस हस्ताक्षर किए जाने से पहले इसे निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तथा निर्धारित प्राधिकारी उस पर उसे प्रस्तुत किये जाने की तारीख का स्टाम्प लगाएगा या उसे अन्यथा पृष्ठांकित करेगा, और यदि शेयर्स मान्य स्टाक एक्सचेन्ज में व्यवहार में लाए जाने वाले हैं तो उसे सदस्यों का रजिस्टर बन्द किये जाने की तारीख से पहले किसी समय तथा किसी अन्य सूरत में प्रस्तुत किये जाने की तारीख से दो महीने के भीतर कम्पनी को डिलेवर कर दिया जाएगा। फिलहाल केन्द्रीय सरकार का यह प्रस्ताव है कि विभिन्न स्टाक एक्सचेन्जों तथा रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज को हस्तांतरण दस्तावेजों को प्रमाणित या रजिस्ट्रीकृत करने के लिए बतौर निर्धारित प्राधिकारी नामोद्दिष्ट (designate) कर दिया जाय।

उपरोक्त से यह प्रतीत होगा कि यद्यपि ऐक्ट ने अनाम हस्तांतरणों को बिलकुल समाप्त नहीं कर दिया तथापि इसके चलन को बहुत निर्बन्धित कर दिया है, जिससे कर की चोरी में रुकावट होगी, और साथ ही निगम क्षेत्र में काफी सीमा तक विनियोजन की गतिशीलता को कैपिटल फायदा पहुँचेगा।

वैधिक प्रतिनिधि द्वारा हस्तांतरण (Transfer by legal represe..tative)—किसी कम्पनी में किसी मृतक के हित या शेयर का उसके वैधिक प्रतिनिधि द्वारा हस्तांतरण, यद्यपि वैधिक प्रतिनिधि स्वयं एक सदस्य नहीं है, उतना ही मान्य होगा जितना कि यदि वह हस्तांतरण पत्र के निष्पादन के समय सदस्य होता तो होता। (धारा १०९)।

शेयरों का पारेषण (Transmission of Shares)—शेयरों का पारेषण निम्नलिखित प्रकार होता है—

(क) मृतक शेयरहोल्डर की सम्पत्ति के उत्तराधिकार द्वारा।

(ख) शेयरहोल्डर को दिवालिया या पागल न्याय-निर्णीत कर दिये जाने पर उसके स्थान पर आफिशियल असाइनी सदस्य होने के लिये हकदार होने पर।

ऐसी सूरत में हस्तांतरण-पत्र आवश्यक नहीं होता। मृतक सदस्य के निष्पादक तथा प्रशासक प्रोबेट या लैटर्स आफ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर अपने पक्ष में शेयरों को पारेषित किये जाने के लिये कम्पनी को आवेदन-पत्र दे सकते हैं। शेयरों के पारेषण की सूरत में कपनी की परिसंपत् तथा दायित्वों में कोई परिवर्तन नहीं होता।

हस्तांतरण तथा पारेषण में विभेद (Transfer and transmission distinguished)—दोनों एक दूसरे से बिलकुल पृथक हैं। हस्तांतरण पक्षकारों के कृत्यों के फलस्वरूप होता है और पारेषण विधि के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप होता है, जैसे सदस्य की मृत्यु या उसका दिवाला निकल जाने से। शेयरों के पारेषण की सूरत में शेयर मूल दायित्वों के अधीन ही रहता है और शेयरों के अवतरण के बावजूद भी शेयरों का धारणाधिकार बना रहता है।

हस्तांतरण के लिये आवेदन पत्र—शेयरों के हस्तांतरण की रजिस्ट्री के लिये आवेदन-पत्र हस्तांतरक या हस्तांतरिती द्वारा दिया जा सकता है। जहाँ आवेदन-पत्र हस्तांतरक द्वारा दिया जाता है और यह आंशिक रूप से दत्त शेयरों से संबंधित हो, तो तब तक हस्तांतरण को रजिस्टर्ड नहीं किया जायेगा जब तक कि कम्पनी आवेदन-पत्र की सूचना हस्तांतरिती को नहीं दे देती है और सूचना प्राप्त करने के दो सप्ताह के भीतर हस्तांतरिती हस्तांतरण के प्रति कोई आपत्ति नहीं करता।

रजिस्ट्रेशन को अस्वीकार करने की डायरेक्टरों की शक्ति (Directors power to refuse registration)—रजिस्ट्रेशन को अस्वीकृत करने की शक्ति आम तौर से आर्टिकल्स के अन्तर्गत डायरेक्ट्रों में निहित होती है। एक्ट की धारा १११ इस अधिकार को मान्यता प्रदान करती है। यह निर्धारित करती है कि धारा १०८, १०९ तथा ११० में किसी बात का, कम्पनी के आर्टिक्ल्स के अन्तर्गत उसके किसी शेयर या डिबेन्चर में किसी अधिकार या हित के हस्तांतरण या विधि के प्रवर्तन द्वारा उसके पारेषण की रजिस्ट्री को अस्वीकृत करने के अधिकार पर, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जहाँ कम्पनी ऐसे अधिकार के हस्तांतरण या पारेषण की रजिस्ट्री किए जाने से इन्कार करती है, आर्टिक्ल्स में उपबंधित अधिकार के अनुसार या अन्यथा, तो

जिस तारीख को हस्तांतरण-पत्र या ऐसे पारेषण की सूचना कम्पनी को डिलेवर की गई थी उसके दो माह के भीतर कम्पनी द्वारा रजिस्ट्री की अस्वीकृति की सूचना हस्तांतरक तथा हस्तांतरिती या पारेषण की सूचना देने वाले व्यक्ति को भेजा जाना चाहिए। कम्पनी द्वारा हस्तांतरण या पारेषण की रजिस्ट्री को अस्वीकृत करने, या हस्तांतरण या पारेषण को रजिस्टर्ड करने के सिलसिले में कम्पनी द्वारा किसी चूक के विरुद्ध ट्रीब्यूनल को अपील की जा सकती है। अपील, अस्वीकृति की नोटिस की प्राप्ति के दो माह के भीतर, या हस्तांतरण पत्र या पारेषण की सूचना कम्पनी को डिलेवर किये जाने की तारीख के बाद दो माह की अवधि की समाप्ति पर की जा सकती है (धारा १११)। चूक की सूरत में कम्पनी तथा कम्पनी का प्रत्येक चूक करने वाला अधिकारी जुर्माने द्वारा दण्डित किया जा सकेगा, जो ५० रुपये प्रतिदिन की दर से चूक जारी रहने की अवधि में होगा।

इन्कार की सूरत में अपील (Appeal against retusal)— हस्तांतरक या हस्तांतरिती, या विधि के प्रवर्तन द्वारा पारेषण की सूचना देने वाला व्यक्ति, पब्लिक कम्पनी या पब्लिक कम्पनी की सब्सीडियरी प्राइवेट कम्पनी की सूरत में कम्पनी द्वारा हस्तांतरण या पारेषण को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार करने के विरुद्ध, या उक्त दो माह के भीतर हस्तांतरण या पारेषण को रजिस्ट्रीकृत करने की दिशा में उसके किसी चूक के विरुद्ध या उक्त अवधि में इन्कारी की सूचना न भेजने के विरुद्ध, ट्रीब्यूनल को अपील कर सकता है। रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार के विरुद्ध अपील करने की अवधि, इन्कारी की सूचना की प्राप्ति से, या हस्तांतरण के दस्तावेज के बाद दो माह किये अवधि की समाप्ति की तारीख से, या कम्पनी को पारेषण की सूचना डिलेवर किये जाने के बाद दो माह की अवधि की समाप्ति की तारीख से, दो महीने हैं। [धारा १११ (१-४)]। ऐसी प्रत्येक अपील लिखित रूप से की जायेगी तथा इसके सहित ऐसी फीस दी जाएगी जो ५० रुपये से अधिक नहीं होगी जैसा कि केन्द्रीय सरकार निर्धारित करे। [धारा १११ (४ ए)]।

ट्रायब्यूनल कम्पनी, हस्तांतरक तथा हस्तान्तरिती या विधि के प्रवर्तन द्वारा पारेषण की सूचना देने वाले व्यक्ति तथा पूर्वस्वामी को, यदि कोई हो, युक्तिसंगत लिखित सूचमा देने तथा उन्हें अपना अभ्यावेदन करने के लिये लिखित रूप से युक्तिसंगत अवसर प्रदान करने के पश्चात् आदेश देगा कि या तो हस्तान्तरण या पारेषण कम्पनी द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाय या न किया जाय और परिव्यय (costs) या अन्यथा के विषय में प्रासङ्गिक आनुषङ्गिक (incidental and consequential) निदेश दे सकता है, जैसा कि वह उचित समझे। जहाँ ट्रायब्यूनल द्वारा यह निर्णय दिया जाय कि हस्तांतरण या पारेषण को कम्पनी द्वारा

रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिये, वहाँ ट्रायब्यूनल के आदेश की प्राप्ति के दस दिन के भीतर कम्पनी इस निर्णय को लागू करेगी। [धारा १११ (५) तथा (६)]।

कम्पनी द्वारा किसी हस्तांतरण या पारेषण को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार किए जाने की सूरत में की गई अपील पर उपरोक्त उपबन्ध के अन्तर्गत आदेश दिये जाने से पूर्व, ट्रायब्यूनल कम्पनी से अपेक्षित कर सकता है कि वह ऐसे इन्कार के लिए कारण बताए, और कारण न बताये जाने या बताने से इन्कार किये जाने की सूरत में, कम्पनी के आर्टिक्ल्स में किसी बात के होते हुये भी, ट्रायब्यूनल यह पूर्वधारणा कर सकता है कि यह प्रकटीकरण, यदि उसे किया जाय, कम्पनी के पक्ष में नहीं होगा। [धारा १११ (५ ए)]।

अपील की कार्यवाही गोपनीय होगी और ऐसी कार्यवाही में, चाहे मौखिक रूप से या अन्यथा, किए गए किसी आरोप के सिलसिले में कोई वाद या अभियोजन नहीं चलाया जा सकेगा और न ही कोई अन्य कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। [धारा १११ (७)]।

प्राइवेट कम्पनी की सूरत में जो किसी लोक कम्पनी की सब्सीडियरी नहीं है, जहाँ कम्पनी के किसी शेयर के अधिकारों या डिबेन्चर्स में या कम्पनी में किसी सदस्य के हित का पारेषण कोर्ट या किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा किये गये विक्रय द्वारा किया जाता है, वहाँ ऊपरकथित उपबन्ध ही लागू होंगे मानो कम्पनी एक लोक कम्पनी हो, सिवाय इस बात के कि कम्पनी द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिये दिये जाने वाले निदेश के स्थान पर ट्रायब्यूनल यह निदेश दे सकेगा कि कम्पनी अधिकारों के पारेषण को रजिस्ट्रीकृत करे, जब तक कि आदेश में उल्लिखित कम्पनी का कोई सदस्य या सदस्यगण उपरोक्त अधिकार ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश द्वारा इस प्रयोजन के लिये दिया जाय, क्रेता को इसके द्वारा दिए गये मूल्य का भुगतान करके या मामले की परिस्थितियों में ऐसी अन्य राशि का भुगतान करके अर्जित न कर ले जो ट्रायब्यूनल उक्त अधिकार के लिये युक्तिसङ्गत प्रतिकर के रूप में निश्चित करे। [धारा १११ (८)]।

यदि आदेश की प्राप्ति के दस दिन के भीतर ट्रायब्यूनल के आदेश को या उप-धारा (८) के अन्तर्गत दिये गये निदेश को लागू करने में चूक की जाती है, तो कम्पनी, कम्पनी का प्रत्येक अधिकारी, जिसने चूक किया है, जुर्माने द्वारा, जो १०००) रुपया तक हो सकता है, तथा पहले दिन के बाद चूक जारी रहने के दौरान में १००) रुपए प्रति दिन के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माने द्वारा दण्डित किया जायेगा। [धारा १११ (६)]।

हस्तान्तरणों का प्रमाणन (Certification of transfers)—कम्पनी द्वारा अपने शेयरों तथा डिबेन्चर्स के हस्तांतरण के प्रमाणन के विषय में यह माना जायेगा कि यह कपनी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को किया गया एक अभ्यावेदन है जो इस प्रमाणन के विश्वास पर कार्य करता है कि कपनी के समक्ष ऐसे दस्तावेज पेश किए गए थे जिनसे प्रत्यक्ष रूप से यह प्रतीत होता था कि हस्तान्तरण के दस्तावेज में उल्लिखित हस्तांतरक को ऐसे शेयर्स या डिबेन्चर्स में स्वत्व प्राप्त है, लेकिन ऐसे अभ्यावेदन के रूप में नहीं कि हस्तान्तरक को शेयर्स या डिबेन्चर्स में कोई स्वत्व प्राप्त है। (धारा ११२)।

कभी-कभी कोई शेयरहोल्डर बहुत से शेयर्स का धारक होता है और वह प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शेयरों के केवल एक भाग को ही बेचना या हस्तांतरित करना चाहता है। ऐसी सूरत में शेयरहोल्डर कम्पनी को अपने सभी शेयर सर्टीफिकेट दे देता है और साथ ही जितने शेयर वह बेचना चाहता है उतने रकम की यथाविधि निष्पादित हस्तांतरण फार्म भी कपनी को देता है जो उसके कुल शेयरों की रकम से कम रकम का होता है। कम्पनी दाखिल किये गये सर्टीफिकेटों पर हस्तांतरित किए गए शेयरों का विवरण पृष्ठांकित करके दाखिल करने वाले को लौटा देती है। इसे "शेयरों का प्रमाणन" (Certification of transfers) कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि 'क' के पास १०० शेयर्स हैं और वह उनमें से ५० शेयर्स 'ख' को बेचना चाहता है, तो 'क' अपना प्रमाण-पत्र कम्पनी को दे देगा और उसे कम्पनी को हस्तांतरित कर देगा। कम्पनी प्रमाण-पत्र 'ख' को दिये जाने से पहले उस पर मुद्रित कर देगी कि १०० शेयरों का प्रमाण-पत्र कपनी के कार्यालय में जमा कर दिया गया है। इस प्रकार कपनी हस्तांतरण का प्रमाणन करती है और पचास पचास शेयरों के दो नए प्रमाण-पत्र जारी करती है और एक 'क' को तथा दूसरा 'ख' को देती है।

धारा ११२ के अन्तर्गत हस्तांतरण के दस्तावेज को प्रमाण-पत्र माना जायेगा यदि उस पर शब्द "certificate lodged" या ऐसे ही प्रभाव वाले शब्द अंकित हैं।

जहाँ कोई व्यक्ति, कपनी द्वारा लापरवाही से दिए गए भ्रमपूर्ण प्रमाण-पत्र पर कार्य करता है, तो कम्पनी उसी उत्तरदायित्व के अधीन होगी मानो प्रमाणन कपटपूर्ण तरीके से किया गया हो। (धारा ११२)।

शेयर वारन्ट (Share-warrant)—जब शेयरों का पूर्ण भुगतान हो जाता है, तो शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी, यदि आर्टिक्लस द्वारा ऐसा प्राधिकृत

है, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से, ऐसे पूर्ण भुगतान किये गये शेयरों के प्रति अपनी कामन सील के अन्तर्गत यह कहते हुये एक वारन्ट जारी कर सकती है कि वारन्ट का वाहक उसमें उल्लिखित शेयरों का हकदार है और कूपनों द्वारा या अन्यथा, वारन्ट में उल्लिखित शेयरो पर भावी डिविडेन्डों के भुगतान का प्राविधान कर सकती है। (धारा ११४)। शेयर-वारन्ट उसके वाहक को उसमें उल्लिखित शेयरों का अधिकार प्रदान करता है और वारन्ट के परिदान द्वारा शेयरों को हस्तांतरित किया जा सकता है।

शेयर-वारन्ट जारी किये जाने पर कम्पनी सदस्यों के रजिस्टर में से वारन्ट में उल्लिखित शेयरों के धारक के रूप में उस समय दर्ज सदस्य के नाम को काट देगी मानो वह अब सदस्य नहीं है और रजिस्टर में निम्न विवरण दर्ज करेगी—(क) वारन्ट जारी किये जाने का तथ्य, (ख) वारन्ट में दिये गये शेयरों का कथन, जिसे पृथक नम्बरों द्वारा विभेदित किया जायेगा, तथा (ग) वारन्ट जारी किये जाने की तारीख। वारन्ट सरेन्डर किये जाने पर सरेन्डर किये जाने की तारीख रजिस्टर में दर्ज की जायेगी। वारन्ट को मन्सूखी के लिये सरेन्डर करने तथा कम्पनी को ऐसी फीस के भुगतान पर, जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स निर्धारित करें, शेयर वारन्ट का वाहक अपने को सदस्यों के रजिस्टर में बतौर सदस्य दर्ज कराने के लिये हकदार होगा।

यदि कम्पनी वारेन्ट सरेन्डर किये जाने तथा उसे मंसूख किये बगैर सदस्यों के रजिस्टर में किसी शेयर-वारन्ट के वाहक का नाम उसमें उल्लिखित शेयरों के प्रति लिख लेती है और इस कारण यदि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान होता है तो कम्पनी इसकी जिम्मेदार होगी। यदि कम्पनी के आर्टिक्ल्स द्वारा ऐसा उपबन्धित हो, तो आर्टिक्ल्स में परिभाषित किसी प्रयोजन के लिये, शेयर-वारन्ट के वाहक को, ऐक्ट के अर्थान्तर्गत, कम्पनी का सदस्य समझा जायेगा। यदि उपरोक्त अपेक्षाओं (requirements) के पालन में कोई चूक की जाती है तो कम्पनी, तथा चूक करने वाला प्रत्येक अधिकारी, चूक जारी रहने के दौरान में ५० रुपये प्रति दिन तक के दर से जुर्माने द्वारा दण्डित किया जायेगा। [धारा ११५)।

वाणिज्य परम्पराओं के अनुसार शेयर वारन्ट को परक्राम्य संलेख (negotiable instrument) माना जाता है।

शेयर वारन्ट तथा शेयर सर्टीफिकेट में विभेद (Distinction between share warrant and share certificate)—(१) शेयर वारन्ट पूर्ण रूप से दत्त शेयरों के प्रति ही जारी किये जा सकते हैं, जबकि शेयर सर्टीफिकेट किसी भी समय पूर्ण रूप से दत्त हुए बिना भी शेयरों के प्रति जारी किये जा सकता है।

(२) वाणिज्य की परम्पराओं के अनुसार शेयर-वारेन्ट परक्राम्य संलेख होता है, लेकिन शेयर सर्टीफिकेट ऐसा नहीं होता।

(३) शेयर सर्टीफिकेट का धारक कम्पनी का एक सदस्य होता है, लेकिन वारेन्ट का धारक सदस्य नहीं होता।

(४) शेयर सर्टीफिकेट एक ऐसा दस्तावेज है जिससे यह प्रदर्शित होता है कि ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी के कैपिटल के एक भाग का शेयर होल्डर व्यक्तिशः स्वामी है। लेकिन शेयर-वारन्ट स्वतः एक प्रतिभूति होती है और इसे सरलता से हस्तांतरित किया जा सकता है।

स्टाक (Stock)—इससे केवल यह प्रकट होता है कि कम्पनी ने शेयर्स के पूर्ण भुगतान के तथ्य को मान्यता प्रदान कर दी है और वह समय आ गया है जबकि इन शेयर्स को टुकड़ों में अभिहस्तांकित किया जा सकता है जो निःसन्देह पहले नहीं किया जा सकता था। (Morris v. Aylmere, 10 Ch. 154)।

कम्पनी की सदस्यता (Membership of company)—कोई भी व्यक्ति किसी कम्पनी का सदस्य या तो (१) मेमोरन्डम का सब्सक्राइबर होकर या (२) कम्पनी का सदस्य होने के करार द्वारा तथा जबकि उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाता है अर्थात् उसके नाम में शेयरों के एलाटमेन्ट द्वारा हो सकता है। (३) कोई व्यक्ति हस्तांतरण द्वारा, तथा (४) शेयरों के पारेषण द्वारा भी शेयर होल्डर हो सकता है। (५) यदि वह, सदस्य बनने के किसी करार के अलावा, अपना नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होने देता है या अन्यथा वह अपने को सदस्य के रूप में बतलाता है या बतलाया जाने देता है, तो उसे कम्पनी का सदस्य समझा जायेगा।

सदस्यता की समाप्ति (Termination of membership)—किसी व्यक्ति की कम्पनी की सदस्यता विभिन्न प्रकार से समाप्त हो सकती है, अर्थात् (१) यथाविधि रजिस्टर्ड हस्तांतरण द्वारा, समापन की सूरत में अंशदाताओं की सूची 'बी' में रक्खे जाने के दायित्व सहित, (२) दिवाला निकल जाने से, (३) मृत्यु द्वारा, (४) कम्पनी के समापन से, (५) वैध सरेन्डर द्वारा, (६) जब्ती द्वारा तथा (७) शेयरों को लेने की संविदा के विखंडन द्वारा।

अध्याय ६

शेयर कैपिटल का परिवर्तन

[Alteration of Share Capital]

(धाराएँ ६४–१०७)

शेयर कैपिटल:—विभिन्न प्रकार के कैपिटल संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :—

१—वास्तविक या रजिस्टर्ड या प्राधिकृत [Nominal or registered or authorized]:—यह शेयर कैपिटल की पूर्ण राशि होती है जिसकी निकासी करने के लिये कम्पनी प्राधिकृत होती है। इस राशि का उल्लेख कम्पनी के मेमोरन्डम में होता है और उसी सहित कम्पनी रजिस्टर्ड की जाती है।

२—निर्गमित या प्रचालित निकासी की गई कैपिटल (Issued capital):—यह प्राधिकृत कैपिटल का ही एक भाग होता है जो वास्तव में जनता द्वारा सब्सक्राइब किया गया होता है और इसमें विक्रेताओं को नगद के रूप में के अलावा एलाट किए गए शेयर भी शामिल होते हैं।

३—सब्सक्राइब्ड कैपिटल :—यह जनता द्वारा वास्तव में सब्सक्राइब किए गए शेयरों की राशि का योग होता है। इस कैपिटल में विक्रेताओं को बतौर पूर्ण अथवा आंशिक रूप से दत्त जारी किए गए शेयर भी शामिल होते हैं।

४—काल्डअप कैपिटल :—काल्डअप कैपिटल अर्थात् याचित कैपिटल सब्सक्राइबड कैपिटल का वह भाग होता है जिसके प्रति कम्पनी शेयर होल्डरों से कहती है कि वे उनके द्वारा सब्सक्राइब किए गये शेयरों पर भुगतान करें और इसमें विक्रेताओं को बतौर पूर्ण अथवा आंशिक रूप से दत्त जारी किये गये शेयर भी शामिल होते हैं।

५—पेडअप कैपिटल :—पेडअप कैपिटल, अर्थात् दत्त कैपिटल, याचित राशि के लेखे में कम्पनी द्वारा वास्तव में प्राप्त की गई राशि होती है और इसमें नगद प्रतिफल के अन्यथा प्रतिफलार्थ जारी किए गये शेयर शामिल होते हैं। याचित कैपिटल में से माँग की बकाया राशि को निकाल देने पर जो राशि शेष रह जाती है वह पेड अप कैपिटल की राशि होती है।

६—अनपेड कैपिटल या मांग (काल) की बकाया राशि :— यह माँग की गई लेकिन शेयर होल्डरों द्वारा भुगतान न की गई राशि होती है।

७—अनकाल्ड कैपिटल— सब्सक्राइब कैपिटल तथा याचित राशि में जितनी राशि का अन्तर होता है उसे अनकाल्ड कैपिटल या अयाचित कैपिटल कहते हैं।

शेयर कैपिटल का परिवर्तन (Alteration of share capital)—शेयर कैपिटल वाली सीमित कम्पनी, यदि उसके आर्टिक्ल्स द्वारा ऐसा प्राधिकृत हो, निम्न प्रकार अपने मेमोरन्डम की शर्तों को परिवर्तित कर सकती है, अर्थात् वह :—

(क) नए शेयर जारी करके, जितना अधिक उचित समझे अपने शेयर कैपिटल में वृद्धि कर सकती है ;

(ख) अपने समस्त शेयर कैपिटल को या उसके किसी भाग को वर्तमान शेयरों की राशि में समेकित या विभाजित कर सकती है,

(ग) पूर्ण रूप से दत्त अपने समस्त शेयरों को या कुछ शेयरों को स्टाक के रूप में परिवर्तित कर सकती है, तथा इस स्टाक को पुनः किसी अभिधान (denomination) के पूर्ण दत्त शेयरों के रूप में परिवर्तित कर सकती है ;

(घ) अपने शेयरों को, या उनमें से किसी को मेमोरन्डम द्वारा निश्चित की गई राशि से कम राशि में शेयरों के रूप में विभाजित कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि ऐसा करने में भुगतान की गई राशि तथा कम किए गए शेयर पर या अदत्त राशि, यदि कोई है, के बीच अनुपात वही हो जो उस शेयर की सूरत में था जिससे कम किया गया शेयर प्राप्त किया गया है ;

(ङ) शेयरों को मन्सूख कर सकती है, जिन्हें, इस सिलसिले में पारित किए गए प्रस्ताव की तारीख पर किसी व्यक्ति ने नहीं लिया था या लेने के लिये सहमत नहीं हुआ था, तथा इस प्रकार मन्सूख किये गये शेयरों की राशि के बराबर शेयर कैपिटल में कमी कर सकती है। [धारा ९४ (१)]।

धारा ९४ द्वारा प्रदत्त उपरोक्त शक्तियों को कम्पनी जनरल मीटिंग में प्रयोग कर सकती है और इसकी पुष्टि कोर्ट द्वारा अपेक्षित नहीं होगी।

यदि आर्टिक्लस में कैपिटल को परिवर्तित करने की कोई शक्ति समाविष्ट नहीं है या जिस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है उसे आर्टिक्लस में निर्धारित नहीं किया गया है तो कम्पनी विशेष प्रस्ताव द्वारा आर्टिक्लस को परिवर्तित करके उनमें इसका प्राविधान कर सकती है।

रजिस्ट्रार को शेयर कैपिटल के समेकन, शेयरों को स्टाक के रूप में परिवर्तन इत्यादि की सूचना [Notice to Registrar of consolidation of share capital, conversion of shares into stock, etc.]—यदि शेयर कैपिटल वाली कम्पनी ने :—

(क) अपने शेयर कैपिटल को वर्तमान शेयरों की राशि से अधिक राशि के रूप में समेकित या विभाजित किया है ;

(ख) अपने शेयरों को स्टाक के रूप में परिवर्तित किया है ;

(ग) अपने स्टाक को पुनः शेयर के रूप में परिवर्तित किया है;

(घ) अपने शेयरों या उनमें से कुछ को उपविभाजित किया है;

(ङ) अपने शेयरों को मंसूख किया है, धारा १०० से १०४ के अन्तर्गत शेयर कैपिटल कम किये जाने की सूरत के अन्यथा, जिसका उल्लेख आगे किया जायेगा,

तो ऐसा करने के बाद एक माह की अवधि के भीतर कम्पनी शेयरों को समेकित, विभाजित, परिवर्तित, उपविभाजित, मेचित या मंसूख किये जाने तथा पुनः परिवर्तित किये गये स्टाक की सूचना रजिस्ट्रार को देगी।

सूचना प्राप्त करने पर रजिस्ट्रार सूचना को अभिलेखबद्ध करेगा तथा कम्पनी के मेमोरन्डम या आर्टिक्ल्स या दोनों में आवश्यक परिवर्तन करेगा।

शेयरों का स्टाक के रूप में परिवतन (Conversion of shares into stock)—पूर्ण रूप से दत्त शेयरों को स्टाक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है तथा स्टाक को पुनः पूर्ण रूप से दत्त शेयरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। स्टाक के परिवर्तन का अर्थ होता है कुछ शेयरों को एक समूह के रूप में रख देना और इस समूह की यह विशेषता होती है कि यह इस प्रकार से हस्तांतरणीय होता है जिस प्रकार कि साधारण शेयर हस्तांतरणीय नहीं होते। जहाँ शेयर कैपिटल वाली कम्पनी ने अपने कुछ शेयरों को स्टाक के रूप में परिवर्तित कर लिया है और परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को दे दी है, तो इस ऐक्ट के वे उपबन्ध, जो केवल शेयरों को लागू होते हैं, जितने शेयर कैपिटल को स्टाक के रूप में परिर्वातित किया गया है उनको स्वतः लागू होना बन्द हो जायेंगे। (धारा ९६)।

शेयरों का विभाजन :—शेयरों के विभाजन की शक्ति आर्टिक्ल्स द्वारा प्रदत्त होती है। शेयरों के विभाजन से शेयरों पर भुगतान की गई राशि तथा अभुगतान की गई राशि के अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि उपविभाजन

ऋणदाताओं या सदस्यों के साथ किसी व्यवस्था या सुलहनामे के फलस्वरूप किये गये विभिन्न वर्गों के शेयरों के पुनः संगठन के कारण होता है तो धारा ३९१ के उपबन्ध नहीं लागू होंगे और कोर्ट की स्वीकृति जरूरी होगी।

शेयर कैपिटल का समेकन—शेयरों के समेकन के लिए आवश्यक है कि इसकी शक्ति आर्टिक्लस में निहित हो। शब्द "समेकन" (Consolidation) विभिन्न वर्गों के शेयरों को अधिक राशि के एक शेयर के रूप में समेकित किये जाने की अपेक्षा करता है। यदि समेकन द्वारा मेमोरेन्डम में कोई परिवर्तन अन्तर्ग्रस्त नहीं है तो केवल विशेष प्रस्ताव से ही काम चल जाएगा और कोई स्वीकृति जरूरी नहीं होगी। यदि समेकन के परिणामस्वरूप मेमोरेन्डम में कोई परिवर्तन होता है और इसमें शेयर कैपिटल को पुनः संगठित करने के विचार से कम्पनी तथा ऋण-दाताओं के बीच कोई सुलहनामा या व्यवस्था अन्तर्गस्त हो तो धारा ३९१ के अन्तर्गत कोर्ट की स्वीकृति जरूरी होगी।

रिजर्व दायित्व (Reserve Liability)—सीमित कम्पनी, विशेष प्रस्ताव द्वारा, निर्धारित कर सकती है कि उसके अयाचित (uncalled) शेयर कैपिटल का कोई भाग, सिवाय समापन की सूरत में, याचित नहीं किया जाएगा। ऐसे कैपिटल को रिजर्व कैपिटल कहते हैं। यदि एक बार किसी कम्पनी के कैपिटल के किसी भाग को रिजर्व कर दिया जाता है तो वह भाग डायेरक्ट्रों के नियंत्रण के अधीन नहीं रह जाता, और इसे कम्पनी के समापन की सूरत या के प्रयोजन के अलावा किसी अन्य सूरत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। [धारा ९९]। शेयर कैपिटल वाली असीमित कम्पनी, सीमित कम्पनी के रूप में अपने रजिस्ट्रेशन के लिये पारित किये गये प्रस्तावं द्वारा (क) अपने प्रत्येक शेयर्स के अंकित मूल्य को बढ़ा कर इस शर्त के अधीन अपने शेयर कैपिटल में वृद्धि कर सकती है कि ऐसी बढ़ी हुई राशि को सिवाय कम्पनी के समापन की सूरत में यांचित (Call) नहीं किया जाएगा, तथा (ख) यह प्राविधान कर सकती है कि उसके अयाचित शेयर कैपिटल एक यथोल्लिखित भाग को सिवाय कम्पनी के समापन की सूरत में या के प्रयोजन के लिए याचित किये जा सकने के योग्य नहीं होगा।

शेयर कैपिटल का न्यूनीकरण

[REDUCTION OF SHARE CAPITAL]

शेयर कैपिटल के न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रस्ताव (Reduction of share capital)—कोर्ट द्वारा पुष्टिकरण के अधीन, शेयरों

द्वारा सीमित कम्पनी, या शेयर कैपिटल वाली तथा प्रत्याभूति (guarantee) द्वारा सीमित क़म्पनी, यदि वह आर्टिक्ल्स द्वारा इस दिशा में प्राधिकृत है, विशेष प्रस्ताव द्वारा, किसी प्रकार अपने शेयर कैपिटल का न्यूनीकरण कर सकती है, तथा इस शक्ति की व्यापकता पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना विशेषकर निम्नलिखित कार्य कर सकती है, अर्थात्—

(क) अदत्त शेयर कैपिटल के सिलसिले में अपने किन्हीं शेयरों पर होने वाले दायित्व का न्यूनीकरण या समाप्ति कर सकती है; या।

(ख) अपने किन्हीं शेयरों के दायित्व के न्यूनीकरण या समाप्ति सहित या इसके बिना, किसी खो गए या उपलब्ध परिसम्पत द्वारा प्रतिनिधित्व न किए जा रहे दत्त शेयर कैपिटल को मन्सूख कर सकती है; या

(ग) अपने किन्हीं शेयरों के दायित्व के न्यूनीकरण या समाप्ति सहित या इसके बिना, कम्पनी की आवश्यकता से अधिक होने वाले दत्त शेयर कैपिटल का भुगतान कर दे सकती है।

इस धारा के अन्तर्गत विशेष प्रस्ताव को इस एक्ट में शेयर कैपिटल के न्यूनीकरण के लिए प्रस्ताव ("a resolution for reducing capital") के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

कोर्ट की शक्ति विवेकाधीन है (Court's power discretionary)—शेयर कैपिटल के न्यूनीकरण के प्रस्ताव की पुष्टि करने की कोर्ट की शक्ति विवेकाधीन होती है, और यदि इससे अल्पसंख्यकों के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो कोर्ट ऐसी किसी योजना को अननुमोदित (disapprove) कर देगी।

कोर्ट की स्वीकृति बिना शेयर कैपिटल का न्यूनीकरण—शेयरों की जब्ती (Reduction of share-capital without Court's sanction—Forfeiture of shares—(१) कोई कम्पनी याचना के अभुगतान के कारण शेयरों को जब्त करके, कोर्ट की स्वीकृति के बिना भी, अपने कैपिटल का न्यूनीकरण कर सकती है।

अनुसूची १ की तालिका 'ए' यह निर्धारित करती है कि यदि कोई सदस्य याचना (call), या याचना के किश्त का भुगतान, उसके भुगतान के निर्धारित दिन पर, करने में असफल रहता है, तो बोर्ड, इसके बाद किसी भी समय जिसके दौरान ऐसी याचना या उसकी किश्त अदत्त रहती है, उस पर यह अपेक्षित

करते हुये नोटिस तामील कर सकता है कि उतनी याचना या किश्त का, जो अदत्त है, उस पर हो गए ब्याज सहित, भुगतान किया जाय। [Reg. 29]।

इस नोटिस में एक और तारीख दी जाएगी (जो नोटिस के तामील होने की तारीख के बाद १४ दिन की समाप्ति से पहिले नहीं होगी) जिस पर या उससे पहिले नोटिस में अपेक्षित भुगतान किया जाना है; तथा यह भी कहा जाएगा कि इस प्रकार दी गयी तारीख पर या उससे पहिले भुगतान न किये जाने की सूरत में, वे शेयर्स जिनके प्रति याचना की गई है, जब्त किये जा सकेंगे। [Reg. 30]।

वह व्यक्ति जिसके शेयर्स जब्त कर लिए गए हैं जब्त किये गये शेयर्स के प्रति सदस्य नहीं रहेगा, लेकिन, जब्ती के बावजूद भी, वह कम्पनी को उस सभी धन का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा जो, जब्ती की तारीख पर, उस समय ऐसे शेयर्स के प्रति उसके द्वारा कम्पनी को देय थे। यदि तथा जब कम्पनी ऐसे शेयरों पर देय ऐसे धन का पूर्ण भुगतान प्राप्त कर लेती है तो ऐसा व्यक्ति दायित्व से मुक्त हो जायेगा। [Reg. 33]।

जब्त किये गये शेयर्स कम्पनी की सम्पत्ति हो जाते हैं और कम्पनी उन्हें डिस्काउन्ट पर जारी कर सकती है, बशर्ते कि ऐसा डिस्काउन्ट उन शेयर्स पर पहिले ही प्राप्त की गई राशि से अधिक न हो।

(२) कम्पनी संचित लाभ में से दत्त कैपिटल का भुगतान करके, कोर्ट की स्वीकृति के बिना, अपने कैपिटल का न्यूनीकरण कर सकती है।

(३) कम्पनी अपने कैपिटल का और अधिक न्यूनीकरण, कोर्ट की स्वीकृति के बिना, उन शेयर्स को मन्सूख करके कर सकती है जिन्हें इस सिलसिले में पारित किये गये प्रस्ताव की तारीख तक किसी ने नहीं लिया या जिन्हें लेने के लिये कोई सहमत नहीं हुआ था, और धारा ४६ (१) (ङ) के अन्तर्गत इस प्रकार मन्सूख किये गये शेयरों की राशि के बराबर अपने शेयर कैपिटल में कमी कर सकती है।

शेयर कैपिटल के न्यूनीकरण की प्रक्रिया (Procedure for reduction of capital)—यह प्रक्रिया धारा १०१ में निर्धारित है। यह निर्धारित करती है कि :—

(१) जहाँ कम्पनी ने अपने शेयर कैपिटल के न्यूनीकरण के लिये प्रस्ताव पारित किया है, वहाँ कम्पनी आवेदन-पत्र द्वारा कोर्ट से न्यूनीकरण की पुष्टि करने के लिए अनुरोध कर सकती है।

(२) जहाँ शेयर कैपिटल के प्रस्तावित न्यूनीकरण में या तो अदत्त शेयर कैपिटल के सिलसिले में दायित्व का घटाव या किसी शेयर होल्डर को दत्त शेयर

कैपिटल का भुगतान अन्तर्ग्रस्त हो, तथा किसी अन्य सूरत में यदि कोर्ट ऐसा निदेश देती है, निम्नलिखित उपबन्ध, उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन, प्रभावकारी होंगे :—

(क) कम्पनी का प्रत्येक वर्तमान ऋणदाता जो कोर्ट द्वारा निश्चित की गई तारीख पर, किसी ऋण या दावे का हकदार है, यदि वह तारीख कम्पनी के समापन के प्रारम्भ की तारीख है, न्यूनीकरण के प्रति आपत्ति करने का हकदार होगा।

(ख) कोर्ट ऋणदाताओं की ऐसी सूची व्यवस्थित करेगी जो आपत्ति करने के लिए हकदार हैं।

(ग) जहाँ कोई ऋणदाता, जो सूची में शामिल है और जिसके ऋण या दावे का भुगतान नहीं किया जाता, न्यूनीकरण के प्रति सहमत नहीं होता, तो कोर्ट, यदि वह उचित समझे तो, ऋणदाता की सहमति को, कम्पनी द्वारा उसके ऋण के भुगतान को प्रतिभूत (secure) किए जाने या दावे को निम्नलिखित राशियों द्वारा विनियोजित किये जाने पर, जैसा कि कोर्ट निदेश दे, अभिमुक्त कर सकती है :—

(१) यदि कम्पनी ऋण या दावे की पूरी राशि को स्वीकार करती है, या स्वीकार न करते हुए, उसका प्रविधान करने के लिये इच्छुक है, ऋण या दावे की पूरी राशि,

(२) यदि कम्पनी स्वीकार नहीं करती, और उसका प्राविधान करने के लिये इच्छुक नहीं है, ऋण या दावे की पूरी राशि या यदि राशि घटनापन्न (Contingent) है और सुनिश्चित (ascertained) नहीं है तब, ऐसी जाँच तथा न्यायनिर्णयन के पश्चात कोर्ट द्वारा निश्चित की गई राशि, मानों कम्पनी का समापन कोर्ट द्वारा किया जा रहा हो।

(३) जहाँ शेयर कैपिटल के प्रस्तावित न्यूनीकरण में या तो अदत्त शेयर कैपिटल के सिलसिले में दायित्व का घटाव या किसी शेयरहोल्डर को दत्त शेयर कैपिटल का भुगतान अन्तर्ग्रस्त हो, तो कोर्ट, यदि, मामलों की किसी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा करना उचित समझती है, निदेश दे सकती है कि उपरोक्त उपधारा (२) के उपबन्ध ऋणदाताओं के किसी वर्ग या वर्गों को नहीं लागू होंगे। (धारा १०१)।

कोर्ट, न्यूनीकरण के प्रति आपत्ति करने के लिए हकदार कम्पनी के प्रत्येक ऋणदाताओं के प्रति सन्तुष्ट होने पर कि या तो न्यूनीकरण के प्रति उसकी सहमति प्राप्त कर ली गई है, या उसके ऋण या दावे का भुगतान कर दिया गया है, या

अवधारित (determined) कर दिया गया है या प्रतिभूत कर दिया गया है, वह, जिन निबन्धनों तथा शर्तों पर उचित समझे, न्यूनीकरण की पुष्टि का आदेश दे सकती है।

जहाँ कोर्ट ऐसा आदेश देती है, वहाँ—

(क) यदि किसी विशेष कारण से वह ऐसा करना उचित समझे तो, यह निदेश देते हुए आदेश दे सकती है कि कम्पनी उतने समय तक, जो आदेश में उल्लिखित हो, अपने नाम के अन्त में शब्द "and reduced" जोड़ देगी, तथा

(ख) जनता को सूचना देने के उद्देश्य से, कम्पनी को आदेश देकर यह अपेक्षित कर सकती है कि, जैसा कि कोर्ट निदेश दे, न्यूनीकरण तथा इससे संबधित अन्य सूचना तथा, यदि कोर्ट उचित समझे, जिन कारणों से न्यूनीकरण करना पड़ा था, उन्हें प्रकाशित किया जाय (धारा १०२)।

आदेश तथा न्यूनीकरण की कार्यवाही की रजिस्ट्री —रजिस्ट्रार (क) कम्पनी के शेयर कैपिटल के न्यूनीकरण की पुष्टि करते हुए कोर्ट के आदेश उसके सामने पेश किए जाने पर, तथा (ख) आदेश और कोर्ट द्वारा अनुमोदित कार्यवाही की प्रमाणित प्रति जिसमें आदेश द्वारा परिवर्तित कम्पनी के शेयर कैपिटल के विषय में (१) शेयर कैपिटल की राशि, (२) शेयरों की संख्या, जिनमें उन्हें विभाजित किया जाना है, (३) प्रत्येक शेयर की राशि, तथा (४) वह राशि, यदि कोई हो, जो रजिस्ट्रेशन की तारीख पर प्रत्येक शेयर पर भुगतान किया गया समझा जाता था, प्रदर्शित हो, प्रस्तुत किये जाने पर आदेश तथा कार्यवाही को रजिस्ट्रीकृत करेगा।

आदेश तथा कार्यवाही की रजिस्ट्री पर, न कि उससे पहिले, आदेश द्वारा पुष्टिकृत न्यूनीकरण का प्रस्ताव प्रभावशाली होगा।

रजिस्ट्रेशन की सूचना इस प्रकार की जाएगी, जैसा कि कोर्ट निदेश दे।

रजिस्ट्रार अपने हाथों से आदेश तथा कार्यवाही की रजिस्ट्री को प्रमाणित करेगा और उसका प्रमाण पत्र इस बात का निश्चायक प्रमाण होगा कि न्यूनीकरण से संबन्धित एक्ट द्वारा सभी अपेक्षाओं का पालन किया जा चुका है तथा कम्पनी का शेयर कैपिटल वैसा ही है जैसा कि कार्यवाही में कथित है।

कार्यवाही रजिस्टर्ड हो जाने पर उसके विषय में यह समझा जाएगा कि इससे कम्पनी के मेमोरेन्डम का तत्स्थानी (corresponding) भाग प्रतिस्थापित (substituted) हो गया है, और यह उसी प्रकार मान्य तथा परिवर्त्य

(alterable) होगा मानो वह मूल रूप में उसमें विद्यमान था। कम्पनी के मेमोरेन्डम के किसी भाग का ऐसी कार्यवाही (minute) द्वारा प्रतिस्थापन (substitution) को, धारा ४० के अर्थान्तर्गत तथा इसके प्रयोजन के लिए, मेमोरेन्डम में परिवर्तन समझा जाएगा, जिसके द्वारा ऐसे परिवर्तन का, परिवर्तन की तारीख के बाद जारी किये गये प्रत्येक मेमोरेन्डम की प्रति पर नोट किया जाना अपेक्षित है।

कम्पनीज ऐक्ट से सम्बद्ध अनुसूची १, तालिका 'ए', रेग्यूलेशन ४६ के अन्तर्गत, कोई कम्पनी, विशेष प्रस्ताव द्वारा, विधि द्वारा प्राधिकृत प्रसंग तथा अपेक्षित सहमति के अधीन, किसी भी प्रकार (१) अपने शेयर कैपिटल, (ख) किसी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व फन्ड, या (ग) किसी शेयर प्रीमियम अकाउन्ट को कम कर सकती है।

न्यूनीकृत शेयरों के प्रति सदस्यों का दायित्व (Liability of members in respect of reduced shares)—कैपिटल के न्यूनीकरण के परिणामस्वरूप, किसी सदस्य का दायित्व, भूतपूर्व या वर्तमान, शेयरों के प्रति भुगतान की गयी राशि तथा न्यूनीकरण के फलस्वरूप अन्तिम रूप से न्यूनीकृत शेयर की राशि के बीच अन्तर की राशि से अधिक नहीं होगी, अर्थात, सदस्य द्वारा देय राशि, दत्त की गई राशि तथा न्यूनीकृत राशि के बीच अन्तर की सीमा तक न्यूनीकृत हो जाती है (धारा १०४)।

शेयर होल्डर्स के अधिकारों में फेरफार

[VARIATION OF SHAREHOLDER'S RIGHTS]

विशेष वर्ग के शेयरों के अधिकारों में फेरफार—जहाँ किसी कम्पनी का शेयर कैपिटल विभिन्न वर्गों के शेयरों में विभाजित हो, किसी वर्ग के शेयरों से सम्बद्ध अधिकारों में उस वर्ग के जारी किए गए शेयरों के धारकों में से कम से कम तीन चौथाई की लिखित सहमति द्वारा या उस वर्ग के शेयरों के धारकों द्वारा पृथक मीटिंग में पारित विशेष प्रस्ताव की स्वीकृति द्वारा फेरफार किया जा सकता है, यदि :—

(क) कम्पनी के मेमोरेन्डम या आर्टिकल्स में ऐसे फेरफार किए जाने के सम्बन्ध में प्राविधान है, या

(ख) मेमोरेन्डम अथवा आर्टिक्लस में ऐसे प्राविधान के अभाव की सूरत में, ऐसा फेरफार उस वर्ग के शेयरों को जारी की जाने वाली शर्तों द्वारा निषिद्ध नहीं है। (धारा १०६)।

विमत शेयरहोल्डरों के अधिकार (Rights of dissentient shareholders):—(१) यदि, उपरोक्त उपबन्ध के अनुसार, किसी ऐसे वर्ग के शेयरों से सम्बद्ध अधिकारों में कोई फेरफार किया जाता है, तो उस वर्ग के जारी किये गये शेयरों के धारकों में से कम से कम दस प्रतिशत जिन्होंने फेरफार के प्रस्ताव के समर्थन में वोट नहीं दिया है या जो उसके प्रति सहमत नहीं हुए हैं, फेरफार को मन्सूख किए जाने के लिये कोर्ट को आवेदन-पत्र दे सकते हैं। जहाँ ऐसा कोई आवेदन पत्र दिया गया हो, तो फेरफार उस समय तक प्रभावशील नहीं होगा जब तक कि कोर्ट उसकी पुष्टि न कर दे। आवेदन-पत्र सहमति या प्रस्ताव पारित होने के २१ दिन के भीतर, जैसी स्थिति हो, दिया जाना चाहिए, और उसे उन शेयरहोल्डरों की तरफ से भी दिया जा सकता है जो आवेदन पत्र देने के लिये हकदार हों, तथा इसे उनमें से ऐसे किसी एक या अधिक द्वारा दिया जा सकता है जिसे इस प्रयोजन के लिये लिखित रूप से नियुक्त किया गया हो।

ऐसे किसी आवेदन-पत्र पर, कोर्ट, आवेदक तथा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को सुनने के पश्चात्, जो सुनवाई के लिये अनुरोध करे, या जो कोर्ट को आवेदन-पत्र में हितबद्ध प्रतीत हो, यदि वह मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस बात से सन्तुष्ट है कि फेरफार से उन शेयरहोल्डरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिनका प्रतिनिधित्व आवेदन पत्र द्वारा किया जा रहा है, फेरफार को नामंजूर कर देगी, और यदि कोर्ट इस प्रकार नहीं सन्तुष्ट होती है तो वह फेरफार की पुष्टि कर देगी। ऐसे आवेदन पत्र पर कोर्ट का निर्णय अन्तिम होगा।

कम्पनी पर ऐसे आवेदन-पत्र पर दिए गए आदेश की तामील होने के बाद १५ दिन के भीतर, कम्पनी ऐसे आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार के पास रवाना करेगी, और यदि इस उपबन्ध के पालन में चूक होती है तो कम्पनी, तथा चूक करने वाला कम्पनी का प्रत्येक अधिकारी जुर्माने द्वारा, जो ५० रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जाएगा। [धारा १०७]।

अल्पसंख्यक शेयरहोल्डरो को उपलब्ध उपाय (Remedies of the minority of shareholders)—ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियों से संबंधित कानून का यह प्रारम्भिक सिद्धान्त है कि अपनी शक्तियों के दायरे के अन्दर

कार्य कर रही कम्पनियों के अन्दरूनी इन्तजाम में कोर्ट दखलअन्दाजी नहीं करेगी, और दरअसल इन्हें यह हक हासिल भी नहीं है। निगमों के मामलों में अल्पसंख्यक वर्ग के अल्पसंख्यक सदस्यों को बहुसंख्यक वर्ग की मर्जी के सामने झुकना पड़ता है। जिस प्रश्न का निर्धारण अपेक्षित है वह यह है कि क्या वास्तव में बहुसंख्यक वर्ग कानूनन ऐसा करने के हकदार हैं। यदि कोई अनियमितता नहीं है और ऐसा कुछ किया गया है जिसे बहुसंख्यक वर्ग कानूनन कर सकते हैं, तब अल्पसंख्यक वर्ग कुछ नहीं कह सकते।

लेकिन, यदि बहुसंख्यक वर्ग ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों से वंचित किया है, तो वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बहुसंख्यकों के कृत्यों के प्रति आपत्ति की जा सकती है (१) जहाँ कृत्य कम्पनी की शक्ति के परे (ultra vires) हो, या (२) जहाँ यह अल्पसंख्यकों के प्रति कपट हो। दूसरी सूरत में भी कार्यवाही कम्पनी के नाम में ही शुरू की जानी चाहिये। विमत शेयर होल्डर्स उपर्युक्त धारा १०७ में निर्धारित तरीके से कार्यवाही कर सकते हैं।

अध्याय ७

डिबेन्चर्स

[DEBENTURES]

(धारायें ११७-१२३)

डिबेन्चर एक ऐसा दस्तावेज है जिसे कम्पनी किसी ऋण के साक्ष्य के रूप में उसके धारक को देती है जिसकी उत्पत्ति सामान्यतः किसी उधार से होती है तथा जो आमतौर से किसी भार (चार्ज) द्वारा प्रतिभूत होता है। यह कम्पनी द्वारा अपने कामन सील के अन्तर्गत जारी की गई उधार लिए गए ऋण की अभिस्वीकृति होती है और इसमें धन की वापसी, ब्याज की दर, इत्यादि संबन्धी निबन्धन तथा शर्तों का उल्लेख होता है। कम्पनीज एक्ट, १९५६ की धारा २ (१२) के अन्तर्गत "डिबेन्चर" में डिबेन्चर स्टाक, बांड्स तथा कम्पनी की अन्य प्रतिभूतियाँ, चाहे वह कम्पनी की परिसम्पत् पर भार गठित होती हों अथवा नहीं, शामिल हैं।

Lemon *v.* Austrian Friars Trust, 1926 Ch. 1 में कोर्ट आफ अपील ने निबन्धन "डिबेन्चर" को समझाते हुए कहा है कि यह "something which was a mere acknowledgment of indebtedness, without containing a charge at all." है, अर्थात्, यह ऋण की एक अभिस्वकृति मात्र है और इसमें कोई भार अन्तर्विष्ट नहीं होता।

डिबेन्चर्स का रूप (Form of Debentures)—यह जरूरी नहीं है कि भार हमेशा ही हो। जब डिबेन्चर्स के साथ भार होता है तो उन्हें बन्धक डिबेन्चर्स (mortgage debentures) कहते हैं, और जब कोई भार नहीं होता तो उन्हें साधारण या अनावृत डिबेन्चर (Naked debenture) कहा जाता है। जो कुछ जरूरी है वह यह है कि इसमें ऋण की अभिस्वीकृति होनी चाहिए।

डिबेन्चर के विशेष गुण (Characteristics of debentures)—डिबेन्चर्स का सामान्य गुण यह होता है कि आम तौर से इन्हें सीरीज में तथा सील के अन्तर्गत जारी किया जाता है और इसमें एक निश्चित तारीख पर एक निश्चित रकम तथा बीच की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान का प्राविधान होता है, और कम्पनी के जिम्मे पर, या उसकी किसी सम्पत्ति पर, भार द्वारा प्रतिभूत

होता है और कभी-कभी न्यास-विलेख-पत्र द्वारा भी प्रतिभूत होता है जिसके द्वारा सम्पत्ति डिबेन्चर होल्डर्स के लिए न्यास पर न्यासधारियों को बंधक रहती है और आम तौर से उसमें मोचन की अवधि का उल्लेख रहता है। लेकिन, यह जरूरी नहीं है कि ये गुण हमेशा ही मौजूद हों, क्योंकि हो सकता है डिबेन्चर सीरीज में न हों बल्कि स्थायी तथा शाश्वत डिबेन्चर हों, जो किसी निश्चित तारीख पर देय नहीं होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि डिबेन्चर हमेशा विलेख-पत्र (deed) द्वारा ही हों, लेकिन अक्सर इनके साथ न्यास-विलेख-पत्र होता है जिसके द्वारा कम्पनी की सम्पत्ति डिबेन्चर-होल्डरों के लिए न्यासधारियों में यथोल्लिखित रूप से निहित होती है। रजिस्टर्ड होल्डरों को देय डिबेन्चरों को, समभावी खंड सहित (with a *pari passu* clause), सीरीज में पृष्ठांकित शर्तों में यथोल्लिखित तरीके के अनुसार हस्तांतरित किया जा सकता है, अर्थात् सीरीज के सभी डिबेन्चरों का भुगतान यथा-नुपात करना होता है, इस प्रकार कि यदि प्रतिभूति पर्याप्त नहीं है तो सभी डिबेन्चर का अनुपाततः अवसान (abatement) हो जाएगा।

वोटिंग के अधिकार सहित डिबेन्चर नहीं जारी किये जाएंगे (Debentures with voting rights not to be issued)—उनकी प्रतिभूत स्थिति के आधार पर वर्तमान ऐक्ट ने डिबेन्चर-होल्डर्स के वोटिंग के अधिकारों को कम कर दिया है। धारा ११७ यह उपबन्ध करती है कि ऐक्ट लागू होने के पश्चात् कोई कम्पनी वोटिंग के अधिकारों सहित कोई डिबेन्चर कम्पनी की मीटिंग में नहीं जारी करेगी, चाहे सामान्य रूप से या व्यापार के किसी वर्ग विशेष के सिलसिले में।

शाश्वत् (Perpetual) डिबेन्चर—शाश्वत डिबेन्चर वे डिबेन्चर हैं जिनके मूल धन की वापसी के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं होती, या ऋण की वापसी किसी घटना की आकस्मिकता पर निर्भर करती है जो कि हो सकता है अनिश्चित अवधि तक घटित ही न हो। इसलिए, शब्द "शाश्वत" (perpetual) का यह अर्थ है कि डिबेन्चर-होल्डर भुगतान की माँग नहीं कर सकता, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि, यदि कम्पनी चाहे, तो वह उसका भुगतान कभी कर ही नहीं सकती।

किसी डिबेन्चर या किसी डिबेन्चर को प्रतिभूत करने वाले दस्तावेज में कोई शर्त, चाहे उसे ऐक्ट लागू होने के पहिले या बाद में जारी या निष्पादित किया गया हो, केवल इसलिए अमान्य नहीं होगी कि उसके कारण डिबेन्चर्स किसी आकस्मिकता के घटने पर, जो कि कितना ही दूरस्थ हो, या किसी अवधि की समाप्ति पर जो कितनी ही लम्बी हो, मोच्य या अमोच्य हो गए हैं। इसलिए, शाश्वत डिबेन्चर्स का जारी किया जाना पूर्णतः वैध है। [धारा १२०]।

कुछ सूरतों में मोच्य डिबेन्चस जारी करने की शक्ति (Power to issue redeemed debentures in certain cases)—(१) जहाँ कम्पनी ने पहले जारी किए गए किन्हीं डिबेन्चर्स को छुड़ा लिया हो, तब (क) जब तक कि आर्टिक्ल्स में, अभिव्यक्त या उपलक्षित रूप से, या जारी किए जाने की शर्तों, या कम्पनी द्वारा की गई संविदा में, कोई प्रतिकूल उपबन्ध न हो; या (ख) जब तक कि कम्पनी ने अपना यह अभिप्राय व्यक्त न किया हो कि डिबेन्चर्स को मन्सूख कर दिया जाएगा, यह समझा जाएगा कि कम्पनी डिबेन्चर्स को फिर से जारी करने के लिए जीवित रखने के लिए हकदार है तथा हमेशा हकदार थी। ऐसे अधिकार का प्रयोग करने के सिलसिले में यह समझा जाएगा कि कम्पनी को यह अधिकार है तथा हमेशा ही था कि वह उन्हीं डिबेन्चर्स को फिर से जारी कर सकती है या उनके स्थान पर अन्य डिबेन्चर्स जारी कर सकती है। इस प्रकार पुनः जारी किये जाने पर; डिबेन्चर्स के प्रति हकदार व्यक्ति के विषय में यह समझा जायेगा कि उसे वे ही अधिकार तथा पूर्वताएं प्राप्त हैं तथा हमेशा प्राप्त थे मानो डिबेन्चर्स को कभी छुड़ाया नहीं गया था।

डिस्काउन्ट पर डिबेन्चर्स का जारी किया जाना (Issue of Debentures at a discount)—जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यदि कम्पनी के आर्टिक्ल्स में इसके लिए अनुमति हो तो, डिबेन्चर्स को डिस्काउन्ट पर भी जारी किया जा सकता है। ये कम्पनी के कैपिटल का भाग नहीं होते। तद्नुसार, डिबेन्चर्स पर देय ब्याज ऋण होता है जिसका भुगतान कैपिटल में से किया जा सकता है।

धारा २१६ के अन्तर्गत डिबेन्चर्स-होल्डर्स कम्पनी के बैलेन्स-शीट की प्रति प्राप्त करने तथा बैलेन्सशीट तथा कम्पनी के लाभ-हानि के लेखे तथा आडिटर्स की रिपोर्ट का भी मुआइना करने के अधिकारी होते हैं। इसी प्रकार कम्पनी के डिबेन्चर होल्डर्स के न्यासधारियों को भी यही अधिकार प्राप्त हैं।

भार के अन्तर्गत दावों से पूर्व चल भार के अधीन परि-सम्पत् में से कतिपय ऋणों का भुगतान (Payment of certain debts out of assets subject to floating charge in priority to claims under the charge)—(१) जहाँ या तो (क) चल भार द्वारा प्रति-भूत कम्पनी के डिबेन्चर्स के धारकों की तरफ से कोई रिसीवर नियुक्त किया गया हो, या (ख) भार में समाविष्ट (Comprised) या के अधीन सम्पत्ति का कब्जा उन डिबेन्चर-होल्डर्स द्वारा या उनकी ओर से लिया गया हो, तब उन ऋणदाताओं के दावों का भुगतान जो कम्पनी के समापन की सूरत में अधिमान प्राप्त ऋणदाता

होते, डिबेन्चर्स के प्रति मूलधन या ब्याज के किसी दावे से पूर्व, रिसीवर या उपरोक्त कब्जा प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति के हाथों में आने वाली परिसम्पत् में से तुरन्त किया जाएगा। [धारा १२३]।

डिबेन्चर-होल्डर्स को उपलब्ध उपाय (Remedies of debenture-holders)—डिबेन्चर-होल्डर निम्नलिखित उपायों द्वारा अपने धन को वसूल कर सकता है :—

(१) वह अपनी तथा कंपनी के अन्य सभी डिबेन्चर-होल्डर्स की तरफ से अपने ऋणों के भुगतान या विक्रय द्वारा प्रतिभूति को प्रवर्तित (enforce) कराने के लिए डिबेन्चर-होल्डर्स का वाद दायर कर सकता है। ऐसी सूरत में आमतौर से कोर्ट रिसीवर की नियुक्ति कर देती है और डिबेन्चर्स को कंपनी की परिसम्पत् पर भार घोषित कर देती है और इस बात की जाँच का निदेश देती है कि डिबेन्चर-होल्डर्स कौन हैं तथा सम्पत्ति के विक्रय का आदेश देती है। मूलधन, ब्याज तथा डिबेन्चर-होल्डर्स के खर्चों के भुगतान के बाद विक्रय के आगम में से बचने वाला अतिरेक (surplus) कंपनी को देय होता है।

(२) यदि दस्तावेज द्वारा यह अधिकार डिबेन्चर-होल्डर्स को प्रदत्त हो तो वह स्वयं रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है।

(३) वह कंपनी के समापन के लिये तथा उसको देय ब्याज को सीधे उसको दिये जाने के लिये, न कि उसके न्यासधारी को, आवेदन-पत्र दे सकता है, चूँकि वह अपने मूलधन के लिए ऋणदाता होता है।

(४) यदि डिबेन्चर के न्यास-विलेख-पत्र में न्यासधारियों को बिक्री की शक्ति प्रदत्त है तो वह प्रतिभूति को न्यासधारियों के मार्फत बेच भी सकता है।

(५) कंपनी का दिवाला निकल जाने की सूरत में, डिबेन्चर-होल्डर या तो प्रतिभूति का मूल्यांकन करा सकता है तथा शेष को प्रमाणित कर सकता है या अपनी प्रतिभूति को सरेन्डर कर सकता है तथा अपने ऋण की पूरी राशि को प्रमाणित कर सकता है।

(६) अन्त में, वह कोर्ट से मोचन-रोध (foreclosure) के लिए अनुरोध कर सकता है जो कंपनी की अन्‌कॉल्ड कैपिटल तक विस्तृत हो सकता है। मोचन-रोध के लिए दायर किए गए वाद में यह जरूरी है कि प्रत्येक वर्ग के सभी डिबेन्चर-होल्डर्स वाद में पक्षकार हों। [Elias *v.* Continental Co., (1877) 1 Ch. 511]।

भाग ५

अध्याय ८

भारों तथा बंधकों का रजिस्ट्रेशन

[REGISTRATION OF CHARGES AND MORTGAGES]

[धारायें १२५-१४५]

भार से यह प्रदर्शित होता है कि यह किसी ऋण के भुगतान या किसी अभार के पालन के लिये प्रतिभूति है।

ऐक्ट उन औपचारिकताओं को निर्धारित करती हैं जिनका पालन कम्पनी द्वारा मान्य रूप से धन उधार लेने के पहिले जरूरी है। जहाँ तक अप्रतिभूत उधार लिये जाने का सम्बन्ध है, कम्पनी ऐसा करने के लिये स्वतन्त्र है, बशर्ते कि इसके लिये मेमोरेन्डम आफ असोसियेशन में अनुमति दी गई हो, या यह धारा २९३ के उपबन्धों के प्रतिकूल न हो। यह धारा यह उपबन्ध करती है कि किसी लोक कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स, ऐसी लोक कम्पनी की सहमति के सिवाय, ऐक्ट लागू होने के पश्चात् धन उधार नहीं लेंगे, जहाँ उधार लिये जाने वाला धन तथा कम्पनी द्वारा पहिले से ही उधार लिया गया धन मिलकर कम्पनी के पेड-अप कैपिटल के समस्त (aggregate) और रिजर्व से अधिक हो जाता हो, अर्थात् किसी यथोल्लिखित प्रयोजन के लिये अलग न रक्खे गये रिजर्वस्।

कुछ भार, जब तक कि वे रजिस्टर्ड न हों, परिसमापक (Liquidator) या ऋणदाताओं के विरुद्ध शून्य होंगे—(Certain charges to be void against liquidator unless registered)— जहाँ कम्पनी की प्रतिभूति पर धन उधार लिया जाता है धारा १२५ में उल्लिखित औपचारिकताओं का पालन जरूरी है। यह धारा निम्न प्रकार निर्धारित करती है :—

एक अप्रैल १९१४ को, या उसके बाद, किसी कम्पनी द्वारा सर्जित प्रत्येक भार, जो एक ऐसा भार है जिसे यह धारा, अर्थात् ऐक्ट की धारा १२५ लागू होती है, जहाँ तक एतत्द्वारा कम्पनी की किसी सम्पत्ति या अन्डरटेकिंग पर कोई प्रतिभूति प्रदत्त होती है, कम्पनी के परिसमापक या किसी ऋणदाता के खिलाफ

शून्य होगा, जब तक कि भार का निर्धारित विवरण, संलेख सहित, यदि कोई हो, जिसके द्वारा सर्जित या प्रदर्शित होता है, या उसकी एक प्रतिलिपि, यथाविधि प्रमाणित करके, ऐक्ट द्वारा अपेक्षित तरीके से, उसके सर्जन के बाद २१ दिन के भीतर रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्रेशन के लिये दाखिल नहीं की जाती ; बशर्ते कि यदि कम्पनी रजिस्ट्रार को इस बात से संतुष्ट करती है कि उस अवधि के भीतर विवरण तथा संलेख को न दाखिल कर सकने का उसके पास पर्याप्त कारण था, तो रजिस्ट्रार २१ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद ७ दिन के भीतर विवरण तथा संलेख या उसकी प्रतिलिपि दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।

उपरोक्त उपबन्धों के अन्तर्गत किसी भार की अवैधता से भार द्वारा प्रतिभूत धन की वापसी के लिये किसी संविदा या अभार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जब इस धारा के अन्तर्गत कोई भार शून्य हो जाता है, तो उसके द्वारा प्रतिभूत धन तुरन्त देय हो जाता है। यह धारा निम्नलिखित भारों को लागू होती है :—

(क) डिबेन्चरों की निकासी को प्रतिभूत करने के लिये कोई भार ;

(ख) कम्पनी के अदत्त शेयर कैपिटल पर भार ;

(ग) किसी स्थावर सम्पत्ति पर भार चाहे, कहीं भी स्थित हो, या उसमें कोई हित ;

(घ) कम्पनी के किसी पुस्त-ऋण (book-debt) पर भार ;

(ङ) कम्पनी के किसी चल सम्पत्ति पर कोई भार, न कि गहन (pledge);

(च) कम्पनी की किसी देयता (undertaking) या सम्पत्ति पर, जिसमें बिक्री का माल (stock-in-trade) सम्मिलित है, कोई चल भार (floating charge) ;

(छ) याचना की गई लेकिन भुगतान न की गई राशि पर भार ;

(ज) जहाज, या जहाज में किसी शेयर पर कोई भार ;

(झ) किसी ख्याति लाभ (goodwill) पर, पेटेन्ट या किसी पेटेन्ट के अन्तर्गत लाईसेन्स पर, या ट्रेडमार्क पर या किसी कापी राईट या कापी राईट के अन्तर्गत लाईसेन्स पर भार।

उपरोक्त वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुये, कोई ऐसा भार, जो विधि के प्रवर्तन द्वारा अस्तित्वशील होता है, अर्थात् सालिसिटर या विक्रेता का धारणा-

धिकार, इस धारा के अन्तर्गत नहीं आता और उसकी रजिस्ट्री आवश्यक नहीं होती।

जब किसी भार का सर्जन भारत में होता है लेकिन उसमें भारत के बाहर की सम्पत्ति समाविष्ट होती है, तो इस धारा के अन्तर्गत भार का सर्जन या सर्जन अभिप्रेत (purport) करने वाला संलेख या उसकी प्रतिलिपि निर्धारित तरीके से सत्यापित करके रजिस्ट्रेशन के लिए दाखिल की जा सकती है, इस बात के बावजूद भी कि जिस देश में सम्पत्ति स्थित है वहाँ के कानून के अनुसार भार को मान्य तथा प्रभावशील कराने के लिये अन्य कार्यवाही की जानी जरूरी होगी।

जहाँ किसी कंपनी के पुस्त-ऋण के भुगतान को प्रतिभूत करने के लिए कोई परक्राम्य संलेख (negotiable instrument) दिया गया हो, वहाँ कंपनी को दिए गए अग्रिम (advance) को प्रतिभूत करने के प्रयोजन के लिए संलेख के दाखिल किए जाने को, इस धारा के प्रयोजन के लिए, उन पुस्त-ऋणों पर भार नहीं माना जाएगा।

स्थावर सम्पत्ति पर भार के अधिकार सहित किसी धारक द्वारा डिबेन्चर्स को धारण किए जाने को, इस धारा के प्रयोजन के लिए, स्थावर सम्पत्ति में हित नहीं समझा जाएगा। [धारा १२५]।

भार के नोटिस की तारीख (Date of notice of charge)—धारा १२६ द्वारा यह उपबन्धित है कि उपरोक्त उपबन्धों के अन्तर्गत किसी भार के रजिस्ट्रेशन को, ऐसे रजिस्ट्रेशन की तारीख से, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध नोटिस समझा जाएगा जो ऐसी सम्पत्ति या उसके किसी भाग, या उसमें कोई शेयर या हित अर्जित करता है।

स्थायी भार (Fixed charge)—भार स्थायी या चल दोनों प्रकार का हो सकता है। स्थायी भार की सूरत में कंपनी अपनी कुछ यथोल्लिखित तथा सुनिश्चित सम्पत्ति को भारग्रस्त करती है। यह साधारण बंधक के समान होता है और कंपनी ऐसी सम्पत्ति के प्रति, भार के अधीन, साधारण बंधककर्त्ता के समान व्यवहार कर सकती है। यह भार एक सुनिश्चित तथा परिभाषित सम्पत्ति से सम्बद्ध होता है जो सुनिश्चित तथा परिभाषित की जा सकने के योग्य होती है।

चल भार (Floating charge)—चल भार की सूरत में, जो चल प्रतिभूति के सदृश्य भी होता है, भार कंपनी की किसी विशिष्ट या यथोल्लिखित सम्पत्ति से सम्बद्ध नहीं होता, बल्कि यह परिवर्त्य तथा विवर्तनशील प्रकृति का

होता है ("is ambulatory and shifting in its nature") चल प्रभार को Lord Mcnaghten ने Illingworth v. Houldsworth, 1904 A. C. 335 में इन शब्दों में व्यक्त किया है—

"A floating security is an equitable charge on the assets for the time being of a going concern ; it attaches to the subject charged in the varying conditions it happens to be from time to time. It is of the essence of such a charge that it remains dormant until the undertaking charged ceases to be a going concern, or until the person in whose favour the charge is created intervenes. His right to intervene may, of course, be suspended by agreement. But if there is no suspension, he may exercise his right whenever he pleases after default."

अनेकों निर्णयों के परिणामस्वरूप, चल भार के विशेष गुणों को निम्न प्रकार संक्षिप्त किया जा सकता है :—

(१) चल भार कम्पनी की किसी विशिष्ट परिसम्पत्, वर्तमान या भावी, पर एक भार होता है। इस प्रकार भारित परिसम्पत् व्यापार के सामान्य क्रम में समय-समय पर परिवर्तनशील होती है (Illingworth v. Houldsworth)। उपरोक्त यह पुस्त-ऋण फर्नीचर, या किसी विशिष्ट योजना का मुनाफा भी हो सकता है।

(२) सामान्यतः यह अवेक्षित (contemplate) किया जाता है कि कंपनी उस वर्ग की परिसम्पत् की सहायता से अपना कार्य सामान्य रूप से कर लेगी जब तक कोई घटना नहीं घटती और उस समय वर्तमान या अस्तित्वशील सम्पत्ति पर भार स्थापित हो जाता है। यहाँ अवेक्षित घटना उन घटनाओं में से कोई है जो डिबेन्चरों या भार में उल्लिखित होती है जिसके घटने पर प्रतिभूत किया गया धन तुरन्त देय हो जाता है। ऐसी घटना का केवल घटित होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भारधारी या डिबेन्चर-होल्डर द्वारा, ऐसी घटना के घटित होने पर अपनी प्रतिभूति को वसूल करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए, अर्थात् अपनी प्रतिभूति की वसूली के लिए रिसीवर की नियुक्ति करानी चाहिए। तभी भार का पुष्टिकृत होना कहा जाता है, अर्थात् निश्चित भार के रूप में परिवर्तन होना। चल भार की यह एक खास कैफियत होती है कि जब तक कि प्रभृत (charged) अन्डरटेकिंग की चल व्यापार (going concern) की स्थिति समाप्त नहीं हो जाती या वह व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करता जिसके पक्ष में भार का सर्जन किया गया है, यह निष्क्रिय बना रहता है।

(३) कंपनी की अन्डरटेकिंग पर भार एक चल भार होता है।

(४) चल भार की सूरत में, जब तक कम्पनी की चल व्यापार की स्थिति बनी रहती है, कम्पनी को सम्पत्ति के साथ सामान्य रूप से, व्यापार में सामान्य क्रम में, व्यवहार करने का अधिकार होता है।

(५) चल भार किसी विशिष्ट परिसम्पत् को तब तक यथोल्लिखित रूप से प्रभावित नहीं करता जब तक उस व्यक्ति द्वारा, जिसके पक्ष में सर्जन नहीं किया गया है, प्रतिभूति को प्रवर्तित कराए जाने के लिये आवश्यक कदम नहीं उठाये जाते।

(६) यदि डिबेन्चर-होल्डर्स द्वारा अपनी प्रतिभूति को प्रवर्तित कराने के लिए कार्यवाही किये जाने से पहले ही कुछ व्यक्ति कार्यवाही कर देते हैं, तो चल भार उन व्यक्तियों के अधिकारों के पक्ष में स्थगित हो जाने के लिये बाध्य हो जाता है। (धारा १२३)।

(७) चल भार के अधीन सम्पत्ति के साथ व्यवहार करने का कम्पनी का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि उक्त भार पुष्टिकृत या निश्चित भार का रूप न धारण कर ले।

(८) चल भार तब तक चल भार के रूप में अपनी स्थिति धारण किये रहता है जब तक या तो,

(क) रिसीवर की नियुक्ति नहीं होती या,
(ख) कम्पनी का समापन नहीं होता, या
(ग) कम्पनी अपना व्यापार नहीं बन्द कर देती।

(९) कम्पनी की समापन की कार्यवाही में अधिमान प्राप्त भुगतानों की सूरत के सिवाय चल भार को कम्पनी की सभी सामान्य दातव्यों पर पूर्वता प्राप्त होती है।

(१०) चल भार का प्रभाव गहन रक्खी सम्पति पर तात्कालिक भार सर्जित करना होता है, इस अपवाद सहित कि यह कम्पनी को दस्तावेज द्वारा निर्धारित परिसीमनों के अधीन, यदि कोई हो, सम्पत्ति के साथ, व्यापार के सामान्य क्रम में, व्यवहार करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ देता है। इससे किसी विशिष्ट परिसम्पत् पर कोई यथोल्लिखित प्रभाव नहीं पड़ता जब तक कि कोई घटना हो या बंधकी द्वारा कोई ऐसा कृत्य न किया जाय जिससे चल भार पुष्टिकृत या स्थायी भार का रूप न धारण कर ले।

चल भार तथा स्थायी भार में विभेद—यथोल्लिखित या निश्चित भार वह भार है जो बिना किसी अधिक औपचारिकता के किसी सुनिश्चित तथा

नियत सम्पत्ति से सम्बद्ध होता है। यह सामान्य बंधक के समान होता है और कम्पनी सम्पत्ति के साथ साधारण बंधककर्ता के समान व्यवहार कर सकती है। चल भार या चल प्रतिभूति की प्रकृति परिवर्त्य तथा विवर्तनशील होती है, अर्थात् यह उस सम्पत्ति के ऊपर मँडराता रहता है जिसका वह भार होता है और तब तक उसे प्रभावित नहीं करता जब तक कि कोई घटना न घटे या कोई ऐसा कृत्य किया जाय जिससे कि यह भार की विषय-वस्तु पर चिपक कर उसे जकड़ ले।

जब भार एक स्थायी भार का रूप धारण कर लेता है तो यह सम्पत्ति के स्वत्व को प्रभावित करता है और तब कम्पनी सम्पत्ति के साथ केवल भार के अधीन ही व्यवहार कर सकती है। लेकिन, जब तक भार एक चल भार का रूप धारण किये रहता है, कम्पनी भार द्वारा आच्छादित सम्पत्ति के साथ अपने व्यापार के सामान्य क्रम में व्यापार कर सकती है, अर्थात् भार उससे सम्बद्ध या जुड़ जाने से पूर्व वह उसे बंधक रख सकती है, बेच सकती है, तथा व्यापार की आवश्यकतानुसार हस्तांतरित या इस्तेमाल कर सकती है।

चल भार तथा भावी प्रतिभूति (Floating Charge and Future Security)—चल भार भावी प्रतिभूति से भी पृथक होता है। चल प्रतिभूति भावी प्रतिभूति नहीं होती बल्कि एक वर्तमान प्रतिभूति होती है। इसमें शामिल किये जाने के लिये अभिव्यक्त की गई सारी सम्पत्ति को यह तुरन्त प्रभावित करती है। दूसरी तरफ यह यथोल्लिखित प्रतिभूति नहीं है। इसका धारक यह अभिपुष्टि नहीं कर सकता कि परिसम्पत् को उसे यथोल्लिखित रूप से बंधक रक्खा गया है। परिसम्पत् को इस प्रकार बंधक रक्खा जाता है कि बंधककर्त्ता जिस पर चाहे, बंधकी की सहमति के बिना, उसके साथ व्यवहार कर सकता है। चल प्रतिभूति, बंधककर्त्ता द्वारा, अपने व्यापार के सामान्य क्रम में, उसे हस्तांतरित कर सकने के लाइसेन्स सहित परिसम्पत् का यथोल्लिखित (specific) बंधक नहीं होती।

चल-भार का प्रभाव (Effect of Floating Charge)—जहाँ किसी कम्पनी का समापन हो रहा हो, कम्पनी के समापन के आरम्भ से बारह महीने तत्काल पूर्व अर्जित की गयी कम्पनी की सम्पत्ति या अन्डरटेकिंग पर चल भार, जब तक कि यह न प्रमाणित किया जाय कि भार के सर्जन के तत्काल बाद कम्पनी शोधक्षम (Solvent) थी, अवैध होगा, सिवाय उस नगद राशि के, जिसका भुगतान कम्पनी को भार के सर्जन के समय या उसके पश्चात्, या उसके प्रतिफलार्थ, किया गया हो, तथा ब्याज की उस राशि के, जो उक्त राशि पर ५

प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, या उस दर से देय हो, जो केन्द्रीय सरकार तत्समय इस सिलसिले में आफिशियल गजट में नोटीफाई करके निश्चित करे। इस उपबंध का उद्देश्य दिवालिया हो रही कम्पनियों द्वारा पूर्व ऋणों को प्रतिभूत करने के लिए चल भार का सर्जन करने से रोकना है।

रजिस्ट्रेशन न कराने का प्रभाव (Effect of non-registration)—यदि ऐसे भार या बंधक का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता जिसके लिए रजिस्ट्रेशन अपेक्षित है, तो संव्यवहार शून्य या ऋण अप्रत्युद्धरणीय (irrecoverable) नहीं हो जाता। इसका केवल यही परिणाम होता है कि बंधक या भार द्वारा सर्जित प्रतिभूति परिसमापक (liquidator) तथा अन्य ऋणदाताओं के विरुद्ध शून्य हो जाती है। लेकिन, प्रतिभूति धनराशि तुरन्त प्रत्युद्धरणीय हो जाती है। केवल प्रतिभूति गायब हो जाती है और बंधकी एक साधारण ऋणदाता हो जाता है। धारा १२५ यह उपबन्ध भी करती है कि इस धारा के अन्तर्गत भार की अवैधता भार द्वारा प्रतिभूत किसी धनराशि की वापसी की संविदा या आभार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। धारा १४१ यह उपबन्ध भी करती है कि धारा १२५ द्वारा भार के रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित अवधि को कोर्ट, जहाँ वह ऐसा करना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि यदि धारा १२५ के अन्तर्गत आने वाले किसी बंधक या भार का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है तो ऋण की स्वीकृति के लिए यह वैध है, लेकिन किसी उत्तरवर्ती रजिस्टर्ड भारधारी (incumbrancer) या परिसमापक के विरुद्ध यह नहीं कहा जा सकता कि इससे कम्पनी की सम्पत्ति पर वैध भार का सर्जन होता है। जब तक कम्पनी का कारोबार चलता रहता है और उसका दिवाला नहीं निकलता, रजिस्ट्रेशन न होने के बावजूद भी प्रतिभूति कम्पनी के विरुद्ध मान्य तथा वैध रहती है।

भारों का रजिस्टर रजिस्ट्रार द्वारा रक्खा जाएगा (Register of charges to be kept by Registrar)—(१) प्रत्येक कम्पनी तथा इस भाग के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसे भारों के सिलसिले में जिनका रजिस्ट्रेशन अपेक्षित हो, निर्धारित फार्म में एक रजिस्टर रक्खेगा, तथा निर्धारित फीस के भुगतान पर प्रत्येक भार के सिलसिले में विभिन्न विवरणों को उसमें दर्ज करेगा।

(२) उप-धारा (१) द्वारा अपेक्षित इन्दराज करने के बाद, रजिस्ट्रार संलेख को, यदि कोई हो, या उसकी सत्यापित प्रति, जैसी भी सूरत हो, जिसे इस भाग के

उपबन्धों के अन्तर्गत दाखिल किया गया है, उसे दाखिल करने वाले व्यक्ति को लौटा देगा।

(३) उपरोक्त रजिस्टर का मुआइना कोई भी व्यक्ति, एक रुपए प्रति मुआइने की दर से फीस का भुगतान करके, कर सकेगा। [धारा १३०]।

रजिस्ट्रार इस भाग के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किए गए भारों का निर्धारित फार्म में तथा निर्धारित विवरणों सहित एक क्रानोलॉजिकल इन्डेक्स भी रक्खेगा। [धारा १३१]।

रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र (Certificate of Registration)—इस भाग के मुताबिक रजिस्टर्ड किए गए भार के रजिस्ट्रेशन का एक प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार अपने कलम से देगा, जिसमें भार द्वारा प्रतिभूति धनराशि का जिक्र होगा; तथा यह प्रमाण-पत्र इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस भाग द्वारा रजिस्ट्रेशन संबंधी अपेक्षित बातों का पालन किया गया है। [धारा १३२]।

प्रमाण-पत्र अनुदत्त किए जाने का यह प्रभाव होता है कि जिस प्रतिभूति के सिलसिले में प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया जाता है उसके विरुद्ध रजिस्ट्रेशन की अपर्याप्तता के आधार पर, आक्रमण न किया जा सके। यदि कोई भूल हुई भी है, तो ऐसी भूल का हवाला भार की वैधता पर आक्रमण करने के लिए नहीं दिया जा सकता। [नेशनल प्राविन्शियल बैंक बनाम चार्नले (१९२४) १ के० बी० पृष्ठ ४३१]। यदि धारा १३२ के अन्तर्गत एक बार प्रमाण-पत्र अनुदत्त कर दिया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन की प्राविधिक भूलों के आधार पर उसके विरुद्ध आपत्ति नहीं की जा सकती, जिसमें विवरणों का परिदान तथा निर्धारित फीस का भुगतान शामिल है। [बनारस बैंक बनाम बैंक आफ बिहार, (१९४७) इला० ११७]।

जब भी इस भाग के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किए गए भारों के निबन्धनों या शर्तों, या विस्तार या प्रवर्त्तन को रूपभेदित (modify) किया जाय या किया गया है, तो कम्पनी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे रूपभेद का विवरण रजिस्ट्रार को भेजे। [धारा १३५]।

इस भाग के अन्तर्गत भार का सर्जन करने वाले प्रत्येक संलेख की एक प्रति, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन अपेक्षित कम्पनी द्वारा अपने रजिस्टर्ड कार्यालय में रक्खा जाएगा, बशर्ते कि, सीरीज में होने वाले यूनीफार्म डिबेन्चर्स की सूरत में, सीरीज के एक डिबेन्चर की एक प्रति ही पर्याप्त होगी। [धारा १३६]।

रिसीवर तथा मैनेजर (Receivers and Managers)—डिबेन्चर-होल्डर्स द्वारा अपनी धनराशि वापस लेने के उपायों के सिलसिले में रिसीवरों

की नियुक्ति का जिक्र किया गया है। डिबेन्चर-होल्डर्स द्वारा की गई कार्यवाही के अलावा अन्य सूरत में कोर्ट को रिसीवर की नियुक्ति करने की शक्ति नहीं प्राप्त है। धारा १३७ द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि यदि डिबेन्चर-संलेख में अभिव्यक्त शक्ति प्रदत्त है, तो डिबेन्चर-होल्डर रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है या इसके लिए कोर्ट से दरखास्त कर सकता है। रिसीवर की नियुक्ति तथा समाप्ति की नोटिस रजिस्ट्रार को देना जरूरी है। कम्पनी की सम्पत्ति के प्रबन्ध के लिए मैनेजर को भी यही उपबन्ध लागू होते हैं, जो ऐक्ट की धारा २ (२४) में परिभाषित "मैनेजर" से भिन्न होता है तथा जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के अधीक्षण, नियन्त्रण तथा निदेश के अधीन होता है।

कम्पनी की सम्पत्ति के प्रत्येक रिसीवर द्वारा, जिसने कब्जा लिया, उक्त अवधि में प्राप्तियों तथा भुगतानों का स्टेटमेन्ट निर्धारित फार्म में रजिस्ट्रार को उपस्थित करना जरूरी है। जब रिसीवर की नियुक्ति हो जाती है तो कम्पनी द्वारा जारी की गयी प्रत्येक इन्वायस, माल के लिए आर्डरों या व्यापार-पत्रों में यह कथन अवश्य लिखा जाना चाहिए कि रिसीवर नियुक्त किया गया है। उपरोक्त उपबन्ध का अपालन दो सौ रुपए तक के जुर्माने द्वारा दंडनीय है। [धारा ४२३]।

रिसीवर की स्थिति (Receiver's position)—कोर्ट द्वारा नियुक्त तथा डिबेन्चर संलेख के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत डिबेन्चर-होल्डर्स द्वारा नियुक्त किये गये रिसीवर में बहुत अन्तर है।

कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया रिसीवर कोर्ट का अधिकारी होता है तथा उसके कब्जे में हस्तक्षेप कोर्ट का अवमान (Contempt of Court) होता है और बिना कोर्ट की अनुमति के ऐसे रिसीवर के विरुद्ध या उसके हाथों में होने वाली सम्पत्ति के सिलसिले में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर कोर्ट का एजेन्ट होता है और चूँकि कोर्ट उत्तरदायी नहीं हो सकती, रिसीवर स्वयं की गई संविदाओं के लिये वैयक्तिक रूप से जिम्मेदार होता है। लेकिन वह डिबेंचर-होल्डर्स के अधिकारों से पूर्व क्षतिपूर्ति का अधिकारी होता है। लेकिन, यह क्षतिपूर्ति रिसीवर द्वारा अपनी शक्तियों के अतिरेक में किये गये कार्यों को नहीं लागू होती, भले ही उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग सद्भावनापूर्वक किया हो। कोर्ट द्वारा नियुक्त किये गये रिसीवर को, कम्पनी की परिसम्पत में हितबद्ध व्यक्तियों के फायदे के लिये, नियुक्त किया गया समझा जाता है।

डिबेंचर-होल्डर्स द्वारा डिबेंचर-संलेख के अन्तर्गत नियुक्त किया गया रिसीवर, जब तक कम्पनी का व्यापार चलता रहता है, कम्पनी का एजेन्ट समझा जाता है,

न कि डिबेंचर-होल्डर्स का, और डिबेंचर-होल्डर्स को धारक बंधकी (mortgagee in possession) नहीं माना जाता। लेकिन, कम्पनी के समापन पर वह डिबेंचर-होल्डर्स का एजेन्ट हो जाता है।

डिबेंचर-होल्डर्स द्वारा नियुक्त किया गया रिसीवर कोर्ट का अधिकारी नहीं होता। उसके कब्जे में हस्तक्षेप से कोर्ट का अवमान नहीं होगा। उसके अधिकारों की रक्षा व्यादेश (injunction) के लिये दरखास्त देकर की जा सकती है, न कि कोर्ट के अवमान के लिये दरखास्त देकर। वह केवल न्यासधारियों या डिबेंचर-होल्डर्स को लेखा देने के लिये जिम्मेदार होता है, न कि कोर्ट को। वह स्वयं द्वारा की गई संविदाओं के लिये वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होता है, यद्यपि उसे क्षतिपूर्ति के लिये अधिकार प्राप्त होगा। डिबेंचर-होल्डर्स की तुलना में रिसीवर की विश्वासाश्रित (fiduciary) स्थिति होती है।

रिसीवर की नियुक्ति के आधार (Grounds of appointment of R ceiver)—डिबेंचर होल्डर्स द्वारा की गई कार्यवाही में कोर्ट निम्नलिखित परिस्थितियों में रिसीवर की नियुक्ति कर सकती है :—

(१) जहाँ प्रतिवादी द्वारा अपव्यय के कृत्य प्रमाणित किये गये हों ;

(२) जहाँ दुर्विनियोग के कृत्य (acts of misappropriation) प्रमाणित किये गये हों ;

(३) जहाँ अपव्यय की आशंका हो ;

(४) जहाँ मूलधन देय हो गया हो ;

(५) जहाँ कम्पनी का समापन हो गया हो, भले ही धन अभिव्यक्त रूप से ऐसी स्थिति में देय न हो ;

(६) जहाँ प्रतिभूति संकट में हो, भले ही ब्याज के भुगतान में कोई चूक न हुआ हो तथा समापन न हुआ हो। प्रतिभूति उस समय संकट में होती है जब कि निर्णीत ऋणदाता ने इजराय करा दिया हो, यदि फैसला असंतुष्ट रह जाता है, यदि कम्पनी ने अपना व्यापार बन्द कर दिया है, या अपनी किसी एक शाखा को बन्द कर दिया हो, या यदि कम्पनी डिबेंचर्स की पर्याप्त रूप से प्रतिभूत किये बगैर अपने रिजर्व को बतौर डिविडेन्ड अपने सदस्यों के बीच वितरित करने का प्रस्ताव कर रही हो।

रिसीवर की नियुक्ति का प्रभाव (Effect of appointment of receiver)—रिसीवर की नियुक्ति पर, परिसम्पत यथोल्लिखित रूप से डिबेंचर-

होल्डर्स के पक्ष में प्रभृत हो जाती है और, व्यापार के सामान्य क्रम में, उसके साथ व्यवहार करने की कम्पनी की शक्ति समाप्त हो जाती है, यद्यपि कम्पनी एक कम्पनी के रूप में, जब तक उसका समापन नहीं हो जाता, बनी रहती है। इसलिये, कम्पनी के व्यापार को चलाने के लिये कोर्ट रिसीवर की नियुक्ति बतौर रिसीवर तथा मैनेजर कार्य करने के लिये करती है। Persons *vs.* Sovereign Bank of Canada (1913) A. C. 160, 167 में कहा गया है कि—

"A receiver and manager appointed by the court is the agent neither of the debenture-holders, whose credit he cannot pledge, nor of the company, which cannot control him. He is an officer of the court put in to discharge certain duties prescribed by the order appointing him ; duties which in the present case extended to the continuation and management of the business. The company remains in existence, but it has lost its title to control its assets and affairs, with the result that some of its contracts, such as those in which it stands to an employee in the relation of master and servant, being of a personal nature, may, in certain cases, be determined by a mere change in possession, and the company may be made liable for a breach. But it does not follow that all the contracts of the company are determined even, to put the highest case, when a mortgagee acting under a power of his mortgage assumes control of the business of the mortgagor."

सम्पत्ति को कानून की अभिरक्षा (*custodia-legis*) में होने वाली सम्पत्ति माना जाता है और उसके साथ किया गया कोई हस्तक्षेप कोर्ट के अवमान के समान होता है।

रिसीवर की नियुक्ति से चल भार स्थायी भार का रूप धारण कर लेता है, अर्थात् सम्पत्ति से सम्बद्ध हो जाता है।

यह कम्पनी के नौकरों के डिस्चार्ज के रूप में प्रवर्तित (operate) होता है।

चुकता होने की कम्पनी द्वारा रिपोर्ट तथा उसके बाद की प्रक्रिया (Company to report satisfaction and procedure thereafter)—(१) इस भाग के अन्तर्गत किसी कम्पनी के संबंधित भार, जिसका रजिस्ट्रेशन अपेक्षित है, के पूर्ण चुकता होने या उसका भुगतान होने पर, उसके चुकता होने या भुगतान किये जाने की तारीख से २१ दिन के अन्दर, कम्पनी द्वारा इसकी सूचना रजिस्ट्रार को दी जाएगी।

(२) ऐसी सूचना प्राप्त करने पर, रजिस्ट्रार भार के धारक को एक नोटिस भिजवायेगा जिसमें उससे यह कहा जायेगा कि वह उस अवधि के भीतर (जो १४ दिन से अधिक नहीं होगी, जो नोटिस में उल्लिखित होगी, इस बात के लिये कारण दिखाये कि रजिस्ट्रार को दी गई सूचना के अनुसार भार का चुकता होना तथा उसका भुगतान किये जाने को अभिलेखबद्ध क्यों न कर दिया जाय।

(३) यदि कोई कारण नहीं दिखाया जाता, तो रजिस्ट्रार आदेश देगा कि चुकता किये जाने की बात भारों के रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाय।

(४) यदि कारण दिखाया जाता है, तो रजिस्ट्रार इस बात को रजिस्टर में नोट कर देगा तथा कम्पनी को इस बात की सूचना देगा।

(५) इस धारा की किसी बात का कोई प्रभाव कम्पनी से सूचना प्राप्त होने के अन्यथा आगे के उपबन्धों के अन्तर्गत भारों के रजिस्टर में इन्दराज करने की रजिस्ट्रार की शक्ति पर नहीं पड़ेगा। [धारा १३८]।

कम्पनी से सूचना के अभाव में भार के चुकता होने तथा उसके सम्मोचन के सिलसिले में इन्दराज करने की रजिस्ट्रार को शक्ति (Power of Registrar to make entries of satisfaction and release in absence of intimation from Company)—किसी रजिस्टर्ड भार के सिलसिले में उसके संतोषानुसार यह साक्ष्य दिये जाने पर कि (क) जिस ऋण के लिये भार दिया गया था पूर्णरूप से या आंशिक रूप से चुकता कर दिया गया है या उसका भुगतान कर दिया गया है; या (ख) भार-ग्रसित सम्पत्ति या अन्डरटेकिंग का एक भाग भार से स्वतन्त्र कर दिया गया है या वह कम्पनी की सम्पत्ति या अन्डरटेकिंग का एक भाग नहीं रह गयी है, रजिस्ट्रार उक्त स्थिति को रजिस्टर में दर्ज कर देगा, इस बात के बावजूद भी कि कम्पनी से इसकी सूचना नहीं प्राप्त हुई है। [धारा १३९]।

कम्पनी का भारों का रजिस्टर (Company's Register of charges)—प्रत्येक कम्पनी अपने रजिस्टर्ड कार्यालय में एक भारों का रजिस्टर रक्खेगी और उसमें कम्पनी की सम्पत्ति को यथोल्लिखित रूप से प्रभावित करने वाले सभी भारों तथा कम्पनी की किसी सम्पत्ति या अन्डरटेकिंग पर सभी चल भारों को दर्ज करेगी, और प्रत्येक भार के सिलसिले में निम्न विवरण देगी—

(१) भारग्रसित सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण;

(२) भार की धनराशि; तथा

(३) वाहकों को प्रतिभूतियों की सूरत के सिवाय, भार के अधिकारी व्यक्तियों के नाम।

उपरोक्त उपबन्धों का पालन न करने की सूरत में अपालन करने वाला अधिकारी सौ रुपये तक के जुर्माने द्वारा दण्डित किया जा सकेगा। [धारा १४२]।

भार का सर्जन करने वाले संलेखों की प्रति तथा कम्पनी के भारों के रजिस्टर का मुआइना करने का अधिकार (Right to inspect copies of instrument creating charges and company's register of charges)—कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में रक्खे हुए भारों का सर्जन करने वाले दस्तावेज (धारा १३६) तथा भारों के रजिस्टर का मुआइना, कम्पनी के सदस्य या ऋणदाता द्वारा, कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में बिना किसी फीस के, व्यापार के घन्टों के दौरान, किया जा सकता है। लेकिन ऐसे युक्तिसंगत निर्बन्धनों के अधीन जो कम्पनी जनरल मीटिंग में लागू करे, इस प्रकार कि मुआइने के लिये कम से कम दो घन्टे प्रत्येक दिन दिया जायगा)।

कोई अन्य व्यक्ति, प्रत्येक मुआइने के लिये एक रुपये की दर से फीस का भुगतान करके, मुआइना कर सकेगा।

यदि मुआइना करवाने से कम्पनी इन्कार करती है, तो कम्पनी तथा कम्पनी का प्रत्येक चूक करने वाला अधिकारी ५० रुपये तक के जुर्माने द्वारा दण्डित किया जायेगा, और इन्कार जारी रहने के दौरान में २० रुपये प्रतिदिन की दर से और जुर्माने द्वारा भी दण्डित किया जा सकेगा।

कोर्ट भी आदेश द्वारा उक्त प्रतियों तथा रजिस्टरों का तुरन्त मुआइना करवा सकती है। [धारा १४४]।

भाग ६

प्रबन्ध तथा प्रशासन

[MANAGEMENT AND ADMINISTRATION]

अध्याय ६

सामान्य उपबन्ध

[General Provisions]

[धाराएं १४६-१६४]

रजिस्टर्ड कार्यालय (Registered office)—प्रत्येक कम्पनी का एक रजिस्टर्ड कार्यालय होना चाहिये जहाँ नोटिस की तामील हो सके तथा अन्य सूचनाएं दी जा सकें। चूँकि कम्पनी अपने सदस्यों से भिन्न होती है, किसी सदस्य पर तामील प्रभावहीन होता है। इसलिए, ऐक्ट यह अपेक्षित करता है कि कम्पनी का एक रजिस्टर्ड कार्यालय होना चाहिए जिसकी सूचना यथाशीघ्र रजिस्ट्रार को दी जानी चाहिये।

सदस्यों का रजिस्टर, बंधकों तथा भारों का रजिस्टर तथा जनरल मीटिंग की कार्यवृत-पुस्तक (minute book) सभी कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में रक्खा जाता है। यहीं दस्तावेजों का मुआइना किया जा सकता है तथा नोटिसों, सम्मनों तथा आदेशों को तामील किया जाता है।

धारा १४६ द्वारा यह उपबन्धित है कि व्यापार आरम्भ करने की तारीख से या उसके निगमन के २८ दिन के भीतर, जो भी पहले हो, कम्पनी का एक रजिस्टर्ड कार्यालय होना चाहिए जहाँ सभी सूचनाओं तथा नोटिसों को भेजा जा सके। रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान तथा उसमें होने वाले प्रत्येक परिवर्तन की सूचना, निगमन या परिवर्तन की तारीख के बाद २८ दिन के भीतर, जैसी भी सूरत में, रजिस्ट्रार को दी जानी चाहिए, जो उसे रेकार्ड करेगा।

कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय को, कम्पनी द्वारा पारित किए गए विशेष प्रस्ताव के प्राधिकार के बिना, नहीं हटाया जा सकता—(क) वर्तमान कम्पनी की सूरत में, किसी सिटी, टाउन या गाँव की स्थानीय सीमाओं के बाहर, जहाँ ऐसा कार्यालय ऐक्ट के शुरू होने के समय स्थित है, या जहाँ यह बाद में कम्पनी द्वारा

पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार स्थित हो, तथा (ख) किसी अन्य कम्पनी की सूरत में, किसी सिटी, टाउन या गाँव की स्थानीय सीमाओं के बाहर, जहाँ ऐसा कार्यालय पहले स्थित हो, या जहाँ यह बाद में कम्पनी द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार स्थित हो।

उपरोक्त बातों के अपालन की सूरत में, कम्पनी तथा प्रत्येक चूक करने वाला अधिकारी अपालन की अवधि के दौरान में ५० रुपए प्रति दिन की दर से जुर्माने द्वारा दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे। [धारा १४६]।

कम्पनी द्वारा नाम का प्रकाशन (Publication of name by Company)—(१) प्रत्येक कम्पनी—(क) अपने नाम तथा अपने रजिस्टर्ड कार्यालय का पता पेन्ट कराकर जहाँ कारोबार किया जा रहा हो उसके बाहर लगवाएगी तथा लगवाए रहेगी, इस प्रकार कि वह ध्यानाकर्षी (conspicuous) तथा सुपाठ्य (legible) हो; और यदि जिस भाषा का उसमें प्रयोग किया गया है वह ऐसी भाषा नहीं है जो उस स्थान पर सामान्य रूप से इस्तेमाल नहीं की जाती, तो उसमें ऐसी भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा जो उस स्थान में इस्तेमाल की जाती हो;

ख) अपनी सील में अपना नाम सुपाठ्य अक्षरों में लिखवाएगी; तथा

(ग) अपने रजिस्टर्ड कार्यालय का नाम तथा पता सुपाठ्य अक्षरों में अपने सभी व्यापारिक पत्रों, बिलों, लैटर-पेपरों तथा नोटिसों तथा अन्य आफिशियल प्रकाशनों में देगी, तथा कम्पनी द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित सभी बिल्स आफ एक्सचेन्ज, हुन्डियों, प्रामिसरी नोट्स, पृष्ठांकनों, चैक तथा धनादेश या माल के आदेशों पर भी अपना उपर्युक्त ढंग से देगी।

उपरोक्त उपबन्धों का अपालन जुर्माने द्वारा दंडनीय होगा। [धारा १४७]

सब्सक्राइब्ड तथा पेड-अप कैपिटल का प्रकाशन (Publication of subscribed and paid-up capital)—जहाँ किसी नोटिस, विज्ञापन या अन्य आफिशियल प्रकाशन, या किसी व्यापारिक पत्र, बिल या कम्पनी के लैटर-पेपर में कम्पनी के प्राधिकृत कैपिटल का जिक्र किया गया हो, वहाँ उसमें उसी ध्यानाकर्षी तथा प्रमुख रूप से कम्पनी के सब्सक्राइब्ड कैपिटल तथा पेड-अप का जिक्र किया जाना चाहिए। [धारा १४८]।

सदस्यों का रजिस्टर (Register of Members)—(१) प्रत्येक कम्पनी अपने सदस्यों का एक या अधिक रजिस्टर रक्खेगी जिसमें यह विवरण दर्ज

किया जाएगा : (क) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा पेशा, यदि कोई हो; (ख) शेयर कैपिटल वाली कम्पनी की सूरत में, प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित किए गए शेयर, प्रत्येक शेयर को एक संख्या द्वारा विभेदित करते हुए, तथा उन शेयरों पर भुगतान की गई या भुगतान की गई समझी जाने के लिए सहमत हुई धनराशि, (ग) तारीख जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को बतौर सदस्य रजिस्टर में दर्ज किया गया था; तथा (घ) वह तारीख जिस पर कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रह गया था, अर्थात उसकी सदस्यता समाप्त हो गई थी। जहाँ कम्पनी ने अपने किन्हीं शेयरों को स्टाक के रूप में परिवर्तित कर लिया है और परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को दे दी है, रजिस्टर में यह दिखाया जाएगा कि इस प्रकार परिवर्तित हुए शेयर्स के स्थान पर कितना स्टाक प्रत्येक संबंधित सदस्य द्वारा धारित है। [धारा १५०]।

कम्पनी के डिबेन्चर-होल्डर्स का रजिस्टर [Register of debenture holders of a company]—प्रत्येक कम्पनी अपने डिबेन्चर होल्डर्स का एक या अधिक रजिस्टर रक्खेगी जिसमें यह विवरण दर्ज किया जाएगा (क) प्रत्येक डिबेन्चर-होल्डर का नाम, पता तथा पेशा, यदि कोई हो; (ख) प्रत्येक द्वारा धारित डिबेन्चर्स, प्रत्येक डिबेन्चर को एक संख्या द्वारा विभेदित करते हुए, तथा उन पर भुगतान की गई धन-राशि; (ग) तारीख जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को बतौर डिबेन्चर होल्डर दर्ज किया गया था; तथा (घ) वह तारीख जिस पर कोई व्यक्ति डिबेन्चर-होल्डर नहीं रह गया था, अर्थात उसकी डिबेन्चर-होल्डरशिप समाप्त हो गयी थी।

उपरोक्त उपबन्ध ऐसे डिबेन्चर्स को नहीं लागू होते जो प्रत्यक्षतः उसके वाहकों (bearers) को देय होते हैं। [धारा १५२]।

न्यासों को दर्ज रजिस्टर नहीं किया जाएगा (Trusts not to be entered on register)—धारा १५३ द्वारा उपबंधित है कि सदस्यों या डिबेन्चर-होल्डर्स के रजिस्टर में किसी अभिव्यक्त, उपलक्षित या अन्वयाश्रित (express, implied or constructive) न्यास की सूचना को नहीं दर्ज किया जाएगा। यह इस सिद्धान्त पर आधारित है कि न्यासधारियों तथा हित-ग्राहियों से कम्पनियों का कोई सरोकार नहीं होता। यह कम्पनियों को न्यास की सूचना लेने तथा कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में उसका इन्दराज करने के कर्तव्य से छुटकारा दिलाता है तथा रजिस्ट्रार आफ ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियों द्वारा भी इसकी सूचना प्राप्त करने पर रोक लगाता है।

शेयर्स तथा डिबेन्चर्स की घोषणा (Declaration as to shares and debentures)—धारा १५३ के उपरोक्त उपबन्धों के बावजूद भी, जहाँ किसी कम्पनी में शेयर्स, या उसके डिबेन्चर्स किसी व्यक्ति द्वारा न्यास के रूप में धृत हैं (जिसे आगे न्यासधारी कहा जाएगा), न्यासधारी लोक न्यासधारी को एक घोषणा करेगा (जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा, ऐक्ट द्वारा उसको प्रदत्त अधिकारों तथा शक्तियों के प्रयोग तथा कार्यों के पालन के लिए, की जाती है)। लोक न्यासधारी को घोषणा भेजे जाने के बाद २१ दिन के भीतर इस घोषणा की एक प्रति न्यासधारी द्वारा संबंधित कम्पनी को भेजी जाएगी।

लेकिन, उपरोक्त उपबन्ध ऐसे न्यास के संबंध में नहीं लागू होंगे—(क) जहाँ इसका सर्जन किसी लिखित संलेख द्वारा नहीं होता, या (ख) यदि इस प्रकार इसका सर्जन होता भी है, जहाँ न्यास के रूप में धृत कम्पनी में शेयर्स तथा उसके डिबेन्चर्स एक लाख रुपए से अधिक के नहीं हैं, या एक लाख रुपए से अधिक तो हैं लेकिन या तो पाँच लाख रुपए या कम्पनी के पेड-अप शेयर कैपिटल के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं हैं, जो भी कम हो।

सदस्यों या डिबेन्चर-होल्डर्स के रजिस्टर को बन्द करने की शक्ति (Power to close register of members or debenture-holders)—जिस जिले में कम्पनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित है वहाँ परिचालित होने वाले समाचार-पत्र में विज्ञापन द्वारा कम से कम सात दिन की नोटिस देकर कम्पनी को शक्ति प्राप्त है कि वह सदस्यों के रजिस्टर या डिबेन्चर-होल्डर्स के रजिस्टर को किसी अवधि या अवधियों तक के लिये, जो प्रत्येक वर्ष में कुल ४५ दिन से अधिक, या किसी एक समय ३० दिन से अधिक न होगी, बन्द कर सकती है। [धारा १४५]।

सदस्यों के रजिस्टर को परिशोधित करने की कोर्ट की शक्ति (Power of Court to rectify register of members)—यदि (क) किसी व्यक्ति का नाम, बिना पर्याप्त कारण के, कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, या रजिस्टर में दर्ज किये जाने के बाद, बिना पर्याप्त कारण के, उसमें से निकाल दिया जाता है ; या (ख) किसी व्यक्ति के सदस्य हो जाने या न रह जाने के तथ्य को रजिस्टर में दर्ज किये जाने में चूक किया जाता है या अनावश्यक विलम्ब होता हो, तो पीड़ित व्यक्ति, या कम्पनी का कोई सदस्य, या कम्पनी, रजिस्टर के परिशोधन के लिये कोर्ट से दरखास्त कर सकती है।

कोर्ट या तो दरखास्त को नामन्जूर कर सकती है या आदेश दे सकती है कि रजिस्टर का परिशोधन किया जाय ; और परिशोधन किये जाने के आदेश की

सूरत में कोर्ट कम्पनी को पीड़ित पक्षकार द्वारा उठायी गई क्षति के लिये, यदि कोई हुई हो, हर्जाना देने का निदेश दे सकती है।

दोनों ही सूरतों में, कोर्ट अपने विवेकानुसार, जैसा उचित समझे, खर्चे के विषय में आदेश दे सकती है।

इस धारा के अन्तर्गत दी गई दरखास्त पर, कोर्ट—(क) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो दरखास्त का पक्षकार है, रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने या उसमें से निकाले जाने के संबंध में उसके स्वत्म से संबंधित प्रश्न का निर्णय कर सकेगी, भले ही यह प्रश्न सदस्यों तथा तथाकथित सदस्यों, या एक ओर सदस्यों तथा तथाकथित सदस्यों और दूसरी ओर कम्पनी के बीच उठता हो; तथा ख) समान्यतः, ऐसे किसी प्रश्न का निर्णय कर सकती है जो परिशोधन की दरखास्त के संबंध में निर्णय करना आवश्यक तथा वांछनीय हो।

दरखास्त पर या उसमें उठाये गये किसी प्रश्न पर, जिस पर अलग से विचार किया गया हो, कोर्ट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध, व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ की धारा १०० में उल्लिखित आधारों पर, अपील की जा सकेगी—

(क) यदि आदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा पारित किया गया है, तो हाई कोर्ट को;

(ख, यदि आदेश तीन या अधिक जजों वाली किसी हाई कोर्ट के एक जज द्वारा पारित किया गया है, तो उस हाई कोर्ट के बेन्च को। [धारा १५५ (१ से ४)]।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा १०० में उल्लिखित आधार जिन पर कम्पनीज ऐक्ट की धारा १५५ के अन्तर्गत अपील की जा सकेगी, इस प्रकार हैं, अर्थात्—

(क) कि विनिश्चिय विधि के या विधि का बल रखने वाली किसी प्रथा के प्रतिकूल है,

(ख) कि विनिश्चय, विधि के या विधि का बल रखने वाली प्रथा के किसी सारवान् वादपद का अवधारण करने में असफल रहा है, या

(ग) कि इस संहिता या तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा उपबन्धित प्रक्रिया मे कोई सारभूत ऐसी गलती या त्रुटि हुई है जिसने कि मामले के गुण-दोषों पर आश्रित विनिश्चय में गलती या त्रुटि कर दी है।

धारा १५५ के अन्तर्गत सदस्यों के रजिस्टर में सुधार किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा निम्न आधारों पर कराया जा सकता है :—

(१) जहाँ कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में किसी व्यक्ति का नाम कपटतापूर्वक दर्ज कर दिया गया हो या उसमें से निकाल दिया गया हो।

(२) जहाँ बिना पर्याप्त कारण के सदस्यों के रजिस्टर में किसी का नाम दर्ज कर दिया गया हो या उसमें से निकाल दिया गया हो।

(३) जहाँ किसी व्यक्ति के सदस्य हो जाने या न रह जाने के तथ्य को रजिस्टर में दर्ज करने में चूक किया गया हो।

(४) जहाँ किसी व्यक्ति के सदस्य हो जाने या न रह जाने के तथ्य को रजिस्टर में दर्ज करने में अनावश्यक विलम्ब होता हो।

अन्य परिस्थितियाँ, जिनमें कोर्ट द्वारा रजिस्टर में परिशोधन करने की शक्तियों का प्रयोग किया गया है, संक्षेप में इस प्रकार हैं :—(१) जहाँ प्रास्पेक्टस में मिथ्यानिरूपण किया गया है; (२) जहाँ किसी व्यक्ति को कपट या मिथ्यानिरूपण द्वारा शेयर्स लेने के लिये प्रलोभित किया गया है; (३) जहाँ शेयर्स को अनुचित रूप से डिस्काउन्ट पर जारी किया गया है; (४) जहाँ शेयर्स के लिये आवेदन-पत्र किसी व्यक्ति के नाम में उसके प्राधिकार के बगैर दिया गया है; (५) जहाँ शेयर्स का वैध एलाटमेन्ट न हो; (६) जहाँ एलाटमेन्ट युक्तिसंगत अवधि के भीतर नहीं किया गया है; (७) जहाँ एलाटमेन्ट अनियमित है; (८) जहाँ शेयर्स के हस्तांतरण को अनुचित तौर पर रजिस्टर्ड किया गया है या हस्तांतरण के रजिस्ट्रेशन को इन्कार कर दिया गया है; (९) जहाँ कंपनी ने जाली हस्तांतरण पर कार्य किया है; (१०) जहाँ हस्तांतरण एक आभासजनक (colourable) हस्तांतरण था; (११) जहाँ शेयर्स का हस्तांतरण उत्तरदायित्व से बचने के लिये किया गया हो; या (१२) जहाँ शेयर्स को अनुचित तौर पर सरेन्डर किया गया हो।

धारा १५५ की उपधारा (५) के अन्तर्गत उपरोक्त उपधारायें (१) से (४) के उपबन्ध जिस प्रकार वे सदस्यों के रजिस्टर के परिशोधन को लागू होते हैं उसी प्रकार डिबेंचर-होल्डर्स में परिशोधन को भी लागू होंगे।

सदस्यों या डिबेन्चर-होल्डर्स का विदेशी रजिस्टर (Foreign Register of members or debentures)—ऐसी कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है या जिसने डिबेंचर्स जारी किये हैं, यदि उसके आर्टिक्ल्स द्वारा ऐसा प्राधिकृत है, भारत के बाहर किसी राज्य या देश में सदस्यों या डिबेंचर-होल्डर्स का एक ब्रान्च रजिस्टर रख सकती है (जिसे इस ऐक्ट में "foreign register" कहा जाता है)। किसी विदेशी रजिस्टर खोले जाने की तारीख से एक महीने के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार को उस कार्यालय के स्थान की सूचना देगी जहाँ ऐसा

रजिस्टर रक्खा गया है; और ऐसे कार्यालय के स्थान में कोई परिवर्तन होने या उसके बन्द होने की सूरत में, कम्पनी ऐसे परिवर्तन या बन्दी की तारीख के एक माह के भीतर, जैसी भी सूरत में, रजिस्ट्रार को ऐसे परिवर्तन या बन्दी की भी सूचना देगी। (धारा १५७)।

विदेशी रजिस्टर को कम्पनी के सदस्यों या डिबेन्चर-होल्डर्स के प्रमुख रजिस्टर का भाग समझा जाएगा।

विदेशी रजिस्टर को इस ऐक्ट के अन्तर्गत प्रमुख रजिस्टर के समान ही रक्खा जाएगा, उसे मुआइने के लिए उपलब्ध किया जायगा तथा बन्द किया जाएगा और उसमें से उद्धरण लिया जाएगा तथा प्रतिलिपि अपेक्षित की जा सकेगी, सिवाय इस बात के कि रजिस्टर को बन्द करने से पहले विज्ञापन किसी ऐसे समाचार-पत्र में दिया जाएगा जो उस जिले में परिचालित हो रहा हो जहाँ विदेशी रजिस्टर रक्खा गया है।

कम्पनी किसी विदेशी रजिस्टर का रक्खा जाना बन्द कर सकती है; और ऐसी सूरत में ऐसे रजिस्टर में किए गये इन्दराज को किसी ऐसे रजिस्टर में, जो कम्पनी द्वारा संसार के उसी भाग में रक्खा गया है, या प्रमुख रजिस्टर में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

वार्षिक रिटर्न (Annual Returns)—शेयर कैपिटल वाली प्रत्येक कम्पनी, अपनी प्रत्येक वार्षिक जनरल मीटिंग के ६० दिन के भीतर, एक रिटर्न तैयार करा कर, जिसमें इन विवरणों सहित उस दिन की स्थिति दिखायी जाएगी, रजिस्ट्रार के पास दाखिल करेगी—(क) उसका रजिस्टर्ड कार्यालय; (ख) उसके सदस्यों का रजिस्टर, (ग) उसके डिबेन्चर-होल्डर्स का रजिस्टर, (घ) उसके शेयर्स तथा डिबेन्चर्स, (ङ) उसकी ऋणिता, (च) उसके भूतपूर्व तथा वर्तमान सदस्य तथा डिबेन्चर-होल्डर्स, तथा (छ) उसके डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजिंग, एजेन्टस, सेक्रेट्रीज, तथा ट्रेजरार्स और मैनेजर्स तथा सेक्रेट्रीज, भूतपूर्व तथा वर्तमान। [धारा १५६)।

रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए गए रिटर्न की प्रति पर किसी एक डायरेक्टर द्वारा तथा कम्पनी के मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स, मैनेजर या सेक्रेट्री दोनों द्वारा, या जहाँ कोई मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स, मैनेजर या सेक्रेट्री नहीं हैं, कम्पनी के दो डायरेक्टर्स द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा, जिनमें से एक, यदि एक ही डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। रिटर्न के साथ उपरोक्त दो हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जाएगा जिसमें इन बातों का जिक्र होगा—(क) कि रिटर्न में उपरोक्त वार्षिक जनरल मीटिंग

की तारीख पर वर्तमान तथ्यों को सही तथा पूरी तौर पर दिखाया गया है; (ख) कि अन्तिम वार्षिक रिटर्न की तारीख के बाद के सभी शेयर्स तथा डिबेन्चर्स के हस्तांतरण तथा सभी अन्य जारी किये गये शेयर्स से तथा डिबेन्चर्स के प्रमाण-पत्र को इस प्रयोजन के लिए रक्खी गयी पुस्तकों में अभिलेखबद्ध कर दिया गया है; तथा (ग) प्राइवेट कम्पनी की सूरत में यह भी (१) कि कम्पनी ने, जिस वार्षिक जनरल मीटिंग के संदर्भ में अन्तिम रिटर्न दाखिल किया गया था उसके बाद, या प्रथम रिटर्न की सूरत में, कम्पनी के निगमन की तारीख के बाद, कम्पनी के शेयर्स या डिबेन्चर्स में सब्सक्राइब करने के लिए जनता को कोई आमन्त्रण नहीं किया गया है, तथा (२) कि जहाँ वार्षिक रिटर्न यह तथ्य प्रकट करता हो कि सदस्यों की संख्या ५० से अधिक है, अधिक व्यक्ति वे हैं जिन्हें धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (३) के उपखंड (ख) के अन्तर्गत ५० की गणना में नहीं शामिल किया जाना है। [धारा १६१]।

रजिस्टरों तथा रिटर्न्स का मुआइना (Inspection of registers and returns)—कम्पनी के रजिस्ट्रेशन की तारीख से शुरू होने वाले सभी सदस्यों इत्यादि के रजिस्टर, रिटर्न्स को, संलग्न किए गए प्रमाण-पत्रों तथा कागजात सहित, कम्पनी में रजिस्टर्ड कार्यालय में, या जहाँ कम्पनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित है उस नगर, कस्बे या गाँव के भीतर ऐसे स्थान में, यदि जनरल मीटिंग में कम्पनी ने इसे विशेष प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया है और प्रस्तावित विशेष प्रस्ताव का मजमून कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के निकटवर्ती स्थान में परिचालित होने वाले किसी समाचार-पत्र में लगातर तीन दिन तक विज्ञापन द्वारा प्रसारित कर दिया गया है, और रजिस्ट्रार को प्रस्तावित विशेष प्रस्ताव की अग्रिम प्रति दे दी गई है, कारोबार के घन्टों में इन व्यक्तियों द्वारा मुआइना किए जाने के लिए रक्खा जाएगा—(क) किसी सदस्य या डिबेन्चर-होल्डर द्वारा बिना किसी फीस के भुगतान के लिए; तथा (ख) बाहरी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक मुआइने के लिए एक रुपये की फीस के भुगतान पर। ऐसा कोई सदस्य, डिबेन्चर-होल्डर या बाहरी व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त फीस के भुगतान के उसमें से उद्धरण ले सकेगा।

कोर्ट भी दस्तावेज के तुरन्त मुआइना का आदेश दे सकती है, या यह निदेश दे सकती है कि जरूरतमन्द व्यक्ति को अपेक्षित उद्धरण लेने दिया जाय, या उसे अपेक्षित प्रतिलिपि तुरन्त भेजी जाय, जैसी भी सूरत हो।

सदस्यों तथा डिबेन्चर-होल्डर्स के रजिस्टर तथा उपरोक्त रिटर्न्स, प्रमाण-पत्र तथा स्टेटमेन्ट्स, वर्तमान ऐक्ट द्वारा निदेशित या प्राधिकृत किए गए या जोड़े गए किसी बात के लिये प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य (*prima facie* evidence) होंगे। [धारा १६४]।

अध्याय १०

मीटिंगें तथा कार्यवाहियां
[MEETINGS AND PROCEEDINGS]

[धाराएँ १६५—१६७]

कम्पनी के प्रशासन में डायरेक्टर्स को अबाधित शक्तियाँ नहीं प्राप्त हैं। पहले, वे ऐक्ट के उपबन्धों द्वारा शासित होते हैं। दूसरे, शेयर-होल्डर्स ऐक्ट के उपबन्धों के अनुसार बुलाई गई उनकी मीटिंग में पारित प्रस्ताव द्वारा उनके कार्यों का नियन्त्रण कर सकते हैं। तीसरे, मीटिंगें बुलाना एक कानूनी आभार है। अपने निर्माण की तारीख के बाद एक निश्चित अवधि के भीतर कम्पनी को कानूनी मीटिंग करनी होती है।

मीटिंगों की विभिन्न किस्में (Kinds of Meetings)—शेयर-होल्डरों की मीटिंगें तीन किस्म की होती हैं, अर्थात् :—

(१) परिनियत या कानूनी मीटिंग (धारा १६५);
(२) सालाना या वार्षिक जनरल मीटिंग (धारा १६६); तथा
(३) असाधारण जनरल मीटिंग (धारा १६६)।

इसके अलावा क्लास मीटिंगें होती हैं, जो विशिष्ट प्रकार के शेयरों के धारकों की मीटिंग होती है, जिसमें शेयरों से सम्बद्ध अधिकारों में फेरफार या परिवर्तन का प्रयत्न किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कोर्ट भी कतिपय परिस्थितियों में, मीटिंग बुलाये जाने का आदेश दे सकती है।

(१) परिनियत या कानूनी मीटिंग (Statutory Meeting)—परिनियत जनरल मीटिंग का आशय, अपने सामने सदस्यों के नाम, वर्णन तथा पतों की सूची उपलब्ध करना तथा वे क्रमशः कितने शेयर धारण करते हैं इसकी सूचना प्राप्त करना और कम्पनी की स्थापना के सिलसिले में किसी मामले पर चर्चा करने के लिए अवसर प्राप्त करना होता है। [Gardner *v.* Iredale, 1912, 1 Ch. 700, 711]।

परिनियत मीटिंग के उद्देश्य को पामर संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त करते हैं :—

"The obvious purpose of a statutory meeting with its preliminary report is to put the shareholders of the company as early as possible

in possession of all important facts relating to the new company—what shares have been taken up, what money received, what contracts entered into, what sums spent on preliminary expenses. Furnished with those particulars the shareholders are to have an opportunity of meeting and discussing the whole situation, the management, the method and the prospects. If they do not do so they have only themselves to blame." (PALMER).

शेयरों द्वारा सीमित प्रत्येक कम्पनी, तथा शेयर कैपिटल वाली तथा प्रत्याभूति द्वारा सीमित प्रत्येक कम्पनी व्यापार आरम्भ करने के लिए हकदार होने की तारीख से एक महीने की अवधि बीतने के पश्चात् तथा ६ महीने की अवधि समाप्त होने से पहिले कम्पनी के सदस्यों की एक मीटिंग बुलाएगी, जिसे परिनियत मीटिंग कहा जाएगा।

परिनियत या कानूनी रिपोर्ट :—मीटिंग होने की तारीख से कम से कम २१ रोज पहिले कम्पनी के प्रत्येक सदस्य को एक रिपोर्ट प्रेषित करेगी, जिसे परिनियत रिपोर्ट कहा जाता है।

परिनियत रिपार्ट में निम्नलिखित बातें होंगीः—(क) कुल एलाट किए गए शेयरों की संख्या तथा इन शेयरों के विषय के यह विवरण कि नगद के अन्यथा पूर्ण या आंशिक रूप से दत्त शेयर कितने हैं, आंशिक रूप से दत्त शेयरों की सूरत में यह कि किस सीमा तक उनका भुगतान किया गया है, तथा दोनों सूरतों में वह प्रतिफल जिसके उपलक्ष में उन्हें एलाट किया गया है;

(ख) उपरोक्त विभेदित शेयरों के सिलसिलों में कितनी कुल नगद धनराशि की प्राप्ति हुई है;

(ग) रिपार्ट के सात दिन पूर्व तक कम्पनी द्वारा प्राप्तियों तथा उसमें से किए गए भुगतानों का संक्षिप्त विवरण;

(घ) कम्पनी के डायरेक्टर्स, आडिटर्स, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स, मैनेजर तथा सेक्रेट्री, यदि कोई हो, के नाम, पते तथा पेशे;

(ङ) किसी संविदा या उसके परिवर्तन या प्रस्तावित परिवर्तन का विवरण, जिसे मीटिंग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना है, परिवर्तन या प्रस्तावित परिवर्तन की सूरत में इसके विवरण सहित;

(च) सीमा, यदि कोई हो, जहाँ तक निम्नांकन की संविदा का, यदि कोई हो, पालन नहीं किया गया है, तथा ऐसा न करने का कारण;

(छ) बकाया, यदि कोई हो, जो काल्स (Calls) पर प्रत्येक डायरेक्टर; मैनेजिंग एजेन्ट, मैनेजिंग एजेन्ट के प्रत्येक भागीदार, प्रत्येक फर्म जिसमें मैनेजिंग एजेन्ट एक भागीदार है, तथा जहाँ मैनेजिंग एजेन्ट कोई प्राइवेट कम्पनी हो, उसके प्रत्येक डायरेक्टर, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स, जहाँ वे एक फर्म हों, उसमें के प्रत्येक भागीदार, और जहाँ वे एक प्राइवेट कम्पनी हैं, उसके प्रत्येक डायरेक्टर; तथा मैनेजर द्वारा देय हो; तथा

(ज) किसी डायरेक्टर; मैनेजिंग एजेन्ट, मैनेजिंग एजेन्ट के किसी भागीदार, किसी फर्म जिसमें मैनेजिंग एजेन्ट भागीदार है, तथा जहाँ मैनेजिंग एजेंट कोई प्राइवेट कम्पनी हो, उसके किसी डायरेक्टर; सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स, जहाँ वे एक फर्म हों, उसके किसी भागीदार, तथा जहाँ वे एक प्राइवेट कम्पनी हैं, उसके किसी डायरेक्टर, या मैनेजर को जारी किए जाने या बेचे जाने वाले शेयरों के सिलसिले में भुगतान किए गए या भुगतान किए जाने वाले कमीशन या दलाली का विवरण ।

परिनियत रिपोर्ट कम से कम दो डायरेक्टर्स द्वारा सत्य प्रमाणित की जाएगी जिनमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, जहाँ एक ही डायरेक्टर हो ।

उपरोक्त ढंग से प्रमाणित किये जाने के बाद, कम्पनी के आडिटर्स, जहाँ तक रिपोर्ट कम्पनी द्वारा एलाट किए गए शेयर्स, ऐसे शेयर्स के सिलसिले में प्राप्त किये गये नगद तथा कम्पनी की प्राप्तियों तथा भुगतान के संबंध में हो, उसे सत्य प्रमाणित करेगा ।

इस धारा के अनुसार सत्य प्रमाणित की गयी रिपोर्ट की एक प्रति बोर्ड रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार को डिलेवर कराएगा, कम्पनी के सदस्यों को उसकी प्रतियाँ भेजने के पश्चात् ।

परिनियत मीटिंग शुरू होने पर बोर्ड मीटिंग के सामने एक सूची प्रस्तुत करेगा जिसमें कम्पनी के सदस्यों के नाम, पते तथा उनके पेशे और उनके द्वारा क्रमशः धृत शेयर्स का उल्लेख किया जाएगा, जो मीटिंग के दौरान में कम्पनी के प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध होगी ।

मीटिंग में उपस्थित कम्पनी के सदस्य कम्पनी की स्थापना से संबन्धित किसी मामले या परिनियम रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाले किसी मामले पर चर्चा करने के लिए स्वतन्त्र होंगे, भले ही इसके लिये पहिले से सूचना दी गयी हो अथवा नहीं, लेकिन मीटिंग में कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं पारित किया जा सकेगा, जिसके लिए ऐक्ट के उपबन्धों के अनुसार सूचना नहीं दी गई है ।

मीटिंग को समय समय पर मुल्तवी किया जा सकेगा और किसी मुल्तवी किए गए मीटिंग में, कोई प्रस्ताव, जिसके लिये ऐक्ट के उपबन्धों के अनुसार सूचना दी

गई है, चाहे पहली मीटिंग के पहिले या बाद में, पारित किया जा सकेगा, तथा मुल्तवी की गई मीटिंग को वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो मूल (original) मीटिंग को प्राप्त थीं।

यदि उपरोक्त उपबन्धों के पालन में कोई चूक की जाती है, तो प्रत्येक डायरेक्टर या कम्पनी का अन्य अधिकारी जिसने चूक किया है जुर्माने द्वारा दण्डित किया जायगा जो ५०० रुपए तक हो सकता है।

यह धारा प्राइवेट कंपनी को नहीं लागू होती है। [धारा १६५]।

यदि रजिस्ट्रार को परिनियत रिपोर्ट की प्रति डिलेवर करने या परिनियत मीटिंग करने में कोई चूक की जाती है, तो कोर्ट द्वारा कम्पनी का समापन किया जा सकता है। [धारा ४३३ (बी)]।

(२) सालाना जनरल मीटिंग (Annual General Meeting)—आर्टिक्लस में आम तौर से यह उपबन्ध होता है कि एक सालाना जनरल मीटिंग हुआ करेगी जो एक निश्चित तारीख पर होगी। इसे साधारण मीटिंग या सालाना जनरल मीटिंग कहते हैं।

(१) ऐक्ट के अन्तर्गत प्रत्येक कंपनी प्रत्येक वर्ष अन्य मीटिंगों के अतिरिक्त एक जनरल मीटिंग करेगी जिसे सालाना जनरल मीटिंग कहा जाएगा तथा इसे बुलाने के लिये भेजी जाने वाली नोटिस में भी इसे सालाना जनरल मीटिंग के नाम से उल्लिखित किया जायेगा। किसी सालाना जनरल मीटिंग की तारीख से दूसरी सालाना जनरल मीटिंग की तारीख तक १५ माह की अवधि से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिये, लेकिन कोई कम्पनी अपनी पहली सालाना जनरल मीटिंग अपने निगमन की तारीख के १८ माह के भीतर कर सकती है; और यदि इस अवधि के भीतर यह मीटिंग होती है तो कंपनी के लिये अपने निगमन के वर्ष में या दूसरे वर्ष में कोई सालाना जनरल मीटिंग करना जरूरी नहीं होगा। इसके अतिरिक्ति, रजिस्ट्रार किसी विशेष कारणवश, उस अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें सालाना जनरल मीटिंग (जो पहली सालाना जनरल मीटिंग नहीं होगी) की जाएगी, लेकिन यह अवधि तीन माह से अधिक नहीं होगी। [धारा १६६ (१)]।

प्रत्येक सालाना मीटिंग व्यापार के घंटों के दौरान में की जायेगी, ऐसे दिन जो सार्वजनिक छुट्टी नहीं होगा। यह मीटिंग या तो कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय या उस नगर, कस्बे या गाँव के किसी स्थान में की जाएगी जहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित हो। लेकिन, केन्द्रीय सरकार ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह लागू करे, कंपनियों के किसी वर्ग को इस उपधारा के उपबन्धों से विमुक्त कर सकती है। इसके

अतिरिक्त (क) कोई पब्लिक कम्पनी या कोई प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सहायी है, अपने आर्टिक्लस द्वारा अपनी वार्षिक जनरल मीटिंगों के समय को निश्चित कर सकेगी तथा किसी वार्षिक जनरल मीटिंग में प्रस्ताव द्वारा अपनी अगली वार्षिक जनरल मीटिंगों के लिये समय निश्चित कर सकेगी तथा (ख) कोई प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सहायी नहीं है, इसी प्रकार तथा सभी सदस्यों द्वारा सहमत हुए प्रस्ताव द्वारा अपने वार्षिक जनरल मीटिंग के समय तथा स्थान को निश्चित कर सकती है [धारा १६६ (२)]।

यदि वार्षिक जनरल मीटिंग करने में कोई चूक की जाती है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, ऐक्ट तथा आर्टिक्लस में किसी बात के बावजूद भी, केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्रदत्त है कि, कंपनी के किसी सदस्य की दरखास्त पर, वह मीटिंग बुला सकती है, या बुलाये जाने के लिये निदेश दे सकती है तथा इस दिशा में सभी सहायक तथा आनुषंगिक (ancillary and consequential) निदेश दे सकती है। दिए जाने वाले निदेशों में यह निदेश भी शामिल हो सकता है कि स्वयं या प्राक्सी द्वारा उपस्थित कंपनी का कोई सदस्य मीटिंग गठित करने वाला समझा जाएगा। [धारा १६७ (१)]।

उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार की गई जनरल मीटिंग को कंपनी की सालाना जनरल मीटिंग माना जायेगा। [धारा १६७ (२)]।

इस सालाना मीटिंग में बोर्ड आफ डायरेक्टर्स कंपनी के समक्ष संतुलन-पत्र (balance sheet), लाभ और हानि का लेखा तथा आडिट रिपोर्ट पेश करते हैं। [धारा २१०] डिविडेन्ड भी यदि है, इसी मीटिंग में घोषित किया जाता है।

आमतौर से जनरल मीटिंगें वह अवसर होती हैं जबकि शेयर-होल्डर्स कम्पनी के प्रबन्ध के विषय में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। उन्हें डायरेक्टर्स की रिपोर्ट, बैलेन्स-शीट, लाभ तथा हानि के लेखे की आलोचना तथा उन पर टिप्पणी करने का अवसर मिलता है। वे इन विषयों पर और अतिरिक्त सूचना की माँग कर सकते हैं। यदि उनका बहुमत है तो वे रिपोर्ट के ग्रहण को आस्थगित (defer) कर सकते हैं।

रोटेशन द्वारा रिटायर होने वाले डायरेक्टर्स का चुनाव तथा आडिटर्स की नियुक्ति भी इसी मीटिंग में होती है।

असाधारण जनरल मीटिंग (Extraordinary General Meeting)—यदि अगली साधारण जनरल मीटिंग से पहिले किसी आवश्यक कार्य का निष्पादन आवश्यक हो, तो डायरेक्टर्स असाधारण मीटिंग बुला सकते हैं।

कम्पनी की कैपिटल के दसवें भाग को धारण करने वाले शेयर-होल्डरों की माँग या अधियाचना पर भी ऐसी असाधारण मीटिंग बुलाई जा सकती है।

अधियाचन पर असाधारण जनरल मीटिंग का बुलाया जाना

(Calling of Extraordinary General Meating on Requisition)—धारा १६६ अधियाचन पर असाधारण जनरल मीटिंग बुलाई जाने की प्रक्रिया निर्धारित करती है, जो निम्न प्रकार है :—

कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स, कम्पनी की अपेक्षित संस्था में सदस्यों द्वारा अधियाचन किए जाने पर, अर्थात् कम्पनी की कुल वोटिंग पावर के दसवें हिस्से को धारण करने वाले सदस्यों द्वारा अधियाचन किए जाने पर, तुरन्त कम्पनी की एक आसाधारण मीटिंग बुलायेंगे। [धारा १६६ (१)]।

अधियाचन में उन बातों का विवरण दिया जाएगा जिन पर विचार किए जाने के लिए मीटिंग बुलाई जानी है। इस पर सभी अधियाचकगण हस्ताक्षर करेंगे जिसे कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में जमा कर दिया जायगा। [धारा १६६ (२)]।

अधियाचन में उसी प्रकार के कई कागजात हो सकते हैं, जिस पर एक या अधिक अधियाचकों द्वारा हस्ताक्षर किया जायगा। [धारा १६६ (३)]।

किसी मामले के लिए मीटिंग अधियाचित किए जाने के लिए सदस्यों की संस्था निम्न प्रकार होगी :—

(क) शेयर कैपिटल वाली कम्पनी की सूरत में, उनकी उतनी संख्या जो अधियाचना दाखिल किए जाने की तारीख पर कम्पनी के पेड कैपिटल के दसवें भाग से कम न हो जिसके सहित उस मामले के सिलसिले में उस तारीख पर मताधिकार सम्बद्ध हो।

(ख) बिना शेयर कैपिटल वाली कंपनी की सूरत में, उतनी संख्या जो अधियाचना दाखिल किए जाने की तारीख पर सभी सदस्यों की वोटिंग शक्ति के दसवें भाग से कम न हो जिन्हें उस मामले के सिलसिले में उस तारीख पर मताधिकार प्राप्त हो। [धारा १६६ (४)]।

ऐसे अधियाचन की प्राप्ति पर, किसी मामले के लिए मान्य अधियाचन दाखिल किए जाने के २१ दिन के भीतर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स कंपनी की मीटिंग बुलायेंगे, और अधियाचन दाखिल किए जाने के ४५ दिन के भीतर मीटिंग की जानी चाहिए। यदि बोर्ड ऐसा करने में चूक करता है, तो अधियाचकगण स्वयं या, शेयर कैपिटल वाली कंपनी की सूरत में, वे अधियाचक जो कंपनी के मताधिकार

के दसवें भाग से कम के नियंत्रण में नहीं हैं, कंपनी में अधियाचन दाखिल किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर जनरल मीटिंग बुला सकते हैं।

(४) वर्ग या क्लास मीटिंग (Class Meetings)—उपरोक्त तीन प्रकार की मीटिंगों के अतिरिक्त, एक और मीटिंग होती है जिसे विशिष्ट प्रकार के शेयरों के धारकों की मीटिंग कहते हैं जो ऐसे शेयरों से सम्बद्ध अधिकारों में किसी प्रकार के फेरफार किए जाने के लिए बुलाई जाती है। यह मीटिंग भी सामान्य मीटिंगों से सम्बन्धित ऐक्ट में उपबन्धों द्वारा शासित होती है, और जब तक किसी विशिष्ट वर्ग के शेयर-होल्डरों के तीन चौथाई सदस्यों की सहमति नहीं प्राप्त कर ली जाती उन शेयरों से संबद्ध किन्हीं अधिकारों में कोई फेरफार या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। [धारा १०६]।

कोर्ट द्वारा बुलाई गई मीटिंग (Meeting Convened by Court)—उपरोक्त चार प्रकार की मीटिंगों के अलावा धारा १८६ में उपबन्धित परिस्थितियों में कोर्ट को भी मीटिंग बुलाने की शक्ति प्राप्त है। धारा १८६ में निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है :—

(१) यदि किसी कारण से, जिस तरीके से मीटिंगों को बुलाया जा सकता है, उस तरीके से किसी कंपनी की मीटिंग, सालाना जनरल मीटिंग के अतिरिक्त, बुलाना या ऐक्ट तथा आर्टिक्लस द्वारा निर्धारित तरीके से उसे करना या उसका संचालन करना अव्यवहार्य हो, तो कोर्ट स्वयं अपने प्रस्ताव (motion) द्वारा या कंपनी के किसी डायरेक्टर या कंपनी के किसी सदस्य, जो मीटिंग में वोट देने का हकदार हो, द्वारा दरखास्त दिए जाने पर (क) जैसा उचित समझे, मीटिंग बुलाई जाने, की जाने तथा उसके संचालन के लिए आदेश दे सकती है, तथा (ख) ऐसे गौण तथा आनुषंगिक निदेश दे सकती है, जैसा कि वह वांछनीय समझे, तथा साथ ही मीटिंग बुलाई जाने, की जाने तथा उसके संचालन से संबन्धित ऐक्ट तथा कंपनी के आर्टिक्लस द्वारा निर्धारित उपबन्धों के प्रवर्तन को रूपभेदित या अनुपूरित करते हुए निदेश दे सकती है।

दिए जाने वाले निदेशों में यह निदेश भी शामिल हो सकता है कि स्वयं या प्राक्सी द्वारा उपस्थित कंपनी का कोई सदस्य मीटिंग गठित करने वाला समझा जाएगा।

(२) ऐसे आदेश के अनुसार बुलाई गई, की गई तथा संचालित किसी मीटिंग को, सभी प्रयोजनों के लिए, यथाविधि बुलाई गई, की गई तथा संचालित कंपनी की मीटिंग समझा जाएगा [धारा १८६]।

(क) कोरम (Quorum)—कोरम का निर्धारण कम्पनी के आर्टिक्ल्स द्वारा होता है, और उसमें यथोल्लिखित उपबन्धों के अभाव में, लोक कम्पनी की सूरत में वैयक्तिक रूप से उपस्थित पाँच सदस्य (उस लोक कम्पनी के अतिरिक्त जिसने धारा ४३-ए) के आधार पर यह रूप धारण किया है) तथा किसी अन्य कम्पनी की सूरत में वैयक्तिक रूप से उपस्थित दो सदस्य किसी कम्पनी की मीटिंग के लिये कोरम होंगे। यदि मीटिंग होने के लिये निश्चित समय के आधे घन्टे के भीतर, यदि कोरम पूरा नहीं होता तो, यदि मीटिंग सदस्यों के अधियाचन पर बुलाई गई है, तो वह विघटित हो जाएगी। किसी अन्य सूरत में, मीटिंग दूसरे सप्ताह के उसी दिन, समय तथा स्थान के लिये स्थगित हो जाएगी, या किसी ऐसे अन्य दिन तथा समय के लिये जो बोर्ड निर्धारित करे। यदि स्थगित मीटिंग में भी निश्चित समय के आधे घन्टे के भीतर कोरम पूरा नहीं होता तो उपस्थित सदस्य ही कोरम होंगे। (धारा १७४)। लेकिन, जहाँ विशेष बहुमत की उपस्थिति आवश्यक हो, जैसे कि वर्ग या क्लास की मीटिंगों इत्यादि में, निर्धारित कोरम के अभाव में घटित किया गया प्रस्ताव अमान्य होगा।

चेयरमैन (Chairman)—जब तक कि कम्पनी के आर्टिक्ल्स द्वारा अन्यथा उपबन्धित न हो, मीटिंग में स्वयं (Personally) उपस्थित सदस्य हाथ उठा कर अपनों में से ही किसी को उसका चेयरमैन चुन लेंगे। यदि चेयरमैन के चुनाव के लिये मतदान की माँग की जाती है, तो ऐक्ट के उपबन्धों के अनुसार तुरन्त मतदान प्राप्त किया जाएगा, और हाथ उठा कर चुना गया चेयरमैन उपरोक्त उपबन्धों के अन्तर्गत चेयरमैन की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। यदि मतदान के फलस्वरूप कोई अन्य व्यक्ति चैयरमैन चुन लिया जाता है, तो वही मीटिंग के शेष समय के लिये चेयरमैन होगा। [धारा १७५]।

(ख) प्राक्सी अर्थात् प्रतिपत्र (Proxy)—कम्पनी की मीटिंग में उपस्थित होने तथा वोट देने के लिये अधिकारी कम्पनी का कोई सदस्य किसी प्राक्सी को अपने स्थान पर उपस्थित होने तथा वोट देने के लिये नियुक्त करने का अधिकारी होगा। यह जरूरी नहीं है कि प्रॉक्सी सदस्य हो, लेकिन उसे मीटिंग में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

शेयर कैपिटल वाली कम्पनी की मीटिंग बुलाने के लिये जारी की गयी प्रत्येक नोटिस में युक्तिसंगत स्पष्टता से यह कथन प्रदर्शित किया जाना चाहिये कि मीटिंग में उपस्थित होने तथा वोट देने का अधिकारी सदस्य अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकारी होगा तथा यह आवश्यक नहीं है कि प्राक्सी सदस्य हो।

प्राक्सी की नियुक्ति का संलेख लिखित तथा नियुक्तिकर्त्ता द्वारा, या लिखित रूप से यथाविधि प्राधिकृत अटार्नी द्वारा, हस्ताक्षरित होगा। यदि नियुक्तकर्त्ता कोई निगम निकाय है, तो यह उसके सील के अन्तर्गत, या उसके किसी अधिकारी या यथाविधि प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

चेयरमैन द्वारा यह घोषणा कि हाथ उठा कर कोई प्रस्ताव पारित हो गया है या नहीं पारित हुआ है, या एकमत या विशिष्ट बहुमत द्वारा पारित हो गया है या नहीं पारित हुआ है, तथा कम्पनी की पुस्तकों में कार्यवाही के विवरणों के सिलसिले में किया गया इस प्रभाव का इन्दराज, प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में मतों की संख्या या उनके अनुपात के प्रमाण के बिना, तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगा।

(ग) डिमान्ड फार पॉल (मतदान की मांग) (Demand for poll)—किसी प्रस्ताव पर हाथ उठाकर हुये मतदान के नतीजे की घोषणा से पहिले, या घोषणा होने पर, चेयरमैन स्वयं अपनी ओर से मतदान लिए जाने का आदेश दे सकता है। यदि निम्नलिखित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा इसके लिये माँग की जाती है, तो चेयरमैन मतदान लिए जाने का आदेश देने के लिये बद्ध होगा : (क) लोक कम्पनी की सूरत में, वैयक्तिक रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित प्रस्ताव पर मतदान देने के लिये हकदार कम से कम पाँच सदस्यों द्वारा; (ख) प्राइवेट कम्पनी की सूरत में, यदि ऐसे सात से अधिक सदस्य वैयक्तिक रूप से उपस्थित नहीं हैं, वैयक्तिक रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित प्रस्ताव पर मतदान देने के लिये हकदार एक सदस्य द्वारा, तथा वैयक्तिक रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित ऐसे दो सदस्यों द्वारा, यदि सात से अधिक ऐसे सदस्य वैयक्तिक रूप से उपस्थित हों; (ग) प्रस्ताव के सिलसिले में कुल वोटिंग पावर के दसवें भाग को धारण करने वाले वैयक्तिक रूप से, या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित सदस्यों या किसी सदस्य द्वारा; या (घ) प्रस्ताव पर वोट देने का अधिकार प्रदत्त करने वाली कंपनी के शेयरों को, जो उस अधिकार को प्रदत्त करने वाले ऐसे शेयर हैं जिन पर भुगतान की गई धनराशि सभी शेयरों पर भुगतान की गई राशि के दसवें हिस्से से कम नहीं है, धारण करने वाले वैयक्तिक रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित सदस्यों या किसी सदस्य द्वारा डिमान्ड फार पॉल को इसकी डिमान्ड करने वाले व्यक्ति किसी भी समय वापस ले सकते हैं। [धारा १७९]।

जहाँ मतदान लिया जाना है, वहाँ मीटिंग का चैयरमैन दो परिनिरीक्षकों (Scrutineers) की नियुक्ति करेगा, जो दिये गये मतदान का परिनिरीक्षण करेंगे तथा नतीजे की सूचना उसे देंगे। नतीजे की घोषणा के पहिले चेयरमैन को यह अधिकार होगा कि वह किसी परिनिरीक्षक को पद से हटा दे तथा उसके रिक्त स्थान की पूर्ति करे। नियुक्त किए गए उपरोक्त दो परिनिरीक्षकों में से एक हमेशा

मीटिंग में उपस्थित रहने वाला सदस्य होगा, बशर्ते कि ऐसा सदस्य उपलब्ध हो तथा वह कम्पनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी न हो। [धारा १८४]।

ऐक्ट के उपबन्धों के अधीन, मीटिंग के चैयरमैन को मतदान के तरीके को नियमित करने की शक्ति होगी। मतदान के परिणाम को, जिस प्रस्ताव पर मतदान लिया गया है, उस पर मीटिंग का निर्णय माना जाएगा। [धारा १८५]।

कोई प्राइवेट कम्पनी, जो किसी लोक कम्पनी की सहायक नहीं है, यदि वह स्वयं अपने आर्टिक्ल्स द्वारा अपना प्रबन्ध करती है तो वह उपरोक्त उपबन्धों का अनुसरण करने के लिए बद्ध नहीं है।

प्रस्ताव
[Resolutions]

ऐक्ट तीन प्रकार के प्रस्तावों का उपबन्ध करता है : (१) साधारण प्रस्ताव, (२) विशेष प्रस्ताव, तथा (३) प्रस्ताव जिसके लिए विशेष नोटिस अपेक्षित होती है। इन प्रस्तावों का अन्तर, पारित किए जाने के लिए अपेक्षित बहुमत की संख्या में अन्तर पर ही आधारित होता है। साधारण प्रस्ताव को पारित किये जाने के लिये साधारण बहुमत अपेक्षित होता है। विशेष प्रस्ताव को पारित किये जाने के लिये तीन चौथाई बहुमत अपेक्षित होता है ।

(१) साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution)—साधारण प्रस्ताव वह प्रस्ताव है जो किसी जनरल मीटिंग में पारित किया गया हो तथा जिसके लिये एक्ट द्वारा अपेक्षित सूचना यथाविधि दी गई हो। सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के प्रति दिये गये मत में, चाहे हाथ उठा कर, या मतदान द्वारा दिया गया हो, जैसी भी सूरत हो, चेयरमैन द्वारा दिया गया वोट, यदि कोई हो, शामिल होता है। सदस्य, जो मत देने के हकदार होते हैं, स्वयं या, जहाँ प्रॉक्सी की अनुमति है, प्रॉक्सी द्वारा मत देते हैं। बहुमत का अर्थ है मत की वह अधिक संख्या जो प्रस्ताव के विरुद्ध दिये गए मत की संख्या से अधिक होती है। [धारा १८९ (१)]

(२) विशेष प्रस्ताव (Special Resolution)—कोई प्रस्ताव तब विशेष प्रस्ताव होगा जब कि :

(क) प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्थापित करने के अभिप्राय को जनरल मीटिंग को बुलाने की सूचना में या सदस्यों को प्रस्ताव के सूचनार्थ अन्य भेजे जाने वाले संदेश में यथाविधि रूप से यथोल्लिखित कर दिया गया हो;

(ख) ऐक्ट द्वारा अपेक्षित जनरल मीटिंग की सूचना यथाविधि दे दी गई हो; तथा,

(ग) प्रस्ताव के पक्ष में सदस्यों द्वारा, जो मत देने के हकदार हों, स्वयं दिया गया या, जहाँ प्रॉक्सी की अनुमति है, प्राक्सी द्वारा दिया गया मत (चाहे हाथ उठा कर या मतदान द्वारा दिया गया, जैसी भी सूरत हो,) इस प्रकार हकदार सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के विपक्ष में दिए गए मत की तिगुना हो।

विशेष प्रस्ताव कम्पनी का एक महत्पपूर्ण दस्तावेज होता है जिसके द्वारा कम्पनी अपने महत्वपूर्ण प्रशासकीय तथा कार्यपालीय कृत्यों का सम्पादन करती है।

अन्य शक्तियों के साथ साथ निम्नलिखित शक्तियों के प्रयोग के लिये विशेष प्रस्ताव आवश्यक होता है :—

(१) अपने रजिस्टर्ड आफिस के स्थान को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने या कम्पनी के उद्देश्य को परिवर्तित करने के प्रयोजनार्थ, कम्पनी के मेमोरन्डम आफ असोसिएशन के उपबन्धों में फेरफार करने के लिए (धारा १७);

(२) कम्पनी के नाम को बदलने के लिए (धारा २१);

(३) किसी धर्मार्थ या अन्य कम्पनी के नाम में के 'लिमिटेड' शब्द निकालने के लिये (धारा २५ (३));

(४) कम्पनी के आर्टिक्लस आफ असोसिएशन में फेरफार करने के लिए (धारा ३१);

(५) सीमित कम्पनी के रिजर्व दायित्व का प्राविधान करने के लिये (धारा ६६);

(६) कम्पनी के शेयर कैपिटल को कम करने के लिये (धारा १००);

(७) कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय को स्थानान्तरित करने के लिये (धारा १४६);

(८) कैपिटल में से ब्याज के भुगतान के लिए (धारा २०८);

(६) कम्पनी के मामलात की जाँच कराने के लिए इन्सपेक्टर की नियुक्ति कराने के लिये (धारा २३७);

(१०) मैनेजिंग एजेन्टों के निकट सम्पर्क में होने वाले व्यक्तियों को डायरेक्टर्स के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति के लिए (धारा २६१);

(११) जहाँ आर्टिक्ल्स द्वारा ऐसा प्रस्ताव अपेक्षित हो, डायरेक्टर्स का पारिश्रमिक निश्चित करने के लिए (धारा ३०६);

(१२) कम्पनी में डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स इत्यादि को कम्पनी में लाभ पद या स्थान धारण कर सकने के लिये प्राधिकृत करने के लिये (धारा ३१४);

(१३) किसी डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स या मैनेजर के दायित्व को असीमित करने के लिए (धारा ३२३);

(१४) कम्पनी या उसकी सहायक कम्पनी के मैनेजिंग एजेन्ट को घोर अनवधानता या कम्पनी के मामलों में कुप्रबन्धों के कारण हटाए जाने के लिए (धारा ३३८);

(१५) किसी मैनेजिंग एजेन्ट को १० प्रतिशत से अधिक पारिश्रमिक स्वीकृत करने के लिये (धारा ३५२);

(१६) भारत के बाहर अतिरिक्त माल के विक्रय के लिये मैनेजिंग एजेन्ट या उसके सहयोगियों को पारिश्रमिक स्वीकृत करने के लिये (धारा ३५६);

(१७) भारत के बाहर से कम्पनी के लिये व्यापार प्राप्त करने के लिए मैनेजिंग एजेन्ट या उसके सहयोगियों को पारिश्रमिक स्वीकृत करने के लिये (धारा ३५८);

(१८) मैनेजिंग एजेन्ट तथा उसके सहयोगियों के बीच हुई माल के विक्रय या सप्लाई या किसी सम्पत्ति की सप्लाई या कोई सेवा की जाने या कम्पनी के शेयर्स या डिबेन्चर्स के निम्नांकन के लिये की गई संविदा के अनुमोदन के लिए (धारा ३६०);

(१६) उसी प्रबन्ध के अधीन कम्पनियों को ऋण इत्यादि की अनुमति प्रदान करने के लिये (धारा ३७०);

(२०) किसी मैनेजिंग एजेन्ट या उसके सहयोगी को प्रबन्धित कंपनी की प्रतियोगिता में कोई व्यापार करने के लिये अनुमति प्रदान करने के लिये (धारा ३७५);

(२१) कोर्ट द्वारा कंपनी का समापन करने के लिये (धारा ४३३);

(२२) स्वेच्छापूर्वक कंपनी के समापन के लिये (धारा ४८४); तथा

(२३) सदस्यों द्वारा कंपनी के स्वेच्छिक समापन कंपनी की पुस्तकों तथा कागजात के निबटारे के लिये निदेश देने के लिये (धारा ५५०)।

विशेष सूचना : अपेक्षित प्रस्ताव (Resolution requiring special notice)—मात्र बहुमत द्वारा पारित किये जाने वाले केवल साधारण प्रस्ताव के लिये ही विशेष सूचना अपेक्षित होती है। यथार्थतः यह कोई स्वतंत्र वर्ग का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि एक भिन्न प्रकार का साधारण प्रस्ताव है जिसमें प्रस्ताव पेश किये जाने के आशय की कम के कम १४ दिन की सूचना अवश्य दी जानी चाहिये। इसमें जिस रोज नोटिस तामील होती है तथा मीटिंग का रोज नहीं शामिल है। ऐसे प्रस्ताव के लिये ऐक्ट या आर्टिक्ल्स के किसी उपबन्ध के अन्तर्गत विशेष सूचना अपेक्षित होती है। प्रस्ताव पेश किये जाने के आशय की सूचना प्राप्त करते ही कंपनी अपने सदस्यों को प्रस्ताव की सूचना उसी प्रकार देगी जिस प्रकार वह मीटिंग की सूचना देती है, या यदि यह व्यवहार्य न हो तो कंपनी अखबारों में विज्ञापन, या आर्टिक्ल्स द्वारा निर्धारित किसी अन्य तरीके द्वारा, सदस्यों को मीटिंग के कम से कम सात रोज पहिल प्रस्ताव की सूचना देगी।

विशेष सूचना इन बातों के लिये अपेक्षित होती है—(क) रिटायर होने वाले आडिटर के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को आडिटर के रूप में नियुक्त किये जाने या रिटायर करने वाले व्यक्ति की फिर से नियुक्ति को अभिव्यक्त रूप से वर्जित करने के लिये प्रस्ताव के लिये (धारा २२५); (ख) किसी ऐसे व्यक्ति की डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति के लिये, जो कंपनी या उसकी सहायक कंपनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी है, या जो किसी करार के अनुसार मैनेजिंग एजेन्ट द्वारा प्राप्त किये जाने वाले पारिश्रमिक में हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है, या जो कोई सहयोगी, अधिकारी या कर्मचारी या मैनेजिंग एजेन्ट या जो मैनेजिंग एजेन्ट के प्रबन्ध में किसी निगम निकाय का कोई अधिकारी या कर्मचारी है (धारा २६१); तथा (ग) कार्यकाल की समाप्ति पर किसी डायरेक्टर को हटाने तथा हटाये गये डायरेक्टर के स्थान पर उसी मीटिंग में, जिस मीटिंग में उसे हटाया गया था, किसी अन्य व्यक्ति को डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने के लिये (धारा २४८)।

सदस्यों के प्रस्ताव का परिचलन (Circulation of members' resolution)—वार्षिक जनरल मीटिंग में प्रस्ताव प्रतुत करने के इच्छुक सदस्य कम्पनी से अधियाचन (requisition) कर सकते हैं कि प्रस्ताव की अग्रिम सूचना अन्य सदस्यों को दी जाय। धारा १८८ के अन्तर्गत उस तारीख पर प्रस्ताव पर मत देने के अधिकारी सदस्यों के कम से कम बीसवें भाग द्वारा लिखित अधियाचन या एक सौ सदस्यों के अधियाचन पर, जिनके शेयर्स पर कुल १ लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका हो, कम्पनी अधियाचनकर्त्ताओं के खर्च पर उनके द्वारा उस मीटिंग में पेश किये जाने वाले प्रस्ताव की सूचना उन सदस्यों को देने के लिये बद्ध होगी जो

अगली वार्षिक जनरल मीटिंग की सूचना प्राप्त करने के अधिकारी हों। प्रस्ताव के परिचलन के लिये अधियाचन मीटिंग के कम से कम छः सप्ताह पूर्व कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में जमा किया जाना चाहिये तथा इसके साथ कम्पनी के खर्च के लिये पर्याप्त धन का टेन्डर भी दिया जाना चाहिये। कम्पनी या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा दरखास्त दिये जाने पर, जो पीड़ित हो और यह दावा कर रहा हो कि मानहानिजनक विषय के अनावश्यक परिचलन द्वारा ऐसे अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है, यदि कोर्ट सन्तुष्ट हो तो कम्पनी किसी वक्तव्य का परिचलन कराने के लिये बद्ध नहीं होगी। बैंकिंग कम्पनी ऐसे किसी वक्तव्य का परिचलन कराने के लिये बद्ध नहीं होगी जिसके परिचलन से उसके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के मतानुसार कम्पनी के हितों को क्षति पहुँचेगी। [धारा १८८]।

विशेष प्रस्तावों तथा करारों का रजिस्ट्रेशन (Registration of special resolution and agreements)—प्रत्येक प्रस्ताव, जिस मीटिंग में ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है उसकी नोटिस के साथ धारा १७३ के अन्तर्गत संलग्न किये जाने वाले सारवान् तथ्यों के वक्तव्य की एक प्रति सहित या निम्नलिखित विषयों के करार की एक प्रति धारा १९२ के अन्तर्गत उसके पारित होने के पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास दाखिल किया जाना अपेक्षित है। ये विषय इस प्रकार हैं—(१) विशेष प्रस्ताव, (२) प्रस्ताव जिस पर कम्पनी के सभी सदस्य सहमत हैं, लेकिन, यदि इस प्रकार सहमति नहीं होती तो प्रस्ताव उनके प्रयोजन के लिये प्रभावकारी न हुआ होता जब तक कि उन्हें विशेष प्रस्ताव के रूप में न पारित किया गया होता ; (३) किसी मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति के नवीकरण, या नियुक्ति की शर्तों में फेरफार से सम्बन्धित कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स का कोई प्रस्ताव या कंपनी द्वारा निष्पादित करार ; (४) कंपनी के मैनेजिंग एजेन्ट या सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति के नवीकरण से संबन्धित कोई करार, या कंपनी द्वारा निष्पादित ऐसे करार की शर्तों में फेरफार ; (५) प्रस्ताव तथा करार जिन पर शेयरहोल्डर्स के किसी वर्ग के सभी सदस्यों द्वारा सहमति हुई है, जो, यदि सहमति न हुई होती, तो उनके प्रयोजन के लिये प्रभावकारी न हुआ होता जब तक कि वे किसी विशिष्ट बहुसंख्यकों द्वारा या अन्यथा किसी विशिष्ट प्रकार से पारित किये गये होते, तथा सभी प्रस्ताव या करार जिनसे शेयरहोल्डर्स के किसी वर्ग के सभी सदस्य बद्ध होते हों भले ही उन सभी सदस्यों की सहमति न हो ; (६) कंपनी द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव जिनके द्वारा कंपनी ने अपने बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा विक्रय, पट्टे द्वारा या अन्यथा कंपनी के अन्डरटेकिंग के निबटारे, धन उधार लेने जिससे कि उसके फ्री रिजर्व तथा कंपनी

के पेड-अप कैपिटल का कुल अधिक हो जाय, या कंपनी के कारोबार से प्रत्यक्ष रूप से असंबंधित किसी खैराती या अन्य फण्ड में अंशदान करने या अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी धनराशि के अंशदान, जिसका कुल किसी वित्तीय वर्ष में २५,००० रुपये या औसत शुद्ध लाभ के ५ प्रतिशत से अधिक हो जाय, या सोल सेलिंग एजेन्ट की नियुक्ति के अनुमोदन से संबंधित शक्तियों के प्रयोग के प्रति सहमति प्रदान किया हो; तथा (७) धारा ४८४ की उपधारा (१) के अनुसार कम्पनी के स्वैच्छिक समापन की अपेक्षा करते हुए पारित किया गया प्रस्ताव।

जहाँ आर्टिक्ल्स को रजिस्टर्ड किया गया है, आर्टिक्ल्स को परिवर्तित करने वाले प्रत्येक प्रस्ताव की एक प्रति तथा ऊपर उल्लिखित प्रत्येक करार की एक प्रति प्रस्ताव पारित किये जाने या करार किये जाने के बाद जारी की जाने वाली प्रत्येक आर्टिक्लस में समाविष्ट की जायेगी या संलग्न की जायेगी; और जहाँ आर्टिक्लस को रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, एक रुपये के भुगतान पर प्रत्येक प्रस्ताव या करार की मुद्रित प्रति किसी सदस्य को उसके अनुरोध पर भेजी जायेगी। [धारा १९२]।

जनरल मीटिंगों, बोर्ड तथा अन्य मीटिंगों की कार्यवाहियों का कार्यवृत (Minutes of proceedings of general meetings and of Board and other meetings)—कार्यवृत सामान्यतः कम्पनी के सेक्रेट्री द्वारा अभिलेखबद्ध किया जाता है और यह शेयर होल्डर्स या बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मीटिंगों में लिये गये निर्णयों का अत्यन्त महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है। ऐक्ट की धारा १९३ के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि प्रत्येक कम्पनी द्वारा प्रत्येक जनरल मीटिंग की सभी कार्यवाहियों तथा बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की प्रत्येक मीटिंग की सभी कार्यवाहियों तथा बोर्ड की प्रत्येक कमेटी के मीटिंग की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त को ऐसी प्रत्येक मीटिंग की समाप्ति के चौदह दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिये रक्खी गई पुस्तकों के क्रमशः पृष्ठों पर दर्ज कराया जायेगा। ऐसी प्रत्येक पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ आद्याक्षरित या हस्ताक्षरित (initialled or signed) किया जाएगा और कार्यवाही के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर इन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित तथा दिनांकित किया जायेगा—(क) बोर्ड या उसके किसी कमेटी की मीटिंग की कार्यवाही के कार्यवृत की सूरत में, उस मीटिंग के चेयरमैन या अगली मीटिंग के चेयरमैन द्वारा; (ख) किसी जनरल मीटिंग की कार्यवाही के कार्यवृत की सूरत में, उक्त चौदह दिन के भीतर उसी मीटिंग के चेयरमैन द्वारा या इस अवधि के भीतर उस चेयरमैन की मृत्यु या असमर्थता की सूरत में बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिये यथाविधि प्राधिकृत किये गये डायरेक्टर द्वारा। किसी मीटिङ्ग की कार्यवाहियों के कार्यवृत को किसी भी सूरत में चिपका कर या अन्यथा ऐसी पुस्तक के साथ नहीं लगाया जायेगा।

प्रत्येक मीटिंग के कार्यवृत में उस मीटिंग में हुई कार्यवाहियों का समुचित तथा सही संक्षेप लिखा जाएगा। ऐसी मीटिङ्गों में की गई अधिकारियों की नियुक्तियों को मीटिङ्ग के कार्यवृत में शामिल किया जायेगा। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स या बोर्ड की कमेटी की मीटिङ्ग की सूरत में कार्यवृत में (क) मीटिङ्ग में मौजूद डायरेक्टर्स के नाम, तथा (ख) मीटिङ्ग में पारित किये गये प्रत्येक प्रस्ताव की सूरत में, प्रस्ताव से असहमत होने वाले डायरेक्टर्स, यदि कोई हैं, के नाम भी लिखे जायेंगे।

ऐसे विषयों को, जो मीटिङ्ग के चेयरमैन के मतानुसार किसी व्यक्ति के प्रति मानहानिजनक हैं या हो सकते थे या कार्यवाहियों के प्रति अप्रासंगिक या सारहीन हैं या कम्पनी के हितों के लिये क्षतिजनक हैं, कार्यवृत में नहीं लिखा जाएगा। उपरोक्त आधारों पर किसी बात को कार्यवृत में शामिल करना या न शामिल करना चेयरमैन के अबाधित विवेक के अधीन होगा। [धारा १९३]।

उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार रक्खा गया मीटिङ्गों का कार्यवृत उसमें अभिलेखबद्ध की गयी कार्यवाहियों का साक्ष्य होगा। [धारा १९४]।

जहाँ कम्पनी के किसी जनरल मीटिङ्ग या उसके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स या बोर्ड की कमेटी के किसी मीटिङ्ग की कार्यवाहियों के कार्यवृत को धारा १९३ के उपबन्धों के अनुसार रक्खा गया है, तब, जब तक कि प्रतिकूल प्रमाणित न किया जाय, यह माना जायेगा कि मीटिङ्ग यथाविधि हुई है, और मीटिङ्ग में की गई डायरेक्टर्स तथा परिसमापकों की किसी नियुक्ति को वैध समझा जायेगा। [धारा १९५]।

१५ जनवरी, १९३७ को या इसके बाद कम्पनी की किसी जनरल मीटिङ्ग की कार्यवाहियों के कार्यवृत की पुस्तकों को कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में रक्खा जाएगा तथा कार्य-समय के दौरान में किसी चार्ज के बिना वे किसी सदस्य को मुआइने के लिये उपलब्ध होंगी। निर्धारित शुल्क के भुगतान पर या याचना के सात रोज के भीतर कार्यवृत की प्रतिलिपियाँ सदस्य को अवश्य दी जानी चाहिए। [धारा १९६]।

जनरल मीटिंग की कार्यवाहियों की रिपोर्टों का प्रकाशन (Publication of reports of proceedings of general meetings) —कम्पनी के किसी जनरल मीटिंग की कार्यवाही की रिपोर्ट अभिप्रेत होने वाला (purporting to be) कोई दस्तावेज कम्पनी के खर्च पर परिचालित या विज्ञापित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसमें ऐसे विषय न हों जो धारा १९३ द्वारा ऐसी मीटिंग की कार्यवाही में दिया जाना अपेक्षित हो।

अध्याय ११

प्रबन्धकीय पारिश्रमिक, अवांछनीय व्यक्तियों द्वारा प्रबन्ध का निवारण तथा डिविडेन्ड

[Managerial Remuneration, Prevention of Management by Undesirable Persons and Dividends]

[धारायें १६८-२०८]

समस्त अधिकतम प्रबन्धकीय पारिश्रमिक तथा लाभ के अभाव या अपर्याप्तता की सूरत में प्रबन्धकीय पारिश्रमिक :—लोक कम्पनी या लोक कम्पनी की सहायक कम्पनी की सूरत में कम्पनी द्वारा अपने डायरेक्टरों, मैनेजिंग एजेन्ट या सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स यदि कोई हों, या मैनेजर को किसी वित्तीय वर्ष में देय समस्त प्रबन्धकीय पारिश्रमिक उस वित्तीय वर्ष में कम्पनी को होने वाले शुद्ध लाभ के ११ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। (धारा १६८)। यह प्रतिशत बोर्ड की मीटिंग में भाग लेने के लिए डायरेक्टर्स को देय किसी फीस के अलावा होगा।

उपरोक्त उपबन्धों से यह समझा जाएगा कि ऐक्ट के उपबन्धों के अनुसार डायरेक्टर्स या मैनेजर को देय कोई मासिक पारिश्रमिक का भुगतान निषिद्ध है। उपरोक्त उपबन्धों से मैनेजिंग एजेन्ट को किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के भुगतान पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो विशेष प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत किया गया हो तथा जिसके भुगतान को केन्द्रीय सरकार ने लोक-हित के ध्यान में अनुमोदित कर दिया हो। (धारा ३५२)। इन उपबन्धों से कम्पनी की ओर से किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति में उसके स्वत्व पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो बोर्ड या कम्पनी द्वारा जनरल मीटिंग में अस्वीकृत किया गया हो। (धारा ३५४)। मैनेजिंग एजेन्ट भारत के बाहर किसी स्थान में कम्पनी के माल के विक्रय के लिये बतौर बिक्री एजेन्ट के रूप में किये गये कार्य के लिये भी पारिश्रमिक प्राप्त कर सकेगा। (धारा ३५६)। कम्पनी द्वारा पारित किसी विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार भारत के बाहर किसी स्थान पर क्रय एजेन्ट की नियुक्ति किये जाने पर भी मैनेजिंग एजेन्ट पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है। (धारा ३५८)।

उपरोक्त उपबन्धों के बावजूद भी, यदि किसी वित्तीय वर्ष में कोई लाभ नहीं हुआ है या लाभ पर्याप्त है, तो कम्पनी केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन के

विभिन्न वर्ग के प्रबन्धकीय कर्मचारी वर्ग की एक साथ नियुक्ति का प्रतिषेध

(Prohibition of Simultaneous Appointment of Different Categories of Managerial Personnel)

कम्पनी कुछ विभिन्न वर्ग के प्रबन्धकीय कर्मचारीवर्ग को एक ही समय पर नियुक्त नहीं करेगी या सेवा में लगाएगी (Company not to appoint or employ certain different categories of managerial personnel at the same time)—इस ऐक्ट या किसी अन्य कानून या किसी करार या संलेख में किसी बात के बावजूद भी, कोई कम्पनी, कम्पनीज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १६६० के आरम्भ के बाद, किसी एक समय पर या ऐसे आरम्भ से छः माह की अवधि की समाप्ति के बाद, प्रबन्धकीय कर्मचारीवर्ग के निम्नलिखित वर्गों में से एक से अधिक की नियुक्ति या सेवायोजन को एक ही समय पर जारी नहीं रक्खेगी, अर्थात्—(क) मैनेजिंग डायरेक्टर, (ख) मैनेजिंग एजेन्ट, (ग) सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स तथा (घ) मैनेजर। [धारा १६७-ए]।

अधीन, अपने डायरेक्टर्स (जिनमें मैनेजिंग या पूर्णकालिक डायरेक्टर्स सम्मिलित हैं) मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स या मैनेजर, यदि कोई है, को न्यूनतम पारिश्रमिक के रूप में ऐसी रकम जो ५०,००० रु० प्रति वर्ष से अधिक न हो दे सकती है, जो डायरेक्टर्स को बोर्ड या मीटिंग में भाग लेने के फलस्वरूप उनको देय फीस के अलावा होगी, जो कम्पनी देना उचित समझे। लेकिन यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि कम्पनी के व्यापार को सुचारु रूप से निष्पादित किये जाने के लिये ५०,००० रु० का न्यूनतम पारिश्रमिक अपर्याप्त है तो वह न्यूनतम पारिश्रमिक की राशि में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान कर सकती है। (धारा १९८)।

कोई कम्पनी अपने किसी अधिकारी या कर्मचारी को कोई कर मुक्त पारिश्रमिक नहीं देगी।

डिविडेन्ड [Dividend]—डिविडेन्ड लाभ का वह अनुपात है जो प्रति शेयर पर या प्रतिशत के रूप में कम्पनी के कैपिटल पर ऐक्ट के उपबन्धों के अनुसार तथा आर्टिक्ल्स द्वारा उपबन्धित तरीके के अनुसार घोषित दर के हिसाब से देय होता है।

डिविडेन्ड का भुगतान केवल लाभ में से ही होगा (Dividend to be paid only out of profit) कम्पनी द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में डिविडेन्ड का भुगतान या घोषणा धारा २०५ की उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार अवमूल्यन के प्राविधान के पश्चात् बचने वाले लाभ या किसी पिछले वित्तीय वर्ष या वर्षों में कम्पनी के लाभ, जो कि यथाविधि अवमूल्यन के प्राविधान के बाद शेष हो, तथा जो अवितरित रह गया हो या दोनों में से, या केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा प्रत्याभूति के अनुसार दिए गए धन के सिवाय किसी अतिरिक्त धन में से नहीं दिया जाएगा। इस नियम का एक अपवाद धारा २०८ में है जो यह उपबन्धित करती है कि जहाँ किसी कार्य या भवन के निर्माणार्थ या किसी प्लान्ट में प्राविधान के लिये धन उगाहने के लिये शेयर जारी किये गये हों, कम्पनी कैपिटल में से ब्याज का भुगतान कर सकती है, भले ही लाभ न हुआ हो, लेकिन ऐसा उक्त धारा में उल्लिखित निर्बन्धनों के अधीन केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से ही किया जा सकता है।

धारा २०५ की उपधारा (१) में यह भी उपबन्धित किया गया है कि (क) यदि कम्पनीज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १९६० के लागू होने के बाद आने वाले किसी पिछले वित्तीय वर्ष या वर्षों में कम्पनी ने अवमूल्यन का प्राविधान नहीं किया है, तो कम्पनी, किसी ऐसे वित्तीय वर्ष के लिये डिविडेन्ड का भुगतान करने से पहले उस

वित्तीय वर्ष या अन्य पिछले वित्तीय वर्ष या वर्षों में से अवमूल्यन का प्राविधान करेगी ; (ख) यदि कम्पनी ने किसी पिछले वित्तीय वर्ष या वर्षों में, जो कम्पनी (अमेन्डमेन्ड) ऐक्ट, १९६० के बाद पड़ता हो, कोई घाटा उठाया है, तो घाटे की राशि या उस वर्ष अवमूल्यन के प्राविधान जितनी राशि के बराबर राशि जिस वर्ष के लिये डिविडेन्ड का दिया जाना या घोषित किया जाना प्रस्तावित हो उस वर्ष के लाभ में से या पिछले वित्तीय वर्ष या वर्षों के लाभ, या दोनों में से निकाल दी जाएगी, जो उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार अवमूल्यन का प्राविधान कर चुकने के बाद प्राप्त हुआ हो ; (ग) यदि केन्द्रीय सरकार लोक हित में ऐसा करना उचित समझती है, तो कंपनी को अवमूल्यन का प्राविधान किये बगैर उस वर्ष या किसी पिछले वित्तीय वर्ष या वर्षों के लाभ में से किसी वर्ष के डिविडेन्ड की घोषणा या उसका भुगतान करने की अनुमति दे सकती है। [धारा २०५] (१)]।

डिविडेन्ड का प्राविधान या तो (क) धारा २५० में उल्लिखित सीमा तक किया जाएगा, जो यह निर्धारित करती है कि अवमूल्यन की राशि भारतीय आय-कर अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमो के अनुसार निर्धारित दर से परिसम्पत् के निम्नांकित मूल्य के सदर्भ में गणना की गई राशि होगी; या (ख) अवमूल्यांकित की जा सकने वाली परिसंपत की प्रत्येक पद के लिये होगा, उतनी राशि के लिये जो कंपनी को मूल मूल्य के ९५ प्रतिशत की ऐसी परिसंपत् के सिल-सिले में यथोल्लिखित अवधि द्वारा विभाजित करके उपलब्ध होगी; या (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य आधार पर जिसका प्रभाव यथोल्लिखित अवधि को समाप्ति पर अवमूल्यन के रूप में अवमूल्यांकित की जा सकने वाली प्रत्येक ऐसी राशि के ९५ प्रतिशत का कपनी के पक्ष में निम्नांकन (Underwriting) करना होगा; या (घ) जहाँ तक किसी ऐसी अन्य अवमूल्यांकित की जा सकने वाली परिसंपत् का प्रश्न है, जिसके लिये कोई अवमूल्यांकन का दर आयकर अधिनियम द्वारा नहीं निर्धारित किया गया है, ऐसे आधार पर किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार राजकीय गजट में प्रकाशित करके किसी सामान्य आज्ञा या किसी मामले विशेष में किसी विशेष आज्ञा द्वारा अनुमोदित करे। जहाँ अवमूल्यांकन का प्राविधान खण्ड (ख) तथा (ग) में निर्धारित तरीके के अनुसार किया गया हो, तब अवमूल्यांकित की जा सकने वाली परिसंपत् के बेचे जाने, नष्ट होने, फेंके जाने या ध्वंसित होने की सूरत में उस वर्ष के अंत में उसका निम्नांकित मूल्य का जिस वर्ष में परिसंपत् बिकती है, नष्ट होता है, फेंका जाता है या ध्वंसित होता है, धारा ३५० के परन्तुक के अनु-सार निम्नांकित कर दिया जाएगा। (धारा २५०) (२)]

कोई डिविडेन्ड नगद, चेक या वारंट के सिवाय नहीं दिया जाएगा, लेकिन कोई बात पूर्ण दत्त बोनस शेयर जारी करने या कंपनी के किसी सदस्य द्वारा धृत (Held) शेयर्स पर तत्समय अदत्त राशि के भुगतान के प्रयोजन के लिये कंपनी के लाभों या रिजर्वस के पूँजीकरण (Capital zation) को निषिद्ध नहीं करेगी। [धारा २०५ (३)]

बयालीस दिन के भीतर डिविडेन्ड वितरित न करने के लिए दण्ड (Penalty for failure to distribute dividend within fortytwo days)—जहाँ कम्पनी द्वारा डिविडेन्ड घोषित किया गया हो लेकिन उसका भुगतान न किया गया हो, या घोषणा के बयालीस दिन के भीतर डिविडेन्ड के प्रति वारन्ट को डिविडेन्ड के भुगतान के अधिकारी किसी शेयरहोल्डर को पोस्ट नहीं किया गया है, तो प्रत्येक डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स, जो जानबूझ कर चूक का पक्षकार है सात दिन तक साधारण कारावास तथा जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।

निम्नलिखित सूरतों में, उपरोक्त उपबन्धों के अर्थ के अन्तर्गत कोई अपराध किया गया नहीं माना जायेगा—(क) जहाँ किसी विधि के प्रवर्तन के कारण डिविडेन्ड का भुगतान नहीं किया जा सका था; (ख) जहाँ डिविडेन्ड के भुगतान के सिलसिले में किसी शेयर होल्डर ने कम्पनी को कुछ निदेश दिये हों और उन निदेशों का पालन नहीं किया जा सकता; (ग) जहाँ डिविडेन्ड प्राप्त करने के अधिकार के सिलसिले में कोई विवाद हो; (घ) जहाँ शेयरहोल्डर द्वारा देय किसी धनराशि के विरुद्ध डिविडेन्ड को वैधतापूर्वक समायोजित (adjust) कर दिया गया हो; या (ङ) जहाँ, किसी अन्य कारणवश, डिविडेन्ड के भुगतान या बयालीस दिन की उक्त अवधि के भीतर वारन्ट पोस्ट करने में असफलता कम्पनी की ओर से किसी चूक के कारण नहीं थी।

कैपिटल में से ब्याज का भुगतान (Payment of interest out of Capital)—जब किसी कम्पनी में किसी कार्य या भवन के निर्माण या किसी प्लान्ट के प्राविधान के खर्च के लिये धन उगाहने के लिये शेयर जारी किया जाता है, जिसे किसी लम्बी अवधि तक लाभदायी नहीं बनाया जा सकता, तो कम्पनी (क) नीचे दी गई अवधि के लिये तथा शर्तों एवं निबन्धनों के अधीन उतने शेयर कैपिटल पर ब्याज का भुगतान कर सकती है जितने का भुगतान तत्समय किया जा रहा है, तथा (ख) बतौर ब्याज दिये गये इस रकम को कार्य या भवन के निर्माण या प्लान्ट के प्राविधान के मूल्य के भाग के रूप में कैपिटल में चार्ज कर सकती है।

कैपिटल में से ब्याज के भुगतान के लिए निम्नलिखित शर्तें तथा निबन्धन हैं :—

(१) ऐसा भुगतान तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि यह आर्टिक्लस या विशेष प्रस्ताव द्वारा प्राधिकृत न हो।

(२) कोई ऐसा भुगतान, चाहे आर्टिक्लस द्वारा या विशेष प्रस्ताव द्वारा प्राधिकृत हो, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।

(३) ऐसी स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व, केन्द्रीय सरकार कम्पनी के खर्च पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति मामले की परिस्थितियों की जाँच तथा केन्द्रीय सरकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कर सकती है, तथा नियुक्ति करने से पहिले, कम्पनी से जाँच के खर्च के भुगतान के लिये प्रतिभूति देना अपेक्षित कर सकती है।

(४) ब्याज का भुगतान केवल उतनी ही अवधि के लिये होगा जितना कि केन्द्रीय सरकार निर्धारित करे तथा यह अवधि किसी सूरत में उस आधे वर्ष की अवधि, जिसके दौरान में कार्य या भवन या प्लान्ट का निर्माण वास्तव में पूर्ण हुआ है, के बाद के आधे वर्ष की अवधि के आगे नहीं होगी।

(५) ब्याज की दर किसी भी सूरत में ४ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर, या जो अन्य दर विज्ञप्ति द्वारा राजकीय गजट में प्रकाशित करके केन्द्रीय सरकार निदेशित करे, से अधिक नहीं होगा। ब्याज के भुगतान से जिन शेयरों के प्रति इसका भुगतान किया गया है, उन पर दत्त राशि में कोई कमी नहीं होगी ;

ऊपर दी गई कोई बात किसी ऐसी कम्पनी को नहीं प्रभावित करेगी जिसे Indian Railway Companies Act, 1895, या Indian Tramways Act, 1902 लागू होता है। [धारा २०८]।

अध्याय १२

लेखा तथा लेखा परीक्षा

[ACCOUNTS AND AUDIT]

[धाराएँ २०६—२३३]

कम्पनी की लेखा पुस्तकें (Books of Account of Company)—प्रत्येक कम्पनी अपने रजिस्टर्ड कार्यालय या भारत में ऐसे स्थानों में, जैसा कि उसके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा निश्चित किया जाय, इन बातों के विषय में समुचित लेखा पुस्तकें रक्खेगी—(क) कम्पनी द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई धन-राशि तथा विषय जिनके सिलसिले में प्राप्तियाँ तथा व्यय हो; (ख) कम्पनी द्वारा की गई वस्तुओं के सभी क्रय तथा विक्रय; (ग) कम्पनी की परिसम्पत् तथा दायित्व (assets and liabilities); तथा (घ) उत्पादन, प्रोसेसिंग, निर्माण या माईनिंग क्रियाओं में लगी हुई कम्पनियों के वर्ग के किसी कम्पनी की सूरत में, माल या श्रम के खपत से संबंधित ऐसे विवरण तथा परिव्यय के अन्य मद जिन्हें विहित (prescribe) किया जाय, यदि ऐसे वर्ग की कम्पनियों द्वारा अपनी लेखा पुस्तकों में ऐसे विवरण दिया जाना केन्द्रीय सरकार अपेक्षित करे [१६६५ की ऐक्ट संख्या ३१ द्वारा जोड़ा गया]। जब बोर्ड आफ डायरेक्टर्स यह निश्चित करे कि लेखा पुस्तकों को कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के बजाय भारत के किसी अन्य स्थान में रक्खा जाय, तो कम्पनी ऐसे निर्णय के सात दिन के भीतर उस अन्य स्थान का पूरा पता देते हुए रजिस्ट्रार को लिखित सूचना देगी।

जहाँ तक ब्रान्च आफिस का संबंध है यह पर्याप्त होगा यदि ऐसे आफिस के संव्यवहारों को प्रदर्शित करने वाले लेखा की समुचित पुस्तकें ब्रान्च आफिस में रक्खी जाती हैं और समुचित रूप से संक्षिप्त किये गये रिटर्न्स, जो तीन महीने की अन्तावधि से अधिक अवधि बाद न तैयार किये गये हों, ब्रान्च आफिस द्वारा कम्पनी को उसके रजिस्टर्ड कार्यालय या उपरोक्त किसी अन्य स्थान को भेज दिये जाते हों।

लेखा-पुस्तकें कार्य के समय के दौरान में किसी डायरेक्टर के मुआइने के लिये उपलब्ध रहेंगी। ये इसी प्रकार रजिस्ट्रार या इस दिशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किये गए किसी अन्य अधिकारी द्वारा मुआइने के लिये उपलब्ध होंगी, बशर्ते कि ऐसा मुआइना कम्पनी या अन्य अधिकारी को कोई पूर्व सूचना के बिना किया जा सकेगा।

रजिस्ट्रार या ऐसा अधिकारी मुआइने के दौरान में लेखे की पुस्तकों तथा अन्य पुस्तकों तथा कागजात में से नकल कर सकता है या करवा सकता है तथा ऐसे लेखे की पुस्तकों तथा अन्य पुस्तकों तथा कागजात पर उनका मुआइना करने के प्रतीक के रूप में पहचान का निशान बना देगा। कम्पनी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी सभी पुस्तकें तथा कागजात रजिस्ट्रार द्वारा मुआइना किये जाने के लिये उपलब्ध करे और अन्य पुस्तकों तथा कागजात को भी, जो अपेक्षित हों, उपलब्ध करे तथा इस सिलसिले में सभी युक्तिसंगत सुविधाएँ तथा सहायता प्रदान करे।

प्रत्येक कम्पनी चालू वर्ष के तुरन्त पिछले कम से कम आठ वर्ष की लेखा-पुस्तकों को, उनमें किये गये इन्दराज से संबंधित सुसंगत वाउचर्स सहित, अच्छी दशा में सुरक्षित रक्खेगी, तथा चालू वर्ष के पहिले आठ वर्षों से कम अवधि में निगमित हुई कम्पनी की सूरत में चालू वर्ष के पहिले कुल वर्षों की लेखा-पुस्तकों को इसी प्रकार सुरक्षित रक्खेगी।

समुचित पुस्तकों को रखने के लिए जिम्मेदार ये व्यक्ति हैं : मैनेजिंग एजेन्ट, या सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स, या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर, यदि कोई हो, तथा सभी अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी तथा एजेन्ट्स, लेकिन ऐसे मैनेजिंग एजेन्ट या सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स के बैंकर्स, आडिटर्स तथा कानूनी सलाहकार शामिल नहीं हैं; तथा यदि ऐसे मैनेजिंग एजेन्ट या सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स कोई फर्म या निगम निकाय हैं, तब ऐसे फर्म या निगम निकाय का प्रत्येक डायरेक्टर। यदि कम्पनी का न तो कोई मैनेजिंग एजेन्ट, न तो कोई सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स और न तो कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है या मैनेजर है, तो समुचित पुस्तकों को रखने की जिम्मेदारी कम्पनी के प्रत्येक डायरेक्टर; तथा, कम्पनी का कोई मैनेजिङ्ग एजेन्ट या सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स हो या न हो, कम्पनी के प्रत्येक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी तथा एजेन्ट पर होगी। [धारा २०९]।

बैलेन्स शीट (Balance Sheet)—अभिहित लेखा (nominal account) को लाभ-हानि लेखा में हस्तांतरित करके बन्द किए जाने के बाद, लाभ-हानि लेखा में शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि के बैलेन्स को संतुलन-पत्र (balance sheet) में प्रदर्शित किया जाता है, जो परिसम्पत् दात्वयों (liabilities) तथा लेजर में होने वाले अन्य बैलेन्सों का वर्गीकृत संक्षिप्त होता है। यह परिसम्पत् तथा दात्वयों का स्टेटमेन्ट नहीं होता, जैसा कि आमतौर से समझा जाता है। इसमें निःसंदेह सभी परिसम्पत तथा दात्वय सम्मिलित होते हैं, लेकिन इसमें ऐसे मद भी सम्मिलित हो सकते हैं जो कि न तो परिसम्पत् हो और न दात्वय। संक्षेप में, संतुलन पत्र या बैलेन्सशीट में कम्पनी की सम्पत्ति तथा कैपिटल की परिसम्पत् तथा दात्वयों

का संक्षिप्त विवरण होता है, जिससे ऐसे दात्वयों तथा परिसम्पत् की प्रकृति का पता चलता है।

धारा २१० उपबन्धित करती है कि कम्पनी के प्रत्येक सालाना जनरल मीटिङ्ग में बोर्ड आफ डायरेक्टर्स कम्पनी के सामने उस अवधि के बैलेन्सशीट तथा लाभ-हानि लेखा को प्रस्ततु करेंगे। जहाँ कम्पनी लाभ के लिए व्यापार न कर रही हो, तो लाभ-हानि के लेखा के स्थान पर आय तथा व्यय का लेखा कम्पनी के सालाना जनरल मीटिङ्ग में प्रस्तुत किया जाएगा। [धारा २१० (१ तथा २)]।

हानि तथा लाभ **का** लेखा—

(क) कम्पनी की पहली वार्षिक जनरल मीटिङ्ग की सूरत में, कम्पनी के निगमन से आरम्भ होने तथा मीटिङ्ग के पहिले ऐसे दिन को समाप्त होने वाली अवधि तक, जो नौ महीने की किसी तारीख से पूर्व नहीं होगी, के संबन्ध में होगा; तथा

(ख) कम्पनी को किसी उत्तरवर्ती वार्षिक जनरल मीटिङ्ग की सूरत में, जिस तारीख तक के लिये पिछला लेखा दिया गया था उसके तुरन्त बाद वाली तारीख से तथा मीटिङ्ग के पहिले ऐसी तारीख तक, जो छः महीने पहिले की किसी तारीख से पूर्व नहीं होगी, या उन सूरतों में जहाँ धारा १६६ के दूसरे परन्तुक (देखें, अध्याय १० में "वार्षिक जनरल मीटिङ्ग") के अन्तर्गत मीटिङ्ग किए जाने के लिए समय बढ़ाने की अनुमति दी गई है, छः महीने तक बढ़ायी गयी अवधि को मिलाकर होने वाली अवधि की तारीख से पूर्व नहीं होगी, के संबन्ध में होगा। [धारा २१० (३)]।

जिस अवधि से उपरोक्त लेखा संबन्धित होता है उसे ऐक्ट में बतौर "वित्तीय वर्ष" (financial year) कहा जाता है, और यह कलेन्डर वर्ष से कम या अधिक हो सकता है लेकिन पन्द्रह महीने से अधिक नहीं होगा, तथा यह अठारह महीने तक हो सकता है यदि इस दिशा में रजिस्ट्रार द्वारा विशेष अनुमति दी गई हो। [धारा २१०]।

बैलेन्स शीट तथा लाभ-हानि के लेखा में होने वाली बातें

(Contents of Balance sheet and profit and loss account)—
कम्पनी के प्रत्येक बैलेन्स शीट तथा लाभ हानि के लेखे में वित्तीय वर्ष के अन्त या के लिये कम्पनी की समुचित तथा वास्तविक स्थिति या लाभ तथा हानि की स्थिति प्रदर्शित की जानी चाहिए, तथा यह सब इस धारा के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसूची ६ के भाग १ तथा २ में दिये गये प्रपत्रों या परिस्थितियों में जितना निकटतम

सम्भव हो, या ऐसे अन्य प्रपत्र में, जो सामान्यतः या किन्हीं मामलों विशेष में केन्द्रीय सरकार अनुमोदित करे, होना चाहिए। लेकिन यह सब किसी बीमा या बैंकिंग कम्पनी या बिजली के उत्पादन या सप्लाई में संलग्न कम्पनी, या किसी अन्य वर्ग की कम्पनी, जिसके लिये बैलेन्स शीट या लाभ-हानि के लेखे का प्रपत्र ऐसे वर्ग या कम्पनी को शासित करने के लिए ऐक्ट में या के अन्तर्गत निश्चित कर दिया गया है, को नहीं लागू होगा।

बीमा, बैंकिंग तथा बिजली के उत्पादन तथा सप्लाई में लगी कम्पनियों के लिये उन बातों को प्रकट करना आवश्यक नहीं है जिनका प्रकट किया जाना क्रमशः इन्श्योरेन्स ऐक्ट, १६३८, बैंकिंग कम्पनीज ऐक्ट; १६४६ यथा एलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १६४८ द्वारा अपेक्षित नहीं है।

सूत्रधारी कम्पनी का बैलेन्स-शीट (Balance sheet of a Holding Company)—धारा २१२ के अन्तर्गत जहाँ कोई कम्पनी एक सूत्रधारी कंपनी है और जिस वित्तीय वर्ष के लिये सूत्रधारी कम्पनी का बैलेन्स शीट बनाया जाता है उसके अंत में उसकी सहायक कम्पनी तथा कम्पनियाँ हैं तो सूत्रधारी कम्पनी के बैलेन्स शीट के साथ ये कागजात संलग्न किये जाएँगे—(क) सहायक कम्पनी के बैलेंस शीट की एक प्रति, (ख) उसके लाभ तथा हानि लेखे की एक प्रति, (ग) उसके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट की एक प्रति, (घ) उसके आडिटर्स के रिपोर्ट की एक प्रति तथा (ङ) सहायक कम्पनी में सूत्रधारी कम्पनी के हितों का एक स्टेटमेन्ट, जिसमें सहायक के वित्तीय वर्ष में ऐसे हित का विस्तार, तथा उनकी हानि तथा लाभ को निकालने के बाद, जहाँ तक उन लाभों का प्राविधान कम्पनी के लेखे में किया गया है या उनका निबटारा किया गया है, सहायक के लाभ की शुद्ध समस्त धनराशि का उल्लेख किया जाएगा।

धारा २१५ के अन्तर्गत कम्पनी का प्रत्येक बैलेन्सशीट तथा लाभ-हानि का लेखा बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की तरफ से बैंकिंग कम्पनी की सूरत में बैंकिंग कम्पनीज ऐक्ट, १६४६ की धारा २६ में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा या किसी अन्य कम्पनी की सूरत में, उसके मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स, सेक्रेट्री या मैनेजर यदि कोई हो, तथा कम से कम दो डायरेक्टर्स द्वारा, जिनमें से एक मैनेजिङ्ग डायरेक्टर होगा, जहाँ एक ही हो, हस्ताक्षरित किया जायगा। बैकिङ्ग कम्पनी के अतिरिक्त किसी अन्य कम्पनी की सूरत में, जब उसके डायरेक्टर्स में से एक ही तत्समय भारत में है, बैलेन्सशीट तथा लाभ-हानि का लेखा ऐसे डायरेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा, एक नोट सहित जिसमें उपरोक्त उपबन्धों के अपालन का कारण स्पष्ट किया जायगा। बोर्ड की ओर से हस्ताक्षर किये जाने तथा आडिटर्स

को उस पर अपनी रिपोर्ट देने के लिये दिये जाने से पहिले, बैलेन्सशीट तथा लाभ-हानि का लेखा बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। [धारा २१५]। लाभ-हानि का लेखा बैलेन्सशीट से संलग्न किया जायेगा तथा आडिटर्स की रिपोर्ट, जिसमें आडिटर्स पृथक, विशेष या अनुपरक रिपोर्ट यदि कोई हो, शामिल होगी, उससे संलग्न की जायेगी। [धारा २१६]। वार्षिक जनरल मीटिङ्ग में कम्पनी के सामने बैलेन्सशीट तथा लाभ-हानि के लेखे को रक्खे जाने के पश्चात्, धारा १६१ के अन्तर्गत वार्षिक रिटर्न की प्रति रजिस्ट्रार के पास दाखिल किये जाने के साथ ही, बैलेन्सशीट तथा लाभ-हानि के लेखे की तीन प्रतियाँ, जो कम्पनी के मैनेजिङ्ग डायरेक्टर, मैनेजिङ्ग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स, मैनेजर या सेक्रेट्री, या, इनमें से कोई न हो, कम्पनी के डायरेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित होगी, ऐसे बैलेन्सशीट या लाभ-हानि के लेखे के साथ ऐक्ट के अनुसार संलग्न किये जाने वाले सभी दस्तावेजों की तीन प्रतियों सहित रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जायगी; बशर्ते कि प्राइवेट कम्पनी की सूरत में, बैलेन्सशीट की प्रतियाँ तथा लाभ-हानि के लेखे की प्रति रजिस्ट्रार के पास अलग से दाखिल की जाएगी। यदि कम्पनी की वार्षिक जनरल मीटिङ्ग में बैलेन्सशीट नहीं ग्रहण किया जाता, तो इस तथ्य का एक वक्तव्य तथा इसका कारण रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जाने वाली बैलेन्सशीट तथा प्रतियों क साथ संलग्न किया जायगा। [धारा २२०]।

बोर्ड की रिपोर्ट (Board's Report)—कम्पनी जनरल मीटिंङ्ग में प्रस्तुत किए गए प्रत्येक बैलेन्सशीट के साथ उसके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा इन विषयों के बारे में एक रिपोर्ट संलग्न की जाएगी—(क) कम्पनी की परिस्थिति; (ख) ऐसे बैलेन्स शीट में रिजर्वस् की ओर से ले जायी जाने वाली प्रस्तावित राशियाँ; (ग) डिविडेन्ड, जिसकी सिफारिश की गई है; तथा (घ) कम्पनी के वित्तीय वर्ष के अन्त, जिसके प्रति बैलेन्स शीट है; तथा रिपोर्ट की तारीख के बीच की अवधि में वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले सारवान् परिवर्तन तथा वचन-बद्धताएँ (Material changes and commitments)।

बोर्ड की रिपोर्ट में, जहाँ तक यह कम्पनी में सदस्यों द्वारा कम्पनी की स्थिति को समझने के लिये सारवान् हो, तथा कम्पनी या उसकी किसी सहायक कम्पनी या कम्पनियों के व्यापार पर इसका बुरा प्रभाव न पड़े, वित्तीय वर्ष में हुए इन विषयों के सिलसिले में हुए परिवर्तनों का उल्लेख होगा—(क) कम्पनी के व्यापार की प्रकृति में, (ख) कम्पनी की सहायक कम्पनियों या उनके द्वारा किए जा रहे व्यापार में; तथा (ग) सामान्यतः कम्पनी के व्यापार के उस वर्ग में जिसमें कम्पनी हितबद्ध हो।

बोर्ड अपनी रिपोर्ट की परिशिष्ट में आडिटर की रिपोर्ट में उल्लिखित प्रत्येक रिजर्वेशन, क्वालीफिकेशन या प्रतिकूल रिमार्क के विषय में सूचना तथा स्पष्टीकरण देंगे।

बोर्ड की रिपोर्ट तथा उसकी किसी परिशिष्ट पर, यदि बोर्ड द्वारा वह इसके लिये प्राधिकृत किया गया है, उसका चेयरमैन हस्ताक्षर करेगा और जहाँ वह इस प्रकार प्राधिकृत नहीं है, इन पर उतने डायरेक्टरर्स हस्ताक्षर करेंगे जितने को कम्पनी के बैलेन्स शीट तथा लाभ हानि के लेखे पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित हो। (धारा २१७)]।

प्रत्येक बैलेन्स शीट की एक प्रति (जिसमें लाभ-हानि का लेखा, आडिटर्स रिपोर्ट तथा बैलेन्स शीट के साथ संलग्न किया जाने वाला प्रत्येक अन्य दस्ताबेज शामिल है), जिसे जनरल मीटिंङ्ग में कम्पनी के सामने रखा जाता है, कम से कम मीटिंङ्ग के २१ दिन पहले कम्पनी के प्रत्येक सदस्य, कम्पनी द्वारा जारी किए गए डिबेन्चर्स के प्रत्येक धारक या धारकों के न्यासधारी तथा ऐसे सदस्यों, धारकों या न्यासधारियों के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों को जो इसके लिये अधिकारी हों, भेजी जाएगी। [धारा २१६]।

आडिट (लेखा परीक्षा) (Audit)—आडिट का मुख्य उद्देश्य भूलें तथा कपट के मामलों का पता लगाना है। भूल या तो लिपिकीय या सैद्धांतिक हो सकती है। कपट या तो नगदी या माल के दुर्विनियोग के रूप में या दुर्विनियोग सहित लेखे के कूटकरण (Falsification) के रूप में हो सकता है। इन बातों का पता लगाना ही आडिटर का कर्तव्य होता है।

आडिटर्स—धारा २२४ यह उपबन्ध करती है कि आडिटरों की नियुक्ति कम्पनी द्वारा प्रत्येक जनरल मीटिंङ्ग में की जाएगी और वे इस मीटिंङ्ग की समाप्ति से दूसरी मीटिंङ्ग के शुरू होने तक पद धारण करते हैं। ऐसी नियुक्ति के सात रोज के भीतर कंपनी इस प्रकार की गई नियुक्ति की सूचना प्रत्येक आडिटर को देगी, जब तक कि वह रिटायर होने वाला आडिटर न हो। इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रत्येक आडिटर, अपनी नियुक्ति की सूचना प्राप्त करने के ३० रोज के भीतर रजिस्ट्रार को लिखित रूप से सूचित करेगा कि उसने नियुक्ति को अङ्गीकृत कर लिया है या अस्वीकृत कर दिया है।

किसी जनरल मीटिंङ्ग में रिटायरिंङ्ग आडिटर को, भले ही किसी प्राधिकारी ने उसकी नियुक्ति की हो, पुनर्नियुक्त किया जा सकेगा, जब तक कि :—

(क) वह पुनर्नियुक्ति के लिये डिस्क्वालीफाईड न हो ;

(ख) उसने कम्पनी को पुनर्नियुक्ति के प्रति अपनी असहमति न सूचित कर दिया हो ;

(ग) उस मीटिङ्ग में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने के लिये, या, अभि-व्यक्त रूप से, उसकी नियुक्ति को वर्जित करते हुए प्रस्ताव पारित कर दिया गया हो ; या

(घ) जहाँ रिटायरिंङ्ग आडिटर के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्ति किये जाने के प्रस्तावित प्रस्ताव की सूचना दी गई हो, तथा व्यक्ति की मृत्यु असमर्थता या निर्योग्यता के कारण प्रस्तावके सिलसिले में आगे कार्यवाही किया जा सकना सम्भव न हो।

जहाँ किसी सालाना जनरल मीटिङ्ग में किसी आडिटर की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नहीं की जाती है, तो मीटिङ्ग के सात रोज के भीतर, कम्पनी इस बात की सूचना केन्द्रीय सरकार को देगी जो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये व्यक्ति को नियुक्ति करेगी।

कम्पनी के प्रथम आडिटर या आडिटर्स की नियुक्ति कम्पनी के रजिस्ट्रेशन के एक महीने के भीतर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा की जायेगी तथा ऐसा आडिटर या ऐसे आडिटर्स पहली वार्षिक जनरल मीटिङ्ग की समाप्ति तक पद धारण करेंगे। जनरल मीटिङ्ग में कम्पनी किसी ऐसे आडिटर या किन्हीं आडिटर्स को हटा सकती है, तथा उसके या उनके स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो कम्पनी के किसी सदस्य द्वारा नियुक्ति के लिये नाम निर्दिष्ट किया गया हो, नियुक्त कर सकती है, बशर्ते कि ऐसे नामनिर्देशन की सूचना मीटिङ्ग की तारीख से कम से कम १४ दिन पहिले कम्पनी के सदस्यों को दी गई हो।

यदि बोर्ड ऐसी नियुक्ति करने में असफल रहता है तो कम्पनी जनरल मीटिङ्ग में प्रथम आडिटर या आडिटर्स की नियुक्ति कर सकती है।

बोर्ड आकस्मिक रूप से रिक्त हुये स्थान पर आडिटर की नियुक्ति कर सकती है, जब तक कि यह रिक्ति उसके इस्तीफा देने के कारण न हुई हो। ऐसी सूरत में कम्पनी की जनरल मीटिङ्ग में ही रिक्त स्थान को भरा जायगा। आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त किया गया कोई भी आडिटर दूसरी जनरल मीटिङ्ग तक पद ग्रहण करेगा।

पहले आडिटर के सिवाय, किसी इस प्रकार नियुक्त किये गये आडिटर को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन को प्राप्त करने के पश्चात् कम्पनी द्वारा ही जनरल मीटिङ्ग में अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है।

कम्पनी के आडिटस का पारिश्रमिक (Remuneration of the Auditors of a Company)—(क) बोर्ड या केन्द्रीय सरकार द्वारा

नियुक्त किये गये किसी आडिटर की सूरत में पारिश्रमिक बोर्ड या केन्द्रीय सरकार द्वारा, जैसी भी सूरत हो, निर्धारित किया जायगा ; (ख) खण्ड (क) के अधीन उसका पारिश्रमिक कम्पनी द्वारा जनरल मीटिङ्ग में या इस प्रकार जैसा कम्पनी जनरल मीटिङ्ग में निर्धारित करे निश्चित किया जायगा। उपरोक्त के प्रयोजनार्थ आडिटस के खर्च के सिलसिले में कम्पनी द्वारा दी गई धनराशि को अभिव्यक्ति "पारिश्रमिक" में शामिल समझा जायेगा। [धारा २२४ (८)]।

किसी रिटायरिङ्ग आडिटर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को आडिटर के रूप में नियुक्ति या अभिव्यक्त रूप से यह प्राविधान करने के लिये कि किसी रिटायरिङ्ग आडिटर की पुनर्नियुक्ति नहीं की जायेगी, जनरल मीटिङ्ग में ऐसे प्रस्ताव के लिये विशेष सूचना अपेक्षित होगी। ऐसे प्रस्ताव की नोटिस रिटायरिङ्ग आडिटर को तुरन्त भेजी जायेगी। रिटायरिङ्ग आडिटर लिखित अभ्यावेदन कर सकता है तथा ऐसे प्रस्ताव की सूचना कम्पनी के सदस्यों को दिये जाने की माँग कर सकता है। कम्पनी ऐसा ही करेगी जब कि उन्हें अत्यन्त विलम्ब से न प्राप्त किया हो। उसे जबानी भी सुना जा सकता है। यदि कंपनी या किसी परिवेदित (aggrieved) व्यक्ति की दरखास्त पर कोर्ट सन्तुष्ट हो कि अभ्यावेदन मानहानिजनक हैं या प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग है, तो अभ्यावेदन अधिसूचित किया जाना या पढ़ा जाना आवश्यक न होगा। आवेदन-पत्र पर आडिटर द्वारा परिव्यय (costs) के भुगतान का आदेश दिया जा सकेगा, भले ही वह उसका पक्षकार न हो। केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन को प्राप्त करके जनरल मीटिङ्ग में कंपनी द्वारा हटाये जाने वाले प्रथम आडिटर या अन्य आडिटर्स को नोटिस प्राप्त करने तथा अभ्यावेदन देने का अधिकार प्राप्त होगा। [धारा २२५]।

आडिटस की योग्यतायें (Qualifications of Auditors)—धारा २२६ यह उपबन्धित करती है कि चार्टर्ड आकाउन्टेन्ट्स ऐक्ट, १६४६ के अर्थान्तर्गत चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ही कम्पनी के आडिटर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। यदि भारत में प्रैक्टिस कर रहे किसी फर्म के सभी पार्टनर्स इस प्रकार क्वालीफाइड हैं, तो फर्म आडिटर के रूप नियुक्त की जा सकती है। विधि-अनुसार आडिटर का प्रमाण-पत्र धारण करने वाला व्यक्ति भारत में कहीं रजिस्टर्ड किसी कम्पनी के आडिटर के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने का अधिकारी होगा।

आडिटर्स की निर्योग्यतायें (Disqualifications of Auditors)—निम्नलिखित कोई भी व्यक्ति किसी कम्पनी के आडिटर के रूप में नियुक्ति

के लिये योग्य नहीं होगा—(क) निगम निकाय; (ख) कम्पनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी, (ग) कोई ऐसा व्यक्ति जो कम्पनी का पार्टनर या कम्पनी के किसी अधिकारी या कर्मचारी की नौकरी में है; (घ) ऐसा व्यक्ति जो १,००० रुपए से अधिक धनराशि का कम्पनी का ऋणी है या जिसने किसी अन्य व्यक्ति के लिए उक्त धनराशि के सिलसिले में उसकी ऋणिता के कोई प्रत्याभूति या प्रतिभूति दी है; (ङ) किसी प्राइवेट कम्पनी का डायरेक्टर या सदस्य, या कम्पनी के मैनेजिंग एजेन्ट, या सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स के रूप में कार्य करने वाला फर्म का कोई पार्टनर; तथा (च) डायरेक्टर या किसी ऐसी निगम निकाय के सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंकित मूल्य (nominal value) के ५ प्रतिशत से अधिक का धारक जो कम्पनी का मैनेजिङ्ग एजेन्ट, या सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स है। यह बात उस सूरत में नहीं लागू होती जहाँ ऐसे शेयर्स किसी अन्य व्यक्ति के लिए न्यासधारी के रूप में धारण किए गए हों।

कोई व्यक्ति किसी सूत्रधारी कम्पनी के आडिटर के रूप में भी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा यदि वह किसी ऐसे अन्य निगम निकाय के आडिटर के रूप में नियुक्ति के लिए निर्योग्य है जो ऐसी कम्पनी की सहायक कम्पनी है।

आडिटर्स की शक्तियां तथा उनके कर्त्तव्य (Powers and duties of auditors)—आडिटर कम्पनी की पुस्तकों तथा लेखों और वाउचरों को किसी भी समय देख सकता है, चाहे वे कम्पनी के हेड आफिस में रक्खे गए हों, या किसी अन्य स्थान पर। वह अपने कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान में कम्पनी के अधिकारियों से आवश्यक सूचना तथा स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है। [धारा २२७) (१)]।

उपधारा (१) के उपबन्धों पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए, आडिटर निम्नलिखित बातों की जाँच करेगा :—

(क) कि प्रतिभूति के आधार पर कम्पनी द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों को समुचित रूप से प्रतिभूत किया गया है या नहीं तथा यह कि जिन शर्तों पर उन्हें दिया गया है वे कहीं सदस्यों या कम्पनी के हितों के प्रतिकूल तो नहीं हैं;

(ख) कि कम्पनी के वे संव्यवहार, जिनका प्रतिनिधित्व केवल पुस्तक-प्रविष्टियों (book entries) द्वारा ही हो रहा है, कहीं कम्पनी के हितों के प्रतिकूल तो नहीं हैं;

(ग) जहाँ कोई कम्पनी धारा ३७२ के अर्थान्तर्गत एक विनियोजन कम्पनी (investment company) या बैंकिंग कम्पनी नहीं है, यह कि जितनी परि-

सम्पत् शेयरों, डिबेन्चरों या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में हैं, उन्हें उस मूल्य से कम पर तो नहीं बेचा गया है जितने पर कि कम्पनी ने उन्हें खरीदा था ;

(घ) कि कम्पनी द्वारा दिए गए ऋणों या अग्रिमों को डिपाजिट के रूप में दिखाया गया है या नहीं;

(ङ) कि वैयक्तिक व्ययों को राजस्व खाते में दिखाया गया है या नहीं;

(च) जहाँ कम्पनी के पुस्तकों तथा कागजात में यह कहा गया हो कि किन्हीं शेयरों को नगदी के उपलक्ष में एलाट किया गया है, यह कि ऐसे एलाटमेन्ट के प्रति नगदी वास्तव में प्राप्त की गई है अथवा नहीं, तथा यदि वास्तव में कोई नगदी इस प्रकार नहीं प्राप्त की गई है, यह कि लेखा पुस्तकों तथा बैलेन्स शीट में उल्लिखित स्थिति सही तथा नियंत्रित है या नहीं, अथवा कहीं भ्रामक तो नहीं है। [धारा २२७ (१ए)]

उपरोक्त उपबन्ध १९६५ के एमेन्डमेन्ट ऐक्ट द्वारा दफ्तरी-शास्त्री कमेटी की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अधिनियमित किया गया था। कमेटी ने सिफारिश की थी कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है कि कम्पनियों के आडिटर्स, जिनके शेयरहोल्डर्स उनकी दक्षता तथा सतर्कता पर निर्भर करते हैं; अपने कर्तव्यों का निष्पादन सन्देहयुक्त सावधानी सहित करें तथा वे लेखों का युक्तिसंगत परीक्षण यह देखने के लिए करने के लिए बद्ध हैं कि कम्पनी के लेन-देन किसी प्रकार अवैध या अनुचित तो नहीं हैं, और उनका कर्तव्य है कि वे ऐसे लेन-देन का अनावरण करें।

जिन लेखों की परीक्षा आडिटर करेगा उस पर तथा प्रत्येक बैलेन्स शीट तथा लाभ-हानि के लेखे पर तथा ऐक्ट द्वारा बैलेन्स शीट या लाभ-हानि के लेखे के भाग या उससे सम्बद्ध कागजात के रूप में घोषित प्रत्येक अन्य कागजात पर, जो जनरल मीटिङ्ग में उसके कार्य-अवधि के दौरान में कम्पनी के सामने पेश किए जाते हैं, वह कम्पनी के सदस्यों को रिपोर्ट देगा, तथा रिपोर्ट में यह कहा जाएगा कि उसकी राय में तथा उसकी सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार जो उसे दिए गए हैं, उक्त लेखों में ऐक्ट द्वारा अपेक्षित सूचनाएँ अपेक्षित ढंग से दी गयी हैं, तथा उनसे निम्न-लिखित के विषय में वास्तविक तथा समुचित स्थित प्रदर्शित होती है—

(१) बैलेन्स शीट से, उसके वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी की स्थिति के बारे में तथा

(२) लाभ-हानि लेखे की सूरत में, उसके वित्तीय वर्ष के लाभ या हानि के बारे में। [धारा २२७ (२)]।

आडिटर की रिपोर्ट में यह भी कहा जाएगा :—

(क) कि उसने लेखा परीक्षा के लिये जरूरी सभी सूचनाएँ तथा स्पष्टीकरण, जो उसके ज्ञान तथा विश्वासानुसार आवश्यक थे, प्राप्त कर लिया है;

(ख) कि, उसके मतानुसार, कम्पनी ने विधि द्वारा अपेक्षित ढंग से जैसा कि उसके परीक्षण से प्रतीत होता है, लेखा-पुस्तकों को रक्खा है, तथा जिन शाखाओं में वह नहीं गया है वहाँ से उसके लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त रिटर्नस उसको प्राप्त हुए थे;

(खख) कि कम्पनी के आडिटर के अतिरिक्त धारा २२८ के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कम्पनी की किसी शाखा के लेखा के परिक्षण की रिपोर्ट उस धारा की उपधारा (३) के खंड (ग) द्वारा अपेक्षित रूप से उसके पास भेजी गयी या नहीं, तथा आडिटर्स की रिपोर्ट तैयार करने में उसने उसका किस प्रकार इस्तेमाल किया है;

(ग) कि रिपोर्ट में उल्लिखित कम्पनी की बैलेंस शीट तथा हानि का लेखा कम्पनी की लेखा पुस्तकों तथा रिटर्न्स के मुताबिक है। [धारा २२७ (३)]।

जहाँ उपधारा (२) के खंड (१) तथा (२) तथा उपधारा (३) के खंड (क), (ख), (खख) तथा (ग) में उल्लिखित बातों में से किसी बात का नकारात्मक या सोपाधि (negative or qualified) उत्तर दिया जाता है, आडिटर की रिपोर्ट में ऐसे उत्तर का कारण दिया जायेगा। [धारा २२७ (४)]।

केन्द्रीय सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि, कम्पनियों के ऐसे वर्ग या वर्णन की सूरत में जैसा कि आदेश में उल्लिखित किया जाय, आडिटर्स की रिपोर्ट में ऐसे मामलों पर एक रिपोर्ट भी शामिल किया जाएगा जैसा कि उसमें उल्लिखित किया जाय। ऐसा कोई आदेश देने से पहिले, केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऐक्ट, १९४९ के अन्तर्गत गठित Institute of Chartered Accountants of India से उसमें उल्लिखित की जाने वाली कम्पनियों के वर्ग या वर्णन के विषय में परामर्श कर सकती है, जब तक कि सरकार यह निर्णय न करे कि ऐसा परामर्श अनावश्यक या मामले की परिस्थितियों में वांछनीय नहीं है। [धारा २२७ (४ ए)]। [१९६५ की ऐक्ट संख्या ३१ द्वारा जोड़ा गया।]।

कम्पनी के लेखे को केवल इस आधार पर समुचित रूप से तैयार किया गया नहीं समझा जाएगा, और न ही आडिटर्स की रिपोर्ट में इस आधार पर यह

कहा जाएगा कि उसे समुचित रूप से नहीं तैयार किया गया है क्योंकि कम्पनी ने कतिपय बातों का प्रकटीकरण नहीं किया है यदि—

(क) वे बातें ऐसी हैं जिन्हें इस या किसी अन्य ऐक्ट के उपबन्धों के अनुसार प्रकट करना अपेक्षित नहीं है, तथा

(ख) वे उपबन्ध कम्पनी के बैलेन्स-शीट तथा लाभ-हानि के लेखे में उल्लिखित किए गए हैं। [धारा २२७ (५)]।

कई न्यायिक फैसलों के परिणामस्वरूप, उपरोक्त के अतिरिक्त, आडिटर्स के कर्तव्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं:—

उसका यह कर्तव्य है कि वह अपने को इस बात से सन्तुष्ट करे कि लेखों से कम्पनी की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। अपने को सन्तुष्ट करने के लिए उसे कम्पनी की पुस्तकों का परीक्षण करके यह देखना चाहिए कि वे ठीक हैं या नहीं।

जहाँ तक युक्तिसंगत रूप से सम्भव हो, उसे परिसम्पत् के अस्तित्व की पुष्टि करनी चाहिये यद्यपि उसका कर्तव्य स्टाक लेना नहीं है। वह कम्पनी के किसी जिम्मेदार अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर विश्वास करने का हकदार है। लेकिन, यह जरूरी है कि उनकी जाँच करते समय वह दक्षता तथा युक्तिसंगत सावधानी से काम ले। जहाँ विशेष ज्ञान अपेक्षित हो, वहाँ वह विशेषज्ञों की राय पर निर्भर कर सकता है। वह निःसंदेह कोई स्टाक का विशेषज्ञ नहीं होता।

उसे यह भी देखना चाहिए कि मेमोरेन्डम तथा आर्टिक्लस के उपबन्धों का समुचित पालन किया गया है अथवा नहीं।

यह उसका कर्तव्य नहीं है कि वह डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स को परामर्श दे कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्रतिभूति सहित या इसके बिना ऋण दिए जाने की विचारशीलता या अविचारशीलता से उसका कोई सरोकार नहीं होता। उसे इस बात से भी कोई सरोकार नहीं होता कि कंपनी का कार्य संचालन विचारशीलता-पूर्वक या अविचारशीलतापूर्वक किया जा रहा है या फायदे पर या बिना फायदे के। उसका काम आडिट के समय कंपनी की पुस्तकों के परीक्षण द्वारा कंपनी की वास्तविक आर्थिक स्थिति को सुनिश्चित करना तथा इसे प्रकट कर देना और यथाविधि जाँच द्वारा अपने को इस बात से संतुष्ट करना है कि पुस्तकों से कंपनी की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित होती है। आडिटर अपनी जाँच-पड़ताल में युक्तिसंगत सावधानी तथा कुशलता बरतने के अतिरिक्त इससे कुछ अधिक के लिए बद्ध नहीं है। वह कोई बीमाकर्ता नहीं है; वह इस बात की गारन्टी नहीं करता कि पुस्तकों

से कंपनी के कारोबार की वास्तविक स्थिति प्रकट होती है; वह इस बात की भी गारन्टी नहीं करता कि बैलेन्सशीट कंपनी की पुस्तकों के अनुसार सही है। यदि वह ऐसा करे तो वह स्वयं की गई भूल के लिए जिम्मेदार होगा, भले ही अपनी ओर से युक्तिसंगत सावधानी के बिना उसे धोखा दिया गया होता। उसका आधार इतना भारी नहीं है। लेकिन, यह जरूरी है कि वह ईमानदार हो, अर्थात् उसे ऐसी बात को प्रमाणित नहीं करना चाहिए जिसका वह सत्य होना विश्वास नहीं करता, और किसी बात को सत्य विश्वास करने से पहिले उसे युक्तिसंगत सावधानी तथा कुशलता से काम लेना चाहिए। यह बात कि किसी मामले विशेष में युक्तिसंगत सावधानी या कुशलता क्या, उस मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करना चाहिए। जहाँ संदेह का कोई प्रत्यक्ष कारण न हो, वहाँ थोड़ी सी जाँच भी युक्तिसंगत रूप से पर्याप्त होगी। जहाँ संदेह उत्पन्न होता हो, वहाँ निःसंदेह अधिक सावधानी अपेक्षित है, लेकिन, फिर भी, आडिटर युक्तिसंगत सावधानी तथा कुशलता से अधिक कुछ बरतने के लिए बद्ध नहीं है, संदेहजनक मामलों में भी, और जहाँ विशेष ज्ञान अपेक्षित हो विशेषज्ञ के मत के आधार पर उसका काम करना, पूर्ण रूप से न्यायोचित होगा। [Per Li dl y, L. J. in In *re* London and Gene al Bank (No. 2) (1895) 2 Ch., pp. 682—683].

यह जरूरी नहीं है कि आडिटर जासूस का पार्ट अदा करें या इस धारणा या पूर्व-निष्कर्ष से अपने कार्य का निष्पादन करें कि वहीं कुछ गड़बड़ी अवश्य है। जैसा कि कहा गया है, उसका काम चौकसी करना है न कि शिकार करना। यदि किसी बात से कोई सन्देह मालूम पड़ता है तो उसे तह तक जाँच करना चाहिये, लेकिन किसी ऐसी बात के अभाव में केवल यह जरूरी है कि वह युक्तिसङ्गत रूप से सतर्क तथा सावधान रहे। वह सभी कपट के मामलों का अनावरण प्रत्याभूत नहीं करता। उसे चौकसी रखने वाले कुत्ते के समान चौकस तथा चौकन्ना रहना चाहिये। यह जरूरी नहीं है कि कम्पनी के लेखों की जांच के दौरान में वह शरलक होम्स की तरह की जासूसी करे। यह जरूरी है कि आडिटर अपने कार्य के सुचारु निष्पादन के लिये आवश्यक सभी सूचनाओं तथा तथ्यों को प्राप्त करे और यदि यह सूचनाएँ तथा तथ्य उसे उपलब्ध नहीं किये जाते हैं, तो उसका कर्तव्य है कि वह अपनी रिपोर्ट में इसके विषय में रिमार्क दर्ज कर दे। उसे भौंकना चाहिये और जरूरी हो तो काटना भी चाहिए। [Per Lopes, L. J. In re. Kingston Cotto Mills (1896) 2 Ch. 288, 289]।

ऐक्ट की धारा २२८ यह उपबन्ध भी करती है कि जहाँ किसी कम्पनी का ब्रांच आफिस हो, वहाँ उस आफिस का लेखा धारा २२४ के अन्तर्गत नियुक्त कम्पनी के

आडिटर या किसी क्वालीफाइड आडिटर द्वारा आडिट किया जाएगा। यदि ब्राँच आफिस भारत के बाहर किसी देश में स्थित है, तो उसके लेखे का आडिट कम्पनी के आडिटर या उपरोक्त क्वालीफाइड आडिटर द्वारा किया जाना चाहिये, या उस देश के कानून के अनुसार लेखों के आडिटर के रूप में कार्य करने के लिये यथाविधि क्वालीफाइड आडिटर द्वारा किया जाना चाहिये। यदि किसी ब्राँच आफिस के लेखों का आडिट कम्पनी के आडिटर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो कम्पनी का आडिटर उस ब्रान्च आफिस में जाने का अधिकारी होगा, यदि वह आडिटर के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन के लिये ऐसा करना आवश्यक समझता है, और वह ब्रान्च आफिस में रक्खे जाने वाली सभी पुस्तकों तथा लेखों तथा कंपनी के वाउचर्स् को देखने का अधिकारी होगा।

आडिटर की रिपोर्ट को कम्पनी के सामने जनरल मीटिंग में पढ़ा जाएगा तथा यह कम्पनी के किसी सदस्य द्वारा मुआइने के लिये उपलब्ध रहेगी। [धारा २३०]।

कम्पनी का आडिटर किसी जनरल मीटिंग में उपस्थित होने तथा कारोबार के किसी भाग पर मीटिंग में बोलने का अधिकारी होगा जिससे वह आडिटर के रूप में संबंधित है। [धारा २३१]।

आडिटर द्वारा ऐक्ट के उपबन्धों के अपालन के लिए दण्ड

(P nalty for no 1-complianc by Auditor of the provisions of the Act)—यदि ऐक्ट के उपबन्धों की समनुरूपता के अनुसार के अन्यथा कोई आडिटर की रिपोर्ट की जाती है, या कम्पनी का कोई दस्तावेज हस्ताक्षरित या प्रमाणीकृत किया जाता है, तो सम्बन्धित आडिटर तथा आडिटर के अतिरिक्त वह व्यक्ति यदि कोई है, जो रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है, यदि चूक कामतः (wilful) है, जुर्माने के द्वारा, जो १,००० रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जाएगा। यदि आडिटर जानता है कि लेखा असत्य है, और फिर भी वह उसे कामतः प्रमाणित करता है तो उसे दंडापराध (Criminal offence) के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। आडिटर के विरुद्ध धारा ५४३ के अन्तर्गत अपकरण (Misfesance) के सिलसिले में भी कार्यवाही की जा सकती है।

ऐक्ट में दिये गये कुछ प्रयोजनों के लिए के सिवाय आडिटर कम्पनी का अधिकारी नहीं होता।

कुछ मामलों मे विशेष लेखा-परीक्षा का निदेश देने की केन्द्रीय सरकार को शक्ति

(Power of Central Government to direct special audit in certain cases)—जहाँ केन्द्रीय सरकार

का यह मत हो कि (क) व्यापार का संचालन व्यापार के स्वस्थ सिद्धान्तों या विचारशील व्यापारिक आचारों के अनुसार नहीं किया जा रहा है; (ख) किसी कंपनी का प्रबन्ध इस ढंग से किया जा रहा है कि उससे संबन्धित व्यापार, उद्योग या कारोबार के हितों को गम्भीर क्षति या नुकसान होने की सम्भावना है; या (ग) कि किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति ऐसी है जो उसकी शोधक्षमता (solvency) के लिए खतरनाक हो सकती है, अर्थात् उसका दिवाला निकल सकता है, तो वह किसी भी समय आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जो आदेश में उल्लिखित हो, कंपनी के लेखों की जाँच की जाएगी तथा उसी आदेश या भिन्न आदेश द्वारा किसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट या स्वयं कंपनी के आडिटर की विशेष लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त कर सकती है। ऐसे आडिटर को "विशेष आडिटर" कहा जाएगा।

विशेष आडिटर को भी सामान्य आडिटर को प्राप्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी तथा उसके कर्तव्य भी वही होंगे, सिवाय इसके कि कंपनी के सदस्यों को अपनी रिपोर्ट देने के बजाय वह अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को देगा। इस रिपोर्ट में भी सामान्य आडिटर की रिपोर्ट में होने वाली बातें होंगी जो धारा २२७ के अन्तर्गत दी जाती हैं तथा, यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा निदेश देती है, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसको निदेशित किसी अन्य मामलों पर भी इस रिपोर्ट में विवरण शामिल किया जाएगा।

विशेष आडिटर की रिपोर्ट प्राप्त करने पर केन्द्रीय सरकार ऐक्ट या तत्समय लागू किसी अन्य कानून के उपबन्धों के अनुसार उस पर ऐसी आवश्यक कार्यवाही कर सकती है जो वह उचित समझे। यदि प्राप्ति के चार माह के भीतर केन्द्रीय सरकार ऐसी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं करती तो वह सरकार या तो रिपोर्ट की प्रतिलिपि या उसके उद्धरण को अपनी टिप्पणी सहित कंपनी को भेजते हुए यह अपेक्षित कर सकती है कि या तो वह उक्त प्रतिलिपि या उद्धरण को सदस्यों में परिचालित करे या उन्हें कंपनी की अगली जनरल मीटिङ्ग में पढ़वा दे।

विशेष लेखा परीक्षा के खर्च को, जिसमें विशेष आडिटर का पारिश्रमिक भी शामिल होगा, केन्द्रीय सरकार निर्धारित करेगी (जो निर्धारण अन्तिम होगा), तथा इसका भुगतान कंपनी द्वारा किया जायेगा तथा ऐसे भुगतान के चूक की सूरत में यह कंपनी से बतौर भूमि राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा। [धारा २३३-क)।

———

अध्याय १३

सूचनाएं प्राप्त करने की रजिस्ट्रार की शक्ति तथा कम्पनी के मामलों की जांच

[REGISTRAR'S POWER TO CALL FOR INFORMATION AND INVESTIGATION OF AFFAIRS OF THE COMPANY]

सूचनाएं प्राप्त करने की रजिस्ट्रार की शक्ति (Power of Registrar to call for information)—यदि ऐक्ट के अन्तर्गत कोई कागज रजिस्ट्रार के सामने पेश करना अपेक्षित है और ऐसे कागज के अवलोकन पर रजिस्ट्रार का यह मत है कि उस कागज से संबंधित कोई सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्त करना जरूरी है, तो वह लिखित आदेश द्वारा कंपनी से कह सकता है, कि वह ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे जो आदेश में उल्लिखित है। ऐसे आदेश की प्राप्ति पर कंपनी तथा उसके अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपेक्षित सूचना या स्पष्टीकरण अपनी शक्तिभर प्रस्तुत करें। (धारा २३४ (१))।

भारत में रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में यदि किसी विदेशी कंपनी का व्यापारिक कार्यालय है, तो ऐक्ट के अन्तर्गत उसके द्वारा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किये गये कागजात की सूरत में भी रजिस्ट्रार उक्त रूप से सूचनाएँ तथा अन्य विवरण प्राप्त कर सकता है।

यदि यथोल्लिखित अवधि के भीतर कोई सूचना या स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, या यदि दिया जाता है और रजिस्ट्रार के मत में यह प्रर्याप्त नहीं है, तो वह एक अन्य लिखित आदेश द्वारा कंपनी से कह सकता है कि वह ऐसी पुस्तकों तथा कागजात को उसके मुआइना के लिए उतनी अवधि के भीतर पेश करे जो आदेश में उल्लिखित हो; और इस आज्ञा का पालन करना कंपनी तथा उन सभी व्यक्तियों का जो उसके अधिकारी हैं, कर्तव्य होगा। (धारा २३४ (३ ए))।

रजिस्ट्रार द्वारा दरखास्त दिए जाने पर तथा कंपनी को सूचना देने के पश्चात् कोर्ट भी कंपनी को आदेश दे सकती है कि वह रजिस्ट्रार के समक्ष ऐसी पुस्तकों तथा कागजात को पेश करे जो कोर्ट के मतानुसार रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (१) में जिक्र किए गए प्रयोजनार्थ युक्तिसंगत रूप से अपेक्षित किए जा सकते हैं। (धारा २०४ (५))।

यदि उल्लिखित अवधि के भीतर ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत किया जाता, या ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण के अवलोकन से रजिस्ट्रार का यह मत हो कि कंपनी के कारोबार की स्थिति असन्तोषजनक है, तो वह मामले की परिस्थितियों की सूचना केन्द्रीय सरकार को लिख कर रिपोर्ट करेगा। (धारा २३४ (६))।

जब रजिस्ट्रार को किसी अंशदाता या ऋणदाता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो कंपनी के व्यापार में हितबद्ध हो, उसके समक्ष रक्खी गयी सामग्री से यह निरूपण (represent) किया जाय कि कंपनी अपने ऋणदाताओं या कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के प्रति कपटपूर्ण व्यवहार कर रही है, या अन्यथा कपटपूर्ण या अवैध प्रयोजनों के लिए व्यापार कर रही है, तो वह कंपनी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा कपनी से आदेश में उल्लिखित विषयों पर कोई सूचना या स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा कर सकता है। यदि जाँच के पश्चात् रजिस्ट्रार इस बात से सन्तुष्ट हो कि वह निरूपण जिसके आधार पर उसने उक्त कार्यवाही की थी तुच्छ तथा क्षोभकारी (frivolous and vexatious) थी, तो वह सूचना देने वाले का परिचय कपनी को प्रकट कर देगा। (धारा २३४ (७))।

रजिस्ट्रार द्वारा कागजात को कब्जे में लिया जाना (Seizure of documents by Registrar)—जहाँ रजिस्ट्रार के पास कोई सूचना हो या अन्यथा उसे यह विश्वास करने का युक्तिसंगत आधार हो कि किसी कम्पनी की या ऐसी कम्पनी से सम्बन्धित किसी मैनेजिङ्ग एजेन्ट, या सेक्रेट्रीज या ट्रेजरार्स या मैनेजिङ्ग डायरेक्टर या मैनेजर से सम्बन्धित पुस्तकों या कागजात को नष्ट, विकृत, परिवर्तित असत्य या गूढ़ित किया जा सकता है, तो रजिस्ट्रार क्षेत्राधिकार प्राप्त ट्रायब्यूनल या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या जैसी स्थिति हो प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट को ऐसी पुस्तकों तथा ऐसे कागजात को कब्जे में लिये जाने के आदेशार्थ दरखास्त दे सकता है, जो दरखास्त पर विचार करने तथा रजिस्ट्रार को सुनने के पश्चात्, यदि आवश्यक हो, आदेश द्वारा रजिस्ट्रार को प्राधिकृत कर सकता है कि वह—

(क) ऐसी सहायता के साथ जो अपेक्षित हो, उस स्थान या उन स्थानों में प्रवेश करे जहाँ ऐसी पुस्तकों तथा ऐसे कागजात को रक्खा गया है ;

(ख) उस स्थान या उन स्थानों की तलाशी, आदेश में उल्लिखित ढंग के अनुसार ले ; तथा

(ग) ऐसी पुस्तकों तथा ऐसे कागजात को कब्जे में ले, जिन्हें वह आवश्यक समझे। [धारा २३४ 'ए' (१ तथा २)]।

कब्जे में लिये गये कागजात तथा पुस्तकों को रजिस्ट्रार यथाशीघ्र लेकिन किसी भी सूरत में कब्जे में लिये जानेके तेरहवें दिन के बाद नहीं, कम्पनी को, या जैसी भी सूरत हो, मैनेजिंङ्ग एजेन्ट या सेक्रेट्रीज या ट्रेजरार्स या डायरेक्टर या मैनेजर या किसी अन्य व्यक्ति को लौटा देगा जिनकी अभिरक्षा में से उन्हें कब्जे में लिया गया था, तथा ट्रायब्यूनल या मजिस्ट्रेट की जैसी भी सूरत हो, वापसी की सूचना देगा। लेकिन ऐसी पुस्तकों तथा ऐसे कागजात को वापस करने से पहले रजिस्ट्रार उनको नकल या उनमें से उद्धरण ले सकता है, या उनके साथ अन्य प्रकार से संव्यवहार कर सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे। [धारा २३४ए (३)]।

कम्पनी के मामलों की तफतीश (Investigation of affairs of the company)—केन्द्रीय सरकार एक या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति, इन्सपेक्टर्स के रूप में, किसी कम्पनी के मामलात की तफतीश करने, तथा ऐसे ढंग से रिपोर्ट करने के लिए कर सकती है, जैसा कि केन्द्रीय सरकार निदेश दे :—

(क) शेयर कैपिटल वाली कम्पनी की सूरत में, कम से कम दो सौ सदस्यों की दरखास्त पर, या उसके कुल ऐसे सदस्यों की संख्या के कम से कम दसवें हिस्से की दरख्वास्त पर जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो ;

(ख) बिना शेयर कैपिटल वाली कम्पनी की सूरत में, कम्पनी के रजिस्टर में होने वाले सदस्यों के कम से कम पाँचवें हिस्से के व्यक्तियों की दरख्वास्त पर ;

(ग) धारा २३४ के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर, जो उसने कम्पनी के खिलाफ किया हो। (धारा २३५)।

धारा २३५ के खंड (क) या (ख) के अन्तर्गत कम्पनी के सदस्यों की दरख्वास्त यह प्रदर्शित करने वाले ऐसे साक्ष्य द्वारा समर्थित होगी कि आवेदकों के पास तफतीश अपेक्षित कराने के लिये समुचित कारण है। इन्सपेक्टर की नियुक्ति करने से पहिले केन्द्रीय सरकार आवेदकों से तफतीश के खर्च के भुगतान के लिये ऐसी राशि के प्रतिभूत देने की अपेक्षा करेगी जो १०,००० रु० से अधिक न होगी। (धारा २३६)।

यदि कम्पनी विशेष प्रस्ताव द्वारा या कोर्ट आदेश द्वारा यह घोषित करती है कि कम्पनी के मामलों की तफतीश केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त इन्सपेक्टर्स द्वारा होनी चाहिये, तो केन्द्रीय सरकार एक या अधिक व्यक्तियों को, कम्पनी के मामलों की तफतीश करने तथा उस पर अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करने के लिये इन्सपेक्टर्स के रूप में नियुक्त करने के लिये बद्ध है।

यदि केन्द्रीय सरकार के मतानुसार निम्नलिखित परिस्थितियाँ मौजूद हैं, तो केन्द्रीय सरकार इन्सपेक्टर्स को नियुक्त करने की इस शक्ति का प्रयोग कर सकती है :—

(१) कि कंपनी का व्यापार उसके ऋणदाताओं, सदस्यों या अन्य व्यक्तियों के साथ कपट करने के आशय से सञ्चालित किया जा रहा है, या अन्यथा किसी कपटपूर्ण या अवैध प्रयोजन के लिए, या सदस्यों के प्रति पीड़ाजनक ढङ्ग से सञ्चालित किया जा रहा है, या कि कंपनी की स्थापना किसी कपटपूर्ण या अवैध प्रयोजन के लिये की गई थी ; या

(२) कि कंपनी की स्थापना या उसके मामलों के प्रबन्ध से सम्बद्ध व्यक्तिगण कपट, अपकरण या अन्य कदाचार के लिये कंपनी या किन्हीं सदस्यों के प्रति दोषी हैं ; या

(३) कि कंपनी के सदस्यों को कंपनी के मामलों के सिलसिले में सभी सूचनाओं से अवगत नहीं कराया गया है जिनकी आशा वे युक्तिसंगत रूप से कर सकते थे, जिनमें कंपनी किसी मैनेजिंग डायरेक्टर या अन्य डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटीज तथा ट्रेजरार्स या मैनेजर को देय कमीशन की गणना एजेन्ट से सम्बद्ध सूचना शामिल है। (धारा २३७)।

किसी फर्म, निगम निकाय या अन्य संस्था को इन्सपेक्टर के रूप में नहीं नियुक्त किया जायेगा। (धारा २३८)।

सम्बन्धित कम्पनियों के मामलों की तफतीश करने की इन्सपेक्टर्स की शक्ति (Power of Inspectors to investigate into affairs of related Companies)—इस प्रकार नियुक्त किये गये इन्सपेक्टर्स को सम्बन्धित कंपनियों या मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स या इनसे सम्बद्ध व्यक्ति के मामलों की तफतीश करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। इस शक्ति के दुरुपयोग की सम्भावना को रोकने के लिये यह उपबन्ध किया गया है कि इस शक्ति का प्रयोग किये जाने से पहिले केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी है। केन्द्रीय सरकार अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व, निगम निकाय या व्यक्ति को इस बात का कारण दिखाने के लिये युक्तिसंगत अवसर प्रदान करेगी कि ऐसा अनुमोदन क्यों न प्रदान किया जाय। (धारा २३९)।

कागजात तथा साक्ष्य की पेशी (Production of documents and evidence)—कंपनी के सभी अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों तथा एजेन्टों का यह कर्तव्य होगा कि वे कंपनी या मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स

की सभी पुस्तकों तथा कागजात को जो उनकी शक्ति या कब्जे के अधीन है पेश करें। वे अन्यथा जहाँ तक वे युक्तिसंगत रूप से दे सकने में समर्थ हैं तफतीश के सम्बन्ध में सभी सहायता प्रदान करेंगे। [धारा २४० (१)]।

इन्सपेक्टर, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन सहित, किसी निगम निकाय से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह कोई सूचना, उसे या किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके द्वारा इस दिशा में प्राधिकृत किया गया हो, दे, या उसके समक्ष या उक्त व्यक्ति के समक्ष ऐसी पुस्तकें तथा कागजात पेश करे जैसा वह आवश्यक समझे, यदि ऐसी सूचना दी जानी या ऐसी पुस्तकें तथा कागजात का पेश किया जाना उसकी जाँच के प्रयोजनों के लिये सुसंगत है। [धारा २४० (१-ए)]।

पुस्तकों तथा कागजात को इन्सपेक्टर अपने कब्जे में छः माह तक रख सकता है, और उसके बाद जिनसे उसने उन्हें लिया है उनको वापस कर देगा, लेकिन यदि उसे इनकी फिर जरूरत पड़ती है तो वह फिर उसकी मांग कर सकता है।

इन्सपेक्टर (क) किसी व्यक्ति का, जिसका हवाला उपधारा (१) में आया है, तथा (ख) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कंपनी के मामलों से सम्बद्ध किसी व्यक्ति, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स या साथी का, हलफ पर बयान ले सकता है, तथा तदनुसार उन्हें हलफ दिला सकता है तथा इस प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति से स्वयं उसके समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा कर सकता है। (धारा २४०) (२)]।

उपधारा (२) के अन्तर्गत लिए गए बयान को कलमबन्द करके ब्यान देने वाले व्यक्ति को उसे सुना दिया जायेगा या उसे पढ़ा दिया जाएगा तथा उस पर उसका हस्ताक्षर करा दिया जाएगा और फिर ऐसे बयान को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। [धारा २४० (५)]।

इन्सपेक्टर द्वारा कागजात को कब्जे में लिया जाना

(Seizure of documents by Inspector)—जहाँ तफतीश के दौरान में इन्सपेक्टर को यह विश्वास करने का युक्तिसंगत आधार हो कि किसी कंपनी की या ऐसी कंपनी से संबंधित किसी मैनेजिङ्ग एजेन्ट या सेक्रट्रीज तथा ट्रेजरार्स या मैनेजिङ्ग डायरेक्टर के किसी सहयोगी से संबन्धित पुस्तकों या कागजात को नष्ट, विकृत, परिवर्तित, असत्य या गूढ़ित किया जा सकता है, तो इन्सपेटर क्षेत्राधिकार प्राप्त ट्रायब्यूनल या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या, जैसी स्थिति हो, प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट को ऐसी पुस्तकों तथा ऐसे कागजात को कब्जे में लिए जाने के आदेशार्थ आवेदन पत्र दे सकता है।

आवेदन-पत्र पर विचार करने तथा, यदि आवश्यक हो, इन्सपेक्टर को सुनने के पश्चात्, ट्रायब्यूनल या मजिस्ट्रेट, जैसी सूरत हो, आदेश द्वारा इन्सपेक्टर को प्राधिकृत कर सकता है कि वह—

(क) ऐसी सहायता के साथ जो अपेक्षित हो, उस स्थान या उन स्थानों में प्रवेश करें जहाँ ऐसी पुस्तकों तथा ऐसे कागजात को रक्खा गया है;

(ख) उस स्थान या उन स्थानों की तलाशी, आदेश में उल्लिखित ढंग के अनुसार ले; तथा

(ग) ऐसी पुस्तकों तथा ऐसे कागजात को कब्जे में ले जिन्हें वह तफतीश के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे।

कब्जे में लिये गये कागजात को वह अपनी अभिरक्षा में ऐसी अवधि तक, जो तफतीश की समाप्ति से अधिक न होगी, रख सकता है जो वह आवश्यक समझे तथा इसके बाद वह उन्हें कम्पनी को या मैनेजिंग एजेन्ट, या सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स या ऐसे मैनेजिङ्ग एजेन्ट या सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स के सहयोगियों या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर या किसी अन्य व्यक्ति को वापस कर देगा, जिनके कब्जे या शक्ति से उन्हें लिया गया था, तथा इस वापसी की सूचना ट्रायब्यूनल या मजिस्ट्रेट को, जैसी सूरत हो, दे देगा, बशर्ते कि ऐसी पुस्तकों तथा ऐसे कागजात को वापस करने से पूर्व इन्सपेक्टर उन पर या उनके किसी भाग पर कोई पहचान का निशान लगा सकता है। (धारा २४०)।

इन्सपेक्टर की रिपोर्ट (Inspector's report)—यदि केन्द्रीय सरकार ने उसे ऐसा निदेश दिया है, इन्सपेक्टर सरकार को अन्तरिम रिपोर्ट प्रेषित करेगा, तथा तफतीश की समाप्ति पर केन्द्रीय सरकार को अन्तिम (Final) रिपोर्ट प्रेषित करेगा, जो उसकी एक प्रति (अन्तरिम रिपोर्ट के अन्यथा) कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय को तथा किसी निगम निकाय, मैनेजिङ्ग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स या सहयोगी को प्रेषित कर देगी। कम्पनी के किसी सदस्य को भी इसके प्रति अनुरोध तथा निर्धारित फीस के भुगतान पर प्रदान की जा सकती है। (धारा २४१)

अभियोजन (Prosecution)—इन्सपेक्टर की रिपोर्ट पर केन्द्रीय सरकार चूक करने तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शुरू कर सकती है। [धारा २४२]।

न्यायोचित तथा साम्यपूर्ण आधारों पर केन्द्रीय सरकार कम्पनी के समापन के लिये भी दरख्वास्त दे सकती है। (धारा २४३)।

क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए कार्यवाही (Proceedings for recovery of damages)—कम्पनी या निगम निकाय के प्रमोशन, उसकी रचना या उसके मामलों के प्रबन्ध के सिलसिले में किसी कपट, अपकरण या अन्य कदाचार के लिये या ऐसी कम्पनी या निगम निकाय की किसी ऐसी सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण (recovery) के लिये जिसका दुरुपयोग किया गया है या जिसे दोषपूर्ण ढंग से रोका रक्खा गया है, क्षतिपूर्ति (Damages) प्रत्यद्धृत करने के लिये केन्द्रीय सरकार कार्यवाही शुरू कर सकती है। [धारा २४४]।

जांच का व्यय (Expenses of Investigation)—केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए इन्सपेक्टर द्वारा की जाने वाली जाँच का तथा प्रासंगिक व्यय प्रथमतः केन्द्रीय सरकार द्वारा देय होगा, लेकिन केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति सिद्धदोष (Convicted) व्यक्ति, किसी कम्पनी या निगम निकाय से करेगी जिसके नाम में कार्यवाही की जाती है तथा जब तक, जांच के परिणामस्वरूप धारा २४२ के अनुसार कोई अभियोजन संस्थित (institute) नहीं किया जाय, कोई कम्पनी, निगम निकाय, मैनेजिङ्ग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स, सहयोगी, मैनेजिङ्ग डायरेक्टर या मैनेजर जिनके विषय में इन्सपेक्टर की रिपोर्ट में कहा गया है, सम्पूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार को करने के लिए उत्तरदायी होंगे, तथा जाँच के आवेदकगण, जहाँ इन्सपेक्टर की नियुक्ति धारा २३५ के अन्तर्गत की गई थी, उस सीमा तक उत्तरदायी होंगे, यदि कोई, जैसा कि केन्द्रीय सरकार निदेश दे। [धारा २४५]।

इन्सपेक्टर की रिपोर्ट का साक्ष्य महत्व (Evidentiary Value of the Inspector's Report)—इन्सपेक्टर या इन्सपेक्ट्रों को रिपोर्ट की प्रतिलिपि किसी कानूनी कार्यवाही में, रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट किसी मामले पर इन्सपेक्टर या इन्सपेक्ट्रों के मत के साक्ष्य के रूप में, ग्राह्य होगी। [धारा २४५]।

कम्पनी के स्वामित्व की जांच (Investigation of ownership of Company)—धारा २४७ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को किसी कम्पनी की सदस्यता तथा इससे संबंधित अन्य विषयों पर जांच करने तथा रिपोर्ट देने के लिए एक या अधिक इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति करने की शक्ति यह निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए प्राप्त है कि वास्तव में वे व्यक्ति कौन हैं (क) जो कम्पनी की सफलता या असफलता में, वास्तविक रूप से चाहे आभासात्मक रूप से, आर्थिक दृष्टि से हितबद्ध हैं, या (ख) जो कम्पनी की नीति को नियन्त्रित या सारतः प्रभावित करने में समर्थ हो सके हैं। ऐसी जांच केन्द्रीय सरकार की ओर से होती है न कि किसी

सदस्य या ऋणदाता या अन्य व्यक्ति की ओर से। केन्द्रीय सरकार इस प्रकार नियुक्त किए गए किसी इन्सपेक्टर की रिपोर्ट की प्रतिलिपि किसी कम्पनी या अन्य व्यक्ति को देने के लिए बद्ध नहीं होगी यदि उसका मत यह हो कि रिपोर्ट या उसके किसी भाग में दी हुई बातों को न खोलने के लिए पर्याप्त कारण हैं। ऐसी जाँच का व्यय, पार्लियामेन्ट द्वारा प्राविधान की गयी धनराशि में से केन्द्रीय सरकार द्वारा देय होगा। [धारा २४७]।

उपरोक्त उपबन्ध का उद्देश्य उस पर्दे को हटाना है जिसके पीछे वास्तविक स्वामी, कानून के काठिन्य का मुकाबला करने वाले बेनामीदारो के मत्थे, उपक्रम (Venture) के फलों का रसास्वादन करते हैं।

कम्पनी में हित धारण करने वाले व्यक्तियों के विषय में सूचना (Information regarding persons having an interest in Company)—धारा २४८ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी सम्बद्ध व्यक्ति से किसी कम्पनी के शेयर्स या डिबेन्चर्स में वर्तमान तथा भूतपूर्व हितों तथा हितबद्ध व्यक्तियों तथा शेयर्स या डिबेन्चर्स के संबंध में ऐसे व्यक्तियों की ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा जिन्होंने कार्य किया हो उनके नाम तथा पतों की सूचना देने की अपेक्षा कर सकती है। यह शक्ति केन्द्रीय सरकार को किसी कम्पनी के शेयर्स तथा डिबेन्चर्स के स्वामित्व की जाँच करने के विचार से दी गई है तथा जहाँ इस प्रयोजन के लिए इन्सपेक्टर नियुक्त करना अनावश्यक हो। (धारा २४८)।

केन्द्रीय सरकार, इन्सपेक्टर की नियुक्ति करके, इस बात की भी जाँच कर सकती है कि कोई निगम निकाय, फर्म या व्यक्ति किसी कम्पनी के मैनेजिङ्ग एजेन्ट, या सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स का साथी है अथवा नहीं। (धारा २४६)।

शेयर्स या डिबेन्चर्स पर कुछ निर्बन्धन लागू किया जाना (Imposition of restrictions on shares or debentures)—धारा २५० के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को ऐसे शेयर्स या डिबेन्चर्स पर कड़े निर्बन्धन लागू करने की विस्तृत शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिनके विषय में जाँच के दौरान में सम्बद्ध व्यक्तियों की अनिच्छुकता के कारण सुसगत तथ्यों का पता नहीं चल पाया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किए जा सकने वाले निर्बन्धन निम्न प्रकार हैं :—

(क) उक्त शेयर्स का कोई हस्तांतरण शून्य होगा;

(ख) जहाँ उक्त शेयर्स को जारी किया जाना है, वे नहीं जारी किए जायेंगे; तथा उनका जारी किया जाना या उनके सिलसिले में जारी किये जाने वाले अधिकार का हस्तांतरण शून्य होगा; तथा

(ग) उक्त शेयर्स के सिलसिले में कोई मताधिकार इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा;

(घ) उक्त शेयर्स के अधिकार में या उनके धारकों को की गई किसी पेशकश के उपलक्ष में अधिक शेयर्स नहीं जारी किए जायेंगे; तथा ऐसे शेयर्स का जारी किया जाना, या उनके सिलसिले में जारी किए जाने वाले अधिकार का हस्तांतरण शून्य होगा; तथा

(ङ) सिवाय परिसमापन की सूरत के, उक्त शेयर्स पर कम्पनी द्वारा देय किसी धनराशि का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, चाहे डिविडेन्ट, कैपिटल या अन्यथा के सिलसिले में ।

अध्याय १४

डायरेक्टर्स

(DIRECTORS)

(धाराएँ २५२—३२३)

डायरेक्टर कौन है (Who is a director)—डायरेक्टर में कोई भी वह व्यक्ति शामिल है जो डायरेक्टर की स्थिति धारण करता है, भले ही उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय। [धारा २ (१३)] कम्पनी या निगम के मामलों के प्रबन्ध के लिए नियुक्त व्यक्तियों के निकाय में से यह एक होता है। व्यक्तियों के इस निकाय को सामूहिक रूप से बोर्ड या बोर्ड आफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। ये वे व्यक्ति होते हैं जिनमें कम्पनी के व्यापार का प्रबंध, संविदा करने की शक्ति तथा कम्पनी की सम्पत्ति की सुरक्षा का भार निहित होता है। ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी में प्रत्येक शेयर होल्डर कम्पनी के वास्तविक प्रबंध में भाग नहीं ले सकता। यह कार्य व्यक्तियों के एक छोटे से निकाय को सुपुर्द कर दिया गया है जिन्हें डायरेक्टर्स कहा जाता है, और नीति संबंधी महत्वपूर्ण मामले ही केवल शेयरहोल्डर्स को सामयिक जनरल मीटिङ्गों में निर्णयार्थ प्रतिप्रेषित किए जाते हैं।

"डायरेक्टर" की उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट नहीं होता कि इस निबंधन के अन्तर्गत किसी वर्ग के व्यक्ति आते हैं। किसी व्यक्ति को केवल इसलिए "डायरेक्टर" नहीं कहा जाएगा कि उसका पदनाम ऐसा है, बल्कि उसके पद की प्रकृति तथा जिन कर्तव्यों का वह पालन करता है इन बातों से निर्धारित होता है कि वह डायरेक्टर है अथवा नहीं। इस प्रकार, न केवल विभिन्न पद नाम वाले व्यक्तियों को बतौर डायरेक्टर माना जा सकता है बल्कि इसके अलावा उन व्यक्तियों को भी बतौर डायरेक्टर माना जा सकता है यदि उनकी स्थिति से ऐसा नाम आवश्यक प्रतीत हो। धारा ३०३ की उपधारा (१) की व्याख्या के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, जिसके अनुदेशों के अनुसार, किसी कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर कार्य करने के अभ्यस्त हों, कम्पनी का डायरेक्टर समझा जाएगा।

जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, प्रत्येक कम्पनी के डायरेक्टर्स होने चाहिए—लोक कम्पनी। ऐसी लोक कम्पनी के अलावा जिसने धारा ४३-ए के अन्तर्गत यह रूप धारण किया है के कम से कम तीन डायरेक्टर्स होने चाहिए, तथा प्रत्येक अन्य कम्पनी के कम से कम दो डायरेक्टर्स होने चाहिए। (धारा २५२)।

डायरेक्टर्स की स्थिति (Position of directors)—ऐसा प्रतीत होता है कि डायरेक्टर्स की वास्तविक स्थिति कम्पनी के एजेन्ट जैसी होती है जिन्हें आर्टिक्ल्स द्वारा निर्धारित निर्बन्धनों के अधीन कम्पनी के समस्त व्यापार के संचालन की शक्ति प्राप्त रहती है तथा यही उनका कर्तव्य भी होता है। वे निःसंदेह शेयरहोल्डर्स के एजेन्ट नहीं होते, बल्कि उन्हें प्रबन्धक भागीदार कहा गया है, जिन्हें शेयरहोल्डर्स के बीच पारस्परिक सहमति द्वारा इस पद पर नियुक्त किया गया होता है।

Jessel M.R. ने In re. Forest of Dian Coal Mining Co. [L. R. 10 Ch. D. 450] में इन्हें व्यापारिक संस्था का मैनेजिंग पार्टनर कहते हुए कहा है कि

"it does not matter what you can call them so long as you understand what their true position is, which is that they are really commercial men managing a trading concern for the benefit of themselves and other shareholders in it."

इस अर्थ में कि डायरेक्टर्स कंपनी के एजेन्ट होते हैं, वे की गई संविदाओं के लिए स्वयं उत्तरदायी नहीं होते जब तक कि उन्होंने स्वयं अपने नाम में संविदा को न किया हो। डायरेक्टर कभी अपने लिए संविदा नहीं करता, बल्कि अपने प्रिंसपल के लिए करता है, अर्थात् कम्पनी के लिए जिसका वह डायरेक्टर होता है तथा जिसके लिए वह कार्य करता है। वह ऐसी संविदाओं के आधार पर वाद नहीं ला सकता और न ही उसके खिलाफ वाद लाया जा सकता है, जब तक उसने अपने प्राधिकार से अधिक कार्य न किया हो।

यदि वे कोई ऐसी संविदा भी करते हैं जो शक्ति के परे (ultra vires) हो और जिससे कंपनी बद्ध नहीं होती है, तो वे सिवाय प्रलक्षित प्रत्याभूति के आधार पर अपने को उत्तरदायी नहीं बना लेते।

डायरेक्टर्स को कंपनी का न्यासधारी भी कहा गया है। वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका चयन शेयरहोल्डर्स के फायदे के लिए कंपनी के मामलों का प्रबन्ध करने के लिए किया गया होता है। यह एक न्यास का पद होता है, जिसका, यदि वे उसे ग्रहण करते हैं, पूर्ण रूप से पालन करना उनका कर्तव्य होता है।

डायरेक्टर्स कम्पनी के लिए न्यासधारी होते हैं, न कि किसी शेयरहोल्डर का। न ही वे किसी अन्य व्यक्ति के न्यासधारी होते हैं जिन्होंने कम्पनी के साथ कोई संविदा की हो।

लेकिन वे शेयरों के हस्तांतरण, उनकी निकासी, तथा एलाटमेन्ट तथा माँग (Call) करने के सिलसिले में अपने शक्ति के प्रति कंपनी के न्यासधारी होते हैं।

निबन्धन "न्यासधारी" के पूर्ण अर्थानुसार डायरेक्टर्स निःसंदेह न्यासधारी नहीं होते। डायरेक्टर का पद दत्त स्वामी (paid owner) के समान होता है, केवल उन्हीं कुछ व्यक्तियों को लेखा देने के साम्यपूर्ण आभार के अधीन जो न्यासधारी के संबंध में उसके न्यास का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी व्यक्ति होते हैं। न्यासधारी तथा डायरेक्टर के बीच विभेद को पहिले ही बताया जा चुका है और इसे यहाँ दोहराना जरूरी नहीं है। संक्षेप में डायरेक्टर्स की पूरी स्थिति को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है :—

"Directors are described as trustees, agents or managing partners, not as exhausting their powers or responsibilities, but as indicating useful points of view."

डायरेक्टर्स की नियुक्ति (Appointment of directors) मेमोरेन्डम को सब्सक्राईब करने वाले व्यक्तियों को ही, जब तक डायरेक्टर्स की यथाविधि नियुक्ति नहीं हो जाती, कम्पनी का डायरेक्टर समझा जाता है।

किसी व्यक्ति की कंपनी के डायरेक्टर के रूप में तब तक नियुक्ति नहीं की जा सकती जब तक कि आर्टिक्ल्स की रजिस्ट्री या मेमोरेन्डम के प्रकाशन से पूर्व उसने (१) अपने सोपाधिता शेयरों (qualification shares) के लिए मेमोरेन्डम पर हस्ताक्षर न कर दिया हो; (२) कम्पनी से अपने सोपाधिता शेयरों को ले न लिया हो तथा उसका भुगतान कर दिया हो या करने के लिए सहमत हुआ हो; (३) अपने सोपाधिता शेयरों को कम्पनी से लेने के लिए लिखित अंडरटेकिंग रजिस्ट्रार को न दे दिया हो; या (४) शपथ पत्र के रूप में रजिस्ट्रार के सामने परिनियत घोषणा न दाखिल कर दिया हो कि उसके सोपाधिता शेयर उसके नाम में रजिस्टर्ड हैं।

जब तक कि आर्टिक्ल्स में इस बात का उपबन्ध न हो कि प्रत्येक सालाना जनरल मीटिङ्ग में सभी डायरेक्टर्स को रिटायर कर दिया जाएगा, लोक कम्पनी या उसकी सहायक प्राइवेट कम्पनी के कुल डायरेक्टर्स में से दो-तिहाई वे व्यक्ति होंगे। जो रोटेशन से रिटायर होंगे। ऐसी कम्पनी के शेष डायरेक्टर्स, तथा सामान्य रूप से किसी कम्पनी के प्राइवेट डायरेक्टर्स जो किसी लोक कम्पनी की सहायक कम्पनी नहीं हैं, कम्पनी के आर्टिक्ल्स में किसी विनियम के अभाव में तथा अधीन, की नियुक्ति भी जनरल मीटिङ्ग में कम्पनी द्वारा की जाएगी। (धारा २५५)।

किसी कम्पनी, संस्था या फर्म को किसी कम्पनी के डायरेक्टर के रूप में नहीं नियुक्त किया जाएगा, केवल किसी व्यक्ति को ही डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। (धारा २५३)।

किसी लोक कम्पनी या प्राइवेट कम्पनी, जो लोक कम्पनी की सहायक है, के प्रथम सालाना जनरल मीटिङ्ग में जो इस जनरल मीटिङ्ग की तारीख के बाद हो जिसमें धारा २५५ के उपबन्धों के अनुसार प्रथम डायरेक्टर्स नियुक्त किए जाते हैं तथा प्रत्येक बाद में होने वाली जनरल मीटिङ्ग में तत्समय डायरेक्टर्स में से एक-तिहाई जो रोटेशन द्वारा रिटायर होने वाले हैं अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। प्रत्येक जनरल मीटिङ्ग में रोटेशन से रिटायर करने वाले डायरेक्टर्स वे होंगे जो अपनी अन्तिम नियुक्ति की समय से अधिकतम अवधि तक पद को धारण किए हुए होगें। किसी जनरल मीटिङ्ग में जिसमें कोई डायरेक्टर रिटायर होता है, कम्पनी रिक्त स्थानी पर रिटायर करने वाले डायरेक्टर को या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकत है। (धारा २५६)।

कोई ऐसा व्यक्ति जो रिटायर करने वाला डायरेक्टर नहीं हैं, ऐक्ट के उपबन्धों के अधीन, किसी जनरल मीटिङ्ग में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, यदि उसने या उसकी नियुक्ति को प्रस्तावित करने वाले किसी सदस्य ने मीटिङ्ग से कम से कम १४ दिन पहिले कम्पनी के कार्यालय में स्वलिखित सूचना इस बात की दे दी हो कि वह डायरेक्टर के पद के लिए कैन्डीडेट है या कि वह उसे डायरेक्टर के पद की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करेगा। कम्पनी अपने सदस्यों को इसकी सूचना भेजेगी, प्रत्येक मेम्बर पर नोटिस तामील करके या कम से कम दो समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर। इनमें से एक विज्ञापन अंग्रेजी भाषा में होगा तथा एक स्थानीय भाषा में होगी। यह सब कुछ कम से कम मीटिङ्ग के सात रोज पूर्व किया जाएगा। (धारा २५७)।

मैनेजिङ्ग एजेन्ट के नामित व्यक्तियों द्वारा बोर्ड को परेशान किये जाने से बचाने के लिये, जहाँ मैनेजिङ्ग एजेन्ट आर्टिक्ल्स द्वारा डायरेक्टर की नियुक्ति करने के लिये प्राधिकृत हैं, चुने हुए डायरेक्टर्स के दो-तिहायी कोटे में भी जो रोटेशन से रिटायर होते हैं, यह प्राविधान किया गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति कम्पनी के डायरेक्टर के रूप में, जिसके पद की अवधि रोटेशन द्वारा डायरेक्टर्स के रिटायरमेन्ट द्वारा समाप्त होने वाली हो या धारा २६२ के अन्तर्गत किसी डायरेक्टर के पद की आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये धारा २६० के अन्तर्गत बतौर अतिरिक्त डायरेक्टर, या धारा ३१३ के अन्तर्गत बतौर वैकल्पिक डायरेक्टर, नहीं नियुक्त

किया जाएगा, सिवाय कम्पनी द्वारा पारित किये गए विशेष प्रस्ताव द्वारा, जिसके लिये उन कारणों की सूचना दी जाएगी जिनके कारण प्रस्ताव आवश्यक है :—

(क) कम्पनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी या कोई व्यक्ति जो कम्पनी या उसके किसी सहायक में कोई पद या स्थान या फायदा धारण करता है, सिवाय उनके जो धारा ३१४ द्वारा विमुक्त है जैसे मैनेजिङ्ग डायरेक्टर, मैनेजिङ्ग एजेन्ट, कानूनी का प्राविधिक सलाहकार, बैंकर या कम्पनी के डिबेन्चर्स के धारकों के न्यासधारी ;

(ख) कम्पनी के अन्तर्गत किसी फायदे का पद धारण करने वाली फर्म का कोई भागीदार या कर्मचारी ;

(ग) कम्पनी के अन्तर्गत कोई पद या फायदे का स्थान धारण करने वाली प्राइवेट कम्पनी का कोई सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी ;

(घ) ऐसे फायदे का पद धारण करने वाली किसी निगम निकाय का कोई अधिकारी या कर्मचारी ;

(ङ) कोई ऐसा व्यक्ति जो, किसी करार के अनुसार, मैनेजिङ्ग एजेंट द्वारा प्राप्त किये गये पारिश्रमिक में कोई शेयर या उसमें से कोई धनराशि प्राप्त करने का हकदार है ;

(च) मैनेजिङ्ग एजेंट का कोई सहयोगी, या अधिकारी या कर्मचारी ; या

(छ) किसी निगम निकाय का कोई अधिकारी या कर्मचारी या उसी मैनेजिङ्ग एजेंट या ऐसी निगम निकाय की किसी सहायक के प्रबंध के अधीन कोई पद या फायदे का स्थान धारण करने वाला अधिकारी या कर्मचारी। [धारा २६१]।

लेकिन, धारा ३७७ के अनुसार, यदि आर्टिक्ल्स ऐसा प्राविधान करते हैं, मैनेजिंङ्ग एजेंट अधिक से अधिक दो डायरेक्टर्स की कुल संख्या पाँच से अधिक हो, तथा एक डायरेक्टर, जहाँ कुल संख्या पाँच से अधिक नहीं है, नियुक्त कर सकते हैं।

डायरेक्टर्स की नियुक्ति कम्पनी की जनरल मीटिंग में सदस्यगण एक साधारण प्रस्ताव द्वारा करते हैं, सिवाय उस सूरत के जब विशेष प्रस्ताव का प्राविधान हो। प्रत्येक डायरेक्टर की नियुक्ति के लिये एक अलग प्रस्ताव होना चाहिए तथा उस पर अलग वोटिङ्ग होनी चाहिए, यदि कोई अन्य कैंडीडेट न हो तब भी। एक ही प्रस्ताव से दो या अधिक डायरेक्टर्स की नियुक्ति नहीं की जा सकती। ऐसा तभी किया जा सकता है जब कि ऐसा किए जाने के लिये जनरल मीटिङ्ग में प्रस्ताव द्वारा सहमति हुई हो और इसके खिलाफ कोई वोट न दिया गया हो। (धारा २६३)

यदि कोई कम्पनी फायदे के लिए कारोबार नहीं करती है तथा अपने सदस्यों को डिविडेंड का भुगतान वर्जित करती है, तो प्रत्येक जनरल मीटिङ्ग में अपने सभी डायरेक्टर्स का चुनाव शलाका पेटी (Ballot) द्वारा करने के लिए आर्टिक्ल्स में किए गए उपबंध पर २६३ या धाराएँ १७७, २५५ तथा २५६ की किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा [धारा २६३ ए] ।

डायरेक्टर्स में होने वाली आकस्मिक रिक्तियाँ, कम्पनी के आर्टिक्ल्स में किसी विनियम के अभाव में या उनके अधीन, बोर्ड की मीटिङ्ग में बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा भरी जा सकती है । (धारा २६२) ।

कम से कम तीन महीने की अवधि तक किसी मूल डायरेक्टर की गैरहाजिरी की सूरत में, बोर्ड आफ डायरेक्टर्स, यदि आर्टिक्ल्स द्वारा यह प्राधिकृत किया गया है, या जनरल मीटिंग में पास किये गये विशेष प्रस्ताव द्वारा, उसके स्थान पर कार्य करने के लिये डायरेक्टर की नियुक्ति की जा सकती है । (धारा ३१३)

यदि कम्पनी के कम से कम २०० सदस्य या कम्पनी के समस्त वोटिंग पावर के कम से कम दसमांश सदस्य आवेदन-पत्र देते हैं, और यदि जाँच करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझती है कि कम्पनी के कार्य-संचालन को उनके सदस्यों के प्रति पीड़ात्मक ढंग से या ऐसे ढंग से किये जाने को, जो कम्पनी के हितों के प्रतिकूल है, रोकने के लिये नियुक्ति की जानी चाहिये, तो कम्पनी के सदस्यों में से अधिक से अधिक दो व्यक्तियों को, किसी भी एक अवसर पर, अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि तक के लिये बतौर डायरेक्टर्स नियुक्ति कर सकती है। (धारा ४०८) ।

किसी लोक कम्पनी या प्राइवेट कम्पनी, जो किसी लोक कम्पनी की सहायक है, के डायरेक्टर्स की संख्या में वृद्धि के लिये केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है; और यदि केन्द्रीय सरकार अनुमोदन नहीं प्रदान करती तो यह वृद्धि शून्य हो जाएगी । लेकिन, जहाँ उसके आर्टिक्ल्स के अन्तर्गत अनुज्ञेय अधिकतम १२ या १२ से कम है तो केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा । यदि डायरेक्टर्स की संख्या में वृद्धि से उसके डायरेक्टर्स की कुल संख्या १२ या (१६६५ के ऐक्ट संख्या ३१ द्वारा जोड़ा गया) से अधिक नहीं होती । [धारा २५६] ।

डायरेक्टर के पद के लिये कैन्डीडेट की लिखित सहमति (उस व्यक्ति के अतिरिक्त जिसने कम्पनी के कार्यालय को छोड़ दिया है) जिसमें डायरेक्टर के पद के लिये उसकी उम्मेदवारी प्रदर्शित होगी, रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल की जायेगी । रोटेशन द्वारा रिटायर होने के पश्चात् या अपने पद की अवधि की समाप्ति पर

तुरन्त पुनर्नियुक्त किये गये डायरेक्टर के अतिरिक्त कोई व्यक्ति या कोई अतिरिक्त या वैकल्पिक डायरेक्टर, या किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति या शुरू में रजिस्टर्ड किये गये कम्पनी के आर्टिक्ल्स में बतौर डायरेक्टर नामित व्यक्ति, कम्पनी के डायरेक्टर के रूप में कार्य नहीं करेगा जब तक कि उसने अपनी नियुक्ति के ३० दिन के भीतर ऐसे डायरेक्टर के रूप में कार्य करने की अपनी लिखित सहमति पर हस्ताक्षर करके उसे रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल न कर दिया हो। यह उपबन्ध किसी प्राइवेट कम्पनी को नहीं लागू होगा, जब तक कि वह किसी लोक कम्पनी की सहायक कम्पनी न हो। (धारा २६४)।

कोई लोक कम्पनी अपने आर्टिक्ल्स द्वारा अपने कम से कम दो तिहाई डायरेक्टर्स की नियुक्ति आनुपातिक प्रतिनिधित्व (proportional representation) द्वारा किये जाने का प्राविधान कर सकती है। (धारा २६५)। केन्द्रीय सरकार को यह निदेश देने की शक्ति प्राप्त है कि कुप्रबन्ध तथा पीड़न (oppression) को रोकने के लिये आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चयन को ग्रहण किया जाय। (धारा ४०८)। यह प्रणाली प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये अपनाई गई है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार चुने गये डायरेक्टर्स को धारा २८४ के उपबन्ध के अन्तर्गत नहीं हटाया जा सकता, जिसका उल्लेख आगे किया गया है।

मैनेजिंग डायरेक्टर—लोक कम्पनी की सूरत में मैनेजिंग या पूर्णकालिक डायरेक्टर की नियुक्ति, जो वर्तमान कम्पनी की सूरत में ऐक्ट के लागू होने के बाद पहली बार, तथा किसी अन्य कम्पनी की सूरत में उसके शुरू होने की तारीख से तीन माह की समाप्ति पर, की जाती है, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जानी होती है। (धारा २६९)।

मैनेजिङ्ग या पूर्णकालिक डायरेक्टर, या रोटेशन द्वारा न रिटायर होने वाले डायरेक्टर, की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति से संबन्धित उपबन्धों में कोई संशोधन, जो कम्पनी के मेमोरेन्डम या आर्टिक्ल्स या कम्पनी द्वारा की गई किसी संविदा या क़रार या कम्पनी या उसके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा पारित किये गये विशेष प्रस्ताव में हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये। (धारा २६८)।

ऐक्ट के लागू होने के बाद, कोई कम्पनी किसी व्यक्ति को मैनेजिङ्ग या पूर्णकालिक डायरेक्टर के रूप में नियुक्त या सेवायुक्त, या उसकी नियुक्ति या सेवायुक्ति को जारी, नहीं करेगी—

(क) जो एक अनुमुक्त दिवालिया (undischarged insolvent) है, या जिसे किसी समय दिवालिया घोषित किया गया है,

(ख) जो अपने ऋणदाताओं के भुगतान को निलम्बित करता है या जिसने कभी निलम्बित किया है, या जिसने कभी उनके साथ कोई समझौता (composition) किया हो, या

(ग) जिसे ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष (convict) किया गया है या किसी समय किया गया था जिसमें नैतिक पतन अन्तर्ग्रस्त हो। (धारा २६७)।

योग्यतायें (Qualifications)—डायरेक्टर के लिये कोई योग्यता होना जरूरी नहीं है, लेकिन आम तौर से आटिक्ल्स में यह उपबन्ध होता है कि किसी व्यक्ति को डायरेक्टर के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह एक निश्चित संख्या के शेयर्स नहीं धारण करता, अर्थात् कंपनी में उसका वैयक्तिक स्टेक (stake) हो।

प्रत्येक डायरेक्टर का यह कर्तव्य होगा, जिसके लिये आर्टिक्ल्स द्वारा विशिष्ट शेयर क्वालीफिकेशन धारण करना अपेक्षित हो तथा जो इस सिलसिले में पहिले से ही क्वालीफाइड नहीं है, कि वह डायरेक्टर के रूप में अपनी नियुक्ति के दो माह के भीतर अपेक्षित योग्यता प्राप्त कर ले। दो माह की उक्त अवधि की समाप्ति पर कोई व्यक्ति जो कपनी के डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहा है और जो उक्त क्वालीफिकेशन शेयर नहीं धारण करता, जुर्माने द्वारा दण्डनीय होगा जो डायरेक्टर के रूप में कार्य करने की अवधि के लिए ५० रु० प्रति दिन की दर से होगा। (धारायें २७० तथा २७२)। ये उपबन्ध प्राइवेट कंपनी को नहीं लागू होंगे जब तक कि वह किसी लोक कंपनी की सहायक न हो।

धारा २६६ के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को कंपनी का डायरेक्टर नहीं नियुक्त किया जा सकता जब तक आर्टिक्ल्स के रजिस्ट्रेशन, प्रास्पेक्टस के प्रकाशन, या प्रास्पेक्टस के स्थान पर स्टेटमेन्ट दाखिल किये जाने से पहिले उसने (क) रजिस्ट्रार के समक्ष डायरेक्टर के रूप में कार्य करने के लिये लिखित तथा हस्ताक्षरित सहमति दाखिल न किया हो; तथा (ख) या तो (१) उसने मेमोरेन्डम पर उतने शेयरों के लिये हस्ताक्षर कर दिया हो जिसकी संख्या या जिसका मूल्य उसके क्वालीफिकेशन शेयरों से कम नहीं है, यदि कोई हों, या (२) उसने कंपनी से अपने क्वालीफिकेशन शेयर्स ले लिया हो, यदि कोई हों, और भुगतान कर दिया हो या भुगतान करने के लिये सहमत हुआ हो, या (३) कंपनी से अपने क्वालीफिकेशन शेयर्स, यदि कोई हों, लेने के लिये लिखित अन्डरटेकिङ्ग रजिट्रार के पास हस्ताक्षर करके दाखिल कर दिया हो, या (४) रजिस्ट्रार के सामने इस बात का शपथ-पत्र दाखिल कर दिया हो कि क्वालीफिकेशन शेयर्स उसके नाम में रजिस्टर्ड हैं।

उपरोक्त उपबन्ध बिना शेयर कैपिटल वाली कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ऐसी कंपनी को जो लोक कंपनी होने से पहिले प्राइवेट कंपनी थी, तथा ऐसे प्रास्पेक्टस को जिसे, उस तारीख से, जिस तारीख से कंपनी अपना व्यापार आरम्भ करने के लिये हकदार थी, एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद जारी किया गया था, नहीं लागू होंगे। (धारा २६६)।

डायरेक्टर्स की निर्योग्यता (Disqualification of directors) —किसी व्यक्ति को किसी कम्पनी का डायरेक्टर नहीं नियुक्त किया जाएगा, यदि—

(क) किसी सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा उसे अस्वस्थ चित्त पाया गया है और यह निष्कर्ष लागू है (Finding is in force);

(ख) वह एक अनुन्मुक्त दिवालिया है;

(ग) उसने दिवालिया घोषित किए जाने के लिये दरख्वास्त दी है और उसकी दरख्वास्त पेन्डिग हैं;

(घ) उसे किसी ऐसे अपराध का दोषी सिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक पतन अन्तग्रस्त हो और इस सिलसिले में उसे कम से कम ६ माह के लिए दंडित किया गया है और दंड की समाप्ति के बाद पाँच वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है;

(ङ) उसके द्वारा धारित शेयर्स के सिलसिले में किसी कॉल (Call) का भुगतान नहीं किया गया है, चाहे अकेले या संयुक्त रूप से अन्य व्यक्तियों के साथ और कॉल के लिये निश्चित अन्तिम तारीख से छः माह की अवधि समाप्त हो गयी है; या

(च) धारा २०३ (जिसके अन्तर्गत कपटी व्यक्ति कम्पनी का प्रबन्ध करने के लिये वर्जित है) के अन्तर्गत डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति के लिये उसे नाकाबिल घोषित करते हुए कोर्ट द्वारा आदेश पारित किया गया है और यह आदेश लागू है, जब तक कि उक्त धारा के अनुसार बतौर डायरेक्टर की नियुक्ति के लिये कोर्ट की अनुमति नहीं प्राप्त कर ली गई है। (धारा २७४);

(छ) नियुक्ति की तारीख से दो माह की निर्धारित अवधि के भीतर उसने अपने क्वालीफिकेशन शेयर्स को अर्जित नहीं कर लिया है। (धारा २७०); तथा

(ज) वह पहिले ही से बीस से अधिक कम्पनियों का डायरेक्टर है, जब तक वह उतनी कम्पनियों से इस्तीफा नहीं दे देता कि वह बीस से अधिक कम्पनियों का डायरेक्टर न रह जाय। (धारा २७५)।

मैनेजिङ्ग डायरेक्टर्स की नियुक्ति पर निर्बन्धन (Restrictions on appointment of Managing Directors)—कोई

व्यक्ति बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं नियुक्त किया जा सकता यदि वह किसी अन्य कम्पनी (जिसमें प्राइवेट कम्पनी, जो किसी लोक कम्पनी की सहायक नहीं है, शामिल है का मैनेजिंग एजेन्ट या मैनेजर है, जब तक कि बतौर मैनेजिंग एजेन्ट उसकी द्वितीय नियुक्ति मीटिंग में मौजूद सभी डायरेक्टर्स की सहमति सहित होने वाली मीटिंग में पारित प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित न कर दी गई हो तथा जिस मीटिंग तथा उसमें पेश किये गये प्रस्ताव की यथोल्लिखित सूचना भारत में सभी डायरेक्टर्स को दी गयी हो।

जहाँ ऐक्ट के आरम्भ पर कोई व्यक्ति या तो बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर के दो कम्पनियों से अधिक में पद धारण किये हुए है जिनमें से एक या कम से कम एक लोक कम्पनी है या प्राइवेट कम्पनी है जो किसी लोक कम्पनी की सहायक है, तो उसे कम्पनीज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १९६० के आरंभ होने से एक वर्ष के भीतर अधिक से अधिक दो कम्पनियाँ चुनना चाहिए जिनमें वह बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर के पद धारण किये रहने का इच्छुक हो। लेकिन, केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को दो से अधिक कम्पनियों का मैनेजिङ्ग डायरेक्टर नियुक्त किए जाने की अनुमति दे सकती है यदि वह सन्तुष्ट हो कि समुचित कार्य-वाहन के लिये यह आवश्यक है कि उक्त कम्पनियाँ एक इकाई के रूप में कार्य करें तथा उनका एक ही मैनेजिङ्ग डायरेक्टर हो। [धारा ३१६]।

मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति की अवधि (Term of appointment of managing director)—ऐक्ट के आरंभ के पश्चात् कोई कम्पनी किसी व्यक्ति को एक बार में पाँच वर्ष की अवधि से अधिक के लिये अपना मैनेजिङ्ग डायरेक्टर नहीं नियुक्ति करेगी या अपनी सेवा में रखेगी। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा पद किसी करार या आर्टिकल्स में उपबन्ध के अनुसार अधिक अवधि से धारण कर रखा है तो, जब तक उसकी अवधि पहिले ही नहीं समाप्त हो जाती, यह समझा जाएगा कि ऐक्ट के आरंभ होने से पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर तुरन्त उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

उपरोक्त किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि यह पुनर्नियुक्ति, पुनः सेवायोजन या किसी व्यक्ति की पदावधि को अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाए जाने की, जो प्रत्येक अवसर पर पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी, मनाही करती है; बशर्ते कि ऐसी पुनर्नियुक्ति, पुनःसेवायोजन या अवधि का बढ़ाया जाना जिस दिन से इसे लागू होना है उसके दो वर्ष से पहिले किसी दिन से नहीं स्वीकृत किया जायेगा। यह धारा किसी प्राइवेट कम्पनी को नहीं लागू होगी जब तक कि वह किसी लोक कम्पनी की सहायक न हो। (धारा ३१७)।

मैनेजिंग या पूर्णकालिक डायरेक्टर को नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए कुछ सूरतों में केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है (Appointment on re-appointment of managing or whol time director to require Government approval in certain cases)—मैनेजिंग या पूर्णकालिक डायरेक्टर के रूप में की गई पहली नियुक्ति का प्रभाव नहीं होगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार ने उसका अनुमोदन न कर दिया हो, बशर्ते कि किसी लोक कम्पनी, या प्राइवेट कम्पनी जो किसी लोक कम्पनी, की सहायक है, जो कम्पनीज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १९६० के आरम्भ के बाद निगमित हुई हो, की सूरत में, ऐसे निगमन के बाद बतौर मैनेजिङ्ग या पूर्णकालिक डायरेक्टर के किसी व्यक्ति की पहली नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बगैर की जा सकेगी, लेकिन ऐसी नियुक्ति का प्रभाव ऐसे निगमन की तारीख की बाद तीन महीने के अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जायेगा, जब तक कि केन्द्रीय सरकार ने नियुक्ति का अनुमोदन न कर दिया हो। यह उपबन्ध केवल लोक कम्पनी या उसकी सहायक को लागू होते हैं।

जहाँ कोई लोक कम्पनी या उसकी सहायक एक वर्तमान कम्पनी है, वहाँ कम्पनीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट १९६० के शुरू होने के बाद बतौर मैनेजिङ्ग या पूर्णकालिक डायरेक्टर के किसी व्यक्ति की पहली नियुक्ति का कोई प्रभाव न होगा, जब तक कि केन्द्रीय सरकार ने इसका अनुमोदन न कर दिया हो। (धारा २६९)।

डायरेक्टर्स का पारिश्रमिक (Remuneration of Directors)

धारा १९८ के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा उसके डायरेक्टर्स, तथा उसके मैनेजिङ्ग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स या मैनेजर किसी वित्तीय वर्ष के लिए देय कुल पारिश्रमिक कम्पनी के शुद्ध लाभ के ग्यारह प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर्स को बोर्ड या उसकी किसी कमेटी की मीटिङ्ग में उपस्थित होने के लिए देय फीस इस ग्यारह प्रतिशत में शामिल नहीं है। कम्पनी के डायरेक्टर्स को देय पारिश्रमिक की निर्धारण उपरोक्त उपबन्धों के अधीन या तो कम्पनी के आर्टिक्ल्स द्वारा, या प्रस्ताव द्वारा या, यदि आर्टिक्ल्स ऐसा अपेक्षित करते हैं, विशेष प्रस्ताव द्वारा, होता है। उपरोक्त रीति से निर्धारित किये गये किसी ऐसे डायरेक्टर्स को देय पारिश्रमिक में किसी अन्य रूप में की गई सेवाओं के लिए ऐसे डायरेक्टर्स को देय पारिश्रमिक भी शामिल है, लेकिन किसी अन्य रूप में की गई सेवाओं के लिये ऐसे डायरेक्टर्स

को देय पारिश्रमिक को शामिल नहीं किया जायगा यदि (क) की गई सेवायें व्यावसायिक प्रकृति की हैं तथा (ख) केन्द्रीय सरकार के विचार में डायरेक्टर उक्त व्यवसाय के लिये अपेक्षित योग्यतायें धारण करता है (१९६५ की ऐक्ट संख्या ३१ द्वारा जोड़ा गया)। लेकिन जहाँ कम्पनीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९६० के शुरू होने के तत्काल पूर्व डायरेक्टर द्वारा बोर्ड या उसकी किसी कमेटी की मीटिङ्ग में उपस्थिति के लिए फीस का भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है, तो ऐसे फीस का भुगतान इसी आधार पर ऐक्ट के शुरू होने के बाद दो वर्ष की अवधि तक या ऐसे डायरेक्टर की पदावधि की शेष अवधि तक, जो भी कम हो लेकिन अधिक नहीं, किया जाना जारी रक्खा जा सकता है।

उपरोक्त के बजाय या अतिरिक्त, किसी मैनेजिङ्ग डायरेक्टर या पूर्णकालिक डायरेक्टर को पारिश्रमिक या तो मासिक भुगतान के रूप में या कम्पनी के शुद्ध लाभ के उल्लिखित प्रतिशत के दर से या अंशतः एक तरीके से तथा अंशतः दूसरे तरीके से दिया जा सकता है जो, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना, किसी ऐसे एक डायरेक्टर के लिए पाँच वर्ष से अधिक या जहाँ एक से अधिक डायरेक्टर हों कुल सभी डायरेक्टर्स के लिए दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। ऐसे डायरेक्टर को, जो न तो पूर्णकालिक है और न तो मैनेजिङ्ग डायरेक्टर है, पारिश्रमिक या तो (क) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन सहित मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक भुगतान के रूप में या (ख) कमीशन के रूप में दिया जा सकता है यदि कम्पनी विशेष प्रस्ताव द्वारा ऐसे भुगतान को प्राधिकृत करती है। लेकिन, ऐसे डायरेक्टर को, या जहाँ एक से अधिक ऐसे डायरेक्टर हों, सब को एक साथ देय पारिश्रमिक (१) कम्पनी के शुद्ध लाभ के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा यदि कंपनी का एक मैनेजिङ्ग या पूर्णकालिक डायरेक्टर, मैनेजिङ्ग एजेन्ट या सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स या एक मैनेजर हैं; तथा (२) किसी अन्य सूरत में कम्पनी शुद्ध लाभ के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा (१९६५ की ऐक्ट संख्या ३१ द्वारा जोड़ा गया)। लेकिन, कंपनी जनरल मीटिङ्ग में, केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन सहित, शुद्ध लाभ के एक प्रतिशत, या जैसी स्थिति हो, तीन प्रतिशत से अधिक दर से कमीशन के भुगतान को प्राधिकृत कर सकती है।

कोई डायरेक्टर जो कंपनी के पूर्णकालिक सेवायोजन में है, या कोई मैनेजिङ्ग डायरेक्टर, जो कंपनी से कोई कमीशन पाता है, ऐसी कंपनी की सहायक से कोई कमीशन या अन्य पारिश्रमिक पाने का अधिकार नहीं होगा। उपरोक्त उपबन्ध किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं लागू होंगे जब तक वह किसी लोक कंपनी की सहायक न हो।

यदि कोई डायरेक्टर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, धारा ३०६ द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक, या केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, जहाँ यह अपेक्षित हो, पारिश्रमिक के रूप में ऐसी धन राशि प्राप्त करता है तो वह ऐसी धन राशि कंपनी को वापस करेगा और जब तक ऐसी राशि वापस नहीं की जाती, वह कंपनी के लिए न्यास के रूप में उसे धारण करेगा। कंपनी किसी ऐसे वापस किये जाने वाली धन राशि की वसूली को माफ नहीं करेगी जब तक केन्द्रीय सरकार इसकी अनुमति न दे। (धारा ३०६)।

किसी डायरेक्टर द्वारा उस सीमा से अधिक जो वह बतौर डायरेक्टर हकदार है, पारिश्रमिक के रूप में अन्य प्राप्तियाँ, चाहे वेतन, फीस, परिलब्धियाँ, निवास स्थान के रूप में किराया-मुक्त स्थान प्राप्त करने का अधिकार, वर्जित है, सिवाय कम्पनी के विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रदान की गई पूर्व सहमति सहित। (धारा ३१४)।

डायरेक्टर्स द्वारा पद के अभिहस्तांकन का प्रतिषेध (Prohibition of assignment of office by directors) :—किसी डायरेक्टर द्वारा अपने पद का अभिहस्तांकन करना प्रतिषिद्ध है। (धारा ३१२)।

वैकल्पिक डायरेक्टर्स की नियुक्ति तथा उनकी पदावधि (Appointment and term of office of alternate directors)—यदि आर्टिकल्स द्वारा या जनरल मीटिंग में पारित प्रस्ताव द्वारा ऐसा प्राधिकृत है, कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर के रूप में कार्य करने के लिए, उसकी अनुपस्थिति के दौरान ऐसी अवधि के लिये जो तीन महीने से कम नहीं होगी, उस राज्य से जिसमें आमतौर से बोर्ड की मीटिंग होती है, एक वैकल्पिक डायरेक्टर की नियुक्ति कर सकते हैं। वैकल्पिक डायरेक्टर इस रूप में उस अवधि से अधिक पद नहीं धारण करेगा जितना उस मूल डायरेक्टर को धारण करने की अनुमति थी और वह अपना पद रिक्त कर देगा यदि तथा जब मूल डायरेक्टर उस राज्य में वापस आ जाए जिसमें आमतौर से बोर्ड की मीटिंग होती है। (धारा ३१३)।

पारिश्रमिक में वृद्धि (Increase in remuneration)—लोक कम्पनी या प्राइवेट कंपनी, जो किसी लोक कंपनी की सहायक है, की सूरतमें, किसी उपबन्ध, जो किसी डायरेक्टर, जिसमें मैनेजिङ्ग एजेन्ट या पूर्णकालिक डायरेक्टर शामिल है, के पारिश्रमिक या उसके किसी संशोधन से संबन्ध है तथा जिससे उसकी धनराशि में वृद्धि अभिप्रेत है या जिसका प्रभाव, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसमें

वृद्धि करना है, का कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक उसका अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा न किया जाय, और संशोधन यदि, या जहाँ तक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता, शून्य हो जाएगा। लेकिन, केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा जहाँ ऐसा उपबन्ध या उसका संशोधन केवल ऐसे डायरेक्टर द्वारा बोर्ड या उसकी कमेटी की प्रत्येक मीटिङ्ग में उपस्थिति के लिए फीस के रूप में ऐसे पारिश्रमिक की धनराशि में वृद्धि अभिप्रेत करता हो या उसका प्रभाव वृद्धि करना हो, तथा वृद्धि के पश्चात ऐसी फीस की धनराशि दो सौ पचास रुपए से अधिक नहीं होती है (१९६६ की ऐक्ट संख्या ३१ द्वारा जोड़ा गया)। [धारा ३१०]।

पद की हानि के लिए प्रतिकर (Compensation for loss of offic)—सिवाय मैनेजिङ्ग या पूर्णकालिक डायरेक्टर या डायरेक्टर्स के जो मैनेजर हैं, कंपनी के किसी डायरेक्टर को पद की हानि के लिए, या पद से रिटायर होने के प्रतिफलार्थ कोई प्रति नहीं देय है।

उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार कोई भुगतान निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी मैनेजिङ्ग या पूर्णकालिक डायरेक्टर को नहीं किया जाएगा :—

(क) जहाँ डायरेक्टर कंपनी के पुनर्निमाण (reconstruction) या किसी अन्य निगम निकाय के साथ समामेलन (amalgamation) के फलस्वरूप अपने पद से इस्तीफा देता है और पुनर्निमित कम्पनी के मैनेजिङ्ग डायरेक्टर, मैनेजिग एजेन्ट, मैनेजर या अन्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है;

(ख) जहाँ डायरेक्टर कम्पनी के पुनर्निर्माण या समामेलन के अन्यथा अपने पद से इस्तीफा देता है ;

(ग) जहाँ डायरेक्टर का पद धारा २८३ में उल्लिखित आधारों में से किसी पर रिक्त किया जाता है, अर्थात्, शेयर क्वालीफिकेशन प्राप्त करने में चूक, दिवाला, पागलपन, कम से कम छः महीने के लिए किसी कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि, छः महीने के भीतर याचना (call) का भुगतान करने में चूक, बोर्ड की क्रमशः तीन मीटिंगों में से अनुपस्थिति, इत्यादि ;

(घ) जहाँ कम्पनी का समापन हो रहा हो, बशर्ते कि समापन डायरेक्टर की अनवधानता या चूक के परिणामस्वरूप था ;

(ङ) जहाँ कम्पनी के कारोबार में या के सिलसिले में डायरेक्टर कपट या न्यास-भङ्ग, या घोर अनवधानता, या घोर कुप्रबंध का दोषी हो ; या

(च) जहाँ डायरेक्टर ने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अपने पद की समाप्ति उकसाया हो या उसमें भाग लिया हो ;

(ज) जहाँ ऐक्ट की धारा ३८८-बी के अन्तर्गत ट्राब्यूनल को किये गए रेफ़ेन्स पर पद धारण करने की समयुक्तता के विषय पर ट्राब्यूनल के प्रतिकूल निष्कर्ष के आधार पर किसी डायरेक्टर को केन्द्रीय सरकार ने पद से हटाया हो ;

(छ) जहाँ धारा ३९७ या धारा ३८१ (जिनके अन्तर्गत पीड़न तथा कुप्रबन्ध की सूरत में कोर्ट को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है) के अन्तर्गत कोर्ट का आदेश एक ओर कम्पनी तथा दूसरी ओर किसी मैनेजिङ्ग डायरेक्टर या किसी अन्य डायरेक्टर के बीच किसी करार को समाप्त करता है, हटा देता है या उसे रूप-भेदित करता है, वहाँ ऐसे आदेश से कम्पनी के विरुद्ध पद की हानि के लिये किसी हर्जाने या प्रतिकर के दावे की उत्पत्ति नहीं होगी।

मैनेजिङ्ग डायरेक्टर या अन्य डायरेक्टर को बतौर प्रतिकर देय धनराशि उस पारिश्रमिक से अधिक न होगी जो कि वह उपार्जित करता यदि वह अपनी पदावधि की शेष अवधि या तीन वर्ष में, जो भी कम हो, अपने पद पर आसीन होता। ऐसी सूरत में पारिश्रमिक की गणना अन्तिम तीन वर्षों में वास्तव में उपार्जित किए गए पारिश्रमिक के औसत के आधार पर की जायेगी। [धारा ३१८]।

अन्डरटेकिंग या सम्पत्ति के हस्तांतरण के सिलसिले में पद की हानि के लिए भुगतान (Payment for loss of office in connection with transfer of undertaking)—किसी अन्डरटेकिंग या कम्पनी की सम्पत्ति, सम्पूर्ण या उसके किसी भाग, के हस्तांतरण के सिलसिले में कोई डायरेक्टर पद की हानि, या पद से रिटायर होने के प्रतिफलार्थ इनसे प्रतिकर के रूप में कोई भुगतान नहीं प्राप्त करेगा—(क) ऐसी कम्पनी से या (ख) ऐसी अन्डरटेकिंग या सम्पत्ति के हस्तांतरिति या किसी अन्य व्यक्ति से (जो ऐसी कम्पनी नहीं है), जब तक कि ऐसे हस्तांतरिति द्वारा प्रस्तावित भुगतान के सिलसिले में विवरणों को कम्पनी के सदस्यों को प्रकट न कर दिया गया हो और प्रस्ताव कम्पनी द्वारा जनरल मीटिङ्ग में अनुमोदित न कर दिया गया हो। यदि भुगतान प्रकटीकरण तथा जनरल मीटिङ्ग के अनुमोदन के बगैर किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि उसने धन-राशि को कम्पनी के लिए न्यास के रूप में प्राप्त किया है। [धारा ३१९]।

बोर्ड की मीटिंग (Meeting of the Board)—प्रत्येक कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की तीन महीने में कम से कम एक मीटिंग तथा प्रत्येक वर्ष में कम से कम चार मीटिंगे की जायेंगी। [धारा २८५]। यह अत्यन्त

आवश्यक है कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की प्रत्येक मीटिङ्ग की लिखित नोटिस प्रत्येक डायरेक्टर को भारत में उसके तत्समय पते पर दी जानी चाहिए। [धारा २८६]।

मीटिंगों का कोरम (Quorum of Meetings)—कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मीटिङ्ग के लिए कोरम उनकी सम्पूर्ण संख्या का दो-तिहाई या दो डायरेक्टर्स, जो भी अधिक हो, होगा। उन डायरेक्टर्स की संख्या जिनका स्थान उस समय खाली हो सम्पूर्ण संख्या में नहीं शामिल है। इसके अतिरिक्त वे डायरेक्टर्स जो कम्पनी द्वारा की गई संविदा या व्यवस्था में हितबद्ध होने के कारण विषयों की चर्चा में भाग लेने या उन पर वोट देने के लिए असक्षम (incompetent) हैं, उनकी गणना कोरम के लिए नहीं की जाएगी। लेकिन, जहाँ हितबद्ध डायरेक्टर्स की संख्या अधिक हो जाती है या सम्पूर्ण संख्या के दो-तिहाई के बराबर हो जाती है, तो शेष डायरेक्टर्स की वह संख्या जो हितबद्ध नहीं हैं और मीटिङ्ग में उपस्थित हैं, जो दो से कम नहीं होगी, ऐसे समय पर कोरम होगी। [धारा २८७]।

यदि कोरम के अभाव के कारण कोई मीटिङ्ग मुलत्वी हो जाती है, तब, जब तक कि आर्टिकल्स द्वारा अन्यथा उपबन्धित न हो, मीटिङ्ग दूसरे सप्ताह में उसी तारीख, समय तथा स्थान के लिए स्थगित समझी जाएगी। (धारा २८८)।

परिचलन द्वारा प्रस्ताव का पारित किया जाना (Passing of resolution by circulation)—सुविधा के विचार से, किसी प्रस्ताव को परिचलन द्वारा पारित किया जा सकता है। परिचलन द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने की प्रक्रिया धारा २८९ में निर्धारित की गई है जिसके अनुसार प्रस्ताव का आलेख्य, आवश्यक कागजात सहित, यदि कोई हों, उस समय भारत में होने वाले सभी डायरेक्टर्स को परिचालित किया जाना चाहिए, जिनकी संख्या उस संख्या से कम नहीं होनी चाहिए जो बोर्ड की मीटिङ्ग के कोरम के लिए निर्धारित है। प्रस्ताव वोट देने के अधिकारी डायरेक्टर्स की बहुसंख्या द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

डायरेक्टर्स की शक्तियां तथा उनके कर्त्तव्य

[POWERS AND DUTIES OF DIRECTORS]

डायरेक्टर्स की शक्तियां (Powers of dir ctors)—डायरेक्टर्स की शक्तियों का उल्लेख आम तौर से कम्पनी के आर्टिकल्स में जिसमें डायरेक्टर्स को प्रबन्ध की शक्ति तथा कम्पनी की अन्य शक्तियाँ दी जाती हैं जिनका अन्यथा जिक्र

नहीं होता । यदि डायरेक्टर्स कार्य करते हैं तो शेयरहोल्डर्स ऐसे कृत्य को अनुसमर्थित करके वैधता प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, जहाँ कार्य कम्पनी की शक्ति के परे होता है, तो शेयरहोल्डर्स ऐसे कृत्य को अनुसमर्थित नहीं कर सकते और न ही उसके प्रति मौन स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स स्वतः सदस्यों के बीच एक संविदा होते हैं।

John Shaw and Sons, Ltd. *v.* Shaw & Sons, Ltd. (1935) 2 K. B. 113 में Lord Justice Greer ने कहा है कि—

"A company is an entity distinct alike for its shareholders and its directors. Some of its powers may, according to its articles, be exercised by directors, certain other powers may be reserved for the shareholders in general meeting. If powers of management are vested in the directors, they and they alone can exercise these powers. The only way in which the general body of shareholders can control the exercise of the powers vested by the articles in the directors is by altering their articles, or if opportunity arises under the articles, by refusing to re-elect the directors of whose actions they disapprove. They cannot themselves usurp the powers which by the articles are vested in the directors any more than the directors can usurp the powers vested by the articles in the general body of shareholders."

कम्पनी अपने डायरेक्टर्स द्वारा किये गए सभी कृत्यों के लिये उत्तरदायी होती है, भले ही वे उसके द्वारा प्राधिकृत न किए गए हों, बशर्ते कि ऐसे कृत्य डायरेक्टर्स के प्रत्यक्ष अधिकार के अन्तर्गत हों और न कि कम्पनी की शक्ति के परे।

यदि कोई डायरेक्टर्स अपनी वैयक्तिक स्थिति में कोई कार्य करता है तो ऐसे कृत्य से बोर्ड न तो बद्ध होता है और न ही उसे बद्ध किया जाना चाहिए, जब तक कि उसने उसके आचार को अनुसमर्थित या प्राधिकृत न किया हो।

कम्पनी के नाम में वाद दायर करने के लिये डायरेक्टर्स ही उपयुक्त व्यक्ति होते हैं। लेकिन, वे कम्पनी के साथ कोई संविदा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे उनके व्यक्तिगत हितों तथा कम्पनी के प्रति उनके कर्तव्यों में संघर्ष होगा। धारा २९७ यह उपबन्ध करती है कि सिवाय कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की सहमति से, कोई डायरेक्टर या उसका सम्बन्धी, कोई फर्म जिसमें ऐसा डायरेक्टर या उसका सम्बन्धी भागीदार है, ऐसी फर्म का कोई अन्य भागीदार या कोई प्राइवेट कम्पनी जिसका कि डायरेक्टर सदस्य या डायरेक्टर है, कम्पनी से किसी

माल, वस्तुओं या सेवाओं के विक्रय, क्रय या सप्लाई या कम्पनी के शेयर्स या डिबेन्चर्स के सब्सक्रिप्शन के निमांकन के लिये कोई संविदा न करेंगे। बोर्ड की सहमति तब तक दी गई नहीं मानी जाएगी, जब तक कि सहमति बोर्ड की मीटिङ्ग में पारित प्रस्ताव द्वारा नहीं दी जाती तथा संविदा की जाने से पहिले या जिस तारीख को इसे किया गया था उसके दो महीने के भीतर प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता है। यदि अन्ततः सहमति नहीं प्रदान की जाती, तो बोर्ड के विकल्प (Option) पर संविदा शून्यकरणीय होगी।

बोर्ड की शक्तियां (Board's Powers)—बोर्ड आफ डायरेक्टर्स उन सभी शक्तियों को इस्तेमाल करने तथा उन सभी कृत्यों तथा बातों को करने के लिए हकदार होंगे जो कम्पनी इस्तेमाल करने तथा करने के लिए प्राधिकृत है। लेकिन बोर्ड ऐसी शक्तियों को इस्तेमाल नहीं कर सकते या ऐसे कृत्यों को नहीं कर सकते जिसका इस्तेमाल या किया जाना ऐक्ट या कम्पनी के मेमोरेन्डम या आर्टिक्ल्स द्वारा या अन्यथा केवल कम्पनी की जनरल मीटिङ्ग में ही निदेशित या अपेक्षित हो। (धारा २९१)।

कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिन्हें डायरेक्टर्स द्वारा बोर्ड की मीटिङ्ग में ही उसमें पारित प्रस्तावों द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये निम्नलिखित हैं :—

(क) शेयर या उनके अदत्त धन के सिलसिले में शेयरहोल्डर्स से माँग (Call) करने की शक्ति,

(ख) डिबेन्चर्स जारी करने की शक्ति,

(ग) डिबेन्चर्स के अन्यथा धन उधार लेने की शक्ति,

(घ) कम्पनी की निधियों को विनियोजित (invest) करने की शक्ति ; तथा

(ङ) उधार देने की शक्ति।

लेकिन, बोर्ड उपरोक्त खण्ड (ग), (घ) तथा (ङ) में उल्लिखित शक्तियों को निम्नलिखित सीमा तक, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स, मैनेजर या कम्पनी के किसी अन्य प्रमुख अधिकारी या कम्पनी की शाखा कार्यालय की सूरत में शाखा कार्यालय के प्रमुख अधिकारी की किसी कमेटी को सौंप सकते हैं : धन उधार लेने की सूरत में किसी एक समय पर देय पूर्ण राशि जिसके लिए उधार लिया जा सकता है, निधियों के विनियोजन की सूरत में प्रस्ताव में उस पूर्ण राशि को उल्लिखित किया जाएगा जितने तक विनियोजन किया जा सकता है तथा विनियोजन की प्रकृति का भी उल्लेख किया जाएगा, तथा उधार

देने के संबन्ध में प्रस्ताव में उस पूर्ण राशि का उल्लेख होगा जितने तक उधार दिया जा सकेगा, किन प्रयोजनों के लिए उधार दिया जा सकेगा तथा ऐसे प्रत्येक प्रयोजन के लिए प्रत्येक मामले में कितना उधार दिया जा सकेगा। (धारा २६२)

बोर्ड की शक्तियों पर निर्बन्धन (Restrictions of the Board's Powers)

१. जनरल मीटिंग में कम्पनी की सहमति से इस्तेमाल की जा सकने वाली शक्तियां (Powers exercisable with the consent of the company in general meeting)—किसी लोक कम्पनी या प्राइवेट कम्पनी, जो किसी लोक कम्पनी की सहायक है, के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स जनरल मीटिङ्ग में ऐसी लोक या सहायक कम्पनी की सहमति के बिना निम्नलिखित कार्य नहीं करेंगे :—

(क) बेचना, पट्टे पर देना या अन्यथा पूरी अन्डरटेकिंग को हस्तांतरित करना,

(ख) माफ करना या डायरेक्टर द्वारा देय किसी ऋण की वापसी के लिए समय देना, सिवाय व्यापार के सामान्य क्रम में किसी बैंकिंग कम्पनी द्वारा अपने डायरेक्टर को दिए गए अग्रिम के नवीकरण या संस्थगन (renewal or continuance) की सूरत में,

(ग) ऐक्ट के लागू होने के बाद, अनिवार्य अर्जन के सिलसिले में कम्पनी द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिकर की राशि को, न्यास प्रतिभूतियों के अन्यथा, विनियोजित करने के लिए,

(घ) धन उधार लेना जो कम्पनी के रिजर्व तथा पेड अप कैपिटल के समस्त से अधिक होगा, या

(ङ) धर्मार्थ या अन्य निधियों में उतना धन देने के लिए जो कम्पनी के व्यापार से सीधे संबन्धित न हों या अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए जिसका समस्त, किसी वित्तीय वर्ष में, २५,००० रु० या उसके औसत शुद्ध लाभ के पांच प्रतिशत से अधिक होगा। (धारा २६३)।

२. राजनैतिक अंशदान करने की शक्ति पर निर्बन्धन (Restriction on the power to make political contributions) —धारा २६३ में किसी बात के होते हुये भी, कोई कम्पनी न तो जनरल मीटिंग में

और न तो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स, कम्पनीज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १६६० के शुरू होने के बाद निम्नलिखित कोई अंशदान नहीं करेंगे :—

(क) किसी राजनैतिक पार्टी को, या

(ख) किसी व्यक्ति या निकाय को राजनैतिक प्रयोजनों के लिए, कोई ऐसी राशि या राशियों जो या जिसका समस्त, किसी वित्तीय वर्ष में, २५,००० रुपये या कम्पनी के औसत समस्त शुद्ध लाभ के पाँच प्रतिशत से अधिक होगा, जो तुरन्त पिछले तीन वित्तीय वर्ष में जो भी अधिक हो, धारा ३४६ तथा ३५० के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित किया गया हो। [धारा २६३-ए]।

प्रत्येक कम्पनी अपने लाभ तथा हानि के लेखे में उपधारा (१) के अन्तर्गत किसी राजनैतिक पार्टी या किसी राजनैतिक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या निकाय को लेखे से संबंधित वित्तीय वर्ष में की गई अंशदान की धनराशि या धनराशियों को, अंशदान की पूर्ण धनराशि तथा उस पार्टी, व्यक्ति या निकाय के नाम के विवरणों सहित जिसे या जिन्हें ऐसी धनराशि का अंशदान किया गया है, प्रकट करेगी। [धारा २६३ ए (२)]।

यदि कोई कम्पनी उपधारा (२) के उपबन्धों का पालन करने में चूक करती है, तो कम्पनी, तथा कम्पनी का प्रत्येक अधिकारी, जिसने चूक किया है, जुर्माने द्वारा, जो ५,००० रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जाएगा। [धारा २६३ ए (३)]।

नेशनल डिफेन्स फण्ड इत्यादि में अंशदान करने की बोर्ड की शक्ति (Power of Board to make contributions to National Defence Fund, etc.)—धारा २६३ तथा २६३-ए किसी बात, या मेमोरेन्डम, आर्टिक्ल्स या कम्पनी से संबन्धित किसी दस्तावेज में किसी बात के होते हुए भी, किसी कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ऐसी कोई राशि जो वे उचित समझे नेशनल डिफेन्स फण्ड या नेशनल डिफेन्स के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य फण्ड में अंशदान के रूप में दे सकते हैं। प्रत्येक कम्पनी अपने लाभ-हानि के लेखे में जिस वर्ष के लिए यह लेखा हो उस वर्ष में फण्ड में अंशदान के रूप में दी गयी राशि या राशियों को प्रकट करेगी। (धारा २६३ बी)।

३. सोल सैलिंग ऐजन्ट्स की नियुक्ति (Appointment of sole selling agents)—कम्पनीज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १६६० के शुरू होने के बाद कोई कम्पनी किसी क्षेत्र के लिये पाँच वर्ष से अधिक के लिये किसी सोल सैलिंग एजेन्ट की नियुक्ति नहीं करेगी; लेकिन इससे किसी सोल सैलिंग एजेन्ट की किसी एक समय पर अतिरिक्त अवधि के लिए जो पाँच वर्ष से अधिक न होगी

पुनर्नियुक्ति, अथवा पद की अवधि में विस्तार, निषिद्ध नहीं है। (धारा २६४ (१))।

४. डायरेक्टर्स को ऋण दिया जाना (Loans to Directors)—कोई कम्पनी, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निम्नलिखित को कोई ऋण या कोई प्रत्याभूति नहीं देगी, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित को दिए गए किसी ऋण या निम्नलिखित द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए किसी ऋण के सिलसिले में किसी प्रतिभूति का प्राविधान नहीं करेगी;

(क) ऋण देने वाली कम्पनी या किसी होल्डिंग कम्पनी का कोई डायरेक्टर या भागीदार या ऐसे किसी डायरेक्टर का कोई संबन्धी,

(ख) कोई फर्म जिसमें ऐसा कोई डायरेक्टर या संबंधी भागीदार है,

(ग) कोई प्राइवेट कंपनी जिसका ऐसा डायरेक्टर सदस्य या डायरेक्टर है,

(घ) ऐसी कंपनी जिसकी जनरल मीटिङ्ग में समस्त वोटिंग पावर के २५ प्रतिशत को कोई ऐसा डायरेक्टर प्रयोग या नियंत्रित करता हो या ऐसे दो या अधिक डायरेक्टर्स एक साथ उसका प्रयोग या नियंत्रण करते हों, या

(ङ) कोई कंपनी, जिसके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स या मैनेजर बोर्ड या उधार देने वाली कम्पनी के किसी डायरेक्टर या डायरेक्टर्स के निदेशों या सुझावों के अनुसार कार्य करने के अभ्यस्त हों।

उपरोक्त उपबन्ध निम्नलिखित को नहीं लागू होंगे—(क) कोई ऋण, प्रत्याभूति, जो (१) किसी प्राइवेट कंपनी, जब तक यह किसी पब्लिक कंपनी की सहायक न हो; या (२) बैंकिंग कंपनी द्वारा दिया गया हो; (ख) कोई ऋण, जो (१) किसी सूत्रधारी (holding) कंपनी द्वारा अपनी सहायक को; या (२) किसी कंपनी द्वारा, जो किसी अन्य कंपनी की मैनेजिंग एजेन्ट या सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स हो, उस अन्य कंपनी को दिया गया हो; (ग) कोई प्रत्याभूति या प्रतिभूति, (१) जो किसी सूत्रधारी कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनी को दिये गये किसी ऋण; या (२) किसी कंपनी द्वारा, जो किसी अन्य कंपनी की मैनेजिङ्ग एजेन्ट या सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स है, उस अन्य कंपनी को दिये गये किसी ऋण के सिलसिले में दिया गया हो या जिसका प्राविधान किया गया हो। (धारा २६५)।

उपरोक्त उपबन्ध पुस्त-ऋण (book-debt) द्वारा प्रतिनिधित्व किये जा रहे किसी संव्यवहार को लागू होंगे जो अपने आरम्भ के समय से ही ऋण या अग्रिम की प्रकृति के थे। (धारा २६६)।

अन्य निर्बन्धन (other restrictions)—अन्य निर्बन्धन निम्न प्रकार हैं कि (५) कुछ शक्तियों का प्रयोग बोर्ड द्वारा केवल जनरल मीटिङ्ग में ही किया जाना चाहिए (धारा २६२), (६) जिन संविदाओं में डायरेक्टर हितबद्ध हों उनके लिए बोर्ड की स्वीकृति होनी चाहिए, (७) बोर्ड की मीटिंग कंपनी के साथ की गयी किसी संविदा में यदि डायरेक्टर हितबद्ध है तो उसे इसको प्रकट करना चाहिए (धारा २६६), (८) यदि किसी संविदा में डायरेक्टर हितबद्ध है तो उसे उसकी वोटिंग में भाग नहीं लेना चाहिये (धारा ३००), तथा (६) यदि मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, या सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स की संविदा में डायरेक्टर हितबद्ध है, तो यह हित सदस्यों को प्रकट किया जाना चाहिये। (धारा ३०२)।

डायरेक्टर्स द्वारा शक्ति से परे किए गए कृत्य (Ultra Vires Act of Directors)—डायरेक्टर्स द्वारा अपनी शक्ति से परे किये गये कृत्यों द्वारा कंपनी बद्ध नहीं होती, जब तक कि ऐसे कृत्यों को सभी शेयरहोल्डर्स ने अभिव्यक्त रूप से अनुसमर्थित (ratify) न किया हो या जब तक सभी ने जानकारी या सूचना सहित जो कुछ किया गया है उसके प्रति उन्होंने अपनी मौन स्वीकृति न प्रदान की हो।

डायरेक्टर्स का कर्तव्य (Duties of Directors):—City Equitable Fire Insurance Company Ltd. (1925) 1 Ch. 407 में कहा गया है कि यह बात कि कम्पनी के कार्य को बोर्ड आफ डायरेक्टर्स तथा स्टाफ के बीच किस प्रकार वितरित किया जाय, एक व्यापार का विषय है जिसका निर्णय व्यापारिक लाइनों पर किया जाना चाहिए। जितना ही बड़ा व्यापार होता है उतने ही अधिक मामले मैनेजरों, एकाउन्टेन्टों तथा शेष स्टाफ को सौंपना पड़ता है। इसलिए, डायरेक्टर्स के कर्तव्यों को सुनिश्चित करते समय इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि कम्पनी के व्यापार की प्रकृति क्या है तथा किस ढंग से कम्पनी का कार्य आर्टिक्ल्स के अनुसार डायरेक्टर्स तथा कम्पनी के अन्य कर्मचारियों में वितरित किया गया है। उक्त केस में कहा गया है कि अपने कर्तव्य के पालन में डायरेक्टर्स को (क) निःसंदेह ईमानदारी से कार्य करना चाहिये। (ख) उसे वही कार्य कुशलता, सावधानी तथा समवेक्षा बरतनी चाहिये जो उन्हीं परिस्थितियों में कोई साधारण व्यक्ति अपनी ओर से बरतता। (ग) यह जरूरी नहीं है कि वह अपने कर्तव्यों के पालन में उस कार्य-कुशलता की मात्रा से अधिक कार्य-कुशलता की आशा करे जो उसके ज्ञान तथा अनुभव वाले व्यक्ति से युक्तिसंगत रूप से आशा की जा सकती है। (घ) न ही वह कम्पनी के मामलों के प्रति निरन्तर ध्यान देने के

लिये बद्ध होता है। उसके कर्तव्य की प्रकृति सविराम (Intermittent) है और उसे अपने कर्तव्यों का पालन बोर्ड की सामयिक मीटिंगों तथा बोर्ड की किसी कमेटी की मीटिंगों के समय करना होता है जिनमें वह रक्खा गया होता है। लेकिन, वह ऐसी सब मीटिंगों में उपस्थित होने के लिये बद्ध नहीं होता, यद्यपि जब वह युक्तिसंगत रूप से ऐसा कर सकने की स्थिति में हो तो उनमें उपस्थित होना चाहिए। (ङ) ऐसे सभी कर्तव्यों के सिलसिले में, जो व्यापार या आर्टिक्ल्स आफ असोसिएशन की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समुचित रूप से किसी अन्य कर्मचारी पर छोड़ा जा सकता है, तो सन्देह के किसी आधार के अभाव में, डायरेक्टर द्वारा उस कर्मचारी पर यह विश्वास किया जाना उचित होगा कि वह अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारीपूर्वक कर रहा है। उच्च स्थायी कर्मचारियों पर उसके द्वारा विश्वास किया जाना औचित्यपूर्ण होगा।

किसी चेक पर हस्ताक्षर करने तथा इस प्रकार हस्ताक्षरित किये गये चेक से पृथक होने से पूर्व, डायरेक्टर द्वारा इस बात से अपने को सन्तुष्ट कर लिया जाना जरूरी है कि चैक को हस्ताक्षर करने के लिये, बोर्ड या बोर्ड की किसी कमेटी द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव के अनुसार उसे प्राधिकृत किया जा चुका है या नहीं।

उसे यह भी देखना चाहिए कि समय समय पर कम्पनी का धन समुचित विनियोजन की स्थिति में है या नहीं, सिवाय ऐसी सूरत के जब कि आर्टिक्ल्स द्वारा उसे प्राधिकृत किया गया हो कि वह ऐसे कर्तव्यों को अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द कर सकता है।

वह लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों की जाँच करने के लिये बद्ध नहीं है। वह अबुद्धिमत्तापूर्वक डिविडेन्ड घोषित किये जाने के लिये जिम्मेदार नहीं है और न ही वह जहाँ कम्पनी ने लाभ किया हो डिविडेन्ड घोषित करने के लिये बद्ध होता है, लेकिन यदि वह कैपिटल में से डिविडेन्ड का भुगतान करता है तो वह उत्तर-दायी होगा।

शेयर होल्डर्स के सामने वार्षिक रिपोर्ट पेश करने तथा डिविडेन्ड की सिफारिश करने से पहिले डायरेक्टर्स को कम्पनी की सभी परिसम्पत् तथा विनियोजनों की पूरी तथा विस्तृत सूची अपने प्रयोग के लिये प्राप्त कर लेना चाहिये और कम्पनी की परिसम्पत् के मूल्य के विषय में केवल अपने चेयरमैन के आश्वासन पर, भले ही वह कितना ही सम्मानित तथा विख्यात हो, या आडिटर्स के विश्वास की अभिव्यक्ति पर, भले ही वे कितने ही कुशल या विश्वासनीय हों, सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। [City Equitable Fire Insurance Co. (1925) 1 Ch. 407] ।

ऐक्ट में दिये गये परिनियत आभार संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :—

१. जहाँ किसी शेयर या डिबेन्चर का निम्नांकन किया जाता है, वहाँ डायरेक्टर्स द्वारा प्रास्पेक्टस में यह कहा जाना चाहिए कि निम्नांककों के साधन उनके दायित्वों के उन्मोचन के लिये पर्याप्त हैं या नहीं। (धारा ५६)।

२. डायरेक्टर्स को यह भी कहना होता है कि प्रास्पेक्टस में उल्लिखित न्यूनतम सब्सक्रिप्शन, सम्पत्ति के क्रय मूल्य ; आरम्भिक खर्चों, उधार लिये गये धन तथा वर्किंग कैपिटल की वापसी को आच्छादित (Cover) करता है या नहीं। (धारा ६६) ।

३. (क) परिनियत मीटिंग होने की तारीख से कम से कम २१ दिन पहिले डायरेक्टर्स द्वारा परिनियत रिपोर्ट की एक प्रति कम्पनी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी। (धारा १६५)।

(ख) डायरेक्टर्स द्वारा कम्पनी के निगमन के अठारह महीने के भीतर पहली वार्षिक जनरल मीटिंग करनी चाहिए, और यदि इस अवधि के भीतर कोई मीटिंग की जाती है तो कम्पनी के लिये अपने निगमन के वर्ष या आगामी वर्ष में कोई वार्षिक मीटिङ्ग करना जरूरी नहीं होगा। प्रत्येक कम्पनी प्रत्येक वर्ष किसी अन्य मीटिंग के अलावा अपनी वार्षिक जनरल मीटिंग के रूप में एक वार्षिक जनरल मीटिंग करेगी और एक वार्षिक जनरल मीटिंग तथा दूसरी वार्षिक जनरल मीटिंग के बीच पन्द्रह महीने से अधिक का अन्तर नहीं होगा। (धारा १६६)।

(ग) अपेक्षित संख्या के कम्पनी के सदस्यों द्वारा अधियाचन पर, डायरेक्टर्स द्वारा कम्पनी की एक असाधारण जनरल मीटिंग बुलाई जानी चाहिये। (धारा १६६)।

४. डायरेक्टर्स द्वारा वार्षिक जनरल मीटिंग में कम्पनी के सामने एक बैलेन्स शीट तथा लाभ-हानि का लेखा प्रस्तुत किया जाना चाहिये। (धारा २१०)।

५. बैलेन्सशीट के साथ डायरेक्टर्स द्वारा इन विषयों पर भी एक रिपोर्ट की जाएगी—(क) कम्पनी के कारोबार की स्थिति ; (ख) धनराशि, यदि कोई है, जो कम्पनी ऐसे बैलेन्सशीट में किसी रिजर्व्स (reserves) में ले जाने का विचार करती हो ; तथा (ग) धनराशि, यदि कोई है, जो, वह सिफारिश करती है, डिविडेन्ड के रूप में भुगतान किया जाना चाहिये। (धारा २१७)।

६. डायरेक्टर्स द्वारा इन्सपेक्टर के सामने, जो कम्पनी के कारोबार में जाँच कर रहा हो, कम्पनी की सभी पुस्तकें तथा कागजात पेश किया जाना चाहिये तथा जाँच के सिलसिले में सभी सहायता प्रदान की जानी चाहिये। (धारा २४०)।

७. भूतपूर्व या वर्तमान डायरेक्टर्स द्वारा कम्पनी के कारोबार की जाँच के परिणामस्वरूप दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध किसी अभियोजन के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार को सभी सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये। धारा २४२)।

८. डायरेक्टर के पद के लिए प्रस्तावित प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, यदि वह नियुक्त किया जाता है, डायरेक्टर के रूप में कार्य करने के लिए एक लिखित तथा हस्ताक्षरित सहमति कम्पनी में दाखिल की जानी चाहिए। (धारा २६४)।

९. अपनी नियुक्ति के दो महीने के भीतर प्रत्येक डायरेक्टर अपनी शेयर क्वालीफिकेशन अर्जित करेगा, यदि वह पहिले से ही इस दिशा में क्वालीफाइड नहीं है। (धारा २७०)।

१०. प्रत्येक डायरेक्टर जो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी या उसकी ओर से, की गई किसी संविदा या व्यवस्था में हितबद्ध है मीटिंग में अपने ऐसे हित या संबंध की प्रकृति को प्रकट करेगा। उसे ऐसी संविदा से संबंधित विषयों पर वोट नहीं देना चाहिए और न ही उनकी चर्चा में भाग लेना चाहिए। (धारायें २९९-३००)।

११. यदि डायरेक्टर किसी मैनेजर, मैनेजिंग एजेन्ट या सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स की नियुक्ति की संविदा में हितबद्ध है तो उसे अपने हित को प्रकट करना चाहिए तथा उसका विवरण कम्पनी के सदस्यों को प्रकट किया जाना चाहिए। (धारा ३०२)।

१२. प्रत्येक डायरेक्टर का यह कर्तव्य है कि वह डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति या उसे छोड़ने के २१ दिन के भीतर धारा ३०३ के अन्तर्गत रजिस्टर आफ डायरेक्टर्स के रख-रखाव के लिए अपेक्षित निम्नलिखित विवरणों को कम्पनी को प्रकट करेगा :—

(क) वर्तमान पूरा नाम तथा अधिनाम (surname); (ख) कोई पूर्व पूरा नाम तथा अधिनाम; (ग) अपने पिता का पूरा नाम तथा अधिनाम या जहाँ वह एक विवाहित स्त्री है उसके पति का पूरा नाम तथा अधिनाम; (घ) उसका सामान्य आवासिक पता; (ङ) उसकी राष्ट्रीयता और यदि यह राष्ट्रीयता उसकी मूल राष्ट्रीयता नहीं है, उसकी मूल राष्ट्रीयता; (च) उसका व्यावसायिक पेशा; (छ) यदि वह किसी अन्य निगम निकाय में डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, मैनेजर, या सेक्रेटरी का पद धारण करता है, धारण किये गए ऐसे प्रत्येक पद का विवरण; तथा (ज) सिवाय प्राइवेट कम्पनी की सूरत में, उसकी जन्म तिथि। (धारा ३०५)।

१३. कम्पनी के प्रत्येक डायरेक्टर तथा डायरेक्टर समझे जाने वाले प्रत्येक व्यक्तियों, अर्थात्, जिनके निदेशों तथा अनुदेशों के अनुसार कार्य करने के लिए बोर्ड आफ डायरेक्टर्स अभ्यस्त है, का यह कर्तव्य है कि वे अपने सम्बन्ध में धारा ३०७ के अन्तर्गत रजिस्टर आफ डायरेक्टर्स के रखरखाव के प्रयोजनों के लिए आवश्यक विवरणों को प्रकट करें, जो अपेक्षित विवरण निम्न प्रकार होंगे :—

(क) संख्या ; (ख) वर्णन ; तथा (ग) धनराशि—कम्पनी या किसी अन्य निगम निकाय के उन शेयर्स तथा डिबेन्चर्स का, जो

(क) कम्पनी या किसी निगम निकाय के उन शेयर्स तथा डिबेन्चर्स की (क) संख्या ; (ख) उनका वर्णन ; तथा (ग) उनकी धनराशि जो उसने धारण कर रक्खी हो, या न्यास के रूप में उसके लिए, या जिनका धारक बनने का उसे कोई अधिकार हो चाहे भुगतान के द्वारा या नहीं। (धारा ३०८)।

१४. बोर्ड की मीटिंग में उपस्थित प्रत्येक डायरेक्टर का यह कर्तव्य है कि वह धारा ३०१ के अनुसार रक्खे गए संविदाओं के रजिस्टर को हस्ताक्षरित करे। संविदाओं के रजिस्टर में निम्नलिखित विवरण होगा और इसे बोर्ड की जिस मीटिंग में संविदा या व्यवस्था अनुमोदित की जाती है उसके सात रोज के भीतर दर्ज किया जायगा।

(क) संविदा या व्यवस्था की तारीख ; (ख) उसके पक्षकारों के नाम ; (ग) उसके प्रमुख निबन्धन तथा शर्तें ; (घ) ऐसी संविदा की सूरत में जिसे धारा २९७ लागू होती है या ऐसी संविदा या व्यवस्था की सूरत में जिसे धारा २९९ की उपधारा (२) लागू होती है, तारीख जिस पर उसे बोर्ड के समक्ष रक्खा गया था, तथा (ङ) उन डायरेक्टरों के नाम जिन्होंने संविदा या व्यवस्था के पक्ष या विपक्ष में वोट दिए थे तथा उनके नाम जो तटस्थ थे। [धारा ३०१ (क)]।

ऐसी प्रत्येक संविदा या व्यवस्था का विवरण जिसे धारा २९७ (जिसका उल्लेख शीघ्र ही किया जाएगा) लागू होती है या, जैसी भी स्थिति हो, धारा २९९ लागू होती है, उपरोक्त सुसंगत रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा तथा रजिस्टर को बोर्ड की अगली मीटिंग में रक्खा जाएगा और तब मीटिंग में उपस्थित डायरेक्टर्स द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा।

उपरोक्त कोई बात निम्नलिखित को नहीं लागू होगी—

(क) किन्हीं वस्तुओं, सामान तथा सेवाओं के विक्रय, क्रय या सप्लाई के लिए की गई संविदा या व्यवस्था, यदि ऐसी वस्तुओं तथा सामान का मूल्य या सेवाओं का व्यय किसी वर्ष में कुल एक हजार रुपये से अधिक नहीं होता ; या

(ख) अपने व्यापार के सामान्य क्रम में किसी बैंकिंग कम्पनी द्वारा अपने बिलों की वसूली के लिए की गई कोई संविदा या व्यवस्था (जिसे धारा २९७ या, जैसी भी स्थिति हो, धारा २९६ लागू होती है) या धारा २९७ की उपधारा (२) के खण्ड (ग) में उल्लिखित संव्यवहार। (धारा ३०१)।

१५. कोर्ट के आदेश द्वारा समापन की जा रही कम्पनी के डायरेक्टर्स द्वारा, निर्धारित प्रपत्र में शपथ-पत्र द्वारा सत्यापित, कम्पनी के कारोबार का एक स्टेटमेन्ट परिसमापक को प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें कम्पनी की परिसम्पत्, ऋण तथा दायित्वों, इत्यादि की सही स्थिति दिखाई जाएगी। (धारा ४५४)।

डायरेक्स की निर्योग्यताएं (Disabilities of directors)—

इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ ने डायरेक्टर्स पर निम्नलिखित निर्योग्यताएं लागू की हैं :—

(१) अनुमुक्त दिवालिए को किसी कम्पनी के डायरेक्टर के रूप में नहीं नियुक्त किया जा सकता और न ही कम्पनी के प्रबन्ध में भाग लेने की अनुमति उसे दी जा सकती है। (धारा २७४ (१) (बी)।

(२) कोई डायरेक्टर, भले ही वह इस सम्बन्ध में आर्टिकल्स या किसी करार द्वारा प्राधिकृत हो, पहली अप्रैल १९५६ के बाद अपने पद को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अभिहस्तांकित नहीं कर सकता। यदि ऐसा अभिहस्तांकन किया जाता है, तो यह शून्य होगा। (धारा ३१२)।

(३) कम्पनी का डायरेक्टर किसी अनवधानता, चूक, अपकरण, कर्तव्य-भंग या न्यास-भंग के सिलसिले में कानून के अनुसार उस पर आने वाले किसी उत्तरदायित्व से विमुक्ति या उसके खिलाफ क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा जिसके लिये वह आर्टिकल्स में किसी उपबन्ध या कम्पनी के साथ किसी पृथक संविदा के उपबंध के कारण कम्पनी के सिलसिले में दोषी हो। (धारा २०१)।

(४) कोई कंपनी, इस दिशा में केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बगैर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से; कम्पनी के डायरेक्टर या धर्म को, जिसका कि ऐसा डायरेक्टर एक भागीदार है, कोई ऋण नहीं देगी या उनको दिए गए ऋण के लिये प्रत्याभूति नहीं प्रदान करेगी (धारा २९५)।

(५) विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रदान की गई कम्पनी की पूर्व सहमति के सिवाय कंपनी का कोई डायरेक्टर लाभ पद या स्थान नहीं धारण करेगा, तथा ऐसे कंपनी के अन्तर्गत ऐसे डारेयक्टर का कोई भागीदार या संबंधी, कोई फर्म, जिसमें ऐसा डायरेक्टर या संबंधी भागीदार है, तथा कोई प्राईवेट कम्पनी जिसका ऐसा डायरेक्टर

सदस्य या डायरेक्टर सदस्य या डायरेकटर है कोई ऐसा लाभपद या स्थान नहीं धारण करेगा जिसका कुल मासिक पारिश्रमिक ५०० रु० या अधिक हो, सिवाय मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स, मैनेजर, कानूनी या प्राविधिक सलाहकार, बैंकर या कम्पनी के डिबेन्चर होल्डर्स के न्यासधारी के। (धारा ३१४)।

(६) किसी लोक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, जो किसी लोक कंपनी की सहायक है, के डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग में ऐसी लोक कम्पनी या सहायक कंपनी की सहमति के सिवाय, कंपनी के अंडरटेकिंग को न तो बेच सकते हैं, न तो पट्टे पर दे सकते हैं और न ही अन्यथा हस्तांतरित कर सकते हैं, या उसके द्वारा निषिद्ध कोई कार्य ही कर सकते हैं, जिसका उल्लेख बोर्ड की शक्तियों पर निर्बंधनों के सिल-सिले में पहिले किया जा चुका है। (धारा २९३)।

(७) कंपनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की सहमति के सिवाय, कम्पनी के डायरेक्टर या उसके संबन्धी, कोई फर्म जिसमें ऐसा डायरेक्टर या संबंधी भागीदार है, ऐसी फर्म में कोई भागीदार, या प्राइवेट कंपनी, जिसका कि डायरेक्टर एक सदस्य या डायरेक्टर है, द्वारा कम्पनी के साथ कोई संविदा (क) किसी माल वस्तुओं या सेवाओं के विक्रय, क्रय या सप्लाई के लिये, या (ख) पहली अप्रैल, १९५६ के बाद, कम्पनी के किन्हीं शेयरों में डिबेन्चर्स के निम्नांकन के लिये, नहीं की जाएगी। (धारा २९७)।

डायरेक्टर्स के कृत्यों की विध्यनुकूलता या मान्यता

(Validity of acts of directors) :—किसी व्यक्ति द्वारा डायरेक्टर के रूप में किया गया कृत्य विध्यनुकूल या मान्य होगा, इस वाद के बावजूद भी कि बाद में पता चले किसी त्रुटि या निर्योग्यता के कारण अमान्य था या ऐक्ट या आर्टिक्ल्स में किसी उपबन्ध के अनुसार समाप्त हो गया था, लेकिन उपरोक्त किसी बात से कम्पनी को यह पता चलने के बाद कि उसकी नियुक्ति अमान्य है या समाप्त हो चुकी है, डायरेक्टर द्वारा किए गए किसी कृत्य को मान्यता नहीं प्रदान होगी। (धारा २९०)।

यदि दूसरे पक्षकार को उसकी नियुक्ति की त्रुटि का पता था या मामले की परिस्थितियों द्वारा वह ऐसी स्थिति में था कि उसे जाँच-पड़ताल करनी चाहिये थी, और उसने कोई जाँच-पड़ताल नहीं की थी, तो उपरोक्त उपबन्धों से त्रुटिपूर्ण नियुक्ति वाले डायरेक्टर द्वारा किये गए कृत्यों को मान्यता नहीं प्रदान होगी। (Kansen *v.* Rialto Ltd. (1944) Ch. 346)।

डायरेक्टर्स का उत्तरदायित्व (Liability of directors ;—डायरेक्टर्स का त्रिगुणी उत्तरदायित्व होता है—(१) बाहरी व्यक्तियों के प्रति या कम्पनी के एजेन्ट के रूप में तीसरे व्यक्तियों के प्रति, (२) न्यासधारी के रूप में कम्पनी के प्रति, तथा (३) शेयरहोल्डर्स के प्रति।

१—बाहरी व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायित्व (Liability to the outsiders)—बाहरी व्यक्तियों के लिये यह जरूरी है कि वे कम्पनी के मेमोरेन्डम को पढ़ कर डायरेक्टर्स तथा कम्पनी की शक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। कम्पनी के एजेन्ट के रूप में जो संविदायें डायरेक्टर्स करते हैं उसके लिए वे वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी नहीं होते, लेकिन यदि वह अपने नाम में संविदा करता है तो वह उत्तरदायी होगा। यदि वे कम्पनी की निश्चित क्षमता से अधिक धन उधार लेते हैं, तो अधिक रकम को उनकी जेब से वापस कराया जा सकता है। यदि डायरेक्टर्स कपट के दोषी हैं तो वे बाहरी व्यक्तियों के प्रति वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होंगे। लेकिन, यदि उन्होंने कैपिटल का इस्तेमाल शक्ति के परे (*ultra vires*) प्रयोजनों के भुगतान के लिये किया हो ती कपट प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है। जहाँ कोई शक्ति के परे संव्यवहार डायरेक्टर्स द्वारा जतलाए गए प्राधिकार के उपलक्षित अध्याभूति (Implied warranty) के भंग के समान हों, तो डायरेक्टर्स उत्तरदायी हैं। (Week *v.* Propert (1873) L. R. 8 C. P. 427) में एक रेलवे कंपनी ने उधार लेने की अपनी पूरी शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया था। डायरेक्टर्स ने डिबेन्चर्स की प्रतिभूति पर उधार लिए जाने का विज्ञापन दिया था। डब्ल्यू० ने ५०० पौंड उधार दिए थे और एक डिबेन्चर प्राप्त किया था, लेकिन डिबेन्चर को शून्य घोषित कर दिया गया। इस केस में यह निर्धारित किया गया कि डब्ल्यू डायरेक्टर्स के विरुद्ध प्रास्पेक्टस से उपलक्षित इस अध्याभूति के भङ्ग के लिए वाद चला सकता है कि उन्हें ऐसे डिबेन्चर्स जारी करने की शक्ति थी।

कम्पनी की ओर से दी गयी संविदाओं के लिये डायरेक्टर वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होगा, यदि उसने अभिव्यक्त या प्रलक्षित रूप से, उसके लिए वैयक्तिक रूप से जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है।

प्रास्पेक्टस में मिथ्या कथनों या चूकों के सिलसिले में डायरेक्टर का उत्तरदायित्व तीन शीर्षकों के अन्तर्गत आता है—(१) कपट के लिए सिलसिले में हर्जाने के दावे की कार्यवाही का उत्तरदायित्व, (२) ऐक्ट की धारा ६२ के अन्तर्गत सिविल उत्तरदायित्व, तथा (३) एक्ट की धारा ६३ के अन्तर्गत क्रिमिनल उत्तरदायित्व।

कपट के सिलसिले में कार्यवाही के संबन्ध में निर्धारित किया गया है कि कम्पनी अपने एजेन्टों के कृत्यों के लिए जिम्मेदार होती है जहाँ ये कृत्य दुर्भावना,

कपट या अनवधानता से उत्पन्न हुए हों, लेकिन फिर भी, एजेन्टों को उनके उत्तरदायित्व से छुटकारा नहीं मिलता और उन्हें अपने कृत्यों या चूक का परिणाम भुगतना पड़ेगा।

यदि कोई डायरेक्टर कोई दुष्कृतिपूर्ण (tortious) कृत्य करता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करता है, तो वह इसके लिए वैयक्तिक रूप से जिम्मेदार होगा, लेकिन वह अपने को डायरेक्टर के कपट के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं होता जब तक कि उसने उसे प्राधिकृत न किया हो या उसका संसर्गी (privy) न रहा हो। वह कम्पनी द्वारा किए गए किसी अपकृत्य के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं होता जब तक कि उसने उस अपकृत्य को प्राधिकृत न किया हो या ऐसे कृत्य को करने के लिए कम्पनी उसकी एजेन्ट रही हो।

संक्षेप में, कम्पनी के एजेन्ट के रूप में की गई संविदाओं के लिए डायरेक्टर्स वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी नहीं होते, लेकिन उन्हें इन बातों के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता है—(१) अपने नाम में की गई संविदाओं के लिए, (२) ऐसे संव्यवहारों की सूरत में प्रलक्षित प्रत्याभूति या प्राधिकार के भंग के लिए जो कम्पनी की शक्ति के परे हों, तथा (३) प्रास्पेक्टस में मिथ्या कथनों के सिलसिले में उन व्यक्तियों के प्रति जिन्होंने ऐसे कथनों के विश्वास पर शेयरों के लिए सब्सक्राइब किया था।

२. कम्पनी के प्रति उत्तरदायित्व (Liability to the company)—यदि डायरेक्टर्स ने अपनी शक्ति के परे कार्य किया है तो वे कम्पनी के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उनके खिलाफ कोई कपट प्रमाणित करना आवश्यक नहीं होता। केवल इतना ही स्थापित करना पर्याप्त होता है कि कृत्य कम्पनी द्वारा उनको दी गई शक्ति के परे है। इस प्रकार, वे कैपिटल में से डिविडेन्ड के भुगतान के लिए उत्तरदायी होते हैं और इस बात को सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो ऐसा आरोप लगाता है। [City Equitable Fire Insurance Co. (1925) I. Ch. 407]।

डायरेक्टर्स अनवधानता के लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनवधानता का अर्थ है सामान्य व्यक्ति द्वारा अपने मामलों में बरती जाने वाली सावधानी बरतने में चूक करना। [Leeds Estate Co. *v.* Shepherd, 30 Ch. D 737] लीड्स एस्टेट कम्पनी के केस में कम्पनी के बैलेन्सशीट को मैनेजर ने तैयार किया था। यह भ्रामक था तथा उसमें कम्पनी की परिसम्पत् को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया था। डायरेक्टर्स को पता नहीं था और उन्होंने कम्पनी की

वास्तविकता की जाँच करने का कोई प्रयास भी नहीं किया था। इस केस में निर्धारित किया गया कि जितनी सावधानी बरती जानी चाहिये थी उसे बरतने में चूक की गई थी इसलिए वे उत्तरदायी थे।

City Equitable Fire Insurance Co. के केस में डायरेक्टर्स ने कारोबार के कुल नियन्त्रण को अविनिहित (uninvested) फण्ड्स सहित कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर तथा दलालों के एक फर्म के वरिष्ठ भागीदार के हाथों में छोड़ दिया था। दलाली के हाथ में काफी बड़ी धनराशि छोड़ दी गई थी जिससे कम्पनी को हाथ धोना पड़ा। डायरेक्टर्स ने ईमानदारीपूर्ण कार्य किया था और उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर पर पूरा विश्वास था जो एक ख्याति-प्राप्त उच्च वित्त-दाता (financier) था। यह निर्धारित किया गया कि डायरेक्टर्स जिन्होंने वार्षिक बैलेन्स शीट पारित किया था अनवधानता के दोषी थे क्योंकि उन्होंने यह सुनिश्चित नहीं किया था कि बैलेन्स शीट में प्रदर्शित फण्ड्स में से कितना विनिहित किया गया था।

यदि डायरेक्टर अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों पर विश्वास करता है और अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है, और ऐसे कर्मचारियों की अनवधानता या कपट के कारण कम्पनी को कोई हर्जा होता है, तो डायरेक्टर इसके लिए उत्तरदायी न होगा (City Equitable Fire Insurance Co., Supra.) यह निःसंदेह उसका कर्तव्य है कि जिन मीटिङ्गों में वह भाग लेता है उसमें बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के सामने लाये जाने वाले मामलों को जब उसके सामने लाया जाय तो वह एक कुशल व्यापारी की भाँति ध्यानपूर्वक देखे तथा निर्णय का प्रयोग करे।

यदि डायरेक्टर्स ने अपनी शक्ति की सीमा के भीतर सद्भावनापूर्वक विवेक का प्रयोग करते हुए कार्य किया है, तो वे निर्णय की भूल मात्र के लिए उत्तरदायी नहीं होते। भार उन व्यक्तियों पर होता है जो असद्भावना का आरोप लगाते हैं। In *re*. New Mashonaland Exploration Co. (1892) 3 Ch. 577 में डायरेक्टर्स 'जी' को उसके द्वारा प्रतिभूति दिये जाने पर १,२५० पौंड उधार देने के लिए सहमत हुये थे। चेक 'जी' को तुरन्त दे दिया गया था, लेकिन उसने प्रतिभूति कभी नहीं दिया। यह निर्धारित किया गया कि डायरेक्टर्स उत्तरदायी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने निर्णय तथा विवेक का प्रयोग किया था और अपनी तरफ से किसी प्रकार के कपट के अभाव में वे निर्णय की भूल मात्र के लिए उत्तरदायी नहीं थे।

यदि डायरेक्टर यह प्रमाणित करे कि उसने उन तथ्यों के किसी ज्ञान के बिना, जिससे उसका कृत्य अवैध होता था, कार्य किया था तो वह उत्तरदायी नहीं होगा, बशर्ते कि वह अनवधानता का दोषी न हो। [Dovey *v.* Cory (1901) A. C. 477].

डायरेक्टर्स को परिनियत सुरक्षा (Statutory protection to Directors)—अनवधानता, चूक, कर्तव्य-भंग, अपकरण या न्यास-भंग के सिलसिले में डायरेक्टर के खिलाफ की गई कार्यवाही में कोर्ट उसे मुक्त कर सकती है, यदि कोर्ट को प्रतीत हो कि उसने ईमानदारी तथा युक्तिसंगत रूप से कार्य किया है और मामले की सभी-परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उसे माफ कर देना ही उचित होगा। (धारा ६३३)। यदि स्वयं उसके कृत्य शक्ति के परे हों तो भी कोर्ट डायरेक्टर्स को मुक्त कर दे सकती है। [In *re* Claridge's Patent *Asphalte* Co. (1921) 1 Ch. 543]।

क्षतिपूर्ति का अनुच्छेद शून्य (Indemnity article void)—City Equitable Fire Insurance Co. के केस में डायरेक्टर्स इतने लापरवाह थे कि आर्टिकल्स में क्षतिपूर्ति के अनुच्छेद का, जो उन्हें लापरवाही या चूक के दायित्व से विमुक्त करता था, फायदा उठाने की अनुमति उन्हें नहीं दी गई। धारा २०१ के अन्तर्गत आर्टिकल्स या कम्पनी के साथ की गई किसी संविदा में ऐसा उपबन्ध, जो कम्पनी के किसी अधिकारी को किसी ऐसे दायित्व से मुक्त करता हो जो किसी नियम या कानून के अनुसार उसे कम्पनी के सिलसिले में किसी अनवधानता, लापरवाही, चूक, अपकरण या कर्तव्य-भंग, या न्यास-भंग, जिसका कि वह दोषी हो, के लिये अन्यथा उत्तरदायी ठहराता हो, शून्य होगा। लेकिन, कम्पनी उसे किसी ऐसे दायित्व के विरुद्ध क्षतिपूर्ति कर सकती है जो किसी कार्यवाही, दिवानी या फौजदारी की, का प्रतिवाद करने के सिलसिले में उसके ऊपर आता हो, जिसमें फैसला उसके पक्ष में दिया गया हो या धारा ६३३ के अन्तर्गत किसी दरखास्त पर, जिसमें कोर्ट द्वारा अनुतोष प्रदान किया जाता है, वह निर्दोष पाया जाता है या बरी कर दिया जाता है।

यदि डायरेक्टर्स ऐक्ट द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं का पालन नहीं करते या यदि वे कम्पनी के हिसाब में गड़बड़ी करते हैं, तो वे दांडिक (क्रिमिनैली) रूप से उत्तरदायी होंगे। [धारा ५३८-५४५]। दांडिक उत्तरदायित्व सदस्यों का रजिस्टर न रखने (धारा ११५), शेयरों तथा स्टाक्स के परिवर्तन के सिलसिले में रजिस्ट्रार को नोटिस न भेजने (धारा ६५), विशेष प्रस्तावों की प्रतियाँ रजिस्ट्रार को न भेजने, तथा डायरेक्टर्स का रजिस्टर न रखने (धारा ३०३) से उत्पन्न होता है।

डायरेक्टर्स अपकरण (misfeasance) के लिये भी उत्तरदायी होते हैं, जो कम्पनी के सिलसिले में एक ऐसा कृत्य या चूक होता है जिससे कम्पनी को हर्जा या क्षति होती है ["an act or omission in relation to the Company which causes loss or injury to the company"]। *In re Kingston Cotton Mills*, (1896) 2 Ch. 279, 283 में Lindley, L. J. ने निबन्धन misfeasance को समझाते हुए कहा कि यह कम्पनी के प्रति अपने कर्तव्य का अधिकारी द्वारा किया गया कोई भंग होता है जिसका प्रत्यक्ष परिणाम कम्पनी की परिसम्पत् का दुरुपयोग हुआ है जिसके लिए वह कानून या साम्य में की गई कार्यवाही में जिम्मेदार हो सकता था। संक्षेप में, अनवधानता (negligence) के अतिरिक्त कर्तव्य-भंग ही वह बात है जो निबन्धन "अपकरण" से उपलक्षित होता है और वस्तुतः कभी-कभी निबन्धन "न्यास-भंग" (breach of trust) तथा "अपकरण" के बजाय निबन्धन "चूक" (default) या "कर्त्तव्य-भंग" (breach of duty) का प्रयोग वास्तव में "न्यास-भंग" तथा "अपकरण" को सामूहिक रूप से व्यक्त करने के लिए किया जाता है।

जिस प्रक्रिया द्वारा डायरेक्टर्स के इस दायित्व को लागू किया जाता है उसे "misfeasance summons" कहा जाता है। यह धारा ५४३ के अन्तर्गत समापन में परिसमापक या किसी ऋणदाता या अंशदाता द्वारा सम्मन द्वारा कोर्ट को दी गयी एक दरखास्त होती है।

न्यास-भंग के लिए कम्पनी स्वयं डायरेक्टर्स के विरुद्ध क़ानूनी कार्यवाही कर सकती है।

धारा ६३३ के अन्तर्गत, जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, यदि डायरेक्टर ने ईमानदारी तथा युक्तिसंगत रूप से कार्य किया है और उसे माफ कर देना न्यायोचित है, तो कोर्ट उसे न्यास-भंग तथा अपकरण के दायित्व से मुक्त कर सकती है। आर्टिक्ल्स द्वारा उपबन्धित कोई क्षतिपूर्ति (indemnity) धारा २०१ के उपबन्धों के परिणामस्वरूप शून्य होगी।

धारा २६५ में दिए गए निषेध के प्रतिकूल लिए गए ऋण, यदि कोई हो, डायरेक्टर या डायरेक्टर्स वापस करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

संक्षेप में, डायरेक्टर्स इन बातों के लिए उत्तरदायी होते हैं—(१) ऐसे कृत्यों के लिए जो उनकी शक्तियों के परे (*ultra vires*) हों (ऐसी सूरत में कपट सिद्ध करना आवश्यक नहीं है), (२) अनवधानता के लिये, लेकिन निर्णय की

भूल मात्र के लिए या तथ्यों की जानकारी के बगैर कार्य करने के लिये नहीं, जिससे कि उनके कृत्य अवैध हो जाँय, तथा (३) न्यास-भंग तथा अपकरण के लिये कपनी अपने आर्टिक्ल्स में क्षतिपूर्ति के खंड का प्राविधान करके उपरोक्त उत्तरदायित्वों से डायरेक्टर्स को मुक्त नहीं कर सकती। (धारा २०१)।

३—शेयरहोल्डर्स के प्रति उत्तरदायित्व (Liability to the Shareholders) शेयर होल्डर्स को डायरेक्टर्स के खिलाफ उनकी अनवधानता, अपकरण, न्यास-भंग के सिलसिले में या शक्ति के परे किये गए कृत्यों या कपटपूर्ण कृत्यों के सिलसिले में कार्यवाही करने का कारण मिल सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी शेयरहोल्डर के शेयरों को दोषपूर्ण ढंग से जब्त कर लिया गया है, तो वह कार्यवाही कर सकता है।

डायरेक्टर्स उस सूरत में अनवधानता के लिये उत्तरदायी होते हैं जब कि वे अपनी शक्तियों के भीतर कार्य करते हुए उतनी युक्तिसंगत सावधानी तथा कुशलता नहीं बरतते जिसकी आशा उनकी जानकारी तथा ज्ञान वाले अन्य व्यक्ति से कम्पनी के मामलों के प्रबन्ध में आशा की जा सकती है। वे उस सूरत में भी अनवधानता के लिये उत्तरदायी होते हैं जब कि वे उस कम्पनी के मामलों से सम्बन्धित सभी बातों को डायरेक्टर्स के हाथों में छोड़ देते हैं, जो कि कपट के वास्तविक कर्त्ता होते हैं [गोबिन्द बनाम रघुनाथ, ३२ बाम्बे एल० आर० २३२]।

जब डायरेक्टर्स शक्ति के परे कोई कार्य करते हैं जो आर्टिक्ल्स में परिभाषित उनके प्राधिकार से बाहर होता है, तो बाद में शेयरहोल्डर्स उसको अनुसमर्थित कर सकते हैं, बशर्ते कि यह मेमोरंडम में परिभाषित कंपनी की शक्तियों के बाहर न हो। अनुसमर्थन को स्थापित करने के लिये, अनुसमर्थन करने वाले शेयरहोल्डर्स को ऐसे कृत्य को पूर्ण तथा स्पष्ट जानकारी सहित करना चाहिये और सभी शेयर-होल्डर्स को इसका अनुसमर्थन करना चाहिये, न कि केवल उन्हीं द्वारा जो मीटिंग में मौजूद हों। अनुसमर्थन से अनुसमर्थन करने का आशय प्रलक्षित होता है और जब तक कृत्य की अवैधता की जानकारी न हो किसी अवैध कृत्य को अनुसमर्थित करने का आशय नहीं हो सकता।

अनुसमर्थन के अभाव में भी, डायरेक्टर्स द्वारा शक्ति के परे किए गए कृत्यों से उत्पन्न होने वाले संविदात्मक अधिकारों को कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तित कराया जा सकता है, बशर्तेकि ये कृत्य कम्पनी के अधिकारान्तर्गत हों। लेकिन डायरेक्टर्स कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो कम्पनी को गठित करने वाले दस्तावेज से परे हो, अर्थात् जो कुछ मेमोरन्डम में निर्धारित हैं।

कम्पनी के डायरेक्टर्स की लोक पृच्छा (Public examination of Directors of a Company)—ऐक्ट की धारा ४७८ कोर्ट को डायरेक्टर्स की लोक-पृच्छा का आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है। यह निर्धारित करती है कि जब कोर्ट द्वारा कम्पनी के समापन का आदेश दिया गया हो, और ऐक्ट के अन्तर्गत परिसमापक ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दी हो, यह कहते हुए कि उसके मतानुसार कम्पनी के सम्बन्ध, प्रमोशन या निर्माण से किसी व्यक्ति या कम्पनी के किसी अधिकारी द्वारा कम्पनी के निर्माण के समय से कोई कपट किया गया है, तो रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् कोर्ट आदेश दे सकेगी कि वह व्यक्ति या अधिकारी निश्चित तारीख पर कोर्ट के सामने हाजिर होगा और कम्पनी के प्रमोशन, निर्माण या कारोबार या उसके ऐसे अधिकारी के व्यवहार या आचरण के सिलसिले में उसकी लोक-पृच्छा (public examination) होगी।

डायरेक्टर्स द्वारा पद खाली किया जाना (Vacation of office by Directors)—डायरेक्टर का पद खाली हो जायगा यदि—

(१) वह अपने क्वालीफिकेशन शेयर्स को अपनी नियुक्ति के दो महीने के भीतर नहीं ले लेता या उसके बाद किसी समय वह ऐसे शेयर धारण नहीं करता,

(२) कोई सक्षम अदालत उसे अस्वस्थ चित्त का घोषित करती है,

(३) वह दिवालिया निर्णीत किए जाने के लिए दरख्वास्त देता है,

(४) उसे दिवालिया निर्णीत किया जाता है,

(५) नैतिक पतन वाले किसी अपराध के लिये कोर्ट उसे दंडित करती है, और कम से कम ६ माह के लिए कारावास की सजा देती है,

(६) वह स्वयं या अन्य के साथ संयुक्त रूप से धारित शेयरों पर माँग (call) के लिए निश्चित अन्तिम तारीख के ६ महीने के भीतर माँग का भुगतान नहीं करता, जब तक कि केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे चूक के फलस्वरूप उत्पन्न हुई निर्योग्यता को हटा नहीं देती।

(७) वह लगातार बोर्ड की तीन मीटिंगों में गैरहाजिर रहता है, या तीन महीने की निरन्तर अवधि तक बोर्ड की सभी मीटिंगों में गैरहाजिर रहता है, जो भी अवधि अधिक हो, और वह बोर्ड की अनुमति के बिना ऐसा करता है,

(८) वह चाहे स्वयं या अपने लाभ के लिए या अपने खाते में किसी व्यक्ति द्वारा या कोई फर्म जिसमें वह भागीदार है या कोई प्राइवेट कम्पनी जिसका

कि वह डायरेक्टर है, धारा २९५ के उपबन्धों के प्रतिकूल कम्पनी से ऋण या कोई प्रत्याभूति या ऋण के लिए प्रतिभूति प्राप्त करती है,

(९) वह धारा २९९ के उपबन्धों के प्रतिकूल कम्पनी के साथ ऐसी संविदाओं या व्यवस्थाओं का प्रकटीकरण नहीं करता जिसमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध है,

(१०) वह धारा २०३ के अन्तर्गत किसी कम्पनी की स्थापना, प्रमोशन या प्रबन्ध के सिलसिले में किसी अपराध का दोषी पाए जाने के आधार पर या समापन की कार्यवाही के सम्बन्ध में कपट या अपकरण का दोषी पाये जाने के आधार पर कोर्ट के आदेश द्वारा अनर्हित या निर्योगित हो जाता है,

(११) उसे धारा २८४ के उपबन्धों के अनुसार उसके पद की अवधि की समाप्ति से पहिले ही हटा दिया जाता है, जिसका उल्लेख निकट ही आगे किया गया है,

(१२) वह कम्पनी में किसी पद पर या सेवा में होने या कम्पनी के मैनेजिंग एजेन्ट का नोमिनी होने के कारण डायरेक्टर के पद पर नियुक्त है, और कम्पनी में उसके द्वारा ऐसा पद धारण किया जाना समाप्त हो जाता है या उसकी सेवा समाप्त हो जाती है या, जैसी भी स्थिति हो, मैनेजिंग एजेन्सी समाप्त हो जाती है। (धारा २८३)।

(१३) धारा ३१४ के अन्तर्गत उल्लंघन की तारीख से यह माना जाएगा कि कम्पनी के डायरेक्टर ने अपना पद खाली कर दिया है यदि वह, उसका भागीदार या सम्बन्धी, प्राइवेट कम्पनी जिसका कि वह डायरेक्टर या सदस्य है, कम्पनी में कोई लाभ-पद या स्थान धारण करता है, या करती है (सिवाय मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स, कानूनी या प्राविधिक सलाहकार, बैंकर या डिबेन्चर-होल्डर्स के न्यासधारी के), जब तक कि विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रदान की गई कम्पनी की सहमति प्राप्त न कर ली गई हो।

डायरेक्टर्स को हटाया जाना (Removal of direc.ors)—

किसी डायरेक्टर को उसके पद की अवधि समाप्त होने से पहिले जनरल मीटिंग में पारित किए गए साधारण प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जब तक कि (१) वह धारा ४०८ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया डायरेक्टर न हो, या (२) जहाँ कम्पनी ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार अपने समस्त डायरेक्टर्स के दो-तिहाई डायरेक्टर्स को स्वयं नियुक्त करने के लिये धारा २६५ के द्वारा प्रदत्त विकल्प को ग्रहण न कर लिया हो, या (३) वह पहली

अप्रैल, १९५२ को आजीवन पद धारण करने वाला किसी प्राइवेट कम्पनी का डायरेक्टर न हो, भले ही वह आर्टिक्ल्स के अनुसार या अन्यथा आयु सीमा के अनुसार रिटायर होने के नियम के अधीन हो अथवा न हो। डायरेक्टर को हटाए जाने के प्रस्ताव के लिए कम से कम २८ दिन की विशेष नोटिस आवश्यक है। ऐसे प्रस्ताव की सूचना प्राप्त करने पर कम्पनी द्वारा उसकी एक प्रतिलिपि सम्बन्धित डायरेक्टर को तुरन्त भेजी जानी चाहिए, जिसे ऐसी मीटिंग में सुनवाई का हक होगा तथा वह कोई लिखित अभ्यावेदन भी दे सकता है और यह अनुरोध कर सकता है कि उसे सदस्यों में परिचालित कर दिया जाय। यदि ऐसा अनुरोध किया गया है तो कम्पनी द्वारा उसे समस्त सदस्यों के बीच अवश्य परिचालित किया जाना चाहिये, जब कि उसे उतने विलम्ब से न प्राप्त किया गया हो कि उसे परिचालित करना सम्भव न हो। ऐसी सूरत में, यदि सम्बन्धित डायरेक्टर अपेक्षित करता है कि उसके अभ्यावेदन को मीटिंग में पढ़ दिया जाय तो उसे मीटिंग में अवश्य पढ़ा जाना चाहिये। इसके अलावा वह यह भी अपेक्षित कर सकता है कि उसे मौखिक रूप से मीटिंग में सुना भी दिया जाय, लेकिन यदि कम्पनी या पीड़ित व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र दिए जाने पर कोर्ट यह समझती है कि सम्बन्धित डायरेक्टर सदस्यों को अपने अभ्यावेदन की सूचना दिए जाने के विशेषाधिकार के मानहानिजनक कथन को अनावश्यक प्रकाशन देने के इरादे से, दुरुपयोग कर रहा है, तो न तो अभ्यावेदनों को सूचित करना जरूरी होगा और न ही सदस्यों के पास उसकी प्रतिलिपि भेजना या मीटिंग में उसका पढ़ा जाना जरूरी होगा। (धारा २८४)।

अध्याय १५

मैनेजिंग एजेन्ट

[MANAGING AGENT]

[धाराएँ ३२४-३७७]

मैनेजिंग एजेन्ट :—निर्बन्धन मैनेजिंग एजेन्ट को ऐक्ट में परिभाषित करते हुए कहा गया है मैनेजिंग एजेन्ट एक व्यक्ति, फर्म या निगम निकाय (body corporate) होता है जो, ऐक्ट के उपबन्धों के अधीन, कम्पनी के साथ किसी करार, या उसके आर्टिक्ल्स आफ असोसिएशन या मोमेरन्डम के मुताबिक कम्पनी के कारोबार के समस्त प्रबन्ध या सारतः समस्त प्रबन्ध के लिए अधिकारी हो और इसमें मैनेजिंग एजेन्ट की स्थिति धारण करने वाला कोई व्यक्ति, फर्म या निगम निकाय शामिल होता है, भले ही उसे किसी नाम से पुकारा जाता हो [धारा २ (२५)]।

मैनेजिंग एजेन्सी के फायदे (Advantages of Managing Agency)—मैनेजिंग एजेन्सी की प्रणाली लगभग एक शताब्दी से कायम है। इसने देश के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण हिस्सा लिया है। शुरू से ही भारतीय वृहत उद्योगों के प्रमोशन में इसका काफी हाथ रहा है। यह तीन महत्वपूर्ण कार्य कर रही है—प्रमोशन, वित्त-दान तथा प्रबन्ध। प्रशिक्षित तथा कुशल मैनेजरों के लिए यह एक अच्छे स्रोत का काम कर रही है। देश के प्रबन्धकीय तथा औद्योगिक आवश्यकताओं की इससे काफी सीमा तक पूर्ति हो रही है। आरम्भ में बैंकिंग की आदत का विस्तार इस देश में नहीं हुआ था। आज भी सरकार की अनिश्चित आर्थिक नीतियां, औद्योगिक विकास के प्रयोजनों के लिए बढ़ती हुयी आर्थिक आवश्यकताओं, तथा शेयरहोल्डर्स की संख्या में परिणामी वृद्धि के कारण, मैनेजिंग एजेन्ट्स अपने पर्यवेक्षण के अधीन कम्पनियों में अत्यधिक हितबद्ध हैं।

अस्तित्वशील होने वाले नए उद्योगों में से बहुतों को धन लगाने वालों का विश्वास प्रमुख रूप से लीडिंग मैनेजिंग एजेन्सियों तथा ऐसी कम्पनियों को उनके द्वारा दी जाने वाली सहायता की अधिक मात्रा के कारण ही प्राप्त है। नई कम्पनियों के नाम के साथ ऐसी मैनेजिङ्ग एजेन्सियों का नाम जोड़ा जाना ही उनकी सफलता के लिए प्रतिभूति का काम करता है।

आर्थिक सुरक्षा के लिए तथा नई कम्पनी की स्वस्थता तथा सफलता के लिए जनता की दृष्टि में इनका बहुत मान है। कम्पनी को ऋण देने में ऋणदातागण

भी मैनेजिङ्ग एजेन्ट्स तथा उनकी स्वस्थता पर अधिक भरोसा करते हैं। उनके व्यापारिक अनुभव तथा ख्याति से कम्पनियों को आवश्यक शेयर कैपिटल प्राप्त करने में सरलता होती है।

मैनेजिंग एजेन्टों के कृत्य (Functions of Managing Agent)—मैनेजिङ्ग एजेन्ट्स तीन महत्वपूर्ण कृत्यों का निष्पादन करते हैं—प्रमोशन, फाइनेन्स तथा प्रबन्ध। इनमें संघटक (entrepreneur) पूंजीपति तथा उद्योग मैनेजर के तीनों पदों का सम्मिश्रण है।

प्रमोशन के क्षेत्र में भारतीय मैनेजिंग एजेन्टों ने शायद ही कोई ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र छोड़ा हो जो अछूता है। इनकी स्थिति औद्योगिक फाइनेन्स के वृत के समान है। वे न केवल शुरू की पूंजी का प्राविधान करते हैं, बल्कि आगे के विस्तार तथा सुधारों के लिए अर्थ का प्राविधान करते हैं, अपनी निजी पूंजी में से भी।

औद्योगिक प्रबन्ध में मैनेजिङ्ग एजेन्टों द्वारा लिए जाने वाले भाग का अधोमूल्यन (underrate) नहीं किया जा सकता। उनके साथ प्रशिक्षित तथा दक्ष लिपिकीय स्टाफ होता है और विदेशियों की सेवाएँ उपलब्ध करके वे प्रबन्धकीय प्रतिभा तथा कौशल की आवश्यक पूर्ति करते हैं। वे विभिन्न उद्योगों या उसी उद्योग के विभिन्न विभागों के प्रबन्ध के लिए विशेषोपयुक्त विभागों (specialised departments) को संधृत (maintain) करते हैं।

मैनेजिंग एजेन्सी के दोष (Evils of Managing Agency)

मैनेजिंग एजेन्सियाँ बिलकुल दोषमुक्त नहीं हैं। इनमें भी अनेकों अनियमितताएँ तथा कदाचरण के कार्य किए जाते हैं। इन्होंने कम्पनियों पर एकाधिकृत नियन्त्रण प्राप्त करने का प्रयास किया। मैनेजिंग डायरेक्टर्स कठपुतली मात्र बनकर रह गए हैं। बहुत से मामलों में डायरेक्टर्स अपने पद के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मैनेजिंग एजेन्टस के आभारी होते हैं। चूंकि मैनेजिंग एजेन्ट्स औद्योगिक प्रमोटर्स होते हैं वे अधिकारस्वरूप डायरेक्टर्स की नियुक्ति करवाते हैं और बाद में अपने व्यक्तियों को चुनवाते हैं। इस प्रकार, वे एक कमजोर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स रख कर कम्पनी पर अपना प्रभाव जमाते हैं। उनके पास वोटिंग पावर सहित अधिक संख्या के शेयर्स भी होते हैं।

वर्तमान ऐक्ट तक मैनेजिंग एजेन्ट्स की नियुक्ति में शेयर-होल्डर्स का कुछ भी हाथ नहीं रहता था। उनके साथ की गयी संविदाएँ एकपक्षीय हुआ करती थीं और पूर्ण रूप से मैनेजिंग एजेन्टों के फायदे के लिए होती थीं, जिनका कम्पनी

के प्रबंध में बहुत हाथ होता था। और एक प्रकार से वे ही कम्पनी के स्वामी होते थे।

दूसरी बुराई यह है कि उनका पारिश्रमिक अत्यधिक होता था। उत्पादन, क्रय, विक्रय, लाभ पर कमीशन के साथ वैयक्तिक भत्तों तथा विशेष कमीशन तथा भत्तों द्वारा उन्होंने कम्पनी का शोषण किया है। अपने पद को एक परिलब्धि (perquisite) मानते हुए इन्हें अपने पद तथा पारिश्रमिक को अभिहस्तांकित की शक्ति भी प्राप्त थी।

वर्तमान ऐक्ट के पूर्व, उनका पारिश्रमिक, न कि लाभ पर, बल्कि कम्पनी के स्टाक या विक्रय पर निर्भर करता था। परिणामस्वरूप वे लाभ का अत्यधिक प्रतिशत उपार्जित करते थे, भले ही कम्पनी घाटे पर चल रही हो।

दूसरी गम्भीर त्रुटि निधियों का अन्तर्विनियोजन (inter-investment) था। किसी कम्पनी की निधियों का, उसी प्रबंध के अधीन अन्य कम्पनी को उधार देने या शेयर्स के क्रय द्वारा, विनियोजन इस प्रणाली की सामान्य नीति रही है। कई कम्पनियों का मैनेजिङ्ग एजेन्ट होने के कारण वे उसी प्रबंध के अन्तर्गत समृद्ध कम्पनी निधियों को किसी कमजोर कम्पनी की स्थिति सुधारने में इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार वे निधियों को इन्टर-लाक कर देते थे। वर्तमान ऐक्ट ने इस प्रवृत्ति को काफी सीमा तक कम कर दिया है।

मैनेजिंग एजेन्टस कम्पनी तथा उसके शेयर-होल्डर्स के मत्थे स्टाक एक्सचेन्जों में अविचारपूर्ण सट्टेबाजी भी करते थे। वे ऐसा निजी फायदे के लिये किया करते थे।

अन्त में, यह कहा गया है कि मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली से औद्योगिक प्रबंध काफी सीमा तक निष्प्रवाहित (stagnant) हो गया है। वे नए कुशल व्यक्तियों को सेवायोजित नहीं करते जिसके परिणामस्वरूप उच्च परम्पराएँ जो कभी पहिले कायम हुई थीं वे गायब हो गई हैं। कार्यकुशलता में काफी गिरावट आ गयी है। इन्हीं दोषों के कारण कहा गया है कि "the system is rotten, root and branch, leaf and bark and blossom."

निष्कर्ष (Conclusion)—लेकिन, इन त्रुटियों के बावजूद यह सुझाव दिया गया है कि इस प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए न कि इसे समाप्त ही कर दिया जाना चाहिये, क्योंकि यह सब को मालूम है कि इस देश में पूँजी लगाने वाले अत्यन्त संकोची हैं। इस प्रणाली की यही अच्छाई है कि यह विभिन्न कारकों (factors) को एकत्रित करके उत्पादन के लिये एक उपकरण उपलब्ध करती है।

यह सत्य है कि इस देश में औद्योगिक विकास क्षैतिज न कि उदग्र ("horizontal rather than vertical") रहा है और यह कुछ हद तक शेयरहोल्डर्स के हितों के विरुद्ध प्रवर्तित हुआ है।

नए ऐक्ट ने मैनेजिंग एजेन्ट की प्रणाली को कायम रक्खा है, लेकिन उन पर इतने कड़े निर्बन्धन लागू किए गये हैं कि उनके हाथ पैर जजीरों में जकड़ कर रह गए हैं। अब अधिक बल डायरेक्टर्स द्वारा नियन्त्रित कम्पनियों पर दिया जा रहा है। ऐक्ट ने केन्द्रीय सरकार को यह घोषित कर सकने के लिए प्राधिकृत कर दिया है कि उद्योग या व्यापार के किसी वर्ग में कोई मैनेजिग एजेन्ट नहीं होने चाहिये। इसके अतिरिक्त, नए ऐक्ट ने मैनेजिंग एजेन्टों पर अनेकों अन्य निर्बन्धन भी लागू किए हैं, जिनका उल्लेख आगे किया जा रहा है।

विज्ञप्ति द्वारा मैनेजिंग एजेन्सी को समाप्त करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति (Power of the Central Government to abolish Managing Agents by notification)—उन नियमों के अधीन जो विहित किए जांय, राजकीय गजट में विज्ञप्ति द्वारा, केन्द्रीय सरकार घोषित कर सकती है कि किसी विशिष्ट तारीख से विज्ञप्ति में उल्लिखित किसी विशिष्ट वर्ग के उद्योग या व्यापार को चलाने वाली कम्पनी कोई मैनेजिङ्ग एजेन्ट नहीं रख सकेगी। विज्ञप्ति में उल्लिखित की जाने वाली कम्पनियाँ ऐक्ट के शुरू होने के पहिले या बाद में निगमित हुई हो सकती है। [धारा ३२४ (१)]। ऐसी विज्ञप्ति के जारी किए जाने पर उस मैनेजिंग एजेन्ट की पदावधि, यदि यह पहिले ही समाप्त नहीं होती है, उल्लिखित तारीख से तीन वर्ष के अन्त पर या १५ अगस्त, १९६० को, जो भी बाद में हो, समाप्त हो जाएगी और कम्पनी किसी मैनेजिंग एजेन्ट की पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति या उसी मैनेजिंग एजेन्ट की नियुक्ति नहीं करेगी। जहाँ उल्लिखित तारीख पर किसी कम्पनी का कोई मैनेजिंग एजेन्ट नहीं है या वह उस तारीख को या उसके बाद निगमित होती है, वह किसी मैनेजिंग एजेन्ट की नियुक्ति नहीं करेगी। [धारा ३२४ (२)]।

उपधारा (१) के अन्तर्गत विहित किए गए निगम, विहित किये जाने के उपरांत, पार्लियामेन्ट के दोनों सदनों के समक्ष रखे जायेंगे। [धारा ३२४ (३)]।

उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रत्येक विज्ञप्ति के आलेख्य को पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने, जब वे सेशन में हों, कम से कम ३० दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, और यदि इस अवधि के भीतर दोनों सदनों में से कोई विज्ञप्ति को जारी किये जाने को अनुमोदित कर देता है या किसी संशोधन सहित अनुमोदित

कर देता है, तो विज्ञप्ति को जारी नहीं किया जायगा या, जैसी सूरत हो, दोनों सदनों द्वारा सहमत केवल ऐसे संशोधनों सहित जारी किया जाएगा । [धारा ३२४ (४)] ।

सितम्बर १९६६ में लोक सभा की मेज पर यह कहते हुए एक वक्तव्य रक्खा गया था कि सरकार ने चीनी, रुई तथा पटसन टैक्सटाइल्स, सीमेन्ट तथा कागज उद्योगों में मैनेजिंग एजेन्सी को निकट भविष्य में उल्लिखित तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद समाप्त कर देने का निश्चय किया है । वे अगले तीन वर्षों में मैनेजिंग एजेन्सियों की संख्या में प्रगतिशील कमी करने के विचार में अन्य स्थापित उद्योगों में मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली के संस्थगन (continuance) के प्रश्न का भी पुनर्विलोकन करेंगे ।

मैनेजिंग एजेन्सी कम्पनी में मैनेजिंग एजेन्ट नहीं होगा (Managing Agency Co. not to have managing agent)—कोई कम्पनी जो किसी अन्य कम्पनी के लिए बतौर मैनेजिंग एजेन्ट कार्य कर रही है अपने लिए किसी मैनेजिंग एजेन्ट की नियुक्ति नहीं कर सकती, चाहे वह साथ में किसी अन्य प्रकार का कारोबार करती हो या नहीं ; और न ही कोई कम्पनी जिसके पास मैनेजिंग एजेन्ट हैं किसी अन्य कम्पनी के मैनेजिंग एजेन्ट के रूप में नियुक्त की जा सकती है । उपरोक्त उपबन्धों के प्रतिकूल की गई नियुक्तियाँ शून्य होंगी ।

जहाँ ऐक्ट के शुरू होने पर कोई कम्पनी, जिसका मैनेजिंग एजेन्ट है, किसी अन्य कम्पनी के लिए स्वयं बतौर एजेन्ट काम कर रही है, तब पहली पदावधि १५ अगस्त, १९५६ को समाप्त हो जाएगी, जब तक कि यह १९१३ के ऐक्ट के उपबन्धों के अन्तर्गत पहले ही न समाप्त हो गई हो । (धारा ३२५) ।

कोई कम्पनी किसी निगमनिकाय को, जो स्वयं की जाय किसी अन्य निगमनिकाय की सहायक है, बतौर अपने मैनेजिंग एजेन्ट के नहीं नियुक्त कर सकती, जब तक कि ऐक्ट के शुरू होने के तत्काल पूर्व कम्पनी के पास ऐसी सहायक बतौर उसके मैनेजिंग एजेन्ट के न रही हो । (धारा ३२५-ए) ।

मैनेजिंग एजेन्ट की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएगा (Central Government to approve of appointment of managing agent)—ऐसी कम्पनी के सिलसिले में भी जिनको न तो धारा ३२४ में उल्लिखित प्रतिषेध और न ही धारा ३२५ में उल्लिखित प्रतिषेध लागू होता है, ऐक्ट, सिवाय केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के, सभी नियुक्तियों या पुनर्नियुक्तियों को निषिद्ध करता है ।

धारा ३२६ निर्धारित करती है कि मैनेजिंग एजेन्ट की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति इन सूरतों के अतिरिक्त अन्यथा किसी प्रकार कम्पनी द्वारा नहीं की जाएगी—(१) कम्पनी द्वारा जनरल मीटिंग में, तथा (२) जब तक कि ऐसी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो। (धारा ३२७)।

परिस्थितियां जिनमें अनुमोदन प्रदान किया जा सकेगा (Circumstances in which approval may be accorded)—उपधारा (१) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार तब तक अपना अनुमोदन नहीं प्रदान करेगी जब तक कि वह निम्नलिखित बातों के प्रति संतुष्ट न हो जाय—(क) कि कम्पनी को मैनेजिंग एजेन्ट रखने की अनुमति देना लोकहित के प्रतिकूल न होगा,

(ख) कि प्रस्तावित मैनेजिंग एजेन्ट, उनके विचार में, इस रूप में नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति किए जाने के लिए ठीक तथा समुचित व्यक्ति है, तथा मैनेजिंग एजेन्सी की प्रस्तावित शर्तें उचित तथा युक्तिसंगत हैं, तथा

(ग) कि प्रस्तावित मैनेजिंग एजेन्ट ने उन शर्तों की पूर्ति की है जो केन्द्रीय सरकार ने उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित किया हो। [धारा ३२६ (२)]।

मैनेजिंग एजेन्ट की पदावधि (Term of office of managing agent)—इस ऐक्ट के शुरू होने के बाद, कोई कम्पनी (क) यदि वह पहली दफा मैनेजिंग एजेन्ट नियुक्त करती है, यह नियुक्ति पन्द्रह वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं करेगी, (ख) किसी अन्य सूरत में, किसी मैनेजिंग एजेन्ट को एक बार में दस वर्ष से अधिक अवधि के लिए पुनर्नियुक्त या नियुक्त नहीं करेगी, (ग) किसी मैनेजिंग एजेन्ट को नई अवधि के लिए पुनर्नियुक्त नहीं करेगी, जब कि मैनेजिंग एजेन्ट की वर्तमान अवधि दो वर्ष या अधिक चलनी बाकी है। केंद्रीय सरकार, यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसा किया जाना कम्पनी के हित में है, खण्ड (ग) में उल्लिखित समय से पहले मैनेजिंग एजेन्ट की पुनर्नियुक्ति की अनुमति दे सकती है। उपरोक्त उपबन्धों के उल्लंघन से कुल अवधि के लिए नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति शून्य हो जायेगी। (धारा ३२८)। मैनेजिंग एजेन्ट की पदावधि से सम्बंधित उपबन्ध प्राइवेट कम्पनियों को भी लागू होते हैं, भले ही वे लोक कम्पनियों की सहायक न हो, जब तक कि केन्द्रीय सरकार ने इसकी छूट न दे दी हो। (धारा ३२७)।

निर्योग्य मैनेजिंग एजेन्ट (Disqualified Managing Agent) :—धारा २०२ के अन्तर्गत यदि कोई अनुन्मुक्त दिवालिया बतौर मैनेजिंग एजेन्ट कार्य करता है या, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी कम्पनी के प्रमोशन, निर्माण या प्रबन्ध में भाग लेता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, जो ५,००० रु० तक का हो सकता है, दंडित किया जाएगा ।

धारा २०३ के अन्तर्गत जहाँ कोई व्यक्ति किसी कम्पनी के प्रमोशन, निर्माण या प्रबन्ध के सिलसिले में किसी अपराध के लिये दंडित किया जाता है, या कम्पनी के समापन के दौरान ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है जिसके लिये वह दंडनीय है (चाहे सजा दी गई हो या नहीं), या इस सम्बन्ध में किसी कपट या अपकरण के लिये या कम्पनी के प्रति किसी कर्तव्य-भंग का दोषी पाया जाता है, तो कोर्ट यह आदेश दे सकती है कि, वह कोर्ट की अनुमति के बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इतनी अवधि तक, जो पाँच वर्ष से अधिक न होगी, तथा जिसे आदेश में उल्लिखित किया जाएगा, कम्पनी के प्रमोशन, निर्माण या प्रबन्ध में भाग नहीं लेगा या उससे सम्बद्ध नहीं रहेगा ।

प्रास्पेक्टस में प्रकटीकरण (Disclosure in Prospectus)—प्रत्येक प्रास्पेक्टस तथा प्रास्पेक्टस के स्थान पर स्टेटमेन्ट में इन बातों को प्रकट किया जाना चाहिए —(१) मैनेजिंग एजेन्ट या प्रस्तावित मैनेजिंग एजेन्ट, यदि कोई हो, के नाम, पते, वर्णन तथा पेशे ; तथा (२) आर्टिक्ल्स में या किसी संविदा में जो की गई हो मैनेजिंग एजेन्ट की नियुक्ति तथा उसको देय पारिश्रमिक तथा पद की हानि के लिये प्रतिकर, यदि कोई हो, कोई उपबन्ध । जहाँ यह निगम निकाय हो मैनेजिंग एजेन्ट के सब्सक्राइब्ड कैपिटल का भी उल्लेख किया जाना चाहिए ।

मैनेजिंग एजेन्सी के करार में फेरफार (Variation of Managing agency agreement) :—मैनेजिङ्ग एजेन्सी के करार की शर्तों में कोई फेरफार (१) जनरल मीटिंग में कम्पनी के प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए, तथा (२) प्रस्ताव पारित किये जाने से पूर्व उसके लिये केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जानी चाहिए । [धारा ३२८] ।

वर्तमान मैनेजिंग एजेन्ट की पदावधि (Term of office ot existing Managing Agent) :—किसी वर्तमान मैनेजिंग एजेन्ट की पदावधि, यदि यह १९१३ के ऐक्ट के किसी उपबन्ध के अनुसार पहले ही नहीं समाप्त हो जाती; १५ अगस्त १९६० को समाप्त हो जाएगी, जब तक कि वह उस तारीख

से पहले ऐक्ट के उपबंधों के अनुसार वह नई अवधि के लिये पुनर्नियुक्त नहीं किया जाता। [धारा ३३०]। पदावधि से सम्बंधित उपबंधों के अलावा ऐक्ट के सभी उपबंध ऐक्ट के शुरू होने पर वर्तमान मैनेजिंग एजेन्टस को लागू होंगे। [धारा ३३१]।

मैनेजिंग एजेन्सियों की संख्या पर निबंधन (Restriction on number of managing agents)—ऐक्ट के शुरू होने पर जिस प्रकार कोई डायरेक्टर एक ही समय पर २० से अधिक कम्पनियों में डायरेक्टर का पद नहीं धारण कर सकता, उसी प्रकार वह एक ही समय पर १५ अगस्त, १९६० के बाद दस कम्पनियों से अधिक में मैनेजिङ्ग एजेन्ट का पद नहीं धारण कर सकता। यदि कोई व्यक्ति दस से अधिक कम्पनियों में उस तारीख को मैनेजिंग एजेन्ट का पद धारण कर रहा है, और वह उक्त तारीख तक उपरोक्त उपबन्ध का पालन नहीं करता है, तो केन्द्रीय सरकार उसे उक्त तारीख से उन कम्पनियों के मैनेजिंग एजेन्ट का पद धारण करने की अनुमति दे सकती है, जिनकी संख्या दस से अधिक नहीं होगी, जैसा कि केन्द्रीय सरकार निर्धारित करे।

मैनेजिंग एजेन्टों का पारिश्रमिक (Remuneration of Managing Agents)—किसी वित्तीय वर्ष के लिए कोई कम्पनी अपने मैनेजिङ्ग एजेन्ट को बतौर पारिश्रमिक, चाहें मैनेजिङ्ग एजेन्ट के रूप में उसकी सेवाओं के लिए या किसी अन्य रूप में, उस वर्ष के कम्पनी के शुद्ध लाभ के पाँच प्रतिशत से अधिक राशि, लाभ के अभाव या अपर्याप्त होने की सूरत में किसी न्यूनतम पारिश्रमिक के अधीन, का भुगतान नहीं करेगी। [धारा ३४८] लाभ अपर्याप्त होने की सूरत में, कमीशन का वास्तविक प्रतिशत या देय न्यूनतम पारिश्रमिक की प्रमाण (qua tum) कम्पनी द्वारा जनरल मीटिंग में निश्चित की जायेगी, तथा संबंधित मैनेजिंग एजेन्ट की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जायेगी। फिर भी, पारिश्रमिक कम्पनी द्वारा देय प्रबंधकीय पारिश्रमिक के सिलसिले में ११ प्रतिशतीय समस्त सीमा (overall limit of 11 per cent) के नियम के अधीन होता है, जो कम्पनी द्वारा डायरेक्टर्स, मैनेजर, मेनेजिंग एजेन्ट या सेक्रेटीज तथा ट्रेजरार्स को दिया जाता है। जब लाभ अप्रर्याप्त हो, तो न्यूनतम पारिश्रमिक किसी वर्ष में किसी भी सूरत में ५०,००० रू० से अधिक नहीं होगा। (धारा १९८)।

धारा ३५२ के अन्तर्गत अतिरिक्त पारिश्रमिक, ११ प्रतिशतीय समस्त, अधिकतम प्रबन्धकीय पारिश्रमिक से अधिक, जैसा कि धारा १९८ में उल्लेख किया गया है, तथा शुद्ध लाभ के १० प्रतिशत से अधिक, जैसा कि धारा ३४८ में उपबन्धित

है, मैनेजिंग एजेन्ट को दिया जा सकता है यदि, तथा केवल यदि, ऐसा पारिश्रमिक कम्पनी के विशेष प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत किया जाता है तथा लोक हित में होने से विचार के केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है।

धारा ३५४ के अन्तर्गत मैनेजिंग एजेन्ट को कोई कार्यालय भत्ता (office allowance) नहीं दिया जा सकता, लेकिन यदि वह कम्पनी की ओर से कोई खर्च करता है। और यह बोर्ड द्वारा या जनरल मीटिंग में कम्पनी द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है, तो ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति मैनेजिंग एजेन्ट को की जा सकेगी, तथा ऊपर उसके पारिश्रमिक के संबन्ध में दी गई बात ऐसी प्रतिपूर्ति को निषिद्ध नहीं करेगी।

पारिश्रमिक के भुगतान का समय (Time for payment of remuneration)—किसी वित्तीय वर्ष में मैनेजिंग एजेन्ट को देय पाश्ररिमिक या उसके किसी भाग का भुगतान, तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि किसी ऐसी वित्तीय वर्ष के कम्पनी के लेखों का आडिट न हो गया हो तथा उसे जनरल मीटिंग में कम्पनी के समक्ष न रख दिया गया हो। (धारा ३५३)।

उपरोक्त उपबन्ध प्राइवेट कम्पनी को, जब तक कि वह किसी लोक कम्पनी की सहायक न हो, नहीं लागू होते।

पद की हानि के लिए प्रतिकर (Comp nsation for loss of office)—इस विषय पर आगे मैनेजिंग एजेन्ट्स पर परिनियत निर्बन्धनों के सिलसिले में चर्चा की जायेगी।

पद की रिक्ति, हटाया जाना तथा इस्तीफा

[Vacation of office, Removal and Resignation]

पद की रिक्ति (Vacation of office)—निम्नलिखित सूरतों में मैनेजिंग एजेन्सी के पद को रिक्त हो गया समझा जाएगा :—

(क) जब कि मैनेजिंग एजेन्ट कोई व्यक्ति हो और यदि उसे दिवालिया निर्णीत कर दिया जाता है,

(ख) उसी सूरत में, जब कि मैनेजिंग एजेन्ट दिवालिया निर्णीत किए जाने की दरख्वास्त करता है,

(ग) यदि मैनेजिंग एजेन्ट कोई फर्म है, किसी भी करार से, उसके विघटन (dissolution) पर, जिसमें फर्म के किसी भागीदार का दिवालिया हो जाना भी शामिल है,

(घ) यदि मैनेजिंग एजेन्ट कोई निगम निकाय है, उसके समापन का आरम्भ होने पर, चाहे कोर्ट द्वारा या उसके अधीक्षण के अधीन, या स्वेच्छा से,

(ङ) सभी सूरतों में, मैनेजिंग एजेन्ट द्वारा प्रबन्धित कम्पनी के समापन से आरम्भ पर, चाहे कोर्ट द्वारा या उसके अधीन, या स्वेच्छा से (धारा ३३४)।

निम्नलिखित सूरतों में भी यह समझा जाएगा कि कम्पनी के मैनेजिंग एजेन्ट ने अपना पद रिक्त कर दिया है :—

यदि (क) मैनेजिंग एजेन्ट या (ख) जब कि मैनेजिंग एजेन्ट कोई फर्म हो, फर्म में किसी भागीदार, या (ग) जब कि मैनेजिंग एजेन्ट कोई निगम निकाय हो, डायरेक्टर या उसका मुख्तारनामा धारण करने वाले किसी अधिकारी को भारत में किसी कोर्ट द्वारा ऐक्ट के शुरू होने के बाद, किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया हो और कम से कम छः महीने के कारावास से दण्डित किया गया हो। (धारा ३३६)।

लेकिन यदि मैनेजिंग एजेन्ट धारा ३३६ के खण्डों (ख) तथा (घ) में संदर्भित दण्डित किए गए भागीदार, डायरेक्टर, या अधिकारी को दण्डित किए जाने के ३० दिन के भीतर, निकाल देता है या बरखास्त कर देता है, तो इन खण्डों द्वारा लागू की गई निर्योग्यतायें नहीं लागू होंगी। (धारा ३४१)।

धारा ३३४ के खण्ड (क) या धारा ३३६ द्वारा लागू की गई निर्योग्यतायें न्यायनिर्णयादेश (order of adjudication), दंडादेश या कोर्ट के निष्कर्ष (sentence or finding of the court), जैसी भी सूरत में हो, की तारीख से तीस दिन तक नहीं लागू होंगी। यदि उक्त आदेश, दंडादेश या निष्कर्ष के खिलाफ कोई अपील की जाती है या दरखास्त दी जाती है, तो निर्योग्यता ऐसी अपील या ऐसे दरखास्त के निबटारे की तारीख से सात दिन तक नहीं लागू होगी। यदि इस सात दिन के भीतर कोई और अपील की जाती है या दरखास्त दी जाती है तो निर्योग्यता ऐसी अपील या दरखास्त के निबटारे तक नहीं लागू होगी लेकिन, बोर्ड को शक्ति प्राप्त है कि वह मैनेजिंग एजेन्ट को उसके पद से तुरन्त या न्याय-निर्णयन, दंडादेश या निष्कर्ष के बाद किसी समय, तथा जब तक कि उक्त अपील या दरखास्तों का निबटारा न हो जाय या जब तक कि दोषसिद्ध भागीदार, डायरेक्टर या अधिकारी उपरोक्त धारा ३४१ के अन्तर्गत निकाल या बरखास्त नहीं कर दिया जाता, निलम्बित (suspend) कर दें। (धारा ३४०)।

मैनेजिंग एजेन्सी फर्म के संघटन में परिवर्तन (Change in the Constitutio . of the Managing Agency Firm)—धारा ३४६ के

अन्तर्गत जहाँ किसी लोक कम्पनी या उसके किसी सहायक का मैनेजिंग एजेन्ट कोई फर्म या निकाय है और मैनेजिंग एजेन्ट गठित करने वाली फर्म या निगम निकाय के संघटन में कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसा परिवर्तन होने की तारीख से छः महीने की समाप्ति पर या ऐसे और समय पर जिसकी अनुमति केन्द्रीय सरकार इस दिशा में दे मैनेजिंग एजेन्ट द्वारा इस रूप में कार्य किया जाना समाप्त हो जाएगा, जब तक कि उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व फर्म या निगम निकाय के परिवर्तित संघटन के प्रति केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन न प्राप्त कर लिया गया हो।

धारा ३४१ के अन्तर्गत दोषसिद्ध भागीदार को निकाला जाना परिवर्तन समझा जाएगा। इसी प्रकार, प्राइवेट कम्पनी से पब्लिक कम्पनी, या पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कम्पनी के रूप में परिवर्तन, निगम के डायरेक्टर्स या मैनेजर्स के बीच कोई परिवर्तन, चाहे यह परिवर्तन किसी डायरेक्टर या मैनेजर की मृत्यु या अवकाश प्राप्त करने या किसी नए डायरेक्टर या मैनेजर की नियुक्ति के फलस्वरूप हुआ हो, तथा निगम निकाय के शेयर्स के स्वामित्व या सदस्यता में होने वाले परिवर्तन को निगम निकाय के संघटन में हुआ परिवर्तन माना जाएगा।

जहां रिसीवर नियुक्त किया गया हो वहां पद से निलम्बन (Suspension from office where receiver appointed)—यदि उसकी समाप्ति के लिये रिसीवर नियुक्त किया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि मैनेजिंग डायरेक्टर को उसके पद से निलम्बित कर दिया गया है। रिसीवर की नियुक्ति (क) कोर्ट द्वारा, या (ख) मैनेजिंग एजेन्ट के ऋणदाताओं द्वारा या उनकी ओर से की जाती है, जिनमें मैनेजिंग एजेन्ट द्वारा निष्पादित किए गए किसी दस्तावेज द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसार जारी किये गये डिबेन्चर्स के धारक भी शामिल होते हैं, बशर्ते कि कोर्ट, जिसने रिसीवर की नियुक्ति की थी या जिसे प्रबन्धित कम्पनी का समापन करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मैनेजिङ्ग डायरेक्टर उस रूप में उतनी अवधि तक तथा ऐसे निबन्धनों के अधीन, जैसा कि आदेश में उल्लिखित किया जाय, कार्य करता रहेगा। कोर्ट इस परन्तुक के अंतर्गत पारित किसी आदेश को किसी भी समय मन्सूख या संशोधित कर सकती है। (धारा ३३५)

धारा ३४० के अंतर्गत निर्बंधन रिसीवर की नियुक्ति की तारीख से ३० दिन तक तथा जहाँ इन तीस दिनों के भीतर आदेश के खिलाफ अपील की जाती है तो इस अपील के निबटारे की तारीख से सात दिन तक नहीं लागू होगा। और जहाँ इन सात दिनों के भीतर कोई और अपील की जाती है या दरखास्त दी जाती है तो निर्बन्धन ऐसी अपील या दरखास्त के निबटारे तक नहीं लागू होगा। लेकिन, बोर्ड

को शक्ति प्राप्त है कि वे मैनेजिंग एजेंट को उसके पद से तुरंत या धारा ३४० में उल्लिखित न्याय-निर्णयन, रिसीवर की नियुक्ति, दंडादेश या निष्कर्ष के बाद किसी समय, तथा अपील या दरखास्त के निबटारे तक, निलंबित कर दें।

मैनेजिंग एजेन्टों का हटाया जाना (Removal of Managing Agents)—कम्पनी जनरल मीटिंग में साधारण प्रस्ताव द्वारा, अपने मैनेजिंग एजेन्ट को इन आधारों पर हटा सकती है—(१) कम्पनी या उसकी सहायक कम्पनी के कारोबार के सिलसिले में किसी कपट या न्यास-भंग के लिए, चाहे यह ऐक्ट के शुरू होने के बाद या पहिले किया गया हो, (२) किसी अन्य निगम निकाय के कारोबार के सिलसिले में कपट या न्यास-भंग के लिए, चाहे यह ऐक्ट के शुरू होने के बाद या पहिले किया गया हो, यदि कोई कोर्ट आफ लॉ, चाहे भारत में या बाहर, यह पाती है कि ऐसा कपट या न्यास-भंग पूर्ण रूप से स्थापित हो गया है, या (३) जहाँ मैनेजिंग एजेन्ट कोई फर्म या निगम निकाय हो, यदि फर्म का कोई भागीदार, या उसका कोई डायरेक्टर या उससे मुखतारनामे का अधिकार धारण करने वाला कोई अधिकारी खंड (१) में उल्लिखित कपट या न्यास-भंग का दोषी है (धारा ३३७)।

उपरोक्त खण्ड (२) में आने वाले मामलों में, निर्योग्यता दंडादेश के बाद तीस दिन तक, और यदि इस अवधि में अपील दायर की जाती है तो अपील के निबटारे के बाद सात दिन तक, और यदि कोई और अन्य अपील दायर की जाती है तो उसके निबटारे तक, नहीं लागू होगी। [धारा ३४०]।

(२) जनरल मीटिंग में कम्पनी, विशेष प्रस्ताव द्वारा, कंपनी या उसकी किसी सहायक कम्पनी के कारोबार के सिलसिले में घोर अनवधानता, या घोर कुप्रबन्ध के लिए अपने मैनेजिंग एजेन्ट को उसके पद से हटा सकती है। [धारा ३३८]।

मैनेजिंग एजेन्ट द्वारा पद से इस्तीफा (Resignation of office by managing agent)—जब तक कि मैनेजिंग एजेन्सी के करार में अन्यथा उपबन्धित न हो, कोई मैनेजिंग एजेन्ट, बोर्ड को नोटिस देकर, नोटिस में उल्लिखित तारीख से, अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, और इस तारीख से या किसी बाद को ऐसी तारीख से, जो उसके तथा बोर्ड के बीच सहमति से निश्चित की जाय, वह मैनेजिंग एजेन्ट के रूप में कार्य करना समाप्त कर देगा, लेकिन वह अपनी मैनेजिंग एजेन्सी के दौरान में किये गए कार्यों तथा चूकों के दायित्व से मुक्त नहीं होगा। लेकिन, उसका इस्तीफा उस समय तक प्रभावकारी नहीं होगा जब तक कि जनरल मीटिंग में कंपनी उसे प्रस्ताव द्वारा स्वीकार न कर ले।

इस्तीफा की नोटिस की प्राप्ति पर, बोर्ड मैनेजिंग एजेन्ट से अपेक्षित करेगा तथा मैनेजिंग एजेन्ट इसका पालन करते हुए वह (१) एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें इस्तीफे की नोटिस में उल्लिखित तारीख तक, या ऐसी बाद की तारीख तक (जो मैनेजिंग एजेन्ट द्वारा कार्य-समाप्ति की तारीख के बाद नहीं होगी) जैसा बोर्ड उचित समझे, कम्पनी के कारोबार की स्थिति दिखायी जाएगी और इसके साथ उस तारीख से जिस तारीख तक के लिये अन्तिम लेखा प्रस्तुत किया गया था तथा मैनेजिंग एजेन्ट द्वारा कार्य की समाप्ति की तारीख तक का बैलेन्स-शीट तथा लाभ-हानि का लेखा भी संलग्न किया जायेगा; (ख) बैलेन्स-शीट और लाभ-हानि के लेखे पर कंपनी के आडिटर्स की रिपोर्ट प्राप्त करेगा; तथा (ग) बोर्ड मैनेजिंग एजेन्ट के इस्तीफे को उपरोक्त कारोबार की रिपोर्ट, बैलेन्स शीट, लाभ-हानि के लेखे तथा आडिटर्स की रिपोर्ट सहित जनरल मीटिंग में कंपनी के समक्ष रक्खेगा।

तब कंपनी जनरल मीटिंग में प्रस्ताव द्वारा इस्तीफे को स्वीकार कर सकती है या इसके सिलसिले में कोई अन्य कार्यवाही जैसा वह उचित समझे कर सकती है। [धारा ३४२]।

मैनेजिंग एजेन्सी की समाप्ति का प्रभाव

[Effect of Termination of Managing Agency]

मैनेजिंग एजेन्ट के अधिकार तथा उत्तरदायित्व (Rights and Liabilities of Managing Agents)—जहाँ मैनेजिंग एजेन्ट का पद समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, वहाँ मैनेजिंग एजेन्ट तथा कंपनी, मैनेजिंग एजेन्सी की समाप्ति या समाप्तिकरण से पहिले, एक दूसरों के दावों या माँगों को जो एक दूसरे द्वारा किए गए कार्यों या चूकों के सिलसिले में हों, एक दूसरे के विरुद्ध प्रवर्तित कराने के अधिकारी होंगे, और कंपनी के संबंध में किसी अन्य रूप में मैनेजिंग एजेन्ट के अधिकारों तथा दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। [धारा ३३७]।

परिसम्पत् को प्रभृत करने का अधिकार (Right to charge on assets)—कोई मैनेजिंग एजेन्ट जिसका पद धारा ३२४ या धारा ३३२ के अन्तर्गत समाप्त हो जाता है, ऐसी समाप्ति की तारीख पर कम्पनी द्वारा उसको देय सभी धनराशियों के सिलसिले में, या ऐसी तारीख से पहिले कम्पनी की ओर से उसके द्वारा समुचित रूप से उठाये गये किसी दायित्य या आभार के कारण ऐसी धन-राशि के सिलसिले में जिसके लिए वह तदुपरान्त उत्तरदायी हो, कंपनी की

परिसम्पत् पर, सभी वर्तमान भारों तथा भार-ग्रस्तताओं के अधीन, भार का अधिकारी होगा। [धारा ३३३]।

समाप्ति का परिणाम (Consequences of termination)—धारा ४०७ के अन्तर्गत, जहाँ धारा ३६७ या धारा ३८४ के अन्तर्गत दिया गया कोर्ट का आदेश मैनेजिंग एजेन्ट तथा कंपनी के बीच किसी करार को समाप्त, हटाता या रूपभेदित करता हो, वहाँ ऐसे आदेश से मैनेजिंग एजेन्ट की ओर से कंपनी के विरुद्ध पद की हानि या किसी अन्य सिलसिले में क्षतिपूर्ति या प्रतिकर के लिये किसी दावे की उत्पत्ति नहीं होगी। धारा ४०७ यह भी निर्धारित करती है कि कोई मैनेजिंग एजेन्ट जिसके कंपनी के साथ करार को इस प्रकार समाप्त कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है तथा कोई व्यक्ति जो, करार को समाप्त करने या हटाने के आदेश की तारीख पर, ऐसे मैनेजिंग एजेन्ट का सहयोगी था या बाद में हो जाता है, करार को समाप्त करने या हटाने के आदेश की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक, कोर्ट की अनुमति के बिना, कंपनी के मैनेजिंग एजेन्ट के रूप में कार्य नहीं करेगा और न ही नियुक्त किया जायेगा। कोई कोर्ट पुनर्नियुक्ति की अनुमति नहीं देगी जब तक कि अनुमति के लिये आवेदन करने के इरादे की सूचना केन्द्रीय सरकार पर तामील न की गयी हो और सरकार को इस विषय में सुनवाई का अवसर न प्रदान किया गया हो। यदि मैनेजिंग एजेन्ट इस उपबन्ध का उल्लंघन करता है, तो वह करावास द्वारा, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने द्वारा, जो १,००० रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

मैनेजिङ्ग एजेन्टों के सिलसिले में परिनियत निबंधन

[Statutory Restrictions in regard to Managing Agents]

१. मैनेजिङ्ग एजेन्टों की नियुक्ति (Appointment of Managing Agents)—मैनेजिंग एजेन्ट की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति केवल कम्पनी द्वारा जनरल मीटिंग में की जा सकती है तथा इसके लिये केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना जरूरी है (धारा ३२६)।

२. नए मैनेजिंग एजेन्ट के पद की अवधि (Term of office of fresh Managing Agents)—ऐक्ट के शुरू होने के पश्चात् कोई कम्पनी—(क) यदि वह मैनेजिंग एजेन्ट की नियुक्ति पहली बार कर रही है, १५ वर्ष की अवधि से अधिक अवधि के लिये उसे नहीं नियुक्ति करेगी, (ख) किसी अन्य सूरत में, किसी एक समय पर १० वर्ष की अवधि से अधिक अवधि के लिये पुनर्नियुक्त या नियुक्ति नहीं करेगी, या (ग) यदि मैनेजिंग एजेन्ट की वर्तमान पदावधि

में दो या अधिक वर्ष शेष हैं, नई अवधि के लिये उसे पुनर्नियुक्ति नहीं करेगी। [धारा ३२८]।

३. वर्तमान मैनेजिङ्ग ऐजेन्टों की पदावधि (Term of office of existing managing agents)—वर्तमान मैनेजिङ्ग एजेंट की पदावधि, यदि यह पहिले ही नहीं समाप्त हो जाता है, १५ अगस्त, १६६० को समाप्त हो जाएगी, जब तक कि इस तारीख के पहिले ऐक्ट के उपबन्धों के मुताबिक नई अवधि के लिये उसे पुनर्नियुक्त नहीं कर दिया जाता। [धारा ३३०]।

४. मैनेजिङ्ग एजेन्सियों की संख्या (Number of Managing agencies)—१५ अगस्त, १६६० के बाद, कोई व्यक्ति, एक ही समय पर, १० से अधिक कम्पनियों में मैनेजिंग एजेन्ट के रूप में पद नहीं धारण करेगा। (धारा ३३२)।

५. पद का स्थानान्तरण (Transfer of office)—जब तक कि जनरल मीटिङ्ग में कम्पनी तथा केन्द्रीय सरकार दोनों द्वारा इसका अनुमोदन न किया जाय, कोई मैनेजिंग एजेंट अपना पद किसी अन्य व्यक्ति को स्थानान्तरित नहीं कर सकता और न ही वह ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसा करारनामा किसी अन्य व्यक्ति से कर सकता है जिसके द्वारा या अन्तर्गत वह कम्पनी के समस्त या सारतः समस्त कारोबार में प्रबन्ध के अधिकार को उस व्यक्ति को या उसके पक्ष में स्थानान्तरित कर सके। (धारा ,३४३)।

६. मैनेजिङ्ग एजेन्सी दाययोग्य नही होगी (Managing agency not to be heritable)—ऐक्ट के शुरू होने के बाद, किसी कंपनी द्वारा अपने मैनेजिंग एजेंट के साथ किया गया कोई करार, जहाँ तक यह दाय-प्राप्ति या उत्तरदान द्वारा पद के उत्तराधिकार का प्राविधान करता हो, शून्य होगा। (धारा ३४४)।

७. उत्तराधिकार का अनुमोदन (Approval for succession)—जहाँ ऐक्ट में शुरू होने पर कोई व्यक्ति मैनेजिंग एजेंट का पद धारण करता है और मैंनेजिंग एजेंसी का करारनामा दायप्राप्ति या उत्तरदान द्वारा पद के उत्तराधिकार का प्राविधान करता हो, तो कोई व्यक्ति पद का उत्तराधिकार तब तक नहीं प्राप्त करेगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता। लेकिन केन्द्रीय सरकार तब तक अनुमोदन नहीं प्रदान करेगी जब तक कि वह इस बात से सन्तुष्ट न हो कि वह एक ठीक तथा समुचित व्यक्ति है। लेकिन

यह सब कुछ प्राइवेट कम्पनी को नहीं लागू होगा जो लोक कम्पनी की सहायक नहीं है। (धारा ३४५)।

८. संघटन में परिवर्तन (Change in the constitution) —किसी लोक कम्पनी के मैनेजिंग एजेंट के संघटन में किसी परिवर्तन से, जहाँ यह कोई फर्म या निगम निकाय हो, ऐसे परिवर्तन की तारीख से ६ माह की समाप्ति पर, यह प्रभाव होगा कि मैनेजिङ्ग एजेन्ट का कार्य समाप्त हो गया समझा जाएगा, जब तक कि उक्त ६ माह की समाप्ति से पहिले या जहाँ केन्द्रीय सरकार ने अधिक समय दिया है उसकी समाप्ति से पूर्व केन्द्रीय सरकार ने संघटन में किये गये परिवर्तन के प्रति अनुमोदन प्रदान कर दिया हो। (धारा ३४६)।

९. पारिश्रमिक (Remuneration)—धारा १९८ उपबन्ध करती है कि किसी लोक कम्पनी या किसी प्राइवेट कम्पनी, जो किसी लोक कम्पनी की सहायक कम्पनी है, द्वारा अपने डायरेक्टर्स, मैनेजिङ्ग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स या मैनेजर को देय कुल प्रवन्धकीय पारिश्रमिक किसी वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ के ११ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, और जहाँ ऐसा लाभ अपर्याप्त हो, ऐसा पारिश्रमिक किसी वित्तीय वर्ष में धारा ३०९ के अन्तर्गत डायरेक्टर्स को देय फीस को छोड़कर ५०,००० रु० से अधिक नहीं होगा। उपरोक्त के अधीन, मैनेजिङ्ग एजेंट को किसी वित्तीय वर्ष में कम्पनी के शुद्ध लाभ के १० प्रतिशत से अधिक पारिश्रमिक नहीं दिया जा सकता।

मैनेजिङ्ग एजेंसी कोई कार्यालय भत्ता पाने का अधिकारी नहीं होता। लेकिन यदि उसने कम्पनी की तरफ से कोई खर्च किया है और इसे बोर्ड द्वारा या मीटिङ्ग में कम्पनी द्वारा स्वीकृत किया जाता है, तो इस खर्च की प्रतिपूर्ति उसे की जा सकेगी (धारा ३५४)।

१०. मैनेजिङ्ग एजेन्ट द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर निर्बंधन (Restriction on activities of the managing agent)—

(क) सैलिङ्ग एजेंट के में रूप नियुक्ति (a) Appointment as selling agent)—कोई मैनेजिङ्ग एजेन्ट या उसका सहयोगी कम्पनी द्वारा उत्पादित माल की बिक्री के लिये कोई पारिश्रमिक या अन्य पारिश्रमिक कंम्पनी से नहीं प्राप्त करेगा, यदि बिक्री उस स्थान से जहाँ माल का उत्पादन किया गया है, या मैनेजिङ्ग एजेन्ट के प्रधान कार्यालय, या भारत में किसी स्थान से की गई है। (धारा ३५६)।

(ख) बाइंग एजेन्ट के रूप में नियुक्ति (b) Appointment as buying agents)—कोई मैनेजिंग एजेन्ट या उसका सहयोगी कंपनी से कोई भुगतान नहीं प्राप्त करेगा, सिवाय उस खर्च के जिसे कंपनी की तरफ से भारत में खरीदे गये माल के लिये स्वीकृत किया गया हो। (धारा ३५८)।

(ग) अन्य व्यापारिक संस्थाओं के लिए क्रय या विक्रय करने वाले मैनेजिङ्ग एजेन्टों को कमीशन (Commission to managing agents buying or selling for other concerns)—कम्पनी जनरल मीटिंग में प्रस्ताव द्वारा अपने मैनेजिंग एजेन्ट या उसके किसी सहयोगी को प्राधिकृत कर सकती है कि वे किसी फर्म, निगम निकाय या अन्य व्यापारिक संस्था से बतौर उसके एजेन्ट, सेक्रेटरी या विक्रय या क्रय एजेन्ट के रूप में ऐसी वस्तुओं इत्यादि के विक्रय, क्रय, सप्लाई या देने के सिलसिले में, जिसके लिए ऐसी फर्म निगम निकाय या व्यापारिक संस्था तथा कम्पनी के बीच संविदा हुई हो, उपार्जित की गई या की जाने वाली कमीशन या अन्य पारिश्रमिक को धारण करें, बशर्ते कि प्रबन्धित कम्पनी से चार्ज की गई मूल्य या धनराशियाँ अन्यथा उचित तथा युक्तिसंगत हो तथा ऐसा कमीशन या पारिश्रमिक प्रबंधित कम्पनी के साधारण प्रस्ताव द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत किया गया हो। (धारा ३५६)।

(घ) मैनेजिङ्ग एजेंट तथा कम्पनी के बीच वस्तुओं के विक्रय या क्रय के लिये संविदायें (Contracts for sale or purchase of goods between managing agent and the company)—कम्पनी तथा उसके मैनेजिंग एजेन्ट या उसके किसी सहयोगी के बीच (क) किसी चल या अचल सम्पत्ति के विक्रय, क्रय या सप्लाई, या मैनेजिंग एजेन्ट की सेवाओं के अतिरिक्त किसी सेवा की पूर्ति या कोई सेवा किये जाने ; या (ख) कम्पनी द्वारा जारी किये गये या बेचे गये शेयर्स या डिबेन्चर्स के निम्नांकन (underwriting), के लिये की गई कोई संविदा कम्पनी के विरुद्ध मान्य नहीं होगी (१) जब तक कि कम्पनी द्वारा पारित किये गये विशेष प्रस्ताव द्वारा संविदा का अनुमोदन न कर दिया गया हो, तथा (२) जहाँ संविदा मैनेजिंग एजेन्ट की सेवाओं के अतिरिक्त किसी सेवा की पूर्ति या कोई सेवा किये जाने के लिये हो, जब तक कि या तो संविदा की तारीख से पहिले या उसके बाद तीन महीने के भीतर संविदा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दी गई हो। [धारा ३६० (१)]।

विशेष प्रस्ताव में की जाने वाली या की गई संविदा की सारवान् शर्तों का उल्लेख किया जायगा तथा उसमें यथोल्लिखित रूप से प्राविधान किया जायेगा

कि कम्पनी द्वारा सप्लाई की गई सम्पत्ति के लिये, या की गई या सप्लाई की गई सेवाओं के लिये मैनेजिंग एजेन्ट या उसका सहयोगी सम्पत्ति की सप्लाई या उसके विक्रय या सेवाओं की सप्लाई या उनके किये जाने की तारीख से एक महीने के भीतर, जैसी भी स्थिति हो, कम्पनी को भुगतान करेगा।

किसी सम्पत्ति के विक्रय, क्रय या सप्लाई या किसी सेवाओं की सप्लाई या उनके किये जाने की किसी संविदा की सूरत में जिसमें या तो कम्पनी या मैनेजिङ्ग एजेंट या उसका सहयोगी, जैसी भी सूरत हो, नियमित रूप से व्यापार करते हैं, कम्पनी या केंद्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं है, यदि संविदाओं में समाविष्ट अवधि को किसी वर्ष में ऐसी सम्पत्ति का मूल्य या सेवाओं का परिव्यय कुल ५,००० रु० से अधिक न हो। [धारा ३०७ ४)]।

११. प्रबन्धकीय शक्तियों पर निबन्धन (क) मैनेजिङ्ग एजेन्ट डायरेक्टर्स के नियंत्रण में रहेगा (Restrictions on Powers of Ma agement. - (a) Managing agent subject to control of directors)—मैनेजिंग एजेन्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग डायरेक्टर्स के अधीक्षण, नियंत्रण तथा निदेश, कम्पनी के मेमोरन्डम तथा आर्टिक्ल्स के उपबन्धों तथा ऐक्ट की अनुसूची ७ में दिये हुये निर्बन्धनों के अधीन करेगा।

अनुसूची ७ के उपबन्धों के अन्तर्गत मैनेजिंग एजेन्ट बोर्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बगैर निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा :—

(१) कम्पनी के मैनेजर को नियुक्त करने की शक्ति, वह मैनेजर को सस्पेन्ड या डिसमिस नहीं कर सकता, (२) कम्पनी के किसी अधिकारी या स्टाफ के सदस्य को नियुक्त करने की शक्ति, कम्पनी के फण्ड से देय उतने पारिश्रमिक पर जो बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो, (३) कम्पनी के अधिकारी या स्टाफ के सदस्य के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति, जो कि मैनेजिंग एजेन्ट या या उसके भागीदार का संबन्धी हो, यदि मैनेजिंग एजेन्ट कोई फर्म हो, या प्राईवेट कम्पनी के डायरेक्टर या सदस्य का संबन्धी हो, यदि मैनेजिंग एजेन्ट कोई प्राइवेट कम्पनी हो, (४) बोर्ड द्वारा निश्चित किये गये क्रय या विक्रय मूल्य की सीमा के सिवाय, कम्पनी के या उसके लिये कैपिटल परिसम्पत क्रय या विक्रय करने की शक्ति, (५) कम्पनी के दावे के भुगतान या सन्तुष्टि के लिये कोई समझौता करने या अधिक समय प्रदान करने की शक्ति (जिसमें मैनेजिंग एजेन्ट या उसके सहयोगी द्वारा कम्पनी को देय कोई ऋण भी शामिल है), तथा (६) मैनेजिंग एजेन्ट या उसके

सहयोगी द्वारा कम्पनी के खिलाफ किये गये किसी दावे या माँग के सिलसिले में समझौता करने की शक्ति (जिसमें कम्पनी द्वारा देय ऋण भी शामिल है)।

ख. मैनेजिंग एजेन्ट को ऋण (Loans to managing agent)—मैनेजिंग एजेन्ट को लोक कम्पनी या उसकी सहायक कम्पनी द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, कोई ऋण दिया जाना बर्जित है।

ग. उसी प्रबन्ध के अधीन कम्पनियों को ऋण (Loans to Compaines under the same management)—कोई कम्पनी किसी अन्य व्यक्ति को किसी निगम निकाय द्वारा, जो उसी प्रबन्ध के अधीन है जिसके अधीन उधार देने वाली कम्पनी है, दिये गये ऋण; या किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे निगमनिकाय को दिये गये ऋण के सिलसिले में कोई ऋण, या प्रत्याभूति या प्रतिभूति नहीं देगी, जब तक कि यह उधार देने वाली कम्पनी के विशेष प्रस्ताव द्वारा इसे प्राधिकृत न किया गया हो। यह बात अपने व्यापार के सामान्य क्रम में किसी होल्डिंग कंपनी द्वारा अपनी सहायक को या मैनेजिंग एजेन्ट या सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स द्वारा उनके प्रबन्ध के अन्तर्गत किसी कंपनी को, या किसी बैंकिंग कंपनी या बीमा कंपनी द्वारा दिये गये ऋण, प्रत्याभूति या प्रतिभूति को नहीं लागू होगी। [धारा ३७०] ;

घ. मैनेजिङ्ग एजेन्ट द्वारा डायरेक्टर्स की नियुक्ति करने के अधिकार पर निर्बन्धन (Restrictions on right of managing agent to appoint directors)—यदि आर्टिक्ल्स द्वारा ऐसा प्राधिकृत किया गया है और यदि डायरेक्टर्स की कुल संख्या पाँच से अधिक है, तो मैनेजिंग एजेन्ट अधिक से अधिक दो डायरेक्टर, और यदि डायरेक्टर्स की कुल संख्या पाँच से कम है तो एक डायरेक्टर नियुक्त कर सकता है।

१२. मैनेजिङ्ग एजेन्ट को शक्तियां प्रत्यायुक्त नहीं की जाएंगी (Powers not to be delegated to managing agent) डिबेन्चर्स जारी करने या अदत्त धन के लिये शेयरहोल्डर्स से माँग करने की मैनेजिंग एजेन्टों की शक्तियों को ले लिया गया है, और इन्हें बोर्ड को दे दिया गया है, जिसका प्रयोग मीटिंगों में पारित प्रस्ताव द्वारा किया जायेगा। [धारा २६२]।

१३. मैनेजिङ्ग एजेन्ट प्रतियोगी व्यापार में भाग नहीं लेंगे (Managing agent not to engage in competitive business)

—मैनेजिङ्ग एजेन्ट कंपनी के व्यापार की प्रतियोगिता में कोई व्यापार नहीं करेगा, जब तक कि कंपनी ने विशेष प्रस्ताव द्वारा उसे ऐसा करने के लिये अनुमति न दी हो। [धारा ३७५]।

१४. पुनर्निर्माण तथा समामेलन पर निबन्धन (Restrictions on reconstruction and amalgamation)—जहाँ कंपनी के मेमोरन्डम या आर्टिक्ल्स या जनरल मीटिङ्ग पारित किसी प्रस्ताव या किसी करार का कोई उपबन्ध किसी अन्य निगम निकाय के साथ कंपनी का पुनर्निर्माण या समामेलन निषिद्ध करता हो, सिवाय इस शर्त पर कि मैनेजिङ्ग डायरेक्टर, मैगेजिङ्ग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रजरार्स या मैनेजर इसी रूप में नई कंपनी के अधिकारी नियुक्त या पुनर्नियुक्त किये जायेंगे, तो यह निषेध ऐक्ट के शुरू होने की तारीख से शून्य हो जायेगा। [धारा ३७६]।

१५. मैनेजिङ्ग डायरेक्टर का हटाया जाना (Removal of managing agent)—मैनेजिङ्ग एजेन्ट को कंपनी के साधारण प्रस्ताव द्वारा इन बातों के लिये हटाया जा सकता है : (१) कम्पनी के कारोबार के सिलसिले में किसी कपट या न्यास-भंग के लिये या, (२) कपट तथा न्यास-भंग के लिये यदि कोर्ट का निष्कर्ष यह हो कि ऐसा कपट या न्यास-भंग यथाविधि स्थापित हो गया है। [धारा ३३७]।

इसी प्रकार जनरल मीटिंग में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा कंपनी अपने मैनेजिङ्ग एजेन्ट को, कम्पनी या उसकी किसी सहायक कम्पनी के कारोबार के सिलसिले में घोर अनवधानता या घोर कुप्रबन्ध के लिये उसके पद से हटा सकती है। (धारा ३३८)।

१६. पद से निलम्बन (Suspension from office)—यदि कोर्ट ने उसकी सम्पत्ति के लिये रिसीवर नियुक्त कर दिया है, तो कम्पनी का मैनेजिंग एजेंट अपने पद से निलम्बित कर दिया गया समझा जायेगा। (धारा ३३५) ।

१७. पद की रिक्ति (Vacation of office)—मैनेजिंग एजेंट का पद स्वतः खाली हो जाता है जब उसे दिवालिया निर्णीत कर दिया जाता है, यदि वह व्यक्ति है ; विघटन होने पर, यदि वह एक फर्म है, उसके समापन पर, यदि वह एक निगम निकाय है, तथा यदि उसको मैनेजिंग एजेंट या कोई डायरेक्टर या मुख्ताना में की सामान्य शक्ति धारण करने वाला कोई अधिकारी दोषी

पाया जाता है और उसे कम से कम ६ माह का कारावास का दण्ड दे दिया गया हो (धारा ३३६)।

१८. इस्तीफा (Resignation)—मैनेजिग एजेंट का इस्तीफा उस समय तक प्रभावकारी नहीं होता जब तक कि उसके कारोबार तथा लेखे पर आडिटर्स की रिपोर्ट कम्पनी की जनरल मीटिंग में पेश किये जाने के बाद अनुमोदित तथा इस्तीफा स्वीकृत न कर दिया जाय। (धारा ३८२)।

१६. उपबन्धों के प्रतिकूल पारिश्रमिक (Remuneration in contravention of provisions)—जहाँ ऐक्ट के उपबंधों के प्रतिकूल कम्पनी का मैनेजिंग एजेंट या उसका सहयोगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पारिश्रमिक, छूट, कमीशन, खर्च या अन्यथा कोई रकम प्राप्त करता है, तो मैनेजिंग एजेंट या उसका सहयोगी ऐसी रकम का हिसाब कम्पनी को देने का जिम्मेदार होगा मानों यह रकम इन्होंने कम्पनी के लिये न्यास के रूप में धारण कर रक्खा हो। जब तक कि केंद्रीय सरकार इसके लिये अनुमति नहीं देती, कोई कम्पनी उसको प्रतिदेय किसी रकम को अधित्यागित नहीं कर सकती। (धारा ३६३)।

२०. पारिश्रमिक का अभिहस्तांकन (Assiggment of remuneration)—मैनेजिंग एजेंट द्वारा अपने पारिश्रमिक का अभिहस्तांकन या पारिश्रमिक या उसके किसी भाग पर डाला गया भार कम्पनी के खिलाफ शून्य होगा। उपरोक्त उपबन्ध मैनेजिंग एजेन्ट तथा कम्पनी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के परस्पर अधिकारों को प्रभावित नही करेगा। (धारा ३६४)।

२१. पद की हानि के लिये हर्जाना देने का निषेध (Prohibition of payment of compensation for loss of office)—निम्नलिखित सूरतों में कम्पनी मैनेजिंग एजेंट को उसके पद की हानि के लिये कोई हर्जाना नहीं देगी :—

(क) जहाँ किसी अन्य निगम निकाय के साथ कम्पनी के पुनर्निर्माण या समामेलन के फलस्वरूप मैनेजिंग एजेन्ट अपने पद से इस्तीफा दे देता है और वह पुनर्निमित कम्पनी के मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स, मैनेजर या अन्य अधिकारी के रूप में नियुक्त हो जाता है,

(ख) जब कि कम्पनी के पुनर्निर्माण या समामेलन के अन्यथा मैनेजिंग एजेन्ट अपने पद से इस्तीफा दे देता है,

(ग) जहाँ मैनेजिंग एजेन्ट अपना पद खाली कर देता है,

(घ) जहाँ यह समझा जाता है कि मैनेजिंग एजेन्ट ने अपना पद रिक्त कर दिया है,

(ङ) जहाँ यह समझा जाता है कि मैनेजिंग एजेन्ट निलम्बित कर दिया गया है,

(च) जहाँ मैनेजिंग एजेन्ट को धारा ३३७ या धारा ३३८ के अन्तर्गत कपट या न्यास-भंग के लिये साधारण प्रस्ताव द्वारा तथा घोर अनवधानता या कुप्रबन्ध के लिये विशेष प्रस्ताव द्वारा पद से हटा दिया गया हो,

(छ) जहाँ मैनेजिंग एजेन्ट ने अपने पद को समात कराने के लिये उकसाया है या समाप्त कराने में भाग लिया है,

(ज) जहाँ केन्द्रीय सरकार ने ऐक्ट की धारा ३८८-बी के अन्तर्गत ट्रायब्यूनल को मैनेजिंग एजेन्ट द्वारा पद धारण किये जाने की समुपयुक्तता के विषय में रिफ्रेन्स किया हो और ट्रायब्यूनल द्वारा प्रतिकूल फाइन्डिग दिये जाने के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उसे पद से हटा दिया हो।

(झ) जहाँ धारा ३९७ या धारा ३९८ के अन्तर्गत कोर्ट मैनेजिंग एजेंट तथा कम्पनी के बीच किसी करार को समाप्त कर देती है, हटा देती है या, संशोधित कर देती है, तो ऐसे आदेश से पद के लाभ या अन्यथा के आधार पर कम्पनी के खिलाफ हर्जाने या प्रतिकर के दावे की उत्पत्ति नहीं होगी। (धारा ४०७)।

२२. प्रतिकर की सीमा (Limit of compensation)—

कम्पनी द्वारा मैनेजिंग एजेन्ट को पद की हानि के लिये देय प्रतिकर हर्जाने की रकम उस रकम से अधिक नहीं होगी जो वह अपने पद की शेष अवधि, या तीन साल में पारिश्रमिक के रूप में पाता, जो भी कम हो, यदि वह पद से हटाया न गया होता।

२३. अन्य कम्पनियों के शेयर्स इत्यादि का कम्पनी द्वारा क्रय (Purchase by Company of shares etc. of other Companies)

—कोई कम्पनी (एतत्पश्चात विनियोजन कर्त्ता कम्पनी (Investing Company) के रूप में निर्दिष्ट), सिवाय निम्नलिखित निर्बन्धनों तथा शर्तों के अनुसार तथा सीमा तक, किसी अन्य निगम निकाय के शेयर्स क्रय करने या सब्सक्राइब करने की अधिकारी नहीं होगी। [धारा ३७२ (१)]।

विनियोजनकर्त्ता कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स किसी अन्य निगम निकाय के शेयर्स में ऐसी अन्य निगम निकाय के सब्सक्राइब्ड कैपिटल के १० प्रतिशत तक

धन लगा सकते हैं, इस शर्त के अधीन कि बोर्ड द्वारा सभी अन्य कम्पनियों में इस प्रकार किये गये विनियोजन का कुल विनियोजनकर्त्ता कंपनी के सब्सक्राइब्ड कैपिटल के तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, तथा उसी वर्ग (किसी कंपनी को विनियोजन कर्त्ता कंपनी के वर्ग का उस समय समझा जाता है यदि वह विनियोजनकर्त्ता कंपनी का मैनेजिङ्ग एजेन्ट है या यदि ऐसी कंपनी तथा विनियोजनकर्त्ता कंपनी को एक ही प्रबंध के अन्तर्गत समझा जाता है] की सभी कम्पनियों में की गयी विनियोजन का कुल विनियोजनकर्त्ता कंपनी के सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । [धारा ३७२ (२)]।

कोई विनियोजनकर्त्ता कंपनी किसी अन्य कंपनी के शेयर्स में उपर्युक्त प्रतिशत तथा परन्तुकों से अधिक धन नहीं लगायेगी, जब तक कि विनियोजनकर्त्ता कंपनी के विशेष प्रस्ताव द्वारा जनरल मीटिङ्ग में इसकी स्वीकृति न दे दी जाय और यह केन्द्रीय सरकार द्वारा भी अनुमोदित न कर दिया जाय, बशर्तें कि उपरोक्त प्रतिशतों के बावजूद विनियोजनकर्त्ता कंपनी धारा ८१ की उपधारा (१) के खंड (क) के अन्तर्गत उसको पेशकश किये गये शेयर्स में किसी समय कितनी ही धनराशि विनिहित (invest) कर सकती है । [धारा ३७२ (४)]।

किसी विनियोजनकर्त्ता कंपनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा उपधारा (२) के अनुसार कोई विनियोजन नहीं किया जायेगा जब तक कि बोर्ड की मीटिंग में एक प्रस्ताव द्वारा मीटिंग में उपस्थित सभी डायरेक्टर्स की सहमति से इसे स्वीकृत नहीं कर दिया जाता, सिवाय उनकी सहमति के जो उस पर वोट देने के अधिकारी नहीं हैं, तथा जब तक कि धारा २८६ में उल्लिखित तरीके के अनुसार मीटिंग में लाये जाने वाले प्रस्ताव की सूचना प्रत्येक डायरेक्टर को न दे दी गयी हो। [धारा ३७२ (५)]।

———

अध्याय—१६

सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स

[SECRETARIES AND TREASURERS]

[धाराएँ ३७८–३८३]

सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स की स्थिति (Position of Secretaries and Treasurers)—सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स की प्रणाली में जो सामान्यतः मैनेजिंग एजेन्ट्स तथा मैनेजर्स के समान ही कृत्यों का निष्पादन करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सिवाय इस महत्वपूर्ण अन्तर के कि सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स को डायरेक्ट्रेट में अपना नामांकित व्यक्ति नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली में प्रचलित अनेकों बुराइयों से यह प्रणाली स्वतन्त्र है। ऐक्ट ने उन परित्राणों (Safeguards) पर पर्याप्त बल देते हुए जिनके अधीन यह पद धारण किया जा सकता है, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स की प्रणाली को परिनियत मान्यता प्रदान की है।

निबन्धन "सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स" को पीछे समझाया जा चुका है और कम्पनी के अन्य अधिकारियों के साथ उनकी तुलना भी की गयी है। इनकी परिभाषा से स्पष्ट है कि केवल कोई फर्म या निगम निकाय ही इस पद को धारण कर सकती है, लेकिन अन्य बातों के सिलसिले में सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स को 'मैनेजर' की परिभाषा द्वारा अपेक्षित बातों की पूर्ति करनी चाहिये। सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार एक निगम मैनेजर (Corporate Manager) होता है।

नियुक्ति (Appointment)—इस अध्याय में दिये गये ऐक्ट के उपबन्धों के अधीन, कोई कम्पनी किसी फर्म या निगम निकाय को अपने सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स के रूप में नियुक्त कर सकती है। (धारा ३७८)।

सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स की नियुक्ति संविदा के अन्तर्गत या अन्यथा की जा सकती है। प्रास्पेक्टस तथा प्रास्पेक्टस के स्थान पर स्टेटमेन्ट में (Reg. 3, Part I, Schedule II and Schedule III) उनका नाम, वर्णन तथा पेशा दिया जाना चाहिए। सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स की नियुक्ति तथा उनको देय पारिश्रमिक

के सिलसिले में आर्टिकल्स तथा किसी संविदा में, इस बात के बावजूद कि यह कब की गयी थी, किए गए उपबन्ध को भी प्रकट किया जाना चाहिए।

शक्तियां तथा कृत्य (Powers and Functions)—सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स से मैनेजिंग एजेन्टों के समान ही कार्य करने की आशा की जाती है। धारा ३७६ निर्धारित करती है कि धाराएं ३८०-३८३ के अपवादों तथा रूपभेद के अधीन ऐक्ट के वे सभी उपबन्ध जो मैनेजिंग एजेन्ट को, जो एक फर्म या निगम निकाय होता है, लागू होते हैं या उनके संबंध में लागू होते हैं, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स को भी लागू होंगे। जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, ऐक्ट में मैनेजिङ्ग एजेन्ट या उससे संबन्धित या सम्बद्ध व्यक्तियों को किये गये संदर्भ के विषय में यह समझा जाना चाहिये कि इसमें सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स या उसी प्रकार उनसे संबन्धित या सम्बद्ध व्यक्तियों के विषय में भी संदर्भ शामिल है।

अपवाद (Exception)—वे उपबन्ध जो धारा ३७६ के अन्तर्गत सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स को नहीं लागू हैं, लेकिन मैनेजिंग एजेन्टों को लागू हैं, निम्न प्रकार हैं: (१) ऐक्ट की धारा ३२४ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को यह नोटीफाई करने की शक्ति न होगी कि किसी विशिष्ट किस्म के व्यापार में लगी कम्पनियों में कोई सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स न होंगे। (२) इसी प्रकार धारा ३३० के अन्तर्गत १५ अगस्त १९६० से सभी मैनेजिंग एजेन्सियों को समाप्त किये जाने के उपबन्ध सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स को नहीं लागू होंगे। वे जितनी भी कम्पनियों के लिये चाहें सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसकी सूरत में कम्पनियों की संख्या दस तक नहीं सीमित है, जैसा कि धारा ३३२ में मैनेजिंग एजेन्टस के लिये सीमित है। (धारा ३८०) (३)। इन्हें कम्पनी के डायरेक्टर को नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा। (धारा ३८२)। (४) सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स को, न तो आर्टिक्ल्स द्वारा और न तो उनकी कम्पनियों के साथ किये गये किसी करार के द्वारा, कम्पनियों के सैलिंग या बाइंग एजेन्ट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बल्कि केवल बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा तक ही उन्हें इस रूप में नियुक्त किया जा सकता है। (धारा ३८३)।

पारिश्रमिक (Remuneration)—मैनेजिङ्ग एजेन्ट्स को दिये जाने वाले पारिश्रमिक, अर्थात शुद्ध लाभ के दस प्रतिशत के बजाय साढ़े सात प्रतिशत अधिकतम पारिश्रमिक दिये जाने की शर्त के अधीन, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स का पारिश्रमिक मैनेजिङ्ग एजेन्ट्स से संबंधित उपबन्धों द्वारा ही शामिल होता है। (धारा ३८१)। कम्पनी के अधिकारियों या कर्मचारियों को कर-मुक्त भुगतान

वर्जित है। (धारा २००)। साढ़े सात प्रतिशत की सीमा से अधिक अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स को किया जा सकता है, यदि यह कम्पनी के विशेष प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत कर दिया जाय और लोक हित में होने के आधार पर इसका अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा कर दिया जाय। (धारा ५३२)। वे किसी कार्यालय भत्ता के अधिकारी नहीं होते, लेकिन यदि वे कम्पनी की ओर से कोई खर्च करते हैं और इसे बोर्ड द्वारा या कम्पनी द्वारा जनरल मीटिंग में स्वीकृत कर दिया जाता है तो इसकी प्रतिपूर्ति उसे की जा सकती है। (धारा ३५४)। उपरोक्त उपबन्धों के उल्लंघन द्वारा प्राप्त किये गये पारिश्रमिक को उन्हें कम्पनी को वापस करना होगा और ऐसी वापसी तक वे ऐसे पारिश्रमिक को कम्पनी के लिये न्यास के रूप में धारण करेंगे। (धारा ३६३)। मैनेजिङ्ग एजेन्ट्स द्वारा किया गया उनके पारिश्रमिक या उसके किसी भाग का अभिहस्तांकन या लागू किया गया भार कम्पनी के विरुद्ध शून्य होगा। (धारा ३६४)।

अध्याय १७

मैनेजर तथा सेक्रेट्री

[MANAGER AND SECRETARY]

[धाराएँ ३८४–३८८]

मैनेजर—निबन्धन "मैनेजर" को पीछे समझाया जा चुका है और कंपनी के अन्य अधिकारियों के साथ उसकी स्थिति की तुलना भी की गयी है।

शब्द "मैनेजर", जैसा कि सभी मानते हैं, ऐसे व्यक्ति को नहीं लागू होगा जो एक या दो बार कार्य करता है, बल्कि वह एक ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जिसे कम्पनी के सभी मामलो पर नियन्त्रण प्राप्त हो। उसे कम्मनी के पूरे या लगभग पूरे कारोबार का प्रबन्ध कार्य करना होता है। यह बात महत्वहीन होती है कि वह किस नाम से काम करता है। उसे मैनेजर की स्थिति धारण करनी चाहिए तथा कम्पनी के पूरे या लगभग पूरे प्रबन्ध-कार्य की देखभाल करनी चाहिए। तदनुसार, किसी ब्रान्च आफिस का मैनेजर उपरोक्त परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आएगा यदि वह उपरोक्त अवेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता।

नियुक्ति—कोई फर्म, निगम निकाय या सस्था मैनेजर के रूप में नहीं नियुक्त की जा सकती। केवल कोई व्यक्ति ही इस पद को धारण कर सकता है। यदि यह पद किसी फर्म या निगम निकाय द्वारा धारण किया जा रहा है तो ऐक्ट के शुरू होने के छः महीने की अवधि की समाप्ति पर इसे धारण करना समाप्त कर दिया जाना चाहिए। (धारा ३८४)।

निर्योग्यतायें (Disqualifications)—निम्नलिखित व्यक्तियों को मैनेजर के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें सेवा में रक्खा जाएगा : (क) अनुन्मुक्त दिवालिया (Undischarged insolvent); (ख) पिछले पाँच वर्ष में न्यायनिर्णीत दिवालिया (Adjusted insolvent); (ग) ऐसा व्यक्ति जो अपने ऋणदाताओं को भुगतान निलम्बित करता है, या पिछले पाँच वर्षों में किसी समय निलम्बित किया है, या उनके साथ कोई समझौता करता है, या पिछले पाँच वर्षों में किसी समय किया है ; या (घ) ऐसा व्यक्ति जो उक्त अवधि में भारत में किसी कोर्ट द्वारा ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध पाया गया हो जिसमें नैतिक पतन (Moral turpitude) अन्तर्ग्रस्त हो। केन्द्रीय

सरकार विज्ञप्ति द्वारा सामान्य रूप से या किसी कम्पनी या कम्पनियों के सिलसिले में इन निर्योग्यताओं को हटा सकती है। (धारा ३८५)।

मैनेजरशिप्स की संख्या (Number of Managerships)—सामान्यतः कोई कम्पनी, ऐक्ट के शुरू होने के बाद, किसी ऐसे व्यक्ति को मैनेजर के रूप में नियुक्त नहीं करेगी या उसे सेवा में लगाएगी यदि वह किसी अन्य कम्पनी का मैनेजर या मैनेजिङ्ग डायरेक्टर है। लेकिन, यदि वह व्यक्ति केवल एक ही, अधिक नहीं, अन्य कम्पनी का मैनेजर या मैनेजिङ्ग डायरेक्टर है, तो उसे नियुक्त किया जा सकता है या सेवा में लगया जा सकता है। लेकिन, ऐसी नियुक्ति बोर्ड की मीटिङ्ग में उसमें मौजूद सभी डायरेक्टर्स के एकमत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत की जानी चाहिए तथा मीटिङ्ग में पेश किये जाने वाले प्रस्ताव की उल्लिखित सूचना उस समय भारत में मौजूद सभी डायरेक्टर्स को दी गयी होनी चाहिए। जहाँ कोई व्यक्ति ऐक्ट के शुरू होने पर दो से अधिक कम्पनियों में मैनेजर या मैनेजिङ्ग डायरेक्टर के रूप में पद धारण किए हुए हैं, तो उसे, ऐक्ट के शुरू होने के एक वर्ष के भीतर, उन अधिक से अधिक दो कम्पनियों को चुनना पड़ेगा जिनमें वह मैनेजर या मैनेजिङ्ग डायरेक्टर के रूप में, जैसी भी सूरत हो, पद धारण किये रहना चाहता हो। लेकिन, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को दो से अधिक कम्पनियों में बतौर मैनेजर नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान कर सकती है, यदि वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि उनके समुचित कार्य-संचालन तथा एकल इकाई के रूप में कार्य करने के लिए एक ही सामान्य मैनेजर होना आवश्यक है।

पारिश्रमिक (Remuneration)—मैनेजर का पारिश्रमिक धारा १९८ के अधीन मासिक भुगतान के रूप में होगा, या शुद्ध लाभ के एक उल्लिखित प्रतिशत के रूप में, या आंशिक रूप से एक तरह तथा आंशिक रूप से दूसरी तरह। सिवाय केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन सहित, ऐसा पारिश्रमिक शुद्ध लाभ के कुल पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। (धारा ३८७)। पारिश्रमिक में वृद्धि के लिये, जैसा डायरेक्टर्स की सूरत में होता है, केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है। इसी प्रकार, यदि किसी मैनेजर की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की शर्तों में पारिश्रमिक की वृद्धि अन्तर्ग्रस्त हो, तो ऐसी पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक केन्द्रीय सरकार इसका अनुमोदन न करे।

पदावधि (Period of office)—जैसा कि मैनेजिंग डायरेक्टर की सूरत में है, कोई मैनेजर एक समय पर पाँच वर्ष की अवधि से अधिक के लिये नहीं नियुक्त किया जा सकता और किसी व्यक्ति की मैनेजर के रूप में पृथक नियुक्ति के

लिये केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होगा। इसी प्रकार पारिश्रमिक में वृद्धि के उपबन्ध के लिये केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होगा। [धारा ३८८ तथा ३१७]।

पद का अभिहस्तांकन (Assignment of office)—जैसा कि डायरेक्टर की सूरत में है, मैनेजर का पद अभिहस्तांकित नहीं किया जा सकता। [धारा ३८८ तथा ३१२]।

धारा ३८६, ३८७ तथा ३८८ के उपबन्ध प्राइवेट कम्पनी को लागू नहीं होंगे जब तक कि वह किसी लोक कम्पनी की सहायक न हो। [धारा ३८८ ए]।

सेक्रेट्री

परिभाषा—जैसा कि धारा २ (४५) में परिभाषित है, सेक्रेट्री का अर्थ है वह व्यक्ति जो इस ऐक्ट के अन्तर्गत सेक्रेट्री द्वारा पालनीय कर्तव्यों के पालनार्थ नियुक्त किया गया हो।

कर्त्तव्य (Duties)—सेक्रेट्री के लिये कोई उल्लिखित कर्त्तव्य नहीं निर्धारित किये गये हैं। वह सेवक-मात्र होता है और उससे जो कुछ करने के लिये कहा जाता है उसे वही करना होता है, और कोई भी यह अनुमान नहीं कर सकता कि वह किसी बात का प्रतिनिधित्व करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। आम तौर से सेक्रेट्री का कर्त्तव्य कार्यवृत लिखना, एजेन्डा घुमवाना, तथा डायरेक्टर्स की मीटिंग के सिलसिले में अन्य कार्य करना, जो सामान्यतः उन्हें सुपुर्द किया जाता है।

नियुक्ति—कम्पनी के लिये सेक्रेट्री की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है। यदि नियुक्ति की विशेष शर्तें हैं तो एक लिखित करार किया जा सकता है। बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना मैनेजिङ्ग एजेन्ट या सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स मैनेजर की नियुक्ति नहीं कर सकते, लेकिन वे उसे निलम्बित कर सकते हैं तथा नौकरी से बरखास्त भी कर सकते हैं। आम तौर से उसकी नियुक्ति बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के प्रस्ताव द्वारा की जाती है।

ट्रायब्यूनल की सिफारिश पर प्रबन्धकीय कर्मचारियों को पद से हटाने की केन्द्रीय सरकार की शक्तियां

[POWERS OF CENTRAL GOVERNMENT TO REMOVE MANAGERIAL PERSONNEL ON THE RECOMMENDATION OF TRIBUNAL]

प्रबन्धकीय कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को ट्रायब्यूनल को भेजा जाना (Reference to Tribunal of cases against managerial personnel)—धारा ३८८-बी के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार किसी प्रबन्धकीय कर्मचारी के विरुद्ध किसी मामले को ट्राब्यूनल के पास जाँच तथा इस निष्कर्ष के लिये भेज सकती है कि वह व्यक्ति, डायरेक्टर या कम्पनी के प्रबन्ध तथा व्यवस्था से संबन्धित अधिकारी के पद को धारण करने के लिये समुपयुक्त व्यक्ति है अथवा नहीं।

केन्द्रीय सरकार ट्रायब्यूनल को तभी रेफ्रेन्स करेगी जब उसके विचार में इस बात का सुझाव देने वाली परिस्थितियाँ हों (क) कि कम्पनी के कारोबार के प्रबन्ध तथा व्यवहार से सम्बद्ध व्यक्ति कपट, अपकरण, लगातार अनवधानता, कानून के अन्तर्गत अपने कृत्यों तथा आभारों का पालन करने में चूक, या न्यास-भंग का दोषी है या रहा है; या (ख) कि ऐसे व्यक्ति द्वारा कम्पनी के व्यापार का व्यवहार तथा प्रबन्ध स्वस्थ व्यापारिक सिद्धांतों या विचारशील व्यापारिक व्यवहारों के मुताबिक नहीं किया गया है या वह ऐसा नहीं कर रहा है; या (ग) कि कम्पनी का व्यवहार या प्रबन्ध ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे ढंग से किया जा रहा है या किया गया है कि उससे जिस वाणिज्य, उद्योग या व्यापार से कम्पनी सम्बद्ध है उसको गम्भीर क्षति या नुकसान होने की सम्भावना है या हुई है, (घ) कि कम्पनी का व्यवहार या प्रबन्ध ऐसे व्यक्ति द्वारा कम्पनी के ऋणदाताओं, सदस्यों या अन्य व्यक्तियों से कपट करने के आशय सहित या अन्यथा किसी कपटपूर्ण या अवैध प्रयोजन के

लिये या सार्वजनिक हितों के प्रतिकूल किया जा रहा है या किया गया है। [धारा ३८३-बी (१)]।

ट्रायब्यूनल द्वारा अन्तरिम आदेश (Interim Order by Tribunal)—जहाँ ट्रायब्यूनल के सामने चल रहे किसी मामले में कम्पनी के सदस्यों, ऋणदाताओं के हित में, या लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा दरख्वास्त दिये जाने पर या ट्रायब्यूनल खुद अपनी ओर से आदेश द्वारा (क) निदेश दे सकता है कि रेस्पान्डेन्ट ट्रायब्यूनल द्वारा और आदेश दिये जाने तक अपने पद के किसी कर्तव्यों का निष्पादन नहीं करेगा, तथा (ख) उसके स्थान पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को उसके कर्तव्यों के निष्पादन के लिये नियुक्त कर सकता है (धारा ३८३-सी)।

ट्रायब्यूनल के निष्कर्ष (Finding of the Tribunal)—सुनवाई की समाप्ति पर ट्रायब्यूनल अपना निष्कर्ष रेकार्ड करते हुये यथोल्लिखित रूप से (specifically) यह कहेगी कि रेस्पान्डेन्ड डायरेक्टर या कम्पनी के व्यवहार तथा प्रबन्ध से सम्बद्ध किसी अधिकारी के पद को धारण करने के लिये एक समुपयुक्त व्यक्ति है या नहीं। (धारा ३८८ डी)।

ट्रायब्यूनल के निष्कर्ष के आधार पर प्रबन्धकीय कर्मचारी को हटाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति (Power of Central Government to remove managerial personnel on the basis of Tribunal's findings)—केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा किसी डायरेक्टर या कम्पनी के कारोबार के व्यवहार या प्रबन्ध से सम्बद्ध व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध उपरोक्त उपबन्धों के अन्तर्गत ट्रायब्यूनल का निष्कर्ष या उस पर हाई कोर्ट का निर्णय है, उसके पद से हटा सकती है। [धारा ३८८-ई (१)]।

किसी व्यक्ति के खिलाफ हटाये जाने का आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसे ऐसे आदेश के खिलाफ कारण दिखाने का पर्याप्त तथा युक्तिसंगत अवसर न प्रदान किया गया हो; लेकिन यदि किसी मामले का निर्णय ट्रायब्यूनल या हाईकोर्ट द्वारा कर दिया गया है तो कोई व्यक्ति ऐसे मामले को केन्द्रीय सरकार के सामने नहीं उठा सकेगा। [धारा ३८८-ई (२)]।

उपरोक्त उपबन्धों के अन्तर्गत अपने पद से हटाया गया कोई व्यक्ति, हटाये जाने के आदेश की तारीख से पाँच वर्ष तक, डायरेक्टर या किसी कम्पनी के

कारोबार के व्यवहार या प्रबन्ध से सम्बद्ध अधिकारी के रूप में कोई पद नहीं धारण करेगा; लेकिन ट्रायब्यूनल की पूर्व सहमति से केन्द्रीय सरकार उपरोक्त पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहिले ही ऐसे किसी पद को धारण करने की अनुमति ऐसे व्यक्ति को दे सकती है। [धारा ३८८-ई (३)]।

इस ऐक्ट या किसी अन्य कानून, या संविदा, मेमोरेन्डम या आर्टिक्लस में किसी अन्य उपबन्ध के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे उपरोक्त उपबन्धों के अन्तर्गत उसके पद से हटाया गया है, पद की समाप्ति या हानि के किसी प्रकार के हर्जाना पाने का हकदार नहीं होगा। [धारा ३८८-ई (४)]।

इस प्रकार हटाये जाने पर, कम्पनी, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी अन्य व्यक्ति को ऐक्ट के उपबन्धों के मुताबिक उस पद पर नियुक्त कर सकेगी। [धारा ३८८-ई (५)]।

अध्याय १६

विवाचन, समझौता, व्यवस्था तथा पुनर्निर्माण

[ARBITRATION, COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND RECONSTRUCTION]

विवाचन निर्देश (Reference to Arbitration)—स्वयं तथा किसी अन्य कम्पनी तथा व्यक्तियों के बीच वर्तमान या भावी विवादों को विवाचन के लिये भेजने की कम्पनी की शक्ति से संबंधित धारा ३८६ के उपबन्धों को कम्पनी (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १६६० ने निकाल दिया है।

समझौता तथा व्यवस्था

ऋणदाताओं तथा सदस्यों के साथ समझौता या व्यवस्था करने की शक्ति (Power to compromise or make arrangements with creditors and members)—जहाँ (क) कम्पनी तथा उसके ऋणदाताओं या उनके किसी वर्ग के बीच; या (ख) कम्पनी तथा उसके सदस्यों या उनके किसी वर्ग के बीच, किसी समझौते या व्यवस्था का प्रस्ताव हो, वहाँ कोर्ट, कम्पनी या कम्पनी के किसी ऋणदाता या सदस्य, या परिसमापक (यदि कम्पनी का समापन हो रहा हो) की दरखास्त पर, ऋणदाताओं या उनके वर्ग, या सदस्यों या उनके वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, की मीटिंग, जिस प्रकार कोर्ट निदेश दे, बुलाने, करने तथा संचालित करने का आदेश दे सकेगी। [धारा ३६१ (१)]।

यदि मीटिंग में (१) बहुसंख्या में (२) ऋणदाता या ऋणदाताओं के वर्ग या सदस्य, या सदस्यों के वर्ग के मूल्य के तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करते हुये व्यक्ति (३) उपस्थित हों तथा (४) स्वयं या प्राक्सी द्वारा वोट देते हुये (५) किसी समझौते या व्यवस्था के प्रति सहमत होते हों, और (६) यदि कोर्ट स्वीकृति प्रदान कर देती है, तो ऐसा समझौता या व्यवस्था सभी ऋणदाताओं, ऋणदाताओं के सभी वर्ग, सभी सदस्य, या सदस्यों के वर्ग, तथा कम्पनी या परिसमापक तथा अंशदाताओं पर भी (यदि कम्पनी का समापन हो रहा हो) बन्धनकारी होगा। लेकिन, कोर्ट द्वारा किसी समझौते या व्यवस्था के प्रति स्वीकृति तब तक नहीं प्रदान की जायेगी जब तक कि कोर्ट इस बात से सन्तुष्ट न हो कि कम्पनी या किसी व्यक्ति ने, जिसने उपधारा (१) के अन्तर्गत दरखास्त दिया है, शपथ-पत्र द्वारा या अन्यथा कोर्ट के

समस्त कम्पनी के सिलसिले में सभी सारवान तथ्यों को प्रकट कर दिया है, जैसे कम्पनी की अन्तिम आर्थिक स्थिति, कम्पनी के लेखे के विषय में आडिटर्स की अन्तिम रिपोर्ट, धारा २३५ से २५१ के अन्तर्गत कम्पनी के सिलसिले में चल रही कोई जाँच की कार्यवाही, इत्यादि। (धारा ३९१ (२))। [१९६५ की ऐक्ट संख्या ३१ द्वारा जोड़ा गया] उपधारा (२) के अन्तर्गत दिया गया कोर्ट का आदेश तब तक प्रभावकारी नहीं होगा जब तक कि उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के पास दाखिल न कर दी गयी हो। (धारा ३९१ (२))। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के पास दाखिल किये जाने के बाद जारी किये जाने वाले कम्पनी के प्रत्येक मेमोरन्डम के साथ प्रत्येक ऐसे आदेश की एक प्रति संलग्न की जायेगी। [धारा ३९१ (४)]।

इस धारा के अन्तर्गत दरखास्त दिए जाने के बाद किसी समय कोर्ट कम्पनी के विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही का शुरू होना या जारी रहना जब तक कि दरखास्त का अन्तिम निबटारा न हो जाय रोक सकेगी। [धारा ३९१ (६)]।

मूल क्षेत्राधिकार वाली किसी कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील उस कोर्ट को की जा सकेगी जिसे उस कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील करने की शक्ति प्राप्त हो। [धारा ३९१ (७)]।

समझौता (Compromise)—शब्द "समझौता" का अर्थ है किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच उनके परस्पर अधिकारों के विषय में कोई विवाद या मतभेद की सूरत में आपसी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये किया गया आपसी करार या समझौता। यह शब्द उस स्थिति में प्रयोग होता है जहाँ कोई विवाद या कठिनाई हो। समझौता का अर्थ है दो पक्षकारों के बीच एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा वे एक दूसरे को सुविधा या छूट देते हैं या कुछ चीज देते हैं।

व्यवस्था (Agreement)—धारा ३९० (ख) के अन्तर्गत अभिव्यक्ति "व्यवस्था" में, धारा ३९१, ३९२ तथा ३९३ के अर्थान्तर्गत, विभिन्न वर्गों के शेयरों के समेकन या शेयरों के विभिन्न वर्गों में विभाजन द्वारा या इन दोनों तरीकों से कम्पनी के शेयर कैपिटल का पुनस्संघटन (reorganisation) शामिल है। *In re* General Motor Cab Co., Ltd. (1913) I Ch. 377 में कहा गया है कि—

"Arrangement, no doubt, is a larger word than compromise, and it must mean something analogous in some sense to compromise".

निम्नलिखित संव्यवहारों को व्यवस्था माना गया है, अर्थात् डिबेन्चर्स की सन्तुष्टि में किसी कम्पनी द्वारा पूर्ण दत्त शेयर्स जारी किया जाना (Slater *v.*

Darlston Steel & Iron Co. (1877) W. N. 139] ; नई कम्पनी में शेयर्स के लिये परिसम्पत् का विक्रय (In *re* Sandwell Park Colliery Co. (1914) I Ch. at p. 589); कैपिटल का पुनस्संघटन जिसमें अधिमान अधिकारों में हस्तक्षेप अन्तग्र स्त हो (*In re* Palace Hotel Co. (1912) 2 Ch. 438), इत्यादि ।

धारा ३६० यह भी निर्धारित करती है कि धारा ३६१ तथा ३६३ में अभिव्यक्त "कम्पनी" का अर्थ है ऐसी कम्पनी जिसका समापन ऐक्ट के अन्तर्गत होने वाला हो । (धारा ३६० (क)) । अप्रतिभूत ऋणदाताओं को, जिन्होंने वाद दायर किया हो या डिक्री प्राप्त कर लिया हो, उसी वर्ग का समझा जायेगा जैसा कि अन्य अप्रतिभूत ऋणदाता । [धारा ३६० (ग)] ।

समझौते तथा व्यवस्था को प्रवर्तित कराने की हाई कोर्ट की शक्ति (Power of High Court to enforce Compromises and Arrangements)—जहाँ धारा ३६१ के अन्तर्गत उच्च न्यायालय किसी कम्पनी के सिलसिले में किसी समझौते या व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान करते हुए आदेश देती है वहाँ उसे (क) समझौते या व्यवस्था के पालन के पर्यवेक्षण की शक्ति प्राप्त होगी; तथा (ख) वह ऐसा आदेश देने के समय या उसके बाद किसी समय समझौते या व्यवस्था के सिलसिले में कोई आदेश दे सकती है या उसे इस प्रकार रूपभेदित कर सकती है या अन्य निदेश दे सकती है जिसे वह समझौते या व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिये आवश्यक समझे । यदि उच्च न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट हो कि धारा ३६१ के अन्तर्गत स्वीकृत कोई समझौता या व्यवस्था रूपभेद सहित या इसके बिना ठीक से नहीं चल सकती, तो वह स्वयं या कम्पनी के मामलों में हितबद्ध किसी व्यक्ति की दरखास्त पर, कम्पनी के समापन का आदेश दे सकती है । [धारा ३९२) ।

स्वीकृति को शासित करने सिद्धान्त (Principles governing grant of sanction)—उसके सामने प्रस्तुत की गई किसी योजना को स्वीकृति प्रदान करने के सिलसिले में कोर्ट को काफी विस्तृत विवेक प्राप्त हैं, और यदि अपेक्षित बहुमत ने योजना को अनुमोदित कर दिया हो तो भी इससे आवेदन-कर्त्ता को सामान्य क्रम में समझौते का आदेश प्राप्त करने का अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता । *In re.* Alabama New Orleans etc., Rly. Co. (1891) 1 Ch. 213 में योजनाओं तथा व्यवस्थाओं के सिलसिले में कोर्ट के कर्त्तव्य को इन शब्दों में स्पष्ट किया गया है :

"What the Court has to do is to see, first of all, that the provisions of that statute have been complied with; and secondly, that the majority has been acting *bona fide*. The Court also has to see that the minority is not being overridden by a majority having interests of its own clashing with those of the minority whom they seek to coerce. Further than that, the Court has to look at the scheme and see whether it is one as to which persons acting honestly, and viewing the scheme laid before them in the interest of those whom they represent, take a view which can be reasonably taken by business men."

पुनर्निर्माण तथा समामेलन

(Reconstruction and Amalgamation)

पुनर्निर्माण (Reconstruction)—पुनर्निर्माण उस समय होता है जब कम्पनी किसी करार के अन्तर्गत अपनी सम्पूर्ण अन्डरटेकिंग तथा सम्पत्ति किसी नई कंपनी को हस्तांतरित कर देती है जिसके द्वारा पुरानी कंपनी के शेयरहोल्डर्स नई कंपनी में कुछ शेयर्स या अन्य इसी प्रकार के हित प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। [Topham : Principles of Company Law. 10th Ed. p. 316]।

पुनर्निर्माण तीन ढंगों से होता है : (१) मेमोरेन्डम में दी गई शक्तियों के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा किसी नई कम्पनी को अपनी सम्पूर्ण अन्डरटेकिंग के विक्रय द्वारा; (२) धारा ४६४ के अन्तर्गत परिसमापक द्वारा कम्पनी की अन्डरटेकिंग के विक्रय द्वारा; तथा (३) धारा ३६१ के अन्तर्गत किसी व्यवस्था की योजना द्वारा।

समामेलन (Amalgamation)—समामेलन का अर्थ है दो या अधिक कम्पनियों के कारोबार का एक कम्पनी के रूप में या एक कम्पनी के नियत्रण में संयुक्त होना। (Topham : Principles of Company Law, 10th Ed. p. 316)।

शब्द "समामेलन" का कोई निश्चित वैधिक अर्थ नहीं है। इससे ऐसी परिस्थितियो का संकेत होता है, जिनमें दो या अधिक कम्पनियों को संयुक्त करके एक तीसरी कम्पनी का निर्माण होता है। [Ocean Steam Navigation Co. (1939, 1 Ch. 41]। समामेलन में किसी पुरानी कम्पनी के कारोवार को चलाने के लिये नई कम्पनी का निर्माण अन्तर्ग्रस्त नहीं होता, यद्यपि

इसमें यह शामिल है, लेकिन यह यहीं तक नहीं सीमित है। कोई कम्पनी व्यावसायिक संव्यवहार के रूप में उन कम्पनियों के साथ जो कारोबार कर रही हों अपनी सम्पूर्ण परिसम्पत् को किसी न किसी प्रकार बेच कर समामेलन कर सकती है—धन के लिये नहीं, क्योंकि यह साधारण विक्रय होगा—बल्कि क्रय करने वाली कम्पनी के शेयर्स के लिये। [Wall *v.* London & N. Assets Corpon. (1898) 2 Ch. 464]। इनमें से एक कम्पनी इस शर्त पर चलती रह सकती है कि दोनों निगमों की अन्डरटेकिंगें वास्तविक रूप में केवल एक निगम के रूप में विलीन हो जायेंगी। [South African Supply & Co. (1904) 2 Ch. 268]।

उपरोक्त से प्रतीत होगा कि शब्द पुनर्निर्माण का कोई निश्चित वैधिक अर्थ नहीं है। पुनर्निर्माण में नई कम्पनी पुरानी कम्पनी का कारोबार ले लेती है और उन्हीं शेयरहोल्डर्स के साथ उस कारोबार को चलाती है, जब कि समामेलन में दो या अधिक वर्तमान कम्पनियों का एक कम्पनी के रूप में संमिश्रण हो जाता है और दोनों शेयरहोल्डर्स नई संमिश्रित कम्पनी के शेयरहोल्डर्स होते हैं। समामेलन या तो नई कम्पनी के परिणामस्वरूप होता है या एक कम्पनी द्वारा दूसरी कंपनी को अपने में समा लेने के परिणामस्वरूप होता है।

कम्पनियों के पुनर्निर्माण तथा समामेलन सुकर बनाने के लिये उपबन्ध (Provisions for facilitating reconstruction and amalgamation of companies)—जहाँ कोर्ट को कोई दरख्वास्त, उसमें दी गई किसी समझौता या व्यवस्था को स्वीकृत करने के लिये दी जाती है, और दिखाया जाता है (क) कि समझौता या व्यवस्था किसी कम्पनी या कम्पनियों के समामेलन के लिये या उससे सम्बद्ध किसी योजना के प्रयोजन के लिये है, तथा (ख) कि योजना के अन्तर्गत उससे सम्बद्ध किसी कम्पनी के समस्त अन्डरटेकिंग, सम्पत्ति या दातव्यों, उसके किसी भाग को अन्य कम्पनी (जिसे हस्तांरिती कम्पनी कहा जाता है) या को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, तो, या तो समझौता या व्यवस्था को स्वीकृत करने वाले आदेश द्वारा या किसी उत्तरवर्ती आदेश द्वारा, कोर्ट निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी के लिये प्राविधान कर सकती है :—

(१) हस्तांतरक कम्पनी द्वारा अपने समस्त अन्डरटेकिंग, सम्पत्ति या दातव्यों या उसके किसी भाग को हस्तांतरिती कम्पनी के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने के लिये ;

(२) हस्तांतरिती कम्पनी द्वारा उस कम्पनी के शेयरों, डिबेन्चर्स, पालिसियों या ऐसे ही अन्य हितों के एलाटमेन्ट या विनियोग के लिये जो समझौतों या व्यवस्था

के अन्तर्गत उस कम्पनी द्वारा किसी व्यक्ति को या के लिये एलाट या विनियोजित किये जाने हैं :—

(३) हस्तांतरिती कम्पनी द्वारा, हस्तांतरक कम्पनी के द्वारा या उसके खिलाफ, की गई तथा चल रही कार्यवाहियों को जारी रखने के लिये ;

(४) समापन के बिना, हस्तांतरक कम्पनी के विघटन के लिये ;

(५) उन व्यक्तियों के लिये प्राविधान किये जाने के लिये जो कोर्ट द्वारा निर्धारित ढंग तथा समय के भीतर समझौते या व्यवस्था से सहमत नहीं होते हैं ; तथा

(६) ऐसे प्रासंगिक, आनुषंगिक तथा अनुपूरक (Incidental, Consequential and Supplemental) मामलों के लिये जो पुनर्निर्माण तथा समामेलन को पूर्ण तथा प्रभावशाली रूप से चलाने के लिये आवश्यक हो।

किसी ऐसी कम्पनी, जिसका समापन हो रहा हो, का किसी अन्य कम्पनी या कम्पनियों के साथ समामेलन के प्रयोजन के लिये या, इससे संबन्धित किसी समझौते या व्यवस्था की योजना को कोर्ट तब तक स्वीकृत नहीं करेगी जब तक कि कोर्ट इस विषय पर कम्पनी लॉ बोर्ड या रजिस्ट्रार की रिपोर्ट नहीं प्राप्त कर लेती कि कम्पनी के कारोबार का संचालन इस प्रकार नहीं किया गया है जो कि उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल हो। इसके अतिरिक्त, खंड (४) के अन्तर्गत किसी हस्तांतरक कम्पनी के विघटन का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आफिसियल परिसमापक ने, कम्पनी की पुस्तकों तथा कागजात के परीक्षण के पश्चात्, कोर्ट को यह रिपोर्ट न दे दिया हो कि कम्पनी के कारोबार का सञ्चालन इस प्रकार नहीं किया गया है जो सदस्यों के हितों या लोक-हितों के प्रतिकूल हो।

कोर्ट द्वारा किसी सम्पत्ति या दातव्यों के हस्तांतरण के लिये दिये गये आदेश से सम्पत्ति तथा दातव्य हस्तांतरिती कम्पनी में निहित हो जाएगी। समझौते या व्यवस्था के अनुसार कोर्ट निदेश दे सकती है कि कोई संपत्ति किसी भार से मुक्त होगी। जिस कम्पनी के सिलसिले में आदेश दिया गया है वह प्रत्येक कम्पनी आदेश की तारीख से ३० दिन के भीतर ऐसे आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्री के लिये दाखिल करेगी। इसके अपालन के लिये कम्पनी तथा चूक करने वाले अधिकारी पर जुर्माना हो सकता है। [धारा ३९४]।

दरखास्तों की सूचना केन्द्रीय सरकार को दी जाएगी (Notice to be given to Central Government for applications under Ss. 391 and 394):—कोर्ट उसको दी गई प्रत्येक

दरखास्त की सूचना केन्द्रीय सरकार को देगी, तथा यदि केन्द्रीय सरकार इस सिलसिले में कोई अभ्यावेदन करती है तो उस पर विचार करने के पश्चात् ही कोर्ट इन धाराओं के अन्तर्गत कोई आदेश देगी। (धारा ३९४-ए)।

असहमत सदस्यों के शेयर्स को अर्जित करने की शक्ति (Power to acquire shares of dissentient members)—जहाँ किसी योजना या संविदा में एक कम्पनी के दूसरी कम्पनी को शेयरों का हस्तांतरण अन्तर्ग्रस्त हो, तो ऐसे सदस्य भी हो सकते हैं जो ऐसी योजना या व्यवस्था से सहमत न हों। धारा ३९५, जो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिये काफी प्राविधान करती है, हस्तांतरिती कंपनी द्वारा ऐसे अल्पसंख्यकों के शेयरों के अनिवार्य अर्जन की प्रक्रिया निर्धारित करती है, जब तक कोर्ट कोई अन्यथा आदेश न दे।

धारा ३९५ के प्रयोजन के लिये असहमत शेयरहोल्डर्स में वह शेयरहोल्डर शामिल होता है जिसने योजना या संविदा के अनुसार अपने शेयर्स को हस्तांतरिती कम्पनी के पक्ष में हस्तांतरित करना अस्वीकार कर दिया है। [धारा ३९५ (५)]।

जहाँ हस्तांतरिती कंपनी शेयरों के विक्रय द्वारा पुनर्निर्माण तथा समामेलन की योजना का प्रस्ताव करती है, तो इसका अनुमोदन प्रभावित होने वाले शेयरों के मूल्य के ९/१० हिस्से के मूल्य के बराबर शेयर धारण करने वाले शेयरहोल्डर्स द्वारा होना जरूरी है। धारा ३९५ यह उपबन्ध करती है कि जहाँ किसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी को शेयर्स या किसी वर्ग के शेयर्स को हस्तांतरित किये जाने की योजना या संविदा, हस्तांतरिती कम्पनी द्वारा प्रस्ताव किये जाने के बाद चार महीने के भीतर उपर्युक्त ९/१० मूल्य के शेयरहोल्डर्स द्वारा जिनके शेयर्स प्रभावित होंगे (जिनमें वे शेयर्स नहीं शामिल हैं जो प्रस्ताव की तारीख पर पहिले से ही हस्तांतरिती कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा धारित हैं) अनुमोदित किया गया है, तो हस्तांतरिती कंपनी उक्त चार महीने की अवधि की समाप्ति पर असहमत शेयरहोल्डर्स को इस बात की नोटिस दे सकती है कि वह उनके शेयर्स को अर्जित करना चाहती है। जब ऐसी नोटिस दी जाती है तो हस्तांतरिती कम्पनी उन शेयर्स को उन्हीं शर्तों पर अर्जित करने के लिये हकदार तथा बद्ध होगी जिन पर सहमत शेयरहोल्डर्स के शेयर्स हस्तांतरिती कंपनी को हस्तांतरित होने को हैं, जब तक नोटिस के एक माह के भीतर असहमत शेयरहोल्डर कोर्ट को दरख्वास्त दे और कोर्ट अन्यथा कोई आदेश दे। [धारा ३९५ (१)]।

जहाँ उपरोक्त ऐसी योजना या संविदा के अनुसार, किसी कंपनी के शेयर्स, या किसी वर्ग के शेयर्स किसी अन्य कंपनी या उसके अभिहस्तांकिती (nominee)

को हस्तांतरित किये जाते हैं, और वे शेयर्स, हस्तांतरिती कंपनी या उसकी सहायक द्वारा धृत अन्य शेयर्स या उसी वर्ग के किसी अन्य शेयर्स सहित, उन शेयर्स या उस वर्ग के शेयर्स के ९।१० मूल्य के बराबर हों, तब (क) हस्तांतरिती कंपनी हस्तांतरण की तारीख से एक महीने के भीतर, निर्धारित तरीके से उस तथ्य की सूचना शेष शेयर्स या उस वर्ग के शेष शेयर्स के धारकों को देगी जो योजना या संविदा से सहमत नहीं हुये हैं; तथा (ख) नोटिस दिये जाने के तीन महीने के भीतर कोई ऐसा धारक हस्तांतरिती कंपनी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रश्नास्पद शेयर्स को अर्जित करे। जहाँ किसी शेयर्स के सिलसिले में कोई शेयरहोल्डर खण्ड (ख) के अन्तर्गत, नोटिस देता है, तो हस्तांतरिती कंपनी उन शेयरों को उन्हीं शर्तों पर अर्जित करने के लिये अधिकारी तथा बद्ध होगी जिन पर योजना या संविदा के अन्तर्गत सहमत होने वाले शेयरहोल्डर्स के शेयर्स उसे हस्तांतरित किये गए थे, या ऐसी अन्य शर्तों पर जो परस्पर तय हो, या जैसा, हस्तांतरिती कंपनी या शेयरहोल्डर की दरखास्त पर, कोर्ट आदेश दे। [धारा ३९५ (२)]।

जहाँ हस्तातरिती कंपनी द्वारा नोटिस दी गई हो, और कोर्ट ने, असहमत शेयरहोलडर द्वारा दी गई दरखास्त पर, कोई प्रतिकूल आदेश न दिया हो, तो नोटिस से एक माह की अवधि की समाप्ति पर या यदि उस समय असहमत शेयर-होल्डर द्वारा कोर्ट की दरख्वास्त चल रही हो, तो दरख्वास्त के निबटारे के बाद, हस्तांतरिती कंपनी एक हस्तांतरण-पत्र सहित, जो हस्तांतरिती कम्पनी की ओर से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित होगा, नोटिस की एक प्रति हस्तांतरक कम्पनी के पास भेजगी, तथा हस्तांतरक कम्पनी को उस रकम या प्रतिफल का भुगतान या हस्तांतरण करेगी जो हस्तांतरिती कंपनी द्वारा उन शेयरों के देय मूल्य के बराबर होगा जिन्हें वह कम्पनी अर्जित करने की हकदार है। इस पर हस्तांतरक कम्पनी हस्तांतरिती कम्पनी को इन शेयर्स के धारक के रूप में रजिस्टर कर लेगी, और ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से एक माह के भीतर असहमत शेयर होल्डर्स को उस रजिस्ट्रीकरण तथा हस्तांतरिती कम्पनी द्वारा देय मूल्य की राशि तथा प्रतिफल की प्राप्ति के तथ्य की सूचना देगी। यदि किसी शेयर के लिये तत्समय कोई शेयर वारन्ट अदत्त है तो ऐसे शेयर के लिये हस्तांतरण-पत्र अपेक्षित नहीं होगा। [धारा ३९५ (३)]

उपरोक्त उपबन्धों के अन्तर्गत, हस्तांतरक कम्पनी द्वारा प्राप्त की गई राशियों को एक पृथक बैंक के खाते में रक्खा जायेगा, और वह कम्पनी ऐसी राशि को उन व्यक्तियों के लिये न्यास के रूप में रक्खेगी जो शेयर्स के हकदार हैं तथा जिनके सिलसिले में उक्त राशियों या अन्य प्रतिफल को क्रमशः प्राप्त किया गया था। (धारा ३९५)।

लोकहित मे कम्पनियों के समामेलन के लिये प्राविधान करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति (Power of Central Government to provide for amalgamation of companies in public interest)—जहाँ केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि लोकहित में यह आवश्यक है कि दो या अधिक कम्पनियों का समामेलन होना चाहिये, तब धाराएँ ३९४ तथा ३९५ में किसी बात के बावजूद भी केन्द्रीय सरकार, राजकीय गजट में अधिसूचित आदेश द्वारा, आदेश में उल्लिखित ऐसे संघटन, सम्पत्ति, शक्तियों, अधिकारों, हितों, प्राधिकारों, तथा विशेषाधिकारों सहित उन कम्पनियों के समामेलन का प्राविधान कर सकेगी। ऐसे आदेश में समामेलन को प्रभाव देने के लिये आवश्यक आनुषंगिक, प्रासंगिक तथा अनुपूरक उपबन्धों का उल्लेख भी हो सकता है।

समामेलन के पहिले प्रत्येक कम्पनियों के प्रत्येक सदस्य तथा ऋणदाता (जिसमें डिबेन्चर होल्डर्स शामिल होंगे) को समामेलित कम्पनी के खिलाफ वही हित तथा अधिकार प्राप्त होंगे जो उन्हें मूल कम्पनी में प्राप्त थे। उस सीमा तक जहाँ तक समामेलित कम्पनी के विरुद्ध ऐसे सदस्यों तथा ऋणदाताओं के हित तथा अधिकार मूल कम्पनी के विरुद्ध उनके हितों तथा अधिकारों से कम हैं, वे प्रतिकर प्राप्त करने के लिये हकदार होंगे जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा जो इसके लिए विहित किया जाय। इस प्रकार निर्धारित किया गया प्रतिकर समामेलन के परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा सम्बद्ध सदस्यों या ऋणदाताओं को भुगतान किया जायेगा। [धारा ३९६ (३)]।

उपरोक्त उपबन्धों के अन्तर्गत कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि (क) प्रत्येक सम्बद्ध कम्पनियों को प्रस्तावित आदेश के आलेख्य की एक प्रति न भेज दी गई हो, तथा (ख) केन्द्रीय सरकार ने ऐसी कम्पनी या उसके शेयरहोल्डर्स के किसी वर्ग या किसी ऋणदाता या ऋणदाताओं के वर्ग से, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर, जो आदेश के ऐसे आलेख्य की प्राप्ति की तारीख से दो महीने से कम न होगा, प्राप्त की गई आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करके, उसमें कोई संशोधन, यदि कोई हो, न कर दिया हो, जो आपत्तियों या सुझावों के प्रकाश में वांछनीय हो। (धारा ३९६ (४))।

उपरोक्त उपबन्धों के अन्तर्गत दिये गये प्रत्येक आदेश की प्रतिलिपि, दिये जाने के बाद यथाशीघ्र पार्लियामेन्ट के दोनों सदनों के सामने रक्खी जायेगी। [धारा ३९६ (५)]।

———

अध्याय २०

अत्याचार तथा कुप्रबन्ध का निवारण

[PREVENTION OF OPPRESSION AND MISMANAGEMENT]

[धारायें ३६७-४०६]

यह अध्याय बहुसंख्यक शेयरहोल्डर्स द्वारा अल्पसंख्यकों पर किये जाने वाले अत्याचार तथा कम्पनी के मामलों में कुप्रबन्ध के निवारण के विषय में है। यह ऐसी शक्तियाँ कोर्ट तथा केन्द्रीय सरकार को प्रदान करता है।

क—कोर्ट की शक्तियां

(A—Power of Court)

आवेदन करने का अधिकार (Right to apply)—धारा ३६६ के अन्तर्गत कम्पनी के निम्नलिखित सदस्य धारा ३६७ या ३६८ के अन्तर्गत आवेदन करने के अधिकारी हैं :—

(क) शेयर कैपिटल वाली कम्पनी की सूरत में, कम्पनी के कम से कम १०० सदस्य, या सदस्यों की कुल संख्या के १।१०, जो भी कम हों, या कम्पनी की जारी की गई शेयर कैपिटल के कम से कम १।१० को धारण करने वाले सदस्य, बशर्तेकि आवेदक या आवेदकों ने अपने शेयरों पर सभी माँगों (calls) तथा अन्य राशियों का भुगतान कर दिया हो। शेयर या शेयरों के संयुक्त धारकों को केवल एक ही सदस्य गिना जायेगा।

(ख) बिना शेयर कैपिटल वाली कम्पनी की सूरत में, उसके कुल सदस्यों की संख्या के १।५ सदस्य।

(ग) केन्द्रीय सरकार भी कम्पनी के किसी सदस्य या सदस्यों को धारा ३६७ या धारा ३६८ के अन्तर्गत आवेदन करने के लिये प्राधिकृत कर सकती है, इस बात के बावजूद भी कि उपरोक्त खंड (क) तथा (ख) द्वारा अपेक्षित बातों की पूर्ति न होती हो। लेकिन, उपर्युक्त ढंग से किसी सदस्य को प्राधिकृत करने से पूर्व, वह उससे किन्हीं खर्चों के भुगतान के लिये पर्याप्त प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकती है। (धारा ३६६)।

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वयं धारा ३६७ या धारा ३६८ के अन्तर्गत आदेश के लिये कोर्ट को आवेदन-पत्र दे सकती है या, इस दिशा में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसे आदेश के लिये कोर्ट में आवेदन-पत्र दिलवा सकती है। (धारा ४०१)।

कोर्ट को आवेदन-पत्र (Application to court)—धारा ३६७ के अन्तर्गत कम्पनी के सदस्य जो धारा ३६६ में अपेक्षित बातों की पूर्ति करते हों, और जो इस बात की शिकायत करते हों कि कम्पनी के कारोबार का संचालन लोक-हितों के प्रतिकूल या इस ढंग से किया जा रहा है जो किसी सदस्य या सदस्यों के लिये अत्याचारजनक है, समुचित अनुतोष के लिये कोर्ट को आवेदन-पत्र दे सकते हैं। ऐसा आवेदन पत्र दिये जाने पर, यदि कोर्ट का यह मत हो कि (क) कम्पनी के कारोबार का संचालन लोक हितों के प्रतिकूल या इस ढंग से किया जा रहा है जो किसी सदस्य या सदस्यों के लिये अत्याचारजनक है, तथा (ख) कि कम्पनी के समापन से ऐसे सदस्य या सदस्यों पर अनुचित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अन्यथा तथ्यों के आधार पर यही उचित होगा कि कम्पनी का समापन हो जाना चाहिये, तो शिकायत किये गये मामले का अन्त करने के लिये कोर्ट, जैसा उचित समझे, आदेश देगी। (धारा ३६७ ,।

कम्पनी के सदस्य जो यह शिकायत करते हों (क) कि कम्पनी के कारोबार का संचालन लोक हितों के प्रतिकूल या कम्पनी के हितों के प्रतिकूल किया जा रहा है, या (ख) कि कम्पनी के प्रबन्ध तथा नियंत्रण में सारपूर्ण परिवर्तन हो गया है तथा ऐसे परिवर्तन के कारण यह सम्भावना है कि कम्पनी के कारोबार का संचालन लोक हितों के प्रतिकूल या कंपनी के हितों के प्रतिकूल किया जायेगा, तो इस धारा, अर्थात् धारा ३६८ के अन्तर्गत कोर्ट के आदेश के लिये वे आवेदन पत्र दे सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे सदस्यों को धारा ३६६ के मुताबिक आवेदन करने का अधिकार प्राप्त हो। (धारा ३६८ (१))।

यदि उपधारा (१) के अन्तर्गत दी गई किसी दरख्वास्त पर कोर्ट का यह मत हो कि कम्पनी के कारोबार का संचालन उपरोक्त ढंग से हो रहा है, या उपरोक्त सारतः (material) परिवर्तन के परिणामस्वरूप यह सम्भावना है कि कम्पनी के कारोबार का संचालन उपरोक्त ढंग से किया जायेगा, तो शिकायत किये गये मामलों का अन्त करने के विचार से कोर्ट, जैसा उचित समझे, आदेश देगी। [धारा ३६८ (२)]।

धारा ३६७ या धारा ३६८ के अन्तर्गत दी गई प्रत्येक दरख्वास्त की सूचना कोर्ट केन्द्रीय सरकार को देगी, तथा इस धारा के अन्तर्गत अन्तिम आदेश देने से

पूर्व कोर्ट केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी किसी अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करेगी। (धारा ४००)।

कोर्ट की शक्तियां (Powers of Court)—धारा ३६७ या धारा ३६८ के अन्तर्गत कोर्ट की शक्तियों की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, इन धाराओं के अन्तर्गत दिये गये किसी आदेश द्वारा इन बातों के लिये प्राविधान किया जा सकेगा—(क) भविष्य में कम्पनी के कारोबार के संचालन के विनियमन (regulation) के लिये, (ख) कम्पनी के सदस्यों के हितों या शेयरों को उसके अन्य सदस्यों या कम्पनी द्वारा खरीदे जाने के लिये, (ग) शेयर्स के क्रय की सूरत में, उसके शेयर कैपिटल के समनुवर्ती न्यूनीकरण के लिये, (घ) एक ओर कम्पनी तथा दूसरी ओर मैनेजिंग डायरेक्टर, किसी अन्य डायरेक्टर, मैनेजिङ्ग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स या मैनेजर के बीच किसी करार को, ऐसी शर्तों पर जो न्यायोचित तथा साम्यपूर्ण हो, समाप्त करने, हटाये जाने तथा रूपभेदित करने के लिये, (ङ) कम्पनी तथा किसी व्यक्ति के बीच किसी ऐसे करार को, जिसका उल्लेख खंड (घ) में नहीं किया गया है, कोर्ट सम्बद्ध पक्षकार को उचित नोटिस देकर, तथा करार को रूपभेदित किये जाने की सूरत में, सम्बद्ध पक्षकार की सहमति भी प्राप्त करके, समाप्त कर सकती है, हटा सकती है तथा रूपभेदित कर सकती है, (च) कोर्ट किसी हस्तांतरण, माल की डिलेवरी, भुगतान, निष्पादन, धारा ३६७ या धारा ३६८ के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध किये गये आवेदन-पत्र की तारीख से तीन महीने के भीतर कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ किसी सम्पत्ति से संबन्धित किसी कृत्य को हटाये जाने का प्राविधान भी कर सकती है, जिसे यदि व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया होता तो उसे उसके दिवालियापन के दौरान में कपटपूर्ण अधिमान (fraudulent preference) समझा जाता, (छ) किसी अन्य न्यायोचित तथा साम्यपूर्ण बात के लिये भी कोर्ट प्राविधान कर सकती है। (धारा ४०२)।

उपरोक्त विशिष्ट उपबन्धों के अतिरिक्त, कोर्ट शिकायत किये गये मामलों को समाप्त करने या उनका निवारण करने के लिए, जैसा उचित समझे, आदेश दे सकती है।

धारा ४०३ के अन्तर्गत कार्यवाही के पक्षकार आवेदन-पत्र पर न्यायोचित तथा साम्यपूर्ण शर्तों पर कंपनी के कारोबार के विनियमन के लिये, कोर्ट, जैसा वह उचित समझे, अन्तरिम आदेश दे सकती है।

ख—केन्द्रीय सरकार की शक्तियां

(B—Powers of Central Government)

केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों के अन्तर्गत, वह अधिक से अधिक दो व्यक्तियों को अपने नामांकित व्यक्ति (nominee) के रूप में, बतौर डायरेक्टर्स अधिक से अधिक एक बार में तीन वर्ष के लिये नियुक्त कर सकती है, यदि केन्द्रीय सरकार अपनी ओर से या कम्पनी के कम से कम १०० सदस्यों द्वारा या उतने शेयर-होल्डर्स द्वारा जो कंपनी की समस्त मतदान शक्ति के कम से कम १।१० को धारण करते हों, दरख्वास्त दिये जाने पर इस बात से सन्तुष्ट हो कि कम्पनी के कारोबार के ऐसे संचालन को, जो कंपनी के सदस्यों के लिये अत्याचारजनक हो या जो कंपनी तथा लोकहित के प्रतिकूल हो, रोकने के लिये नियुक्ति या नियुक्तियाँ करना आवश्यक है। लेकिन, परन्तुक (proviso) के अनुसार, उपरोक्त आदेश पारित करने के बजाय, केन्द्रीय सरकार कंपनी को निदेश दे सकती है कि वह धारा २६५ के अन्तर्गत आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाकर अपने आर्टिक्ल्स को संशोधित कर दे तथा उल्लिखित समय के भीतर संशोधित आर्टिक्लस के अनुसार डायरेक्टर्स की नई नियुक्तियाँ करे। (धारा ४०८)।

यदि केन्द्रीय सरकार उपधारा (१) के परन्तुक के अन्तर्गत आदेश पारित करती है, तो यदि वह उचित समझती है, तो यह निदेश दे सकती है कि जब तक उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत नये डायरेक्टर्स की नियुक्ति नहीं की जाती तब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उल्लिखित अधिक से अधिक दो व्यक्ति कंपनी के अतिरिक्त डायरेक्टर्स के रूप में पद धारण करेंगे। (धारा ४०८)।

उपधारा (१) के अन्तर्गत डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किये गये व्यक्ति या, उपधारा (२) के अन्तर्गत बतौर एक अतिरिक्त डायरेक्टर पद धारण करने के लिये निदेशित किये गये व्यक्ति के लिये कोई क्वालिफिकेशन शेयर धारण करना अपेक्षित नहीं होगा और न ही रोटेशन द्वारा डायरेक्टर्स के रिटायरमेन्ट से उसके पद का अवसान होगा; लेकिन ऐसे डायरेक्टर या अतिरिक्त डायरेक्टर को केन्द्रीय सरकार किसी भी समय उसके पद से हटा सकती है तथा उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को डायरेक्टर के रूप में, या जैसी स्थिति हो, अतिरिक्त डायरेक्टर के रूप में, पद धारण करने के लिये नियुक्त कर सकती है। [धारा ४०८ (४)]।

जहाँ कम्पनी के मैनेजिङ्ग डायरेक्टर या अन्य डायरेक्टर, मैनेजिङ्ग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स या मैनेजर द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह शिकायत की गई

हो कि कम्पनी के शेयर्स के स्वामित्व में परिवर्तन के कारण, जो हो गया है या जो होने वाला है, बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में भी परिवर्तन होने वाला है और (यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो) इससे कंपनी के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो समुचित जाँच के पश्चात्, यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसा करना न्यायोचित तथा उचित होगा, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि कोई प्रस्ताव जो पारित किया गया हो या, जो पारित किया जाय, या जो कार्यवाही की गई हो, या जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में परिवर्तन करने के लिए की जाने वाली हो, तब तक प्रभावकारी नहीं होगा या कार्यवाही प्रभावकारी नहीं होगी, जब तक उसकी पुष्टि केन्द्रीय सरकार द्वारा न कर दी जाय। उपरोक्त जाँच करने या उसके पूरा होने के पहिले केन्द्रीय सरकार ऐसी शिकायत पर अन्तरिम आदेश दे सकती है। उपरोक्त उपबन्ध प्राइवेट कंपनी को नहीं लागू होते, जब तक कि वह किसी लोक कम्पनी की सहायक न हो। (धारा ४०६)।

अध्याय—२१

सलाहकार सीमिति का संगठन तथा उसकी शक्तियाँ

[CONSTITUTION AND POWERS OF ADVISORY COMMITTEE

[धाराएँ ४१०—४१५]

विविध उपबन्ध

[MISCELLANEOUS PROVISIONS]

[धाराएँ ४१६—४२४]

सलाहकार समति की नियुक्ति (Appointment of Advisory Committee) :—इस ऐक्ट के प्रकाशन संबन्धी ऐसे मामलों पर, जो केन्द्रीय सरकार या कम्पनी लॉ बोर्ड को भेजे जाँय, केन्द्रीय सरकार तथा बोर्ड को सलाह देने के प्रयोजन के लिये केन्द्रीय साकार समुपयुक्त योग्यता वाले व्यक्तियों की एक सलाहकार समिति का गठन कर सकेगी जिसमें पाँच से अधिक सदस्य नहीं होंगे। [धारा (४१०) (२)]।

इस ऐक्ट के शुरू होने के तत्काल पहिले सलाहकार कमीशन के सामने लम्बित सभी मामले ऐक्ट के शुरू होते ही केन्द्रीय सरकार को हस्तांतरित हो गये समझे जायेंगे और केन्द्रीय सरकार जिस ढंग से वह उचित समझे ऐसे मामलों का निबटारा करेगी। [धारा ४१० (२)]।

विविध उपबन्ध

[MISCELLANEOUS PROVISIONS]

कम्पनी के एजेन्ट्स द्वारा संविदाएं जिसमें कम्पनी अप्रकट प्रमुख हैं (Contracts by agents of Company is undisclosed principal) :—धाराएँ ४१६ से ४२४ विविध उपबंधों के विषय में हैं। प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी लोक कम्पनी या प्राइवेट कम्पनी, जो किसी लोक कंपनी की सहायक है, का मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स, मैनेजर या अन्य एजेंट है और कम्पनी की ओर से तथा उसके लिये संविदा करता है जिसमें कम्पनी एक

अप्रकट प्रमुख है, संविदा करते समय संविदा की शर्तों का एक मेमोरेंडम तैयार करेगा और उसमें उस व्यक्ति को उल्लिखित करेगा जिसके साथ संविदा की जा रही है। इसके बाद वह मेमोरेंडम कम्पनी को दे देगा और उसकी प्रतिलिपि प्रत्येक डायरेक्टर के पास भेजेगा ; तथा ऐसे मेमोरेंडम को कम्पनी के कार्यालय में दाखिल किया जाएगा तथा उसे अगली मीटिङ्ग में बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के सामने रक्खा जाएगा। (धारा ४१६)

कर्मचारियों की प्रतिभूतियां तथा प्राविडेन्ड फण्ड्स

(Employees securities and Provident Funds) :—धारा ४१७ से ४२० तक कर्मचारियों की प्रतिभूतियों तथा प्राविडेंट फण्ड्स के विषय में है। कम्पनी के किसी कर्मचारी द्वारा उसकी सेवा की संविदा के अनुसार कम्पनी में जमा किया गया कोई धन या प्रतिभूति जमा किये जाने की तारीख से १५ दिन के भीतर (क) पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक अकाउन्ट में, या (ख) स्टेट आफ इंडिया या किसी अनुसूचित बैंक में कम्पनी द्वारा इस प्रयोजन के लिये खोले गये स्पेशल अकाउन्ट में, या (ग) जहाँ कम्पनी स्वयं एक अनुसूचित बैंक हो, स्टेट बैंक आफ इन्डिया या किसी अन्य अनुसूचित बैंक में इस प्रयोजन के लिये कंपनी द्वारा खोले गये विशेष अकाउन्ट में रक्खा जायेगा या जमा किया जायेगा। सेवा की संविदा में सहमत हुए प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिये ऐसे धन या प्रतिभूतियों के किसी भाग को इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। (धारा ४१७)।

जहाँ कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों या कर्मचारियों के किसी वर्ग के लिये कोई प्राविडेन्ड फण्ड्स गठित किया गया हो, वहाँ ऐसे फंड में अंशदान किया गया (चाहे कंपनी द्वारा या कर्मचारियों द्वारा), प्राप्त किया गया या बतौर ब्याज प्रोद्भूत (accrued) हुआ धन, अंशदान, प्राप्ति या प्रोद्भूति की तारीख के १५ दिन के भीतर जैसी भी सूरत हो, (क) पोस्ट आफ सेविंग्स बैंक एकाउन्ट में, या (२) स्टेट बैंक आफ इन्डिया या किसी अनुसूचित बैंक में कंपनी द्वारा इस प्रयोजन के लिये खोले गये स्पेशल एकाउन्ट में, या (३) जहाँ कंपनी स्वयं एक अनुसूचित बैंक हो, स्टेट बैंक आफ इन्डिया या किसी अन्य अनुसूचित बैंक में इस प्रयोजन के लिये कंपनी द्वारा खोले गये विशेष एकाउन्ट में, जमा किया जायेगा, या (ख) इन्डियन ट्रस्ट्स ऐक्ट, १८८२ की धारा २० के खंड (क) से (ङ) में उल्लिखित प्रतिभूतियों में विनिहित (invest) किया जाएगा। (धारा ४१८)।

इस दिशा में कंपनी से या न्यासधारियों से (जहाँ किसी प्राविडेन्ट फंड के सिलसिले में कंपनी द्वारा न्यास का सर्जन किया गया हो), जैसी सूरत हो, अनु-

रोध किये जाने पर कोई कर्मचारी धाराओं ४१७ तथा ४१८ में उल्लिखित धन या प्रतिभूति के लिये बैंक की रसीद देखने का अधिकारी होगा। (धारा ४१६)।

धारा ४१७, ४१८ तथा ४१६ के उपबंधों का उल्लंघन कारावास द्वारा, जिसकी अवधि ६ महीने तक हो सकती है, या जुर्माने द्वारा, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, दंडित किया जा सकेगा। (धारा ४२०)।

रिसीवर्स तथा मैनेजर्स (Recivers and Managers) :—

धाराएँ ४२१ से ४२४ कोर्ट द्वारा नियुक्त किये गये रिसीवर्स तथा मैनेजर्स और किसी संलेख के अनुसार मैनेजर्स की नियुक्ति के विषय में हैं। कंपनी की सम्पत्ति का प्रत्येक रिसीवर जिसे किसी संलेख द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है और जिसने कब्जा लिया है, काबिज रहने के दौरान में प्रत्येक आधे वर्ष में एक बार, निर्धारित प्रपत्र में रजिस्ट्रार के पास एक ऐब्सट्रेक्ट फाइल करेगा जिसमें ऐब्सट्रेक्ट से संबन्धित अवधि के दौरान अपनी प्राप्तियों तथा भुगतानों का ब्यौरा देगा। (धारा ४२१)। जहाँ किसी कंपनी की संपत्ति का कोई रिसीवर नियुक्त किया गया हो वहाँ कंपनी द्वारा या उसकी तरफ से जारी किये गये प्रत्येक इन्वॉयस, माल के आर्डर, या व्यापार पत्रों पर, जिस पर या जिनमें कंपनी का नाम लिखा हो, यह वक्तव्य लिखा जाएगा कि रिसीवर नियुक्त किया गया है। (धारा ४२२)। धारा ४२१ या धारा ४२२ द्वारा अपेक्षित बातों का सम्बद्ध अधिकारी द्वारा उल्लंघन २०० रुपए तक के जुर्माने द्वारा दंडनीय होगा।

भाग ७

समापन
[WINDING UP]

अध्याय २२

समापन प्रारम्भिक
[WINDING UP—PRELIMINARY]

[धाराएँ ४२५—४३२]

समापन का अर्थ (Meaning of Winding up)—यदि सदस्यगण चाहते हों कि कम्पनी समाप्त हो जाय या, यदि कम्पनी दिवालिया हो जाती है या, किसी अन्य कारण से यह वांछनीय हो जाता है कि कम्पनी का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए, तो उसका समापन होता है। कम्पनी का समापन या परिसमापन (Winding up or liquidation) वह कार्यवाही है जिसमें उसके समस्त कारोबार का समापन होता है, अधिकारों तथा दातव्यों को सुनिश्चित (ascertain) किया जाता है, परिसम्पत की वसूली की जाती है तथा उसके ऋणदाताओं को कम्पनी की परिसम्पत् में से भुगतान किया जाता है, तथा इसमें, जहाँ तक आवश्यक हो, सदस्यों का अंशदान भी शामिल रहता है, और यदि अतिरिक्त (surplus) होता है तो उसे सदस्यों में बाँट दिया जाता है जिससे कि कम्पनी का अन्तिम समापन हो जाय। समापन का मुख्य उद्देश्य परिसम्पत की वसूली, दातव्यों का भुगतान तथा शीघ्रता से अतिरेक का वितरण करना होता है। समापन का वास्तविक अर्थ कम्पनी को पूरी तौर से खत्म करना होता है और यह अपेक्षित नहीं होता कि कारोबार चलता रहे, सिवाय जहाँ तक यह समापन के लिए आवश्यक हो।

कम्पनी के समापन तथा दिवालियापन में अन्तर है, क्योंकि समापन की कार्यवाही उस हालत में भी की जा सकती है जब कि कम्पनी की हालत दिवालिए जैसी न हो, जैसे पुनर्निर्माण के प्रयोजन के लिए या, कम्पनी को इसलिए विघटित कर देने के लिए कि उसके कारोबार को बन्द कर देना ही अच्छा होगा।

समापन के तरीके (Modes of winding up)—कम्पनी का समापन निम्नलिखित तीन प्रकार से किया जा सकता है :—

(क) कोर्ट द्वारा; या

(ख) स्वेच्छा द्वारा, जो सदस्यों या ऋणदाताओं द्वारा किया गया समापन हो सकता है; या

(ग) कोर्ट के पर्यवेक्षण के अधीन (धारा ४२५)।

इन तरीकों को निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है:—

अंशदाता

अंशदाता का अर्थ (Meaning of contributory)—अंशदाता का अर्थ है प्रत्येक वह व्यक्ति जो कम्पनी के समापन के सूरत में कम्पनी की परिसम्पत् में अंशदान करने के लिये उत्तरदायी है, तथा इनमें वे शेयरहोल्डर्स भी शामिल होते हैं जिनके शेयर पूर्णरूप से दत्त हैं। निर्धारण के लिए सभी कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिये, तथा अन्तिम निर्धारण के पूर्व सभी कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिये, जिन व्यक्तियों को अंशदाता समझा जाता है उसमें कोई कथित अशदाता कहा जाने वाला व्यक्ति भी शामिल होता है। इस धारा के शब्दों के अनुसार पूर्णदत्त शेयर्स का धारक अंशदाता होता है। यह न्यायिक मत के मुताबिक है कि चूँकि कम्पनी का समापन तब तक पूरा नहीं होता जब तक शेयरहोल्डर्स के बीच परस्पर अधिकार समायोजित (adjust) न हो जाँय, पूर्णदत्त शेयरहोल्डर की अंशदाताओं के बीच अधिकारों के समायोजन के प्रयोजन के लिये अंशदाता ही समझा जायेगा। कथित अंशदाता को भी सूची में रक्खा जा सकता है।

यदि सूची में रक्खे जाने से पहिले सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो प्रशासन के सामान्य क्रम में उसके वैधिक प्रतिनिधि उसके दातव्य की मुक्ति के लिए कम्पनी की परिसम्पत् में अंशदान करने के लिये जिम्मेदार होंगे, और वे तदनुसार अंशदान करेंगे। मृतक अंशदाता के वैधिक प्रतिनिधि के वैधिक प्रतिनिधियों को भी अंशदाता निर्धारित किया गया है।

यदि किसी अंशदाता को दिवालिया निर्णीत कर दिया जाता है, अंशदाताओं की सूची में रक्खे जाने से पहिले या उसके पश्चात्, तो दिवालियेपन में उसके अभिहस्तांकिती समापन में उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और वे तदनुसार अंशदान करेंगे। (धारा ४३१)।

यदि कोई अंशदाता निगम निकाय है, जिसे समापन का आदेश दिया गया है, तो निगम निकाय का परिसमापक कम्पनी के समापन की कार्यवाही के सभी प्रयोजनों के लिये उसका प्रतिनिधित्व करेगा तथा अंशदाता होगा, और उससे निगम निकाय के परिसम्पत् के खिलाफ सबूत को स्वीकार करने के लिये कहा जा सकेगा, या कम्पनी की परिसम्पत् के प्रति अंशदान करने के सिलसिले में निगम निकाय द्वारा देय किसी धन को, विधि के यथोचित क्रम में, उसकी परिसम्पत् में से भुगतान किये जाने की अनुमति देने के लिए कहा जा सकता है।

अंशदाता के दातव्य की प्रकृति (Nature of liability of a contributory)—अंशदाता के दातव्य से, दातव्य के शुद्ध होने के समय से, उसके द्वारा देय देय-ऋण का सर्जन होता है, जो दातव्य लागू किये जाने पर निश्चित समय पर माँग किए जाने पर देय होता है। अंशदाता के दातव्य पर आधारित किसी दावे को प्रेसीडेन्सी टाउन के बाहर बैठने वाली स्मॉल कॉजेज कोर्ट संज्ञान (cognizance) नहीं प्रदान करेगी। उपरोक्त धारा के उपबन्ध यह काफी स्पष्ट कर देते हैं कि अंशदाता के दातव्य की प्रकृति एक ऋण की प्रकृति के समान है। उसके भुगतान का समय वह होता है जिस समय उसके लिये माँग की जाती है। इसलिये, अंशदाता के विरुद्ध अवधि (limitation) चालू नहीं होती जब तक परिसमापक की नियुक्ति नहीं होती और उससे माँग नहीं की जाती।

अंशदाता के दातव्य का विस्तार (Extent of liability of a contributory)—(१) कम्पनी के समापन की सूरत में, कम्पनी का प्रत्येक वर्तमान तथा भूतपूर्व सदस्य कम्पनी की परिसम्पत् में उस सीमा तक अंशदान करने के लिए जिम्मेदार होगा जो उसके ऋण, दातव्यों, खर्चों, चार्जेज समापन के खर्च के भुगतान तथा अंशदाताओं के आपसी अधिकारों के समायोजन के लिये, धारा ४२७ के उपबन्धों तथा निम्नलिखित अर्हताओं (qualifications) के अधीन, आवश्यक हों :—

(क) यदि भूतपूर्व सदस्य समापन की कार्यवाही शुरू होने के पिछले एक वर्ष या अधिक समय से सदस्य नहीं रहा था, तो वह अंशदान करने का जिम्मेदार नहीं होगा,

(ख) यदि कम्पनी ने ऋण या दातव्य को भूतपूर्व सदस्य द्वारा सदस्य न रह जाने के पश्चात् संवेदित (contract) किया था, तो ऐसा सदस्य अंशदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(ग) भूतपूर्व सदस्य तब तक अंशदान करने के लिए जिम्मेदार न होगा जब तक कि कोर्ट को यह न प्रतीत हो कि वर्तमान सदस्य ऐक्ट के अनुसार उनसे अपेक्षित अंशदान की सन्तुष्टि करने में असमर्थ हैं,

(घ) शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी की सूरत में, किसी भूतपूर्व या वर्तमान सदस्य से उस राशि से अधिक कोई राशि अंशदान के रूप में अपेक्षित नहीं की जाएगी जो शेयर्स पर अदत्त हो, जिसके लिये वह ऐसे सदस्य के रूप में जिम्मेदार हैं,

(ङ) प्रत्याभूति द्वारा सीमित कम्पनी की सूरत में, कोई अंशदान, उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन, किसी भूतपूर्व या वर्तमान सदस्य से उस राशि से अधिक नहीं अपेक्षित किया जाएगा जिसे उसने कम्पनी के समापन की सूरत में बतौर अंशदान देने का जिम्मा लिया हो,

(च) इस ऐकट की किसी बात से किसी बीमा या अन्य संविदा में का कोई उपबन्ध अमान्य नहीं हो सकेगा जिसके द्वारा पालिसी या संविदा पर व्यक्तिशः सदस्यों का दातव्य निर्बन्धित है या जिसके द्वारा केवल कम्पनी की निधियाँ ही पालिसी या संविदा के सिलसिले में उत्तरदायी बनाई जाती हैं,

(छ) डिविडेन्ड, लाभ या अन्यथा किसी भूतपूर्व या वर्तमान सदस्य को देय किसी रकम को उसके तथा किसी ऋणदाता के बीच, प्रतियोगिता की सूरत में, जो कम्पनी के भूतपूर्व या वर्तमान सदस्य के रूप में के अन्यथा दावा कर रहा हो, कम्पनी द्वारा उस सदस्य को देय ऋण नहीं समझा जाएगा; लेकिन ऐसी रकम को अंशदाताओं के आपसी अधिकारों के समायोजन के प्रयोजन के लिए लेखे में लिया जायेगा।

(२) प्रत्याभूति द्वारा सीमित कम्पनी की सूरत में, जिसके पास शेयर कैपिटल है, प्रत्येक सदस्य उस राशि के अतिरिक्त जो उसने कंपनी के समापन की सूरत में बतौर अंशदान देने का जिम्मा लिया हो, उसके द्वारा धारित शेयर्स पर अदत्त राशियों की सीमा तक अंशदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, मानों कम्पनी शेयरों द्वारा सीमित एक कंपनी हो। (धारा ४२६)।

सामान्यतः अंशदाताओं की दो सूचियाँ लिस्ट 'ए' तथा लिस्ट 'बी' तैयार की जाती हैं, जिनमें भूतपूर्व तथा वर्तमान सदस्यों का उल्लेख होता है। लिस्ट 'ए' में वर्तमान सदस्यों का नाम होता है, जो अंशदाता होते हैं, तथा लिस्ट 'बी' में उन

भूतपूर्व सदस्यों का नाम होता है, जो समापन की कार्यवाही शुरू होने के पिछले एक वर्ष के भीतर सदस्य नहीं थे। ऐसे भूतपूर्व सदस्य, जो समापन के शुरू होने से पिछले एक वर्ष या अधिक समय से सदस्य नहीं थे, अंशदाता नहीं बनाये जा सकते। धारा ४२६ के उपबन्धों से स्पष्ट है कि दोनों लिस्टों में से लिस्ट 'बी' के अंशदाताओं से अंशदान तभी अपेक्षित किया जा सकता है जब लिस्ट 'ए' के अंशदाता ऐक्ट के अनुसार उनसे अपेक्षित अंशदान की सन्तुष्टि करने में असमर्थ हों।

संक्षेप में भूतपूर्व सदस्यों का दातव्य, अर्थात लिस्ट 'बी' के अंशदाताओं का दातव्य, केवल निम्नलिखित शर्तों के अधीन उत्पन्न होता है :—

(१) यदि समापन की कार्यवाही शुरू होने के पिछले वर्ष या अधिक अवधि से वह सदस्य नहीं था, तो वह अंशदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होता। (२) सदस्य न रह जाने के पश्चात् कंपनी द्वारा संवेदित (contract) किए गए ऋण या दातव्य के लिए अंशदान करने का वह जिम्मेदार नहीं होता। (३) वह तब तक अंशदान करने के लिये जिम्मेदार नहीं होता जब तक कोर्ट को यह न प्रतीत हो कि लिस्ट 'ए' के वर्तमान सदस्य उनसे अपेक्षित अंशदान का भुगतान करने में असमर्थ हैं। (४) वह अपने शेयर्स या प्रत्याभूति पर अदत्त राशियों से अधिक अंशदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होता।

समापन के परिणाम (Consequences of winding up)—समापन का आदेश पारित हो जाने से कंपनी का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता है। कंपनी की अस्तित्व एक निकाय के रूप में बना रहता है, लेकिन उसके प्रबन्ध तथा प्रशासन में परिवर्तन हो जाता है, जिसका निष्पादन परिसमापक के मारफत होता है। परिसमापक अंशदाताओं की सूची निश्चित करता है। वह इस सूची को सूची 'ए' तथा 'बी' में वर्गीकृत करता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भूतपूर्व सदस्य अंशदान के लिए जिम्मेदार नहीं होता। वर्तमान सदस्य केवल उसी सीमा तक जिम्मेदार होता है जितनी सीमा तक उसके शेयर्स दत्त नहीं हैं, या, प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी की सूरत में, अपनी प्रत्याभूति की राशि की सीमा तक।

इस दातव्य को माँग या कॉल द्वारा प्रवर्तित कराया जाता है। ऐसा अंशदाता, जो कम्पनी का ऋणदाता है, अपने ऋण को कॉल के दातव्य के विरुद्ध नहीं काट सकता।

कंपनी में शेयर्स का हस्तांतरण, जो परिसमापक को या उसकी स्वीकृति से नहीं किया गया है, तथा सदस्यों की स्थिति में कोई परिवर्तन, जो कंपनी के समापन की कार्यवाही शुरू होने के बाद किया गया हो, शून्य होगा। (धारा ५३६)।

जहाँ किसी कंपनी का समापन कोर्ट द्वारा तथा उसके पर्यवेक्षण में किया जा रहा हो, तो कोर्ट की अनुमति के बिना, कोई ऋणदाता किसी डिक्री का निष्पादन कंपनी की सम्पदा तथा परिसम्पत् के विरुद्ध नहीं कर सकता। (धारा ५३७)।

प्रतिभूत ऋणदाता, या तो अपनी प्रतिभूति को मूल्यांकित कर सकता है तथा समापन की कार्यवाही में ऋण के शेष को प्रमाणित कर सकता है या, अपनी प्रतिभूति को त्याग कर कुल रकम को प्रमाणित कर सकता है। कोर्ट द्वारा समापन का आदेश कंपनी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के डिस्चार्ज के नोटिस के रूप में प्रवर्तित होता है, सिवाय उस सूरत के जब कि कंपनी का कारोबार जारी रहता है। स्वेच्छा से समापन की सूरत में यह आवश्यकता डिस्चार्ज की नोटिस के रूप से प्रवर्तित नहीं होता।

परिसमापक की नियुक्ति पर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं, सिवाय उस सूरत के जब कि कमेटी आफ इन्सपेक्शन द्वारा या, यदि ऐसी कमेटी नहीं है, जनरल मीटिंग में ऋणदाताओं द्वारा, उसका जारी रहना स्वीकृत नहीं कर दिया जाता। [धारा ५०५]।

जहाँ किसी कम्पनी का समापन किया जा रहा हो, समापन के १२ महीने के भीतर, कम्पनी की सम्पत्ति पर सर्जित किया गया कोई चल भार, जब तक यह नहीं सिद्ध किया जाता कि भार के सर्जन के तुरन्त बाद कंपनी शोधक्षम (Solvent) थी, अमान्य होगा, सिवाय नगद राशि की उस सीमा तक जो कंपनी ने भार के सर्जन के समय उस राशि पर ५ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित भुगतान कर दिया हो। (धारा ५३४)।

परिस्थितियां जिनमें अंशदाताओं की सूची में रक्खे जाने के दायित्व से बचा जा सकता है (Cases where liability to be placed on the list may be avoided)—निम्नलिखित आधारों पर अंशदाता कंपनी की परिसम्पत् में अंशदान करने के दायित्व से बच सकता है :—

(१) यह व्यक्ति सदस्य बनने के लिये कभी नहीं सहमत हुआ था और नाम उसकी जानकारी तथा सहमति के बगैर गलती से रजिस्टर में रख दिया गया था। [*In re* Scottish Petroleum Co., 23 Ch. D. 413]।

(२) शेयर्स के लिये दरखास्त ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई थी जिसे कोई प्राधिकार नहीं था, तथा मौनस्वीकृति भी नहीं दी गयी थी। *In re.* Harvey's Oyster and Co. (1894) 2 Ch. 474, तथा *In re.* Consort Deep Level Mines, (1897) 1 Ch. 575)।

(३) शेयर्स के लिये दरखास्त दी गई थी लेकिन एलाटमेन्ट नोटिस प्राप्त होने या पोस्ट की जाने से पहिले उसे वापस ले लिया गया था। [*In re.* Brewery Assets Corporation, (1894) 3 Ch. 272.)।

(४) कि एलाटमेन्ट की कोई नोटिस नहीं दी गयी थी जब तक कि विवाद करने वाले सदस्य के व्यवहार से यह न दिखाया जाय कि या तो नोटिस को समाप्त कर दिया गया था या उसने बतौर सदस्य कार्य किया था तथा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था, या कि नोटिस मौखिक रूप से दी गयी थी। (*In re* Scottish Petroleum Co. (Supra) *In re* New Theatre Co. 33 Beav. 529, *In re.* Railway Time Publishing Co. 42 Ch. D. 98, Truman's case, (1894) 3 Ch. 272)।

(५) कि आवेदक ने एक पूर्वगामी शर्त (condition precedent) रक्खा था जिसकी पूर्ति नहीं की गयी थी, जब तक कि यह न दिखाया जाय कि यह एक पूर्वगामी शर्त नहीं थी बल्कि एक सांपार्श्विक करार (collateral agreement) मात्र थी। (Shackleford's case, L. R. I Ch. App. 567; Elkington's case, L. R. 2 Ch. App. 511)।

(६) कि आवेदक को मिथ्यानिरूपण, कपट या ऐसे ही कारणों द्वारा शेयर्स लेने के लिए प्रलोभित किया गया था, तथा संविदा से बचा गया था या ऐसा कुछ किया गया था जो समापन आरम्भ होने से पूर्व आनाकानी के तुल्य था; लेकिन यह प्रतिवाद उस सूरत में नहीं होगा जहाँ अन्य व्यक्तियों के अधिकार बीच में आ गए हों या अमानन (repudiation) के अधिकार के प्रत्याख्यान (denial) के बाद अनावश्यक विलम्ब हुआ था। *In re.* General Railway Syndicate, (1900) 1 Ch. 365; *In re* Scottish Petroleum Co. (Supra); Tennent v. City of Glasgow Bank, 4 A. C. 615)।

(७) कि उसने समापन के पूर्व शेयर्स को हस्तांतरित कर दिया था और कम्पनी द्वारा उसे रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए था। ऐसी सूरत में यह प्रमाणित किया जाना चाहिये कि हस्तांतरण नियमित था और आर्टिक्लस ऐसे थे कि डायरेक्टर्स हस्तांतरण को रजिस्टर करने के लिए बद्ध थे। (*In re.* National Bank of Wales, 13T. L. R. 179)।

———

अध्याय २३

कोर्ट द्वारा समापन

(WINDING UP BY THE COURT)

(धाराएँ ४३३—४८३)

परिस्थितियां जिनमें कम्पनी का समापन कोर्ट द्वारा किया जा सकता है (circumstances in which company may be wound by court)—किसी कम्पनी का समापन कोर्ट द्वारा किया जा सकेगा :—

(क) यदि कम्पनी ने विशेष प्रस्ताव द्वारा निश्चित किया है कि कोर्ट द्वारा कंपनी का समापन किया जाय;

(ख) यदि परिनियत रिपोर्ट (Statutory report) रजिस्ट्रार को परिदत्त करने या परिनियत मीटिङ्ग करने में चूक किया जाय;

(ग) यदि निगमन के एक वर्ष के भीतर कंपनी अपना कारोबार नहीं शुरू करती है या, पूरे एक वर्ष के लिए अपना कारोबार निलम्बित कर देती है;

(घ) यदि लोक कंपनी की सूरत में, सदस्यों की संख्या सात से कम किया जाता है, तथा प्राइवेट कंपनी की सूरत में, दो से कम किया जाता है;

(ङ) यदि कंपनी अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ;

(च) यदि कोर्ट का यह मत हो कि यह न्यायोचित तथा साम्यपूर्ण होगा कि कंपनी का समापन कर दिया जाय। (धारा ४३३)।

(क) कम्पनी द्वारा समापन के लिए विशेष प्रस्ताव (Special resolution by a company that it be wound up)

आमतौर से शेयर होल्डर्स ऐसा प्रस्ताव नहीं पारित करते, क्योंकि कोर्ट द्वारा समापन के बजाय वे स्वेच्छा से ही समापन किया जाना पसन्द करते हैं। लेकिन, यदि ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो कोर्ट समापन का आदेश दे सकती है।

(ख) परिनियत रिपोर्ट दाखिल करने तथा मीटिंग करने में चूक (Default in filing report or holding the statutory

meeting)—इस धारा के अन्तर्गत दरख्वास्त केवल रजिस्ट्रार या किसी अंशदाता द्वारा धारा ४३९ (७) के अन्तर्गत दी जा सकती है। कोर्ट परिनियत रिपोर्ट की शक्ति विवेकीय होती है। कोर्ट परिनियत रिपोर्ट दाखिल किए जाने या मीटिंग किये जाने का आदेश दे सकती है और समापन का आदेश देने से इन्कार कर सकती है। कोर्ट चूक करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ खर्चे का आदेश दे सकती है।

(ग) निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार न शुरू किया जाना (Non-commencement of business within one year from the date of incorporation)—ऐसी कंपनी, जिसने एक वर्ष तक कारोबार नहीं किया है, उसका समापन करने की कोर्ट की शक्ति विवेकीय होती है। आवेदन-कर्त्ता सामान्य रूप से, या अधिकार स्वरूप, आदेश प्राप्त करने का हकदार नहीं होता। जहाँ विलम्ब का स्पष्टीकरण समुचित तथा पर्याप्त रूप से कर दिया गया हो और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कम्पनी का आशय कारोबार न करने का नहीं है या अधिकांश सदस्य कारोबार को चलाने की इच्छा प्रकट करते हैं, तो कोर्ट समापन का आदेश देने से इन्कार कर देगी। लेकिन, यदि सन्तोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त हो, तो समापन का आदेश पारित किया जा सकेगा, भले ही कंपनी के पास परिसम्पत् हो और कोई ऋण न हो।

एक वर्ष तक कारोबार में निलम्बन की सूरत में यह कोर्ट द्वारा विचारणीय बात होगी कि क्या कम्पनी ने वास्तव में उस उद्देश्य को त्याग दिया है जिसके लिए उसे स्थापित किया गया था। कोर्ट इस बात से सन्तुष्ट होनी चाहिए कि कारोबार न करने का आशय वास्तविक है तथा कारोबार को त्यागने का इरादा वर्तमान है जिससे कि वह समापन का आदेश दे सके। इस संबन्ध में कोर्ट शेयर-होल्डर्स का मत भी प्राप्त कर सकती है।

(घ) सदस्यों की न्यूनतम संख्या में कमी (Reduction of members below the minimum)—यदि किसी कम्पनी के सदस्यों की संख्या परिनियत न्यूनतम से कम की जाती है, तो कम्पनी का समापन किया जा सकता है।

(ङ) ऋणों के भुगतान की असमर्थता (Inability to pay debts)—कम्पनी को ऋण के भुगतान के लिए असमर्थ समझा जाएगा—(१) यदि किसी ऋणदाता ने, अभिहस्तांकन द्वारा या अन्यथा, जिसकी कम्पनी उस समय देय पाँच सौ रुपए से अधिक राशि की ऋणी है, कम्पनी पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा या

अन्यथा, उसके रजिस्टर्ड कार्यालय पर उक्त रकम के भुगतान के लिए नोटिस तामील कर दिया हो और नोटिस पाने के बाद भी तीन सप्ताह तक कम्पनी उक्त रकम का भुगतान नहीं करती या ऋणदाता के सन्तोष के लिए कोर्ट समझौता नहीं करती या उसको प्रतिभूत नहीं करती; या

(२) यदि कम्पनी के ऋणदाता के पक्ष में किसी डिग्री का निष्पादन असन्तुष्ट ही वापस आ जाता हो, या किसी आदेश की प्रक्रिया असन्तुष्ट ही वापस आ जाती हो, या

(३) यदि कोर्ट के सन्तोषानुसार यह सिद्ध हो जाता हो कि कम्पनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है, तथा यह निर्धारित करने के लिये कि कम्पनी अपने ऋणों का भुगतान करने में समर्थ है या नहीं, कोर्ट कम्पनी के आकस्मिक तथा भावी (contigent and prospective) दातव्यों को ध्यान में रक्खेगी। (धारा ४३४)।

इस खंड के अन्तर्गत कोर्ट को यह देखना पड़ता है कि कम्पनी वास्तव में व्यापारिक दृष्टि से शोधक्षम (solvent) है या नहीं और उसकी परिसम्पत् तथा दातव्य ऐसे हैं या नहीं जिससे कि कोर्ट को इस बात से सन्तोष हो कि वर्तमान तथा सम्भाव्य परिसम्पत् कम्पनी की वर्तमान दातव्यों की पूर्ति के लिये अपर्याप्त हैं। [*In re.* European Life Assurance Society, L. R. 9 Eq. 122]।

(च) न्यायोचित तथा साम्यपूर्ण (Just and equitable)— यही अन्तिम आधार है जिस पर कम्पनी का समापन हो सकता है। जब तक कि ऐसा किये जाने के लिये विशेष कारण न हो, कोर्ट इस आधार पर समापन का आदेश नहीं देगी। इस शीर्षक के अन्तर्गत आधार साधारणतया पिछले उपखंडों के आधारों के प्रकार के ही होने चाहिये। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णीत किया जायेगा।

कोर्ट ने न्यायोचित तथा साम्यपूर्ण आधारों पर निम्नलिखित परिस्थितियों में कम्पनियों का समापन किया है :—

(१) जब एक ही परिवार के व्यक्तियों के हाथ में प्रबन्ध होने के कारण वे अन्य शेयरहोल्डर्स पर अपना प्रभुत्व जमाते हों, कम्पनी के कारोबार का एकाधिकार अपने व्यक्तिगत फायदे के लिये करते हों और इसलिये कम्पनी के प्रबन्ध तथा मामलों में विश्वास का न्यायसम्मत अभाव हो [Lock *v.* John Blackwood Ltd. (1924) A. C. 783];

(२) जहाँ कम्पनी व्यापारिक रूप से दिवालिया हो गई हो [*In re Lyric Club*, 36 S. J. 801];

(३) जहाँ शेयरहोल्डर्स के बहुमत द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा हो या वे अल्पसंख्यकों तथा कम्पनी के प्रबन्ध पर अत्याचार करने के दोषी हों ;

(४) जहाँ कम्पनी के निर्माण तथा संचालन के सिलसिले में अनियमित तथा अनुचित कार्यवाहियों का तीव्र सन्देह हो [*In re.* Debenture and Assets Corporation, (1891) 2 Ch. 505, 521];

(५) जहाँ कुछ शेयरहोल्डर्स का अत्यधिक प्रभाव हो और उनके आचरण की जाँच अपेक्षित हो, लेकिन जो बहुसंख्या के वोट उनके हाथ में होने के कारण समापन का प्रस्ताव नहीं पारित होने देते [*In re Varieties Ltd.*, (1893) 2 Ch. 235];

(६) जहाँ समुचित रूप से गठित बोर्ड आफ़ डायरेक्टर्स न होने के कारण कम्पनी के प्रबन्ध में गतिरोध हो गई हो [*American* Pioneer Leather Co. (1918) 1 Ch. 556];

(७) जहाँ जिस व्यापार या कारोबार को करने का विचार कम्पनी ने अपने निर्माण की तारीख पर किया था वह सारतः असम्भव हो गया हो [*In re. Suburban Hotel Co.* L. R. 2 Ch. App. 737];

(८) जहाँ कुल या सारतः कुल पेड अप कैपिटल गायब हो गया हो और उसकी वसूली की कोई आशा न हो ;

(९) जहाँ पुनर्निर्माण की किसी योजना को, शेयर-होल्डर्स के हितों के प्रतिकूल होने के कारण, परास्त करना आवश्यक हो [Consolidated South Rand Mines Deep, Ltd. (1909) 1 Ch. 491];

(१०) जहाँ कम्पनी का कुल उद्देश्य कपटपूर्ण हो ;

(११) जहाँ कम्पनी का मूलभूत तत्व समाप्त हो गया हो—इसे समाप्त हुआ तब समझा जाता है जब कम्पनी की विषय-वस्तु समाप्त हो जाती है, या जिस उद्देश्य से कम्पनी का निर्माण किया गया था वह असफल हो गया हो, और कम्पनी का कारोबार चलना असम्भव हो सिवाय हानि के या परिसम्पत्, वर्तमान या सम्भाव्य, दायित्वों की पूर्ति के लिये अपर्याप्त हों।

दरख्वास्त कौन दे सकता है (Who may-petition)—(क) कम्पनी द्वारा, या (ख) ऋणदाता, ऋणदाताओं तथा आकस्मिक या भावी

ऋणदाता या ऋणदाताओं द्वारा; या (ग) किसी अंशदाता या अंशदाताओं द्वारा; या (घ) खंड (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित सभी या किसी पक्षदार द्वारा; या (ङ) रजिस्ट्रार द्वारा; या (च) धारा २४३ के अन्तर्गत आने वाले मामले की सूरत में (जो कम्पनी के कारोबार की जाँच से संबन्धित है) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस दिशा में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, कम्पनी के समापन के लिये कोर्ट को दरख्वास्त किया जा सकता है। (धारा ४३६)।

प्रतिभूत ऋणदाता, किन्हीं डिबेन्चर्स (जिसमें डिबेन्चर स्टाक शामिल हैं) के धारक, भले ही ऐसे या इसी प्रकार के अन्य डिबेन्चर्स के सिलसिले में न्यासधारी या न्यासधारीगण नियुक्त किये गये हों या नहीं, तथा डिबेन्चर्स के धारकों के लिए न्यासधारी भी इस धारा के प्रयोजन के लिए ऋणदाता समझे जायेंगे। [धारा ४३६ (२)]।

कोई अंशदाता किसी कम्पनी के समापन के लिए दरख्वास्त देने का अधिकारी होगा, इस बात के बावजूद भी कि वह पूर्ण दत्त शेयर्स का धारक हो या कि कम्पनी के पास कुछ भी परिसम्पत् न हो, या उसके दायित्वों की पूर्ति के पश्चात् शेयरहोल्डर्स के बीच वितरण के लिए अतिरेक परिसम्पत् से शेष रह गई हो। [धारा ४३६ (३)]।

कोई अंशदाता कंपनी के समापन के लिए दरखास्त देने का अधिकारी नहीं होगा, जब तक कि (क) पब्लिक कंपनी की सूरत में सदस्यों की संख्या सात से कम, तथा प्राइवेट कंपनी की सूरत में दो से कम न हो गई हो; या (ख) शेयर्स जिनके सिलसिले में वह अंशदाता है, या उनमें से कुछ या तो मूलरूप में एलाट किए गये थे या उसके द्वारा धारण किये गए हैं तथा उसके नाम में समापन के शुरू होने के अठारह महीने पूर्व की अवधि में कम से कम छः महीने तक रजिस्टर्ड थे या पूर्व धारक की मृत्यु द्वारा उसके पक्ष में अवक्रान्त (devolve) हो गए हैं। [धारा ४३६ (४)]।

रजिस्ट्रार समापन की दरखास्त प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं होगा (१) जब तक कि धारा २४३ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा वह ऐसा करने के लिये प्राधिकृत न हो या (२) जब तक कि निम्नलिखित आधार न हो, अर्थात् परिनियत रिपोर्ट परिदत्त करने या परिनियत मीटिंग करने में चूक कम्पनी द्वारा उसके निगमन से एक वर्ष के भीतर व्यापार प्रारम्भ न करने में चूक या एक वर्ष तक अपना व्यापार निलंबित किये रहना, पब्लिक कम्पनी की सूरत में सदस्यों की संख्या सात से कम करना तथा प्राइवेट कंपनी की सूरत में दो से कम करना, अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता, या यदि कोर्ट के विचार में यह न्यायोचित तथा साम्य

पूर्ण हो कि कम्पनी का समापन कर दिया जाना चाहिये। ऋणी के भुगतान की असमर्थता की सूरत में, रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होना चाहिये, या तो बैलेन्स शीट में प्रकट की गई कंपनी की आर्थिक स्थिति से या धारा २३३-ए के अन्तर्गत नियुक्त किये गये स्पेशल आर्डर या धारा २३५ या धारा २३७ के अन्तर्गत कम्पनी के मामलों में जाँच करने के लिये नियुक्त इन्सपेक्टर की रिपोर्ट से, कि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है। ऐसी प्रत्येक सूरत में उपरोक्त आधारों में से किसी एक पर दरखास्त प्रस्तुत करने के लिये रजिस्ट्रार केन्द्रीय सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करेगा। केन्द्रीय सरकार अपनी स्वीकृति तब तक नहीं देगी जब तक कि पहले कंपनी को अपना अभ्यावेदन, यदि कोई हो, करने का अवसर न प्रदान कर दिया गया हो।

रजिस्ट्रार को परिनियत मीटिंग बुलाने में चूक के आधार पर कंपनी के समापन के लिये दरखास्त नहीं प्रस्तुत की जायेगी, सिवाय रजिस्ट्रार या किसी अंशदाता द्वारा, या उस अन्तिम दिन के बाद चौदह दिन की अवधि की समाप्ति से पहले दिन परिनियत मीटिङ्ग की जानी चाहिये थी।

किसी सम्भाव्य या भावी व्यक्ति द्वारा कम्पनी के समापन के लिये प्रस्तुत की गई दरखास्त नहीं ग्रहण की जायेगी जब तक कि दरखास्त के स्वीकरण के लिये कोर्ट की अनुमति न प्राप्त कर ली गई हो तथा ऐसी अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी (क) जब तक कि कोर्ट के विचार में कम्पनी के समापन के लिये प्रथम-दृष्टया वाद (*prima facie* case) न हो; तथा (ख) जब तक कि परिव्यय के लिए ऐसी प्रतिभूति न दे दी गई हो जैसा कि कोर्ट युक्तिसंगत समझे। (धारा ४३६)

अनिवार्य समापन जहां स्वेच्छापूवक या कोट के पर्यवेक्षण के अधीन कम्पनी का समापन होता है (Compulsory winding up where company is wound up voluntarily or subject to court's supervision)—जहाँ कम्पनी का समापन स्वेच्छापूर्वक या कोर्ट के पर्यवेक्षण के अधीन हो रहा हो, वहाँ कम्पनी के समापन के लिए दरख्वास्त (क) धारा ४३६ के अन्तर्गत प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा तथा इस धारा के उपबन्धों के अधीन, या (ख) आफिशियल परिसमापक द्वारा दी जा सकती है।

उपरोक्त उपबन्धों के अन्तर्गत दी गई दरख्वास्त पर कोर्ट समापन का कोई आदेश तब तक नहीं देगी जब तक कि वह इस बात से सन्तुष्ट न हो कि स्वैच्छिक समापन या कोर्ट के पर्यवेक्षण के अधीन समापन ऋणदाताओं या अंशदाताओं या दोनों के समुचित हितों की दृष्टि में जारी नहीं रक्खा जा सकता। (धारा ४४०)।

अनिवार्य समापन की प्रक्रिया

[Procedure in Compulsory Winding up)

कोर्ट द्वारा समापन का प्रारम्भ (Commencement of winding up by court)—जहाँ, कोर्ट द्वारा कम्पनी के समापन के लिए दरख्वास्त दिए जाने से पहिले, कम्पनी के स्वैच्छिक समापन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया हो, यह समझा जायेगा कि कम्पनी का समापन प्रस्ताव पारित किए जाने के समय से प्रारम्भ हो गया था। किसी अन्य सूरत में, कोर्ट द्वारा कम्पनी के समापन के विषय में यह समझा जायेगा कि यह समापन के लिए दरख्वास्त दिये जाने के समय से प्रारम्भ हो गया था। (धारा ४४१)।

कम्पनो के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने की कोर्ट की शक्ति (Power of court to stay or restrain proceedings against company)—समापन के लिए दरख्वास्त दिए जाने के पहिले, कम्पनी या कोई ऋणदाता या अंशदाता कोर्ट से कम्पनी के विरुद्ध चल रहे वादों तथा कार्यवाहियों को रोके जाने के लिए दरख्वास्त दे सकता है; और कोर्ट ऐसी शर्तों पर, जैसा वह उचित समझे कार्यवाहियों को रोक सकेगी। (धारा ४४२)।

दरख्वास्त की सुनवाई पर कोर्ट की शक्ति (Powers of court on hearing petition)—समापन की दरख्वास्त को सुनने के पश्चात् कोर्ट (क) उसे खारिज कर सकेगी, खर्चे सहित या बिना खर्चे सहित; (ख) सशर्त या बिला शर्त सुनवाई को मुल्तवी कर सकेगी; या (ग) जैसा उचित समझे, कोई अन्तरिम आदेश दे सकेगी; या (घ) कंपनी के समापन के लिये आदेश दे सकेगी, खर्चे सहित या बिना खर्चे के, या कोई अन्य आदेश दे सकेगी, जैसा वह उचित समझे।

कोर्ट केवल इस आधार पर समापन का आदेश देने से इन्कार नहीं करेगी कि कंपनी की परिसम्पत् इससे अधिक या इसके बराबर राशि के लिए बंधक कर दी गई है, या कंपनी के पास कोई परिसम्पत नहीं है।

जब इस आधार पर दरख्वास्त दी गई हो कि कंपनी का समापन न्यायोचित तथा साम्यपूर्ण होगा, तो कोर्ट समापन का आदेश देने से इन्कार कर सकेगी, यदि उसका यह मत हो कि आवेदनकर्ताओं को कोई अन्य उपाय उपलब्ध है, और इस उपाय को प्राप्त करने के बजाय कंपनी का समापन प्राप्त करने का उनका प्रयास युक्तिसंगत या उचित नहीं है।

जब दरख्वास्त इस आधार पर दी गई हो कि परिनियत रिपोर्ट रजिस्ट्रार को देने या परिनियत मीटिंग करने में चूक किया गया है, तो समापन का आदेश देने के बजाय कोर्ट यह निदेश दे सकेगी कि परिनियत रिपोर्ट दी जाएगी तथा परिनियत मीटिङ्ग की जायेंगी तथा उन व्यक्तियों को जो कोर्ट के विचार में, ऐसे चूक के लिए जिम्मेदार हों खर्चे का भुगतान करने के लिए आदेश दे सकेगी।

समापन के आदेश के परिणाम (Consequences of winding up order)—कोर्ट द्वारा समापन के लिए दिए गए आदेश की सूचना शीघ्र आफिशियल परिसमापक तथा रजिस्ट्रार को भेजी जानी चाहिये। आवेदनकर्त्ता तथा कम्पनी द्वारा भी आदेश की तारीख से ३० दिन के भीतर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जानी चाहिये। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगने वाला समय इसमें नहीं शामिल होगा। (धारा ४४४ तथा ४४५)।

जब समापन का आदेश दे दिया गया हो, या आफिशियल परिसमापक को बतौर अस्थायी परिसमापक नियुक्त कर दिया गया हो, तो कोर्ट की अनुमति के बिना, तथा उन शर्तों के अधीन जो कोर्ट लागू करे, कम्पनी के विरुद्ध कोई वाद नहीं चलाया या जारी रक्खा जा सकेगा या कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी या जारी रक्खी जा सकेगी। [धारा ४४६ (१)]। इसके बावजूद भी, समापन का आदेश देने वाले कोर्ट को अधिकार होगा कि वह (क) कम्पनी के विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करे तथा उसका निबटारा करें; (ख) कम्पनी द्वारा या उसके खिलाफ किये गए दावे (जिसमें भारत में उसकी शाखाओं द्वारा या के खिलाफ किया गया दावा शामिल है) को ग्रहण करे तथा उसका निबटारा करे; (ग) धारा ३९१ के अन्तर्गत (ऋणदाताओं तथा सदस्यों के साथ समझौते या व्यवस्था की स्वीकृति के लिए) दिए गए कम्पनी द्वारा या उसके सिलसिले में आवेदन-पत्र को ग्रहण करे तथा उसका निबटारा करे; (घ) पूर्वता के किसी प्रश्न को, चाहे यह विधि का या तथ्य का हो, जो कम्पनी के समापन से संबधित हो या उसके दौरान में उत्पन्न हो, ग्रहण करे तथा उसका निबटारा करे। [धारा ४४६ (२)]। कम्पनी द्वारा या के विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही को, जो जिस कोर्ट में समापन की कार्यवाही चल रही हो उससे अन्यथा किसी कोर्ट में चल रही हो, तत्समय लागू किसी अन्य कानून में किसी बात के बावजूद भी, उस कोर्ट को हस्तांतरित किया जा सकेगा तथा उसके द्वारा निबटारा भी किया जा सकेगा। [धारा ४४६ (३)]। उपधारा (१) या उपधारा (३) में की कोई बात सुप्रीम-कोर्ट या हाई कोर्ट में चल रही किसी अपील को नहीं लागू होगी। [धारा ४४६ (४)]।

यदि समापन का आदेश एक बार दे दिया गया है तो यह कम्पनी के सभी ऋणदाताओं तथा अंशदाताओं के पक्ष में प्रवर्तित होगा, मानो उसे किसी ऋणदाता तथा किसी अंशदाता के संयुक्त आवेदन पर दिया गया है। (धारा ४४७)।

अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर समापन के आदेश का प्रभाव (Effect of winding up on Officers and Servants) —ऐक्ट की धारा ४४५ (३) यह उपबन्ध करती है कि कम्पनी के अनिवार्य समापन का आदेश दिए जाने पर (अर्थात् कोर्ट द्वारा कम्पनी के समापन का आदेश दिये जाने पर यह आदेश कम्पनी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के डिस्चार्ज के नोटिस के रूप में प्रवर्तित होता है, सिवाय उस सूरत के, जब कि कम्पनी का कारोबार जारी रहता है।

लेकिन, जहाँ परिसमापक कम्पनी के कारोबार को जारी रखता है, वहाँ ऐसे कर्मचारियों को रक्खा जायेगा जिनकी सेवायें समाप्त नहीं की जातीं।

ऐसी सूरतों में, जहाँ कम्पनी के किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ निश्चित अवधि के लिए कोई संविदा की गई हो जो समापन के आदेश की तारीख तक समाप्त न हुई हो और कम्पनी का कारोबार जारी नहीं रहता है, तो ऐसे आदेश को निःसन्देह ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के डिस्चार्ज का नोटिस समझा जायगा, यद्यपि यह सेवा की संविदा-भंग के रूप में प्रवर्तित होगा और वह इस निर्बन्धक शर्त से छुटकारा पा जाएगा कि वह कोई अन्य प्रतियोगितात्मक व्यापार नहीं कर सकता। ऐसे कर्मचारी को, जिसकी सेवाओं को इस प्रकार समाप्त कर दिया जाता है, अपनी हानि को सिद्ध करने का अधिकार होगा और जहाँ अवधि की समाप्ति से पहिले सेवाओं को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप एक निश्चित रकम का भुगतान करने का करार हो, तो वह ऐसे निश्चित समस्त रकम को सिद्ध करने का अधिकारी होगा। [Ex parte-Logan, L. R. 9 Eq. 149; *In re.* English Joint Stock Bank, L. R. 4 Eq. 350]।

आफिसियल परिसमापक

(Official Liquidators)

आफिसियल परिसमापकों की नियुक्ति (Appointment of Official Liquidator)—कोर्ट द्वारा कम्पनियों के समापन के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक हाई कोर्ट से, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त, एक आफिशिअल परिसमापक

सम्बद्ध होगा जो कार्य की मात्रा के अनुसार पूर्णकालिक या अंश-कालिक अधिकारी होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आफिशियल रिसीवर, या उसकी अनुपस्थिति में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, आफिशियल परिसमापक होगा। आफिसियल परि-समापक को उसके कृत्यों के सम्पादन में सहायता करने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार एक या अधिक उप-सहायक आफिशियल परिसमापक की नियुक्ति कर सकेगी। कोर्ट द्वारा समापक का आदेश दिये जाने पर आफिशियल रिसीवर, अपने पद के आधार पर कंपनी का परिसमापक हो जाएगा। उसे उस कंपनी का आफि-सियल परिसमापक कहा जायेगा जिसके सिलसिले में वह कार्य करता है, और उसे उसके व्यक्तिशः (individual) नाम से नहीं पुकारा जाएगा।

अस्थायी परिसमापक की नियुक्ति तथा शक्तियां (Appointment and Powers of Provisional Liquidator)—समापन का आदेश देने से पहले भी या समापन की दरख्वास्त दिये जाने के बाद, कोर्ट आफिशियल परिसमापक को बतौर अस्थायी परिसमापक नियुक्त कर सकती है। उसकी नियुक्ति का आदेश या किसी उत्तरवर्ती आदेश द्वारा कोर्ट उसकी शक्तियों को परिसीमित या निबन्धित कर सकती है, लेकिन अन्यथा उसे परिसमापक के ही समान वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी। समापन का आदेश दिये जाने पर आफिशियल परिसमापक का अस्थायी परिसमापक के रूप में पद समाप्त हो जायेगा और वह कम्पनी का परिसमापक हो जायेगा (धारा ४५०)।

आफिशियल परिसमापक तथा अभिहस्तांकिती (Official Liquidator and Assignee)—आफिशियल परिसमापक आफिशियल अभिहस्तांकिती से इस अर्थ में भिन्न होता है कि कंपनी की सम्पत्ति आफिशियल परिसमापक में नहीं निहित होती, लेकिन आफिशियल अभिहस्तांकिती की सूरत में सम्पत्ति उसमें निहित होती है।

आफिशियल परिसमापक की स्थिति (Position of Official Liquidator)—परिसमापक के पद का दोहरा अर्थ होता है। एक ओर तो वह कम्पनी की शक्तियों का प्रयोग करता है और दूसरी ओर वह कुछ प्रयोजनों के लिये ऋणदाताओं तथा अंशदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। [Kent *v.* La Communaute etc. (1903) A. C. 220, 226]।

परिसमापक की स्थिति निःसंदेह विश्वासाश्रित होती है, लेकिन वह न्यासधारी नहीं होता। Knowles *v.* Scott (1891) 1 Ch. 717 में Romer, J. ने कहा है कि :—

"The consequences would be very serious if such a doctrine were to be upheld. If a liquidator were held to be a trustee for each creditor or contributory of the company, his liability would be onerous and would render the position of a liquidator one which few persons would care to occupy."

जहाँ तक उस परिसम्पत का प्रश्न है जो उसके हाथ आती है, वह उसका कब्जा प्राप्त करने तथा धारण करने के प्रयोजनार्थ उसी स्थिति में होता है जो सम्पत्तियों के रिसीवर की होती है। उसके कब्जे में कोई हस्तक्षेप कोर्ट द्वारा दण्डनीय होता है। [Amis *v*. Barkenhead Dock, 20 Beav. 332]।

वह ऐक्ट के अन्तर्गत कर्तव्यों के पालनार्थ रक्खा गया कम्पनी का एजेन्ट होता है, लेकिन वह ऐसी स्थिति में अन्य व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, भले ही वे ऋणदाता या अंशदाता हों, सिवाय अनवधानता, अपकरण या वैयक्तिक अवचार (personal misconduct) के लिये (Knowles *v*. Scott (Supra) संविदायें करते समय, परिसमापक कम्पनी के एजेन्ट के रूप में कार्य करता है।

कुछ बातों को करने तथा परिनियत द्वारा निर्धारित कुछ कर्तव्यों के पालनार्थ, वह कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया एक अधिकारी होता है। *[In re. Hills Waterfall & Gold Mining Co.* (1896) 1 Ch. 947 *]*।

कार्य का विवरण आफिशियल परिसमापक को दिया जाएगा

(Statement of affairs to be made to the Official Liquidator)—जहाँ अनिवार्य समापन का आदेश दिया गया हो, अर्थात् कोर्ट ने समापन का आदेश पारित कर दिया है, या आफिशियल परिसमापक को बतौर अस्थायी परिसमापक नियुक्त कर दिया है, वहाँ आफिशियल परिसमापक को कम्पनी के कार्यों का एक विवरण प्रस्तुत किया जायेगा, जो शपथ-पत्र द्वारा सत्यापित होगा, तथा जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्—(क) कम्पनी की परिसम्पत कंपनी द्वारा धारित नगद बकाया, जो हाथों में हो तथा बैङ्क में हो, यदि कोई हो, तथा नेगोशिएब्ल प्रतिभूतियाँ, यदि कोई हों, पृथक-पृथक दिखाते हुये; (ख) उसके ऋण तथा दातव्य (ग) ऋणदाताओं के नाम, पते तथा पेशे, प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत ऋणों की राशियों के पृथक विवरण सहित, (घ) कंपनी को देय ऋण तथा उन व्यक्तियों के नाम, पते तथा पेशे जिनके द्वारा यह देय हो तथा इस लेखे में वसूल होने वाली सामान्य राशि; तथा (ङ) ऐसी अन्य सूचना जो विहित (prescribe) की जाय, या जो आफिशियल परिसमापक द्वारा अपेक्षित की जाय।

उक्त विवरण एक या अधिक ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत तथा सत्यापित किया जायगा जो सुसंगत (relevant) तारीख पर कंपनी के डायरेक्टर हों, तथा जो उस तारीख पर मैनेजर, सेक्रेट्री या कंपनी का अन्य प्रमुख अधिकारी हो।

विवरण सुसंगत तारीख से २१ दिन के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा, या ऐसे विस्तृत किये गये समय के भीतर, जो तीन महीने से अधिक न होगा, जैसा कि आफिशियल परिसमापक या कोर्ट, विशेष कारणों से निश्चित करे। यहाँ सुसंगत तारीख का अर्थ है, ऐसी सूरत में जहाँ अस्थायी परिसमापक की नियुक्ति की गई है, उसकी नियुक्ति की तारीख, और ऐसी सूरत में जहाँ ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई है, समापन के आदेश की तारीख। (धारा ४५४)।

आफिशियल परिसमापक की रिपोर्ट (Report by Official Liquidator)—धारा ४५४ के अन्तर्गत स्टेटमेन्ट या विवरण की प्राप्ति के बाद आफिशियल परिसमापक जितना शीघ्र व्यवहार्य (practicable) हो तथा आदेश की तारीख से अधिक ६ माह के भीतर, या ऐसी विस्तृत अवधि के भीतर, जिसके लिए कोर्ट अनुमति दे, कोर्ट को निम्नलिखित विषयों पर एक प्रारम्भिक रिपोर्ट देगा (क) ईसूड, सब्सक्राइब्ड तथा पेड-अप कैपिटल की राशि, तथा परिसम्पत् तथा दातव्यों की प्राक्कलित राशि, पृथक-पृथक नगद तथा नेगोशिएब्ल प्रतिभूतियों, अंशदाताओं द्वारा देय ऋणों, कंपनी को देय ऋण तथा उनके सिलसिले में प्रतिभूतियों, यदि कोई हो, कंपनी की चल तथा अचल सम्पत्तियों; तथा अदत्त माँगों के विवरण सहित; तथा (ख) यदि कंपनी असफल रही है, तो असफलता के कारण; (ग) उसकी राय में कंपनी के प्रमोशन, निर्माण या असफलता या उसके कारोबार के व्यवहार से सम्बद्ध मामलों के लिये और अधिक जाँच वांछनीय है अथवा नहीं।

यदि आफिशियल परिसमापक उचित समझता है, तो वह और रिपोर्ट या रिपोर्टें इन बातों के लिये दे सकता है—जिस ढंग से कंपनी का प्रमोशन या निर्माण किया गया था, तथा ऐसी किसी रिपोर्ट में यदि उसका यह मत है कि कोई कपट किया गया है तो कोर्ट को यह भी शक्ति प्राप्त होगी कि धारा ४७८ के अन्तर्गत, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स तथा अन्य अधिकारियों की लोक पृच्छा (public examination) के लिए आदेश दे। (धारा ४५५)।

परिसमापक की शक्तियां (Powers of Liquidator)—कंपनी के समापन के प्रयोजनार्थ परिसमापक को दो प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होंगी, एक कोर्ट की स्वीकृति से तथा दूसरी ऐसी स्वीकृति के बिना कोर्ट आदेश द्वारा, कोर्ट

यह प्राविधान कर सकती है परिसमापक इन अधिकारों को कोर्ट की स्वीकृति या हस्तक्षेप के बिना, लेकिन कोर्ट के नियन्त्रण के अधीन, इस्तेमाल कर सकता है। (धारा ४५८)] की स्वीकृति से प्राप्त शक्तियाँ—(क) कम्पनी के नाम में तथा उसकी ओर से कोई सिविल या क्रिमिनल वाद, अभियोजन या कार्यवाही चलाना या उसका प्रतिवाद करना; (ख) कंपनी का व्यापार जहाँ तक कंपनी के लाभकारी समापन के लिए जरूरी हो चलाना; (ग) सार्वजनिक नीलाम या व्यक्तिगत संविदा द्वारा कंपनी की अचल तथा चल सम्पत्ति तथा अभियोज्य दावों को बेचना तथा हस्तांतरित करना; (घ) कंपनी की परिसम्पत की प्रतिभूति पर आवश्यक धन उगाहना; तथा (ङ) वे सभी कार्य करना जो कंपनी के कारोबार के समापन तथा उसकी परिसम्पत् के वितरण के लिये आवश्यक हों [धारा ४५७ (१)]।

कोर्ट की अनुमति से, परिसमापक कोर्ट के समक्ष हाजिर होने तथा अपनी सहायता के लिये एडवोकेट, मुख्तार या वकील नियुक्ति कर सकती है। [धारा ४५६]।

अनिवार्य समापन की सूरत में, परिसमापक कोर्ट की स्वीकृति से, ऋण-दाताओं या ऐसे व्यक्तियों से, जो कंपनी के खिलाफ किसी वर्तमान या भावी, निश्चित या आकस्मिक, सुनिश्चित या केवल हर्जाने के रूप में ध्वनित दावे कर रहे हों, कोई समझौता या व्यवस्था कर सकते तथा कंपनी तथा अंशदाता या कथित अंशदाता के बीच किसी ऋण या मांग संबन्धी दातव्यों के सिलसिले में कोई समझौता या व्यवस्था कर सकते हैं। (धारा ५४६)।

कोर्ट द्वारा समापन की सूरत में, परिसमापन को कोर्ट की स्वीकृति के बिना लेकिन उसके नियन्त्रण के अधीन, निम्नलिखित कार्य करने की शक्ति होगी—

(१) सभी कृत्य करने तथा कंपनी में तथा उसकी ओर से सभी दस्तावेज, रसीदें तथा अन्य कागजात निष्पादित करना, तथा जब जरूरी हो, ऐसे प्रयोजन के लिए कंपनी की सील इस्तेमाल करना।

(१-ए) बिना किसी फीस के भुगतान के कंपनी के अभिलेखों तथा रिटर्न्स या रजिस्ट्रार की फाइलों का मुआइना करना।

(२) किसी अंशदाता के दिवालिएपन के दौरान में उसकी सम्पदा के विरुद्ध किसी बकाए को सिद्ध करना, उनका क्रम निश्चय करना तथा दावा करना, तथा दिवालिएपन के दौरान में डिविडेन्ड प्राप्त करना।

(३) कंपनी के नाम में या उसकी ओर से किसी बिल आफ एक्सचेन्ज, हुण्डी या प्रोनोट को लिखना, अंगीकृत करना, बनाना तथा पृष्ठांकित करना।

(४) अपने आफिशियल नाम में किसी मृतक अंशदाता का प्रशासन-पत्र लेना, तथा अपने आफिशियल नाम में कोई अन्य कृत्य करना, जो किसी अंशदाता या उसकी सम्पदा द्वारा देय रकम के भुगतान को प्राप्त करने के लिये जरूरी हो, जिसे कंपनी के नाम में सरलता से नहीं किया जा सकता हो, लेकिन यहाँ प्रदत्त किसी शक्ति से एडमिनिस्ट्रेटर जनरल के अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(५) किसी ऐसे कार्य को किए जाने के लिए एजेन्ट नियुक्त करना, जो परिसमापक स्वयं न कर सकता है। [धारा ४५७ (२)]।

उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग कोर्ट के नियंत्रण के अधीन होगा और इस सिलसिले में कोई ऋणदाता या अंशदाता कोर्ट को दरख्वास्त दे सकता है। [धारा ४५७ (३)]।

परिसमापक के कर्तव्य (Duties of Liquidator)— परिसमापक का सबसे पहिला तथा महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि उसे कंपनी की सभी सम्पत्ति, परिसम्पत तथा अभियोज्य दावों को अपनी अभिरक्षा या अपने नियन्त्रण में ले लेना चाहिए जिसका वह हकदार है या हकदार प्रतीत होता है।

वह उपरोक्त प्रयोजन के लिए सम्बद्ध चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अनुरोध कर सकता है और वह चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचना देकर उनका कब्जा प्राप्त करके परिसमापक या अस्थायी परिसमापक को परिदत्त कर देगा।

वह कम्पनी के समापन की कार्यवाही का संचालन करेगा तथा इस संदर्भ में कोर्ट द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करेगा। [धारा ४५१]।

ऋणदाताओं के मध्य कंपनी की परिसम्पत् के प्रशासन तथा वितरण के मामले में, परिसमापक जनरल मीटिंग में अंशदाताओं या ऋणदाताओं द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव या कमेटी आफ इन्सपेक्शन द्वारा दिये गये निदेशों को ध्यान में रक्खेगा। परिसमापक ऋणदाताओं तथा अंशदाताओं की जनरल मीटिङ्ग उनकी इच्छाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए बुला सकता है। वह ऋणदाताओं तथा अंशदाताओं के विशेष प्रस्ताव द्वारा निदेशित ऐसे समयों पर भी या जब भी ऋणदाताओं तथा अंशदाताओं के कम से कम दशांश मूल्य द्वारा लिखित रूप से ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाय, ऐसी मीटिङ्ग बुलाएगा।

जब समापन का आदेश दे दिया गया हो तो यह परिसमापक का कर्तव्य होगा कि ऐसे आदेश के छः महीने के भीतर कोर्ट को एक प्रारम्भिक रिपोर्ट दे

जिसमें धारा ४५५ द्वारा अपेक्षित बातें होंगी, जिसका उल्लेख पहिले किया जा चुका है ।

उसका यह कर्तव्य होगा कि वह समुचित पुस्तकें रक्खे जिसमें मीटिङ्ग की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त (minutes) तथा अन्य प्रविष्टियाँ दर्ज कराये तथा अन्य मामलों को दर्ज कराये जो विहित (prescribe) किया जाय।

उसका यह कर्तव्य होगा कि वह कोर्ट को उतने बार, जैसा कि कोर्ट निदेश दे, लेकिन वर्ष में दो बार से कम नहीं, उसके द्वारा प्राप्त की गई प्राप्तियों तथा उसके द्वारा किये गये भुगतानों का लेखा प्रस्तुत करे ।

उसका यह भी कर्तव्य होगा कि वह सामान्य जनता को कंपनी के विरुद्ध अपने दावों को, यदि कोई हो, सूचित करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऋणदाताओं की सूची कोर्ट द्वारा निश्चित करावे। उसका दूसरा कर्तव्य यह है कि वह कंपनी के ऋणों का भुगतान करवाए । यदि वह ऐसा करने में चूक करता है तो वह हर्जाने का उत्तरदायी हो जायेगा । यदि परिसम्पत् ऋणों से अधिक हो तो अतिरेक को शेयरहोल्डर्स के बीच वितरित कर दिया जाएगा ।

वह परिसम्पत के प्रति अपने व्यवहार का समुचित लेखा रखने के लिए बद्ध होगा और उसे आडिट तथा लेखा दाखिल करने के संबन्ध में परिनियत के उपबन्ध का कड़ाई से पालन करना चाहिए । दुर्विनियोग (misappropriation) की सूरत में उसके खिलाफ अपकरण के लिए कार्यवाही की जा सकती है ।

प्रत्येक आफिशियल परिसमापक, ऐसे ढंग से तथा उतने बार, जैसा कि उल्लिखित किया जाय, किसी कंपनी के परिसमापक के रूप में प्राप्त किए गए धन को रिजर्व बैंक आफ इन्डिया में पब्लिक अकाउन्ट आफ इन्डिया में जमा कराएगा। (धारा ५५२) ।

परिसमापकों पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण (Control of Central Government over Liquidators)—धारा ४६० के अन्तर्गत परिसमापक द्वारा शक्तियों के प्रयोग पर कोर्ट, ऋणदाताओं और अंशदाताओं के नियन्त्रण के अतिरिक्त, ऐक्ट केन्द्रीय सरकार को भी परिसमापकों पर नियन्त्रण की शक्ति प्रदान करता है। धारा ४६३ के अन्तर्गत यदि परिसमापक अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन नहीं करता तथा वर्तमान ऐक्ट या इन्डियन कम्पनीज ऐक्ट १६१३ द्वारा लागू की गई अपेक्षाओं का पालन नहीं करता, या यदि किसी ऋणदाता या अंशदाता द्वारा केन्द्रीय सरकार को शिकायत की जाती है, तो केन्द्रीय

सरकार जाँच करने के पश्चात ऐसी कार्यवाही कर सकती है जो वह मामले में वांछनीय समझे। कोर्ट के आदेश द्वारा समापन की जा रही किसी कंपनी के परिसमापक से केन्द्रीय सरकार किसी समय यह अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे समापन के सिलसिले में किसी जाँच का उत्तर दे और कोर्ट से दरखास्त कर सकती है कि वह समापन के सम्बन्ध में वह उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा करे, वह परिसमापकों की पुस्तकों तथा वाउचर्स की स्थानीय जाँच के लिए भी निदेश दे सकती है।

परिसमापकों पर एक और नियन्त्रण धारा ५४३ द्वारा उपबन्धित है जो परिसमापकों को भी उन व्यक्तियों की सूची में शामिल करता है जिनके विरुद्ध किसी आपराधिक अभियोग के अतिरिक्त जिसके लिये वे उत्तरदायी हों अपकरण की कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकार कंपनी के अन्य अधिकारियों के साथ परिसमापक को भी अपकरण की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया गया है। (धारा ५४३)।

कमेटी आफ इन्स्पेक्शन
[Committee of Inspection]

कमेटी आफ इन्सपेक्शन की नियुक्ति तथा रचना (Appointment and Composition of Committee of Inspection)—समापन का आदेश देते समय, या उसके बाद किसी समय, कोर्ट यह निदेश दे सकती है कि एक कमेटी आफ इन्सपेक्शन की नियुक्ति की जाएगी जो परिसमापक के साथ काम करेगी। जहाँ ऐसा निदेश दिया जाता है, ऐसे निदेश के दो महीने के भीतर, परिसमापक इस प्रयोजन के लिए कि कमेटी के सदस्य कौन हों कंपनी के ऋणदाताओं की, जैसा कि कंपनी के पुस्तकों तथा कागजात से सुनिश्चित किया गया हो, एक मीटिङ्ग बुलायेगा। ऋणदाताओं की मीटिङ्ग की तारीख के १४ दिन के भीतर, या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो कोर्ट अपने विवेकानुसार प्रदान करे, परिसमापक कमेटी की सदस्यता के सिलसिले में ऋणदाताओं की एक मीटिङ्ग बुलाएगा और अंशदाताओं की मीटिङ्ग को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह ऋणदाताओं के निर्णय को, संशोधन सहित या बिना इसके, स्वीकार करे ले या दे, सिवाय उस सूरत के जब कि अंशदाताओं की मीटिङ्ग ऋणदाताओं के निर्णय को पूरी तौर से स्वीकार कर लें, परिसमापक का यह कर्तव्य होगा कि वह कोर्ट को इस निदेश के लिए दरख्वास्त दे कि कमेटी के सदस्य कौन होंगे तथा उसकी रचना कैसे की जायेगी। (धारा ४६४)।

कमेटी का संघटन तथा उसकी कार्यवाहियां (Constitution and Proceedings of Commitiee of Inspection)—कमेटी आफ इन्सपेक्शन के अधिक से अधिक बारह सदस्य होंगे जो कम्पनी के ऋणदाता या अंशदाता या ऐसे व्यक्ति होंगे जो ऋणदाताओं या अंशदाताओं के मुख्ताराम हों। इनका अनुपात वही होगा जो मीटिङ्ग में ऋणदाताओं तथा अंशदाताओं द्वारा सहमति से तय किया गया हो, या मतभेद की सूरत में, जैसा कि कोर्ट निर्धारित करे।

कमेटी आफ इन्सपेक्शन को सभी युक्तिसंगत समय पर परिसमापक के हिसाब का मुआइना करने का अधिकार होगा।

कमेटी अपनी मीटिङ्ग समय समय पर करेगी, जैसा कि वह निश्चित करे, और परिसमापन तथा कमेटी का कोई सदस्य जब भी वे आवश्यक समझे कमेटी की मीटिङ्ग बुला सकेंगे। कमेटी का कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई या दो, जो भी अधिक हो होगा, कमेटी किसी मीटिङ्ग में मौजूद सदस्यों के बहुमत द्वारा कार्य कर सकेगी, लेकिन जब तक कोरम पूरा न हो, वह कोई कार्य नहीं करेगा। कमेटी का सदस्य स्वयं द्वारा लिखित तथा हस्ताक्षरित नोटिस परिसमापक को परिदत्त करके अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।

यदि कमेटी का कोई सदस्य दिवालिया निर्णीत कर दिया जाता है, या अपने ऋणदाताओं के साथ कोई समझौता या व्यवस्था करता है, या उन सदस्यों की अनुमति के बिना, जो उसके ऋणदाताओं तथा अंशदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, कमेटी की पाँच मीटिङ्गों में से लगातार गैरहाजिर रहता है, जैसी भी स्थिति हो, तो उसका पद रिक्त हो जाएगा।

कमेटी के किसी सदस्य को, ऋणदाताओं की मीटिङ्ग में, यदि वह ऋणदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, या अंशदाताओं की मीटिङ्ग में, यदि वह अंशदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे साधारण प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है जिसको सात दिन की ऐसी नोटिस दी गई है। जिसमें मीटिङ्ग के उद्देश्य का उल्लेख किया गया हो।

कमेटी में कोई रिक्ति होने पर, परिसमापक तुरन्त रिक्त की पूर्ति के लिये ऋणदाताओं या अंशदाताओं की मीटिङ्ग बुलाएगा, जैसा भी अपेक्षित हो, और मीटिङ्ग प्रस्ताव द्वारा उसी को पुनर्नियुक्त कर सकेगी, या किसी अन्य ऋणदाता या अंशदाता को रिक्त स्थान को भरने के लिए नियुक्त करेगी यदि समापन की स्थिति को देखते हुए परिसमापन रिक्त स्थान की पूर्ति आवश्यक नहीं समझता, तो वह कोर्ट

को दरख्वास्त दे सकता है और कोर्ट आदेश दे सकेगी कि रिक्ति को नहीं भरा जायेगा, सिवाय ऐसी परिस्थितियों में जिसे, आदेश में उल्लिखित किया जायेगा। यदि चल रहे सदस्यों की संख्या दो से कम नहीं है, तो वे इस रिक्ति के बावजूद भी कार्य कर सकेंगे। (धारा ४६५)।

कोर्ट द्वारा समापन की सूरत में कोर्ट की सामान्य शक्तियां
[General Powers of Court in Case of winding up by Court]

समापन की कार्यवाही को रोकने की शक्ति (Power to stay winding up proceedings)—समापन का आदेश देने के बाद किसी भी समय परिसमापक, ऋणदाता या अंशदाता द्वारा दरख्वास्त दिये जाने पर तथा पर्याप्त कारण दिखाये जाने पर कि समापान की कार्यवाही को रोक दिया जाना चाहिये, कोर्ट कार्यवाही को रोक दे सकेगी, एकदम या किसी सीमित अवधि के लिये, तथा ऐसी शर्तों पर जो कोर्ट उचित समझे। आदेश देने से पहले, कोर्ट आफिशियल परिसमापक से अपेक्षा कर सकती है कि वह किसी सुसंगत तथ्यों के सिलसिले में एक रिपोर्ट कोर्ट को उपलब्ध करे। इस प्रकार दिये गये प्रत्येक आदेश की एक प्रतिलिपि तुरन्त कम्पनी को, या जैसा कि अन्यथा निर्धारित किया जाय, रजिस्ट्रार को प्रेषित की जायगी जो कम्पनी से सम्बन्धित अपनी पुस्तकों में इस आदेश का कार्यवृत अंकित कर देंगे। (धारा ४६६)।

२—अंशदाताओं की सूची की व्यवस्था तथा परिसम्पत् का इस्तेमाल (Settlement of list of contributories and application of assets)—समापन का आदेश दिये जाने के बाद यथाशीघ्र, कोर्ट अंशदाताओं की सूची की व्यवस्था करेगी, ऐक्ट के अनुसार जहाँ परिशोधन आवश्यक हो वहाँ सभी मामलों में सदस्यों के रजिस्टर में परिशोधन की शक्तिसहित, तथा परिसम्पत को दात्वयों के उन्मोचन के लिए एकत्रित तथा इस्तेमाल कराएगी। जहाँ कोर्ट को यह प्रतीत हो कि अंशदाताओं के अधिकारों का समायोजन (adjustment) या उनसे मांग करना आवश्यक नहीं होगा, वहाँ कोर्ट उनकी सूची की व्यवस्था की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है।

अंशदाताओं की सूची निश्चित करते समय, कोर्ट ऐसे अंशदाताओं के बीच विभेद करेगी जो अपने अधिकार से अंशदाता है तथा जो किसी के प्रतिनिधि होने के कारण, या अन्य व्यक्तियों के ऋणों के लिये उत्तरदायी होने के कारण अंशदाता है। (धारा ४६७)।

३–परिसमापक को सम्पत्ति का परिदान (Delivery of property to liquidator)—समापन का आदेश देने के बाद किसी भी समय, कोर्ट तत्समय अंशदाताओं की सूची में होने वाले किसी अंशदाता तथा किसी रिसीवर, न्यासधारी, बैङ्कर, एजेन्ट, अधिकारी या कम्पनी के अन्य कर्मचारी से अपेक्षित कर सकती है कि वे तुरन्त उतने समय के भीतर जितना कि कोर्ट निदेशित करे उनकी अभिरक्षा या नियन्त्रण के अन्तर्गत होने वाले उस धन, सम्पत्ति या पुस्तकों तथा कागजात को, जिसकी 'कम्पनी' प्रथम दृष्टया (*prima facie*) हकदार है, परिसमापक को भुगतान, परिदत्त अध्यर्पित या हस्तांतरित कर दें। (धारा ४६८)।

४–अंशदाता द्वारा देय ऋण का भुगतान तथा प्रतिसादन की विस्तार या मात्रा (Payment of debts by contributory and extent of set off)—समापन का आदेश देने के बाद किसी भी समय, कोर्ट तत्समय अंशदाताओं की सूची में होने वाले किसी अंशदाता से अपेक्षित कर सकती है कि वह आदेश द्वारा निदेशित ढंग से उसके द्वारा या उस व्यक्ति की सम्पदा द्वारा या जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, कम्पनी को देय धन का भुगतान कर दे, उस धन के अलावा जो उसके द्वारा या ऐसे व्यक्ति की सम्पदा द्वारा ऐक्ट के अनुसार किसी को देय हो।

ऐसा आदेश देते समय कोर्ट :—

(क) किसी असीमित कम्पनी की सूरत में, कम्पनी के साथ किसी स्वतन्त्र व्यवहार या संविदा पर कम्पनी द्वारा अंशदाता को देय या जिस संविदा का वह प्रतिनिधित्व करता है उसको देय बतौर प्रतिसादन (set-off) कोई धनराशि अंशदाता को दिला सकती है, लेकिन ऐसी कोई धनराशि नहीं जो किसी डिविडेन्ड या लाभ के सिलसिले में उसको कम्पनी के सदस्य के रूप में देय हो; तथा

(ख) सीमित कम्पनी की सूरत में, किसी डायरेक्टर, मैनेजिङ्ग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स या मैनेजर को जिनका उत्तरदायित्व असीमित है या उनकी सम्पदा को ऐसी छूट दिला सकती है।

किसी कम्पनी की सूरत में, चाहे सीमित हो या असीमित, जब सभी ऋण-दाताओं का पूरा भुगतान हो चुका हो, कम्पनी द्वारा किसी भी लेखे में अंशदाता को देय धनराशि किसी उत्तरवर्ती याचना (call) के विरुद्ध बतौर प्रतिसादन दिलाया जायेगा। (धारा ४६९)।

५. मांग करने की कोर्ट को शक्ति (Power of court to make calls)—समापन का आदेश देने के बाद किसी भी समय तथा कम्पनी की परिसम्पत् की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के पहिले या बाद में, कोर्ट (क) तत्समय अंशदाताओं की सूची में होने वाले सभी या किसी अंशदाता से उसके दातव्य की सीमा तक किसी धन को जिसे कोर्ट कम्पनी के ऋणों तथा दातव्यों की सन्तुष्टि के लिये आवश्यक समझती है तथा समापन के खर्च, चार्जेज तथा परिव्यय तथा अंशदाताओं के आपसी अधिकारों के समायोजन के लिये माँग कर सकती है, तथा (ख) इस प्रकार की गई माँग का भुगतान किए जाने के लिए आदेश दे सकती है। याचना (call) करते समय, कोर्ट इस सम्भावना को ध्यान में रक्खेगी कि कुछ अंशदाता आंशिक या पूर्णरूप से, याचना का भुगतान करने में असफल हो सकते हैं। (धारा ४७०)।

६. कम्पनी को देय धन का बैंक में भुगतान (Payment into bank of moneys due to company)—कोर्ट किसी अंशदाता, क्रेता या अन्य व्यक्ति को, जिससे कम्पनी को कोई धन पावना है, यह आदेश दे सकती है कि वह धन का भुगतान परिसमापक को करने के बजाय रिजर्व बैङ्क के पब्लिक अकाउन्ट आफ इण्डिया में भुगतान कर दे। (धारा ४७१)।

७. बैंक में भुगतान किया गया धन या भुगतान की गई प्रतिभूतियां कोर्ट के आदेश के अधीन होंगी (Moneys and securities paid into Bank to be subject to order of court)—कोर्ट द्वारा किसी कम्पनी के समापन के दौरान सभी धन, बिल, हुन्डियाँ, नोट तथा अन्य प्रतिभूतियाँ, जिनका भुगतान या परिदान रिजर्व बैङ्क को दिया गया है, सभी प्रकार से कोर्ट के आदेश के अधीन होंगी। (धारा ४७२)।

८. अंशदाता को दिया गया आदेश एक निश्चायक साक्ष्य होगा (Order on contributory to be conclusive evidence)—अपील के किसी अधिकार के अधीन, किसी अंशदाता को कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि धन, यदि कोई हो, जो आदेश से देय प्रतीत होता है, या जिसे भुगतान करने के लिये आदेश दिया गया है, देय है। आदेश में कथित अन्य सभी संगत बातों के बारे में, सभी व्यक्तियों के खिलाफ तथा सभी कार्यवाहियों में, चाहे वे जैसी भी कार्यवाही हों, यह माना जायेगा कि उन्हें सत्यतापूर्वक कहा गया है। (धारा ४७३)।

९. समय के भीतर सिद्ध न करने वाले ऋणदाताओं को अपवर्जित करने की शक्ति (Power to exclude creditors not proving in time)—कोर्ट उस अवधि को निश्चित करेगी जिसके भीतर ऋणदाताओं को अपने ऋण या दावों को सिद्ध करना है, या उन्हें ऋण या दावों को सिद्ध किये जाने से पहिले किये गये किसी वितरण के लाभ से अपवर्जित किया जाना है। (धारा ४७४)।

अंशदाताओं के अधिकारों का समायोजन (Adjustment of rights of contributories)—कोर्ट अंशदाताओं के आपसी अधिकारों को समायोजित करेगी तथा यदि कोई सरप्लस है तो हकदार व्यक्तियों के बीच उसको वितरित करेगी। (धारा ४७५)।

११. परिव्यय का आदेश देने की शक्ति (Power to order costs)—यदि दातव्यों की पूर्ति के लिये परिसम्पत् पर्याप्त नहीं है, तो कोर्ट परिसम्पत में से समापन में हुए परिव्यय, चार्जेज़ तथा व्यय के भुगतान के लिये, पस्पर (*inter se*) औचित्य के ऐसे क्रमानुसार दे सकेगी, जो वह उचित समझे। (धारा ४७६)।

१२. ऐसे व्यक्तियों को सम्मन करने की शक्ति जिनके विषय में यह सन्देह हो कि उनके पास कम्पनी की सम्पत्ति, इत्यादि है (Power to summon persons suspected of having property of company, etc.)—अस्थायी परिसमापक की नियुक्ति, या समापन के आदेश के बाद किसी भी समय, कोर्ट इन व्यक्तियों को सम्मन करके शपथ पर पृच्छा कर सकेगी—(१) कम्पनी का कोई अधिकारी या ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विषय में यह सन्देह हो कि उसके कब्जे में कम्पनी की कोई सम्पत्ति या पुस्तकें या कागजात हैं, (२) जिसके बारे में मालूम या सन्देह हो कि वह कम्पनी का ऋणी है, या (३) कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में कोर्ट समझती हो कि वह किसी कम्पनी के प्रमोशन, निर्माण, व्यापार, व्यवहार, सम्पत्ति, पुस्तकों या कागजात या कारोबार के विषय में सूचना दे सकता है। इस प्रकार सम्मन किये गये अधिकारी या व्यक्ति को कोर्ट यह भी आदेश दे सकती है कि वह कम्पनी से संबन्धित किन्हीं पुस्तकों तथा कागजात को, जो उसकी अभिरक्षा या शक्ति के अधीन हों, उसके सामने पेश करे, लेकिन जहाँ वह इस प्रकार पेश की गई पुस्तकों तथा कागजात पर किसी धारणाधिकार का दावा करता है, तो पेश किया जाना ऐसे धारणाधिकार पर, किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना होगा,

और समापन की कार्यवाही में कोर्ट को ऐसे धारणाधिकार से संबंधित प्रश्नों का निर्धारण करने का अधिकार-क्षेत्र प्राप्त होगा। [धारा ४७७ (१-३)]।

यदि इस प्रकार सम्मन किया गया अधिकारी या व्यक्ति, अपने खर्च के लिए युक्तिसंगत धनराशि दिये जाने या प्रस्तुत किये जाने पर, नियत समय पर कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने में चूक करता है, किसी वैध विघ्न के बिना (जिसे कोर्ट को जतलाया गया हो और कोर्ट ने इसकी अनुमति दी हो), तो उसे पृच्छा के लिये गिरफ्तार कराके कोर्ट के समक्ष लाया जा सकता है। [धारा ४७७ (४)]।

यदि, उसकी पृच्छा की जाने पर, इस प्रकार सम्मन किया गया अधिकारी या व्यक्ति स्वीकार करता है कि वह कम्पनी का ऋणी है, तो कोर्ट उसे आदेश दे सकेगी कि वह अस्थायी परिसमापक या, जैसी स्थिति हो, परिसमापक को, ऐसे समय के भीतर तथा इस प्रकार जैसा कोर्ट को न्यायोचित प्रतीत हो, ऋण की धनराशि या उसके किसी भाग का भुगतान, या तो पूरी रकम के डिस्चार्ज में या के बिना, जैसा कोर्ट ठीक समझे, पृच्छा के परिव्यय सहित या के बिना, का भुगतान करे। [धारा ४७७ (५)]।

यदि, उसकी पृच्छा पर, कोई ऐसा अधिकारी या व्यक्ति स्वीकार करता है कि कम्पनी की कोई सम्पत्ति उसके कब्जे में है, तो कोर्ट उसे आदेश दे सकेगी कि वह अस्थायी परिसमापक या, जैसी स्थिति हो, परिसमापक को उस सम्पत्ति या उसके किसी भाग को, ऐसे समय पर, इस प्रकार तथा जिन शर्तों पर कोर्ट न्यायोचित समझे, परिदत्त कर दे। [धारा ४७७ (६)]।

उपधारा (५) तथा (६) के अन्तर्गत दिये गये आदेश का निष्पादन व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १६०८ के अन्तर्गत क्रमशः धन के भुगतान तथा सम्पत्ति के परिदान की डिक्रियों के निष्पादन के समय ही किया जायेगा। [धारा ४७७ (८)]।

उपधारा (५) या उपधारा (६) के अन्तर्गत दिये गये आदेश के अनुसार भुगतान या परिदान करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे भुगतान या परिदान द्वारा, जब तक ऐसे आदेश द्वारा अन्यथा निदेशित न हो, ऐसे ऋण या सम्पत्ति के सिलसिले में सभी दायित्वों से उन्मुक्त हो जायेगा। [धारा ४७७ (८)]।

१३. डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स इत्यादि की लोक-पृच्छा के लिए आदेश देने की शक्ति (Power to order public examination of promoters, directors, etc.)—जब कोर्ट द्वारा कम्पनी के समापन का आदेश दिया गया हो, और ऐक्ट के अन्तर्गत परिसमापक ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दे दी हो, यह कहते हुये कि उसके मतानुसार कम्पनी के सम्बन्ध,

प्रमोशन या निर्माण में किसी व्यक्ति या कंपनी के किसी अधिकारी द्वारा कंपनी के निर्माण के समय से कोई कपट किया गया है, तो रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् कोर्ट आदेश दे सकेगी कि वह व्यक्ति या अधिकारी निश्चित तारीख पर कोर्ट के सामने हाजिर होगा और कंपनी के प्रमोशन, निर्माण या कारोबार या उसके ऐसे अधिकारी के व्यवहार या आचरण के सिलसिले में उसकी लोक पृच्छा (public examination) होगी। पृच्छा में आफिशियल परिसमापक भाग लेगा, और इस प्रयोजन के लिये, यदि वह कोर्ट द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया जाता है, ऐसी कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है जिसकी स्वीकृति कोर्ट दे। पृच्छा में कोई ऋणदाता या अंशदाता भी स्वयं उपस्थित हो या अर्हतावान (qualified) एडवोकेट, अटार्नी या प्लीडर द्वारा भाग ले सकता है। कोर्ट जैसा उचित समझे पृच्छा किये जाने वाले व्यक्ति से प्रश्न कर सकती है। ऐसे व्यक्ति की पृच्छा शपथ पर होगी और वह कोर्ट द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नों का उत्तर देगा। अपनी पृच्छा से पूर्व उसे, उसके खर्चे पर, आफिसियल परिसमापक की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि उपलब्ध की जायेगी और वह अपने खर्च पर कोई अर्हतावान एडवोकेट, अटार्नी या प्लीडर रख सकेगा जो उसके द्वारा दिए गए उत्तर को स्पष्ट तथा विशेषित करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो कोर्ट पूछना चाहे या पूछने की अनुमति दे। यदि कोई ऐसा व्यक्ति उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से मुक्त किए जाने के लिए कोर्ट से दरखास्त करता है तो आफिशियल परिसमापक ऐसे दरखास्त की सुनवायी के समय उसको सुसंगत प्रतीत होने वाले विषयों के प्रति कोर्ट का ध्यान आकृष्ट करेगा। यदि आफिशियल परिसमापक द्वारा दिए गए साक्ष्य या बुलाए गए साक्षियों को सुनने के पश्चात् कोर्ट दरखास्त को मन्जूर करती है तो वह दरखास्त को ऐसे खर्चे सहित मन्जूर करेगी जैसा वह उचित समझे।

पृच्छा के नोट्स लेखनबद्ध किए जायेंगे तथा बयान देने वाले व्यक्ति को उसे पढ़कर सुना दिया जाएगा तथा वह उस पर हस्ताक्षर करेगा और इसके बाद ऐसे बयान को उसके विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकेगा तथा यह सभी युक्तिसंगत समय पर किसी ऋणदाता या अंशदाता द्वारा मुआइने के लिए उपलब्ध रहेगा। (धारा ४७८)।

१४. फरार अंशदाता को गिरफ्तार करने की शक्ति (Power to arrest absconding contributory)—समापन का आदेश देने के पहिले या बाद में किसी भी समय, इस बात पर विश्वास करने के सम्भाव्य साक्ष्य के प्रमाण पर कि माँग का भुगतान करने या कम्पनी के कारोबार के सिलसिले में पृच्छा से बचने के लिये कोई अंशदाता भारत छोड़ कर जाने वाला

है, या अन्यथा फरार होने वाला है, या अपनी सम्पत्ति हटाने या छिपाने वाला है, तो कोर्ट उसे गिरफ्तार कराकर उतने समय तक सुरक्षित रखवाएगी जितने के लिए वह आदेश दे तथा यह आदेश दे सकेगी कि उसकी पुस्तकों तथा कागजात और चल सम्पत्ति को जब्त कर लिया जाय और तब तक रक्खा जाए जब तक के लिए कोर्ट आदेश दे।

१५. कम्पनी का विघटन (Dissolution of Company)—जब किसी कम्पनी के कारोबार का पूरी तौर से समापन किया गया हो, या जब कि कोर्ट का यह मत हो कि निधियों तथा परिसम्पत् के अभाव के कारण या किसी भी अन्य कारणों से परिसमापक कम्पनी के समापन का कार्य जारी नहीं रख सकता, तथा मामले की परिस्थितियों में यह न्यायोचित तथा युक्तिसंगत होगा कि आदेश की तारीख से कम्पनी का विघटन कर दिया जाना चाहिये, तो कोर्ट आदेश देगी कि आदेश की तारीख से कम्पनी को विघटित कर दिया जाय, और तदनुसार कम्पनी विघटित हो जायेगी। ऐसे आदेश की तारीख से १४ दिन के भीतर उसकी एक प्रतिलिपि परिसमापक द्वारा रजिस्ट्रार के पास भेजी जायेगी, जो अपनी पुस्तकों में कम्पनी के विघटन की बात दर्ज कर लेगा। यदि परिसमापक इसमें चूक करता है तो चूक की अवधि में वह प्रतिदिन ५० रु० की दर से जुर्माने द्वारा दण्डनीय होगा। (धारा ४८१)।

अध्याय २४

स्वैच्छिक समापन

[VOLUNTARY WINDING UP]

[धाराएँ ४८४—५२१]

स्वैच्छिक समापन (Voluntary Winding up):—कम्पनी का स्वैच्छिक समापन ही वास्तव में परिसमापन का सामान्य ढंग है। कम्पनी के शेयर होल्डर्स तथा ऋणदाता आपस में इस बात का निर्णय ले सकते हैं कि कम्पनी का कारोबार बन्द कर दिया जाय। जैसा कि पामर ने कहा है :—"It is left to the domestic tribunal of the share-holders to decide whether a company will function or not." लेकिन किसी गैररजिस्टर्ड कम्पनी का स्वैच्छिक या कोर्ट के अधीन, समापन नहीं किया जा सकता है। (धारा ५८३)।

कम्पनियों के स्वैच्छिक समापन को दो शीर्षकों में विभाजित किया गया है, अर्थात् (१) सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन, तथा (२) ऋणदाताओं द्वारा स्वैच्छिक समापन इन दोनों का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है।

परिस्थितियां जिन में कम्पनी का स्वैच्छिक समापन किया जा सकेगा (Circumstances in which company may be wound up voluntarily) किसी कम्पनी का स्वैच्छिक समापन निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है—

(क) जब कि आर्टिक्ल्स द्वारा निर्धारित कम्पनी की अवधि, यदि कोई हो, समाप्त हो गई हो, या कोई घटना, यदि कोई हो, घटित हो गई है, जिसके घटित होने की सूरत में आर्टिक्ल्स द्वारा यह उपबन्धित है कि कम्पनी को विघटित कर दिया जाएगा और जनरल मीटिंग में कम्पनी प्रस्ताव पारित करती है कि कम्पनी का स्वेच्छा से समापन किया जाना है;

(ख) यदि कम्पनी विशेष प्रस्ताव पारित करती है कि कम्पनी का स्वेच्छा से समापन कर दिया जाय। [धारा ४८४]।

स्वैच्छिक समापन का प्रारम्भ (Commencement of voluntary winding up):—स्वैच्छिक समापन का प्रारम्भ उस समय से समझा

जाएगा जब कि स्वेच्छा द्वारा समापन का प्रस्ताव पास किया गया था। [धारा ४८६]।

जब किसी कम्पनी ने स्वेच्छा द्वारा समापन करने का प्रस्ताव पारित किया हो, तो यह प्रस्ताव पारित किए जाने के समय से १४ दिन के भीतर प्रस्ताव की सूचना आफिशियल गजट में विज्ञापन प्रकाशित करके तथा उस जिले में सरक्यूलेट होने वाले किसी समाचार पत्र में भी प्रकाशित करके देगी जहाँ कम्पनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित है। यदि नोटिस में कोई त्रुटि होगी, तो समापन का प्रस्ताव तथा उस पर आधारित समापन की कार्यवाही सदोष (bad) होगी। [धारा ४८५]।

स्वैच्छिक समापन का परिणाम (Consequences of voluntary winding up):—स्वैच्छिक समापन की सूरत में, समापन के प्रारम्भ के समय से कम्पनी अपना कारोबार बन्द कर देगी, सिवाय उस सीमा तक, जो ऐसे कारोबार के लाभकारी समापन के लिए अपेक्षित हो, बशर्ते कि कम्पनी की निगम स्थिति तथा निगम शक्तियाँ उस समय तक जारी रहेंगी जब तक कम्पनी विघटित न हो जाय। [धारा ४८७]।

शोधक्षमता की घोषणा (Declaration of Solvency):—जहाँ किसी कम्पनी के स्वैच्छिक समापन का प्रस्ताव हो, तो उसके डायरेक्टर्स, या यदि कम्पनी के दो से अधिक डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स का बहुमत, बोर्ड की मीटिंग में, शपथ-पत्र द्वारा सत्यापित एक घोषणा कर सकेंगे कि उन्होंने कम्पनी के कारोबार की पूरी जाँच की है, और ऐसा करने के बाद, उनका यह मत है कि कम्पनी का कोई ऋण नहीं है, या कि कम्पनी अपने ऋणों का भुगतान, समापन के प्रारम्भ से ऐसी अवधि के भीतर, जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, कर सकेगी, जैसा कि घोषणा में उल्लिखित किया जाएगा।

उपरोक्त घोषणा का ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए कोई प्रभाव नहीं होगा, जब तक कि (क) इसे कम्पनी के समापन के लिए प्रस्ताव पारित किए जाने की तारीख से ठीक पिछले ५ सप्ताहों में न किया गया हो तथा उस तारीख से पहिले रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए परिदत्त न कर दिया गया हो, तथा (ख) उसके साथ (ऐक्ट के उपबन्धों के अनुसार तथा जहाँ तक परिस्थितियों द्वारा तैयार करना सम्भव हो) कम्पनी के आडिटर्स द्वारा कम्पनी के लाभ-हानि के लेखे तथा बैलेन्स शीट पर तैयार की गई रिपोर्ट, जिसमें कम्पनी के परिसम्पत् तथा दातव्यों का कथन भी हो, न लगाया गया हो। लाभ-हानि का लेखा कम्पनी के अन्तिम हानि-लाभ

के लेखे की तारीख से लेकर घोषणा किए जाने के पहिले अन्तिम व्यवहार्य तारीख तक के लिए होना चाहिए, तथा बैलेन्सशीट भी इसी अन्तिम व्यवहार्य (latest practicable) तारीख तक तैयार किया गया होना चाहिए। परिसम्पत तथा दातव्यों का कथन भी इसी प्रकार इस अन्तिम व्यवहार्य तारीख तक के लिए होगा। आडिटर्स की रिपोर्ट इसी अवधि के लिए लाभ-हानि के लेखे, बैलेन्सशीट तथा परिसम्पत तथा दातव्यों के कथन के संदर्भ में होगी।

यदि घोषणा के बाद ५ सप्ताह की अवधि के भीतर पारित किये गये प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी का समापन कर दिया जाता है, लेकिन यदि घोषणा में उल्लिखित अवधि के भीतर उसके ऋणों का भुगतान नहीं किया जाता, या उनका पूर्ण प्राविधान नहीं किया जाता, तो यह अनुमान किया जायेगा, जब तक इसके विपरीत न दिखाया जाय, कि डायरेक्टर के पास अपने मत के लिये युक्तिसंगत आधार नहीं था। यदि कोई डायरेक्टर बिना युक्तिसंगत आधार के घोषित करता है कि कम्पनी उल्लिखित अवधि के भीतर अपने ऋणों का भुगतान कर सकेगी तो वह कारावास तथा जुर्माने द्वारा दण्डनीय होगा।

ऐसे समापन को, जिसमें शोधक्षमता की घोषणा की गई है और उसे उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार परिदत्त किया गया है, 'सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन' कहा जाता है, और ऐसे समापन को, जिसमें कोई ऐसी घोषणा नहीं की गई या परिदत्त की गई है, "ऋणदाताओं द्वारा स्वैच्छिक समापन" कहा जाता है। (धारा ४८८)।

इस प्रकार धारा ४८८ स्वैच्छिक समापन को दो शीर्षकों में विभाजित करती है, अर्थात् (१) "सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन", जो ऐसी कम्पनियों को लागू होता है जिनके पास दातव्यों का पूर्ण भुगतान करने के लिये पर्याप्त परिसम्पत होती तथा (२) "ऋणदाताओं द्वारा स्वैच्छिक समापन", जो ऐसी कम्पनियों को लागू होता है जो दिवालिया होती हैं और जिनके पास दातव्यों के पूर्ण भुगतान के लिये पर्याप्त परिसम्पत नहीं होती।

सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन
(Members' Voluntary Winding up)

धारा ४८८ के उपबन्धों से स्पष्ट है कि जब कम्पनी शोधक्षम होती है और शोधक्षमता की घोषणा इन उपबन्धों के अनुसार परिदत्त कर दी जाती है तो समापन की कार्यवाही स्वयं सदस्यों द्वारा की जाती है और इस कार्यवाही को "सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन" कहा जाता है। जब

कम्पनी दिवालिया होती है, तो समापन की कार्यवाही ऋणदाताओं के नियन्त्रण में होती है और इसे "ऋणदाताओं द्वारा स्वैच्छिक समापन" कहा जाता है। इन दोनों में मुख्य अन्तर यह है कि सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन की सूरत में, परिसमापकों की नियुक्ति, उसका पारिश्रमिक तथा समापन का सामान्य नियन्त्रण स्वयं सदस्यों के हाथ में होता है, जब कि ऋणदाताओं द्वारा स्वैच्छिक समापन में यह ऋणदाताओं के हाथ में होता है।

इस सिलसिले में विभिन्न उपबन्ध निम्न प्रकार हैं :—

१. परिसमापकों की नियुक्ति तथा उनका पारिश्रमिक निश्चित करने की शक्ति (Power of company to appoint and fix remuneration of liquidators)—जनरल मीटिंग में कम्पनी (क) कम्पनी के कारोबार के समापन तथा परिसम्पत के वितरण के लिये एक या अधिक परिसमापकों की नियुक्ति करेगी, तथा (ख) परिसमापकों को देय, यदि कोई हों, पारिश्रमिक निश्चित करेगी। इस प्रकार निश्चित किये गये पारिश्रमिक को, किसी भी सूरत में, कोर्ट की अनुमति सहित या अनुमति के बिना बढ़ाया नहीं जाएगा। पारिश्रमिक निश्चित किए जाने से पहिले परिसमापक अपने पद का कार्य नहीं सम्भालेगा। (धारा ४९०)

२—परिसमापक की नियुक्ति हो जाने पर बोर्ड की शक्ति समाप्त हो जाएगी (Board's power to cease on the appointment of the liquidator)—परिसमापक की नियुक्ति पर, बोर्ड आफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग या पूर्णकालिक डायरेक्टर्स, मैनेजिङ्ग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स तथा मैनेजर, यदि कोई हो, की सभी शक्तियाँ समाप्त हो जायेंगी सिवाय धारा ४९३ के अन्तर्गत इस नियुक्ति की सूचना रजिस्ट्रार को देने के प्रयोजन के लिए, या जहाँ तक जनरल मीटिङ्ग में कम्पनी या परिसमापक उनके जारी रहने के लिए स्वीकृति प्रदान करें। (धारा ४९१)।

३—परिसमापक के पद की रिक्ति की पूर्ति करने की शक्ति (Powers to fill vacancy in office of liquidator)—यदि मृत्यु, इस्तीफा या अन्यथा किसी कारण से परिसमापक का पद रिक्त हो जाता है, तो जनरल मीटिङ्ग में कम्पनी, ऋणदाताओं के साथ किसी व्यवस्था के अधीन, रिक्त स्थान को भर सकेगी। इस प्रयोजन के लिए किसी अंशदाता या वर्तमान परिसमापक या परिसमापकों द्वारा जनरल मीटिङ्ग बुलाई जा सकती है। (धारा ४९२)।

४. परिसमापक की नियुक्ति की सूचना (Notice of appointment of liquidator)—नियुक्ति के दस दिन के भीतर कम्पनी द्वारा इसकी सूचना रजिस्ट्रार को देनी चाहिये। (धारा ४९३)।

५. कम्पनी की सम्पति के विक्रय के प्रतिफल के रूप में शेयर्स इत्यादि स्वीकार करने की परिसमापक की शक्ति (Power of liquidator to accept shares etc. as consideration for sale of property of company)—जहाँ किसी कम्पनी के स्वैच्छिक समापन करने तथा उसके समस्त कारोबार या सम्पति को, या उसके किसी भाग को, किसी अन्य कम्पनी को हस्तांतरित करने या बेचने का प्रस्ताव है, वहाँ हस्तांतरक कम्पनी का परिसमापक उस कम्पनी के विशेष प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति सहित, जिसके द्वारा परिसमापक को सामान्य प्राधिकार या किसी विशिष्ट व्यवस्था के लिए प्राधिकार प्रदत्त किया जायेगा (१) हस्तांतरण या विक्रय शेयर्स, पालिसियों या हस्तांतरिती कम्पनी में अन्य ऐसे हितों के लिए प्रतिकर या आंशिक प्रतिकर हस्तांतरक कम्पनी के सदस्यों के बीच वितरण के लिए प्राप्त कर सकेगा, या (२) कोई ऐसी अन्य व्यवस्था कर सकेगा, जिसके द्वारा हस्तांतरक कम्पनी के सदस्य नगद, शेयर्स, पालिसियों या ऐसे ही अन्य हितों को प्राप्त करने के बजाय या इसके अलावा, हस्तांतरिती कम्पनी के लाभों में सम्मिलित हो सकते हों, या उससे कोई अन्य लाभ प्राप्त कर सकते हों। [धारा ४९४ (१)]।

यदि हस्तांतरक कम्पनी का कोई सदस्य, जिसने विशेष प्रस्ताव के पक्ष में मत न दिया हो, उससे अपनी असहमति प्रकट करता है और इसकी लिखित सूचना प्रस्ताव पारित किए जाने के सात दिन के भीतर परिसमापक को देता है, तो वह परिसमापक से अपेक्षित कर सकता है कि या तो वह (क) प्रस्ताव को लागू न करे, या (ख) उसके हित को ऐसे मूल्य पर खरीद ले जो सहमति द्वारा या विवाचन (arbitration द्वारा निर्धारित किया जाये इस ढंग से जैसा कि इस धारा द्वारा उपबन्धित किया गया है। [धारा ४९४ (३)]।

यदि परिसमापक ऐसे सदस्य के हित को खरीदने के पक्ष में चयन करता है, तो कम्पनी के विघटन से पहिल क्रय-मूल्य का भुगतान किया जायेगा तथा परिसमापक इसके लिए धन का प्रबन्ध ऐसे ढंग से करेगा जैसा कि विशेष प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया जाय। [धारा ४९४ (४)]।

६. मीटिंग बुलाने का परिसमापक का कर्त्तव्य (क) दिवालिएपन की सूरत में ऋणदाताओं की मीटिङ्ग (Duties of the

liquidator to call meeting) (a) Creditors' meeting in case of insolvency)—यदि कम्पनी दिवालिया है, या यदि समापन की कार्यवाही के दौरान में परिसमापक का यह मत हो कि धारा ४८८ के अन्तर्गत शोधक्षमता की घोषणा में उल्लिखित अवधि के भीतर कम्पनी अपने ऋणों का पूर्ण भुगतान नहीं कर सकेगी, या यह अवधि समाप्त हो गई है और कम्पनी अपने ऋणों का पूर्ण भुगतान नहीं कर पाई है, तो परिसमापक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह तुरन्त ऋणदाताओं की एक मीटिङ्ग बुलाए और उनके सामने कम्पनी के दातव्यों तथा परिसम्पत का विवरण प्रस्तुत करे। (धारा ४६५)।

ख. प्रत्येक वर्ष के अन्त में जनरल मीटिंग (General meeting at the end of each year)—यदि समापन की कार्यवाही एक वर्ष से अधिक चलती रहती है, तो परिसमापक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रथम वर्ष के अन्त में और उसके बाद प्रत्येक वर्ष के अन्त में या उसके बाद जितना शीघ्र सुविधाजनक हो वर्ष के अन्त होने के तीन महीने के भीतर या ऐसी अधिक अवधि के भीतर जिसकी अनुमति केन्द्रीय सरकार दे, कम्पनी की एक जनरल मीटिङ्ग बुलाए। इस मीटिङ्ग में परिसमापक पिछले वर्ष के दौरान अपने कृत्यों, व्यवहारों तथा समापन की कार्यवाही की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके साथ वह समापन की कार्यवाही तथा अपनी स्थिति के विषय में सूचना, विहित विवरणों सहित, तथा विहित प्रपत्र में, सम्बद्ध करेगा। (धारा ४८६)।

ग· अन्तिम मीटिङ्ग तथा विघटन (c) (Final meeting and dissolution)—जैसे ही कम्पनी के समापन का कार्य पूरा हो जाय, परिसमापक का यह कर्तव्य होगा कि वह (१) वह समापन का लेखा तैयार करे, जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि समापन का संचालन किस प्रकार किया गया है, तथा कम्पनी की सम्पत्ति को किस प्रकार ठिकाने लगाया गया है, तथा (२) कम्पनी की एक जनरल मीटिङ्ग उसके सामने लेखा प्रस्तुत करने तथा इस सिलसिले में कोई स्पष्टीकरण देने के प्रयोजन के लिए बुलाए। मीटिङ्ग विज्ञापन द्वारा बुलाई जाएगी जिसमें मीटिङ्ग का समय, स्थान तथा उद्देश्य उल्लिखित किया जाएगा और इसे मीटिङ्ग से कम से कम एक महीने पूर्व आफिसियल गजट में तथा जिस जिले में कम्पनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित हो उस जिले में परिचालित होने वाले समाचार-पत्र में भी प्रकाशित किया जाना चाहिए।

मीटिङ्ग होने के एक सप्ताह के भीतर परिसमापक रजिस्ट्रार तथा आफिसियल परिसमापक को ऐसे लेखे की प्रति तथा मीटिङ्ग करने तथा उसकी तारीख का

रिटर्न भेजेगा। यदि उक्त मीटिङ्ग में कोरम पूरा न हो, तो परिसमापक इस बात का रिटर्न भेजेगा कि मीटिङ्ग बुलाई गई थी लेकिन उसमें कोरम पूरा नहीं था। लेखा तथा रिटर्न प्राप्त होते ही रजिस्ट्रार उन्हें रजिस्टर्ड कर लेगा।

परिसमापक तथा कम्पनी के सभी वर्तमान तथा भूतपूर्व अधिकारी आफिसियल परिसमापक को इस बात के लिये सभी युक्तिसंगत अवसर प्रदान करेंगे कि वह कम्पनी की सभी पुस्तकों तथा कागजात का परिनिरीक्षण कर सके और यदि ऐसा परिनिरीक्षण करने के पश्चात् आफिसियल परिसमापक कोर्ट को यह रिपोर्ट देता है कि कम्पनी के कारोबार का संचालन इस प्रकार नहीं किया गया है जो उसके सदस्यों या लोकहित के प्रतिकूल हो, तो कोर्ट को यह रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की तारीख से कम्पनी विघटित हो गई समझी जाएगी। यदि ऐसा करने के पश्चात् परिसमापक कोर्ट को यह रिपोर्ट देता है कि कम्पनी के कारोबार का संचालन प्रतिकूल ढंग से किया गया है, तो कोर्ट आदेश द्वारा आफिसियल परिसमापक को निदेश देगी कि वह कम्पनी के कारोबार की और अधिक जाँच करे और इस प्रयोजन के लिए इसे ऐसी और शक्तियाँ प्रदान करेगी, जैसा कि वह उचित समझे। ऐसी अधिक जाँच के पश्चात् आफिसियल परिसमापक द्वारा दी गई रिपोर्ट पर कोर्ट या तो यह आदेश देगी कि उस तारीख से, जो कोर्ट उल्लिखित करेगी, कम्पनी विघटित समझी जाएगी या ऐसा अन्य आदेश देगी, जो रिपार्ट से सामने आई परिस्थितियों में अनुज्ञेय हो। (धारा ४९७)।

७. वार्षिक तथा अन्तिम मीटिंगों के सिलसिले में वैकल्पिक उपबन्ध (Alternative provisions as to annual and final meetings)—जहाँ समापन की कार्यवाही शुरू होने के पश्चात परिसमापक का यह मत हो कि शोधक्षमता की घोषणा में उल्लिखित अवधि के भीतर कम्पनी अपने ऋणों का पूर्ण भुगतान नहीं कर सकेगी या यह अवधि समाप्त हो गई हो और कम्पनी ने अपने ऋणों का पूर्ण भुगतान नहीं किया है, तो धारा ४९६ तथा ४९७ के अन्तर्गत वार्षिक तथा अन्तिम मीटिंग बुलाने के बजाय परिसमापक धारा ५०८ तथा ५०९ के अन्तर्गत ऋणदाताओं की मीटिंग बुलाएगा मानों समापन ऋणदाताओं द्वारा स्वैच्छिक समापन था न कि सदस्यों द्वारा समापन। ऐसी सूरत में, परिसमापक के लिए धारा ५०८ के अन्तर्गत समापन की कार्यवाही शुरू होने के समय से एक वर्ष के अन्त में ऋणदाताओं की मीटिङ्ग बुलाना जरूरी नहीं होगा, जब तक कि धारा ४९५ के अन्तर्गत हुई मीटिङ्ग उस वर्ष के अन्त से तीन महीने पहिले से अधिक पहिले न हुई हो। [धारा ४९८]।

ऋणदाताओं द्वारा स्वैच्छिक समापन

Creditors' Voluntary Winding up

ऋणदाताओं द्वारा स्वैच्छिक समापन के सिलसिले में निम्नलिखित उपबन्ध हैं :—

१. ऋणदाताओं की मीटिंग (Meeting of Creditors) कम्पनी अपने ऋणदाताओं की एक मीटिङ्ग उसी दिन या उस दिन के दूसरे दिन के लिए, जिस दिन कम्पनी की जनरल मीटिङ्ग होने वाली है और समापन का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाने वाला है, बुलाएगी और जनरल मीटिङ्ग की नोटिस के साथ इस मीटिङ्ग की नोटिस भी डाक द्वारा ऋणदाताओं को भेजेगी।

कम्पनी मीटिङ्ग की नोटिस का इश्तहार कम से कम एक बार आफिसियल गजट में, तथा कम से कम एक बार दो समाचार-पत्रों में देगी जिसका सरक्यूलेशन उस जिले में हो जिसमें कम्पनी का रजिस्टर्ड कार्यालय या कारोबार का प्रमुख स्थान स्थित हो।

इस मीटिंग में कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स (क) कम्पनी के ऋणदाताओं की सूची तथा उनके दावों की प्राक्कलित राशियों सहित कारोबार की स्थिति का विवरण प्रस्तुत करेंगे; तथा (ख) डायरेक्टर्स में से एक को मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिये नियुक्त करेंगे और ऐसे डायरेक्टर का कर्तव्य होगा कि वह मीटिंग की अध्यक्षता करे तथा उसमें उपस्थित रहे।

यदि कम्पनी की वह मीटिंग जिसमें स्वैच्छिक समापन का प्रस्ताव किया जाना है मुल्तवी हो जाती है और प्रस्ताव मुल्तवी हुई मीटिङ्ग में पास होता है तो उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार ऋणदाताओं की मीटिङ्ग में पारित किया गया कोई प्रस्ताव उतना ही प्रभावकारी होगा मानो उसे कम्पनी के समापन के प्रस्ताव पारित होने के तुरन्त बाद ही पारित किया गया है। (धारा ५००)।

ऋणदाताओं की मीटिङ्ग में पारित किसी प्रस्ताव की सूचना, पारित होने के दस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाएगी। (धारा ५०२)।

२. परिसमापक की नियुक्ति (Appointment of Liquidator)—ऋणदाता तथा कम्पनी द्वारा क्रमशः अपनी मीटिङ्गों में कम्पनी के कारोबार के समापन तथा परिसम्पत् के वितरण के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को परिसमापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। यदि ऋणदाता तथा कम्पनी

द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को नामांकित किया जाता है तो ऋणदाता द्वारा नामांकित व्यक्ति परिसमापक होगा, जब तक कि ऋणदाताओं द्वारा नामांकित किए जाने के सात दिन के भीतर, किसी डायरेक्टर, सदस्य या ऋणदाता की दरख्वास्त पर, कोर्ट यह आदेश न दे कि (क) कम्पनी द्वारा नामांकित व्यक्ति ही परिसमापक होगा, या (ख) वह ऋणदाताओं द्वारा नामांकित व्यक्ति के साथ संयुक्ततः परिसमापक होगा, या (ग) ऋणदाताओं द्वारा नियुक्त व्यक्ति के बजाय आफिसियल परिसमापक या किसी अन्य व्यक्ति को कोर्ट परिसमापक के रूप में नियुक्त न कर दे। [धारा ५०२ (२)]।

यदि ऋणदाता किसी व्यक्ति को नामांकित नहीं करते, तो कम्पनी द्वारा नामांकित व्यक्ति, यदि कोई है, परिसमापक होगा। यदि कम्पनी किसी व्यक्ति को नामांकित नहीं करती, तो ऋणदाता द्वारा नामांकित व्यक्ति, यदि कोई है, परिसमापक होगा। [धारा ५०२ (३ तथा ४)]।

३. कमेटी आफ इन्सपेक्शन (Committee of Inspection)—धारा ५०० के अनुसार होने वाली मीटिङ्ग या किसी उत्तरवर्ती मीटिङ्ग में, ऋणदाता एक कमेटी आफ इन्सपेक्शन की नियुक्ति कर सकते हैं, जिसमें पाँच से अधिक व्यक्ति सदस्य नहीं होंगे। ऐसी सूरत में, उसी मीटिङ्ग में या किसी उत्तरवर्ती जनरल मीटिङ्ग में, कम्पनी भी एक इन्सपेक्शन की नियुक्ति कर सकेगी, जिसमें अधिक से अधिक पाँच सदस्य हो सकेंगे लेकिन ऋणदाता यह प्रस्ताव पारित कर सकेंगे कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तिगण जो कम्पनी द्वारा नियुक्त किए जाँय वे "कमेटी आफ इन्सपेक्शन" के सदस्य नहीं होने चाहिए और ऐसी सूरत में, ऐसे व्यक्ति कमेटी के सदस्य नहीं हो सकेंगे, जब तक कि कोर्ट अन्यथा निदेश न दे। (धारा ५०३)।

४. परिसमापक का पारिश्रमिक (Liquidator's remuneration)—कमेटी आफ इन्सपेक्शन, या ऐसी कोई कमेटी नहीं है, तो ऋणदाता परिसमापक या परिसमापकों को दी जाने वाली पारिश्रमिक को निश्चित कर सकेंगे। जहाँ इस प्रकार पारिश्रमिक नहीं निश्चित किया जाता है, वहाँ कोर्ट इसे निर्धारित करेगी। इस प्रकार निश्चित किए गए पारिश्रमिक को, कोर्ट की अनुमति सहित, या कोर्ट की अनुमति के बिना, किसी भी सूरत में बढ़ाया नहीं जाएगा। (धारा ५०४)।

५. परिसमापक की नियुक्ति पर बोर्ड की शक्तियां समाप्त हो जाएँगी (Board's powers to cease on appointment of

liquidator)—परिसमापक की नियुक्ति पर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की सारी शक्तियाँ समाप्त हो जायेंगी, सिवाय उस सीमा तक जहाँ तक कमेटी आफ इन्सपेक्शन, या यदि ऐसी कोई कमेटी नहीं है, ऋणदाता जनरल मीटिङ्ग में उनका जारी रहना स्वीकृत कर दे। (धारा ५०५)।

६. रिक्त स्थान को भरने की शक्ति (Power to fill vacancy)—यदि परिसमापक (कोर्ट द्वारा या कोर्ट के निदेश पर नियुक्त परिसमापक के अतिरिक्त) का स्थान मृत्यु, इस्तीफा या अन्यथा किसी कारण से रिक्त हो जाता है, तो जनरल मीटिङ्ग में ऋणदाता खाली स्थान को भर सकते हैं। (धारा ५०६)। ऋणदाताओं द्वारा समापन की सूरत में, ऋणदाताओं को रिक्त स्थान को भरने की शक्ति होती है, जब तक कि मूल नियुक्ति कोर्ट द्वारा या कोर्ट के निदेश पर न की गई हो।

७. परिसमापक की शक्ति (Power of Liquidator)—ऋणदाताओं द्वारा समापन की सूरत में, परिसमापक को कोर्ट या कमेटी आफ इन्सपेक्शन की स्वीकृति सहित, कम्पनी की सम्पत्ति के विक्रय के प्रतिफल के बतौर हस्तांतरिती कम्पनी की शेयर्स इत्यादि को अंगीकृत (accept) करने के सिलसिले में वही शक्ति प्राप्त होती है, जो धारा ४९४ के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा समापन की सूरत में परिसमापक को प्राप्त होती है। (धारा ५९७)।

८. कम्पनी की मीटिंग (Meeting of the company)—यदि कम्पनी के समापन की कार्यवाही एक वर्ष से अधिक तक चलती रहती है, तो समापन की कार्यवाही शुरू होने के समय से एक वर्ष के अन्त में और उसके बाद वर्ष के अन्त में, या उसके बाद जितनी सुविधाजनक हो वर्ष के अन्त होने के तीन महीने के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जिसकी अनुमति केन्द्रीय सरकार दे, परिसमापक कम्पनी की एक जनरल मीटिङ्ग तथा ऋणदाताओं की एक जनरल मीटिङ्ग बुलाएगा और मीटिङ्ग में वह पिछले वर्ष के दौरान अपने कृत्यों, व्यवहारों तथा समापन की कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करेगा तथा समापन की कार्यवाही तथा उसकी स्थिति के बारे में भी एक स्टेटमेन्ट सम्बद्ध करेगा। (धारा ५०८)।

अन्तिम मीटिंग तथा विघटन (Final meeting and dissolution)—जैसे ही कम्पनी के समापन का कार्य पूरा हो जाय, परिसमापक (क) समापन का लेखा तैयार करेगा, जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि समापन का संचालन किस प्रकार किया गया है, तथा कम्पनी की सम्पत्ति को किस प्रकार ठिकाने लगाया गया है, तथा (ख) कम्पनी की एक जनरल मीटिङ्ग तथा ऋणदाताओं

की एक मीटिङ्ग उनके सामने लेखा प्रस्तुत करने तथा इस सिलसिले में कोई स्पष्टीकरण देने के प्रयोजन के लिए बुलाएगा।

मीटिङ्गों के एक सप्ताह के भीतर और यदि मीटिंगें उसी दिन नहीं होती हैं, तो बाद की मीटिङ्ग के बाद परिसमापक रजिस्ट्रार तथा आफिसियल परिसमापक को ऐसे लेखे की प्रति तथा मीटिङ्ग करने की तारीख या किन तारीखों को मीटिङ्ग या मीटिंगें हुई थीं इसके विषय में रिटर्न भेजेगा।

यदि ऐसी मीटिङ्गों में से किसी में कोरम पूरा न हो (जो इस धारा के प्रयोजन के लिए दो व्यक्तियों का होगा), तो उक्त रिटर्न के बजाय परिसमापक इस बात का रिटर्न भेजेगा कि मीटिङ्ग यथाविधि बुलाई गई थी, लेकिन उसमें कोरम पूरा नहीं था।

उपरोक्त लेखों तथा रिटर्न्स को प्राप्त करते ही रजिस्ट्रार उन्हें रजिस्टर्ड कर लेगा।

परिसमापक तथा कम्पनी के सभी वर्तमान तथा भूतपूर्व अधिकारी आफिसियल परिसमापक को इस बात के लिए सभी युक्तिसंगत अवसर प्रदान करेंगे कि वह कम्पनी की सभी पुस्तकों तथा कागजात की परिनिरीक्षा कर सके और यदि ऐसा परिनिरीक्षण करने के पश्चात् आफिसियल परिसमापक कोर्ट को यह रिपोर्ट देता है कि कम्पनी के कारोबार का संचालन इस प्रकार नहीं किया गया है जो उसके सदस्यों या लोक हित के प्रतिकूल हो, तो कोर्ट को यह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तारीख से कम्पनी विघटित हो गई समझी जाएगी। यदि ऐसा करने के पश्चात् परिसमापक कोर्ट को यह रिपोर्ट देता है कि कम्पनी का संचालन प्रतिकूल ढंग से किया गया है तो कोर्ट आदेश द्वारा आफिसियल परिसमापक को निदेश देगी कि वह कम्पनी के कारोबार की और अधिक जाँच करे और इस प्रयोजन के लिए उसे ऐसी और शक्तियाँ प्रदान करेगी, जैसा कि वह उचित समझे। ऐसी अधिक जाँच के पश्चात् आफिसियल परिसामापक द्वारा दी गई रिपोर्ट पर कोर्ट या तो यह आदेश देगी कि उस तारीख से, जो कोर्ट उल्लिखित करेगी, कम्पनी विघटित समझी जाएगी, या ऐसा अन्य आदेश देगी, जो रिपोर्ट से सामने आई परिस्थितियों में अनुज्ञेय हो। (धारा ५०६) [१९६५ की ऐक्ट संख्या ३१ द्वारा प्रतिस्थापित किया तथा जोड़ा गया]।

उपबन्ध सदस्यों तथा ऋणदाताओं द्वारा स्वैच्छिक समापन दोनों को लागू हैं (Provisions applicable both to members' and creditors' voluntary winding up)—धाराएँ ५११ से धारा ५२० के सभी उपबन्ध प्रत्येक स्वैच्छिक समापन को लागू होंगे चाहे यह सदस्यों या ऋणदाताओं द्वारा समापन हो। [धारा ५१०]।

कम्पनी की सम्पत्ति का विवरण (Distribution of property of Company)—अधिमानित भुगतानों के सिलसिले में ऐक्ट के उपबन्धों के अधीन, समापन पर कम्पनी की परिसम्पत् को उसके दायित्वों की समभाव सन्तुष्टि में इस्तेमाल किया जाएगा, और इस इस्तेमाल के अधीन, जब तक कि आर्टिक्ल्स द्वारा अन्यथा उपबन्धित न हो, कम्पनी में उनके अधिकारों तथा हितों के अनुसार सदस्यों के बीच वितरित की जाएगी। [धारा ५११]।

स्वैच्छिक समापन को धारा ४५४ लागू होना (Application of S. 454 to voluntary winding up)—धारा ४५४ के उपबन्ध, जहाँ तक हो सके, प्रत्येक स्वैच्छिक समापन को लागू होंगे जैसा कि ये कोर्ट द्वारा समापन को लागू होते हैं सिवाय इसके कि (क) उसमें से कोर्ट को निकाल दिया जाएगा; (ख) आफिसियल परिसमापक या स्थायी परिसमापक के हवाले को परिसमापक का हवाला समझा जाएगा; तथा (ग) "सुसंगत तारीख" (relevant date) का अर्थ होगा समापन की कार्यवाही शुरू होने की तारीख। [धारा ५११] [१९६५ की ऐक्ट संख्या ३१ द्वारा जोड़ा गया]।

स्वैच्छिक समापन में परिसमापक की शक्तियां (Power of liquidator in voluntary winding up)—परिसमापक (१) सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन की सूरत में, कंपनी के विशेष प्रस्ताव सहित, तथा ऋणदाताओं द्वारा स्वैच्छिक समापन की सूरत में, कोर्ट या कमेटी आफ इन्सपेक्शन, या (यदि कमेटी आफ इन्सपेक्शन नहीं है) ऋणदाताओं की मीटिंग की स्वीकृति सहित, धारा ४५७ की उपधारा (१) के खंड (क), (ख), (ग) तथा (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, अर्थात् (क) कम्पनी के नाम में या उसकी ओर से कोई वाद या अभियोजन, दीवानी का या फौजदारी का, दायर कर सकता है, या उसका प्रतिवाद कर सकता है, (ख) कंपनी के हितकारी समापन के लिए जहाँ तक जरूरी हो कंपनी के कारोबार का संचालन कर सकता है, (ग) कम्पनी की चल तथा अचल सम्पत्ति तथा अभियोज्य दावों (actionable claims) को किसी व्यक्ति या निगम निकाय को हस्तांतरित करने या टुकड़ों में बेचने की शक्ति सहित, बेच सकता है, तथा (घ) कंपनी की परिसम्पत् की प्रतिभूति पर अपेक्षित धन उगाह सकता है।

(२) वह, कंपनी के विशेष प्रस्ताव या कोर्ट या कमेटी आफ इन्सपेक्शन या ऋणदाताओं की मीटिङ्ग की स्वीकृति के बिना, कोर्ट द्वारा समापन की सूरत में, ऐक्ट द्वारा परिसमापक को प्रदत्त अन्य शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकेगा।

(३) अंशदाताओं की सूची निश्चित करने की कोर्ट की शक्ति को भी परिसमापक इस्तेमाल कर सकता है, जो उसमें अंशदाता के रूप में उल्लिखित व्यक्तियों के उत्तरदायित्व का प्रथमदृष्टया (prima facie) साक्ष्य होगा।

(४) वह माँग (Call) करने की कोर्ट की शक्ति को भी इस्तेमाल कर सकता है।

(५) वह किसी अन्य उचित उद्देश्य के लिये कंपनी के साधारण या विशेष प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कंपनी की जनरल मीटिंगें बुला सकता है।

कर्त्तव्य (Duties)—परिसमापक कंपनी के ऋणों का भुगतान करेगा तथा अंशदाताओं के आपसी अधिकारों को समायोजित करेगा।

स्वैच्छिक समापन में परिसमापक से उच्च कोटि की सावधानी तथा समवेक्षा (Care and diligence) अपेक्षित होती है। निःसन्देह उसे उसकी सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है, लेकिन जहाँ आवश्यक होता है वह सालिसिटरों तथा वकीलों की सहायता प्राप्त कर सकने में समर्थ होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपनी परिनियत (Statutory) कर्तव्यों के दौरान में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों तथा शंकाओं का समाधान कोर्ट से कराकर अपना पथ-प्रदर्शन कर सकता है। [In re. Home and Colonial Insurance Co. Ltd. (1930) 1 Ch. 102, 125]।

स्वैच्छिक समापन में परिसमापक को नियुक्त करने तथा हटाने की कोर्ट की शक्ति (Power of Court to appoint and remove liquidator in voluntary winding up)—यदि किसी कारणवश, कोई परिसमापक कार्य नहीं कर रहा है, तो कोर्ट आफिसियल परिसमापक या किसी अन्य व्यक्ति को बतौर परिसमापक नियुक्त कर सकती है। कारण दिखाये जाने पर, कोर्ट परिसमापक को हटा सकती है और आफिसियल परिसमापक या किसी अन्य व्यक्ति को बतौर परिसमापक हटाये गए परिसमापक के स्थान पर नियुक्त कर सकती है। रजिस्ट्रार द्वारा इस दिशा में दी गई दरखास्त पर भी कोर्ट किसी परिसमापक को नियुक्त कर सकती है या हटा सकती है। यदि धारा ५०२ की उपधारा (२) के परन्तुक के अन्तर्गत या इस धारा के अन्तर्गत आफिसियल परिसमापक बतौर परिसमापक नियुक्त किया जाता है, तो उसको दिया जाने वाला पारिश्रमिक कोर्ट द्वारा निश्चित किया जाएगा तथा केन्द्रीय सरकार के लेखे में जमा किया जायेगा। [धारा ५१५]।

नियुक्ति की सूचना (Notice of appointment)—नियुक्ति के बाद २१ दिन के भीतर, परिसमापक अपनी नियुक्ति की एक सूचना आफिसियल गजट में प्रकाशित करेगा तथा निर्धारित प्रपत्र में अपनी नियुक्ति की सूचना रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकरण के लिए परिदत्त करेगा। [धारा ५१६]।

निगम निकाय परिसमापक नहीं होगी (Body Corporate not to be liquidator)—स्वैच्छिक समापन की कार्यवाही में कम्पनी के परिसमापक के रूप में नियुक्ति के लिये निगम निकाय अर्हतावान नहीं होगी और इस उपबन्ध के उल्लंघन में की गयी नियुक्ति शून्य होगी। [धारा ५१२]।

प्रश्नों का निर्धारण कराने के लिए कोर्ट को दरखास्त देने की शक्ति (Power to apply to Court to have questions determined)—परिसमापक या कोई अंशदाता या ऋणदाता कोर्ट को इन बातों के लिये दरखास्त दे सकता है : (क) कम्पनी के समापन में उठने वाले किसी प्रश्न का निर्धारण करने के लिए, या (ख) याचनाओं (calls) को लागू कराने, कार्यवाही को रोकने या किसी अन्य विषय के सिलसिले में उन सभी शक्तियों या किसी शक्ति के प्रयोग के लिये जिसका प्रयोग कोर्ट कर सकती थी यदि कम्पनी का समापन कोर्ट द्वारा किया जा रहा होता। [धारा ५१८]।

प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, इत्यादि की लोक-पृच्छा (Public examination of promoters, directors, etc.]—परिसमापक कोर्ट को यह कहते हुए रिपोर्ट कर सकता है कि उसके विचार में कम्पनी के निर्माण के समय से किसी व्यक्ति द्वारा कम्पनी के प्रमोशन या निर्माण या कम्पनी के किसी अधिकारी द्वारा कम्पनी के सिलसिले में कपट किया गया है; और कोर्ट, रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, निदेश दे सकती है कि वह व्यक्ति या अधिकारी निश्चित तारीख पर कोर्ट में हाजिर होगा, तथा कंपनी के प्रमोशन, या निर्माण या उसके कारोबार, या कम्पनी के अधिकारी के रूप में उसके आचरण तथा व्यवहार के सिलसिले में उसकी लोक-पृच्छा होगी। धारा ४७८ के उपबन्ध, जिसकी चर्चा पहिले ही की जा चुकी है, उसमें शब्द "आफिसियल परिसमापक" के स्थान पर शब्द "परिसमापक" प्रतिस्थापित करके, ऐसी पृच्छा को लागू होंगे। [धारा ५१९]।

अध्याय २५

कोर्ट के पर्यवेक्षण के अधीन समापन

[WINDING UP SUBJECT TO SUPERVISION OF COURT]

[धाराएँ ५२२—५२७]

कोर्ट के पर्यवेक्षण के अधीन समापन, जो समापन का तीसरा तरीका है, स्वैच्छिक समापन को जारी रखने के लिए एक आदेश के अतिरिक्त कुछ और नहीं है, जो कोर्ट के पर्यवेक्षण के अधीन होता है। पर्यवेक्षण की अपनी शक्ति के प्रयोग में, कोर्ट को हस्तक्षेप करने तथा किसी विस्तार तक उन शक्तियों का प्रयोग करने का प्राधिकार होता है, जिसका प्रयोग वह कर सकती थी, यदि कोर्ट ने कम्पनी के समापन का आदेश दिया होता। *In re.* Carwar Company Ltd. In Liquidation) 6 Bom. 640].

कोर्ट के पर्यवेक्षण के अधीन समापन के लाभ (Advantages of winding up subject to supervision of court)—संक्षेप में ये लाभ निम्न प्रकार हैं :—

(१) कोर्ट की अनुमति के बिना कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही जारी रखने या चलाने में यह अवरोध के रूप में प्रवर्तित होता है।

(२) धारा ५२४ के अन्तर्गत कोर्ट एक अतिरिक्त परिसमापक की नियुक्ति कर सकती है।

(३) मांग (काल्स) तथा उनके प्रवर्तन (enforcement) तथा कोर्ट द्वारा शक्तियों के प्रयोग के सिलसिले में आदेश कोर्ट को कृत्य करने के लिए पूर्ण-रूप से प्राधिकृत करता है, मानो यह कोर्ट द्वारा अनिवार्य समापन करने के लिए दिया गया आदेश हो। (धारा ५२३)।

अनिवार्य समापन तथा कोर्ट के पर्यवेक्षण के अधीन समापन (Compulsory winding up and winding up subject to

supervision of court)—कोर्ट के पर्यवेक्षण के अधीन समापन, अनिवार्य समापन से इस अर्थ में भिन्न है कि पहली सूरत में समापन स्वैच्छिक समापन के रूप में चालू रहता है। कार्यवाही में कोई रुकावट या विराम नहीं होता। सामान्यतः पुराना परिसमापक ही कार्य करता रहता है, लेकिन आदेश पारित हो जाने के बाद परिसमापक को अनिवार्य समापक के कई लाभ प्राप्त हो जाते हैं और कोर्ट की अनुमति के बिना कोई कार्यवाही चलाई नहीं जा सकती और न ही जारी रक्खी जा सकती है।

दोनों ही सूरतों में, कोर्ट की अनुमति के बिना कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। अनिवार्य समापन में परिसमापक कोर्ट की स्वीकृत से कार्य करता है, तथा पर्यवेक्षण के आदेश में वह कोर्ट की स्वीकृति के बिना कार्य करता है, जैसे स्वैच्छिक समापन की सूरत में।

स्वैच्छिक समापन तथा कोर्ट के पर्यवेक्षण के अधीन समापन (Voluntary winding up and winding up subject to supervision of court)—इन दोनों ही सूरतों में परिसमापक को कोर्ट की स्वीकृति के बिना ही कार्य करना होता है।

स्वैच्छिक समापन में, समापन के दौरान में कम्पनी के विरुद्ध बाद दायर किए जाने तथा कायवाहियाँ जारी रखने के प्रति कोई रोक नहीं होती। परिसमापक का कर्तव्य होता है कि वह उनका प्रतिवाद करे। कोर्ट के पर्यवेक्षण के अधीन समापन में कोर्ट की अनुमति के बिना कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

कोर्ट के पर्यवेक्षण के अधीन समापन का आदेश कब पारित किया जा सकता है (When a winding up order subject to supervision of court can be passed)—ऐसे आदेश के लिए सिद्ध करना जरूरी है कि स्वैच्छिक समापन के लिए कम्पनी द्वारा पारित मान्य प्रस्ताव है। धारा ५२२ यह उपबन्ध करती है कि कम्पनी द्वारा स्वैच्छिक समापन के लिए प्रस्ताव पारित किये जाने के बाद किसी समय कोर्ट यह आदेश दे सकेगी कि स्वैच्छिक समापन जारी रहेगा, लेकिन कोर्ट के ऐसे पर्यवेक्षण के अधीन तथा ऋणदाताओं, अंशदाताओं या अन्य द्वारा कोर्ट को आवेदन करने की ऐसी स्वतन्त्रता, तथा सामान्यतः ऐसी शर्तों तथा ऐसे निबन्धनों सहित, जैसा कोर्ट उचित समझे।

पर्यवेक्षण के आदेश के लिए कौन आवेदन दे सकता है (Who can apply for supervision of court)—यह आदेश ऋण-दाता, अंशदाता या परिसमापक के आवेदन पर दिया जा सकता है। कम्पनी भी ऐसे आदेश के लिए आवेदन दे सकती है।

आधार जिन पर यह आदेश दिया जा सकता है (Grounds on which the order can be made)—कोर्ट के पर्यवेक्षण के अधीन समापन के लिए आदेश, परिसमापक के पक्षपात, समापन में नियमों का पालन न करने, परिसम्पत् की वसूली में अनवधानता या विलम्ब के आधार पर दिया जा सकता है। यदि समापन का प्रस्ताव कपटतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है, या यदि ऋणदाता पर्यवेक्षण के आदेश का समर्थन करते प्रतीत हों, तो भी यह आदेश दिया जा सकता है।

ऐसा आदेश पारित करना कोर्ट के विवेक में होगा, तथा यह उन तथ्यों पर निर्भर करेगा जिन पर आवेदन-पत्र आधारित किया गया है। कोर्ट यह भी देखेगी कि तथ्यों पर ऐक्ट के उपबन्धों को लागू करने के लिए आदेश देना उचित होगा या नहीं, और यदि आदेश दिया जाता है तो वे उपबन्ध उपलब्ध होंगे अथवा नहीं। [*In re.* Bank of Gibralter, L. R. 1 Ch. App. 69, 73]

पर्यवेक्षण के आदेश के अधीन समापन के लिए आवेदन-पत्र का प्रभाव (Effect of petition for winding up subject to supervision order)—कोर्ट के पर्यवेक्षण के अधीन स्वैच्छिक समापन को जारी रखने के लिए आवेदन-पत्र को, वाद तथा कानूनी कार्यवाहियों पर कोर्ट का अधिकार-क्षेत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए, कोर्ट द्वारा समापन के लिए आवेदन-पत्र समझा जाएगा (धारा ५२३)।

परिसमापक को नियुक्त करने तथा हटाने की शक्ति (Power to appoint or remove liquidator)—जहाँ पर्यवेक्षण के अधीन समापन का आदेश दिया जाता हो, वहाँ कोर्ट, उसी आदेश या किसी उत्तरवर्ती आदेश द्वारा, किसी अतिरिक्त परिसमापक या परिसमापकों की नियुक्ति कर सकती है। [धारा ५२४ (१)]। इस प्रकार नियुक्त किए गए किसी परिसमापक या पर्यवेक्षण आदेश के अन्तर्गत चल रहे किसी परिसमापक को कोर्ट हटा सकती है, और हटाए जाने, मृत्यु होने, या इस्तीफे के कारण हुई रिक्ति की पूर्ति कर सकती है। [धारा ५२४ (२)]। कोर्ट उपधारा (१) के अन्तर्गत आफिसियल परिसमापक को

बतौर परिसमापक नियुक्त कर सकती है या उपधारा (२) के अन्तर्गत हुई रिक्ति की पूर्ति कर सकती है। इस दिशा में रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए दरखास्त पर भी कोर्ट परिसमापक की नियुक्ति कर सकती है तथा उसे हटा सकती है। [धारा ५२४ (४)]।

कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए परिसमापक की शक्तियां तथा दायित्व (Powers and obligations of liquidator appointed by court)—धारा ५२४ के अन्तर्गत कोर्ट द्वारा नियुक्त किये गये परिसमापक को वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी तथा वह उन्हीं दायित्वों के अधीन होगा और सभी तरह से उसकी स्थिति वही होगी, मानो वह स्वैच्छिक समापन में परिसमापकों की नियुक्ति के सिलसिले में इस ऐक्ट के उपबन्धों के अनुसार यथाविधि नियुक्त किया गया हो। [धारा ५२५]।

पर्यवेक्षण आदेश का प्रभाव (Effect of supervision order) —कोर्ट द्वारा लागू किए गए किसी निर्बन्धन के अधीन, परिसमापक, कोर्ट की स्वीकृति या हस्तक्षेप के बिना, अपनी सभी शक्तियों को इस्तमोल करेगा, उसी प्रकार मानों कम्पनी का समापन बिलकुल स्वेच्छा से हो रहा हो। चूंकि पर्यवेक्षण के अधीन समापन वास्तव में स्वेच्छा द्वारा समापन को ही जारी करना होता है। इसका यही अर्थ होता है कि जब तक कोर्ट अन्यथा कोई निदेश न दे, परिसमापक उन्हीं शक्तियों को इस्तेमाल करेगा तथा उसे वही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो उसे प्राप्त होते, यदि स्वैच्छिक समापन जारी रहता।

सिवाय जैसा कि ऊपर उपबन्धित है, कोर्ट के पर्यवेक्षण के अधीन समापन के लिए कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश सभी प्रयोजनों के लिए, जिसमें वाद तथा अन्य कार्यवाहियों का (stay) शामिल है, कोर्ट द्वारा कम्पनी के समापन के लिए कोर्ट का आदेश समझा जाएगा, और इससे कोर्ट को परिसमापकों द्वारा की गई मांगों (calls) को प्रवर्तित कराने तथा स्वयं मांग करने तथा अनिवार्य समापन में इस्तेमाल की जा सकने वाली शक्तियों को इस्तेमाल करने का प्राधिकार प्रदत्त होगा। (धारा ५२६)। इसलिए, इससे यह प्रतीत होगा कि वादों तथा कार्यवाहियों के सिलसिले में पर्यवेक्षण के आदेश को, कोर्ट द्वारा कम्पनी के समापन के लिए कोर्ट का आदेश समझा जाएगा।

कुछ परिस्थितियों में परिसमापकों के पद पर स्वैच्छिक परिसमापकों की नियुक्ति (Appointment in certain cases of

Voluntary liquidators to office of liquidators)—जहाँ पर्यवेक्षण के अधीन समापन का आदेश दिया गया हो, तथा बाद में कोर्ट द्वारा समापन का आदेश दिया जाता है, वहाँ कोर्ट किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को, जो उस समय परिसमापक हों, कोर्ट द्वारा समापन में, या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से, आफिसियल परिसमापक के अतिरिक्त, तथा उसके नियन्त्रण के अधीन, परिसमापक या परिसमापकों के रूप में नियुक्त कर सकती है। [धारा ५२७]।

जहाँ कोर्ट के पर्यवेक्षण के अधीन समापन हो रहा हो, कोर्ट को निःसंन्देह समुचित परिस्थितियों में अनिवार्य समापन का निदेश देने की शक्ति प्राप्त है। [*In re Orrell Colliery Co.* (1879) W. N. 106]।

प्रत्येक प्रकार के समापन को लागू होने वाले उपबन्ध

[PROVISIONS APPLICABLE TO EVERY MODE OF WINDING UP]

[धाराएं ५२८—५६०)

प्रमाण तथा दावों का निश्चयन (Proof and ranking of claims) प्रत्येक समापन में आकस्मिकता (contingency) पर देय ऋण तथा कम्पनी के विरुद्ध सभी वर्तमान या भावी, निश्चित या आकस्मिक, सुनिश्चित या केवल हर्जाने के रूप में ध्वनित (sounding only in damages) दावे कम्पनी के विरुद्ध प्रमाण पर स्वीकार्य होंगे। दिवालिया कम्पनियों की सूरत में यह दिवाला संबन्धी कानून के उपबन्धों के अधीन होगा। (धारा ५२८)।

दिवालिया कम्पनियां (Insolvent companies) दिवालिया कम्पनी के समापन में प्रमाण्य ऋणों, वार्षिकियों (annuities provable) के मूल्यांकन (valuation) तथा भावी और आकस्मिक दातव्यों तथा प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत ऋणदाओं के क्रमशः अधिकारों के सिलसिले में ऋणशोध क्षमता अर्थात् दिवाला संबन्धी नियम लागू होंगे। ऐसे व्यक्ति जो ऐसी सूरत में कम्पनी की परिसम्पत् में से डिविडेन्ड प्राप्त करने के अपने अधिकार को प्रमाणित करने के अधिकारी हैं, समापन की कार्यवाही में भाग लेकर अपने दावों को कम्पनी के विरुद्ध प्रमाणित कर सकते हैं। यदि कोई प्रतिभूत ऋणदाता अपनी प्रतिभूति छोड़ देता है और अपने ऋण को प्रमाणित करते हुए उसे वसूल करना चाहता है, तो वह परिसमापक, जिसमें अस्थायी परिसमापक भी, यदि कोई है, शामिल है, द्वारा किए गए उस खर्च का भुगतान करने के लिये जिम्मेदार होगा जो उसने प्रतिभूत ऋण-दाता द्वारा उसकी वसूली से पहिले प्रतिभूति की रक्षार्थ व्यय किया है। (धारा ५३६)। कम्पनी को तब तक दिवालिया समझा जाता है जब तक यह प्रमाणित न किया जाय कि कम्पनी की परिसम्पत् उसके ऋणों के पूर्ण भुगतान के लिए पर्याप्त है।

प्रतिभूत ऋणदाताओं की स्थिति (Position of secured creditors)—यह जरूरी नहीं है कि प्रतिभूत ऋणदाता समापन में अपने ऋण

को प्रमाणित करे। वह अपनी प्रतिभूति पर निर्भर कर सकता है, और विधि के सामान्य क्रम में वह अपने ऋण को वसूल कर सकता है, बशर्ते कि वह कोर्ट द्वारा समापन, या कोर्ट के पर्यवेक्षण के अधीन समापन की सूरत में, कोर्ट की अनुमति प्राप्त कर लेता है। अपनी प्रतिभूति को खत्म करके वह शेष रकम को समापन में प्रमाणित कर सकता है। वह बिना वाद दायर किये हुए भी अपनी प्रतिभूति का मूल्यांकन कर सकता है और ऋण के शेष को प्रमाणित कर सकता है। उसे एक और विकल्प भी प्राप्त है, अर्थात वह पूरी प्रतिभूति को त्याग कर पूरे ऋण को भी प्रमाणित कर सकता है।

अधिमान भुगतान (Preferential Payment)—प्रत्येक समापन में निम्नलिखित का भुगतान सभी अन्य ऋणों से पूर्व किया जायेगा :—

(क) सभी राजस्व, कर, उपकर (cess) तथा स्थानीय कर (rates) जो कंपनी द्वारा केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को सुसंगत (relevant) तारीख पर देय हो गए हों, तथा उस तारीख से पहिले अगले बारह महीनों में देय हो गए हों।

(ख) किसी कर्मचारी का सभी वेतन तथा मजदूरी (जिसमें फुटकर तथा घन्टे के हिसाब से किये गये कार्य की मजदूरी तथा कमीशन के रूप में कमाया गया पूर्ण या आंशिक वेतन शामिल है), जो कम्पनी के लिए की गई सेवाओं के लिए, सुसंगत तारीख से पहिले अगले बारह महीनों में अधिक से अधिक चार महीने के लिये देय हो, तथा इन्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट, १९४७ के अध्याय ५-क के अन्तर्गत किसी श्रमिक को देय प्रतिकर। यह रकम किसी एक दावेदार की सूरत में १००० रु० से अधिक नहीं होगी।

खेती-बाड़ी के श्रमिक की सूरत में जो अवक्रय (hiring) वर्ष के अन्त में अपनी मजूरी के एक भाग को एकमुश्त देने की संविदा के अन्तर्गत रक्खा गया हो, उसे ऐसी कुल धनराशि या उसके किसी भाग के सिलसिले में, जो कोर्ट संविदा के अन्तर्गत देय होना निश्चित करे, सुसंगत (relevant) तारीख तक सेवा की अवधि के अनुपात में पूर्वता प्राप्त होगी;

(ग) किसी कर्मचारी को अवकाश पारिश्रमिक (holiday remuneration) के रूप में या उसकी मृत्यु की सूरत में किसी अन्य व्यक्ति को उसके अधिकार में समापन के आदेश या प्रस्ताव के कारण सेवायोजन की समाप्ति द्वारा या के कारण देय पारिश्रमिक।

(घ) सुसंगत तारीख से पहिले अगले बारह महीने में कंपनी द्वारा किन्हीं व्यक्तियों के नियोजक (employer) के रूप में इम्पलाईज स्टेट इन्शयोरेन्स ऐक्ट, १६४८ या तत्समय लागू किसी अन्य कानून के अन्तर्गत देय अंशदानों के सिलसिले में देय सभी राशियाँ, सिवाय उस सूरत के, जहाँ केवल किसी अन्य कम्पनी के साथ पुनर्निमाण या समामेलन के प्रयोजन के लिये कंपनी का स्वैच्छिक समापन किया जा रहा हो।

(ङ) वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन ऐक्ट, १६२३ के अन्तर्गत कोई प्रतिकर या प्रतिकर के लिए दायित्व, जो कंपनी के किसी कर्मचारी की मृत्यु या अंगहानि (disablement) के लिए कम्पनी द्वारा देय हो, सिवाय उन सूरतों के (१) जहाँ केवल किसी अन्य कम्पनी के साथ पुनर्निमाण तथा समामेलन के प्रयोजन के लिए कंपनी का स्वैच्छिक समापन किया जा रहा हो, या (२) जहाँ वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन ऐक्ट की धारा १४ के अन्तर्गत बीमा करने वालों के साथ कंपनी के संविदात्मक अधिकारों को श्रमिक को हस्तांतरित तथा उनमें निहित किया जा सकता हो,

(च) प्राविडेन्ट फण्ड, पेन्शन फण्ड, ग्रेच्यूटी फण्ड, या कंपनी द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए संधृत (maintained) किसी अन्य फण्ड से किसी कर्मचारी को देय सभी राशियाँ, तथा

(छ) धारा २३५ या धारा २३७ के अन्तर्गत की गई किसी जाँच का खर्च, जहाँ तक यह कंपनी द्वारा देय हो। [धारा ५३० (१ तथा २)]।

उपरोक्त खंड (क) से (छ) में उल्लिखित ऋण आपस में समान रूप से पंक्तिबद्ध होंगे, और इनका पूर्ण भुगतान किया जाएगा, जब तक कि परिसम्पत् पूर्ण भुगतान के लिए अपर्याप्त न हो, जिस सूरत में बराबर अनुपात में उनका अवसान (abatement) हो जाएगा, कंपनी द्वारा डिबेन्चर होल्डर्स के पद में सर्जित चलभार के विरुद्ध इन्हें पूर्वता प्राप्त होगी। उन राशियों को रोक कर जो कंपनी के समापन के व्यय तथा परिव्यय के लिए आवश्यक हों, उपरोक्त ऋण को, जहाँ तक परिसम्पत इसके लिए पर्याप्त हो, तुरन्त अदा किया जाएगा, और जिन ऋणों के लिए उपरोक्त खंड (घ) में पूर्वता प्रदान की गई है, उनके लिए कोई औपचारिक प्रमाण आवश्यक नहीं होगा, सिवाय जहाँ तक अन्यथा विहित (prescribe) न किया जाय। [धारा ५३० (५ तथा ६)]।

इस प्रकार, धारा ५३० उन ऋणों की सूची तैयार करती है जिन्हें साधारण अप्रतिभूत ऋणों की तुलना में अधिमान ऋण समझा जाएगा। कंपनी द्वारा सर्जित चल भार द्वारा प्रतिभूत डिबेन्चर-होल्डर्स के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋणदाताओं के अधिकार ऐक्ट के उपरोक्त उपबन्धों द्वारा प्रभावित नहीं होते।

पूर्व तथा अन्य संव्यवहारों पर समापन का प्रभाव
(Effect of winding up on Antecedent and other Transactions]

कपटपूर्ण अधिमान (Fraudulent preferences)—कंपनी के समापन के प्रारम्भ से छः माह पहिले कंपनी की सम्पत्ति से संबन्धित कंपनी द्वारा या उसके पक्ष या विपक्ष में किसी चल या अचल संपत्ति का हस्तांतरण, वस्तुओं का परिदान, भुगतान, निष्पादन या अन्य कृत्य को, जो यदि दिवाला सबन्धी आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के पहिले तीन महीने की अवधि के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा या उसके पक्ष या विपक्ष में किया, लिया या दिया गया हो और वह व्यक्ति दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, तो यह समझा जायेगा कि यह दिवालियेपन की स्थिति में एक कपटपूर्ण अधिमान था, कंपनी के समापन की सूरत में उसके ऋणदाताओं के प्रति कपटपूर्ण अधिमान होगा और तदनुसार अमान्य होगा।

उपरोक्त प्रयोजनों के लिए कोर्ट द्वारा या कोर्ट के पर्यवक्षण के अधीन समापन की सूरत में, समापन के लिये आवेदन पत्र की प्रस्तुति (presentation) तथा स्वैच्छिक समापन की सूरत में समापन के लिए प्रस्ताव पारित किये जाने को किसी व्यक्ति की सूरत में दिवालियापन के कृत्य के अनुरुप ही एक कृत्य समझा जाएगा (धारा ५३१)।

कपटपूर्ण अधिमान होने के लिए किसी संव्यवहार के विषय में ये बातें प्रमाणित की जानी जरूरी हैं :—(१) कि शिकायत की गई सम्पति से संबन्धित हस्तांतरण, परिदान, भुगतान, निष्पादन या अन्य कृत्य ऐसी कंपनी द्वारा की गई थी जो अपने ऋणों का भुगतान कर सकने में समर्थ नहीं है, क्योंकि यह स्वयं उसके धन से ही देय हो जाता है, (२) कि कोर्ट द्वारा या कोर्ट के पर्यवेक्षण के अधीन समापन की सूरत, तथा स्वैच्छिक समापन के लिए प्रस्ताव पारित किये जाने की सूरत में, आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने के पहिले छः महीने के भीतर संव्यवहार किया गया था, (३) कि कंपनी ने वास्तव में किसी ऋणदाता को अन्य के विपक्ष में अधिमान प्रदान किया था, तथा (४) कि डायरेक्टरों की मार्फत कार्य करती हुई कंपनी के मस्तिष्क में सारवान तथा प्रमुख आशय एक ऋणदाता के विपक्ष में दूसरे को अधिमान प्रदान करना था।

स्वैच्छिक हस्तांतरण का परिहार (Avoidance of voluntary transfer)—किसी कम्पनी द्वारा किया गया ऐसा चल या अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण, या कि वस्तु का परिदान, जो उसके कारोबार के सामान्य क्रम में

या किसी क्रेता या भारधारी (encumbrancer) के पक्ष में मूल्यवान प्रतिफल सहित सद्भावना से किया गया हस्तांतरण या परिदान नहीं है, यदि इसे कोर्ट द्वारा या कोर्ट के पर्यवेक्षण के अधीन समापन या स्वैच्छिक समापन के लिए प्रस्ताव पारित किए जाने की सूरत में, समापन के लिए आवेदन-पत्र दिए जाने के पहिले एक वर्ष के भीतर किया गया है, तो यह परिसमापक के विरुद्ध शून्य होगा। [धारा ५३१-ए]

सभी ऋणदाताओं के फायदे के लिए हस्तांतरण शून्य होंगे (Transfers for benefit of all creditors to be void):—किसी कम्पनी द्वारा अपने सभी ऋणदाताओं के फायदे के लिए न्यासधारियों के पक्ष में अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का हस्तांतरण या अभिहस्तांकन शून्य होगा। [धारा ५३२]।

चल भार (Floating charge):- समापन के प्रारम्भ के तुरन्त पिछले १२ महीनों में कम्पनी पर सर्जित कोई चल भार, जब तक कि यह न प्रमाणित किया जाय कि भार के सर्जन के तुरन्त पहिले कम्पनी ठोस थी, अर्थात् दिवालिया नहीं थी, अमान्य होगा, सिवाय उस नगद राशि के जो कम्पनी को भार के प्रतिफलार्थ भुगतान किया गया हो तथा ५ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से व्याज सहित या ऐसे दर से व्याज सहित, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजकीय गजट में अधिसूचित किया जाय। [धारा ५३४]।

इस धारा का उद्देश्य ऐसी कम्पनियों द्वारा पूर्व ऋणों को प्रतिभूत करने के लिए चल भार सर्जित करने से रोकना है जो दिवालिया होने ही वाली हैं। यदि यह प्रमाणित किया जाता है कि चल भार सर्जित किए जाने के बाद कम्पनी ठोस थी, तो यह धारा नहीं लागू होगी। यह धारा चल भार सर्जित किए जाने के समय कम्पनी को भुगतान की गई राशि के सिलसिले में चल भार की रक्षा भी करती हैं।

कष्टदायक सम्पत्ति का स्वत्व त्याग (Disclaimer of onerous property):—कोर्ट की अनुमति से, परिसमापक कम्पनी को किसी ऐसी सम्पत्ति, जो किसी धारणाधिकार की भूमि हो और कष्टदायक प्रसंविदाओं द्वारा ग्रसित हो, या शेयर्स या स्टाक इन कम्पनीज या अविक्रेय या सरलता से न विक्रेय सम्पत्ति या अलाभकारी संविदाओं, के स्वत्व का त्याग कर सकता है, इस बात के वावजूद भी कि उसने बेचने का प्रयास किया है या सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है या उसके संबंध में स्वामित्व के किसी कृत्य का प्रयोग किया है।

स्वत्व का यह त्याग समापन के आरम्भ के बारह महीने या ऐसी अधिक अवधि के भीतर किया जाना चाहिए जिसकी अनुमति कोर्ट दे, लेकिन जहाँ परिसमापक को ऐसी सम्पत्ति की जानकारी समापन के आरम्भ से एक महीने के भीतर न हुई हो, जानकारी होने के बाद बारह महीने या ऐसी अधिक अवधि के भीतर जिसकी अनुमति कोर्ट दे स्वत्व के त्याग के अधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा।

त्याग की तारीख से स्वत्व का त्याग कम्पनी, तथा उसकी सम्पत्ति, या त्याग की गई सम्पत्ति के सिलसिले में अधिकारों, हितों तथा दायित्वों के अवधारण (determination) के रूप में प्रवर्तित होगा, लेकिन इससे किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों या दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्वत्व के त्याग की अनुमति देने से पूर्व, कोर्ट हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस दिया जाना अपेक्षित कर सकती है या अनुमति दिए जाने के लिए कोई अन्य शर्त लागू कर सकती है जो वह न्यायोचित समझे। [धारा ५३५]।

यह धारा परिसमापक को, कोर्ट की अनुमति से, ऐसी सम्पत्ति से, छुटकारा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है जो कष्टदायक हो जिससे कि कम्पनी को हानि से बचाया जा सके। स्वत्व के त्याग से तीसरे पक्षकारों के अधिकारों तथा दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

अपकरण के सिलसिले में कार्यवाही (Misfeasance proceedings)—यदि किसी कम्पनी के समापन के दौरान में, यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति, जिसने किसी कम्पनी की स्थापना या प्रमोशन में भाग लिया है, या भूतपूर्व या वर्तमान डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स, मैनेजर, परिसमापक या कम्पनी के अधिकारी ने (क) कम्पनी की किसी सम्पत्ति का दुरुपयोग किया है, या उसे रोक लिया है, या वह कम्पनी के किसी धन या सम्पत्ति के लिये देनदार या उत्तरदायी हो गया है, या (ख) वह कम्पनी के सम्बन्ध में किसी अपकरण या न्यास-भंग का दोषी है, तो कोर्ट, आफिसियल परिसमापक, समापक या किसी ऋणदाता या अंशदाता द्वारा समापन के आदेश, या समापन में परिसमापक की पहिली नियुक्ति, या दुरुपयोग रोके जाने, अपकरण या न्यास-भंग, जैसी भी स्थिति हो, के पाँच वर्ष के भीतर आवेदन-पत्र दिये जाने पर, उपरोक्त व्यक्ति, डायरेक्टर, मैनेजिङ्ग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स, मैनेजर, परिसमापक के आचरण की जाँच करेगी तथा उसे उक्त धन या सम्पत्ति, या उसके किसी भाग को, वापस या भुगतान करने के लिए ऐसी दर पर ब्याज सहित, जो कोर्ट उचित समझे, या दुरुपयोग, रोके जाने, अपकरण या न्यास-भंग के सिलसिले में बतौर प्रतिकर के कम्पनी की परिसम्पत् में ऐसी राशि, जो कोर्ट उचित समझे, अंशदान करने के

लिए विवश कर सकेगी। उपरोक्त उपबन्ध इस बात के बावजूद भी लागू होंगे कि मामला ऐसा है जिसमें सम्बद्ध व्यक्ति आपराधिक रूप से उत्तरदायी हो। (धारा ५४३)।

इस धारा में परिसमापक द्वारा कम्पनी के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स या अन्य अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग की गई कम्पनी की परिसम्पत् को प्रत्युद्धृत (recover) करने की संक्षिप्त प्रक्रिया निर्धारित की गई है। परिसमापक, अंशदाता या ऋणदाता द्वारा दी जाने वाली दरखास्त इन आधारों पर दी जा सकती है—न्यास-भंग, प्रमोटर, डायरेक्टर या कम्पनी के अधिकारी द्वारा अपकरण, तथा उससे होने वाली हानि। अपकरण का अर्थ है किसी वैधकृत्य का अनुचित पालन—कम्पनी के प्रति कर्तव्य भंग, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम उसकी परिसम्पत का दुरुपयोग हो। *In re.* Coventry & Dixon's Case, 14 Ch. D. 660 में जेम्स, एल० जे० के अनुसार : यह एक प्रकार का न्यास-भंग होता है, अर्थात् कम्पनी के किसी अधिकारी ने कम्पनी के धन को अपने हाथ में रख लिया हो, या उसने उसका दुरुपयोग किया हो, या कम्पनी की सम्पत्ति को नष्ट किया हो, या कम्पनी की साख को अनुचित रूप से गहन रख दिया हो।

कम्पनी के अपचारी अधिकारियों तथा सदस्यों के विरुद्ध अभियोजन (Prosecution of delinquent officers and members of the company)—यदि कोर्ट द्वारा उसके पर्यवेक्षण के अधीन समापन के दौरान में, कोर्ट को प्रतीत हो कि कंपनी का कोई भूतपूर्व या वर्तमान अधिकारी, या कोई सदस्य, कंपनी के सिलसिले में किसी अपराध का दोषी है, तो कोर्ट, समापन में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा दरख्वास्त दिये जाने पर, या स्वयं अपनी ओर से, परिसमापक को निदेश दे सकेगी कि वह स्वयं उसे अभियोजित करे, या मामले को रजिस्ट्रार के पास भेजे। [धारा ५४५ (१)]।

यदि समापन की कार्यवाही के दौरान में परिसमापक को भी ऐसी ही बातें प्रतीत हों, तो वह तुरन्त इसकी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को भेजेगा तथा ऐसी सूचना तथा पुस्तकें तथा कागजात रजिस्ट्रार को उपलब्ध करेगा, जैसा कि वह अपेक्षित करे। [धारा ५४५ (२)]।

जब ऐसी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को की जायेगी, तो वह मामले को और अधिक जाँच के लिये केन्द्रीय सरकार के पास भेज सकेगा। तब केन्द्रीय सरकार मामले की जाँच करेगी और कोर्ट को ऐसा आदेश प्रदान करने के लिये दरख्वास्त दे सकेगी कि किसी नामादिष्ट (designated) व्यक्ति को ऐसी सभी शक्तियाँ प्रदान की

जाँय, जो कंपनी के मामलात में जाँच करने के लिये, कोर्ट द्वारा समापन की सूरत में, ऐक्ट द्वारा उपबन्धित हैं। [धारा ५४५ (३)]।

यदि रिपोर्ट प्राप्त करने पर रजिस्ट्रार को यह प्रतीत हो कि मामला ऐसा नहीं है जिसमें उसके लिये कार्यवाही करना जरूरी हो, तो वह परिसमापक को तदनुसार सूचित करेगा, और तब कोर्ट की पूर्वस्वीकृति के अधीन, परिसमापक स्वयं अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा। [धारा ५५४ (४)]।

यदि स्वैच्छिक समापन के दौरान, कोर्ट को प्रतीत होता है कि कंपनी का कोई भूतपूर्व या वर्तमान अधिकारी, या कोई सदस्य, उपरोक्त ढंग से दोषी है, और इस सिलसिले में परिसमापक द्वारा रजिस्ट्रार को कोई रिपोर्ट नहीं की गई है, तो कोर्ट समापन में हितबद्ध किसी व्यक्ति की दरख्वास्त पर या स्वयं अपनी ओर से, परिसमापक को ऐसी रिपोर्ट करने के लिये निदेश दे सकेगी। [धारा ५४५ (५)]।

यदि रजिस्ट्रार को प्रतीत होता है कि उसको रिपोर्ट या निदेशित किए गए किसी मामले में अभियोजन चलाया जाना चाहिए, तो वह मामले की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजेगा, जो, ऐसी कानूनी सलाह प्राप्त करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, रजिस्ट्रार को कार्यवाही करने के लिए निदेश दे सकेगी। ऐसी सूरत में रजिस्ट्रार तब तक रिपोर्ट नहीं करेगा जब तक उसने पहिले अभियुक्त व्यक्ति को उसके सामने लिखित वक्तव्य दाखिल करने तथा उस पर सुनने का अवसर न प्रदान किया हो। (धारा ५४५ (६)।

परिसमापक तथा कम्पनी के प्रत्येक अधिकारी तथा एजेन्ट भूतपूर्व तथा वर्तमान (उनके अतिरिक्त जो प्रतिवादी हैं) का यह कर्तव्य होगा कि अभियोजन के संबंध में वह सभी सहायता प्रदान करें जो वे युक्तिसंगत रूप में देने में समर्थ हों [धारा ५४५ (७)]।

विविध उपबन्ध

(Miscellaneous Provisions)

परिसमापक की शक्तियां स्वीकृति के अधीन होंगी (Powers of liquidators subject to sanction)—कोर्ट की स्वीकृति से, जब कम्पनी का समापन कोर्ट के आदेश द्वारा या के पर्यवेक्षण के अधीन हो रहा हो, तथा कम्पनी के विशेष प्रस्ताव की स्वीकृति से, जब स्वैच्छिक समापन हो रहा हो, परिसमापक (१) ऋणदाताओं के किसी वर्ग को पूर्ण भुगतान कर

सकता है; (२) ऋणदाताओं या ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई समझौता या व्यवस्था कर सकता है जो ऋणदाता होने का दावा करते हों, या कहते हों कि उनका कोई दावा है, वर्तमान या भावी, निश्चित या आकस्मिक, सुनिश्चित या क्षतिपूर्ति का ध्वनि मात्र; (३) किसी याचना (call) या याचना के दायित्व, ऋण तथा दायित्व जो ऋण का रूप धारण करने के लिए सक्षम हो, तथा किसी दावे, वर्तमान या भावी, निश्चित या आकस्मिक, सुनिश्चित या क्षतिपूर्ति की ध्वनि-मात्र, जो कम्पनी तथा किसी अंशदाता या कथित अंशदाता के बीच अस्तित्वशील हो, के विषय में ऐसी शर्तों पर कोई समझौता कर सकता हो, जो इकरार किया जाय।

स्वैच्छिक समापन की सूरत में, परिसमापक द्वारा उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग कोर्ट के नियन्त्रण के अधीन किया जाएगा।

इस बात की विज्ञप्ति कि कम्पनी का समापन हो रहा है (Notification that a company is in liquidation)—जब किसी कंपनी का समापन हो रहा हो तो कम्पनी या कम्पनी के परिसमापक या कम्पनी की सम्पत्ति के रिसीवर या मैनेजर द्वारा या इनकी तरफ से जारी किए गए प्रत्येक इन्वायस, माल के आर्डर, या व्यापारिक पत्र पर जिसमें कम्पनी का नाम हो यह वक्तव्य लिखा जाएगा कि कम्पनी का समापन हो रहा है। (धारा ५४७)।

कम्पनी की पुस्तकों तथा कागजात का निबटारा (Disposal of books and papers of company)—जब कम्पनी का पूर्ण समापन हो गया हो और विघटन होने वाला हो, तो उसकी तथा परिसमापक की पुस्तकों का निबटारा निम्न प्रकार होगा :—

(क) कोर्ट द्वारा या के पर्यवेक्षण के अधीन समापन की सूरत में, उस प्रकार जैसा कि कोर्ट निदेश दे;

(ख) सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन की सूरत में, उस प्रकार जैसा कि कंपनी विशेष प्रस्ताव द्वारा निदेश दे ; तथा

(ग) ऋणदाताओं द्वारा स्वैच्छिक समापन की सूरत में, उस प्रकार जैसा कि कमेटी आफ इन्सपेक्शन या, यदि ऐसी कमेटी नहीं है, जैसा कि कंपनी के ऋणदाता निदेश दे ।

कंपनी के विघटन से पाँच वष की अवधि की समाप्ति के बाद कंपनी, परिसमापक, या किसी ऐसे व्यक्ति पर, जिसे पुस्तकें तथा कागजात सुपुर्द किए गए हों, कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी यदि उनमें हितबद्ध कोई व्यक्ति उनका दावा करता है और वे पुस्तकें या कागजात नहीं मिलते। (धारा ५५०)।

चल रहे समापनों के विषय में सूचना (Information as to pending liquidation)—यदि शुरू होने के समय से एक वर्ष के भीतर किसी कंपनी का समापन समाप्त नहीं होता तो परिसमापक, जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा करने से पूर्ण या आंशिक रूप से विमुक्त न कर दिया गया हो, ऐसे वर्ष की समाप्ति से दो महीने के भीतर तथा उसके बाद बराबर जब तक समापन समाप्त न हो जाय, एक वर्ष की अवधि या ऐसी कम अवधि, यदि कोई हो, जैसा निर्धारित किया जाय, से अधिक अन्तर के बिना, निर्धारित प्रपत्र में निम्नलिखित के सिलसिले में निर्धारित विवरण सहित समापन की कार्यवाही तथा स्थिति का एक स्टेटमेन्ट दाखिल करेगा जिसके विवरण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आडिट कराकर उल्लिखित किये जाँयगे जो कंपनी के आडिटर के रूप में कार्य करने के लिए अर्हतावान हों—(क) कोर्ट द्वारा या के पर्यवेक्षण के अधीन समापन की सूरत में, कोर्ट में; तथा (ख) स्वैच्छिक समापन की सूरत में, रजिस्ट्रार के पास, लेकिन जहाँ धारा ४६२ के उपबन्ध (कोर्ट के निदेश के अन्तर्गत परिसमापक के लेखों का आडिट) लागू होते हों वहाँ उपरोक्त आडिट आवश्यक नहीं होगा।

जहाँ स्टेटमेन्ट कोर्ट में दाखिल किया जाता है, वहाँ साथ ही एक प्रति रजिस्ट्रार के पास भी दाखिल की जाएगी और रजिस्ट्रार इसे भी कंपनी के अन्य कागजात के साथ रक्खेगा।

लिखित रूप में अपने को कंपनी का ऋणदाता या अंशदाता कहने वाला कोई व्यक्ति निर्धारित फीस का भुगतान करके स्टेटमेन्ट का मुआयना कर सकेगा, उसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकेगा तथा उसमें से उद्धरण प्राप्त कर सकेगा। (धारा ३५१)।

स्वामिहीनत्व का सिद्धान्त

(Doctrine of Bona Vacantia)

स्वामिहीनत्व का सिद्धान्त (Doctrine of bona vacantia)—स्वामिहीनत्व के सिद्धान्त को सभ्य संसार की सभी वैधिक प्रणालियों द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह उन वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है जिनका कोई प्रत्यक्ष स्वामी नहीं है, अर्थात् जिसमें किंग के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति सम्पत्ति का दावा नहीं करता। प्राचीन रोम में, जब भी कोई व्यक्ति इच्छापत्रहीन बिना कोई वारिस छोड़े मर जाता था, तो उसकी सम्पत्ति का अवसान क्राउन के पक्ष में हो जाता था।

इंग्लिश कानून में इस सिद्धान्त का सामन्ती उद्भव (feudal origin) है। ब्लैक स्टोन ने इसकी परिभाषा इन शब्दों में में की है :—"goods in which no one else can claim a property" अर्थात् वस्तुएं जिनमें कोई अन्य व्यक्ति सम्पत्ति का दावा नहीं कर सकता। अभिव्यक्ति "वस्तुओं" का यहाँ उन वस्तुओं से बृहत महत्व है जो साधारणतया समझा जाता है। अदालतें यह मानती आई हैं कि इसमें सभी प्रकार की स्थावर सम्पत्ति या वास्तविक सम्पत्ति (real property) मूर्त तथा अमूर्त (corporeal property) तथा वैयक्तिक साम्यिक हित भी शामिल हैं।

इस सिद्धान्त को, यद्यपि यह स्थावर सम्पत्ति से संबन्धित इंग्लिश कानून का एक विशेष स्वरूप है, कम्पनीज ऐक्ट के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों में लागू किया गया है। In re Higginson and Dean, (1899) 1 Q. B. 325) में यह निर्धारित किया गया था कि जहाँ किसी कम्पनी को विघटित किया जाता है, वहाँ उसकी वैयक्तिक सम्पदा तथा ऋणों के सिलसिले में दिवालिया सम्पदा के विरुद्ध उसके अधिकार स्वामीहीनत्व के अनुसार क्राउन में निहित हो जाते हैं। In re Henderson's Nigel & Co. Ltd. (1911) 105 L. T. 370 में यह निर्धारित किया गया था कि जहाँ कम्पनी विघटित हो गई हो, अतिरेक के रूप में परिसमापक के हाथ में होने वाली सम्पत्ति क्राउन द्वारा ले ली जाती है, जब तक कि कोई सक्षम व्यक्ति विघटन को हटाए जाने के लिए दरखास्त न दे।

इन्डियन कम्पनी ऐक्ट, १९५६ की धारा ५५५ में इस सिद्धान्त का संदर्भ है, जो अस्वामिक डिविडेन्ड (unclaimed dividend) तथा अवितरित परिसम्पत (undistributed assets) को कम्पनी के परिसमापन लेखे (Companies Liquidation Account) में भुगतान किए जाने का उपबन्ध करती है। यह निर्धारित करती है कि जहाँ किसी कम्पनी का समापन हो रहा हो, यदि परिसमापक में हाथों या नियंत्रण के अधीन किसी ऋणदाता को देय अस्वामिक डिविडेन्ड या किसी अंशदाता को प्रतिदेय अवितरित परिसम्पत के रूप में कोई धन हो, जो घोषित किए जाने या प्रतिदेय हो जाने की तारीख से छः माह तक अस्वामिक या प्रतिदेय रह गया है, तो वह तुरन्त उक्त धन को रिजर्व बैंक के "भारत के सार्वजनिक लेखे" (Public Account of India) के एक पृथक लेखे में भुगतान कर देगा जिसे Companies Liquidation Account या (कम्पनियों का परिसमापन लेखा) कहा जाएगा। इसी प्रकार, कम्पनी के विघटन पर, उक्त खाते में विघटन की तारीख पर उसके हाथों में होने वाले अस्वामिक तथा अवितरित परिसम्पत का

प्रतिनिधित्व करने वाले धन का भुगतान परिसमापक करेगा। Companies Liquidation Account में भुगतान किए गए धन के लिए दावा करने का हकदार व्यक्ति कोर्ट को उक्त धन उसे भुगतान किए जाने के आदेश के लिए दरख्वास्त दे सकता है, और यदि कोर्ट इस बात से सन्तुष्ट हो कि वह व्यक्ति वास्तव में हकदार है, तो वह उक्त देय धन को उसे भुगतान किए जाने का आदेश दे सकेगी। कोर्ट को दरख्वास्त देने के बजाय दावेदार केन्द्रीय सरकार को भी इस बात के लिए दरख्वास्त दे सकता है, और यदि केन्द्रीय सरकार, परिसमापक या आफिशियल परिसमापक के प्रमाण-पत्र पर या अन्यथा सन्तुष्ट हो कि दावेदार दावा किए गए धन को प्राप्त करने का हकदार है और इस संबन्ध में कोर्ट में कोई दरख्वास्त नहीं चल रही है, तो प्रतिभूति लेकर, जैसा वह उचित समझे, उक्त धन उसे भुगतान किए जाने का आदेश दे सकेगी। Companies Liquidation Account में भुगतान किए गए धन को, जो १५ वर्ष की अवधि तक अस्वामिक रह गया हो, केन्द्रीय सरकार के जनरल रेवेन्यू अकाउन्ट में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, लेकिन इस प्रकार हस्तांतरित किए गए किसी धन के सिलसिले में कोई दावा केन्द्रीय सरकार से किया जा सकेगा।

यदि कोई परिसमापक ऐसी धनराशि को अपने पास रखता है जिसका भुगतान उसे इस धारा के अन्तर्गत Companies Liquidation Account में कर देना चाहिए था, तो वह (क) रक्खी गई धनराशि पर १२ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज तथा ऐसे दंड का भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसा कि रजिस्ट्रार निर्धारित करे, बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार किसी समुचित परिस्थिति में ऐसे ब्याज के कुल या उसके किसी भाग को माफ कर सकती है, (ख) अपनी चूक के कारण हुए किसी खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा; तथा जहाँ समापन कोर्ट द्वारा या के पर्यवेक्षण के अधीन हो उसके पारिश्रमिक के कुल या किसी भाग को, जैसा कोर्ट उचित समझे, कोर्ट द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा तथा कोर्ट द्वारा अपने पद से हटाया भी जा सकेगा। (धारा ५५५)।

कोर्ट की अनुपूरक शक्तियां

(Supplementary Powers of Court)

ऋणदाताओं या अंशदाताओं की इच्छा सुनिश्चित करने के लिए मीटिंग (Meeting to ascertain wishes of creditors or contributories)—कम्पनी के समापन संबंधी सभी विषयों पर, कोर्ट (क) कम्पनी के ऋणदाताओं तथा अंशदाताओं की इच्छाओं का ख्याल रक्खेगी जैसा कि पर्याप्त

साक्ष्य द्वारा उसके समक्ष प्रमाणित किया गया हो; (ख) यदि इन इच्छाओं को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए ठीक समझती है, ऋणदाताओं या अंशदाताओं की मीटिंग बुलाए जाने के लिए निदेश दे सकती है जो जिस प्रकार कोर्ट निदेश दे उस प्रकार की तथा संचालित की जाएगी; तथा (ग) किसी व्यक्ति को ऐसी मीटिंग के चैयरमैन के रूप में कार्य करने तथा परिणाम की रिपोर्ट कोर्ट को देने के लिए नियुक्त कर सकती है। ऋणदाताओं की इच्छा सुनिश्चित करते समय प्रत्येक ऋणदाता के ऋण के मूल्य को ध्यान में रक्खा जाएगा।

अंशदाताओं की इच्छा सुनिश्चित करते समय प्रत्येक अंशदाता द्वारा दिए जाने वाले मतों की संख्या को ध्यान में रक्खा जायेगा। (धारा ५५७)।

विघटन संबंधी उपबन्ध

(Provisions as to Dissolution)

कम्पनी के विघटन को शून्य घोषित करने की कोर्ट की शक्ति (Power of court to declare dissolution of company void)—

जहाँ कम्पनी विघटित कर दी गयी हो, समापन संबंधी भाग ७ के उपबन्धों या धारा ३६४ (कम्पनियों के पुनर्निमाण तथा समामेलन संबंधी उपबन्ध) के अनुसार या अन्यथा, विघटन से दो वर्ष के भीतर किसी भी समय, कम्पनी के परिसमापक या किसी ऐसे व्यक्ति की दरखास्त जो कोर्ट को हितबद्ध प्रतीत हो, कोर्ट, ऐसे निबन्धनों तथा ऐसी शर्तों पर जैसा कोर्ट उचित समझे, विघटन को शून्य घोषित करते हुए आदेश पारित कर सकती है और तब ऐसी कार्यवाही की जा सकती है मानों कम्पनी विघटित नहीं हुयी हो। ऐसा आदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति ऐसे आदेश के २१ दिन के भीतर, या ऐसे अधिक समय के भीतर जिसके लिए कोर्ट अनुमति प्रदान करे, आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के पास दाखिल करेगा जो उसे रजिस्टर्ड करेगा। (धारा ५५६)

धारा ५५६ या तो परिसमापक या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इस प्रयोजन के लिए कम्पनी के विघटन के दो वर्ष भीतर दी गयी दरखास्त पर कम्पनी के विघटन को समाप्त करने की शक्ति प्रदान करती है। इस धारा के अन्तर्गत कोर्ट अपने विवेक का इस्तेमाल कपट के आरोप तथा प्रमाण पर कर सकती है।

निष्क्रिय कम्पनी का नाम रजिस्टर में से निकाल देने की रजिस्ट्रार की शक्ति (Power of Registrar to strike defunct

Company off Register):—जहाँ रजिस्ट्रार को यह विश्वास करने का युक्तिसंगत कारण हो कि कोई कम्पनी कारोबार नहीं कर रही है या चल रही है, वहाँ वह ऐसी कम्पनी को यह पूछते हुए एक पत्र पोस्ट करेगा कि कम्पनी अपना कारोबार कर रही है या चल रही या नहीं। यदि पत्र पोस्ट किए जाने के एक महीने के भीतर रजिस्ट्रार अपने पत्र का कोई उत्तर नहीं प्राप्त करता, तो एक महीने की इस अवधि की समाप्ति से चौदह दिन के भीतर वह कम्पनी को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा एक पत्र पिछले पत्र का हवाला देते हुए तथा यह कहते हुए भेजेगा कि उसका कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है, और यदि दूसरे पत्र का भी कोई उत्तर उसे पोस्ट किए जाने के एक महीने के भीतर नहीं प्राप्त होता तो कम्पनी का नाम रजिस्टर में से निकाल देने के आशय से एक नोटिस आफिशियल गजट में प्रकाशित की जाएगी।

यदि रजिस्ट्रार या तो कम्पनी से इस आशय का पत्र प्राप्त करे कि वह कारोबार नहीं कर रही है या नहीं चल रही है, या दूसरा पत्र भेजने के एक महीने के भीतर कोई उत्तर नहीं प्राप्त करता तो वह कम्पनी को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा इस आशय की एक नोटिस भेजेगा कि इस नोटिस की तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर कम्पनी का नाम रजिस्टर में से, जब तक कोई प्रतिकूल कारण न दिखाया जाये, निकाल दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

यदि, ऐसी सूरत में जहाँ किसी कम्पनी का समापन हो रहा हो, रजिस्ट्रार को यह विश्वास करने का युक्तिसंगत कारण हो कि या तो कोई परिसमापक कार्य नहीं कर रहा है, या कि कम्पनी के कारोबार का पूर्ण रूप से समापन हो गया है, तथा परिसमापक द्वारा दिए जाने वाले कोई रिटर्न्स लगातार छः महीने तक नहीं दिए गए हैं, वह उपरोक्त नोटिस के ही समान एक नोटिस आफिसियल गजट में प्रकाशित करेगा तथा कम्पनी या परिसमापक, यदि कोई हो, को भेजेगा।

उपरोक्त नोटिस में उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर, जब तक प्रतिकूल कारण कम्पनी द्वारा पहिले न दिखाया जाय, रजिस्ट्रार कम्पनी का नाम रजिस्टर में से निकाल देगा; और आफिसियल गजट में इस नोटिस के प्रकाशन पर कम्पनी विघटित हो जाएगी, बशर्ते कि (क) प्रत्येक डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेट्रीज तथा ट्रेजरार्स, मैनेजर या प्रबन्धक की शक्ति का प्रयोग करने वाले अन्य अधिकारी तथा कम्पनी के प्रत्येक सदस्य का दायित्व, यदि कोई हो, इस प्रकार चालू रहेगा तथा उसे प्रवर्तित (enforce) कराया जा सकेगा मानों

कम्पनी का विघटन न हुआ हो; तथा (ख) ऐसी कम्पनी का समापन करने की कोर्ट की शक्ति पर, जिसका नाम रजिस्टर में से निकाल दिया गया है, उपरोक्त किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यदि कोई कम्पनी, या उसका कोई सदस्य या ऋणदाता, कम्पनी का नाम रजिस्टर में से निकाल दिए जाने के कारण परिवेदित (aggrieved) महसूस करता हो, तो उपरोक्त नोटिस आफिसियल गजट में प्रकाशित होने से बीस वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व कम्पनी, सदस्य या ऋणदाता द्वारा दी गयी दरखास्त पर, यदि कोर्ट इस बात से सन्तुष्ट हो कि रजिस्टर में से नाम निकाले जाने के समय कम्पनी कारोबार कर रही थी या चल रही थी या अन्यथा कि यह न्यायोचित होगा कि कम्पनी का नाम रजिस्टर में चढ़ा दिया जाय, यह आदेश देगी कि कम्पनी का नाम रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाय, और कोर्ट इसी आदेश द्वारा ऐसे निदेश देगी तथा ऐसा प्राविधान करेगी जो कम्पनी तथा अन्य सभी व्यक्तियों को उसी स्थिति में जितना निकटतम हो सके, लाने के लिए न्यायोचित हो जिसमें वे होते यदि कम्पनी का नाम न काट दिया गया होता। उपरोक्त आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार को परिदत्त किए जाने पर, कम्पनी अस्तित्वशील समझी जायेगी मानो उसका नाम रजिस्टर में से नहीं काटा गया था। (धारा ५६०]।

भाग ८ तथा ९

अध्याय २७

किसी पूर्व कानून के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कम्पनियां तथा ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए प्राधिकृत कम्पनियां

(COMPANIES REGISTERED UNDER PREVIOUS LAWS AND COMPANIES AUTHORIED TO REGISTER UNDER THE ACT)

(धाराएँ ५६१—५८१)

भाग ८ किसी पूर्व कानून के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कम्पनियों को यह ऐक्ट लागू होने के विषय में है।

भाग ९ उन कम्पनियों के विषय में है जो (भारतीय) कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए प्राधिकृत है। इसकी परिभाषा के अनुसार ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी ऐसी कम्पनी होती है जिसके पास शेयर्स के रूप में विभाजित एक निश्चित धनराशि की स्थायी पेड-अप या नोमिनल शेयर कैपिटल तथा निश्चित धनराशि के रूप में भी जो बतौर स्टाक धृत तथा हस्तान्तरणीय हों, या आंशिक रूप से एक रूप में तथा आंशिक रूप से दूसरे रूप में विभाजित या धृत होता है, तथा जो इस सिद्धान्त पर निर्मित की गई होती है कि उन शेयर्स या स्टाक के धारक ही उसके सदस्य होंगे तथा कोई अन्य व्यक्ति सदस्य नहीं होगा। ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियों के अतिरिक्त अन्य कम्पनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए अपेक्षित बातों का जिक्र भी इस अध्याय में किया गया है।

भाग १०

अध्याय २८

गैर-रजिस्टर्ड कम्पनियों का समापन

[WINDING UP OF UNREGISTERED COMPANIES]

[धाराएं ५८२—५९०]

गैर रजिस्टर्ड कम्पनी का अर्थ (Meaning of unregistered company)—निबन्धन "गैर-रजिस्टर्ड" कम्पनी में, जैसा कि धारा ५८२ में परिभाषित है, ऐसी भागीदारी, संघटन या कम्पनी शामिल है, जिसके सदस्यों की संख्या, जब कि भागीदारी संघटन या कम्पनी, जैसी भी स्थिति हो, के समापन के लिये कोर्ट को आवेदन-पत्र दिया गया था तब सात से अधिक थी। इसका यह अर्थ है, कि यदि किसी कम्पनी या संघटन में सदस्यों की संख्या सात से कम है तो इसे गैररजिस्टर्ड कम्पनी नहीं समझा जाएगा।

निम्नलिखित गैर-रजिस्टर्ड कम्पनियाँ नहीं हैं :—

(१) किसी पार्लियामेन्ट के ऐक्ट या किसी अन्य भारतीय कानून या यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेन्ट के ऐक्ट के अन्तर्गत निगमित कोई रेलवे कम्पनी;

(२) (भारतीय) कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कोई कम्पनी; या

(३) किसी पूर्व कम्पनी लॉ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कोई कम्पनी जो ऐसी कम्पनी नहीं है जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय, उस देश का भारत से पृथक्करण के तत्काल पूर्व, बर्मा, अदन या पकिस्तान में स्थित था।

गैर रजिस्टर्ड कम्पनियों का समापन (Winding up of unregistered companies) :—ऐक्ट की धारा ५८२ यह उपबन्ध करती है कि किसी गैर-रजिस्टर्ड कम्पनी का समापन किया जा सकता है, तथा समापन से संबन्धित ऐक्ट के अन्तर्गत सभी उपबन्ध गैर-रजिस्टर्ड कम्पनी को निम्नलिखित अपवादों तथा वृद्धियों सहित लागू होंगे,

१—यह निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए कि समापन के मामले में किस कोर्ट को अधिकार-क्षेत्र प्राप्त है किसी गैर-रजिस्टर्ड कम्पनी को उस राज्य में रजिस्टर्ड

समझा जाएगा जहाँ उसके कारोबार का प्रमुख स्थान स्थित हो, या यदि इसके कारोबार का प्रमुख स्थान एक से अधिक राज्यों में है, उस प्रत्येक राज्य में जहाँ उसके कारोबार का प्रमुख स्थान हो; तथा कारोबार के ऐसे प्रमुख स्थान को जो उस राज्य में स्थित है जहाँ कार्यवाही प्रतिस्थापित की जा रही है, समापन के सभी प्रयोजनों के लिए कम्पनी का रजिस्टर्ड कार्यालय समझा जाएगा।

२. समापन का तरीका (Mode of winding up)— ऐक्ट के अन्तर्गत किसी गैर-रजिस्टर्ड कम्पनी को समापन स्वैच्छिक रूप से या कोर्ट के पर्यवेक्षण के अधीन नहीं किया जाएगा, इसका समापन केवल कोर्ट द्वारा ही किया जा सकेगा, अर्थात् अनिवार्य रूप से।

३. परिस्थितियां जब किसी गैर-रजिस्टर्ड कम्पनी का समापन किया जा सकेगा (Circumstances when an unregistered company may be wound up)—निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी गैर-रजिस्टर्ड कम्पनी का समापन किया जा सकता है: (क) यदि कम्पनी विघटित हो गई है, या उसने कारोबार बन्द कर दिया है, या वह केवल अपने कारोबार के समापन के लिए ही व्यापार कर रही हो, (ख) यदि कम्पनी अपने ऋणों का भुगतान करने में समर्थ न हो, (ग) यदि कोर्ट का मत हो कि यह न्यायोचित तथा साम्यपूर्ण होगा कि कम्पनी का समापन कर दिया जाय।

४. कम्पनी को अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ उन्हीं आधारों पर समझा जाएगा जो धारा ४३४ में उल्लिखित हैं तथा इन आधारों के अतिरिक्त और आधारों पर भी जो निम्न प्रकार हैं :—

(१) यदि कम्पनी द्वारा किसी ऋणदाता को उस समय ५०० रु० से अधिक राशि देय है और उसने इस राशि के भुगतान के लिए माँग की नोटिस कम्पनी पर तामील कर दी है, और नोटिस तामील होने के बाद तीन सप्ताह की अवधि तक में कम्पनी ने उसका भुगतान नहीं किया है, या उसे प्रतिभूत नहीं किया है, या ऋणदाता के सन्तोषानुसार कोई समझौता नहीं किया है, (२) यदि किसी सदस्य के खिलाफ उसके या कम्पनी द्वारा देय किसी राशि की वसूली के लिए कोई वाद दायर कर दिया गया है या कोई कानूनी कार्यवाही कर दी गई है और इस सिलसिले में लिखित नोटिस कम्पनी पर तामील हो गई है और कम्पनी ने नोटिस तामील होने के १० रोज के भीतर ऋण या माँग को भुगतान नहीं किया है, या उसे प्रतिभूत नहीं किया है, या वाद या कार्यवाही को रुकवाने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही नहीं

किया है, या वाद या कार्यवाही के सिलसिले में होने वाले व्यय, परिव्यय, हर्जाने के लिये प्रतिवादी के सन्तोषानुसार उसकी क्षतिपूर्ति का इन्तज़ाम नहीं किया है, (३) यदि ऋणदाता के पक्ष में कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश या डिक्री पर जारी किया गया कोई निष्पादन या जारी की गई प्रक्रिया पूर्णतः या आंशिक रूप से सन्तुष्ट हुए बिना वापस आ जाती है, तथा (४) यदि कोर्ट के सन्तोषानुसार अन्यथा यह साबित कर दिया जाता है कि कम्पनी अपने ऋणों का भुगतान करने में समर्थ नहीं है। [धारा ५८३]।

विदेशी कम्पनियों का समापन करने की शक्ति भले ही वह विघटित हो गई हो (Power to wind up foreign companies, although dissolved)—जब कोई विदेशी कम्पनी जो भारत से बाहर निगमित हुई हो तथा भारत में कारोबार कर रही हो, भारत में अपना कारोबार बन्द कर देती है, तो उसका समापन इस भाग के अन्तर्गत बतौर गैर-रजिस्टर्ड कम्पनी के किया जा सकता है, इस बात के बावजूद भी कि निगम निकाय को विघटित कर दिया गया है, या उसके निगमन के देश के कानूनों के अन्तर्गत या अनुसार वह अस्तित्वहीन हो गई है। [धारा ५८४]।

गैर-रजिस्टर्ड कम्पनियों के समापन में अंशदाता (Contributories in winding up of unregistered company)—गैर-रजिस्टर्ड कम्पनी के समापन की सूरत में, प्रत्येक उस व्यक्ति को अंशदाता समझा जाएगा, जो (क) कम्पनी के किसी ऋण या दातव्य के, या (ख) सदस्यों के आपसी अधिकारों के समायोजन के लिए किसी राशि के, या (ग) कम्पनी की सम्पत्ति के व्यय, परिव्यय तथा भारों के भुगतान, या अंशदान के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो। प्रत्येक अंशदाता भुगतान करने या अंशदान करने के दायित्व के सिलसिले में उसके द्वारा देय सभी राशियों का अंशदान कम्पनी की परिसम्पत में करने के लिये उत्तरदायी होगा। किसी अंशदाता की मृत्यु हो जाने या उसका दिवाला निकल जाने की सूरत में, मृतक अंशदाताओं के वैधिक प्रतिनिधियों, या दिवालिए अंशदाताओं के अभिहस्तांकितियों को लागू होने वाले इस ऐक्ट के उपबन्ध, जैसी भी सूरत हो, लागू होंगे। [धारा ५८५]।

भाग ११, १२ तथा १३

अध्याय २६

भारत के बाहर निगमित कम्पनियां तथा रजिस्ट्रेशन कार्यालय

[COMPANIES INCORPORATED OUTSIDE INDIA AND REGISTRATION OFFICES

[धाराएँ ५६१—६५८]

भाग ११ भारत के बाहर निगमित कम्पनियों के विषय में है।

धारा ५६२ द्वारा अपेक्षित है कि विदेशी कम्पनियाँ जो, भारत में कारोबार का स्थान स्थापित करती हैं, ऐसे स्थान की स्थापना के एक महीने के भीतर कम्पनी के चार्टर, स्टेच्यूट्स या मेमोरन्डम तथा आर्टिक्ल्स या कम्पनी के संघटन को परिभाषित या व्यक्त करने वाले किसी अन्य संलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि, कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय का पूरा पता, कम्पनी के डायरेक्टर्स तथा सेक्रेट्री की सूची, भारत में उनकी ओर से कम्पनी पर तामील की जाने वाली नोटिसों तथा अन्य प्रक्रिया की तामील के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम तथा पते तथा भारत में कम्पनी के कार्यालय का पूरा पता जिसे भारत में कम्पनी का प्रमुख कारोबार का स्थान समझा जाएगा, रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए परिदत्त करेंगी।

धारा ५६३ के अन्तर्गत यदि किसी विदेशी कम्पनी द्वारा अपने चार्टर, स्टेच्यूट्स, मेमोरन्डम तथा आर्टिक्ल्स या उसके संघटन को परिभाषित करने वाले किसी अन्य संलेख में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो कम्पनी द्वारा निर्धारित समय के भीतर परिवर्तन के सिलसिले में निर्धारित विवरण सहित एक रिटर्न रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए अवश्य परिदत्त किया जाना चाहिए। [धारा ५६३]।

धारा ५६४ के अन्तर्गत, प्रत्येक विदेशी कम्पनी, प्रत्येक कलेन्डर वर्ष में, एक बैलेन्सशीट तथा लाभ और हानि का लेखा तैयार करेगी और इनकी तीन प्रतियाँ रजिस्ट्रार को परिदत्त करेगी। [धारा ५६४]।

भाग १२ रजिस्ट्री कार्यालय, उनके अधिकारियों तथा फीस के विषय में है।

भाग १३ कम्पनियों से सूचना तथा सांख्यिक (statistics) के संग्रह के विषय में है। यह केन्द्रीय सरकार को कम्पनियों को सूचना या सांख्यिक भेजने के लिए निदेश देने की शक्ति प्रदान करती है।

धारा ६१८ यह निर्धारित करती है कि कोई सरकारी कम्पनी, चाहे उसे १ अप्रैल, १६५६ के पूर्व या बाद में स्थापित किया गया हो, कम्पनीज (एमेन्डमेन्ट) ऐक्ट १६६० के शुरू होने के बाद, किसी मैनेजिङ्ग एजेन्ट की नियुक्त नहीं करेगी या सेवा में नहीं लगायेगी, या ऐक्ट के शुरू होने के बाद छः महीने की समाप्ति के बाद किसी मैनेजिङ्ग एजेन्ट की नियुक्ति या सेवायोजन को जारी नहीं रक्खेगी, बशर्ते कि जहाँ कोई कम्पनी यदि १ अप्रैल, १६५६ के बाद सरकारी कम्पनी हुई हो, तो इस धारा की कोई बात, ऐसी सरकारी कम्पनी द्वारा, कम्पनीज (एमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १६६० के शुरू होने के बाद, ऐक्ट के शुरू होने से पहिले नियुक्त किए गए या सेवा में लगाए गए मैनेजिङ्ग एजेन्ट की नियुक्ति या सेवायोजन को जारी रखने से नहीं रोकेगी।

आडिटर (Auditor)—सरकारी कम्पनी के आडिटर की नियुक्ति Comptroller and Auditor-Ceneral of India की सलाह पर; केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। Comptroller & Auditor-General of India को यह निदेश देने की शक्ति प्राप्त होगी कि आडिटर कम्पनी के लेखे का आडिट किस ढंग से करेगा, तथा वह इस बात का भी निदेश दे सकेगा कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह इसके लिए प्राधिकृत करें, कम्पनी का अनुपूरक या टेस्ट आडिट किया जाय। (धारा ६१६)।

वार्षिक रिपोर्ट (Annual Report)—जहाँ केन्द्रीय सरकार किसी सरकारी कम्पनी की सदस्य हो, वहाँ केन्द्रीय सरकार कम्पनी के कारोबार तथा प्रशासन की एक वार्षिक (क) वार्षिक जनरल मीटिंग के तीन महीने के भीतर तैयार कराएगी जिसके समक्ष आडिट रिपोर्ट रक्खी जाती है, तथा (ख) जितना शीघ्र सम्भव हो, इस प्रकार तैयार कराये जाने के पश्चात उसे पार्लियामेन्ट के दोनों सदनों के सामने रक्खा जायेगा, तथा इसके साथ आडिट रिपोर्ट या उसके अनुपूरक की एक प्रति उस पर अभियुक्तियों सहित, या (Comptroller and Auditor General of India) द्वारा दी गई आडिट रिपोर्ट की एक प्रति भी, रक्खी जायेगी। [धारा ६१६-ए (२)]।

जहाँ केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त कोई राज्य सरकार भी कम्पनी की सदस्य हो, वहाँ राज्य सरकार उपयुक्त वार्षिक रिपोर्ट की प्रति राज्य विधान मंडल या दोनों मंडलों के सामने, उपयुक्त आडिट रिपोर्ट तथा अभियुक्तियों या अनुपूरक सहित, रक्खेगी। [धारा ६१६-ए (३)]।

जहाँ केन्द्रीय सरकार कम्पनी की सदस्य न हो, वहाँ प्रत्येक राज्य सरकार जो उस कम्पनी का सदस्य है, या जहाँ केवल एक ही राज्य सरकार उस कम्पनी की सदस्य है, वह राज्य सरकार कम्पनी के कारोबार तथा प्रशासन की वार्षिक रिपोर्ट (क) यथोल्लिखित अवधि के भीतर तैयार कराएगी, तथा (ख) जितना शीघ्र सम्भव हो, इस प्रकार तैयार कराए जाने के पश्चात् उसे राज्य विधान मंडल या दोनों मंडलों के सामने उपर्युक्त आडिट रिपोर्ट तथा अभियुक्तियों या अनुपूरक सहित रक्खेगी। [धारा ६१६-ए (३)]।

सद्भावनापूर्वक किए गए कृत्यों के लिए सुरक्षा (Protection of acts done in good faith)—इस ऐक्ट या इसके अन्तर्गत बनाए गए किसी नियम या दिए गए किसी आदेश के अनुसार सद्भावनापूर्वक किए गए या किए जाने वाले कृत्यों के सिलसिले में या सरकार या किसी ऐसे अधिकारी के प्राधिकार के अन्तर्गत या द्वारा किसी रिपोर्ट, कागज या कार्यवाही के प्रकाशन के सिलसिले में कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही सरकार के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ नहीं दायर किया जा सकता, चलाया जा सकेगा या की जा सकेगी। [धारा ६३५ ए)]